Telephone : 044 – 28889333, 28415702
E-Mail : investor@iobnet.co.in

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंन्द्रीय कार्यालय- पोस्ट बॉक्स सं 3765, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Indian Overseas Bank
Central Office: P.B. No.: 3765, 763 Anna Salai, Chennai 600 002
Investor Relations Cell

IRC/ 93 /2022-23 23.06.2022

The Vice President
National Stock Exchange Limited
"Exchange Plaza", C-1, Block G
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Senior General Manager
Dept. of Corporate Services
BSE Limited
Floor 1, P.J. Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001

Dear Sir/Madam,

Regulation 34 (1) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations 2015 (LODR) – Submission of Annual Report

Pursuant to Regulation 34(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit Annual Report of the Bank for FY 2021-22.

Please take the same on record.

Yours faithfully,

S Nandakumaran
DGM & Company Secretary

INDIAN OVERSEAS BANK इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Investor Relations Cell, C.O.

आज़ादी का अमृत महोत्सव
Azadi Ka Amrit Mahotsav

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2021 - 2022

Bank's Head Office, 1958

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Government of India undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
RAJBHASHA KIRTI PURASKAR

2020-21

वर्ष 2020-21 हेतु माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार,
श्री निशिथ प्रामाणिक से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते हुए हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ।

Our MD & CEO Shri Partha Pratim Sengupta receiving Rajbhasha Kirti Puraskar from Honorable Minister of State for Home Affairs, Govt. of India, Shri Nisith Pramanik for the year 2020-21.

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
एमडी व सीईओ
Shri Partha Pratim Sengupta
MD & CEO

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक
Shri Ajay Kumar Srivastava
Executive Director

सुश्री एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक
Ms. S Srimathy
Executive Director

सुश्री ऐनी जार्ज मैथ्यू
सरकारी नामिती निदेशक
Ms. Annie George Mathew
Government Nominee Director

श्री विवेक अग्रवाल
आरबीआइ नामिती निदेशक
Shri Vivek Aggarwal
RBI Nominee Director

श्री नवीन प्रकाश सिन्हा
शेयरधारक निदेशक
Shri. Navin Prakash Sinha
Share Holder Director

श्री सुरेश कुमार रुंगटा
अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक
Shri. Suresh Kumar Rungta
Part-Time Non Official Director

श्री बी. चंद्र रेड्डी
अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक
Shri. B. Chandra Reddy
Part-Time Non Official Director

श्री दीपक शर्मा
अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक
Shri. Deepak Sharma
Part-Time Non Official Director

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक	Indian Overseas Bank
केन्द्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002	Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600 002
वार्षिक रिपोर्ट – 2021-22	**ANNUAL REPORT 2021-22**
निदेशक मंडल	**BOARD OF DIRECTORS**

श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	**Shri Partha Pratim Sengupta** Managing Director & CEO
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव कार्यपालक निदेशक	**Shri Ajay Kumar Srivastava** Executive Director
सुश्री एस श्रीमती कार्यपालक निदेशक	**Ms. S Srimathy** Executive Director
सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू सरकारी नामिती निदेशक	**Ms. Annie George Mathew** Government Nominee Director
श्री विवेक अग्रवाल भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	**Shri Vivek Aggarwal** RBI Nominee Director
श्री नवीन प्रकाश सिन्हा शेयरधारक निदेशक	**Shri Navin Prakash Sinha** Shareholder Director
श्री सुरेश कुमार रुंगटा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	**Shri Suresh Kumar Rungta** Part Time Non Official Director
श्री बी चंद्रा रेड्डी अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	**Shri B Chandra Reddy** Part Time Non Official Director
श्री दीपक शर्मा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	**Shri Deepak Sharma** Part Time Non Official Director
श्री एस पी महेश कुमार महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी	**Shri S P Mahesh Kumar** General Manager & Chief Financial Officer
श्री नंदकुमारन एस उप महाप्रबंधक और कंपनी सचिव	**Shri Nandakumaran S** Deputy General Manager & Company Secretary

लेखाकार	**AUDITORS**
1. मेसर्स एस एन नंदा एंड कंपनी, नई दिल्ली	1. M/s. S N NANDA & CO, New Delhi
2. मेसर्स योगानंद एंड राम एलएलपी, चेन्नै	2. M/s. YOGANANDH & RAM LLP, Chennai
3. मेसर्स एस एन कपूर एंड एसोसिएट्स, लखनऊ	3. M/s. S N KAPUR & ASSOCIATES, Lucknow
4. मेसर्स नंदी हलदर एंड गांगुली, कोलकाता	4. M/s. NANDY HALDER & GANGULI, Kolkata

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट	Registrar & Share Transfer Agent
मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लि.	M/s Cameo Corporate Services Ltd
(यूनिट- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)	(Unit - IOB)
सुब्रमणियन बिल्डिंग	Subramanian Building
पांचवां तल, नं.1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002.	V Floor, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002.
टेली : 044 / 28460390 (छह लाइनें) 044 - 28460395	Tel : 044 / 28460390 (Six Lines) 044 - 28460395
फैक्स: 044 / 28460129	Fax : 044 / 28460129
ई-मेल : cameo@cameoindia.com	e-mail : cameo@cameoindia.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै,
चेन्नै - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai,
Chennai-600 002

ANNUAL REPORT 2021-22

क्र.सं	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.		S.No.	Contents	Page No.
1	एक झलक में	3		1	At a Glance	3
2	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के डेस्क से	4		2	From the Managing Director & CEO's Desk	4
3	शेयरधारक के लिए सूचना	8		3	Notice to the Shareholder	8
4	निदेशकों की रिपोर्ट	30		4	Directors' Report	31
5	प्रबंधन विचार - विमर्श और विश्लेषण	36		5	Management Discussion and Analysis	37
6	वर्ष 2021-22 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	90		6	Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2021-22	91
7	कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	131		7	Auditors' Certificate on Corporate Governance	131
8	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	132		8	Secretarial Audit Report	132
9	वार्षिक लेखा - स्टैंडअलोन	137		9	Annual Accounts - Standalone	137
10	नकदी प्रवाह विवरण - स्टैंडअलोन	139		10	Cash Flow Statement - Standalone	139
11	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट - स्टैंडअलोन	246		11	Independent Auditors' Report - Standalone	247
9ए	वार्षिक लेखा - समेकित	260		9A	Annual Accounts - Consolidated	260
10ए	नकदी प्रवाह विवरण - समेकित	262		10A	Cash Flow Statement - Consolidated	262
11ए	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट - समेकित	300		11A	Independent Auditors' Report - Consolidated	301
12	अतिरिक्त प्रकटीकरण	312		12	Additional Disclosure	313
13	व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2021-22	350		13	Business Responsibility Report 2021-22	351
14	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लाभांश वितरण नीति	382		14	IOB Dividend Distribution Policy	383

(यदि इस वार्षिक रिपोर्ट के हिंदी रुपांतरण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी वर्जन मान्य होगा)

(In this Annual Report, in case of any discrepancy found in Hindi Version, English Version will prevail)

एक नज़र में

(रु. करोड़ में)

	मार्च-22	मार्च-21	मार्च-20	मार्च-19	मार्च -18	मार्च-17
कुल कारोबार	4,17,960	3,79,885	3,57,723	3,74,530	3,67,831	3,68,119
वैश्विक जमाएं	2,62,159	2,40,288	2,22,952	2,22,534	2,16,832	2,11,343
घरेलू जमाएँ	2,56,890	2,35,545	2,18,028	2,17,963	2,10,388	2,05,154
वैश्विक निवल अग्रिम	1,44,244	1,27,721	1,21,333	1,32,597	1,32,489	1,40,459
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	79,570**	74,579**	75,887**	75,393**	70,040**	63,984**
कृषि ऋण	40,358*	33,124*	30,091*	31,853*	29,520*	29,348*
निवल निवेश (वैश्विक)	98,179	95,494	79,415	66,932	68,646	71,654
ब्याज आय	16,730	16,966	17,406	17,631	17,915	19,719
गैर ब्याज आय	4,903	5,559	3,360	4,206	3,746	3,373
परिचालनात्मक व्यय	5,451	5,562	5,129	4,452	5,585	4,912
सकल लाभ	5,763	5,896	3,534	5,034	3,629	3,650
निवल लाभ / निवल हानि	1,709	831	-8,527	-3,738	-6,299	-3,417
इक्विटी शेयर पूँजी	18,902.41	16,436.99	16,436.99	9,141.65	4,890.77	2,454.73
सकल एनपीए (%)	9.82	11.69	14.78	21.97	25.28	22.39
निवल एनपीए (%)	2.65	3.58	5.44	10.81	15.33	13.99
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%)	13.83	15.32	10.72	10.21	9.25	10.50

* 31 मार्च तक बकाया

** प्राथमिकता क्षेत्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2016-17 से प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य एवं अन्य उप लक्ष्य के तहत चार तिमाहियों का औसत निष्पादन दिया जा रहा है ।

जहां कहीं भी अपेक्षित है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पूनर्समूहित किया गया है ।

At a Glance

(₹ in Crore)

	Mar-22	Mar-21	Mar-20	Mar-19	Mar-18	Mar-17
Total Business	4,17,960	3,79,885	3,57,723	3,74,530	3,67,831	3,68,119
Global Deposits	2,62,159	2,40,288	2,22,952	2,22,534	2,16,832	2,11,343
Domestic Deposits	2,56,890	2,35,545	2,18,028	2,17,963	2,10,388	2,05,154
Global Net Advances	1,44,244	1,27,721	1,21,333	1,32,597	1,32,489	1,40,459
Priority Sector Advances	79,570**	74,579**	75,887**	75,393**	70,040**	63,984**
Agricultural Credit	40,358*	33,124*	30,091*	31,853*	29,520*	29,348*
Net Investments (Global)	98,179	95,494	79,415	66,932	68,646	71,654
Interest Income	16,730	16,966	17,406	17,631	17,915	19,719
Non Interest Income	4,903	5,559	3,360	4,206	3,746	3,373
Operating Expenses	5,451	5,562	5,129	4,452	5,585	4,912
Gross Profit	5,763	5,896	3,534	5,034	3,629	3,650
Net Profit/Net Loss	1,709	831	-8,527	-3,738	-6,299	-3,417
Equity Share Capital	18,902.41	16,436.99	16,436.99	9,141.65	4,890.77	2,454.73
Gross NPA (%)	9.82	11.69	14.78	21.97	25.28	22.39
Net NPA (%)	2.65	3.58	5.44	10.81	15.33	13.99
Capital Adequacy Ratio (%)	13.83	15.32	10.72	10.21	9.25	10.50

* Outstanding as on 31st March

** Average of 4 Quarters performance as per revised Priority Sector Guidelines of RBI from FY 2016-17 onward for achievement of Priority sector target & Sub target for the financial year.

Previous year's figures are regrouped wherever necessary

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक - केन्द्रीय कार्यालय चेन्नै

INDIAN OVERSEAS BANK - CENTRAL OFFICE CHENNAI

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पत्र

Letter from Managing Director & Chief Executive Officer

श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Shri. Partha Pratim Sengupta, Managing Director & Chief Executive Officer

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके बैंक की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए हर्षानुभूति हो रही है। यद्यपि अर्थव्यवस्था को वर्ष के दौरान कोविड -19 के ओमीक्रोन संस्करण और भू-राजनीतिक तनाव के चलते प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा किन्तु इन विषम परिस्थितियों में भी बैंक ने समभाव के साथ सभी तिमाहियों में लगातार मुनाफा कमाना जारी रखा। मैं इस कठिन समय के दौरान जनता को सेवाएं देने में बैंक कर्मचारियों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना करता हूँ।

दुनिया भर में कोविड -19 महामारी के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और वित्तीय बाजार अस्थिरता के दौर में रहा। इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करते हुए बैंक ने खुद को तैयार किया और हम अविरत रूप से स्थिति का मूल्यांकन करते हुए आवश्यकतानुसार बैंक की परिसंपत्तियों को संभावित तनाव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया है। बैंक का प्रबंधन इस तनाव पूर्ण दौर के बैंक की तरलता या लाभप्रदता पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की अपेक्षा नहीं कर रहा है।

अब, मैं आपके साथ वर्ष के दौरान बैंक के निष्पादन के मुख्य अंशों के साथ-साथ बैंक के भविष्यगामी पथ का दृष्टिकोण साझा करना चाहता हूँ।

आर्थिक माहौल

वैश्विक अर्थव्यवस्था

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने अधिकांश देशों में करोना वायरस महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था के उबरने की रफ्तार को अपेक्षाकृत रूप से मद्धम कर दिया है। यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध के प्रभावों के चलते खाद्य, ऊर्जा और प्रमुख वस्तुओं की कीमतों के दबाव में मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति सबसे गरीब एवं सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करती है और दुनिया भर में बढ़ती असमानताओं में योगदान देती है। मुद्रास्फीति में यह वृद्धि केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में उल्लेखनीय वृद्धि और मुद्रास्फीति को लक्ष्य पर वापस लाने के लिए मौद्रिक स्थितियों के कड़े होने के रूप में परिणामित हो रही है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 हेतु 6.1 प्रतिशत की पूर्वानुमानित वैश्विक उत्पादन वृद्धि को संशोधित कर 2022 और 2023 हेतु 3.6 प्रतिशत कर दिया है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 8.7 प्रतिशत की वृद्धि पिछले साल के 6.6 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की अपेक्षा काफी बेहतर है और महामारी के चलते आई मंदी से उबरने की ओर इशारा करती है।

Dear Shareholders,

I have pleasure in presenting your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2021-22. Though the economy witnessed unfavorable economic conditions during the year with onset of Omicron Variant of Covid-19 and geo-political tensions, bank showed its resilience and continued to post profits consistently in all the quarters. I appreciate the role played by bank employees in giving services to public during these difficult times.

The Covid-19 pandemic across the globe resulted in decline of economic activity and movement in financial market. In this situation, Bank geared itself to meet the challenges and has been evaluating the situation on an ongoing basis and has pro-actively provided against the challenges of likely stress on the banks assets as required. Bank's management is not expecting any significant impact on Bank's liquidity or profitability.

Now, I would like to share with you the performance highlights of the Bank during the year as well as the outlook for the Bank going forward.

Economic Environment

Global Economy

Russia's invasion of Ukraine has caused a pause in the economic recovery from the coronavirus pandemic with lower growth expected in most countries. The war against Ukraine has been accompanied by a sharp rise in inflation under the pressure of food, energy and major commodity prices. Inflation affects most the poorest and weakest and contributes to increasing inequalities worldwide. This rise in inflation is leading to significant increases in interest rates by central banks and a tightening of monetary conditions to bring inflation back to target.

The International Monetary Fund has revised its forecast of global output growth from an estimated 6.1 percent in 2021 to 3.6 percent in 2022 and 2023.

Domestic Economy

The gross domestic product (GDP) growth of 8.7 per cent in 2021-22 is significantly better than last year's 6.6 per cent contraction and points towards a recovery from the pandemic driven slowdown.

देश में निवेश गतिविधि का एक संकेतक सकल स्थायी पूंजी निर्माण में 2021-22 में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई है । सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़े घटक, निजी अंतिम उपभोग व्यय में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विगत वर्ष की 6 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) 8.1 प्रतिशत बढ़ा, जबकि 2020-21 में यह 4.8 प्रतिशत के नकारात्मक स्तर पर था ।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि क्षेत्र विगत वर्ष के 3.3 प्रतिशत की तुलना में मद्धम होकर 3 प्रतिशत पर आ गया है । हालाँकि, विनिर्माण गतिविधियों में वर्ष 2021-22 के दौरान सुधार देखा गया है जो कि 2020-21 में 0.6 प्रतिशत के नकारात्मक स्तर से बढ़ कर इस वर्ष 9.9 प्रतिशत हो गई हैं । महामारी के दौरान सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र यथा व्यापार, होटल और परिवहन में 2021-22 में सुधार देखा गया है और पिछले साल 20.2 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई है ।

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के बीच आरबीआइ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 7.8% से घटकर 7.2% कर दिया है ।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जमा और अग्रिम में क्रमश: 8.25% और 9.79% की वृद्धि दर्ज़ की है । सीडी अनुपात भी इसी अवधि के लिए 68.38 प्रतिशत से बढ़कर 69.35% हो गया ।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की प्रवृत्ति देखी गई है, हालांकि कुछ ऋणों को आरबीआइ द्वारा महामारी के चलते प्रदत्त विशेष रियायत के चलते पुनर्गठित ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है । वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जीएनपीए 9.11 प्रतिशत से घटकर 7.29 प्रतिशत और एनएनपीए 3.09 प्रतिशत से घटकर 2.20% हो गया ।

अप्रैल 2022 तक भारत की खुदरा मुद्रास्फीति ने लगातार चौथी बार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लक्षित ऊपरी सीमा का अधिग्रहण किया है । काफी हद तक यह उछाल रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच छिड़े युद्ध के चलते ईंधन और खाद्य कीमतों में आई वृद्धि से हुई है । ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022-23 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के ऊपरी सहन स्तर से अधिक बने रहने की संभावना है ।

इसलिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए सुविचारित मौद्रिक नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता थी । तदनुसार, आरबीआइ ने एक गैर-आवर्तिक नीति बैठक में, मई 2022 एमपीसी में रेपो दर में 40 आधार अंकों और सीआरआर में 50 आधार अंकों की वृद्धि की और जून 2022 एमपीसी में पुनः रेपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि की ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई दो वृद्धियों के बाद, बैंकों में ग्राहकों तक लाभ विस्तारित करने और अपनी जमा दरों में वृद्धि करने की परिवृत्ति देखी गई है । बाहरी बेंचमार्क से जुड़े ऋणों के लिए दर संचारण की गति में सुधार हुआ है । मुद्रास्फीति आगे के लक्ष्य के भीतर बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए हम अगली कुछ एमपीसी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और अधिक बढ़ोतरी देख सकते हैं ।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) ने बेहतर क्रेडिट मांग और उधारदाताओं की सशक्त तुलन पत्र से मदद करते हुए 2022-23 के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर अपने दृष्टिकोण को 'सुधारात्मक' से संशोधित कर 'स्थिर' कर दिया है । अगले वित्त वर्ष के लिए 10 प्रतिशत तक ऋण वृद्धि दर्ज़ की जा सकती है

Gross fixed capital formation, which is an indicator of investment activity in the country, witnessed a jump of 15.8 per cent in 2021-22. Private final consumption expenditure, which is the largest component of the GDP, jumped by 7.9 per cent during the financial year 2021-22 as compared with a decline of 6 per cent a year ago.

During the financial year 2021-22, gross value added (GVA) grew 8.1 per cent as against a contraction of 4.8 per cent in 2020-21.

The agriculture sector during the financial year 2021-22 slowed to 3 per cent, compared with 3.3 per cent a year ago. Manufacturing, however, saw an improvement in 2021-22 to grow at 9.9 per cent as against a contraction of 0.6 per cent in 2020-21. Trade, hotels, and transport which was the most hit sector during the pandemic showed improvement in 2021-22 and posted a growth of 11.1 per cent, against a decline of 20.2 per cent last year.

RBI has slashed economic growth projection of India for financial year 2022-23 to 7.2% from 7.8% estimated earlier amid volatile crude oil prices and supply chain disruptions caused by Russia-Ukraine war.

Outlook for Banking Sector

The Public sector banks have registered deposit and advance growth of 8.25 % and 9.79 % respectively during financial year 2021-22 over financial year 2020-21. CD ratio also improved from 68.38% to 69.35 % for the same period.

Asset quality of Public sector banks are on improving trend though some loans are classified as restructured loans under pandemic permitted RBI schemes. The GNPA improved from 9.11 % to 7.29 % and NNPA from 3.09 % to 2.20 % during financial year 2021-22 over financial year 2020-21.

Retail inflation of India has breached the upper limit of the Reserve Bank of India's target range for the fourth consecutive time as on April 2022. The surge is largely driven by rising fuel and food prices on account of the Russia-Ukraine war. The projections indicate that inflation is likely to remain above the upper tolerance level of 6 per cent through the first three quarters of 2022-23.

Hence, there was a need for calibrated monetary policy action to keep inflation under control. Accordingly, the RBI, in an off-cycle policy meet, hiked repo rate by 40 basis points and the CRR by 50 basis points in May 2022 MPC and again hiked repo rate by 50 basis points in June 2022 MPC.

Following the two hike by Reserve Bank of India, Banks are seen passing on the benefits to customers and increasing their deposit rates. The pace of rate transmission has improved for external benchmark-linked loans. We may also see more rake hikes by the Reserve Bank of India in next couple of MPC to ensure that inflation remains within the target going forward.

India Ratings and Research (Ind-Ra) has revised its outlook on the banking sector to 'improving' from 'stable' for 2022-23, helped by better credit demand and strong balance sheet of lenders. For next fiscal year, credit growth to pick up to 10 per cent and sees gross non-performing asset (GNPA) ratio at 6.1 per cent.

और सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात 6.1 प्रतिशत पर रहने की संभावना है ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का लक्ष्य खुदरा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), और कॉर्पोरेट और कृषि ऋणों में विकास के साथ चालू वित्त वर्ष की वृद्धि करना है ।

बैंक के वित्तीय निष्पादन के प्रमुख बिंदु – 2021-2022

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध लाभ को 831 करोड़ रुपये (31.03.2021) से बढ़ कर दोगुना यानी 1709 करोड़ रुपये (31.03.2021) हो गया है ।

बैंक का सकल एनपीए 16323 करोड़ रुपये से घट कर 15299 करोड़ रुपये तक कम हुआ है और इस तरह बहुआयामी और केंद्रित वसूली पहल के माध्यम से जीएनपीए % जो कि 11.69% से घटकर 9.82% हो गया है ।

एनएनपीए को निरपेक्ष रूप से 4578 करोड़ रुपये से घटकर 3825 करोड़ रुपये और प्रतिशत के संदर्भ में 3.58% से 2.65% तक लाया गया है ।

31.03.2022 तक बैंक का पीसीआर 90.34 प्रतिशत से बढ़कर 91.66 प्रतिशत हो गया है जोकि में अद्योग में सबसे अधिक है ।

नतीजतन, बैंक वित्तीय वर्ष 21-22 की चौथी तिमाही में 552 करोड़ रुपये और पूरे वित्त वर्ष 21-22 के लिए 1709 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज़ किया है ।

बैंक ने रैम सेगमेंट के अग्रिमों विशेष रूप से आवास ऋण और आभूषण ऋण के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है जो 31 मार्च 2022 तक 73.35 फीसदी तक पहुंचने वाले घरेलू अग्रिमों में रैम शेयर की वृद्धि में स्पष्ट है ।

कासा 31 मार्च-2021 तक 102165 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च-2022 तक 113877 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें 11.46% की वृद्धि हुई है। कासा% 31 मार्च-2021 के 42.52% से बढ़कर 31 मार्च-2022 तक 43.44% हो गया है ।

शुद्ध ब्याज आय वित्त वर्ष 2020-21 में 5899 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष-21-22 में 6311 करोड़ रुपये हो गई है ।

पूंजी की स्थिति

बोर्ड ने 14.06.2021 को हुई अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आवश्यकता के आधार पर 1000 करोड़ रुपये के बेसल III टियर II बांड जारी करके टियर II पूंजी जुटाने को मंजूरी दी थी । तदनुसार, निर्गम का आकार 200 करोड़ रुपये तय किया गया है, जिसमें 600 करोड़ रुपये तक निर्गम ऑनलाइन के विकल्प के साथ थे ।

सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद बैंक ने क्यूआईबी द्वारा अभिदान किए गए निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बेसल II टियर II बांड जारी करके 665 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई है ।

पुरस्कार एवं सम्मान

मैं आपको सहर्ष सूचित करता हूँ कि

- राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा में हमारे बैंक द्वारा किए गए प्रयासों के प्रमाणीकरण के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार से '**राजभाषा कीर्ति पुरस्कार**' प्राप्त हुआ ।
- **डिजीधन पुरस्कार 2020-21:** भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लघु और सूक्ष्म सार्वजनिक क्षेत्र की

The Indian Overseas Bank is aiming to increase advances in the current financial year with secular growth across retail, micro, small and medium enterprise (MSME), and corporate and agricultural loans.

Financial Performance - Highlights of your Bank – 2021-2022

Net Profit for FY 2021-22 has been doubled i.e., Rs.1709 crore(31.03.2022) from Rs.831 crore(31.03.2021)

Bank could reduce the gross NPA substantially from Rs.16323 Crores to Rs.15299 Crores and thereby brought down the GNPA% from 11.69% to 9.82% through multipronged and focused recovery initiatives.

NNPA has been brought down from Rs.4578 Crores to Rs.3825 Crores in absolute terms and from 3.58% to 2.65% in percentage terms.

PCR of the Bank has improved substantially as on 31.3.2022 from 90.34% to 91.66%. one of the highest in industry.

As a result, Bank could register a Net Profit to the tune of Rs.552 Crores for Q4 FY 21-22 and Rs.1709 crore for whole FY 21-22.

Bank concentrated in expansion of RAM segment advances especially housing loan and jewel loan which is evident in growth of RAM share to domestic advances reaching to 73.35% as of 31st March-2022.

CASA has improved from Rs.102165 Crores as of 31st March-2021 to Rs.113877 Crores as of 31st March-2022 with a growth of 11.46%. CASA% has moved up from 42.52% as of 31st March-2021 to 43.44% as of 31st March-2022.

Net interest income has improved from Rs.5899 Crores in FY20-21 to Rs.6311 Crores in FY-21-22.

Capital Position

The board in its meeting held on 14.06.2021 had approved to raise Tier II Capital by issue of Basel III Tier II Bonds of Rs.1000 crore depending on requirement for FY 2021-22. Accordingly, the issue size fixed for Rs.200 crore with a Green Shoe option upto Rs.600 crores.

After Careful consideration Bank has raised capital by issue of Basel III Tier II Bonds to the tune of Rs.665 crore through private placement, subscribed by QIBs.

Awards and Accolades

I am pleased to inform you that IOB

- Bank received the '**Rajbhasha Kirti puraskar**' from the Ministry of Home Affairs, Government of India for the financial year 2020-21, as a certification of the efforts made by our Bank towards the implementation of Official Language.
- **DigiDhan Awards 2020-21:** Bank has been awarded 2nd Position for achieving 2nd highest percentage of digital

श्रेणी में बैंक को प्रतिशतवार दूसरे सर्वाधिक डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए दूसरा स्थान प्रदान किया गया है ।

- **आईबीए से मान्यता प्राप्त अर्जित अंकों में शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले पीएसबी एलायंस डोर स्टेप बैंकिंग**
- **डीएसबी पंजीकरण** के लिए शिखर अभियान शुरू किया गया और हमारे बैंक को आईबीए से पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

आगे की राह

कई समर्पित ग्राहकों के विशाल आधार और युवा, मजबूत और ऊर्जावान कार्यबल के बड़े आधार के समर्थन के साथ, ब्रांड आइओबी निश्चित रूप से बैंकिंग उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

स्वीकृति

मैं इस अवसर पर भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, उन देशों के मौद्रिक प्राधिकरणों, जहां बैंक का विदेशी परिचालन है, भारत और विदेशों में अन्य सरकारी और नियामक एजेंसियों को उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ ।

मैं भारत और विदेशों में अपने ग्राहकों और अपने शेयरधारकों को ब्रांड आइओबी में उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हम निरंतर आधार पर बैंक की स्थिति में सुधार करने और अपने हितधारकों के लिए अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्रयासरत एवं कृत संकल्प हैं ।

मैं बोर्ड के अपने सहयोगियों को उनकी विशेषज्ञता और निर्देशन के लाभ के लिए धन्यवाद देता हूँ । मैं सभी आइओबियन्स को उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए भी धन्यवाद देता हूँ ।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

भवदीय

-हस्ताक्षर

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

payment transactions under Small & Micro Public Sector Banks category by Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.

- **Top Achievers in Points Earned – Recognition from IBA PSB alliance Door Step Banking**

  Shikhar Campaign launched for **DSB Registration** and our Bank received the Award from IBA.

Going forward

With the support of huge base of several loyal customers and a large base of young, strong and energetic work force, Brand IOB is sure to play an important role in the Banking Industry.

Acknowledgement

I take this opportunity to thank the Government of India, Reserve Bank of India, the Monetary Authorities of countries where the Bank has overseas operations, other Government and Regulatory Agencies in India and abroad, for their valuable support and guidance.

I thank our customers in India and abroad and our shareholders for their faith in Brand IOB as we strive to improve the Bank's position on an ongoing basis and remain strongly committed to creating value for our stakeholders.

I thank my colleagues on the board for the benefit of their expertise and direction. I also thank all IOBians for their dedication and commitment.

With warm regards,

Yours sincerely,

-Sd/-

Partha Pratim Sengupta

Managing Director & Chief Executive Officer

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय

निवेशक संबंध कक्ष

763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बाइसवीं सामान्य वार्षिक बैठक नोटिस का परिशिष्ट

शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2022, प्रातः 11.00 बजे

शेयरधारकों को सूचना

इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 57 के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **इण्डियन ओवरसीज बैंक निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए शुक्रवार दिनांक 15 जुलाई, 2022 को सुबह 11.00 (आईएसटी) बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम)** से अपने शेयरधारकों की बाइसवीं सामान्य वार्षिक बैठक (एजीएम) का आयोजन करेगा ।

सामान्य कार्य

मद संख्या 1 :

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तुलन पत्र और खातों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि के लिए उस तिथि को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र एवं खातों पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण करने के लिए:

विशेष कार्य

मद संख्या 2 : इक्विटी पूंजी बढ़ोत्तरी योजना 2022-23

निम्नलिखित संकल्पों पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करना:

""संकल्प किया गया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 **(अधिनियम),** राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 **(विनियमन)** 2008 तक यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक **(आरबीआइ),** भारत सरकार **(जीओआइ),** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2018 **(आइसीडीआर विनियम)** जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित है/ दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशार्निदेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 **(बीआर अधिनियम),** सेबी **(सूची बाध्य बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ)** विनियमन, 2015 (एलओडीआर)

Indian Overseas Bank

Central Office

Investor Relations Cell

763, Anna Salai, Chennai – 600 002

NOTICE OF THE TWENTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Friday, the July 15, 2022 at 11.00 a.m.

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 57 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) that the Twenty Second **Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Indian Overseas Bank** will be held on **Friday, the July 15, 2022** at **11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)** / **Other Audio Visual Means (OAVM) to** transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2022, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts:

SPECIAL BUSINESS

Item No.2: Equity capital raising plan 2022-23

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**Act**), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**Scheme**) and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended upto 2008 (**Regulations**) and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**ICDR Regulations**) as amended up to date/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949 (**B R Act**),

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार की शर्त पर वे आधारित हैं और **विनियमन 4(ए)** के प्रावधानों के अनुसार है, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्द्वारा सहमति बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे **"बोर्ड"** कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य **रु.10 /- प्रति** शेयर होगा और आज की तारीख में किसी भी हालत में **रु. 1,000 करोड़** से अधिक नहीं होगा विधमान प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी के तहत होगी, यह बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी में अधिनियम की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूँजी की हद तक, निर्धारित सीलिंग है, वह भी इस तरह कि **केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 51% से कम नहीं रहेगा,** चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों **("एनआरआइ"),** निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों **("क्यूआइबी")** जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक **("एफआइआइ"),** बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार या आइसीडीआर विनियमों के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम, सेबी के विनियम (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ), 2021 **("एसबीइबी विनियम")** के जरिए कर्मचारियों को इक्विटी शेयर या ऐसा अन्य निर्गम जो कि लागू विधि द्वारा उपलब्ध किया जा सके, अधिमान निर्गम के ज़रिए और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर अति आबंटन विकल्प सहित या विकल्प रहित किया जाएगा

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**LODR**), Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (**SEBI Act**) and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the **Regulations**, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares , the extent of issue of each class of such redeemable preference shares and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of **Rs.10 each** and in any case not exceeding Rs.**1000 crores** as on date which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the **Act** or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the **Central Government shall at all times hold not less than 51%** of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"**RESOLVED FURTHER** THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, issue of equity shares to employees through SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity)Regulations, 2021 ("**SEBI Regulations**"), preferential issue and/or private

और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन अधिनियम, आइसीडीआर विनियमन और भा.रि.बैं, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो ।"

"**यह भी संकल्प किया गया** कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहॉ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा ।"

"**आगे यह भी संकल्प किया गया** कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रावधानों (लिस्टिंग बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, **("एलओडीआर"),** अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियमन 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रवर्तन विभाग और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (आगे से जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते हैं या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की ईक्विटी पूंजी में 51% से कम न हो और यह प्लेसमेंट या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय 2 (एसएस) नियम के अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थात्मक प्लेसमेंट (क्यूआइपी) होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन और/ या प्लेसमेंट दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर , जो कि आइसीडीआर विनियमनों के भाग 6 के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो ।"

placement, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, **ICDR Regulations** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"**RESOLVED FURTHER** THAT in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("**LODR**") the provisions of the Act, the provisions of Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Department for promotion of Industry and Internal Trade and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Regulation 2 (ss) of the ICDR Regulations) such as Public financial Institution, foreign portfolio investor, mutual fund, venture capital fund etc. pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP) as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, and through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

“यह भी संकल्प किया गया कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एकीकृत सूचीबद्धता करार और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों व विनियमनों के नियम व शर्तों के अनुसार बोर्ड को एतद्द्वारा वैसे स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, को जारी किए गए एक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

“यह भी संकल्प किया गया कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूची करार के प्रावधानों के अनुसार आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के क्रम में योग्यता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI की परिभाषा के भीतर ही योग्यताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्णत: प्रदत्त होंगी और इन प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 365 दिनों के भीतर या समय- समय पर आईसीडीआर विनियमनों के अंतर्गत अनुमत ऐसे किसी भी नियत किए गए समय पर पूरा कर लिया जाएगा ।”

“यह भी संकल्प किया गया कि क्यूआइपी निर्गम के मामले में प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य पर पाँच प्रतिशत से अनधिक की छूट पर आइसीडीआर विनियमन के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक शेयर देने को प्राधिकृत है तथा प्रतिभूतियो के शुरुआती मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि को आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार रखा जाएगा ।”

“यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर लिस्ट किये गये हैं या ऐसे अन्य किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और निर्गमों से संबंधित मंजूरियों, आबंटन और उनकी लिस्टिंग, जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमत हो, वांछित अथवा निर्देशित अनुसार प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार व अधिकार होगा तथा इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से कोई अन्य अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा ।”

“यह भी संकल्प किया गया कि अनिवासी भारतीय/एफआइआइ तथा/ या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा ।”

“यह भी संकल्प किया गया कि नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का निर्गम और आबंटन, समय-समय पर संशोधित विनियमों के अधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से समान रूप से रैंक करेगा, जिसमें घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो वैधानिक दिशानिर्देश जो इस तरह की घोषणा के समय लागू होते हैं, के अनुसार होगा ।

“यह भी संकल्प किया गया कि इक्विटी/ अधिमान्य शेयरों/ प्रतिभूतियों के ऐसे निर्गम से संबंधित किसी बुक रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाज़िटरी(स), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसे सभी अभिकरणों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं और अभिकरणों को कमीशन, दलाली, शुल्क के संबंध में तथा उनके परामर्श से निर्गमों के निबंधनों व प्रकार निर्धारित करने, निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूति आबंटित किए जानेवाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभूतियों का परिवर्तन / वारंट बदलना / प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना,

“**RESOLVED FURTHER** THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations.”

“**RESOLVED FURTHER** THAT in case of a QIP made pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing of this resolution or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time”.

“**RESOLVED FURTHER** THAT in case of QIP issue, the Bank in pursuance to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount as prescribed by ICDR Regulations from time to time and relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations”.

“**RESOLVED FURTHER** THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank”.

“**RESOLVED FURTHER** THAT the issue and allotment, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act”.

“**RESOLVED FURTHER** THAT the issue and allotment of new equity shares / securities, shall be subject to the Regulations as amended from time to time and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration “.

“**RESOLVED FURTHER** THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies, to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like in consultation with them to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds,

ब्याज दर, परिपक्वता अवधि, प्रतिभूतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या निरसन पर ईक्विटी शेयरों / अधिमान्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य,प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम / बट्टा, ब्याज दर,परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी और संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और /या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज मे सूचीबद्ध करने,जैसे मंडल उचित समझे,के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वे आवश्यक,उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस्ताव,निर्गम, आबंटन और निर्गम राशि की उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह या प्रश्न हो तो उन्हें सुलझाने या अनुदेश देने या निदेश देने हेतु तथा निबंधनों व शर्तों के संबंध में किए जानेवाले ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, बदलावों, जोड़, विलोपनों आदि पर बैंक के हित हेतु अपने विवेकाधिकार में कार्रवाई करने, जिसके लिए बैंक और मंडल को दिए गए सभी या किसी अधिकारों के अनुसार सदस्यों से और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस संकल्प पर मंडल द्वारा कार्य करने हेतु मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।"

"**यह भी संकल्प किया गया** कि ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों जो अभिदानित नहीं हैं, का निपटान बोर्ड द्वारा उसके परम विवेकाधिकार के तहत इस प्रकार किया जाए जैसा बोर्ड उचित समझे और जैसा कानून द्वारा अनुमत हो और यह कि बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए कि वह प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक/(कों) या बनी हुई/ अब से बनाई जाने वाली निदेशकों की समिति को प्रदत्त सभी या कोई एक अधिकार प्रत्यायोजित कर सके कि उपर्युक्त संकल्प प्रभावी हो सके । "

मद संख्या 3. आगे, कर्मचारियों को शेयर जारी करने पर विचार करना:

निम्नलिखित संकल्पों पर **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 **(अधिनियम),** राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 **(योजना),** सेबी **"(सूचीबद्ध बाध्यता व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ)** विनियम, 2015 **(एलओडीआर),** 2008 तक संशोधित इण्डियन ओवरसीज़ बैंक **(शेयर व बैठक)** विनियम 2003 **(विनियमन)** और एलओडीआर के अनुसार बीएसई लिमिटेड व नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए यूनिफॉर्म लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों की शर्त पर (तत्संबंधी किसी संशोधन या उसके अधिनियमन) तथा विनियमों के विनियम 4ए तथा भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 (समय समय पर किसी भी सांविधिक संशोधन (ओं), संशोधन (ओं), अधिनियमन समेत) के प्रावधानों के अनुसार है । **(सेबी विनियम)** और **भा.रि.बैं. भारत सरकार, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज के अनुमोदन,** सहमति व मंजूरी के अधीन जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं जहाँ कहीं लागू हों और किसी भी प्राधिकारी के किसी भी लागू अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंज़ूरी (यों), किसी भी स्तर पर और किसी भी शर्तो व संशोधनों जैसा कि एसे प्राधिकारियों द्वारा ऐसे अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंज़ूरी (यों) को देते हुए निर्दिष्ट या लगाया गया हो और जो कि बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाए, बोर्ड को ऐसे कर्मचारियों, बेशक वे भारत या विदेश में कार्यरत हों, को एक या अधिक बार में देने, ऑफर करने, निगमन, आबंटन करने के लिए, जो कि बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों **(कर्मचारियों),** जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, उचित प्रीमियम के साथ **रु. 10 प्रति इक्विटी**

documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board as the Board in its absolute discretion deems fit".

"**RESOLVED FURTHER** THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law and that the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors constituted/hereafter constituted to give effect to the aforesaid Resolutions."

Item No.3: To consider further issue of shares to Employees:

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a **Special Resolution**:

"**RESOLVED** THAT subject to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**Act**), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**Scheme**), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**LODR**), the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended upto 2008 (**Regulations**) and the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited (**Stock Exchanges**) as per LODR (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the **Regulations** and the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity)Regulations, 2021 (including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment from time to time) ("**SEBI Regulations**"), and subject to the approval, consent and sanction of **RBI**, **GOI**, **SEBI**, **Stock Exchange**(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable, and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board, consent be and is hereby accorded to the Board to grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank ("**The Employees**"), as may be decided by the Board, amounting to Rs.**200 crores with face value of Rs. 10/-** (Rupees Ten only) each with

शेयर अंकित मूल्य के रु. 200 करोड़ की इक्विटी शेयरों, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार लाभांश के भुगतान समेत सभी संदर्भों में बैंक के मौज़ूदा इक्विटी शेयरों के साथ-साथ ऐसे मूल्य या मूल्यों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार ऐसे निबंधन व शर्तों पर सहमति को इस प्रकार दर्ज़ किया जाता है कि किसी भी समय भारत की केंद्र **सरकार की हिस्सेदारी बैंक की पूर्ण रूप से प्रदत्त एक्विटी पूंजी के 51%** से कम न हो ।"

"इसके **अतिरिक्त संकल्प लिया जाता है** कि बैंक भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2021 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों या किसी सांविधिक आशोधन(नों), संशोधन (नों) या उसके अधिनियमन का पालन करेगा ।"

"इसके **अतिरिक्त बोर्ड** को स्टॉक एक्सचेंज के साथ शामिल एकरूप सूचीबद्ध करार के निबंधन व शर्तो व अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार स्टॉक **एक्सचेंजों जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं "इण्डियन ओवरसीज़ बैंक –कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2022-23 (आइओबी -ईएसपीएस 2020-21)"** के तहत आबंटित इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए आवश्यक कदम उठाने को प्राधिकृत करने का **संकल्प लिया जाता** है।"

"इसके अतिरिक्त बोर्ड को ऐसे निबंधन व शर्तो, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, पर **"आइओबी -ईएसपीएस 2022-23"** के कार्यान्वयन, गठन, प्रभाव में लाने तथा समय-समय पर **"आइओबी -ईएसपीएस 2022-23"** के निबंधन व शर्तो में संशोधन, परिवर्तन करने के लिए, जिसमें कीमत, अवधि, पात्रता मानदंड या **"आइओबी -ईएसपीएस 2022-23"** को इस तरीके से जैसे कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार में निर्णय करे, सस्पेंड, आहरण, निरस्त या संशोधित करना शामिल है , और साथ ही **"आइओबी -ईएसपीएस 2022-23"** के कार्यान्वयन तथा प्रस्तावित "आइओबी -ईएसपीएस 2022-23" के अनुपालन में ज़ारी शेयरों के संबध में उठे प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों के निपटान हेतु, जिसमें शेयरधारकों की अन्य सहमति या अनुमोदन **अपेक्षित** नहीं है या शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा अपना अनुमोदन दे दिया है समझा जाएगा, प्राधिकृत करने का **संकल्प लिया जाता** है ।"

"इसके अतिरिक्त यह सकंल्प लिया जाता है कि निदेशकों की समिति (यों), प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या बैंक के कुछ अन्य अधिकारी (यों) को इसमें प्रदत्त सभी या कुछ अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए जो कि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं स्वेट ईक्विटी) विनियमन, 2021 व अन्य लागू विधि के अनुपालन में उक्त संकल्प को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त माने जाए।"

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै

(पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता)

appropriate premium, ranking pari-passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, as may be decided by the Board under an Employee Stock Purchase Scheme), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that the **Central Government of India shall at all times hold not less than 51%** of the paid-up Equity capital of the Bank."

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares allotted under the "**Indian Overseas Bank – Employee Stock Purchase Scheme, 2022-23 (IOB-ESPS 2022-23)**", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "**IOB-ESPS 2022-23**" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "**IOB-ESPS 2022-23**", from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "**IOB-ESPS 2022-23**" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "**IOB-ESPS 2022-23**" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "**IOB-ESPS 2022-23**" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution in compliance to SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity)Regulations, 2021and other applicable laws.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-

Place: Chennai

Date : June 15, 2022

(Partha Pratim Sengupta)
Managing Director & CEO

नोट्स

क) कोविड -19 महामारी के मद्देनज़र , एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, संख्या 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020 व संख्या 02/2021 दिनांकित जनवरी 13, 2021, संख्या 21/2021 दिनांकित दिसंबर 14, 2021 एवं सं.02/2022 दिनांकित मई 05, 2022 सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 21/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021, सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/ पी/ 2022/ 62 दिनांकित मई 13, 2022sss के माध्यम से कंपनियों को 31 दिसंबर 2022 की अवधि तक शेयरधारकों की प्रत्यक्ष मौजूदगी के बिना ही वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है । सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियमन) के प्रावधानों और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैंक वीडियो कॉंफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन कर रहा है । अत: शेयरधारक एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही प्रतिभागिता कर सकते हैं ।

बैंक ने **केंद्रीय डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को एजीएम** हेतु वीसी/ ओएवीएम सुविधा प्रदान करने और एजीएम के आयोजन करने हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है ।

सेबी एवं एमसीए के उपर्युक्त परिपत्रों में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 सहित एजीएम नोटिस की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही प्रेषित की जाएगी जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपोजिटरी के पास पंजीकृत हैं । शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि यह नोटिस बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर अपलोड किया गया है । वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 सहित नोटिस को स्टॉक एक्सचेजों यानि नेशनल स्टॉक़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com से प्राप्त किया जा सकता है एवं एजीएम नोटिस सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है ।

ख. भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक एजीएम नोटिस प्राप्त करने हेतु https://investors.cameoindia.com लिंक पर क्लिक कर अस्थाई रूप से अपना ईमेल आइडी पंजीकृत कर सकते हैं । बैठक का आयोजन 763, अण्णा सालै , चेन्नै -600002 में स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में किया जाएगा ।

ग. व्याख्यात्मक विवरण :

बैठक की कार्रवाई के संबंध में भौतिक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न है ।

घ. मताधिकार :

अधिनियम की धारा 2 के उपखंड 2ई के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा समवर्ती नए बैंक का **कोई भी शेयरधारक** अपनी कितनी भी शेयरधारिता के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग

NOTES

a) In view of the continuing Covid-19 pandemic, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, & Circular No. 02/2021 dated13th January, 2021 Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/ 79 dated 12th May, 2020 & circular no. SEBI/ HO/CFD/CMD21/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CR/P/2022/62 dated 13th May 2022 has permitted companies to hold their AGM through VC/ OAVM for period upto December 31, 2022 without the physical presence of the shareholders. In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA circulars, the Bank is holding the Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM). Hence, Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only.

The Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** to provide VC/OAVM facility for the AGM and as the attendant enablers for conducting of the AGM.

In line with the aforesaid SEBI and MCA Circulars, the Notice of AGM along with Annual Report 2021-22 is being sent through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories, and in physical on request. Shareholder may note that that Notice and Annual Report 2021-22 have been uploaded on the website of the Bank at www.iob.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com.

b) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link https://investors.cameoindia.com to get the soft copy of the Notice of AGM. The Central office of the Bank at no. 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 shall be the deemed venue for the meeting.

c) EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

d) VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2-E) of Section 3 of the Act, **no shareholder** of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise

अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकारों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे ।

निर्धारित की गई अंतिम तिथि **शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2022 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत** प्रत्येक शेयरधारक उपर्युक्त उद्देश्य के लिए एजीएम में प्रतिभागिता के लिए पात्र होंगे । भौतिक अथवा अमूर्त रूप में शेयरों को धारण करने वाले बैंक के शेयरधारक अंतिम तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं ।

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार मतदान के संबंध में किसी भी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में जिस व्यक्ति का नाम पंजी में पहले दर्ज़ होगा उसे ही मूल धारक समझा जाएगा । अत: शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर होने की स्थिति में केवल पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में सहभागिता का हकदार होगा और केवल वह ही दूसरस्थ माध्यम से कार्यसूची पर या तो ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा ।

ङ.दूरस्थ ई- वोटिंग

सेबी विनियमन, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 (एलओडीआर) एवं एमसीसी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, सं 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, संख्या 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020 एवं परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित सितम्बर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांकित दिसंबर 31, 2020 तथा सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 का संदर्भ लेते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के साथ एकीकृत सूचीबद्ध समझौते के अनुसार बैंक ने नोटिस में वर्णित मद पर शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रुप में मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए ने **केन्द्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रुप में नियुक्त किया है । रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है । शेयरधारकों / लाभार्थियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में ही उनके मताधिकारों को गणना के लिए शुक्रवार दिनांक 08 जुलाई 2022 को अंतिम के रूप में लिया जाएगा । बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रुप में हैं, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रुप में डाल सकते हैं । बैंक ने मेसर्स आर. श्रीधरन एवं एसोसिएटस के श्री आर. श्रीधरन, कंपनी सचिव (एफसीएस सं. 4775) (सीपी. सं. 3239) को रिमोर्ट वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम के दिन ई-वोटिंग प्रक्रिया सही एवं निष्पक्ष रुप में आयोजित करने के लिए जाँचकर्ता के रुप में नियुक्त किया है ।

1. **रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं:**

   (i) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई 2022 को सुबह 09.00 (आईएसटी) बजे से शुरु होगी और वृहस्पतिवार दिनांक 14 जुलाई 2022 को सायं 05.00 बजे (आइएसटी) को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान

voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank**.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder as on **Friday, July 8, 2022 being the Cut-off Date** will be eligible to participate in AGM for the said purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person only is entitled to participate in the meeting and is eligible to cast vote on the agenda either through remote e-voting or e-voting at the AGM.

e) REMOTE E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and MCA circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/ 79 dated 12th May, 2020 & circular no. SEBI/ HO/CFD/CMD21/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CR/P/2022/62 dated 13th May 2022 and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. Remote E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Friday, July 08, 2022 being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. The Bank has appointed Mr. R. Sridharan of M/s R Sridharan & Associates, Company Secretaries (FCS No. 4775) (CP. No. 3239), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the AGM in a fair and transparent manner.

1 THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

(i) The remote e-voting period begins on Tuesday, July 12, 2022 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, July 14, 2022 at 5:00 p.m. (IST). During this period shareholders of the Bank, holding shares either in

निर्धारित की गई अंतिम तिथि शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2022 तक भौतिक अथवा अमूर्त रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्टॉनिक मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

(ii) ऐसे शेयरधारक जो बैठक तिथि से पहले ही मतदान कर चुके हैं, वे इस बैठक में मतदान के हकदार नहीं होंगे।

(iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत सेबी परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 09.12.2020 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/ खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, **सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/ डिपॉजिटरी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग हेतु सक्षम करने का निर्णय लिया गया है।** डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी।

सेबी के परिपत्र सं. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा परडीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें। सेबी परिपत्र सेवी /एचओ एमआई आर एस एम आर और एस डी आर टी ए एम पी/परि/2021/655 दिनांकित 3.11.2011 के अनुसार, सभी भौतिक शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे रजिस्ट्रार के साथ पैन, के वाइसी एवं नामांकन अद्यतन कर लें, चूक होने पर फोलियो फ्रीज कर दिया जाएगा।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड **सीडीएसएल/ एनएसडीएल में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग** और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है :

physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date on July 08, 2022 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting.

(iii) Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholder's/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants**. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility. As per SEBI CIRCULAR SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 3.11.2021, all physical shareholders are advised to update PAN, KYC & NOMINATION with registrar, failing which will result in freezing of folios.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode CDSL/NSDL** is given below:

शेयर धारकों का प्रकार	लॉगइन प्रक्रिया
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल आसान/ सबसे आसान सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं । वहाँ बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा । उपयोगकर्ताओं के लिए ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग इन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login हैं अथवा वे www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगइन आइकन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम माईसी का चयन करें ।
	2) सफल लॉगिन के बाद ईज़ी/ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता जहां इवोटिंग चल रही है ऐसी कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे । ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा । इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं यानी सीडीएसएल/ एनएसडीएल/ कार्वी/ लिंकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें ।
	3) यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है ।
	4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं या https://evoting.cdslindia.com/Evoting/ पर क्लिक कर सकते हैं । ई-वोटिंग प्रणाली पंजीकृत मोबाइल और ईमेल, जोकि डीमैट खाते में दर्ज है, पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित कर सकेंगे । सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता उस ई-वोटिंग विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहाँ वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली को सीधे एक्सस करने में भी सक्षम होगा ।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जाएं । या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें । एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लाग इन" के तहत

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi.
	2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/ NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.
	3) If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration
	4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page or click on https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the "Login" which is available under 'IDeAS'

	"बेनिफिशयल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो "आइडीएएस" सेक्सन के तहत उपलब्ध है । एक नई स्क्रीन खुलेगी । आपको अपना यूज़र आइडी और पासवर्ड डालना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे । ई-वोटिंग सेवाओं के तहत 'एक्सेस टू ई-वोटिंग' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदता वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा ।
	2) यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है । "आईडीईएएस" पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें ।
	3) पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित URL टाइप करके https://www.evoting.nsdl.com/ एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है । एक नई स्क्रीन खुलेगी । जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा ।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने **डिपॉजिटरी प्रतिभागियों** के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं ।	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं । सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे । एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा ।

	section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
	2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp
	3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करें ।

लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल है ।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित करें या टोल फ्री नं: 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं ।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ।	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं ।

2. **भौतिक शेयरधारकों और डीमेट रूप में वैयक्तिक धारक के अतिरिक्त शेयरधारकों** के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक से जुड़ने हेतु लॉगइन पद्धति :

(i) ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगऑन करना चाहिए ।

(ii) शेयरधारक मॉड्यूल पर क्लिक करें ।

(iii) अब अपनी यूजर आइडी प्रविष्ट करें ।

क. सीएसडीएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी

ख .एनएसडीएल के लिए : 8 वर्णों की डीपी आईडी जिसके बाद 8 अंकीय ग्राहक आईडी जुड़ी हो

ग. भौतिक रूप से शेयरधारित करने वाले शेयरधारक को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी चाहिए ।

(iv) इसके बाद प्रदर्शित किए गए इमेज वेरिफिकेशन को प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें ।

(v) यदि आपके पास शेयर डीमेट रुप में है और आप www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग में वोट डाल चुके हैं तब आपके मौजूदा पासवर्ड का ही प्रयोग किया जाना है ।

(vi) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हो तो निम्नलिखित का पालन करें :

	डीमेट और भैतिक रुप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों के लिए
पैन	• आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमेट और भौतिक रुप से शेयर धारित करने वालों पर लागू)

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or at toll free No. 1800 22 55 33.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

2. Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.

(i) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(ii) Click on "Shareholders" module.

(iii) Now enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

(vi) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.
PAN	• Enter your 10-digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)

	• शेयरधारकों जिन्होंने अपना पैन कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/ आरटीए द्वारा प्रेषित क्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी/ आरटीए से संपर्क करें ।
लाभांश बैंक विवरण **अथवा** जन्मतिथि (डीओबी	• लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी) लॉगिन करने के लिए लाभांश बैंक या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें जैसी कि आपके डीमेट खाते में दर्ज है । • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास दर्ज नहीं है तब कृपया लाभांश बैंक विवरण के खाली स्थान में (V) में दिए अनुदेशों के अनुसार सदस्य आइडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें ।

(v) इन विवरणों को सही प्रकार से भरने के बाद "सबमिट" टैब पर क्लिक करें ।

(viii) भौतिक रुप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों इसके बाद सीधे कंपनी चयन की स्क्रिन पर पहुँच जाएंगे । हालंकि, डीमैट रुप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू पर पहुँचेंगे यहाँ उन्हें अपना लॉगिन और पासवर्ड, नए पासवर्ड फील्ड में, अनिवार्य रुप से प्रविष्ट करना होगा । कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड को डीमैट शेयरधारकों द्वारा अन्य कंपनियों के संकल्पों की वोटिंग के लिए, जिनके लिए वे वोट के पात्र हैं, इस्तेमाल किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के प्लेटफार्म का विकल्प चुनती है । यह जोर देकर बताया जा रहा है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें ।

(xii) भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण सिर्फ इस नोटिस में मौजूद संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ।

(x) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के **ईवीएसएन 220616013** पर क्लिक करें ।

(xi) मतदान पृष्ठ पर, आपको "संकल्प विवरण" दिखेगा और मतदान के लिए उसके प्रति हाँ / नहीं विकल्प उपलब्ध होगा । इच्छा अनुसार हाँ / नहीं का चयन करें । विकल्प हाँ का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति प्रदान की और विकल्प नहीं का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति नहीं प्रदान की ।

(xii) यदि संकल्प का सम्पूर्ण विवरण देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें ।

(xiii) संकल्प के चयन के बाद आपको वोट डालने का निश्चय करना है और फिर "सबमिट' पर क्लिक करना है । एक पुष्टि बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा । यदि आप अपने मत को पुष्ट करना चाहते हैं तो "ओके" को क्लिक करें अन्यथा अपना मत बदलने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना मत बदलें ।

(xiv) एक बार अपने मत की पुष्टि करने के बाद अपको मत में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

	• Shareholders who have not updated their PAN with the Company/ Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/ RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

(vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(viii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(ix) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(x) Click on **EVSN 220616013** of Indian Overseas Bank.

(xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/ NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xiv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xv) आप मतदान पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प से डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं ।

(xvi) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गया है तो उसे फोरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा तथा वहाँ यूज़र आइडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना होगा ।

ऐसे शेयरधारक जिनका ई-मेल एड्रेस डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, के लिए इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया :

भौतिक रुप में शेयर धारित करने की स्थिति में – कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे व पीछे) की स्कैनड प्रति, पैन (स्वत: प्रमाणित पैन कार्ड की स्कैनड प्रति), आधार (स्वत: प्रमाणित आधार कार्ड की स्कैनड प्रति) ई-मेल के माध्यम से **investor@cameoindia.com ; agm@cameoindia.com** पर प्रेषित करें ।

डीमेट शेयरधारकों के लिए – कृपया अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर संबंधित डिपोजिटरी भागीदारों (डीपी) के साथ अद्यतित करें ।

वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए - कृपया अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर संबंधित डिपोजिटरी भागीदारों (डीपी) के साथ अद्यतित करें, जो कि डिपोजिटरी के माध्यम से ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक से जुड़ने के दौरान अनिवार्य है ।

3 **वीसी / ओएवीएम व ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम / ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नवत है:**

1. एजीएम के दिन बैठक एवं ई-वोटिंग में उपस्थित रहने का वही अनुदेश है, जो उपर्युक्त ई-वोटिंग के लिए उद्दत है ।
2. ई-वोटिंग के लिए उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद, जहाँ बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा वही पर बैठक में भाग लेने हेतु वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा ।
3. शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि बेहतर अनुभव के लिए बैठक में लैपटॉप / आइपैड के माध्यम से जुड़ें ।
4. आगे शेयरधारक को बैठक के दौरान कैमरा को अनुमति देना आवश्यक होगा और किसी बाधा से बचने के लिए अच्छे स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करें ।
5. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लेपटॉप द्वारा हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागी उनके संबंधित नेटवर्क में उतार – चढ़ाव आने के कारण श्रव्य/ दृश्य संबंधी बाधा का अनुभव कर सकते हैं । इसलिए सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त किसी भी प्रकार गड़बड़ी से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का प्रयोग करें ।
6. शेयरधारक सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ईजीएम बैठक शुरूआत होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले या बाद में वीसी / ओएवीएम मोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं । वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1,000

(xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvi) If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTION PROPOSED IN THIS NOTICE:

In case shares are held in physical mode- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **investor@cameoindia.com; agm@cameoindia.com**

For Demat shareholders -, Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)

For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

3. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.
3. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
4. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
5. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
6. The Shareholders can join the AGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis. This will not include

शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगा । इसमें वृहत्त शेयरधारकों (शेयरधारकों जिन्होंने 2 % या उससे अधिक शेयरधारण कर रखा है), प्रमोटर, संस्थान निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबन्धन कार्मिक, लेखा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं हितधारकों संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि को नहीं जोड़ा जाएगा, जिन्हें ईजीएम में बिना किसी प्रतिबंध पहले आएँ -पहले पाएँ आधार पर भाग लेने की अनुमति है ।

7. वे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार प्रकट करना / प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें स्वयं को सोमवार, दिनांक **11 जुलाई, 2022** तक या उससे पहले स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने के लिए, अपना निवेदन investor@iobnet.co.in पर तथा **investor@cameoindia.com** को कॉपी मार्क करते हुए अपना नाम, डिमेट खाता संख्या / फोलिओ संख्या, ई-मेल आइडी, मोबाइल नंबर भेजना है । वे शेयरधारक जो ईजीएम के दौरान बात नही करना चाहते हैं परंतु उनका कोई प्रश्न है, तो वे investor@iobnet.co.in पर तथा **investor@cameoindia.com ; agm@cameoindia.com** को कॉपी मार्क करते हुए अपना नाम, डिमेट खाता संख्या / फोलिओ संख्या, ई-मेल आइडी, मोबाइल नंबर लिखकर अग्रिम रूप से सोमवार, दिनांक **11 जुलाई, 2022** तक या उससे पहले भेज सकते हैं । बैंक द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर ई-मेल द्वारा उपयुक्त ढंग से दी जाएगी ।

8. वे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार प्रकट करना / प्रश्न पूछना चाहते हैं तथा स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किये हैं, सिर्फ उन्हीं को बैठक के दौरान अनुमति दी जाएगी ।

9. इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2003 के नियम 58 के अंतर्गत वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों की गिनती कोरम के उद्देश्य से की जाएगी ।

10. सिर्फ वे शेयरधारक, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हो रहे हैं और वे जो अपना वोट संकल्प पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं दे पाए हैं और वे जिन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे ही एजीएम के दौरान ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे ।

11 एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट कर देने के पश्चात, उसे सदस्य बाद में न ही बदल सकते हैं या न ही पुन: वोट दे सकते हैं ।

12 यदि कोई भी वोट शेयरधारकों द्वारा एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से दिया जाता है और यदि वह शेयरधारक वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में प्रतिभागिता नहीं किये हैं, तब ऐसे शेयरधारक द्वारा दिया गया वोट मान्य नहीं है जैसा कि ई-वोटिंग की सुविधा ईजीएम बैठक के दौरान उपस्थित होने वाले बैठक में प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है ।

13. वे शेयरधारक जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किये हैं, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे । तथापि वे एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे ।

अवैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- अवैयक्तिक शेयरधारक (यानि वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और संरक्षक www.evotingindia.com

large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance on or before Monday, **July 11, 2022** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in with marking copy to **investor@cameoindia.com**/ agm@cameoindia.com The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **by Monday, July 11, 2022** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in with marking copy to **investor@cameoindia.com/ agm@cameoindia.com**. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.

8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

9. The shareholders attending the AGM through VC/ OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Indian Overseas Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003.

10. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

11. Once the vote on the resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

12. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

13. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to

पर लॉग इन करें और स्वयं को "कार्पोरेट" मॉड्यूल में पंजीकृत करें ।

- पंजीकरण फार्म की स्कैंड प्रति जिस पर इकाई का स्टैंप और हस्ताक्षर अंकित होता है, उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें ।
- लॉग इन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉग इन और पासवर्ड की मदद से एक अनुपालित उपयोगकर्ता का सृजन करें । अनुपालित उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा, जिसके लिए वह वोट करना चाहता है ।
- लॉग इन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करें और खातों के अनुमोदन मिलने पश्चात, वे अपना वोट डाल सकेंगे ।
- बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैंड प्रति जिसे उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है तो, उसे पीडीएफ प्रारूप में संवीक्षक द्वारा जाँच के लिए सिस्टम पर अपलोड करें ।
- वैकल्पिक रुप से, अवैयक्तिक शेयरधारकों को जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर उनके नमूना हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक को भेजें और यदि वे वोट वैयक्तिक टैब पर दिए हैं और सीडीएसएल ई-वोटिंग पद्धति में उसे संवीक्षक द्वारा सत्यापित करने के लिए अपलोड न किया गया हो तो बैंक को ई-मेल यानि investors@iobnet.co.in पर भेजें साथ ही कॉपी मार्क investor@cameoindia.com **और rsaevoting@gmail.com** को करें ।

यदि आपको ई-वोटिंग पद्धति से ईजीएम एवं ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या हैं तो आप www.evotingindia.com पर अक्सर पूछे गए प्रश्नों ("एफएक्यू") और सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं या फोन पर श्री नीतीन कुंदर (022- 2305 8738) या श्री राकेश डाल्वी (022- 2305 8542) से संपर्क कर सकते हैं ।

वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सुविधा से संबंधित सभी शिकायत के लिए श्री राकेश डाल्वी, प्रबन्धक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि., ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्युचरेक्स, मोफटलाल मिल कंपाउंड, एन. एम जोशी मार्ग, लोअर पेरेल (पूर्वी), मुम्बई – 400 013 को प्रेषित करें या ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजें या टेलीफोन नं. 022 – 23058542/8738 पर संपर्क करें ।

च. प्रॉक्सी की नियुक्ति: :

पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुरुप, इस एजीएम के लिए शेयरधारकों के पक्ष में वोट देने या प्रॉक्सी में भाग लेने की नियुक्ति संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे कि वह वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित हो रहा है । तदनुसार, इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी फार्म और उपस्थिति स्लिप संलग्न नहीं है ।

छ. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बॉडी कार्पोरेट ईजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और उस समय भाग ले सकता है और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकता है । संस्थान / कार्पोरेट शेयरधारक (यानि वैयक्तिक

www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.

- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; at investor@iobnet.co.in with marking copy to **and rsaevoting@gmail.com**, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/8738.

f) APPOINTMENT OF PROXY:

Pursuant to the aforesaid circulars, the facility to appoint proxy to attend and cast vote on behalf the shareholders is not available for this AGM, as it is being held through VC/OAVM. Accordingly, the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

g) APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

/ एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को अपने बोर्ड संकल्प या शासकीय निकाय संकल्प / प्राधिकरण आदि की स्कैंड प्रति (पीडीएफ / जेपीइजी प्रारूप) भेजना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने प्रतिनिधि को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से अतिरिक्त सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए आपकी ओर से और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए अधिकृत करते हैं । संवीक्षक को उक्त संकल्प / प्राधिकरण ई-मेल के द्वारा अपने पंजीकृत ई-मेल से rsaevoting@gmail.com को तथा investor@cameoindia.com एवं बैंक के ई-मेल आइडी investor@iobnet.co.in पर कॉपी मार्क करते हुए सोमवार, दिनांक **11 जुलाई, 2022** तक शाम 4.00 बजे (आइएसटी) तक या उससे पहले भेज दें ।

ज. पते में परिवर्तन :

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है तो, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.
(आइओबी – यूनिट)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, प्रथम तल,
नं. 1 – क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफोन : 044-2846 0390 (छ: लाइनें) / 044-28460395
फैक्स : 044 – 2846 0129 ईमेल : investor@cameoindia.com

इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक के पंजीकृत पते में, कोई परिवर्तन होने पर, उसकी सूचना सिर्फ संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागी (यों) को देने के लिए निवेदन करते हैं ।

झ) एजीएम के दौरान हुई रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के परिणाम:

संवीक्षक, वार्षिक सामान्य बैठक के ई-वोटिंग समापन के पश्चात, प्रथमत: एजीएम के दौरान दिये गए वोट की गणना करेंगे, उसके बाद एजीएम समापन के 48 घंटों के भीतर, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देना बंद करवाएंगे, पक्ष या विपक्ष में पड़े कुल वोट की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट, यदि कोई हो, उनके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या अध्यक्ष, जो उसपर प्रति हस्ताक्षर करेंगे । बैंक अपने वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के परिणाम का भी घोषणा करेगा और स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित करेगा ।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निदेशक मंडल के आदेश से
-ह/

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 15 जून 2022

(पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Institutional /Corporate Shareholders (i.e. other than individuals/HUF, NRI, etc) are required to send a scanned copy (PDF/JPEG Format) of its Board Resolution or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM on its behalf and to vote through e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through their registered email address to rsaevoting@gmail.com with copy marked to and to the Bank at investor@iobnet.co.in on or before 4.00 p.m. (IST) on Monday, **July 11, 2022**.

h) CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building,
V Floor, No.1 Club House Road,
Chennai – 600 002
Tel: 044 – 2846 0390 (Six Lines) / 044 – 2846 0395
Fax: 044 – 2846 0129 email: investor@cameoindia.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address only to their respective Depository Participant(s).

i) RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM:

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of e-voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the AGM, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, within two working days of conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same. The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the AGM will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank
-sd/-

Place: Chennai
Date : June 15, 2022

(Partha Pratim Sengupta)
Managing Director & CEO

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची मद सं.2 :

1. वर्तमान में बैंक की अधिकृत पूंजी 25,000 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 2022 को बैंक की प्रदत्त पूंजी रु. 18,902 करोड़ है । 31 मार्च 2022 तक बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात, बेसल ।।। के अनुसार 13.83% और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 9.00% (सीसीबी छोड़कर) निर्धारित की गई है । हालांकि, पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल ।।। आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने और आने वाले वर्षों में बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी जुटाने की आवश्यकता बढ़ रही है।

2 प्रदत्त पूंजी बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 3(2बी) (सी) के निबंधनों के अनुसार बैंक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा । तथापि, केन्द्रीय सरकार की धारणा, बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में किसी भी समय में 51 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

3. एलओडीआर विनियम 2015 का विनियम 41 प्रावधान करता है कि बैंक द्वारा निर्गम या कोई नया निर्गम जारी किया जाता है और शेयरधारकों द्वारा सामान्य बैठक में कोई दूसरा निर्णय नहीं लिया गया है तो वर्तमान शेयरधारकों को भी समानुपातिक रूप से दिया जाना चाहिए। यह संकल्प यदि पारित हो तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक रूप से करने के अलावा, प्रतिभूति आबंटित व जारी करने हेतु बैंक की ओर से मंडल को अनुमति है।

4. संकल्प बैंक को समर्थ करता है कि वह सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमानी निर्गम और/या निजी स्थानन के आधार पर आबंटन के ज़रिए ईक्विटी शेयरों / अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों के प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सके । निर्गम राशि के कारण बैंक यह सुनिश्चित कर सकेगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं सुदृढ़ हो जाए ।

5. संकल्प यह भी अपेक्षित करता है कि आइसीडीआर विनियमन में उल्लिखितानुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत स्थानन करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकार दिया जाए । शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना, निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के तहत उल्लिखित इस प्रणाली को बैंक के लिए निधि जुटाने के लिए अपनाएं ।

   आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के संदर्भ में क्यूआइपी इश्यू के मामले में , क्यूआइपी के आधार पर प्रतिभूतियों के इश्यू ,केवल एक मूल्य पर बनाया जा सकता है , जो "प्रासंगिक तिथि" से पहले दो सप्ताह के दौरान साप्ताहिक स्टॉक एक्सचेंज में उद्त किए गए शेयरों के उच्च और निम्न औसत से कम नहीं होगा । बशर्ते कि जारीकर्ता गणना की गई कीमत पर पाँच प्रतिशत से अधिक की छूट की पेशकश नहीं कर सकता है , जो विनियमों के विनियमन 172 के खंड (क) में निर्दिष्ट शेयरधारकों के मंजूरी के अधीन है । "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ उस बैठक की तिथि से होगा जिसमें बैंक या समिति क्यूआइपी इश्यू को खोलने का निर्णय लेती है ।

6. 31.03.2022 को , बैंक की प्रदत्त पूंजी का 96.38% भारत सरकार व 3.62% पब्लिक धारण करती है । इक्विटी शेयर जारी करके पूंजी

Explanatory Statement

Agenda item No. 2

1. The Authorized capital of the Bank is, at present, Rs.25,000 Crore. The paid up capital of the Bank as on 31st March, 2022 is Rs.18,902 Crore. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2022, as per Basel III is 13.83% and above the 9.00% (excluding CCB) stipulated by the Reserve Bank of India. However, with a view to comply with Basel III requirements relating to capital adequacy, there is an increasing need to raise capital to shore up the capital adequacy of the Bank and fund the general business needs of the Bank in coming years.

2. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Act will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-one per cent of the paid – up equity capital of the Bank.

3. Regulation 41 of the LODR Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

4. The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

5. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutions Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

   In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the equity shares of the same class quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". Provided that the issuer may offer a discount of not more than five per cent on the price so calculated, subject to approval of shareholders as specified in clause (a) of regulation 172 of the regulations. "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

6. As on 31.03.2022, the GOI holds 96.38% and the public holds 3.62% of the paid up capital of the Bank. Raising

जुटाने से बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता को बढ़ाने में मदद मिलेगी जो वर्तमान में प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19ए में निर्धारित न्यूनतम आवश्यक सार्वजनिक शेयरधारिता 25% से कम है । संकल्प के मद संख्या 2 में निर्धारित एक या एक से अधिक किश्तों में इक्विटी शेयर बनाने, ऑफ़र करने, जारी करने और आवंटित करने के लिए बैंक शेयरधारकों के समक्ष एक सक्षम प्रस्ताव का प्रस्ताव कर रहा है ।

7. प्रस्ताव के विस्तृत निबंधन व शर्तें वर्तमान बाज़ार स्थितियों व अन्य नियंत्रक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबन्धकों और हामीदारों और ऐसे अन्य प्राधिकार या प्राधिकारों जैसे आवश्यक है, के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे ।

8. चूंकि प्रस्ताव के मूल्यांकन का निर्णय बाद की तारीखों के अलावा नहीं लिया जा सकता, अत: जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना नामुमकिन है। तथापि यह आइसीडीआर विनियमन, अधिनियम और विनियमनों के प्रावधानों, जो समय समय पर संशोधित हैं या अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमनों / सहमतियों जो लागू या आवश्यक हो, के अनुसार होगा ।

9. पूर्वोक्त कारणों से, एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है जिससे मंडल को निर्गम के निबंधन निर्धारित करने हेतु पर्याप्त अधिकार दिया जा सकेगा ।

10. आंबटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे ।

उपर्युक्त कारणों के मद्देनज़र , जैसा कि वर्णित है, बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है । तदनुसार, नोटिस के मद संख्या 2 में रखे गए प्रस्ताव हेतु विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति माँगी जा रही है।

निदेशक मंडल नोटिस में वर्णित संकल्पों को पास करने की संस्तुति देते हैं । बैंक के किसी भी निदेशक की, बैंक में उनकी शेयरधारिता के सीमा की हद के अलावा, पूर्वकथित संकल्प (पों) में कोई दिलचस्पी नहीं है न ही वे उससे संबंधित हैं ।

कार्यसूची सं.3 :

दीर्घ अवधि के संसाधनों द्वारा कारोबार के विस्तार हेतु निधियों की बढ़ती आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया, साथ ही पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए व पूँजी जुटाने की योजना के अनुसार, बैंक अपने कर्मचारियों को ''**आइओबी -ईएसपीएस 2022-23**'' के अंतर्गत शेयर जारी करने के लिए प्रस्तावित करता है । उक्त प्रस्ताव, यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार/ भा.रि.बैं./ सेबी / स्टॉक विनिमयों व अन्य नियामक निकायों से अनुमोदनों के अधीन होता है ।

अब, बैंक ने उन शर्तों व निबंधन पर जैसा कि **''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23''** के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या ''इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति'' (समिति) के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों (''पात्र कर्मचारियों'') को इक्विटी शेयर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है जो

of capital through issue of equity shares would help in increasing the public shareholding in the Bank which is at present below the Minimum required Public Shareholding of 25% as stipulated in Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957. Bank is proposing an enabling resolution before the shareholders to create, offer, issue and allot equity shares in one or more tranches as set out in the Item No.2 of the Resolution.

7. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

8. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Act and the Regulations as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

9. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

10. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

In the light of the reason as stated above, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution. Accordingly, the consent of the shareholders through a Special Resolution is being sought for the proposal as contained in item no. 2 of the Notice.

The Board of Directors recommends passing of the Resolution as mentioned in the notice. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Agenda No. 3

In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources as may be decided by the Board, as also to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, the Bank proposes to issue shares under "**IOB-ESPS 2022-23**" to its employees. The said proposal is subject to approvals from GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges and other regulatory bodies, if required.

Now, the Bank proposes to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "**IOB-ESPS 2022-23**" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules,

कि निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ-साथ लागू विधि, नियमों, विनियमों व दिशानिर्देशों के अधीन होगी :

(i) बैंक की वृद्धि व लाभप्रदता में सहयोग देने के लिए पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना, बेहतर निष्पादन के लिए उनके प्रयत्नों को बढ़ावा देना;

(ii) बैंक की वृद्धि के लिए पात्र कर्मचारियों को उनके लगातार समर्थन व सहयोग हेतु पुरस्कार देना;

(iii) बैंक में स्वामित्व हित को प्राप्त करने के लिए पात्र कर्मचारियों द्वारा इक्विटी स्वामित्व को बढ़ावा देना ।

आबंटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे ।

एलओडीआर विनियमों का नियम 41 बताता है कि जब कभी भी बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त इश्यू या ऑफर किया जा रहा है तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर वही प्रदान किया जाना चाहिए जबतक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक निर्णय अन्यथा नहीं ले लेते। उक्त संकल्प, यदि पास हो जाता है तो वह बैंक की ओर से बोर्ड को वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ प्रदान करने के बजाए प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करने के लिए अनुमति देगा ।

इसके अतिरिक्त, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (सेबी विनियम) के विनियम 6 व 14 के अनुसार, बैंक की प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए सभी कर्मचारियों की लाभ योजना सेबी विनियमों व इस संबंध में सेबी द्वारा तैयार किए गए अन्य दिशानिर्देशों, विनियमों आदि के अनुपालन में होंगी ।

सेबी द्वारा परिपत्र सं. सीआइआर/सीएफडी/पॉलिसी सेल/2/2015 दिनांकित 16 जून, 2015 में वर्णितानुसार, निम्नलिखित "**आइओबी -ईएसपीएस 2022-23**" के व्यापक निबंधन व शर्तों के साथ होगा :

1. योजना का संक्षिप्त विवरण

बैंक, उन निबंधन व शर्तों पर जैसा कि "**आइओबी -ईएसपीएस 2022-23**" के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या "इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति" (समिति) के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों ("पात्र कर्मचारियों") को इक्विटी शेयर प्रदान करने की इच्छा रखता है , इसके साथ ऑफर के समय, उपयुक्त प्रीमियम के साथ रु.10 के अंकित मूल्य पर 200 करोड़ के इक्विटी शेयरों से अधिक नहीं होना चाहिए ।

2. . प्रदान किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या

200 करोड़ तक की इक्विटी शेयरों को "**आइओबी -ईएसपीएस 2022-23**" के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि, "**आइओबी -ईएसपीएस 2022-23**"के अनुसार, किसी पात्र कर्मचारी को प्रदान किए गए शेयर, यदि वे गैर-सब्सक्राइब रहते हैं तो वे इच्छुक पात्र कर्मचारियों को उसी कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि बोर्ड या समिति द्वारा निर्णय लिया जाए ।

3. आइओबी -ईएसपीएस 2022-23 में भाग लेने व लाभार्थी बनने के हक़दार कर्मचारियों के वर्ग की पहचान करना ।

Regulations and Guidelines, inter-alia, with the following objectives:

(i) Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards better performance to contributing to the growth and profitability of the Bank;

(ii) Rewarding eligible employees for their continued support and contribution towards the Bank's growth;

(iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

Regulation 41 of the LODR Regulations provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

Further as per Regulations 6 & 14 of SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (SEBI Regulations) all employees' benefit schemes involving the securities of the Bank shall be in compliance with SEBI Regulations and any other guidelines, regulations etc., framed by SEBI in this regard.

As per the requirements enumerated in Part B of Schedule I of the SEBI Regulations the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the "**IOB-ESPS 2022-23**"

1. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank desirous to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "**IOB-ESPS 2022-23**" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, not exceeding 200 crore worth equity shares at a face value of Rs 10 each with appropriate premium, at the time of offer.

2. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED

Up to 200 crores worth equity shares are proposed to be offered to the eligible employees under the "**IOB-ESPS 2022-23**". However, the portion of shares offered, pursuant to the "**IOB-ESPS 2022-23**", to any eligible employees, if remains unsubscribed, shall be made available to interested eligible employees at such price, as may be decided by the Board or Committee.

3. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE "IOB-ESPS 2022-23"

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी ।

4. . वेस्टिंग की आवश्यकता व वेस्टिंग की अवधि

लागू नहीं

5. अधिकतम अवधि (विनियमों के विनियम 18(1) व 24(1),जैसा भी मामला हो, के अधीन) जिसके भीतर विकल्प/एसएआरएस/ लाभ प्रदान किया जाएगा

लागू नहीं

6. विकल्प प्रयोग मूल्य,एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला

विकल्प प्रयोग मूल्य,एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला

7. विकल्प प्रयोग अवधि तथा विकल्प प्रयोग की प्रक्रिया

निर्गमन / ऑफर की तारीख से एक माह ।

8. ''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23" के लिए कर्मचारियों की पात्रता के निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया

शेयरों की ऑफरिंग / निर्गमन की तारीख तक बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी लागू विनियामक अपेक्षाओं व दिशानिदेर्शों के अधीन भाग लेने के हक़दार होंगे ।

9. प्रति कर्मचारी व समग्रता में ज़ारी विकल्प, एसएआर 'ओं, शेयरों, जैसा भी मामला हो, की अधिकतम संख्या

बैंक समग्रता में अधिकतम 200 करोड़ की इक्विटी शेयरों को ज़ारी करने का प्रस्ताव रखता है और प्रति कर्मचारी ज़ारी किए जाने वाले शेयर ज़ारी पूँजी के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

10. योजना के तहत प्रति कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले लाभ की अधिकतम प्रमात्रा

चूँकि नए शेयरों का **''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23"** के तहत निर्गमन प्रस्तावित है, पात्र कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

11. क्या योजना(ओं) को सीधे कंपनी द्वारा कार्यान्वित तथा एडमिनिस्टर किया जाना है या न्यास के ज़रिए

''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23" का सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित तथा एडमिनिस्टर किया जाएगा।

12. क्या योजना(ओं) में कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन न्यास द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों शामिल है

''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23" के तहत बैंक नए इक्विटी शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को ज़ारी करेगा।

All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank

4. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING

Not Applicable.

5. MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE) WITHIN WHICH THE OPTIONS / SARs / BENEFIT SHALL BE VESTED

Not Applicable

6. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA

Purchase price or pricing formula will be determined by the Committee of Directors for Issue of Equity Shares as per SEBI Regulations at the time of offer.

7. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE

One month from the date of issue / offer.

8. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE "IOB-ESPS 2022-23"

All permanent employees including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of offering/ issue of shares will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

9. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE

The Bank proposes to issue maximum of 200 crores worth equity shares in aggregate and shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1% of the issued capital.

10. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME

As the new shares are proposed to be issued under "**IOB-ESPS 2022-23**", no other benefits will be provided to eligible employees.

11. WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE COMPANY OR THROUGH A TRUST

"**IOB-ESPS 2022-23**" will be implemented and administered directly by the Bank.

12. WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH

Under the "**IOB-ESPS 2022-23**", the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees.

13. **कंपनी द्वारा न्यास को योजना(ओं) के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि, उसकी अवधि, उपयोग, चुकतान निबंधन आदि:**

चूँकि बैंक द्वारा ''**आइओबी -ईएसपीएस 2022-23**'' के तहत शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाता है, न्यास के गठन या न्यास को ऋण प्रदान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

14. **सेकंडरी अधिग्रहण की प्रतिशतता (विनियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा के अधीन) जिसे योजना(ओं) के लिए न्यास द्वारा किया जा सकता है**

चूँकि बैंक द्वारा ''**आइओबी -ईएसपीएस 2022-23**'' के तहत शेयरो को सीधे पात्र कर्मचारियों को ज़ारी किया जाता है, न्यास के द्वारा द्वितियक अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता ।

15. **कंपनी विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी, इस आशय का वक्तव्य**

बैंक विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी।

16. **प्रक्रिया जिसे कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयोग करेगी।**

चूँकि ''**आइओबी -ईएसपीएस 2022-23**'' के तहत सिर्फ शेयर ज़ारी किए जाते हैं, एसएआर के मूल्य निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

17. **निम्नलिखित विवरणी, यदि लागू हो:**

यदि कंपनी यथार्थ मूल्य के आधार पर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के विकल्प को नहीं चुनती है तो परिकलित कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत व उचित मूल्य के उपयोग पर आने वाले कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के अंतर को निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा और इस अंतर की वजह से कंपनी के लाभ व प्रति शेयर अर्जन (''ईपीएस'') पर पड़ने वाले प्रभाव को भी निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

बैंक उक्त अपेक्षाओं का आवश्यकता पड़ने पर पालन करेगा ।

लॉक-इन अवधि:

''**आइओबी -ईएसपीएस 2022-23**'' के तहत ज़ारी इक्विटी शेयरों को सेबी सेबी विनियमों के अनुसार आबंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक किया जाएगा । इसलिए बैंक को विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करनी होगी । अत: उक्त प्रस्ताव हेतु आपकी सहमति का अनुरोध है ।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्प के पारित होने को संस्तुत करता है । बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कोई हो, को छोड़कर, बैंक का कोई भी निदेशक उक्त संकल्प (पों) के प्रति इच्छुक / संबंधित नहीं है ।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निदेशक मंडल के आदेश से
-ह/-

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 15 जून 2022

(पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

13. **THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.;**

As the shares are directly issued to the eligible employees under the "**IOB-ESPS 2022-23**" by the Bank, formation of the trust or providing loan to the trust does not arise.

14. **MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S)**

As the shares are directly issued to the eligible employees under the "**IOB-ESPS 2022-23**" by the Bank, secondary acquisition by the trust does not arise.

15. **A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15**

Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15

16. **THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs**

As only the shares are issued under the "**IOB-ESPS 2022-23**", the valuation of options or SARs does not arise.

17. **THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:**

'In case the company opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the company shall also be disclosed in the Directors' Report.

The Bank will comply with the above requirements as and when applicable.

Lock in period:

The equity shares issued under "**IOB-ESPS 2022-23**" shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI Regulations. For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank, if any.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank
-sd/-

Place: Chennai
Date : June 15, 2022

(Partha Pratim Sengupta)
Managing Director & CEO

निदेशक रिपोर्ट 2021-22

निदेशक मण्डल को 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र और लाभ – हानि खाते के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है ।

वैश्विक व्यवसाय निष्पादन

रूस-यूक्रेन संघर्ष की निरंतरता वैश्विक सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश कर रही है । साथ ही, संघर्ष से होने वाली आर्थिक क्षति वर्ष 2022 के दौरान वैश्विक विकास में महत्त्वपूर्ण के साथ-साथ मुद्रास्फीति वृद्धि में भी योगदान देगी । ईंधन और खाद्य कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे कम आय वाले देशों में अधिकांश जनता सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है ।

वर्ष 2021 में अनुमानित वैश्विक वृद्धि 6.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में वृद्धि का 3.6 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है । यह जनवरी 2022 हेतु अनुमानित की अपेक्षा वर्ष 2022 एवं 2023 के लिए 0.8 और 0.2 प्रतिशत की कमी दर्ज़ की गयी है ।

भारतीय अर्थव्यवस्था भी इस घटना से अछूती नहीं है । वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप, भारत ने भी वित्तीय वर्ष के दौरान बड़े आर्थिक व्यवधानों को झेला है । वित्त वर्ष 2021-22 की दिसंबर 2021 तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 5.4 प्रतिशत बढ़ा, जो सितंबर 2021 तिमाही में देखी गई 8.50% की वृद्धि से कम है । हालाँकि, यह 0.50% की वृद्धि से बहुत अधिक था जो पिछले वित्तीय वर्ष (2020-21) में इसी अवधि (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान देखी गई थी ।

वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2022 तक बैंकों का वैश्विक कारोबार 31 मार्च 2021 के 3,79,885 करोड़ रुपये के कारोबार की तुलना में 4,17,960 करोड़ रुपये था । 31 मार्च, 2022 तक जमाएं और अग्रिम रु.2,62,159 करोड़ और रु.1,55,801 करोड़ रहे, जबकि 31 मार्च 2021 को यह क्रमशः रु.2,40,288 करोड़ और रु.1,39,597 करोड़ थे ।

जमा के संबंध में, बैंक ने थोक जमा राशियों के संकेंद्रण को और कम किया तथा कम लागत वाली जमा राशियों की हिस्सेदारी में सुधार किया । 31 मार्च 2021 की तुलना में कासा जमा में 11.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2022 को यह बढ़कर 1,13,877 करोड़ रुपये हो गया, जोकि बैंक के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ । कासा का अनुपात 43.44 प्रतिशत पर बना रहा ।

वर्ष के दौरान बैंक की परिचालनात्मक क्षमता में और सुधार हुआ । बैंक को पूंजीगत बाध्यताओं ने क्रेडिट पोर्टफोलियो का विस्तार करने से रोक रखा है । घटती ब्याज दर व्यवस्था के तहत ब्याज सृजित आय को बनाए रखने के लिए बैंक ने आवास और आभूषण ऋण जैसे पूंजीगत छोटे अग्रिमों को बढ़ावा देना जारी रखा है । वर्ष के दौरान बेहतर गैर ब्याज सृजित आय ने बैंक की परिचालनगत क्षमता को और मजबूती प्रदान की है । कम ब्याज व्यय के चलते बैंक अपने व्यय को नियंत्रित कर सका । इसके परिणामस्वरूप, बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रुपये 5763 करोड़ का परिचालनगत लाभ अर्जित किया ।

बैंक की सकल गैर - निष्पादित आस्तियां रुपये 16323 करोड़ से घटकर रुपये 15299 करोड़ हो गई है और इस तरह बहुआयामी और केंद्रित वसूली पहल के माध्यम से जीएनपीए प्रतिशत 11.69% से घटकर 9.82% हो गया है । एनएनपीए निरपेक्ष रूप से रुपये 4578 करोड़ से घटकर रुपये 3825 करोड़ हो गया है जो कि प्रतिशतवार 3.58% से घट कर 2.65% हो गया है । बैंक का पीसीआर 31.03.2021 को 90.34% से बढ़कर 31.03.2022 तक 91.66% हो गया है , जो कि उद्योग में सर्वाधिक है ।

इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप , बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रुपये 1710 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है ।

आय एवं व्यय विश्लेषण :

पिछले वर्ष अग्रिमों पर ब्याज प्राप्त 10834 करोड़ रुपये की तुलना में 10665 करोड़ रुपये तक सीमित रही । निवेश पर ब्याज वित्त वर्ष 2020-21 में 5712 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में 5675 करोड़ रुपये हो गया । वित्त वर्ष 2021-22 में कुल ब्याज आय भी घटकर 16730 करोड़ रुपये रह गई, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में यह 16966 करोड़ रुपये थी । वर्ष के दौरान ब्याज आय में कमी मुख्य रूप से घटती ब्याज दर व्यवस्था और एनपीए खातों से कम ब्याज वसूली के कारण हुई ।

कम लागत वाली जमाराशियों के तहत वृद्धि और थोक जमाराशियों की कमी ने जमा की लागत को नियंत्रित करने में मदद की है । 31 मार्च -2021 को कासा 102165 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2022 को 11.46% की वृद्धि के साथ 113877 करोड़ रुपये हो गया है । कासा प्रतिशत 31 मार्च 2021 के 42.52% के आंकड़े से बढ़कर 31 मार्च 2022 को 43.44% हो गया है । इसके अलावा बचत बैंक जमा और सावधि जमा में घटती ब्याज दरों ने ब्याज व्यय को नियंत्रित रखा है ।

अग्रिमों पर ब्याज में कमी के बावजूद, शुद्ध ब्याज आय वित्त वर्ष 2020-21 के 5899 करोड़ रुपये के आंकड़े से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 6311 करोड़ रुपये हो गई है । परिचालनगत व्यय वित्त वर्ष 2020-21 के 5562 के आंकड़े से घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में 5451 करोड़ रुपये हो गया । वर्ष 2020-21 में परिचालनगत व्यय ग्यारहवें द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों एवं बकायों के कारण अधिक था ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम लाभ 08.00 प्रतिशत के स्तर से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में 7.38 प्रतिशत हो गया । वित्तीय वर्ष 2020-21 में जमा की लागत 4.70 प्रतिशत से कम हो कर वित्त वर्ष 2021-22 में 4.22 प्रतिशत रह गई । जिसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2 बीपीएस बढ़कर 2.41 प्रतिशत हो गया, जबकि यह वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.39 प्रतिशत था ।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त पूँजी

भारत सरकार के द्वारा निवेशित पूँजी

भारत सरकार द्वारा पूंजी निवेश (31.03.2021 को रुपये 4100 करोड़ प्राप्त हुए) के लिए बैंक ने 02.06.2021 को भारत सरकार को रु. 4100 करोड़ के पूंजी निवेश हेतु प्रत्येक शेयर रु.10/- के प्रत्येक शेयर के लिए 246,54,23,932 इक्विटी शेयर अधिमान्य आधार पर निर्गामित

DIRECTORS' REPORT 2021-22

The Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report together with Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2022.

Global Business Performance

The continuation of Russia-Ukraine conflict is posing a significant challenge to global recovery. At the same time, economic damage from the conflict will contribute to a significant slowdown in global growth during 2022 and significantly increase in inflation. Fuel and food prices have increased rapidly, hitting vulnerable populations in low-income countries hardest.

Global growth is projected to slow from an estimated 6.1 percent in 2021 to 3.6 percent in 2022 and 2023. This is 0.8 and 0.2 percentage points lower for 2022 and 2023 than projected in January 2022.

Indian Economy is no exception to this event. In line with global economy, India also witnessed economic disruptions during the Financial Year. India's gross domestic product (GDP) grew by 5.4 per cent in the December 2021 quarter of the fiscal year 2021-22, lower than 8.50 % growth seen in the September 2021 quarter. However, it was much higher than 0.50 % growth which was witnessed in the corresponding period (October-December) of the previous fiscal (2020-21).

Financial Performance

Banks global Business stood at Rs.4,17,960 Crores as of 31st March 2022 as compared to Rs.3,79,885 Crores as of 31st March 2021. Deposits and Advances stood at Rs.2,62,159 Crores and Rs.1,55,801 Crores as of 31st March 2022 as compared to Rs.2,40,288 Crores and Rs.1,39,596 Crores as of 31st March 2021 respectively.

On Deposits front, Bank further reduced the concentration of Bulk deposits and improved the share of low cost deposits. CASA deposits grew by 11.46 percent over 31st March 2021 and stood at Rs.1,13,877 Crores as on 31st March 2022, a milestone achievement in the history of the Bank. CASA ratio remained at 43.44 percent.

The operational efficiency of the Bank improved further during the year. Constraints on capital has restricted the Bank to expand the credit portfolio. Bank continued to accelerate the growth under Capital light advances such as Housing and jewel loan in order to protect the interest income under a falling interest rate regime. The improved non-interest income during the year has further strengthened the operating efficiency of the Bank. Bank could contain its expenditure on account of lower interest expenses. As a result, Bank could achieve operating profit to the extent of Rs.5763 Crores for FY 2021-22.

Bank could reduce the Gross Non-Performing Assets substantially from Rs 16,323 Crores to Rs 15,299 Crores and thereby brought down the GNPA percent from 11.69 % to 9.82 % through multi-pronged and focused recovery initiatives. NNPA has been brought down from Rs 4578 Crores to Rs 3825 Crores in absolute terms and from 3.58 % to 2.65 %. PCR of the Bank has improved substantially from 90.34 % as on 31.03.2021 to 91.66 % as on 31.03.2022, one of the highest in industry.

As a result of this approach, Bank could register Net profit to the tune of Rs 1710 Crores for FY 2021-22.

Income and Expenditure Analysis

The Interest on advances stood at to Rs.10,665 Crores FY 22-23 as compared to Rs.10,834 Crores received in previous year. Interest on investments has declined to Rs.5675 Crores in FY 2021-22 as against Rs.5,712 Crores in FY 2020-21. Overall interest income has also declined to Rs.16730 Crores in FY 2021-22 as against Rs.16966 Crores in FY 2020-21. The reduction in interest income during the year was mainly due to falling interest rate regime and lower Interest income recovered from NPA accounts.

Growth under low cost deposits and maintaining bulk deposits at minimal level has helped in controlling the cost of deposit. CASA has improved from Rs.102165 Crores as of 31st March-2021 to Rs.113877 Crores as of 31st March-2022 with a growth of 11.46%. CASA% has moved up from 42.52% as of 31st March-2021 to 43.44% as of 31st March-2022. Further, the falling interest rates in Savings Bank deposit and term deposits has kept interest expenditure in control.

Despite reduction in interest on advances, Net interest income has improved from Rs.5899 Crores in FY 2020-21 to Rs.6311 Crores in FY 2021-22. Operating expenses has reduced to Rs.5451 Crores in FY 2021-22 as against Rs.5562 Crores in FY 2020-21.

Yield on Advances has decreased from the level of 8.00 % in FY 2020-21 to 7.38 % in FY 2021-22. Cost of deposits has been brought down from 4.70 % in FY 2020-21 to 4.22 % in FY 2021-22. As a result, Net Interest Margin (NIM) stood higher by 2 bps at 2.41 percent in FY 2021-22 as against 2.39 percent in FY 2020-21.

Capital Raised during 2021-22

Capital Infusion by Government of India

For the capital infusion by Government of India (Rs.4,100 crore received on 31.03.2021) the Bank had issued & allotted 246,54,23,932 equity shares of Rs.10/- each for cash at an issue price of Rs.16.63 per share (including premium of Rs.6.63 per equity share) aggregating to

व आबंटित किए हैं, जिसका निर्गम मूल्य 16.63 रुपये प्रति शेयर (6.63 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार की शेयरधारिता 95.84% से बढ़कर 96.38% हो गई है और सार्वजनिक शेयरधारिता 3.62% रही । बैंक की प्रदत्त पूंजी 16,436.99 करोड़ रुपये से बढ़कर 18,902.41 करोड़ रुपये हो गई ।

टियर II बांड को बढ़ाना

बैंक ने बेसल III के अनुरूप टियर II बांड (श्रृंखला IV) को निजी प्लेसमेंट के आधार पर 5वें वर्ष के अंत में और बाद में कूपन भुगतान तिथि पर कॉल विकल्प के साथ आवंटन की तारीख से 10 साल के कार्यकाल के साथ 8.60% की कूपन दर पर 665 करोड़ रुपये तक बढ़ाया, इस लिखत को मेसर्स इंडिया रेटिंग्स और मेसर्स केयर रेटिंग्स द्वारा रेट किया गया था और उन्होंने एए-/स्टेबल की रेटिंग दी थी।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कॉर्पोरेट गवर्नेंस बैंक के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के संचालन में अंतर्निहित मूल्य प्रणाली को दर्शाता है । बैंक प्रभावी कॉर्पोरेट प्रशासन के महत्व की महत्ता को बैंक की सुरक्षित और सुदृढ़ कार्यप्रणाली लिए मान्यता देता है और बैंक एवं उसके हितधारकों के हितों की सेवा के लिए रणनीतिक उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए संरचनाएं, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को स्थापित करने पर ज़ोर देता है जो प्रभावी निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है ।

सेबी (सूचीबद्ध अपेक्षाएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियमन), 2015 (एलओडीआर)

सेबी (एलओडीआर) के अनुसार,

- बैंक अपने शेयरधारकों को सामान्य वार्षिक बैठकों/असाधारण सामान्य बैठकों में मतदान के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।
- आचार संहिता बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन (अर्थात बैंक के महाप्रबंधकों) पर लागू होती है।
- बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक तिमाही अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और बीएसई और एनएसई, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, को प्रस्तुत करता है ।
- बैंक बीएसई और एनएसई को त्रैमासिक निवेशक शिकायत रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रहा है।

निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि (आईईपीएफ़)

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वर्ष 2013-14 से संबंधित अदत्त लाभांश राशि आईईपीएफ को अंतरित किया है।

बैंक नियामक प्राधिकरणों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए सभी दिशा निर्देशों/विनियमों का अनुपालन कर रहा है । बैंक बिना किसी विलंब के शेयरधारकों की शिकायतों का निवारण करता है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बेसल III मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2022 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.83% था।

शाखा नेटवर्क

31 मार्च 2022 को बैंक की 3,214 घरेलू शाखाएँ हैं, जबकि 31 मार्च 2021 को 3,217 शाखाएँ थीं, जिनमें 902 ग्रामीण शाखाएँ (28.06%), 961 अर्ध शहरी शाखाएँ (29.90%), 653 शहरी शाखाएँ (20.32%) और 698 महानगर शाखाएं (21.72%) शामिल हैं । । बैंक के 48 क्षेत्रीय कार्यालय, 3 विस्तार काउंटर, 1 सैटेलाइट कार्यालय, 3 सिटी बैंक ऑफिस और 6 नोडल ऑडिट कार्यालय भी हैं। समीक्षाधीन वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22) के दौरान, बैंक ने अन्य मौजूदा शाखाओं के साथ 3 शाखाओं का विलय किया है ।

निदेशक मंडल

बैंक का व्यवसाय निदेशक मंडल के पास निहित है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक मण्डल का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करते हैं। आज की तारीख में नौ निदेशक हैं जिनमें तीन पूर्णकालिक निदेशक, एक भारत सरकार नामिती निदेशक, एक आरबीआइ नामिती निदेशक तथा एक शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक शामिल हैं जो उनके हित का विधिवत प्रतिनिधित्व करते है और तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक हैं । एमडी और सीईओ अध्यक्ष के रूप में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशकों के कार्यकाल की स्थिति इस प्रकार है:

नाम	बैंक में शामिल होने की तिथि	कार्यकाल समाप्त होने की तिथि	पदनाम
श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020	31.12.2022	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017	08.10.2022	कार्यपालक निदेशक
सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	09.03.2024	कार्यपालक निदेशक
सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	22.07.2016	***	सरकार नामिती निदेशक
श्री विवेक अग्रवाल	25.02.2022	***	आरबीआइ नामिती निदेशक
श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	08.12.2017 29.01.2021#	07.12.2020 28.01.2024	शेयरधारक निदेशक
श्री सुरेश कुमार रुंगटा	21.12.2021	20.12.2024	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
श्री बी चंद्रा रेड्डी	21.12.2021	20.12.2024	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
श्री दीपक शर्मा	21.12.2021	20.12.2024	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

Rs.4,100 crore Government of India, on preferential basis on 02.06.2021.

During the year under review, the shareholding of Government of India has increased to 96.38% from 95.84% and the public shareholding stands at 3.62%. The paid-up capital of the Bank has increased to Rs.18, 902.41 crore from Rs.16, 436.99 crore.

Raising of Tier II Bonds

Bank has raised Basel III compliant Tier II Bonds (Series IV) aggregating to Rs.665 crore on private placement basis at a coupon rate of 8.60% with a tenor of 10 years from the date of allotment with a call option at the end of 5th year & on subsequent coupon payment date. The instrument was rated by M/s India Ratings and M/s CARE Ratings and they had assigned ratings of **AA-/Stable.**

Corporate Governance

Corporate Governance reflects the built in value system of the Bank in conducting its day to day affairs. The Bank recognizes the critical importance of effective Corporate Governance for the safe and sound functioning of the Bank and lays emphasis on ensuring that structures, processes and systems are put in place to establish strategic objectives to serve the interest of the Bank and its stakeholders which also facilitate effective monitoring.

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations), 2015 (LODR)

As per SEBI (LODR),

- The Bank is providing remote e-voting facility to its shareholders, in Annual General Meetings/ Extraordinary General Meetings.
- The Code of Conduct is applicable to all members of the Board and the Senior Management (i.e., General Managers of the Bank).
- The Bank is submitting a quarterly compliance report on Corporate Governance to the Audit Committee of the Board and to BSE & NSE, where the shares of the Bank are listed.
- The Bank is also submitting Quarterly Investor Grievance Report to BSE & NSE.

Investor Education & Protection Fund (IEPF)

As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, the Bank has transferred Unpaid Dividend amount pertaining to the year 2013-14 to IEPF.

Bank is complying with all guidelines/regulations laid down by the Regulatory Authorities and Government of India from time to time. The Bank redresses the shareholders grievances without any delay.

Capital Adequacy Ratio

The Bank's capital adequacy ratio as on 31st March 2022 stood at 13.83 % as per Basel III norms.

Branch Network

The Bank has 3,214 domestic Branches as on 31st March 2022 as against 3,217 Branches as on 31st March 2021, comprising of 902 Rural Branches (28.06%), 961 Semi Urban Branches (29.90%), 653 Urban Branches (20.32%) and 698 Metropolitan Branches (21.72%). The Bank also has 48 Regional Offices, 3 Extension Counters, 1 Satellite Office, 3 City Back Offices and 6 Nodal Audit Offices. During the year under review (FY 2021-22), the Bank has merged 3 Branches with other existing branches.

Board of Directors

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on date is nine directors comprising three whole time Directors, one GOI Nominee Director, one RBI nominee director, one director elected from amongst the shareholders to duly represent their interest and three part time non-official directors. The MD & CEO presides over the meetings of the Board as Chairman.

The position of the terms of directors during the FY 2021-22 is as under:

Name	Date of Joining	Term Ended on	Designation
Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020	31.12.2022	Managing Director & Chief Executive Officer
Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017	08.10.2022	Executive Director
Ms S Srimathy	10.03.2021	09.03.2024	Executive Director
Ms Annie George Mathew	22.07.2016	***	Govt. Nominee Director
Shri Vivek Aggarwal	25.02.2022	***	RBI Nominee Director
Shri Navin Prakash Sinha	08.12.2017 29.01.2021 #	07.12.2020 28.01.2024	Share Holder Director
Shri Suresh Kumar Rungta	21.12.2021	20.12.2024	Part Time Non-Official Director
Shri B Chandra Reddy	21.12.2021	20.12.2024	Part Time Non-Official Director
Shri Deepak Sharma	21.12.2021	20.12.2024	Part Time Non-Official Director

 # - श्री नवीन प्रकाश सिन्हा को 29.01.2021 से 28.01.2024 तक दूसरे कार्यकाल के लिए शेयर धारक निदेशक के रूप में पुन: निर्वाचित किया गया हैं ।

***** आगामी आदेशों तक**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, निम्नलिखित निदेशक का कार्यकाल निम्नानुसार समाप्त हुआ :-

नाम	**नियुक्ति की तिथि**	**कार्यकाल समाप्त होने की तिथि**	**पदनाम**
श्री दीपक कुमार	18.09.2019	24.02.2022	आरबीआइ नामिती निदेशक

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और सभी विदेशी नियामकों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभारी है। निदेशक मंडल मूल्यवान ग्राहकों, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों को उनके मूल्यवान समर्थन और बैंक के साथ निरंतर संरक्षण के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है।

मण्डल बैंक के सभी स्तर के स्टाफ सदस्यों के मूल्यवान योगदान के लिए प्रशंसा को दर्ज़ करता है और भविष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनसे निरंतर योगदान एवं प्रतिबद्धता की अपेक्षा करता है।

कृते निदेशक मण्डल की ओर से

चेन्नै
18 मई , 2022

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- Shri Navin Prakash Sinha has been re-elected as Share Holder Director for the second term from 29.01.2021 till 28.01.2024

*** Until Further Orders

During the FY 2021-22, the following director's tenure ended as below:

Name	Date of Joining	Term Ended on	Designation
Shri Deepak Kumar	18.09.2019	24.02.2022	RBI Nominee Director

Acknowledgement

The Board of Directors are grateful for the valuable guidance and support received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, State Governments, Financial Institutions and all Overseas Regulators. The Board of Directors acknowledge with thanks the valued Customers, Employees Union, Officers Association, domestic and international banking group, the shareholders & other stake holders for their valued support and continued patronage with the Bank.

The Board also wishes to place on record its profound appreciation for the valuable contribution of the Bank's Staff at all levels and looks forward to their continued involvement with commitment towards achieving the future goals.

For and on behalf of the Board of Directors

Partha Prathim Sengupta
Managing Director & Chief Executive Officer

Chennai
18th May, 2022

प्रबंधन का विचार विमर्श और विश्लेषण

आर्थिक और बैंकिंग वातावरण:

कोविड-19 की तीसरी लहर के समाप्त होने और प्रतिबंधों में ढील के साथ मार्च 2022 से घरेलू आर्थिक गतिविधि स्थिर हो गई। निवेश गतिविधि जोर पकड़ती दिखाई दे रही है । जीएसटी संग्रहण ने पूरे वर्ष अपनी मजबूत वृद्धि को बनाए रखा है। वर्ष 2022 के लिए निर्यात के क्षेत्र में सरकार द्वारा निर्धारित $400 बिलियन के रिकॉर्ड लक्ष्य को पार किया गया ।

28 फरवरी, 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमानों ने भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि 8.9 प्रतिशत, यानि की महामारी पूर्व (2019-20) के 1.8 प्रतिशत के आंकड़े से अधिक रही। 2021-22 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद घटकर 5.4 प्रतिशत हो गया ।

हेडलाइन सीपीआइ मुद्रास्फीति मार्च 2022 में फरवरी, 2022 की तुलना में 6.1 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 6.95 प्रतिशत हो गई, जोकि बड़े पैमाने पर भू-राजनीतिक स्पिलओवर(बिखराव) के प्रभाव को दर्शाती है। मौजूदा रूस-यूक्रेन संघर्ष की वजह से आयातित वस्तुओं के माध्यम से कीमतों में और वृद्धि होने की उम्मीद है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को संशोधित कर 5.7 प्रतिशत कर दिया है, जबकि पहले यह अनुमान 4.5 प्रतिशत था।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 में भारत के लिए 8.2 प्रतिशत की "काफी मजबूत" वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है, जो चीन की 4.4 प्रतिशत की तुलना में लगभग दोगुनी तेज है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के 5.56% और वित्तीय वर्ष 2019 -20 के 6.1% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंक ऋण में 11.61% की वृद्धि हुई, जिसके कारण राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन से अर्थव्यवस्था में सुधार की वजह से साख में वृद्धि दर्ज़ की गई ।

बैंक की पृष्ठभूमि:

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) की स्थापना अपने क्षेत्र में अग्रणी श्री एम.सीटी. एम. चिदम्बरम चेट्टियार जो कई क्षेत्रों में अग्रणी थे द्वारा 10 फरवरी 1937 को की गई थी । आइओबी उन 14 प्रमुख बैंको में से एक था जिनका 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में राष्ट्रीयकरण की पूर्व संध्या पर, आइओबी की भारत में 195 शाखाएँ थीं, जिनकी कुल जमा राशि 67.70 करोड़ रुपये और अग्रिम 44.90 करोड़ रुपये थी। वर्तमान में बैंक की विदेशी उपस्थिती 4 देशों सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और श्रीलंका में हैं ।

बैंक ओडिशा में ओडिशा ग्रामीण बैंक का प्रायोजक है।

प्रमुख विशेषताएँ

- बैंक के पास बैंकिंग सेवा में 85 वर्षों का उत्कृष्ट अनुभव है ।
- 3214 शाखाओं और 3355 एटीएम और 2659 कारोबार प्रतिनिधियों की मजबूत घरेलू उपस्थिति ग्राहकों तक विस्तृत पहुंच प्रदान करती है।
- 58% शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं और गहन वित्तीय समावेशन को बढ़ाती हैं।
- दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में एक मजबूत ब्रांड नाम है ।
- 39 मिलियन सक्रिय ग्राहकों का विश्वास ।
- 4 शाखाओं के साथ विदेश में उपस्थिति
- कम लागत वाली कासा जमाराशियों में निरंतर वृद्धि, खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन, घरेलू अग्रिमों में 73.35% का योगदान।

बैंक का परिचालन

घरेलू जमाएँ:

31 मार्च 2022 को बैंक की कुल घरेलू जमा राशि रु. 256890 करोड़ रुपये थी, जबकि 31 मार्च 2021 को यह 2,35,545 करोड़ रुपये थी। जमा में वृद्धि मुख्य रूप से कासा में सुधार की दिशा में बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के कारण हुई। घरेलू कासा 31 मार्च 2021 को 100588 करोड़ रुपये से बढ़कर रु. 31 मार्च 2022 तक 112007 करोड़ हो गया है । यह उल्लेखनीय है कि घरेलू बचत बैंक जमाएँ 31 मार्च 2021 से 12.39% बढ़कर 96276 करोड़ रुपये हो गई है । मार्च 2022 तक घरेलू कासा में 43.60% की वृद्धि दर्ज़ की गई ।

घरेलू अग्रिम:

वित्तीय वर्ष के दौरान जोखिम में विविधता लाने और मार्जिन में सुधार करने के लिए, बैंक ने खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। 31 मार्च 2022 को घरेलू सकल अग्रिम 31 मार्च 2021 को 130267 करोड़ रुपये की तुलना में 143202 करोड़ रुपये था ।

विदेशी परिचालन:

31 मार्च 2022 को बैंक के विदेश में 6 प्रतिष्ठान हैं, जिनमें 4 विदेशी शाखाएं, 1 विप्रेषण केंद्र और 1 संयुक्त उद्यम सहायक कंपनी शामिल हैं। बैंक की सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक और कोलंबो में एक-एक शाखा और रंगून, सिंगापुर में एक विप्रेषण केंद्र है। इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद- बैंक ऑफ बड़ौदा, इण्डियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक संयुक्त उद्यम, मलेशिया में काम कर रहा है । 31 मार्च 2021 को रुपये 14,056 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 तक विदेशी कारोबार (जेवी-आइआइबीएमबी को छोड़कर) रुपये 17,863.45 करोड़ रुपये था । जेवी-आइआइबीएमबी का कारोबार रु. 31 मार्च 2022 तक 182.03 रुपये करोड़ था।

ट्रेजरी परिचालन

2021-22 के दौरान निवेश की बिक्री पर रुपये 931.68 करोड़ रुपये (2020-21 के दौरान 1814.17 करोड़ रुपये) का लाभार्जन हुआ, इससे पहले पिछले वर्ष की रूपये 0.14 करोड़ की लेखांकन प्रवर्ग अंतरण की हानि की तुलना में इस वर्ष यह हानि रूपये 191.52 करोड़ रही ।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic and Banking Environment:

Domestic economic activity stabilised from March 2022 onwards with the ebbing of the third wave of COVID-19 and the easing of restrictions. Investment activity seems to be gaining traction. The GST collection has maintained its strong growth throughout the year. Exports for the year 2022 have exceeded the record target for $400 billion set by the government.

The second advance estimates for 2021-22 released by the National Statistical Office on February 28, 2022 placed India's real gross domestic product (GDP) growth at 8.9 per cent, 1.8 per cent above the pre-pandemic (2019-20) level. GDP growth in Q3:2021-22 decelerated to 5.4 per cent.

In March 2022, headline CPI inflation surged to 6.95 per cent from 6.1 per cent in February, 2022 largely reflecting the impact of geopolitical spillovers. The current Russia-Ukraine conflict is expected to further aggravate the price rise through imported commodities.

The Reserve Bank of India has revised upwards its retail inflation forecast to 5.7 per cent for the current financial year 2022-23, as compared with the 4.5 per cent projected earlier.

The International Monetary Fund has projected a "fairly robust" growth of 8.2 per cent for India in 2022, making it the fastest-growing major economy in the world, almost twice faster than China's 4.4 per cent.

In financial year 2021-22, Bank credit rose by 11.61 % as against 5.56 % in financial year 2020-21 and 6.1 % in financial year 2019-20 showing uptake in credit growth due to faster economy recovery on the back of fiscal and monetary stimulus.

Background of the Bank:

Indian Overseas Bank (IOB) was founded on 10th February 1937 by Shri. M. Ct. M. Chidambaram Chettyar, a pioneer in many fields. IOB was one of the 14 major banks that were nationalized in 1969. On the eve of Nationalisation in 1969, IOB had 195 Branches in India with aggregate deposits of Rs.67.70 Crore and advances of Rs.44.90 Crore.Presently the Bank has its overseas presence in 4 countries Singapore, Hongkong, Thailand and Srilanka.

The Bank has also sponsored Odisha Gramya Bank in Odisha.

Key Highlights

- The Bank has 85 years of service excellence in Banking.
- Strong Domestic presence of 3214 Branches & 3355 ATMs and 2659 Business Correspondents provides extended reach to customers.
- 58% of Branches catering to the needs of Rural and Semi Urban centres enhancing deeper Financial Inclusion.
- A strong Brand name in South India especially in the State of Tamil Nadu.
- Trust of 39 million active customers.
- Overseas Presence with 4 Branches
- Sustained Growth in Low cost CASA deposits , Improved performance in Retail, Agri and MSME Segments contributing to 73.35 % of Domestic Advances.

Bank's Operations

Domestic Deposits:

The Bank's total domestic deposits stood at Rs. 256890 Crores as on 31st March 2022 as against Rs.2,35,545 crores as on 31st March 2021. The increase in deposits was mainly on account of steps taken by the Bank towards improving the CASA. The domestic CASA has increased from Rs.100588 Crores as on 31st March 2021 to Rs. 112007 Crores as on 31st March 2022. It is noteworthy to mention that the domestic savings bank deposits have grown by 12.39% over 31st March 2022 to end at Rs.96276 Crores. The domestic CASA% also improved to 43.60 % as of March 2022.

Domestic Advances:

With a view to diversify the risk and to improve the margins, the Bank focused more on Retail, Agri and MSME sectors during the fiscal year. The Domestic Gross Advances stood at Rs.143202 Crores as on 31st March 2022 as against Rs.130267 Crores as on 31st March 2021.

Overseas Operations:

The Bank has 6 establishments abroad, including 4 Overseas Branches, 1 Remittance Center and 1 Joint Venture Subsidiary as on 31st March 2022. The Bank has one Branch each at Singapore, Hong Kong, Bangkok and Colombo and one Remittance Centre at Serangoon, Singapore. India International Bank (Malaysia) Berhad- a Joint Venture of Bank of Baroda, Indian Overseas Bank and Union Bank of India, is functioning at Malaysia. The Overseas Business (except JV-IIBMB) stood at Rs. 17,868 Crore as of 31st March 2022 as compared to Rs. 14,073 Crore as of 31st March 2021. Business of JV-IIBMB stood at Rs. 182.03 Crore as of 31 st March 2022.

Treasury Operations

The profit on sale of investments was at Rs.931.68 crores during 2021-22 (Rs.1814.17 crores during 2020-21) before accounting category transfer loss at Rs.191.52 crores as against Rs.0.14 crores in the previous year.

विदेशी मुद्रा कारोबार से विनिमय पर पिछले वर्ष के रुपये 585.08 करोड़ के लाभ की तुलना में इस वर्ष रूपये 877.97 करोड़ का लाभ हुआ ।

निवेश

बैंक का शुद्ध निवेश 31 मार्च 2021 को रुपये 95494 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2022 को रुपये 98179 करोड़ रुपये हो गया । प्रतिभूतियों की बिक्री और विनिमय पर लाभ वर्ष 2020-21 के दौरान रूपये 2399.17 करोड़ लाभ की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान 1809.65 करोड़ रुपये रहा। 10-वर्षीय बेंचमार्क लाभ 6.18% से बढ़कर 6.84% हो गया है।

एमएसएमई निष्पादन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण की हिस्सेदारी 31 मार्च 2022 तक रुपये 29494.17 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज़ करते हुए 9.85% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज़ की। घरेलू अग्रिमों में कुल एमएसएमई अग्रिम का शेयर 20.60% है ।

बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 2,700 करोड़ रुपये के लक्ष्यों की तुलना में 31 मार्च 2022 तक रुपये 3419.65 करोड़ के 385994 ऋण स्वीकृत और रूपये 3388.77 करोड़ संवितरित किए गए ।

मुद्रा सुविधा डेस्क की स्थापना की गई तथा सभी शाखाओं में मुद्रा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 16.56 करोड़ रुपये की राशि के 73 ऋण स्वीकृत किए हैं । बैंक ने पीएम स्वनिधि योजना शुभारंभ से यानी 02.07.2020 से 31.03.2022 तक 58302 आवेदनों के प्रति 61.56 करोड़ रुपये की राशि के ऋणों को मंजूरी दी है और 60.15 करोड़ रुपये संवितरित किए गए । बैंक ने ईसीएलजीएस योजना के तहत रुपये 5,244 करोड़ के 173519 ऋण स्वीकृत किए हैं और 4,813 करोड़ रुपये संवितरित किए गए ।

31 मार्च, 2022 तक, बैंक द्वारा सीजीटीएमएसई गारंटी कवर योजना के तहत स्वीकृत संपार्श्विक सुरक्षा रहित सूक्ष्म और लघु क्षेत्र के ऋणों की संख्या बढ़कर 108833 हो गई जिनकी बकाया राशि रुपये 3,297 करोड़ रुपये थी ।

बैंक को सीजीएमएफ़यू गारंटी कवर योजना के अधीन मुद्रा योजना (10.00 लाख रुपये तक की ऋण राशि) के तहत स्वीकृत सभी खुदरा व्यापार अग्रिमों को कवर करने के लिए एनसीजीटीसी के साथ सदस्य ऋण संस्थान के रूप में नामांकन किया है। 31 मार्च, 2022 तक, बैंक ने सीजीएमएफ़यू योजना के तहत 1779.08 करोड़ रुपये के ऋण 88024 खातों को कवर किया है।

बैंक ने आरबीआइ के नए ढांचे के तहत "एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास पर नीति" को भी लागू किया है और तनावग्रस्त एमएसएमई इकाइयों को राहत देने पर विचार करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में समितियों का गठन सुनिश्चित किया है।

विशिष्ट एमएसएमई और केंद्रित शाखाएँ :

नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने पूरे भारत में 22 विशिष्ट एसएमई शाखाएं और 22 एमएसएमई उच्च गहन शाखाएं खोली हैं। इसके अलावा, हमने एमएसएमई विकास क्षमता वाली 136 एमएसएमई शाखाओं की पहचान की है और उन्हें एमएसएमई केंद्रित शाखाओं के रूप में पदनामित किया है।

1. इन शाखाओं को आवश्यक बुनियादी ढांचे और कर्मचारी उपलब्ध करवाए गए हैं ।

2. बैंक ने एमएसएमई ऋण देने के संबंध में शाखा प्रमुखों/ऋण अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

3. बैंक ने सभी शाखाओं में एक एमएसएमई संबंध अधिकारी पदनामित किया है।

4. विशेष लक्ष्य सौंपे गए है और नियमित रूप से प्रगति की निगरानी की जा रही है ।

लीड जनरेशन :

शाखाओं को स्टैंडअपमित्र/उद्यमीमित्र पोर्टल में बैंक हेतु चिह्नित किए गए लीड यानी आवेदनों को देखने और उन पर कार्रवाई करने के लिए लॉगिन एक्सेस प्रदान किया गया है। शाखाओं को जीएसटी लीड के प्रसंस्करण तथा उन्हे चिह्नित किए जाने की आइओबी में ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है ताकि वे आवेदनों का त्वरित प्रसंस्करण और निपटान सुनिश्चित कर सकें । हम मौजूदा ग्राहक आधार के माध्यम से अपने आपूर्तिकर्ताओं/रिश्तेदारों/मित्रों आदि से संपर्क करके और अपनी सेवाओं की पेशकश करके व्यापार का अनुरोध कर रहे हैं।

फील्ड स्तर पर नामित एमएसएमई अधिकारी:

बैंक ने सभी स्तरों पर एमएसएमई ऋण प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और टर्नअराउंड समय (टीएटी) को कम कर दिया है। बैंक ने एमएसएमई ऋणों की त्वरित स्वीकृति और एनपीए खातों की अनुवर्ती कार्रवाई की सुविधा के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएसएमई नोडल अधिकारी नामित किए हैं।

सभी शाखाओं (एकल व्यक्ति शाखाओं को छोड़कर) में एमएसएमई विपणन अधिकारियों की पहचान की गई है। क्षेत्रीय कार्यालयों के विपणन अधिकारी/एमएसएमई नोडल अधिकारी सभी शाखाओं/ग्राहकों के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं।

प्रशिक्षण और विकास :

बैंक तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैले 12 आरसेटी में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण / सहायता प्रदान करती है और मुद्रा / स्टैंड अप इंडिया योजनाओं के तहत क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से उनकी वित्तीय जरूरतों के लिए उनका समर्थन करता है तथा उन्हें लाभकारी रोजगार लेने के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है ।

स्टाफ सदस्यों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रतिष्ठित संगठनों जैसे एनआइबीएम/बी क्यू ग्लोबल के साथ टाई-अप व्यवस्था की है । बैंक पूरे भारत में कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यशालाओं का भी आयोजन कर रहा है और एमएसएमई नियामक दिशानिर्देशों तथा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं जैसे, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, पीएमईजीपी आदि नियमित आधार पर आरबीआइ द्वारा आयोजित एनएएमसीएबीएस कार्यशालाओं में कर्मचारियों को नामित कर कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है।

मौजूदा योजनाओं में संशोधन:

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एमएसएमई पोर्टफोलियो के तहत ऋण को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने विभिन्न एमएसएमई योजनाओं की शर्तों में संशोधन और छूट दी गई है।

The profit on exchange from Forex business stood at Rs.877.97 crores as against Rs.585.08 crores in the previous year.

Investments

Net investments of the Bank increased to Rs.98179 Crores as of 31st March 2022 from Rs.95494 Crores as on 31st March 2021. Total Profit including sale of securities & profit on exchange amounted to Rs.1809.65 crores during the year 2021-22 as against Rs.2399.17 crores during the year 2020-21. 10-year Benchmark yield has moved up from 6.18% to 6.84% during the year.

MSME Performance

The share of credit to Micro, Small and Medium Enterprises stood at Rs. 29494.17 crores as on 31st March 2022 registering y-o-y growth of 9.85 %. The overall MSME outstanding share to domestic advances constitutes 20.60 %. Bank has sanctioned 385994 loans amounting to Rs.3419.65 crore and disbursed Rs 3388.77 crore as on 31st March 2022 vis-à-vis target of Rs. 2,700 crores under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) during the Financial Year 2021-22.

MUDRA facilitation desk is created and Mudra Nodal Officer is designated at all Branches. Bank has sanctioned 73 loans amounting to Rs.16.56 crore under Stand Up India Scheme during the FY 2021-22. Bank has sanctioned 58302 PM SVANidhi applications amounting to Rs.61.56 Crs and disbursed Rs.60.15 Crs from the scheme launched date i.e.02.07.2020 till 31.03.2022.Bank has sanctioned 173519 loan amounting to Rs.5,244 Crs and disbursed Rs.4,813 Crs under ECLGS Scheme.

As on March 31st, 2022, collateral free loans to Micro and Small Sector sanctioned by the Bank increased to 108833 accounts with outstanding amount of Rs. 3,297 crores under the guarantee cover from CGTMSE scheme.

Bank has enrolled as Member Lending Institution with NCGTC to secure all Retail Trade advances sanctioned under MUDRA Scheme (Loan amount upto Rs.10.00 lakh) under the guarantee cover from CGFMU Scheme. As on March 31st, 2022, we have covered 88024 accounts with an exposure of Rs.1779.08 crore under CGFMU Scheme.

Bank has also implemented the “Policy on Revival and Rehabilitation of MSMEs” under the New Frame work of RBI and ensured formation of committees at all Regional Offices to consider extending Relief to MSME units under Stress.

Specialized MSME and Focused Branches:

As per the Regulatory guidelines, Bank has opened 22 Specialized SME branches and 22 MSME High Intensive branches across pan India. In addition to that, we have identified 136 MSME Branches with MSME growth potential and designated them as MSME Focused Branches.

1. These Branches are equipped with necessary infrastructure and proper manning of staff.
2. We have imparted training to the Branch Heads / Credit Officers on MSME lending.
3. We have designated one MSME Relationship Officer in all the Branches.
4. Assigned special targets and monitoring the progress regularly.

Lead Generation:

Branches have been provided with login access to view and capture the leads i.e., aapplications marked to the Bank in Standupmitra / Udyamimitra portal. Processing and marking of GST leads has been provided to branches in IOB online and thereby ensure quick processing and disposal of the applications. We are soliciting business through the existing client base by approaching their suppliers/relatives/friends etc., and offering our services.

Designated MSME Officers at field level

Bank has taken various steps and reduced the turnaround time (TAT) for processing the MSME credit proposals at all layers. Bank has designated MSME Nodal Officers at all Regional Offices to facilitate quick sanction of MSME loans and follow up of NPA accounts.

MSME Marketing Officers have been identified / designated in all the branches (excluding single man branches). Marketing Officers / MSME Nodal Officers at Regional Offices have been coordinating with all the branches / customers.

Training and Development

Bank has been organizing Special Training Camps at 12 RSETIs spread across Tamil Nadu and Kerala states, providing necessary training / hand hold support to SC, ST, Women beneficiaries and also supporting them for their financial needs through credit linkage under Mudra / Stand Up India Schemes and facilitating them to take up gainful employment.

Bank has entered Tie-Up arrangement with reputed organizations viz., NIBM / B Q Global and providing training to the staff members regularly. Bank is also conducting workshops in Staff Training Centre’s across Pan India and creating awareness among the staff on MSME regulatory guidelines, schemes and Govt. sponsored schemes viz., Mudra, Stand Up India, PMEGP etc., nominating staffs to the NAMCABS workshops organized by RBI on a regular basis.

Modifications of existing schemes:

In view to boost the credit under MSME portfolio during the FY 2021-22 Bank has modified and relaxed the terms of various MSME Schemes.

नई योजनाओं का शुभारंभ :

विशिष्ट एमएसएमई उधारकर्ताओं को लक्षित करने के लिए बैंक ने नई योजनाएं शुरू की हैं:

- **आइओबी ऑक्सी योजना:-** बैंक ने चिकित्सा उपयोग आदि के लिए अस्पताल/नर्सिंग होम में पावर बैक अप के साथ ऑक्सीजन संयंत्रों के प्रतिस्थापन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि के निर्माताओं/व्यापारियों/आपूर्तिकर्ताओं के लिए आइओबी ऑक्सी योजना की शुरुआत की है।
- **आइओबी डीलर वित्त योजना:** - बैंक ने विशेष रूप से डीलरों और वितरकों के लिए नई योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत चालान का वित्तपोषण किया जाएगा और प्रसंस्करण शुल्क व ब्याज दर में रियायतें दी जाएंगी । संपार्श्विक सुरक्षा कवरेज मानदंडों में छूट दी गई है ताकि योजना के तहत अधिकतम पहुंच संभव हो सके ।

ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत ऋण:-

बैंक ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों और इस योजना के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए निम्नलिखित ऋण गारंटी योजना तैयार की है ।

- कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस),
- कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र (एलजीएससीएटीएसएस) के लिए ऋण गारंटी योजना,
- एमएफआइ (सीजीएसएमएफआइ) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना (राजस्थान)।

psbloansin59minutes.com:-

बैंक को www.psbloansin59minutes.com पोर्टल में वित्तपोषक के रूप में शामिल किया गया है। यह प्लेटफॉर्म रु. 500.00 लाख तक के एमएसएमई ऋण प्रस्तावों को स्वीकारता है। इसके अलावा पोर्टल 10 लाख रुपये तक के मुद्रा ऋण के आवेदनों को भी स्वीकार करता है। बैंक सभी मौजूदा और नए ग्राहकों को जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और उनकी ऋण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए मंच उपलब्ध करवाता हैं।

जन समर्थ पोर्टल:-

बैंक ने जन समर्थ पोर्टल - सभी ऋण लिंक्ड सरकारी योजनाओं (आत्मनिर्भर परियोजना) के लिए राष्ट्रीय पोर्टल ऑन-बोर्ड किया है। मंच केंद्र सरकार की 13 योजनाओं की सुविधा देता है ।

टीआरईडीएस संशोधन:-

बैंक ने आरएक्सआइएल के साथ ए ट्रेड और एम 1 एक्सचेंज और सदस्य के रूप में नामांकित, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एमएसएमई की प्राप्य राशियों के प्रति वित्तपोषण के लिए टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म में भाग लेने के लिए समझौता किया है ।

वित्त वर्ष 2021-22 में, टीआरईडीएस लेनदेन से निपटने के लिए नामित शाखाओं की संख्या भी एक से बढ़कर चार शाखाओं में हो गई। 31.03.2022 को सभी टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के तहत बकाया 562 करोड़ रुपये था।

सह-उधार :-

- बैंक ने सह-ऋण पर नीति पहले ही तैयार कर ली है।बैंक ने एमएसएमई ऋणों के लिए निम्नलिखित एनबीएफसी के साथ सह-ऋण व्यवस्था में समझौता किया है।
    - मेसर्स वेदिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड
    - मेसर्स उगरो कैपिटल लिमिटेड

क्लस्टर वित्त:-

बैंक ने पूरे भारत में नौ संभावित क्लस्टरों की पहचान की है, एमएसएमई क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की है और ऐसे और क्लस्टरों की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

सिरेमिक उद्योग	मोरवी, गुजरात राज्य
कपड़ा उद्योग	कोयंबत्तूर, तमिलनाडु राज्य
इंजीनियरिंग सामान	कोयंबत्तूर, तमिलनाडु राज्य
ऑटो उपकरण	चेन्नै / कांचीपुरम, तमिलनाडु राज्य
ऑटो उपकरण	एनसीआर दिल्ली
इंजीनियरिंग और पैकेजिंग	एनसीआर दिल्ली
प्लाईवुड उद्योग	पेरुंबवूर, केरल राज्य
होजरी / कपड़ा	लुधियाना, पंजाब राज्य
ऑटो / साइकिल के पुर्जे	लुधियाना, पंजाब राज्य

आइओबी ऑनलाइन पर एमएसएमई पोर्टल:-

नवीनतम जानकारी के साथ शाखाओं / क्षेत्रों की सुविधा के लिए, एमएसएमई से संबंधित बैंक / नियामक दिशानिर्देशों के सभी नवीनतम अपडेट के साथ आइओबी ऑनलाइन पर विशेष एमएसएमई पोर्टल बनाया गया ।

डिजिटल और प्रौद्योगिकी पहल: -

एमएसएमई पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने के लिए बैंक द्वारा निम्नलिखित डिजिटल और प्रौद्योगिकी पहल की गई हैं:

- ई-ट्रैकिंग के साथ ऋण आवेदन रजिस्टर:

बैंक ने ई-ट्रैकिंग सुविधा के साथ ऋण आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है । सभी ऋण आवेदनों को सिस्टम के माध्यम से दर्ज़ करना अनिवार्य है । सिस्टम एक विशिष्ट आइडी नंबर सृजित करता है, जिसे प्रस्तावों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए सभी प्रस्तावों में शामिल किया जाना है।

सिस्टम निकट अनुवर्ती/निगरानी के लिए प्राधिकरण के सभी स्तरों के लिए एसएमएस अलर्ट, ई-मेल अनुस्मारकों को सृजित करता है और अस्वीकृति को रोकने के अलावा टीएटी में सुधार करने की सुविधा प्रदान करता है।

- 10.00 लाख रुपये तक के ऋण का स्वचालन:

बैंक ने रु. 10.00 लाख तक की ऋण राशि के लिए एमएसएमई ऋण प्रसंस्करण को स्वचालित कर दिया है और इसे शुरू से अंत तक समाधान के साथ सीबीएस सिस्टम (फिनेकल) के साथ एकीकृत किया

Launching of New Schemes:

Bank has launched of new schemes to target specific MSME Borrowers:

- **IOB Oxy Scheme: -** Bank has launched IOB OXY Scheme for the manufacturers/ traders/ suppliers of medical oxygen, oxygen cylinders etc. for setting up of oxygen plants with power back up in hospital/ nursing homes for medical use, etc.
- **IOB Dealer Finance Scheme: -** Bank has launched new scheme exclusively for the dealers and the distributors. Under the scheme the invoice will be financed and concessions in processing charges and interest rate are given. Collateral security coverage norms are relaxed so that maximum outreach under the scheme can be possible.

Loan under Credit Guarantee Scheme: -

Bank has formulated the following Loan Guarantee Scheme for COVID affected sectors and sanctioned loans under the scheme.

- Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sectors (LGSCAS),
- Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Tourism Service Sector (LGSCATSS),
- Credit Guarantee Scheme for MFI (CGSMFI) and
- Indira Gandhi Sahari Credit Card Yojana (Rajasthan).

psbloansin59minutes.com:-

Bank has on-boarded as financier in the www.psbloansin59minutes.com portal. The platform handles MSME loan proposals up to Rs.500.00 lakh. Further the platform handles Mudra Loan up to Rs.10 lakhs. We are encouraging all our existing as well as new customers for registration under GST and also for on boarding the platform to support their credit needs.

Jan Samarth Portal:-

Bank has on-boarded Jan Samarth Portal - National Portal for all Credit Linked Government Schemes (AatmaNirbhar Project). The platform facilitates 13 Central Government Schemes.

TReDS Modification: -

Bank has entered a Tie up arrangement with RXIL, A Trade and M1Xchange and enrolled as member, participating in the TReDS platform for financing against receivables of MSMEs in the online platform. In the FY 2021-22, the number of designated braches for dealing the TReDS transactions also increased from one to four branches. The outstanding under all the TReDS platform stood Rs 562 crores as on 31.03.2022.

Co-Lending:-

- Bank has already formulated the policy on Co-lending. Bank has entered Co-lending arrangement with the following NBFCs for MSME loans.
  - M/s Vedika Credit Capital Limited
  - M/s Ugro Capital Limited

Cluster Finance: -

Bank has identified nine potential Clusters pan India, formulated special schemes to promote MSME credit and also is in the process of identifying more such Clusters.

Ceramic Industry	Morvi, Gujarat State
Textiles Industry	Coimbatore, Tamil Nadu State
Engineering goods	Coimbatore, Tamil Nadu State
Auto components	Chennai / Kancheepuram, Tamil Nadu State
Auto components	NCR Delhi
Engineering & Packaging	NCR Delhi.
Plywood Industry	Perumbavoor, Kerala State
Hosiery / Textiles	Ludhiana, Punjab State
Auto / Bicycle components	Ludhiana, Punjab State

MSME Portal in IOB ONLINE:-

Exclusive MSME portal created in IOB ONLINE with all the latest updates on Bank/Regulatory guidelines related to MSME, to facilitate Branches / Regions with the latest information.

Digital and Technology Initiatives: -

The following Digital and Technology Initiatives are taken by the Bank to boost MSME portfolio:

- Loan Application Register with e-Tracking:

Bank has introduced online registration of loan applications with e-tracking facility. It is mandatory to enter all loan applications through the system. The system generates a Unique ID number, which is to be incorporated in all proposals to track the status of the proposals.

The system generates SMS alerts, e-mails reminders to all layers of authority for close follow up /monitoring and facilitates to improve the TAT besides containing the rejections.

- Automation of Loan upto Rs 10.00 lakhs:

Bank has automated the MSME loan processing for loan amount up to Rs.10.00 lakh and integrated it with the CBS system (Finacle) with end to end solution. The platform

गया है । प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ता को रेटिंग, निरीक्षण रिपोर्ट, प्रक्रिया नोट, स्वीकृति, दस्तावेज़ीकरण, ऋण मास्टर सृजन आदि के लिए डेटा शीट में आवश्यक बुनियादी जानकारी प्रविष्ट करता है । यह उधार देने के संरचित तरीके की सुविधा प्रदान करता है और नीति दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, कम टर्नअराउंड समय (टीएटी) के साथ प्रस्तावों का त्वरित निपटान करता है। 10.00 लाख रुपये तक के सभी ऋण पूरी तरह से स्वचालित हैं ।

- समाधान ढांचे के तहत एमएसएमई ऋणों के पुनर्संरचना की ऑनलाइन प्रक्रिया :

बैंक ने तेजी से टीएटी के लिए समाधान फ्रेम वर्क 2 के तहत रु. 10.00 लाख के एमएसएमई ऋणों के पुनर्गठन के प्रसंस्करण के लिए ऑनलाइन उत्पाद लागू किया है ।

- आइओबी एसएमई ईजी और आइओबी ईटीएफ़ योजनाओं के तहत ऋणों की ऑनलाइन प्रक्रिया

चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने आइओबी एसएमई ईजी और आइओबी ईटीएफ़ योजना के तहत प्रस्ताव की ऑनलाइन प्रोसेसिंग 10.00 लाख रुपये से 5.00 करोड़ रुपये तक शुरू की है । प्लेटफॉर्म को ऑटोमेटेड स्वचालित मूल्यांकन, रेटिंग, कार्यालय नोट सृजन और स्वीकृति सहित बनाया गया है ।

- ऋण आवेदन पंजीकरण के लिए डिजिटल चैनल का शुभारंभ

इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस, मिस्ड कॉल, आइवीआरएस और बैंक वेबसाइटें एमएसएमई ऋण के लिए आवेदनों को सक्षम कर रही हैं। ये चैनल प्रति माह करीब 1100 लीड बना रहे हैं ।

- एमएसएमई ऋण के लिए समर्पित कॉल सेंटर

बैंक ने कॉल सेंटर के कार्यकारी नियुक्त किए हैं और उनकी सेवाओं का उपयोग टीएटी के आधार पर लीड को प्रसांस्कृत करने के लिए किया जाता है। ग्राहक की पसंद के आधार पर शाखाओं के लिए मौके पर पात्रता जांच और आवेदन वृद्धि के साथ दैनिक आधार पर लगभग 50 लीड को संभाला जा रहा है।

- ऋण आवेदन के लिए नए चैनल

बैंक ऋण आवेदन के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग और चैट बॉट सहायता शुरू करने की प्रक्रिया में है। ये चैनल ऋण अनुरोधों को सुचारू रूप से स्थानांतरित करने के लिए विश्लेषण आधारित प्रणाली का उपयोग करेंगे।

- एलओएस और एलएमएस

बैंक पारिष्कृत एलओएस और एलएमएस लाने की प्रक्रिया में है और पहले चरण में कुछ एमएसएमई ऋणों को कवर किया जाएगा। यह पहल ग्राहकों के वास्तविक समय अधिग्रहण के साथ हमारे एमएसएमई सेगमेंट को बढ़ावा देगी।

खुदरा बैंकिंग

खुदरा ऋण योजनाओं के तहत कुल बकाया मार्च 2021 तक 34196 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2022 तक 36961 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें वित्त वर्ष 20-21 के दौरान हासिल की गई 4.94% की वृद्धि की तुलना में 8.09% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज़ की गई। समीक्षा अवधि के दौरान नई मंजूरी रु. 13,880 करोड़ रही । अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान किया गया कुल संवितरण 14,775 करोड़ रुपये था । घरेलू अग्रिमों में कुल खुदरा हिस्सेदारी 25.81% है।

- वित्त वर्ष 21-22 के दौरान आवास ऋण में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15.94% की वृद्धि दर्ज़ की गई है । समीक्षा अवधि के दौरान 22,656 नए ऋण खाते स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी मंजूरी राशि रुपये 5537.30 करोड़ है । कुल संवितरण 5353.76 करोड़ रुपये रहा ।
- वित्त वर्ष 21-22 के दौरान वाहन ऋण में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 1.50% की वृद्धि दर्ज़ की गई है ।
- व्यक्तिगत ऋण व बंधक ऋण में सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पेश किए गए नए खुदरा उत्पाद/ किए गए संशोधन:

- गृह ऋण, वाहन ऋण और वैयक्तिक ऋण योजनाओं के लिए डिजिटल ऋण पहल की शुरुआत की गयी। यह सुविधा सभी चैनलों यानी बैंक की वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप पर उपलब्ध है ।
- **एलएपी योजना में संशोधन :**

हमारी मौजूदा एलएपी योजना में शाखाओं की मांग और आवश्यकताओं के मद्देनजर निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किए गए है :

  - एलटीवी, मार्जिन और टेक होम पे मानदंडों की पूर्ति के अधीन अधिकतम योजना सीमा को 3.00 करोड़ रुपये से संशोधित कर 10.00 करोड़ कर दिया गया है।
  - रु.50.00 लाख तक के ऋण के लिए चुकौती की अवधि को 84 महीने से बढ़ाकर 120 महीने किया गया है ।
  - रु.50.00 लाख से अधिक के ऋण के लिए चुकौती की अवधि को 120 माह से बढ़ाकर 180 माह किया गया है ।
  - 800 और उससे अधिक के सीआइसी स्कोर वाले उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरें में 1.00% की विशेष रियायत पेशकश की गई है।

- वाहन ऋण योजना में संशोधन: शाखाओं की मांग और आवश्यकताओं तथा उपभोक्ता वाहन बाजार से अधिक व्यवसाय प्राप्त करने के मद्देनजर, हमारी मौजूदा वाहन ऋण योजना में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किए गए है :
  - चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन और मौजूदा आवास ऋण उधारकर्ताओं के लिए रियायत की अनुमति है ।
- आवास ऋण योजना में संशोधन: शाखाओं की मांग और आवश्यकताओं के मद्देनजर और बाजार में अन्य बैंकों की पेशकश के अनुरूप, हमारी मौजूदा आवास ऋण योजना में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किए गए :
  - स्वतंत्र आवास के निर्माण के उद्देश्य से शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में स्थित आवासीय प्लॉट की खरीद के लिए ऋण की मात्रा को स्वीकृत कुल ऋण राशि के 30% से निम्नलिखित

supports the user for generating Rating, Inspection Reports, Process Note, Sanction, Documentation, Loan Master creation etc., simply by keying in the required basic information in the data sheet. This facilitates structured way of lending and ensures compliance of the policy guidelines, quick disposal of proposals with reduced Turnaround Time (TAT). All the loan upto Rs 10.00 lakhs are fully automated.

➢ Online Processing of Restructuring of MSME Loans under Resolution Framework:

Bank has implemented online product for processing of Restructuring of MSME Loans upto Rs 10.00 lakhs under Resolution Frame Work 2 for faster TAT.

➢ Online Process of Loans under the Scheme IOB SME Easy and IOB ETF Schemes:

During the Current FY Bank has introduced online processing of proposal from Rs 10.00 lakhs to Rs 5.00 crores under IOB SME Easy scheme and IOB ETF Scheme. The platform is designed with Automated Assessment, Rating, Office Note generation and Sanction.

➢ Launch of Digital Channel for Loan Application Registration

Internet Banking, Mobile Banking, SMSs, Missed Calls, IVRS and Bank websites are enabling applications for MSME Loans. These channels are making up close to 1100 leads per month.

➢ Dedicated Call Center for MSME Loan Leads

We have appointed call center executive and their services are utilized to handle the leads on the basis of TAT assigned. Close to 50 leads are being handled on daily basis with on the spot eligibility check and application escalation to the branches on the basis of customer's choice.

➢ New Channels for Loan Applications:

Bank is in the process of launching whatsapp banking and Chat Bot assistance for loan application. These channels will be utillising analytics based system for smooth transitioning of loan requests.

➢ LOS and LMS

Bank is in process of bringing sophisticated LOS and LMS and in the first Phase few MSME loans will be covered. This initiative will boost our MSME segment with real time acquisition of customers.

Retail Banking

The total outstanding under the Retail credit schemes increased from Rs.34196 crores as of March 2021 to Rs.36961 Crores as of March 2022 registered Y-o-Y growth of 8.09 % as compare to 4.94% growth achieved during FY 20-21. Fresh sanction during the review period was Rs. 13,880 crores. The total disbursement made during the period April 2021 to March 2022 was Rs.14,775 crores. The overall Retail share to domestic advances is 25.81%.

- Housing Loan has registered Y-o-Y growth of 15.94% during FY 21-22. Fresh Loans sanctioned during review period are 22,656 accounts, amounting Rs. 5537.30 crores. Total disbursement made is Rs. 5353.76 crs.
- Vehicle Loan has registered Y-o-Y growth of 1.50% during FY 21-22.
- Personal loan and mortgage loan has shown positive growth.

New Retail Products/Modifications introduced during the FY 2021-22:

- **Introduction of Digital Loan Initiatives for Home Loan, Vehicle Loan and Personal Loan schemes.** This facility is available across all the channels i.e. Bank website, Internet banking and Mobile Banking App.
- **Modifications in LAP Scheme:**

Keeping in view demand and requirements of branches following value additions to our existing LAP Scheme was introduced:

  - o Maximum Scheme limit revised from Rs.3.00 Crores to 10.00 Crores subject to fulfilment of LTV, Margin and Take Home Pay norms.
  - o Extension of repayment period up to 120 months from 84 months for loan up to Rs.50.00 Lakh.
  - o Extension of repayment period up to 180 months from 120 months for loan above Rs.50.00 Lakh.
  - o 1.00% Special Interest Rate Concession has been offered for borrowers with CIC score of 800 and above.

- Modifications in Vehicle Loan Scheme: Keeping in view demand and requirements of Branches and to garner more business from consumer vehicle market, following value additions to our existing Vehicle Loan Scheme was introduced:
  - o Allowing concession for 4 wheeler electric vehicle & existing Housing Loan borrowers
- Modifications in Housing Loan Scheme: Keeping in view demand and requirements of Branches and to line with the offerings of Other Banks in the market, following value additions to our existing Housing Loan Scheme was introduced:
  - o Loan Quantum for purchase of residential plots located in Urban/Metropolitan Areas for the purpose of construction of independent house is

रूप में जो भी कम हो संशोधित किया जाता है :

क) भूमि के उचित बाजार मूल्य का 60%

ख) प्लॉट के खरीद मूल्य का 60%

ग) आवास ऋण पात्रता का 60%

- o मकान निर्माण की अधिकतम प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की अवधि भूमि की क्रय तिथि से 2 वर्ष से संशोधित कर 3 वर्ष कर दी गई है ।

कॉरपोरेट ऋण

इस वित्तीय वर्ष में, मौजूदा बाजार की स्थितियों में, परिसंपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, बैंक नई/बढ़ी हुई क्रेडिट सीमाओं को बढ़ाने में चयनात्मक रहा है।

वर्तमान परिदृश्य में, बैंक ने परिसंपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया है:

- मुख्य रूप से ए और उससे ऊपर की रेटिंग वाले उधारकर्ताओं को ऋण सुविधाएं मंजूर करना ।
- राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा गारंटीकृत ऋणों पर विचार करना।
- प्रत्येक उद्योग, एकल उधारकर्ता आदि के लिए आंतरिक एक्सपोजर कैप रखना।

हमारे बैंक में आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन में जोखिम को जानना, उसका आकलन करना और उचित न्यूनीकरण का उपयोग करके बैंक की जोखिम क्षमता के भीतर इसे नियंत्रित करना शामिल है । इन कारकों के आधार पर संपत्ति का अनुपालन करने से हमारी आस्ति की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। बैंक ने तनावग्रस्त आस्तियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। प्रावधान संभावित नुकसान को अवशोषित करने के लिए अलग से एक बफर के साधन के रूप में कार्य करते हैं।

इस वर्टिकल के तहत, बैंक के पास रु. 33060 करोड़ की निधि आधारित एक्सपोजर व 31 मार्च 2022 को रु. 11308 करोड़ की गैर-निधि आधारित एक्सपोजर विभिन्न प्रमुख उद्योगो और अन्य क्षेत्रों में फैला हुआ है।

इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में, बैंक ने एक अलग योजना - "आइओबी रेपो लिंक्ड शॉर्ट टर्म लोन" "बिल पर छूट और अल्पकालिक ऋण, रेपो आधारित ब्याज दर से जुड़े, लाभ कमाने वाले पीएसयू (रेटेड एएए और एए), राज्य सरकार की गारंटी के साथ पीएसयू (चाहे जो भी रेटिंग हो), राज्य सरकार की गारंटी सहित, राज्य सरकार के संगठनों/निगमों/अर्ध सरकारी संस्थाओं आदि, और फार्मास्युटिकल कंपनियों (रेटेड एएए और एए) के लिए शुरू की है । इसी तरह एक नई योजना - "आइओबी कॉरपोरेट लॉन्ग टर्म लोन", रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट के साथ, एएए और एए रेटेड पीएसयू और राज्य सरकार सहित सरकारी गारंटीकृत खातों के साथ उनके मध्यम से दीर्घकालिक क्रेडिट आवश्यकता के लिए नए व्यवसाय को टैप करने के लिए शुरू की गई थी।

प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रु. 58,099.25 करोड़ के लक्ष्य के एवज में रु. 79,570.25 करोड़ रही और बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के तहत पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 46.77% की उपलब्धि के एवज में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 54.78% की बढ़त हासिल करके एएनबीसी के 40% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है ।

चूंकि बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के तहत सुलभ मार्जिन के साथ 40% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है, हमारे बैंक ने रु. 4858.50 करोड़ वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी एसएफ/एमएफ – रु.3100 करोड़ और पीएसएलसी सामान्य – रु.1758.50 करोड़) बेचा और अन्य आय के रूप में रु.85.15 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

उपर्युक्त पीएसएलसी बिक्री में कमी के बाद, वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के तहत एएनबीसी की औसत उपलब्धि 54.78% रही है।

कृषि

कृषि अग्रिमों के तहत वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रु 26,144.66 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रु. 36223.78 करोड़ रही और यहां तक की एसएफ/एमएफ श्रेणी के तहत पीएसएलसी के 3100 करोड़ रुपए की बिक्री के बाद बैंक ने कृषि अग्रिमों के तहत 24.94% की बढ़त हासिल करके एएनबीसी की 18% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है ।

छोटे और सीमांत किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रु. 13072.33 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रु. 23786.66 करोड़ रही और बैंक ने छोटे/सीमांत किसानों को दिए जाने वाले ऋण के तहत 16.38% के लक्ष्य को प्राप्त करके एएनबीसी के 9% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है । यह उपलब्धि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रु 3100 करोड़ के पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ की बिक्री को कम करने के बाद हासिल की गई है ।

गैर- कॉरपोरेट किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रु 18490.09 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रु. 31978.44 करोड़ रही । और बैंक ने गैर-कॉरपोरेट किसानों को दिए जाने वाले ऋण के तहत 22.02% की बढ़त हासिल करके एएनबीसी के 12.73% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है।

सूक्ष्म उद्यमों को ऋण

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रु. 21,594.29 करोड़ के लक्ष्य के मुक़ाबले रु 10,893.61 करोड़ रही और बैंक ने सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण के तहत 14.87% बढ़त हासिल करके एएनबीसी के 7.5% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है।

revised from 30% of total loan amount sanctioned to the least of the following:

a) 60% of fair market value of land

b) 60% of purchase price of plot

c) 60% of Housing Loan eligibility

- o Maximum period for construction of house to be completed has been revised to 3 years from 2 years from the date of purchase of land.

Corporate Credit

In this financial year, in the prevailing market conditions, to maintain the asset quality, the Bank has been selective in extending new/enhanced credit limits.

In the present scenario, The Bank has focused mainly on the following to maintain asset quality:

- Sanctioning credit facilities mainly to borrower rated A and above
- Considering loans guaranteed by State owned entities
- Keeping internal exposures cap for each industry, single borrower, etc.

Effective Risk Management is being done in our bank to improve the asset quality. The risk management involves knowing the risk, measuring it, and controlling it within the risk appetite of the bank by using appropriate mitigates. By complying property on these factors, our asset quality is improving. Bank has provided adequate provision for the stressed assets. Provisions serve as a means of setting aside a buffer to absorb likely losses.

Under this vertical, Bank has Standard Fund based exposure of Rs.33060 crores and Non Fund based exposure of Rs.11308 crores as on 31st March 2022 spread over various core industries and other segments.

In this FY 2021-22, Bank has floated a separate scheme - "IOB REPO LINKED SHORT TERM LOAN" for "bill discounting and short term loans, linked with Repo based rate of interest, to Profit Making PSUs (Rated AAA & AA), PSUs with State Government guarantee (irrespective of rating), State Government organizations/corporations/quasi Government entities etc., with State Government guarantee and Pharmaceutical companies (Rated AAA & AA) was introduced. Similarly a new Scheme - "IOB CORPORATE LONG TERM LOAN" , with Repo Linked Lending Rate, was introduced in order to tap new business with AAA & AA rated PSUs and Government guaranteed accounts including State Government for their medium to long term credit requirement.

Priority Sector Credit

The average achievement of four quarters for the FY 2021-22 stood at Rs.79,570.25 Crores against the target of Rs. 58,099.25 Crores and t**he Bank has surpassed the mandatory norm of 40% of ANBC by achieving 54.78% under Total Priority Sector Advances** during FY 2021-22 as against the achievement of 46.77% during the previous FY 2020-21.

As the Bank surpassed the mandatory norm of 40% with comfortable margin under Priority sector advances, our Bank has sold Priority Sector Lending Certificate of Rs.4858.50 crores (PSLC SF/MF – Rs.3100 Crores and PSLC General – Rs.1758.50 Crs) during the FY 2021-22 and earned a profit of Rs.85.15 Crores as other Income.

The average achievement of 54.78% of ANBC under priority sector advances during the year is after reduction of the above mentioned PSLC sale.

Agriculture

The average achievement of four quarters for the FY 2021-2022 under advances outstanding stood at Rs. 36,223.78 Crs against the target of Rs. 26,144.66 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norm of 18% of ANBC by achieving 24.94% under Agriculture advances,** even after sale of Rs. 3100 crores of PSLC under SF/MF category.

Loans to Small and Marginal farmers

The average achievement of four quarters for the FY 2021-2022 stood at Rs.23786.66 Crores against the target of Rs. 13072.33 Crores and **the Bank has surpassed the mandatory norm of 9% of ANBC by achieving 16.38%** under loans to **Small/ Marginal farmers.** This achievement is arrived at after reducing the sale of PSLC – SF/MF of Rs. 3100 crores during FY 2021-2022.

Loans to Non-Corporate farmers

The average achievement of four quarters for the FY 2021-22 stood at Rs.31978.44 Crs against the target of Rs. 18490.09 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norm of 12.73% of ANBC by achieving 22.02% under loans to Non-Corporate farmers.**

Loans to Micro Enterprises

The average achievement of four quarters for the FY 2021-22 stood at Rs.21, 594.29 Crores against the target of Rs.10, 893.61 Crores **and the Bank has surpassed the mandatory norm of 7.5% of ANBC by achieving 14.87% under loans to Weaker Section.**

कमजोर वर्ग को ऋण

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रु 28,379.46 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले रु 28662.43 करोड़ रही और बैंक ने कमजोर वर्ग को दिए जाने वाले ऋण के तहत 19.73% की बढ़त हासिल करके एएनबीसी के 11% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है ।

सूक्ष्म वित्त

वर्ष के दौरान, बैंक का क्रेडिट लिंकड 48399 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सहित क्रेडिट आउटले का रु. 1884.61 करोड़ है । एसएचजी क्रेडिट लिंकड का समेकित संख्या 878822 है और मार्च 2022 तक जिसका लगभग संवितरण रु. 95375 है ।

विशेषीकृत एसएचजी ऋण केंद्र:

एसएचजी ऋणों के प्रसंस्करण के लिए 30 विशेषीकृत एसएचजी ऋण केंद्रों (30 नोडल शाखाएं और 120 संबद्ध शाखाएं यानि कुल 150 शाखाएं), जिसे सक्रिय एसएचजी क्रेडिट केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है । हमारे बैंक ने नजदीकी शाखाओं से एसएचजी ऋणों के प्रसंस्करण के लिए 19 क्षेत्रों में एक क्लस्टर 5 शाखाओं के आधार पर 30 शाखाओं का गठन विशेषीकृत एसएचजी ऋण केंद्र' के रूप में किया है । वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विशेषीकृत एसएचजी ऋण केंद्र द्वारा 11049 एसएचजी समूहों को रु 266 करोड़ संवितरित किया गया है ।

महिलाओं को ऋण प्रवाह

महिलाओं के लिए बैंक का ऋण 31 मार्च 2022 तक रू 28199 करोड़ था जो बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋण का 20.83% है । हमारे बैंक ने सिर्फ महिलाओं के लिए निम्नलिखित विशेष योजनाएं तैयार की हैं आइओबी सागर लक्ष्मी: मछली व्यापार से जुड़ी महिलाओं को ऋण, आइओबी भूमि शक्ति: कृषि से संबन्धित सभी गतिविधियों के लिए महिलाओं को ऋण, आइओबी एसएमई महिला प्लस: विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के तहत महिला उद्यमियों को ऋण और आइओबी स्वर्णलक्ष्मी: सिर्फ महिलाओं के लिए आभूषण ऋण योजना।

बैंक आइओबी भूमि शक्ति योजना के तहत महिला लाभार्थियों को रु 50,000 तक की सीमा के लिए 0.50% और रु 50,000 से अधिक की सीमा के लिए 0.25% की दर से ब्याज में रियायत प्रदान कर रहा है और विद्या ज्योति शैक्षिक ऋण योजना और आइओबी – स्कॉलर योजना के तहत छात्राओं को 0.50% की ब्याज रियायत प्रदान कर रहा है ।

अग्रणी बैंक की पहल

बैंक, तमिलनाडु के 15 जिलों और केरल के 1 जिले में अग्रणी बैंक की भूमिका में है। बैंक तमिलनाडु की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक भी है। वर्ष के दौरान, एसएलबीसी तमिलनाडु के संयोजक के रूप में, बैंक ने एसएलबीसी की चार मुख्य बैठकें आयोजित की हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने एसएलबीसी तमिलनाडु के संयोजक के रूप में वर्ष के दौरान 3 विशेष बैठकें, 4 मुख्य बैठकें और 4 उपसमिति बैठकें आयोजित कीं। उनमें से उल्लेखनीय थे :

- माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में आकांक्षी जिला (विरुधुनगर) की समीक्षा के दौरान अरुप्पुकोटै में दिनांक 12.09.2021 को विशेष ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
- राज्य में कृषि और एमएसएमई ऋणों की प्रगति की समीक्षा करने और वार्षिक ऋण योजना 2021-22 को अंतिम रूप देने के लिए तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 25.10.2021 को विशेष एसएलबीसी बैठक आयोजित की गई ।
- एमएसएमई ऋणों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए तमिलनाडु के माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 24.01.2022 को विशेष बैठक आयोजित की गई ।

वित्तीय समावेशन के लिए एसएलबीसी की पहल:

- दिनांक 12.01.2022 तक तमिलनाडु राज्य में, जन सुरक्षा योजनाओं के तहत पंजीकरण 234.02 लाख तक पहुंच गया है, जिसमें पीएमजेजेबीवाई के तहत 69.81 लाख पंजीकरण और पीएमएसबीवाई के तहत 164.21 लाख पंजीकरण शामिल हैं।
- तमिलनाडु राज्य के लिए आधार संतृप्ति 99.67% है ।
- दिनांक 12.01.2022 तक तमिलनाडु राज्य में 229.39 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए, जिनमें से 118.15 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और 111.23 लाख खाते शहरी क्षेत्रों से हैं।
- हमारे राज्य को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति और योगदान के लिए नागरिक की पसंद उत्कृष्टता प्रमाण पत्र (एच 1, वित्त वर्ष 2021-22) मिला है।

तमिलनाडु में ऋण प्रवाह पर एसएलबीसी की पहल:

- दिसंबर 2021 तक तमिलनाडु में बैंकों ने निम्नलिखित उपलब्धि दर्ज़ की है:
  - o राज्य में बैंकों का सीडी अनुपात 100% से ऊपर बना हुआ है और दिसंबर 2021 तक, सीडी अनुपात 106.84% है।
  - o 40% के राष्ट्रीय मानदंड की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 47.74% है ।
  - o 18% के राष्ट्रीय मानदण्ड की तुलना में कृषि संबंधी अग्रिम का 22.83% है ।
  - o 10% के राष्ट्रीय मानदंड की तुलना में कमजोर वर्ग को दिया गया अग्रिम 16.05% रहा ।
  - o बैंक ने डिजिटल जिले विरुधुनगर में 95.35% ग्राहकों (एसबी खातों) को कवर किया है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्यान्वयन के लिए चुना गया था।

वित्तीय समावेशन:

बैंक ने वैयक्तिक बीसी मॉडल के तहत 2,639 कारोबार संवादियों को नियुक्त किया है। बैंक ने आबंटित एसएसए में 2,506 बीसी, गैर आवंटित एसएसए में 92 बीसी और 41 शहरी बीसीयों को नियुक्त किया है। बीसी खाते खोलने, छोटे मूल्य की जमा राशि का संग्रह, एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई जैसी जन सुरक्षा योजनाओं के तहत ग्राहकों का नामांकन, एनपीए खातों सहित ऋण खातों में वसूली, आधार से जोड़ा जाना, जमा राशि जुटाने और आवर्ती जमा किश्त एकत्र करने का कार्य करते हैं।

उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार के समन्वय से, आइओबी स्मार्ट

Loans to Weaker Section

The average achievement of four quarters for the FY 2021-22 stood at Rs.28, 662.43 Crores against the target of Rs.15, 977.29 Crores **and the Bank has surpassed the mandatory norm of 11% of ANBC by achieving 19.73% under loans to Weaker Section.**

Microfinance

During the year, the Bank credit-linked 48399 Self Help Groups (SHGs) with credit outlay of Rs. 1884.61 Crores. The cumulative number of SHGs credit linked by the Bank is 878822 and with aggregate disbursement of Rs.95375 Crs as of March 2022.

Specialized SHG Credit Centre:

30 Specialised SHG Credit Centers (30 Nodal Branches and 120 tagged Branches i.e. 150 Branches in total) covering 19 Regions having good potential are identified for processing of SHG loans. During the FY 2021-22, Rs. 266 Crs to 11049 SHG groups have been disbursed by the Specialised SHG Credit Centre.

Credit flow to women

Bank's credit to women stood at Rs. 28199 crores as of 31st March 2022 which constitutes 20.83 % of the Bank's Adjusted Net Bank Credit. Our Bank has formulated the following Special schemes exclusively for women namely **IOB Sagar Lakshmi:** Loans to Fisher women, **IOB Bhoomi Shakti:** Loans to women for all activities under Agriculture, **IOB SME Mahila Plus:** Loan to women entrepreneurs under manufacturing and service sectors and IOB **Swarnalakshmi:** An exclusive Jewel Loan Scheme for women.

The Bank is providing Interest concession at the rate of 0.50% for limits up to Rs. 50,000 and 0.25% for limits above Rs. 50,000 to women beneficiaries under **IOB Bhoomi Shakti scheme** and interest concession of 0.5% to the Girl student under **Vidya Jyothi Educational Loan scheme & IOB-Scholar scheme.**

Lead Bank Initiatives

The Bank has Lead Bank responsibility in 15 districts in Tamil Nadu and 1 district in Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Bankers' Committee of Tamil Nadu (SLBC). During the year, as Convenor of SLBC, Tamil Nadu, the Bank has conducted four main meetings of SLBC. In addition, the Bank as convenor of SLBC, Tamil Nadu convened 3 special meetings, 4 core meetings and 4 subcommittee meetings during the year. Notable among them were:

- Special Customer outreach programme held on 12.09.2021 at Aruppukottai presided by Hon'ble Finance Minister, GOI to review of Aspirational District (Virudhunagar).
- Special SLBC meeting held on 25.10.2021 presided by Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu to review the progress of Agriculture and MSME loans in the State and finalization of Annual Credit Plan 2021-22.
- Special meeting was held on 24.01.2022 presided by Hon'ble Finance Minster of Tamil Nadu to review the progress of MSME Loans.

SLBC Initiatives for Financial Inclusion:

- o In the state of Tamil Nadu, the enrolments under Jansuraksha Schemes have reached 234.02 lakhs as on 12.01.2022, which includes 69.81 lakhs enrolments under PMJJBY and 164.21 lakhs enrolments under PMSBY.
- o The Aadhaar saturation for the State of Tamil Nadu is 99.67%.
- o In the state of Tamil Nadu 229.39 lakh PMJDY accounts are opened as on 12.01.2022 of which 118.15 lakhs are in rural areas and 111.23 lakh accounts are in urban areas.
- o Our State got the **Certificate of Excellence citizen's choice** (H1, FY 2021-22) for the Achievement of Targets and contribution towards Atal Pension Yojana (APY).

SLBC initiatives on Credit Flow in Tamil Nadu:

- o Banks in Tamil Nadu have achieved the following as of December 2021:
- o CD ratio of Banks in the State continues to be above 100% and as of Dec 2021, the CD ratio stands at 106.84%.
- o 47.74% under Priority Sector against the national norm of 40%.
- o 22.83% of Agricultural Advances against the national norm of 18%.
- o 16.05% of advances to weaker sections against the national norm of 10%.
- o The Bank has covered 95.35% of customers (SB Accounts) in the Digital District Virudhunagar which was selected for implementation by Reserve Bank of India.

Financial Inclusion:

Bank has engaged 2,639 Business Correspondents under Individual BC model. Bank has engaged 2,506 BCs in allotted SSAs, 92 BCs in un-allotted SSAs and 41 Urban BCs. BCs are engaged in opening of accounts, collection of small value deposits, enrolment of customers under JanSuraksha Schemes like APY, PMJJBY and PMSBY, recovery in loan accounts including NPA accounts, Aadhaar seeding, mobilizing deposits and collecting RD instalment.

It is noteworthy to state that in coordination with Government of Tamil Nadu, IOB Smart Card Banking has been enabling

कार्ड बैंकिंग लगभग 3.30 लाख वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को उनकी मासिक पेंशन प्राप्त करने और लगभग 0.25 लाख श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को 61 शिविरों में झंझट मुक्त तरीके से उनके दरवाजे पर उनकी मासिक पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बना रहा है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):

बैंक ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार पीएमजेडीवाई लागू किया है। यह योजना भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। बैंक ने 53,14,671 पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं, जिनमें से 39,96,632 सक्रिय खाते हैं। बैंक ने 31 मार्च 2022 तक 37,25,769 रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं और इस योजना के तहत सक्रिय पीएमजेडीवाई खातों में 30,74,884 कार्ड (83%) सक्रिय किए हैं।

आधार विनियमन, 2016 के अनुसार आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र:

आधार विनियम, 2016 के अनुसार, यूआइडीएआइ ने बैंकों को शाखा परिसर में आधार नामांकन/अद्यतन केंद्र स्थापित करने हेतु सूचित किया है । हमारे बैंक ने आधार नामांकन केंद्रों में कार्यबल की आपूर्ति के लिए आधार नामांकन केंद्रों को मैसर्स वी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को आउटसोर्स किया है।

जनसुरक्षा योजनाएं

जन सुरक्षा योजनाएं भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 1 जून 2015 को शुरू की गई थीं। बैंक जन सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई और पेंशन योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों का पंजीकरण कर रहा है। 31 मार्च 2022 तक, जन सुरक्षा योजनाओं के तहत पंजीकरण की संख्या नीचे दी गई है:

योजनाएं	31 मार्च 2022 तक पंजीकरण की स्थिति (संचयी)	वर्ष 2021-2022 के दौरान पंजीकरण की स्थिति
पीएमजेजेबीवाई	13,09,544	91,667
पीएमएसबीवाई	34,70,474	1,15,117
कुल	47,80,018	2,06,784

चूँकि "एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस" (ईज़) फ्रेमवर्क सूक्ष्म बीमा कवरेज में बड़े पैमाने पर विस्तार को अधिदेशित करता है, बैंक ने एमएसएमई/कृषि/खुदरा के तहत पंजीकरण के साथ साथ ऋण स्वीकृति को भी स्वचालित कर दिया है। बैंक ने नेट बैंकिंग और एसएमएस/ मिस्ड कॉल के जरिए पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई पंजीकरण के लिए प्रावधान किए है।

अटल पेंशन योजना: एपीवाई के तहत विगत वर्षों का निष्पादन इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	पंजीकरण
2015-16	19,286
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
2018-19	1,03,711
2019-20	1,50,010
2020-21	1,79,081
2021-22	**2,32,860**
कुल एपीवाई पंजीकरण (संचयी)	**8,56,991**

एपीवाई उपलब्धियां

- हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएफआरडीए द्वारा आबंटित लक्ष्य को पहली बार प्राप्त किया है।
- हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 21-22 के दौरान पीएफआरडीए द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित अभियानों में अर्हता प्राप्त की है।

क्र.सं.	अभियान का नाम	उपलब्धि का%	को सम्मानित किया
1	महा प्रबन्धकों के लिए शाइन व सक्सीड	107	जीएम-एफ़आइडी
2	महा प्रबन्धकों के लिए वृद्ध वित्तीय स्वतंत्रता सेनानी 2.0	118	जीएम-एफ़आइडी
3	बैंकों के कार्यपालक निदेशकों के लिए उत्कृष्टता के निर्माता 5.0	110	ईडी
4	बैंकों के एमडी और सीईओ के लिए लीडरशिप कैपिटल 4.0	136	एमडी व सीईओ
5	बैंकों के कार्यपालक निदेशकों के लिए एपीवाई बिग बिलिवर्स	119	ईडी

- जून 2021 से मार्च 2022 के दौरान महीनों के विजेताओं को विजयी बुधवार अभियान के वंडरस वारियर्स के तहत नोडल अधिकारियों और क्षेत्रीय प्रबंधकों को सम्मानित किया गया ।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआइ):

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने अग्रणी जिलों में 12आरएसईटीआइ स्थापित किए है ताकि किसानों, स्वयं सहायता समूहो के सदस्यों, एसजीएसवाई के तहत लाभार्थियों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं, कारीगरों और कमजोर तबके के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए । इन आरएसईटीआइ का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित स्नेहा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरएसईटीआइ ने 6455 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लक्ष्य के मुकाबले 6491 बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करते हुए 240

about 3.30 lakh old age pensioners to get their monthly pension and about 0.25 lakh Sri Lankan Tamil Refugees in 61 camps to obtain their monthly dole at their doorstep in a hassle free manner.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):

The Bank has implemented PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 53,14,671 PMJDY Accounts out of which 39,96,632 are operative accounts. Bank has issued 37,25,769 RuPay Debit Cards till 31st March 2022 and activated 30,74,884 cards (83%) in the operative PMJDY accounts under this scheme.

Aadhaar enrolment and update centres as per Aadhaar Regulations, 2016:

As per Aadhaar Regulations, 2016, UIDAI has advised Banks to establish Aadhaar enrolment/update Centres in Branch premises. **Our Bank has** outsourced Aadhaar enrolment centres to **M/s Vee Technology Pvt Ltd** for supply of manpower in the Aadhaar Enrolment Centres.

Jansuraksha Schemes

The Jansuraksha Schemes were launched by the Prime Minister of India on 1st June 2015. The Bank is enrolling customers under Jansuraksha schemes viz PMJJBY and PMSBY, and Pension schemes viz Atal Pension Yojana. As on 31st March 2022, the enrollment count under Jan Suraksha schemes is as below:

Schemes	Status of enrolment as on 31st March 2022 (Cumulative)	Status of Enrolment during the year 2021-2022
PMJJBY	**13,09,544**	**91,667**
PMSBY	**34,70,474**	**1,15,117**
Total	**47,80,018**	**2,06,784**

As "Enhanced Access & Service Excellence" (EASE) framework - mandates massive expansion in micro insurance coverage, Bank has automated enrolments along with loan sanction under MSME /Agri/Retail. Bank has also enabled provision for enrolling PMJJBY/PMSBY through net banking and SMS/missed call.

Atal Pension Yojana: Performance under APY over the years is as follows:

Financial Year	Enrolments
2015-16	19,286
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
2018-19	1,03,711
2019-20	1,50,010
2020-21	1,79,081
2021-22	**2,32,860**
Total APY Enrolments (Cumulative)	**8,56,991**

APY Achievements

- Our Bank Has Achieved the Target Allotted by PFRDA for FY 2021-22 for the 1st time.
- Our Bank has qualified in the following campaigns launched by PFRDA during the FY 21-22.

S.No	Name of the Campaign	% ACHIEVED	Awarded to
1	Shine & Succeed for GMs	107	GM,FID
2	Old Age Financial Freedom Fighter 2.0 for GMs	118	GM,FID
3	Makers of Excellence 5.0 for ED's of Banks	110	ED
4	Leadership Capital 4.0 for MD & CEOs of Banks	136	MD & CEO
5	APY BIG Believers for ED's of Banks	119	ED

- Winners of Wondrous Warriors of Winning Wednesday campaign for all months from June 2021 to March 2022 awarded to Nodal officers and Regional Managers.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural Development, Govt of India, the Bank had set up total 12 RSETIs in the Lead Districts for promoting Rural Enterpreneurship & facilitating growth of micro & small enterprises by skilling the unemployed rural youth through training, motivating and facilitating them to take up self-employment. The RSETIs are administered by SNEHA Trust established by the Bank. During the year under review, the RSETIs have conducted 240 training programs benefiting

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बैंक ने 73% संचयी निपटान और 53% का संचयी ऋण निपटान हासिल किया है जो कि राष्ट्रीय औसत क्रमशः 70% और 43% से अधिक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सभी आरएसईटीआइ को एए रेटिंग प्रदान की है।

वित्तीय साक्षरता:

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 24 स्थानों पर स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों (स्नेहा) के जरिए वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाती है। इन केंद्रों के परामर्शदाता लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वित्तीय उत्पादों और औपचारिक वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध सेवाओं के संबंध में बताने के साथ-साथ वित्तीय परामर्श सेवा और ऋणी व्यक्तियों को ऋण के संबंध में परामर्श प्रदान करते हैं। वे विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर शिविर भी लगाते हैं। अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2022 तक एफएलसी ने 75,312 ऋण परामर्श आयोजित किए गए हैं। स्थापना के बाद से बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर 11755 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। स्थापना के बाद से 99,377 बचत बैंक खाते खोले गए हैं। वित्तीय प्रणाली में नव पदार्पण करने वाले व्यक्तियों के लिए 2186 विशेष शिविर आयोजित किए गए जिसके तहत 2,46,133 लाभार्थियों को कवर किया गया । लक्ष्य समूह में 2,28,307 लाभार्थियों को कवर करने वाले स्वयं सेवी समूह, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, किसान और सूक्ष्म और लघु उद्यमी शामिल हैं।

पैरा-बैंकिंग उत्पादों से संबंधित निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने बैंकाश्योरेंस और म्यूचुअल फंड बिजनेस के माध्यम से रु 25.52 करोड़ की आय अर्जित की है । हमारी पैरा-बैंकिंग आय को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए शाखाओं में विभिन्न अभियान और सीएसआर गतिविधियां चलाई गईं ।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रारंभ किए गए उत्पाद.

1. नीवा बूपा स्वास्थ्य बीमा

- **रिएश्योर रिटेल स्वास्थ्य बीमा उत्पाद** – रु 1.00 करोड़ तक का कवरेज- किसी भी बीमारी या बीमित व्यक्ति के लिए लागू बीमा राशि की असीमित बहाली)
- **रिटेल सीनियर फर्स्ट स्वास्थ्य बीमा उत्पाद** - आजीवन नवीनीकरण के साथ 61 से 75 वर्ष तक कवरेज प्रदान करता है। यह प्लान गोल्ड (रु.10.00 लाख कवरेज तक) और प्लेटिनम (रु.25.00 लाख कवरेज तक) दो नामक में आता है।
- **समूह स्वास्थ्य बीमा उत्पाद- स्वास्थ्य सुरक्षा (गेट फिट हेल्थ बीमा उत्पाद)** - गेट फिट स्वास्थ्य बीमा योजना समूह प्लेटफॉर्म के तहत 8 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जिसमें डिजिटल फिटनेस कोचिंग, फिटनेस सेंटर तक पहुंच प्रदान करने के लिए फिटपास के साथ टाई अप जैसी मूल्य वर्धित विशेषताएं हैं। पोषण विशेषज्ञ के लिए सभी फिटनेस कोचिंग का उपयोग ।

2. एसबीआइ जनरल बीमा

संपत्ति बीमा उत्पाद

ए) भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा बीमा उत्पाद - रु.5.00 करोड़ तक के जोखिम का कवरेज

बी) भारत लघु उद्यम सुरक्षा बीमा - रु.5.00 करोड़ से अधिक और रु.50.00 करोड़ तक के जोखिम का कवरेज

गृह बीमा उत्पाद

ए) साधारण गृह बीमा पॉलिसी - आग और संबद्ध खतरों की धारा के तहत घर की सामग्री स्वचालित रूप से भवन के लिए बीमित राशि के 20% (अधिकतम रु 10 लाख तक) पर कवर की जाती है। पॉलिसी की अवधि 3 वर्ष तक है ।

बी) लंबी अवधि की गृह बीमा पॉलिसी - पॉलिसी अवधि 30 वर्ष तक की है ।

वाहन बीमा उत्पाद

ए) टू व्हीलर बीमा उत्पाद - वाहन को आकस्मिक क्षति, तृतीय पक्ष देयता, वैयक्तिक अदावाकृत बोनस दुर्घटना से मालिक को हुई क्षति हेतु रु. 15 लाख का कवरेज उप्लब्ध है, अदावित बोनस; वैयक्तिक दुर्घटना के लिए पिलियन राइडर को भी अधिकतम रु. 1 लाख तक का कवरेज उप्लब्ध है।

बी) निजी कार बीमा उत्पाद - वाहन को आकस्मिक क्षति, वैयक्तिक दुर्घटना के साथ अनिवार्य तृतीय पक्ष दायित्व, मालिक की क्षति के लिए वैयक्तिक दुर्घटना, अदावाकृत बोनस और मूल्यह्रास प्रतिपूर्ति ; 15 लाख रुपये का वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवर।

स्वास्थ्य बीमा उत्पाद

ए) आरोग्य प्लस - विभिन्न आकर्षक विशेषताओं के साथ रु.1 लाख से रु.3 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा कवर

बी) आरोग्य संजीवनी - विभिन्न आकर्षक विशेषताओं के साथ रु.1 लाख से रु.5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा कवर

3. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस

- **आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद** - एक मानक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद जो 50000 रुपये के गुणकों में 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का बुनियादी स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। यह एक संपूर्ण स्वास्थ्य योजना है जो योजनाएँ आपात चिकित्सा स्थिति के समय वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगी।

  आरोग्य संजीवनी उत्पाद में दो तरह की योजनाएँ उपलब्ध हैं - 1. वैयक्तिक प्लान और 2. फ्लोटर प्लान।

सामाजिक उद्देश्य के लिए आयोजित अभियान:

हमारे बैंक ने निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ गठजोड़ करके एक स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू किया है। अभियान का लक्ष्य था, शाखाओं द्वारा जुटाए गए प्रत्येक 10000/- प्रीमियम के लिए - एक प्रतिज्ञा बिंदु प्रदान किया जाएगा और प्रत्येक 5 प्रतिज्ञा अंक के लिए निवा बूपा टीम हमारे बैंक की ओर से “हेल्प एज इंडिया" नामक एनजीओ को एक मोतियाबिंद सर्जरी की लागत दान करेगी । बैंक ने हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हेल्प एज इंडिया के लिए 1000 मोतियाबिंद सर्जरी दान करने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया था । हमारी शाखाओं ने चुनौती स्वीकार की और निर्धारित लक्ष्य को पार किया और कुल 5813 प्लेज पॉइंट हासिल किए और इस तरह एनजीओ - हेल्प एज इंडिया को 1144 मोतियाबिंद सर्जरी का अनुदान दिया ।

एएसबीए (निर्गम गतिविधि हेतु बैंकर): भारत में सभी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को एएसबीए समर्थित शाखा बना दिया गया है ताकि वे आइपीओ, एफपीओ और राइट्स निर्गम हेतु एएसबीए आवेदन स्वीकार कर सकें। हमारे ग्राहकों द्वारा ई-एएसबीए का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है । एएसबीए को यूपीआइ प्रक्रिया के माध्यम से भी सक्षम किया गया है।

6491 unemployed youths against the target of training 6455 trainees. Bank has achieved cumulative settlement of 73% and cumulative credit settlement of 53% which are well above the national average of 70% and 43% respectively. All the RSETI are rated AA by MoRD.

Financial Literacy:

Financial Literacy is imparted through Financial Literacy Centers (SNEHA) established at 24 locations under Corporate Social Responsibility. The counsellors of these centers are educating the people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial institutions, provide face-to-face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals. They are also conducting periodical camps at various places. As on 31st March 2022, 75,312 credit counselling have been conducted by the FLCs since inception. 11755 Financial Literacy camps were conducted on various aspects of Banking since inception. 99,377 SB accounts have been sourced and opened since inception. 2,186 Special camps for newly included people in the financial system were conducted by covering 2,46,133 beneficiaries. The target group includes SHGs, Students, Senior Citizens, Farmers and Micro & small entrepreneurs covering 2,28,307 beneficiaries.

Performance on Para-banking Products

Under Bancassurance and Mutual Fund Business, Bank has earned income of Rs.25.52 crores during the financial year 2021-22. Various campaigns and CSR activities across branches were carried out in promoting and increasing our para-banking Income.

Product Launched during the FY 2021-22.

1. Niva Bupa Health Insurance

- **Retail REASSURE Health Insurance Product -** Coverage up to Rs.1.00 Crores- Unlimited reinstatement of Sum Insured applicable for any illness or anyone insured)
- **Retail SENIOR FIRST Health Insurance Product -** provides coverage from 61 to 75 years with lifelong renewal. The plan comes in two variants Gold (up to Rs.10.00 Lakhs coverage) and Platinum (up to Rs.25.00 Lakhs coverage)
- **Group Health Insurance Product- Swasthya Suraksha (Get Fit Health Insurance Product) –** Get Fit Health Insurance Plan offers health insurance for age group of 8 to 65 years under group platform with value added features like tie up with FitPass for offering access to fitness centers, digital fitness coaching. AI fitness coaching access to nutritionist.

2. SBI General Insurance

Property Insurance Products

a. Bharat sookshma Udyam Suraksha Insurance product - coverage of risk upto Rs.5.00 Crores

b. Bharat Laghu Udyam Suraksha Insurance - coverage of risk above Rs.5.00 Crores and up to Rs.50.00 Crores

Home Insurance Products

a. Simple Home Insurance Policy - Home contents are automatically covered at 20% of Sum Insured amount for the building (subject to maximum of Rs 10Lac) under section of Fire and Allied Perils. Policy Tenure up to 3 years.

b. Long-term Home Insurance Policy – Policy Tenure up to 30 years.

Motor Insurance Products

a. Two Wheeler Insurance Product - Accidental damage to vehicle, Third Party Liability, Personal Accident to owner damage available with Rs. 15 Lakh coverage, No Claim Bonus; Pillion rider can also be covered for personal accident for a maximum Sum Insured of Rs. 1 lakh.

b. Private Cars Insurance Product. - Accidental damage to vehicle, Compulsory Third Party Liability with personal accident, Personal Accident to owner damage, No Claim Bonus and Depreciation Reimbursement; Personal Accident Insurance cover of Rs. 15 Lakhs

Health Insurance Products

a. Arogya Plus – Health Insurance cover from Rs.1 Lakh to Rs.3 Lakh with various attractive features

b. Arogya Sanjeevani - Health Insurance cover from Rs.1 Lakh to Rs.5 Lakh with various attractive features

3. Universal Sompo General Insurance

- **Arogya Sanjeevani Health Insurance Product –** A standard health insurance product offering a basic health insurance coverage ranging from Rs.1 Lakh to Rs.5 Lakhs in multiples of Rs.50000. It is an all-in-one health plan that will look after the financial needs at times of medical emergency.

  Two types of plans are available in the Arogya Sanjeevani product – 1. Individual Plan and 2. Floater Plan.

Campaign conducted for Social Cause:

Our Bank has launched a Health Insurance campaign in tie up with Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. The Goal of the campaign was, for every Rs.10000/- premium mobilized by branches - one pledge point will be awarded and for every 5 pledge points scored the NIVA Bupa team will donate the cost of one Cataract Surgery to an NGO – **"Help Age India"** on behalf of our Bank. The Target to our Regional Offices was fixed at 1000 Cataract Surgery donation to Help Age India. Our Branches took up the challenge and had surpassed the assigned target and achieved a total of 5813 Pledge points and thereby donated 1144 cataract surgeries to the NGO – Help Age India.

ASBA (Banker to Issue activity): All our general banking branches in India have been made ASBA enabled branches to accept ASBA applications for IPO, FPO and Rights Issues. E-ASBA continued to be in usage effectively by our Customers. ASBA through UPI process has also been enabled.

डिपॉजिटरी परिचालन: बैंक एनएसडीएल और सीडीएसएल के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के रूप में कार्य कर रहा है और सेवा केंद्र शाखाओं के माध्यम से डिपॉजिटरी संबंधी सेवाओं को प्रदान कर रहा है।

इंस्टा डीमैट खाते : बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को नेट बैंकिंग के माध्यम से तत्काल डीमैट खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।

3 इन 1 ई-ट्रेडिंग सुविधा का एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया गया एवं हमारे डीमैट खाताधारकों को ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए ई-ट्रेडिंग सुविधा लागू की गई है।

ग्राहक सेवा:

डिजिटल बैंकिंग को शामिल करने के साथ ग्राहक सेवा ने एक अलग आयाम कायम किया है। बैंक ने अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाइ) को डिजिटल परामर्दाशदाता नियुक्त किया है और उनके परामर्श से ग्राहक सेवा विभाग ने ग्राहकों की शिकायतों को हल करने और उनका निवारण करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। विभाग ग्राहकों की शिकायतों का तार्किक और स्वीकार्य समाधान प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम टीएटी के भीतर शिकायतों को हल करने और त्वरित समाधान के लिए शिकायत तंत्र का समर्थन करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

इस दिशा में हमने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एक टोल फ्री संपर्क केंद्र को अंतिम रूप दिया है जो ग्राहक सेवा को बढ़ाने और ग्राहक सेवा विभाग के कामकाज में सुधार करने के लिए 360-डिग्री ओमनी चैनल प्रदान करेगा जिससे ग्राहकों को संतुष्टि मिलेगी ।

भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रव्यापी बैंक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण

उपरोक्त के मद्देनजर, आरबीआइ ने बैंकों की शिकायत निवारण प्रणाली के साथ उनकी संतुष्टि के स्तर का आकलन करने के लिए जून-जुलाई 2021 में एक तीसरे पक्ष के विक्रेता के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी बैंक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया है । सर्वेक्षण के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों (12), विदेशी बैंकों (4) और भुगतान बैंकों (2) सहित 30 बैंकों का चयन उनके प्रति लोकपाल और उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण प्रकोष्ठ के कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों के प्रोफाइल के आधार पर किया गया था।

अन्य सभी बैंकों की तुलना में 9 मापदंडों में से, बैंक का स्कोर 6 मापदंडों में औसत से ऊपर रहा है।

शिकायत निवारण तंत्र:

मानकीकृत लोक शिकायत निवारण तंत्र (एसपीजीआरएस) नामक एक वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली मौजूद है, जिससे ग्राहक स्टेटस ट्रैकिंग सुविधा के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज़ कर सकते हैं । जहां तक आंतरिक तंत्र की बात है, एसपीजीआरएस बैंक को कई उपयोगिताएं/ विविधताएं प्रदान करता है, जैसे एस्केलेशन मैट्रिक्स, शिकायतों का बारीक विवरण कैप्चर करता है, जिससे बैंक ग्राहकों को सेवाओं में सुधार करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम होता है। इन विविधताओं के विश्लेषण के आधार पर भविष्य की कार्रवाई और शिकायत निवारण पर नीतियां बनाई जाती हैं। शिकायत विवरण तत्काल आधार पर उपलब्ध हैं और कार्यालयों की विभिन्न परतों द्वारा इस तक पहुंच प्रभावी निवारण तंत्र को सक्षम बनाती है।

ग्राहक को सुविधा प्रदान करने हेतु बैंक ने विभिन्न ग्राहाकोन्मुख पहल की शुरुआत की ।उनमें से कुछ निम्न रूप में सूचीबद्ध हैं:

1. हमने अपने बैंक के आंतरिक शिकायत पोर्टल यानी एसपीजीआरएस को द्विभाषी प्रारूप यानी हिंदी व अंग्रेजी में संशोधित किया है, जिससे ग्राहकों को शिकायत दर्ज़ करने में आसानी होगी।

2. यदि ग्राहक अपनी समस्या के समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो हमने शिकायत को फिर से खोलने का विकल्प दिया है ।

3. एसपीजीआरएस पोर्टल के पास ग्राहक के लिए यह विकल्प मौजूद है कि यदि वह बैंक द्वारा दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वे अपना फीडबैक दर्ज़ कर सकते हैं ।

4. **बैंक ने ग्राहकों को शिकायत दर्ज़ करने के लिए कई विकल्प प्रदान किए हैं:**

   ए) वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड के माध्यम से

   बी) टोल फ्री कॉल सेंटर के माध्यम से

   सी) बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पेज के माध्यम से

   डी) पत्र/ईमेल के माध्यम से।

5. **एकीकृत शिकायत तंत्र**: बैंक ने आइटीडी की मदद से अन्य सभी चैनलों जैसे बैंकिंग लोकपाल, सीपीग्राम्स, आइएनग्राम्स और आरबीआइ आदि के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों को एकीकृत करने के लिए एक टूल विकसित किया है ।

टोल फ्री केंद्र :

- बैंक के पास शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए एक समर्पित 24x7, 360-डिग्री ओमनी चैनल संपर्क सह कॉल सेंटर मौजूद है। सेवा प्रदाता सेवा अनुरोधों से संबंधित डेटा को रिकॉर्ड कर बैंक को प्रेषित करता है जिसके कारण उसका प्रभावी समाधान हो पाता है।

- संपर्क सह कॉल सेंटर ग्राहकों से प्रश्न, अनुरोध और शिकायतें (क्यूआरसी) प्राप्त करता है । इन्हें टोल फ्री सेवा प्रदाता के सीआरएम (ग्राहक संबंध प्रबंधन) कार्यक्रम के तहत दर्ज़ किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए एवं शिकायतों के समाधान आदि के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाता है।

- बैंक ने एजेंटों को डिजिटल बैंकिंग के उत्पादों और इस संबंध में हुए विकास पर प्रशिक्षण प्रदान किया है । एजेंटों को प्रशिक्षण दिया जाता है और ग्राहकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए उन्हें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न प्रदान किए जाते हैं कॉल सेंटर को प्राप्त होने वाली शिकायतें सीधे हमारे एसपीजीआरएस पोर्टल में दर्ज़ की जाती हैं।

एसपीजीआरएस और टोल फ्री टेली सेवाओं के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के अलावा, हम बैंकिंग लोकपाल, भारतीय रिज़र्व बैंक (वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधन और बैंकिंग सेवा & विभाग), वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों तथा आरबीआइ के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग, आदि से प्राप्त शिकायतों का भी निवारण करते हैं ।

Depository Operations: The Bank continues to act as Depository Participant (DP) of NSDL and CDSL and is extending depository related services through service center Branches.

Insta Demat Account: Bank has developed a software to open demat accounts by customers through net banking for immediate opening of Demat Account.

3 in 1 e-Trading facility in tie up with Emkay Global Financial Services Limited & SMC Global Securities Ltd., E-trading facility has been implemented to provide trading facility to our demat account holders.

Customer Service:

Customer Service has taken a different dimension with the induction of Digital Banking. Bank has appointed Ernst & Young (EY) as Digital Consultants and with their consultation Customer Service Department has taken proactive steps to resolve and redress customer complaints. Our Department is constantly striving to provide logical and acceptable solution to customer's grievances. We are also committed to resolve the complaints within TAT and support the complaint mechanism for a speedy resolution.

In this direction we have finalized a Toll Free Contact Centre through tender process which will provide 360-degree Omni Channel to enhance customer service and improve the functioning of Customer Service Department thereby providing customer satisfaction.

RBI's Nationwide Bank Customer Satisfaction Survey

On the above lines, RBI has conducted a nationwide bank customers' satisfaction survey through a third party vendor in June-July 2021 to assess the level of their satisfaction with the grievance redress system of banks. **Thirty banks including all Public Sector Banks, select Private Sector Banks (12), Foreign Banks (4) and Payment Banks (2) were selected for the survey on the basis of the profile of complaints received against them in the offices of Ombudsman and Consumer Education and Protection Cells. Out of 9 parameters, Bank's score is above average in 6 parameters when compared to all other banks.**

Grievance Redressal Mechanism:

A web-based online system called Standardized Public Grievances Redressal Mechanism **(SPGRS)** is in place, enabling customers to lodge complaint online with status tracking facility. As far as the internal mechanism, SPGRS provides number of utilities / MIS to the Bank, like escalation Matrix, granular details of the complaints are captured, enabling the Bank to take corrective action, to improve the services to the customers. Future course of actions and policies on Grievances Redressal are made, based on the analysis from these MIS. Complaint details are available on real time basis and access by various layer of offices enable effective redressal mechanism.

Bank has introduced various customer friendly initiatives, to provide ease to customer. Some of them are listed below:

1. We have modified our Bank's Internal Grievance Portal i.e. **<u>SPGRS into Bilingual format i.e. Hindi and English,</u>** which will give ease to customers to lodge the complaint.
2. We have given the **Option to Re-open the complaint, if customer is not satisfied** with the Redressal of his issue.
3. SPGRS Portal is having option for the customer to **register the feedback of customer** if he is not satisfied with the Redressal by the bank.
4. **Bank has given various option to customers to lodge the complaints:**
   a. Through Online mode by visiting the website
   b. Through Toll Free call Centre
   c. Through Bank's Internet Banking Page
   d. Through Letter/Email.
5. **Integrated Complaint Mechanism:** Bank has with the help of ITD developed a tool to integrate all the complaints received through all other channels like Banking Ombudsman, CPGRAMS, INGRAMS and RBI etc.

Toll Free Center:

- Bank is having dedicated 24x7, 360-degree Omni channel Contact cum Call Centre to receive the complaints and redress them. Service provider also records and pushes the data related to service requests to the Bank, facilitating efficient redressal of the same.
- Contact cum Call Center receives – Queries, Requests and Complaints (QRC) from the customers. These are lodged under the CRM (Customer Relationship Management) Programme of the Toll Free Service Provider and is forwarded to respective departments for further actions, and for resolution of complaints, etc.
- The Bank has provided training on the products and developments taken place in digital banking to the agents. Agents are given training and FAQs are provided to them for updating their knowledge in order to effectively handle queries raised by customers. The complaints so received by the call center gets directly lodged into our SPGRS portal for Redressal.

Apart from SPGRS and Toll Free Tele Services, we also handle complaints received from **Banking Ombudsman, Reserve Bank of India (Senior Supervisory Management and Department of Banking Services), Ministry of Finance and other Ministries and Consumers' Education and Protection Department of RBI,** etc.

आइवीआरएस सुविधा:

• पहले हम आइवीआरएस सुविधा के बिना अनुरोध के आधार पर फोन बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहे थे, जिसमें कॉल सेंटर एजेंट अनुरोध और प्रश्नों के लिए प्राप्त कॉल का जवाब देंगे । ईज़ एजेंडा और आइबीए/बीसीजी परमर्शदाताओं के सुझाव के अनुसार हमने ग्राहको को लागत प्रभावी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और ईज़ रैंकिंग में सुधार करने के लिए फ़ोन बैंकिंग सेवाओं के लिए आइवीआरएस सुविधा लागू की है। इस संबंध में, मेसर्स आइ मार्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो बैंक के संपर्क सह कॉल सेंटर के सेवा प्रदाता हैं, आइवीआरएस सुविधा भी प्रदान करते हैं।

पीएसबी एलायंस डोर स्टेप बैंकिंग:

आइबीए और आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने पीएसबी एलायंस डोर स्टेप बैंकिंग को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है। हालांकि, हमने इसके लिए कई प्रचार संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया है ,लेन - देन की संख्या मे अभी भी वृद्धि होना बाकी है । बैंक ने सोशल मीडिया अभियान, ग्राहकों को थोक एसएमएस, ईमेल और लॉगिन दिवस अभियानों आदि के माध्यम से इस योजना को लोकप्रिय बनाया है। इसमें और अधिक सुधार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम,जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

बैंक ने जागरूकता को बढ़ावा देने और डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं-

- बैंक ने सेवा को बढ़ावा देने के लिए 2 महीने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के शुल्क को माफ कर दिया है।
- शाखाओं/एटीएम में बैनर प्रदर्शित करना
- बैंक की वेबसाइट पर बैनर/विज्ञापन
- इंटरनेट बैंकिंग पर बैनर/विज्ञापन
- मोबाइल बैंकिंग ऐप पर बैनर/विज्ञापन
- सोशल मीडिया अभियान
- आंतरिक परिपत्र/त्रों

पीएसबी एलायंस डीएसबी के लिए प्रचार गतिविधियां:

- विभाग ने योजना के बारे में स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न विशेष अभियान जैसे "लॉगिन डे" और "बैंक आपके द्वार" चलाया है।
- सेवा शुरूआत करने के संबंध में सभी ग्राहकों और सभी स्टाफ सदस्य के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर विशेष एसएमएस भेजा गया।
- जागरूकता फैलाने और सेवा को बढ़ावा देने के लिए सभी शाखाओं में विभिन्न तिथियों पर थीम आधारित ग्राहक सेवा बैठक (हर महीने की 15 तारीख को शिकायत निवारण दिवस) आयोजित की गई ।

विभाग की उपलब्धि:

- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में, बैंक को आरबीआइ-बैंकिंग लोकपाल से कोई अवार्ड (प्रतिपूरक या क्षति संबंधी भुगतान) नहीं मिला है ।**
- **बैंक को डीएसबी पंजीकरण के लिए प्रारंभ किए गए शिखर अभियान में आइबीए से "अर्जित अंकों में शीर्ष उपलब्धिकर्ता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है ।**
- विभाग द्वारा त्रैमासिक शिक्षा शृंखला जारी की जा रही है, जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। विभाग पहले ही प्राप्त शिकायतों और मूल कारणों के विश्लेषण के आधार पर 7 शिक्षाप्रद श्रृंखला परिपत्र जारी कर चुका है।

वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त ग्राहक शिकायतों और निवारण का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22
वर्ष की शुरुआत में शिकायतों की संख्या	3272	2026
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	151084	169599
वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	152330	168775
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2026	2850
प्रभावी समाधान दर	98.68%	98.34%

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 24 घंटों के भीतर 39% शिकायतों का समाधान किया गया । ग्राहक सेवा से संबंधित आरबीआइ मास्टर पॉलिसी के अनुसार, 24 घंटों के भीतर निपटाई गई शिकायतों को शिकायत के रूप में नहीं माना जाता है और इसलिए इसे यहां शामिल नहीं किया जाता है।

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए शिकायतों की श्रेणियां इस प्रकार हैं:

शिकायतों की प्रकृति	सभी चैनलों में शिकायतों की कुल संख्या	कुल शिकायतों का %
गैर-डिजिटल		
अग्रिमों	1545	0.91
ग्राहक सेवा	2061	1.21
डीमैट सेवाएं	108	0.06
जमाएं	1198	0.70

IVRS Facility:

- Previously we were providing Phone Banking Facility on request basis without IVRS facility, wherein call centre agent will respond to the calls received for request and queries. As per EASE agenda and suggestion from IBA/ BCG Consultants we have implemented the IVRS facility for Phone Banking Services to provide cost effective basic services to customer and to improve EASE ranking. In this respect, M/s I Marque Solutions Pvt Ltd who are the service provider for the Bank's Contact cum Call Centre provide IVRS facility also.

PSB Alliance Door Step Banking:

As per the instruction of IBA and RBI guidelines, our bank has implemented PSB alliance Door Step banking successfully. Though, we have organized many promotional activities for the same, the number of transactions are yet to pick-up. Bank has popularized the scheme through Social Media campaign, Bulk SMS to customers, Emails and login days' campaigns etc. Training Programme, awareness camps are being organized at various levels to further improve on this.

Bank has taken steps to promote awareness and encourage usage of Doorstep Banking Services-

- Bank has waived the charges for submission of Digital Life certificate for 2 Months to promote the service.
- by displaying Banners in Branches/ ATMs
- Banner / advertisement on bank Website
- Banner / advertisement on Internet Banking
- Banner / advertisement on Mobile Banking App
- Social Media Campaign
- Internal circular(s)

Promotional Activities for PSB Alliance DSB:

- Department has done various specialized campaigns i.e. "Login Day" and "Bank Aapke Dwar" to spread awareness among staff members regarding the scheme.
- Specialized SMS sent to all customers and all Staff member's registered mobile number regarding launch of service.
- Theme based customer service meeting (Grievance Redressal Day on 15th of every month) held at all the branches various dates to create awareness and promote the service.

Achievement of the Department:

- **In FY 2021-22, Bank has Not received any Award (compensatory or damages related payment) from RBI-Banking Ombudsman.**
- **Bank has received "Top Achievers in Points Earned – Award from IBA" in Shikhar Campaign launched for DSB Registration.**
- **Quarterly Educative Series is** being issued by department, which has yielded good results. Department has already issued 7 Educative series circulars based on complaints received and Root Cause Analysis.

Details of Customer Complaints received and redressed during the year 2021-22 is given below:

Particulars	FY 2020-21	FY 2021-22
Number of complaints at the beginning of the year	3272	**2026**
Number of complaints received during the year	151084	**169599**
Number of complaints resolved during the year	152330	**168775**
Number of complaints pending at the end of the year	2026	**2850**
Effective Resolution Rate	98.68%	**98.34%**

During FY 2021-22, **39% complaints resolved within 24 hours.** As per RBI Master Policy on Customer Service, the complaints redressed within 24 hours are not treated as complaints and hence are not included here.

Categories of Complaints for the year ended 31.03.2022 is as follows:

Nature of Complaints	Total Number of complaints in all Channels	% of Total Complaints
NON- DIGITAL		
Advances	1545	0.91
Customer Service	2061	1.21
Demat Services	108	0.06
Deposits	1198	0.70

सामान्य बैंकिंग	4716	2.78
सरकारी कारोबार	160	0.03
बीमा	427	0.25
एनआरआइ सेवाएं	64	0.03
पेंशन	278	0.16
अन्य	188	0.11
उप योग	**10745**	**6.33**
डिजिटल		
गैर एटीएम	86353	50.93
एटीएम	72501	42.74
उप योग	158854	93.67
कुल योग	**169599**	**100.00**

ग्राहक सेवा समिति

एमडी व सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान समिति की 4 बार बैठक हुई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैठकों में उपस्थिति/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020	आज तक	4/4
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017	आज तक	4/4
3	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	आज तक	4/4
4	सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू	22.07.2016	04.01.2022	3/3
5	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	30.01.2021	04.01.2022	0/3
6	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022	आज तक	1/1
7	श्री दीपक शर्मा	05.01.2022	आज तक	1/1

तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

एनपीए स्टॉक को कम करने और लाभ स्तर में सुधार के लिए बैंक लगातार विभिन्न गतिशील प्रयास अपना रहा है। हालांकि एनपीए वसूली का मुख्य उद्देश्य लाभ को प्रभावित किए बिना संविदागत बकाया की पूर्ण वसूली करना है, लेकिन वास्तव में, विभिन्न कारकों के कारण, बैंक को एनपीए वसूली की रणनीति में बदलाव कर अन्य मार्गों जैसे विधिक तरीकों को अपनाने के स्थान पर समझौता निपटान का मार्ग अपनाना पड़ा है ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने यह पाया है कि क्षेत्रीय स्तर पर विशेष ओटीएस नीति सबसे अच्छी वसूली साधनों में से एक है । विशेष ओटीएस नीति को इस तरह से संशोधित किया गया है कि गैर एनसीएलटी खाते में शाखा के विवेकाधिकार के तहत 10.00 लाख रुपये तक, आरएलसीसी के विवेकाधिकार के तहत 10.00 लाख रुपये से अधिक और 3.00 करोड़ रुपये तक और एचएलसीसी (जीएम) के विवेकाधिकार के तहत 3.00 करोड़ रुपये से अधिक और 25.00 करोड़ रुपये तक बिना किसी लंबी प्रक्रिया के निपटारा किया जा सकता है और ऐसे गैर एनसीएलटी खातों के लिए ओटीएस को मंजूरी देने और इसे उधारकर्ताओं/गारंटरों को बताने के लिए कोई लंबी प्रक्रिया नही की जानी है । इस अवधि के दौरान फील्ड स्तर पर 255.28 करोड़ रुपये राशि वाले 28092 खातों में ओटीएस निपटान किए गए और 178.83 करोड़ रुपये की वसूली की गई है ।

बैंक ने चेक बॉक्स सिस्टम के तहत ओटीएस ऑनलाइन प्रणाली के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को कार्यान्वित किया और इसे लोकप्रिय बनाया है, जिसमें एनपीए उधारकर्ता अपना ओटीएस आवेदन आइओबी ऑनलाइन पर जमा कर सकते हैं जिसके माध्यम से निपटारा होने तक उधारकर्ता अपने प्रस्तावों की स्थिति जानने के लिए उचित ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं । इसके द्वारा उधारकर्ता के साथ-साथ बैंक को भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सक्षम बनाया है ताकि इसके द्वारा कोविड -19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा सके।

बैंक ने ई-बिक्रय प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्च 2022 तक हर महीने सरफेसी अधिनियम के तहत संपत्तियों के लिए पैनइंडिया स्तर पर मेगा ई-नीलामी आयोजित की है । इसके द्वारा बैंक 2684 संपत्तियों की ई नीलामी करने में सफल रहा, जिसमें से 524 नई संपत्तियों की नीलामी वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान की गई। वित्त वर्ष 2021-22 में ई नीलामी के तहत 379.78 करोड़ रुपये में कुल 250 संपत्तियां बेची गईं । सरफेसी के तहत ई नीलामी प्रक्रिया आरंभ करने के कारण, ओटीएस, उन्नयन और एनपीए खातों के पूर्ण रूप से निपटान का मार्ग प्रशस्त हुआ था। सरफेसी कार्रवाई शुरू करने के कारण 404.17 करोड़ रुपये के 317 खातों का निपटान हुआ । अधिक खरीदार लाने के लिए, बैंक ने आइओबी ऑनलाइन में सभी योग्य संपत्तियों के विवरण उपलब्ध कराए हैं जहां संभावित खरीददार संपत्ति के विवरण की खोज कर सकते हैं और नीलामी में भाग ले सकते हैं। बैंक ने हमारी वेबसाइट पर आने वाले संभावित खरीदारों से लीड सृजित करने के लिए एक ट्रिगर टूल विकसित किया है ।

वित्त वर्ष 2021-22 में, ओटीएस के माध्यम से दायर मुकदमे और एनसीएलटी खाते में वसूली, संपत्ति की बिक्री, समाधान / परिसमापन की राशि 1815.88 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल एनपीए वसूली लगभग 4440 करोड़ रुपये है जो पिछले वित्त वर्ष 2020-21 (4037 करोड़ रुपये) में हुई कुल वसूली से अधिक है।

General Banking	4716	2.78
Government Business	160	0.09
Insurance	427	0.25
NRI Services	64	0.03
Pension	278	0.16
Others	188	0.11
Sub total	**10745**	**6.33**
DIGITAL		
Non ATM	86353	50.93
ATM	72501	42.74
Sub total	158854	**93.67**
Grand Total	**169599**	**100.00**

CUSTOMER SERVICE COMMITTEE

The MD &CEO presides over the meetings of the committee. The committee met 4 times during the period 01.04.2021 to 31.03.2022. Number of meetings attended by each member of the committee during the year is as below:

Sl No.	Name of Director	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/ held in FY 2021-22
		From	To	
1	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020	Till Date	4/4
2	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017	Till Date	4/4
3	Ms S Srimathy	10.03.2021	Till date	4/4
4	Ms. Annie George Mathew	22.07.2016	04.01.2022	3/3
5	Shri Navin Prakash Sinha	30.01.2021	04.01.2022	0/3
6	Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022	Till date	1/1
7	Shri Deepak Sharma	05.01.2022	Till Date	1/1

Stressed Asset Management

Bank is continuously adopting various dynamic efforts in reducing the NPA stock and improving the profit level. Though the core objective in NPA recovery is recovery of the entire contractual dues without any hit on the profit front, in practice, due to various factors, the Bank has to shift the strategy for NPA recovery by other means including compromise settlements apart from taking other legal measures as a resort.

During the period under review, Bank has realized that at the field level, one of the best recovery tools that has received very well is the Special OTS policy. The special OTS policy is modified in a such a way that the Non NCLT accounts upto Rs 10.00 Lakh under branch power, above Rs 10.00 Lakh and upto Rs3.00 Cr under RLCC power and Above Rs 3.00 Cr and upto Rs 25.00 Cr under HLCC (GM) power can be settled in hassle free and without taking any long process for sanctioning the OTS for such non NCLT accounts and conveying the same to the borrowers/guarantors. Total no OTS sanctioned during the period at field level is 28092 accounts for amounting of RS 255.28 Cr and recovered Rs 178.83 Cr.

Bank has implemented and popularized our digital platform for OTS online mechanism under the check box system wherein NPA borrowers can submit their OTS application in IOB online which will enable proper tracking system for the borrower to know the status of their proposals till it is resolved. The same also enable to adhere Covid-19 protocol of maintaining the social distancing to the advantage of the Borrower as well as to Bank.

Bank has conducted Mega PANINDIA E-Auctions for the properties possessed under SARFAESI Act till March 2022 every month through E-Bikray platform. And Bank was able to put E auction of 2684 properties, out of which 524 new properties are brought to Auction during Fy 2021-22. Total 250 Properties were sold fetching Rs.379.78 Crores under E auction in FY 2021-22. Due to initiation of E auction procedure under SARFAESI, the same had paved the way in resulting in OTS, upgradation and full closure of NPA accounts. There was a resolution in 317 accounts involving Rs. 404.17 Crores due to initiation of SARFAESI action. In order to bring more buyers, Bank has made available all the eligible properties details in IOB Online where prospect buyer can search the property details and participate in Auction. Bank has developed a trigger tool to generate leads from the prospective buyers who visit our website.

In FY 2021-22, recovery in suit filed & NCLT account through OTS, sale of asset, resolution/liquidation was to the tune of Rs 1815.88 Crores. The total NPA recovery is around Rs 4440 Cr for the FY 2021-22 which is more than the total recovery in the previous FY 2020-21 (Rs. 4037 Cr).

आरटीआइ अधिनियम के तहत प्राप्त याचिकाओं का निपटान :

बैंक में आरटीआइ के तहत प्राप्त आवेदनों और अपीलों की देख-रेख के लिए एक पृथक और विशेषीकृत कक्ष है जिसका नाम आरटीआइ कक्ष है । यह आरटीआइ कक्ष सहायक महाप्रबंधक, विधि विभाग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम कर रहा है, जिसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआइओ) के रूप में भी नामित किया गया है । बैंक ने क्षेत्रीय प्रबंधकों को केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआइओ) के तौर में भी नामित किया है ताकि आरटीआइ आवेदनों को निर्धारित समय सीमा (अर्थात आरटीआइ आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन) में निपटाने में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआइओ) को सहायता मिल सके। हमारे बैंक में 48 सीएपीआइओ हैं ।

बैंक ने महा प्रबंधक, विधि विभाग को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया है ताकि सीपीआइओ और सीएपीआइओ के जवाब से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील का निपटान कर सके ।

सूचना प्राप्ति के लिए बैंक को वर्ष 2021-22 में आरटीआइ अधिनियम, 2005 के तहत 1616 आरटीआइ आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों का आरटीआइ अधिनियम, 2005 के प्रावधान के तहत विधिवत रूप से निर्धारित समयावधि में सीपीआइओ और सीएपीआइओ द्वारा निपटारा किया गया । सीपीआइओ और सीएपीआइओ के जवाब से असंतुष्ट थे उनसे बैंक को 366 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई है और एफएए द्वारा उनका निपटान आरटीआइ अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार समुचित विधिवत आदेश पारित कर के किया गया ।

सीपीआइओ/सीएपीआइओ और एफएए के जवाब से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं द्वारा द्वितीय अपील माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के समक्ष दायर की गई । सूचना आयुक्त के समक्ष सीआइसी की सुनवाई के लिए बैंक को 35 बुलावा पत्र प्राप्त हुए हैं। सभी द्वितीय अपीलों का निराकरण बैंक के विरुद्ध बिना किसी प्रतिकूल टिप्पणी के सूचना आयुक्त द्वारा गुण-दोष के आधार पर समुचित आदेश पारित कर विधिवत रूप से किया गया।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। बैंक द्वारा अपनी जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते समय अपनी गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के जोखिम लिए जाते हैं। प्रत्येक बैंक द्वारा किया गया लेन-देन उसके जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित करता है। बैंक की सामान्य व्यापार कार्यप्रणाली में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम सहित विभिन्न जोखिम शामिल रहते हैं । जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम लेने की गतिविधि को रोकना या मना करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों को पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ लिया जाए ताकि इसे मापा और कम किया जा सके। इस तरह के जोखिमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और अपने जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से, बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपायों और पद्धतियों को लागू किया है जिसमें नीतियां, उपकरण, तकनीक, निगरानी तंत्र और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं ।

बैंक, निरंतर आधार पर, जोखिम और विवरणी के बीच उचित ट्रेडऑफ प्राप्त करके शेयरधारक मूल्यों को बढ़ाने और अधिकतम करने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों में व्यापक रूप से बैंक के समग्र जोखिम दर्शन को स्पष्ट करने की दृष्टि से जोखिमों की उचित पहचान, माप, निगरानी, नियंत्रण और न्यूनीकरण शामिल है। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन रणनीति जोखिम की समझ और बैंक की जोखिम क्षमता के स्तर पर आधारित है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के निर्धारण के माध्यम से बैंक की जोखिम उठाने की क्षमता को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है ।

बैंक ने बैंक में उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना स्थापित की है। बोर्ड की एक उप-समिति द्व्रारा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी), का गठन किया जाता है जो बैंक में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है । बैंक ने आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियां भी गठित की हैं, जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए निधि समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और उत्पाद / प्रक्रिया जोखिम शमन परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए समिति (पीआरएमसी), और सूचना सुरक्षा के प्रबंधन के लिए सूचना सुरक्षा समिति ।

बैंक के केंद्रीय कार्यालय में एक पूर्ण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्य कर रहा है, जो बैंक में सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और पद्धतियों को लागू करने के लिए व्यावसायिक विभागों से स्वतंत्र है। बैंक के महा प्रबंधक के पद के मुख्य जोखिम अधिकारी विभाग के प्रभारी होते हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के संयोजक होते हैं ।

जोखिम प्रबंधन में अधीनस्थ कार्यालय, ट्रेजरी, विशेष रूप से, और सामान्य रूप से अन्य कार्यात्मक विभाग / शाखाएं भी जोखिम प्रबंधन कार्य करती हैं और नीतियों, जोखिम सीमा ढांचे और आंतरिक अनुमोदन के पालन/अनुपालन की निगरानी करती हैं। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के ऋण जोखिम की निगरानी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम प्रबंधकों को नामित किया गया है। विभिन्न एमआइएस जमा करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय के साथ समन्वय करने के अलावा, वे क्षेत्रीय स्तर की ऋण अनुमोदन समितियों में भाग लेते हैं ।

जोखिम प्रबंधन का मूल दृष्टिकोण अधिक प्रभावी रूप से इसकी उत्पत्ति के बिंदु पर जोखिम को नियंत्रित करने पर निर्भर है । 01.04.2013 को बेसल III दिशानिर्देशों को लागू किया गया था और दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक पूंजी का अनुरक्षण कर रहा है । आरबीआइ द्वारा बेसल III में 9% की न्यूनतम पूंजी व 2.5% की पूंजी संरक्षण बफर सहित 13.83% समग्र सीआरएआर निर्धारित किया गया है । बेसल-III फ्रेमवर्क तीन परस्पर प्रबल स्तंभों पर आधारित है। जबकि संशोधित ढांचे का पहला स्तंभ ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता से सम्बंधित है, पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया का दूसरा स्तंभ यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास अपनी जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रित वातावरण के साथ-साथ व्यवसाय में सभी जोखिमों से बचाव के लिए पर्याप्त पूंजी है। । आरबीआइ के परिपत्र के अनुसार, बैंक ने दूसरे स्तंभ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू किया है। बैंक को पहले स्तंभ जोखिमों के तहत नियामक निर्देशों संबंधी इस नीति का उद्देश्य उन सभी भौतिक जोखिमों का आकलन करना है और निरंतर आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति है पर्याप्त पूंजीगत ढांचा सुनिश्चित करते हैं ।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2 दिसंबर 2013 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में असाधारण लेकिन संभाव्य घटनाओं के लिए संगठन की संभावित भेद्यता के आकलन हेतु एक "तनाव परीक्षण ढांचा" तैयार

Disposal of petitions received under RTI Act:

RTI applications and appeals are handled by a separate and specialized cell called RTI Cell in the Bank. The RTI Cell is working under the control and supervision of Assistant General Manager, Law Department, who is designated as Central Public Information Officer (CPIO). Bank has also designated Regional Managers as Central Assistant Public Information Officer (CAPIO) to assist CPIO in disposing RTI applications within the prescribed time frame (i.e. 30 days from the receipt of RTI application). There are 48 CAPIOs in our Bank.

Bank has designated General Manager, Law Department as First Appellate Authority (FAA) for disposing of appeals filed by the appellants who were aggrieved with the reply of CPIO and CAPIOs.

Bank has received 1616 RTI applications under RTI Act, 2005 seeking information in the year 2021-22. All applications were duly disposed as per the provision of RTI Act, 2005 by CPIO and CAPIOs. Bank has received 366 first appeals from those who were not satisfied with the reply of CPIO and CAPIOs and they were duly disposed by FAA by passing appropriate order on merits and as per the provisions of RTI Act, 2005.

The appellants who were aggrieved with the reply of CPIO/ CAPIO and FAA have preferred second appeal before Honorable Central Information Commission, New Delhi. Bank has received 35 summons for CIC hearing before Information Commissioner. All the second appeals were duly disposed of by Information Commissioner by passing appropriate orders on merits without any adverse remarks against the Bank.

Risk Management

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which include policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate tradeoff between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Risk Management Committee (CRMC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO), Funds Committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee (ORMC) and Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) for managing operational risk, and Information Security Committee for managing Information security.

A full-fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convener for all the internal risk management committees.

The Mid-Office in Risk Management, Treasury, in particular, and other functional departments/ branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been nominated at Regional Offices to oversee the credit risk of the respective regional offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committees.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per the guidelines. Minimum Capital of 9% and Capital Conservation Buffer of 2.5% with overall CRAR of 13.83 % have been prescribed by RBI in their BASEL III. The Basel-III Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI Circular, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a “Stress Testing framework” to assess the potential vulnerability of the organization to

किया है। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेष रूप से बैंक को आर्थिक मंदी के समय में भौतिक जोखिम के संबंध में, एक पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिमों की पहचान करने में सक्षम बनाता है और तदनुसार उससे निपटने के लिए उपयुक्त सक्रिय कदम उठाता है। नीतिगत निर्देशों के अनुसार, बैंक समय-समय पर अपने तुलन पत्र और विशिष्ट पोर्टफोलियो पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और रिपोर्ट एल्को/आरएमसीबी/बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करता है ।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापार निरंतरता योजना और आपदा वसूली योजना लागू है । शून्य डेटा हानि की सुविधा के लिए 3-तरफा डेटा केंद्रों को स्थापित किया गया है, सभी 3 डेटा केंद्रों और केंद्रीय रूप से एकाधिक एमपीएलएस-वीपीएन उच्च बैंडविड्थ कनेक्शन, विभिन्न वैकल्पिक सेवा / वैकल्पिक प्रदाताओं से दोहरी कनेक्टिविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक माध्यम स्थापित किए गए हैं । फ़ायरवॉल और सेंधमारी का पता लगाने वाले सिस्टम को कार्यान्वित किया गया है ।

सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग द्वारा सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के लिए एक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की गई है, जबकि आइएस ऑडिट अनुभाग बैंक के विभाग और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा का ध्यान रखता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ किया है। हर तिमाही में नियमित डीआर अभ्यास किया जा रहा है। नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बाहरी विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण अभ्यास आयोजित किए जाते है ।

बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का अद्यतन करने और बेसल III ढांचे के तहत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोणों में माइग्रेट करने की भी प्रक्रिया में है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी तरलता जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों में विभिन्न पैमानों पर पृथक रूप से घरेलू परिचालन और विदेशी परिचालन सहित समेकित बैंक परिचालनों को तैयार और प्रस्तुत करना शामिल है। बैंक ने आरबीआइ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में प्रणाली और प्रक्रिया तैयार की है।

आरबीआइ ने बैंको के संभावित तरलता व्यवधानों के लिए अल्पकालिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) पेश किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र तनाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) हो । बैंको के लिए आरबीआइ के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता 100% 1 जनवरी 2019 से प्रभावी है । बैंक एलसीआर को न्यूनतम निर्धारित स्तरों से काफी अधिक बनाए हुए है। अचानक नकदी प्रवाह को पूरा करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त तरलता है।

आरबीआइ ने बैंकों को निरंतर आधार पर अधिक स्थिर निधियन स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि के हेतु बैंकों की आधात- सहनीयता को बढ़ावा देने के लिए नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर) की शुरुआत की। 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी आरबीआइ दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर आवश्यकता 100% है।

बैंक एनएसएफआर को न्यूनतम निर्धारित स्तरों से काफी ऊपर बनाए हुए है। बैंक का अधिकांश वित्तपोषण खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से होता है, जो निधियन की स्थिरता के संबंध में उच्च स्थिरता प्रदान करते हैं। लंबी अवधि हेतु निरंतर आधार पर अपनी गतिविधियों को निधि देने के लिए बैंक के पास वित्त पोषण के पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं ।

बेसल III ने एक सरल, पारदर्शी और गैर-जोखिम आधारित लीवरेज अनुपात पेश किया है, जिसे जोखिम आधारित पूंजी आवश्यकता के लिए एक विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए सुविचारित किया गया है। बैंक लीवरेज अनुपात पर नियामक आवश्यकता का अनुपालन कर रहा है और जून, 2015 को समाप्त तिमाही दर तिमाही आधार पर आरबीआइ को रिपोर्ट कर रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से बेसल III पूंजी अनुपात का खुलासा करने वाले बैंको के साथ 1 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए भारत में बेसल III पूंजी विनियमों के कार्यान्वयन पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं । बैंक उनका अनुपालन कर रहा है ।

बेसल-III ढांचे का तीसरा स्तंभ बाजार अनुशासन को संदर्भित करता है । बाजार अनुशासन का उद्देश्य स्तंभ 1 के तहत विस्तृत न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं और स्तंभ 2 के तहत विस्तृत पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में और जैसा कि आरबीआइ द्वारा निर्देशित है, बैंक में जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटीकरण का एक सेट (गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों) डीएफ 1 से 11 (संलग्न) में प्रकाशित किया गया है। जो बाजार सहभागियों को (ए) आवेदन के दायरे (डीएफ-1), (बी) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (सी) ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (डी) ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-4) के अधीन पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण, (ई) ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ- 5), (एफ) प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (जी) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-7), (एच) परिचालन जोखिम (डीएफ-8), (आइ) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी) (डीएफ-9), (जे) काउंटर पार्टी ऋण जोखिम (डीएफ-10), (के) पूंजी की संरचना (डीएफ (11) और (एल) लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (डीएफ-18) से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण की महत्त्वपूर्ण जानकारी का आकलन करने में सक्षम करेगा । यह बाजार सहभागियों को विभिन्न मानकों में बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा ।

XIX. ऋण निगरानी:

बैंक ने एसएमए खातों के अनुवर्तन व वसूली के लिए और क्रेडिट की बारीकी से निगरानी के लिए कई रणनीतियों को लागू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्लिपेज को न्यूनतम संभव स्तरों पर रखा जा सके ।

खातों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लागू किए गए उपाय: बैंक द्वारा बढ़े हुए स्लिपेज के संभावित जोखिम को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं,

- **एसएमए और संभावित स्लिपेज की रिपोर्ट प्रत्येक महीने के पहले दिन सृजित किया जाता है** और अद्यतित रिपोर्ट सभी कर्मचारियों को दैनिक आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उपलब्ध करवाई जाती है ।
- **<u>स्पेशल मेंशन खाता (एसएमए) पोर्टल</u>** सभी एसएमए खातों पर डेटा, आयु प्रोफ़ाइल का विवरण और दैनिक वसूली की स्थिति

exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable proactive steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests periodically on bank's balance sheet and specific portfolios and places the reports to ALCO/ RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3-way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centers and Central, Dual connectivity from different alternate service/ alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented.

A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information System Security Department to monitor and analyses the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. The bank has fine-tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel III framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines.

RBI had introduced the Liquidity Coverage Ratio (LCR) in order to ensure short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The minimum LCR requirement set out in the RBI guidelines for the bank effective January 1, 2019 is 100%. The Bank is maintaining LCR well above the minimum prescribed levels. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.

RBI introduced the Net Stable Funding Ratio (NSFR) in order to promote resilience of Banks over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. The minimum NSFR requirement set out in the RBI guidelines effective October 1, 2021 is 100%.

The Bank is maintaining NSFR well above the minimum prescribed levels. Bank's majority funding is from Retail and Small Business customers, which provide high stability with regard to stability of Funding. Bank is having enough stable sources of funding to fund their activities on an ongoing basis over a longer-term time horizon.

Basel III has introduced a simple, transparent and non-risk based leverage ratio, which is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. Bank has been in compliance with the regulatory requirement on Leverage ratio and reporting to RBI on a quarterly basis from the quarter ending June, 2015.

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The third pillar of Basel-III framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10),(k) Composition of Capital (DF (11) and (L) Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

Credit Monitoring:

Bank has implemented several strategies for follow-up and recovery of SMA accounts and for closer monitoring of credit to ensure that slippages are kept at the minimum possible levels.

Measures implemented during FY 2021-22 for effective monitoring of accounts: The following are the measures taken by Bank to address potential risk of increased slippage,

- **SMA and Probable Slippages Reports for the month is generated on the first day of every month** and updated report is made available to all the Staff for follow-up on daily basis.
- The **Special Mention Accounts (SMA) portal** provides

प्रदान करता है । शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्यों को आबंटित सभी एसएमए खातों की शाखाओं/क्षे.का और के.का द्वारा दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है ।

- अतिदेय के पुनर्भुगतान के लिए अनुस्मारक के रूप में नियमित रूप से **एसएमएस अलर्ट** भेजे जाते हैं । इसके अलावा, शाखाओं के सभी कर्मचारियों को अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली के लिए एसएमएस अलर्ट भी भेजे जाते हैं ।

- एसएमए उधारकर्ताओं से 15 दिनों के भीतर टेलीफोनिक अनुवर्तन का जवाब नहीं मिलने पर, उनसे **व्यक्तिगत रूप से** मिलकर अनुवर्तन किया जाता है ।

- के.का के महा प्रबंधकों के द्वारा रु. 50 लाख और उससे अधिक के बकाया वाले एसएमए खातों की **प्रत्येक महीने समीक्षा** की जा रही है ।

- **विदेशी शाखाओं के एसएमए खातों** की भी मासिक आधार पर महा प्रबंधक समिति द्वारा समीक्षा की जाती है ।

- एसएमए उधारकर्ताओं को **सिस्टम जनित पत्र** हर महीने शाखाओं द्वारा भेजे जाते हैं, जिनमें अतिदेय का उल्लेख होता है और शीघ्र नियमित करने का अनुरोध किया जाता है ।

- **गार्जियन म.प्र की अवधारणा** केअनुसार जहां कॉर्पोरेट कार्यालय के म.प्र आबंटित क्षे.का की स्लिपेज को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेते हैं ।

- खुदरा ऋण और एमएसएमई के एसएमए / सिनपा खातों में अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली के लिए **एक आउटबाउंड कॉल सेंटर** की सेवाएं भी ली जा रही हैं । कॉल के अलावा वॉयस ब्लास्ट सुविधा का उपयोग अतिदेय उधारकर्ताओं को पूर्व-रिकॉर्डेड संदेश भेजने के लिए भी किया जाता है, जिन्होंने उन्हें अपना बकाया जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान की ।

- **पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) :** बैंक के पास एक मजबूत ईडब्ल्यूएस समाधान मौजूद है । एक्सपोज़र बैंक के स्तर पर उधार देने की व्यवस्था जहाँ उधार रु. 3.00 करोड़ रुपये या उससे अधिक है (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों) के जोखिम वाले साथ सभी खातों को कवर करता है ।

उपरोक्त उपायों को अपनाकर बैंक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी स्लिपेज पर बेहतर नियंत्रण करने और स्पेशल मेंशन खातों की वसूली और नियमितीकरण को अधिकतम करने में सक्षम है ।

ऋण समीक्षा तंत्र:

- **स्टॉक ऑडिट प्रक्रिया द्वारा** रु. 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक बकाया कार्यशील पूंजी (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों) वाले सभी खातों को मजबूत किया गया है । स्टॉक लेखा परीक्षा समीक्षा नोट केंद्रीय कार्यालय में महा प्रबंधक समिति को प्रस्तुत किए जा रहे हैं और समिति की टिप्पणियों को क्षे.का / शाखाओं को सूचित किया जा रहा है । स्टॉक लेखापरीक्षा प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया है ।

- **विशेष निगरानी के लिए एजेंसी** विभाग ने एएसएम को उन खातों के लिए आबंटित किया है जहां सीसीडी / एमएसएमई ने स्वीकृतियों में एएसएम की नियुक्ति निर्धारित की है । आबंटन को आइबीए एएसएम पैनलबद्ध सूची से सीलबंद कोटेशन मांगकर किया जाता है ।

- घरेलू खातों के लिए 50 लाख रुपये और उससे अधिक के जोखिम वाले खातों के लिए और विदेशी खातों के लिए 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के जोखिम वाले खातों का हर साल **क्रेडिट अनुपालन ऑडिट** किया जाता है । खाते को निम्न/मध्यम/उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए हाल ही में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप को संशोधित किया गया है ।

अनुपालन कार्य:

- o मुख्य अनुपालन अधिकारी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और/या बोर्ड/बोर्ड समिति (एसीबी) को रिपोर्ट करते हैं और विभिन्न नीतियों की मंजूरी और प्रशासनिक बैठकों में प्रभावी रूप से सहभागिता करते हैं ।

- o भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की अपनी परिभाषित अनुपालन नीति है और अनुपालन कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रणाली और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। विनियामक दिशा-निर्देशों पर समय-समय पर आवश्यक परिपत्र/अनुदेश जारी किए जाते हैं। सभी शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय विभागों में अनुपालन अधिकारी हैं जो अनुपालन कार्य का प्रबंधन कर अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं ।

- o शाखाओं में सांविधिक/नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन स्तर की जांच करने के लिए और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शाखाओं के अनुपालन के भौतिक सत्यापन (पीवीआरओ) और स्व-मूल्यांकन अनुपालन प्रमाणपत्र (एसएसीसी) के माध्यम से आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। एसएसीसी द्वारा शाखाओं का समग्र अनुपालन स्तर 99.71% और पीवीआरओ 99.49% है। विदेशी शाखाओं के अनुपालन को भी सितंबर 2021 से मुख्य अनुपालन अधिकारी के तहत लाया गया है ।

- o समग्र अनुपालन स्तर बोर्ड की समिति / लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है ।अनुपालन कार्यान्वयन की वार्षिक समीक्षा एवं शाखाओं के अनुपालन स्तर में सुधार के लिए आगे उठाए जाने वाले कदमों की रिपोर्ट बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती है। बैंक ने अपने इंट्रानेट पर नॉलेज मैनेजमेंट टूल नामक एक वेब पोर्टल प्रदान किया है, जिसके माध्यम से आरबीआइ, सेबी आदि जैसे विभिन्न विनियामकों के सभी विनिमय व दिशा-निर्देशों को एक स्थान पर एक्सेस किया जा सकता है ।

- o संचार और बातचीत के विभिन्न रूपों के माध्यम से स्टाफ सदस्यों के बीच अनुपालन संस्कृति विकसित की जा रही है। बैंक स्वचालित उपकरणों के माध्यम से अधिकारियों के व्यक्तिगत अनुपालन की प्रारम्भिक निगरानी की प्रक्रिया में है ।

निरीक्षण

- o वर्ष के दौरान, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा(आंतरिक निरीक्षण) में लेखापरीक्षा बिंदुओं की समीक्षा की गई और उन्हें वर्तमान परिपत्रों और दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए संशोधित किया गया । लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुपालन स्तर में सुधार लाने, नियंत्रण क्षेत्रों में सुधार करने के लिए और जीरो टॉलरेंस क्षेत्रों

data on all SMA Accounts, details of age profile and daily recovery status. All SMA accounts allotted to all Staff members of the branches are being monitored by Branches/RO and CO on a daily basis.

- **SMS Alerts** are sent to SMA borrowers at regular frequencies as a reminder for repayment of overdues. Besides, SMS Alerts are also sent to all the staff of Branches for follow-up and recovery.
- SMA Borrowers not responding to telephonic follow-up within 15 days are followed up through **personal visits.**
- S**MA accounts** with the outstanding of Rs.50 lakhs and above are being **reviewed every month** by GMs committee at C.O.
- **SMA accounts of overseas Branches** are also reviewed by GMs Committee on a monthly basis.
- **System generated Letters** to SMA borrowers are sent every month by branches, mentioning overdues and requesting early regularization.
- The **concept of Guardian GM** is in place whereby GMs at the Corporate office take responsibility of controlling slippage of ROs allocated to them.
- Services of an **Outbound Call Centre** is also engaged in order to follow up and recovery in SMA/SINPA accounts of Retail credit & MSME. Apart from the calls **Voice Blast** facility is also used to send pre-recorded messages to the overdue borrowers persuaded them for paying their dues at the earliest.
- **Early Warning Signals (EWS):** Bank has a robust EWS solution in place. The solution covers all accounts with exposure of Rs. 3.00 Crores or more (both fund and non-fund based) at the level of a bank irrespective of the lending arrangement.
- By adopting the above measures the Bank has been able to administer better control on its slippages for FY 2021-22 and maximize recovery and regularization of Special Mention Accounts.

Loan Review Mechanism:

- **Stock Audit procedures** have been strengthened for all accounts with working capital outstanding (both fund based and non-fund based) Rs.5 crores and above. Stock Audit review notes are being placed to the GMs Committee at Central Office and observations of the Committee are being advised to RO/Branches. Stock Audit process has been automated.
- **Agency for Specialised Monitoring** Department has allocated ASM for accounts wherever CCD/MSME has stipulated ASM appointment in the sanctions. Allotment is done by calling for sealed quotations from IBA ASM empanelled list.
- **Credit Compliance Audit** is done for accounts with an exposure of Rs.50 lakhs and above for domestic accounts and for accounts with exposure Rs.1 crore and above for overseas accounts. Audit is done every year. The Audit report format is recently revised to classify the Account as Low/Moderate/High Risk.

Compliance Function:

- Chief Compliance Officer report to MD & CEO and/ or Board/Board Committee (ACB) of the bank and effectively participate in various policies clearance and governance meetings.
- The Bank has well defined Compliance Policy as per Reserve Bank of India guidelines and has in place systems and procedures for managing Compliance functions. Necessary circulars/instructions on the regulatory guidelines are being issued periodically. All branches, Regional Offices and Central Office departments have Compliance Officers who are managing compliance function and submitting compliance certificates.
- Compliance level of the statutory/ regulatory guidelines in branches are ensured through Self-Assessment Compliance Certificate (SACC) by the branch compliance officer and Physical Verification of Compliance of Branches by Regional Office (PVRO). Overall compliance level of the branches by SACC is 99.71% and PVRO is 99.49% . The overseas branches compliance is also brought under CCO with effect from September 2021.
- The overall compliance level is submitted to Board/ Audit Committee of the Board. Annual review of compliance function and further steps initiated for improving Compliance Level of branches are also submitted to Audit Committee of the Board. The Bank has provided a Web Portal viz., Knowledge Management Tool in Bank's intranet wherein all the regulations, guidelines of the various regulators like RBI, SEBI etc., can be accessed at a single point.
- Compliance culture is being inculcated among the staff members though various forms of communication and interactions. Bank is also in the process of intruding Monitoring of Individual Compliance of Officers through automated tools.

Inspection

- During the year, audit points in the Risk Based Internal Audit (Internal Inspection) was revisited and were revised to reflect the present circulars and guidelines in force. To

को 9 से बढ़ाकर 10 करने के लिए लेखापरीक्षा पैकेज को संशोधित किया गया । अनियमितताओं के लिए नकारात्मक अंक दिए जा रहे हैं जो इकाई के अंतिम जोखिम रेटिंग को प्रभावित करता है । नियंत्रण प्रणाली के अधिक क्षेत्रों को कवर कर के लिए ऑफसाइट कंट्रोल एंड सर्विलांस (ओसीएएस) अलर्ट बढ़ाए गए हैं ।

- o बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनिवार्य जोखिम न्यूनीकरण योजना के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली में सुधार किया है और भविष्योन्मुखी जोखिम रेटिंग के लिए ओएमयू-प्रोब और गतिशील जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल शुरू किया है।

- o प्रत्येक गतिविधि में दृष्टिकोण के संरचित तरीके के साथ विभाग के कामकाज की दक्षता बढ़ाने के लिए, विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों जैसे स्टॉक लेखापरीक्षा, फोरेंसिक ऑडिट और आय रिसाव, लेखापरीक्षा कार्यालयों / विभागों के कामकाज के संबंध नियमित रूप से मानक परिचालन प्रक्रिया का पुनरीक्षण करता है। संशोधित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप विभिन्न कार्यों जैसे विशेष रिपोर्ट में पर्याप्त कमी, आय रिसाव, लेखा परीक्षा रिपोर्ट समाप्ति और ओकास अलर्ट में सुधार हुआ है।

- o वर्ष के दौरान, परिपत्र/दिशानिर्देशों के साथ फिनेकल मिलान में निर्धारित पैरामीटर की जांच के साथ-साथ सीबीएस संबंधित नियंत्रणों के सत्यापन के लिए आइटीडी में कार्यात्मक लेखापरीक्षा को बढ़ाया गया था और निष्पादन पर आउटपुट वांछित परिणाम प्रदान करता है। निष्कर्षों के परिणामस्वरूप परिचालन स्तर पर विसंगतियों/त्रुटियों का उन्मूलन और सीओ/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की उपलब्धि के रूप में परिणामित हुए हैं।

- o वर्ष के दौरान, परिपत्र/दिशानिर्देशों के साथ फिनैकल मिलान में निर्धारित पैरामीटर की जांच के साथ-साथ सीबीएस से संबंधित नियंत्रणों के सत्यापन के लिए आइटीडी में कार्यात्मक लेखापरीक्षा को बढ़ाया गया था और निष्पादन पर आउटपुट वांछित परिणाम प्रदान करता है। निष्कर्षों के परिणामस्वरूप परिचालन स्तर पर विसंगतियों/त्रुटियों को समाप्त किया गया है और केंद्रीय कार्यालय/ विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की उपलब्धि प्राप्त की गई है।

- o बैंक ने समवर्ती लेखापरीक्षा करने के लिए 636 शाखाओं का चयन किया है जो 50% जमाराशियों और 60% कुल अग्रिमों को कवर करती हैं । वर्ष के दौरान समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली की ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए खरीदे गए सॉफ्टवेयर (ईटीएचआइसी पैकेज) को लागू किया गया था । कार्योन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में समवर्ती लेखा परीक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कीं । शाखा लेखा परीक्षा आयोजित करते समय समवर्ती लेखा परीक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए बैंक ने 'समवर्ती लेखा परीक्षा नियमावली' जारी की है । जोखिम मूल्यांकन में सुधार और रिपोर्टिंग पहलूओं में से बचाव करते हुए ऑनलाइन पैकेज आरबीआइए (आंतरिक निरीक्षण) और समवर्ती लेखापरीक्षा के तहत भविष्य में रिपोर्टिंग के एकीकरण तथा दोहराव को रोकते हुए रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है ।

- o भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के अनुरूप, आंतरिक लेखापरीक्षा संचालन के लिए बैंक ने सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की है । समवर्ती लेखा परीक्षा आयोजित करने और जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा में सहायता के लिए विभिन्न केंद्रों पर 126 पैनलबद्ध सेवानिवृत्त अधिकारी (ईआरओ) तैनात हैं। ये ईआरओ, कमियों की पहचान करने के अलावा, स्टाफ सदस्यों को सुधार के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं।

- o विभाग ने सभी इकाइयों के जोखिम आधारित प्रबंधन के लेखा परीक्षण के संचालन को पुनः डिजाइन किया है । लेखापरीक्षा सभी इकाइयों में प्रबंधन कार्यों की प्रभावकारिता का आकलन करेगी और पहचानी गई किसी भी विषमता को दूर करने के लिए कार्य योजना का सुझाव देगी ।

- o कार्यपालक लेखा परीक्षा समिति (एसीई) की बैठक मासिक आधार पर आयोजित की जा रही है । वर्ष के दौरान, बैंक के सभी नियंत्रण क्षेत्रों को कवर करने के लिए मानकीकृत कार्यसूची को संशोधित किया गया है । बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को एसीई बैठक के कार्यवृत्त की जानकारी दी जाती है । वर्तमान वर्ष में 7 बैठकों का आयोजन किया गया ।

- o वर्ष के दौरान, ऑफसाइट निगरानी इकाईके कामकाज को बढ़ाया गया और अपवाद रिपोर्ट की नियंत्रण उन्मुख सृजन की पहचान की गई है । अनुपालन के लिए रिपोर्टों को शाखाओं / क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है । लेखा परीक्षा पूर्व जानकारी प्रदान करने हेतु अंचल लेखापरीक्षा कार्यालयों के साथ रिपोर्टों के परिणाम साझा किए जाते हैं ताकि ऑनसाइट लेखापरीक्षा के संसाधनों को कम और लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके ।

- o सीबीएस परिचालन की लेखापरीक्षा निरंतरता से बाहरी सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा फर्म द्वारा की जाती है । सूचना प्रणाली (आइएस) लेखापरीक्षा को मजबूत करने के लिए, बैंक ने अनुभवी और पेशेवर आइएएस लेखापरीक्षक नियुक्त किए हैं ।

सतर्कता:

वर्ष 2021-22 के दौरान "कारोबार पहले, निवारक सतर्कता हमेशा" के विषय के साथ, बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निवारक सतर्कता और सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न प्रभावी कदम उठाए है ।

1. **निवारक सतर्कता गतिविधियाँ:** वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित निवारक सतर्कता पहल आयोजित की गईं:

क) सीवीसी ने अपने पत्र संदर्भ संख्या 021/एमएससी/024/496468 दिनांक 26.10.2021 के माध्यम से वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ निवारक सतर्कता गतिविधि के लिए चयनित आइओबी और विभाग अधिकारी के साथ सीवीओ ने नई दिल्ली में 01.11.2021 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से पुरस्कार प्राप्त किया है।

ख) वर्ष के दौरान विभाग द्वारा आठ प्रणालीगत सुधार गतिविधियों का सुझाव दिया गया। इसके अलावा जीएल हेड के खर्च के प्रावधान से 30.67 करोड़ रुपये व एमएसएमई आभूषण ऋण में 2.59 करोड़ रुपये के राजस्व रिसाव की वसूली की गई और उससे बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि हुई।

ग) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, डीएफएस, सीवीसी, आरबीआइ, सीबीआइ और अन्य सहित विभिन्न स्रोतों से कुल 253 शिकायतें प्राप्त हुईं। जहां कहीं भी अत्यधिक सतर्कता देखी गई, ऐसी शिकायतों का निवारण सीवीसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार तार्किक उपाय मिलने के बाद ही किया गया और कोई भी शिकायत 3 महीने से अधिक लंबित नहीं है।

घ) विभाग ने 22 सीटीई प्रकार के निरीक्षणों की जांच की है और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और सहायक

improve the compliance level on audit observations, the audit package was further modified to improve control areas and for increased Zero Tolerance areas from 9 to 10. Negative marks were continued to be awarded for persisting irregularities, which impacts final risk rating of the unit. Offsite Control and Surveillance (OCAS) alerts were increased to cover more areas of control mechanism.

- o Bank has revamped our Internal Audit System as per Risk Mitigation Plan mandated by RBI and introduced OMU-PROBE and Dynamic Risk Assessment module for forward looking risk rating.

- o To enhance efficiency of the department functioning with structured way of approach in each activity, the department revisits Standard Operating Procedure regularly on various activities viz., Stock Audit, Forensic Audit, and Income Leakage, functioning of audit offices/ departments.The revised approach had resulted in improvement on various functions like substantial reduction in special reports, Income Leakage, audit reports closure and OCAS alerts.

- o During the year, functional audit at ITD was enhanced in scope for verification of CBS related controls along with checking of parameter set in FINACLE matches with circular/guidelines and also the output on execution provides desired results. The findings have resulted in elimination of anomalies/errors at operational level and achievement of compliance to CO/regulatory guidelines.

- o The Bank has selected 636 branches for conducting concurrent audit having coverage of 50% in deposits and 60% of total advances. The software procured ('eTHIC package') for online report submission of concurrent audit system was implemented during the year. The Bank conducted workshops to concurrent auditors at various zones in order to provide orientation. The Bank has issued 'Concurrent Audit Manual' to guide Concurrent Auditors while conducting Branch Audits. The online package facilitates future integration of reporting under RBIA (Internal Inspection) and Concurrent audit with avoidance of duplication of reporting aspects and improving the risk assessment.

- o The Bank appointed Retired Officers for conducting Internal Audit, in line with guidelines issued by Reserve Bank of India. There are 61 Empaneled Retired Officers (ERO) deployed at various centres for conducting Concurrent Audit and to assist Risk Based Internal Audit. These EROs, apart from identifying deficiencies, guide and provide support to the staff members for rectification.

- o The department had redesigned conducting of Risk Based Management Audit of all Units. The audit shall assess efficacy of management functions at all units and suggest action plans to overcome any shortcomings/ gaps identified.

- o Audit Committee of Executives (ACE) meeting is being held on monthly basis. During the year, standardized agenda was modified in order to cover all control areas of the Bank. The minutes of ACE meetings were appraised to Audit Committee of the Board. For the current year 7 such meetings were held.

- o During the year, Offsite Monitoring Unit functioning was enhanced and control oriented generation of exception reports were identified. The reports were shared with Branches/Regions for compliance. The results of the reports are shared with Nodal Audit Offices in order to provide pre-audit information and thus resources required for onsite audit are expected to reduce and the quality of audit enhances.

- o CBS operations are continuously audited by external Information Systems Audit firm. In order to strengthen Information System (IS) Audit, the Bank has appointed experienced and professional IS Auditors.

Vigilance:

With the theme of "Business First, Preventive vigilance always" continued during the Year 2021-22, the Bank continued to take various effective steps for Preventive Vigilance and speedy disposal of Vigilance Disciplinary cases within the time schedule prescribed by Central Vigilance Commission.

1. **Preventive vigilance Activities:** The following Preventive Vigilance initiatives were conducted during the year 2021-22:

a) CVC vide their letter ref.No.021/MSC/024/496468 dated 26.10.2021 selected IOB for best preventive vigilance activity for the year 2021-22 and CVO along with department officer has received the award from Central Vigilance commissioner on 01.11.2021 at New Delhi.

b) During the year eight systemic improvement activities were suggested by the department. Further revenue leakage of Rs.2.59 Crores was recovered in MSME Jewel Loans and Rs.30.67 crores from provision for expenses GL Head and to that extent bank's profitability was increased.

c) During the FY 2021-22, total 253 complaints were received from various sources including DFS, CVC, RBI, CBI & Others. Wherever vigilance overtone observed such complaints were handled until the logical end as per the timeframe fixed by CVC and no complaint is pending more than 3 months.

d) Department has scrutinized 22 CTE type inspections and examined various procurement orders / service orders placed by Information Technology Department, General

आरआरबी-ओजीबी द्वारा दिए गए विभिन्न खरीद आदेशों / सेवा आदेशों की जांच की है।

ङ) वर्ष के दौरान, विभिन्न मामलों पर विषयगत निरीक्षण, अभियान अवधि के दौरान स्वीकृत आवास ऋणों का सत्यापन, उच्च अग्रिम विकास शाखाओं, अनुपालन स्तर की जांच के लिए सतर्कता विभाग द्वारा औचक दौरा आदि आयोजित किए गए।

च) वित्तीय वर्ष के दौरान सीवीओ ने बैंक के 05 क्षेत्रों का दौरा किया है ताकि जमीनी स्तर पर सतर्कता प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

छ) वित्तीय वर्ष के दौरान आरवीओ ने निवारक सतर्कता गतिविधि के हिस्से के रूप में औचक निरीक्षण के माध्यम से 2320 शाखाओं का दौरा किया है।

ज) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आरवीओ सहित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए प्रणालियों/प्रक्रियाओं के महत्व को उजागर करने के लिए और अनुशासनात्मक कार्यवाही को समय पर पूरा करने छह आभासी संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

2. **संभावित सतर्कता:** वर्ष 2021-22 के लिए सभी उच्च और मध्यम जोखिम वाली शाखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्टों व केंद्रीय कार्यालय निरीक्षण रिपोर्ट, की वास्तविक समय के आधार पर जांच की गई और बैंक द्वारा सतर्कता दृष्टि वाली घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उनके संबंध में उचित कार्रवाई की जाती है । जांच की गई रिपोर्टों का विवरण इस प्रकार है

✓ वर्ष 2021-22 के दौरान 2890 समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच की गई ।

✓ वर्ष 2021-22 के दौरान 2466 केंद्रीय कार्यालय निरीक्षण रिपोर्ट (आरबीआइए) की जांच की गई

✓ वर्ष 2021-22 के दौरान 2107 सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संवीक्षा की गई।

✓ वर्ष 2021-22 के दौरान कर्मचारियों को ऋण, पासपोर्ट, विदेश यात्राओं, प्रथम पंक्ति पोस्टिंग आदि के लिए कुल 19,952 स्वीकृतियां/अनुमोदन दिए गए हैं।

✓ कर्मचारियों की जवाबदेही के लिए 200 से अधिक एसएसी/ धोखाधड़ी फाइलों की जांच की गई।

3. **दंडात्मक सतर्कता:** बैंक द्वारा अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण, सतर्कता मामलों और गैर-सतर्कता मामलों के लंबित मामलों में भारी कमी आइ है। 31.03.2022 तक, केवल 177 सतर्कता मामले ही निपटान के लिए लंबित हैं और विभिन्न चरणों की प्रक्रिया में हैं। 31.03.2022 तक कुल निलंबन मामले 42 हैं।

4. **सहभागी सतर्कता:** सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आयोग का संदेश "स्वतंत्र भारत @75: सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता; भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से स्वतंत्रता" को अखिल भारतीय स्तर पर सभी शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय द्वारा अच्छी तरह से अपनाया गया है। सतर्कता विभाग ने ईमानदार और पारदर्शी होने के बारे में बैंक के कर्मचारियों, ग्राहकों, हितधारकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न आंतरिक और आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया है। अभियान अवधि के दौरान पीआइडीपीआइ (जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा) पर विशेष ध्यान और व्यापक प्रचार दिया गया। बैंक ने भ्रष्टाचार को मिटाने और सत्यनिष्ठा को अपनाने की प्रक्रिया में आम जनता को प्रेरित किया।

संगठन के भीतर आयोजित गतिविधियों / आयोजनों का सार:-

I. आंतरिक सतर्कता जागरूकता गतिविधियां:

क) **सामूहिक शपथ:** 26 अक्टूबर 2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै में सामूहिक शपथ ली गई, जिसमें कार्यकारी निदेशक श्रीमती एस.श्रीमति ने महा प्रबंधकों और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में शपथ दिलाई। इसी प्रकार, पूरे भारत में शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों के सभी कर्मचारियों ने एक ही समय में शपथ ली ।

ख) **ई सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा:** भारत भर में हमारी शाखाओं के माध्यम से 3 लाख से अधिक ग्राहकों (3,289,269) ने 6 मार्च 2019 से 14 नवंबर 2021 तक हमारे साथ खाता खोलते समय सत्यनिष्ठा की शपथ ली है, जो खाता खोलने वाले 82.65 प्रतिशत ग्राहकों हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2021 अवधि के दौरान सीवीसी पोर्टल में कुल 77,734 सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञाएं अपलोड की गईं।

ग) **कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता:** 05 अक्टूबर 2021 और 21 अक्टूबर 2021- हमारे बैंक के 3684 कर्मचारियों ने ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया और प्राप्त अंकों के प्रदर्शन के साथ तत्काल भागीदारी प्रमाण पत्र तैयार किए गए और पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन मूल्यांकन किया गया।

घ) **कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता:** 01 अक्टूबर 2021 से 20 अक्टूबर 2021 तक, हमारे बैंक के 836 कर्मचारियों ने "स्वतंत्र भारत @ 75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता व स्वतंत्र भारत @75: ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता" विषय पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। निबंध जमा करने से लेकर मूल्यांकन तक निबंध प्रतियोगिता ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी और स्टाफ कॉलेज टीम की समिति ने ऑनलाइन पारदर्शी मोड में निबंधों और अंकों का मूल्यांकन किया है। भागीदारी प्रमाण पत्र तुरंत सृजित किए गए थे।

ङ) **बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करना:** 18 अक्टूबर 2021 से, 3216 शाखाओं और 48 क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय ने पूरे भारत में प्रमुख स्थानों पर वीएडब्ल्यू बैनर और पीआइडीपीआइ पोस्टर प्रदर्शित किए। केंद्रीय कार्यालय में, वीएडब्ल्यू के दौरान केंद्रीय कार्यालय में एक मेगा बैनर और चार स्टैंडी प्रदर्शित किए गए थे।

च) **25 अक्टूबर 2021 को सतर्कता जागरूकता गतिविधियों पर रंगोली प्रतियोगिता** हमारे बैंक के 60 कर्मचारियों ने केंद्रीय

Administration Department and Subsidiary RRB-OGB.

e) A series of thematic inspections on various matters, verification of Housing loans sanctioned during the campaign period, high advance growth branches, surprise visits by vigilance department to check the compliance level etc., during year were conducted.

f) CVO has visited 05 Regions of the Bank during the financial year to ensure compliance to vigilance mechanism at the ground level.

g) RVOs has visited 2320 Branches during the financial year through Surprise Visits as part of preventive vigilance activity.

h) During the Financial year 2021-22, SIX virtual sensitization programmes were conducted to different categories of staff including RVOs to highlight the systems/procedures and the importance of timely completion of disciplinary proceedings.

2. **Predictive Vigilance:** CO Inspection Reports, Audit reports of all the high and medium risk branches for the year 2021-22 were scrutinized on a real time basis and cognizance of incidents of Vigilance angle were brought on record for appropriate action by bank. The details of reports scrutinized are as follows:

- ✓ Scrutinized 2890 concurrent audit reports during the year 2021-22
- ✓ Scrutinized 2466 Central office inspection reports (RBIA) during the year 2021-22
- ✓ Scrutinized 2107 Statutory Audit reports during the year 2021-22.
- ✓ During the year 2021-22 total of 19,952 clearances / status given to employees for availing loans, passport, foreign visits, first line posting etc.
- ✓ More than 200 SAC/ Fraud files were scrutinized for staff accountability.

3. Punitive Vigilance: Due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases by the Bank, pendency of vigilance cases and non-vigilance cases reduced drastically. As on 31.03.2022, only 177 vigilance cases are pending for disposal and under process of various stages. Total Suspension cases as on 31.03.2022 is 42.

4. Participative Vigilance: Commission's message on Vigilance Awareness Week "Independent India @75: Self Reliance with Integrity; स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" has been well taken by all Branches, Regional Offices PAN India and Central Office. Vigilance Department has organized various internal and outreach activities to create awareness among our employees, customers, stakeholders and general public about being honest and transparent. A special focus and wide publicity given on PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informers) during Campaign period. We inspired all public in general in the process of eradicating corruption and embracing Integrity.

Gist of Activities / Events conducted within the organization: -

I. In-house Vigilance Awareness Activates:

a) **Mass Pledge:** On 26th October 2021, Mass Pledge was taken at 11:00 AM in Central Office, Chennai, wherein Executive Director Smt.S.Srimathy administered the pledge in presence of GMs and other executives. Similarly, all the employees of branches and administrative offices took pledge at the same time across India.

b) **E Integrity Pledge: More than THREE MILLION** customers (3,289,269) have **taken Integrity Pledge** at the time of opening Account with us from 0p6th March 2019 to 14th November 2021 through our Branches across India which come to 82.65% of Customers who have opened the accounts. During VAW-2021 period a total of 77,734 Integrity Pledges were uploaded in CVC portal.

c) **Online Quiz Contest to Employees:** On 05h October 2021 and 21st October 2021- 3684 employees of our Bank participated in the Online Quiz Contest and participation certificates with display of marks scored were generated instantly and evaluation was also done online in a transparent manner.

d) **Online Essay Contest to Employees:** From 01st October 20201to 20th October 2021, 836 employees of our Bank participated in the Online Essay Contest on the theme "Independent India @75: Self Reliance with Integrity स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता". Essay Contest was held through online mode from submission of essay to evaluation and committee of Staff College Team has evaluated the essays and marks assess in online transparent mode. Further participation certificates were generated instantly.

e) **Displaying Banners & Posters:** From 18th October 2021, 3216 Branches and 48 Regional Offices and Central office displayed VAW Banners and PIDPI Poster in the prominent places across India. In central Office, a Mega Banner and four standees were displayed in Central Office during VAW.

f) **Rangoli Contest on Vigilance Awareness Activities:** On 25th October 2021, 60 employees of our Bank

कार्यालय, चेन्नई में आयोजित "भ्रष्टाचार रोकें" विषय पर रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया।

छ) **विशेष विजिल पत्रिका:** विशेष गृह पत्रिका आइओबी-विजिल का विमोचन 26.10.2021 को केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै में किया गया।

ज) **धोखाधड़ी की रोकथाम पर आयोजित संगोष्ठी:** 28 अक्टूबर 2021 को अखिल भारतीय स्तर पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें ईआर बी एस विजयकुमार, बीई (सिविल), एमई (स्ट्रक्चर), एमएससी (आरईवी), एफआइवी, एमआइई, सी. इंजी. को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। 250 से अधिक प्रतिभागियों ने पूरे भारत में धोखाधड़ी के मूल्यांकन के तरीके, प्रक्रिया और रोकथाम विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया ।

II. आउट रीच गतिविधियाँ:

क) **स्काई विज्ञापन:** सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 को स्काई एडवरटाइजिंग बैलून के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया। सीवीओ और ईडी ने वीएडब्ल्यू थीम और आइओबी के लोगो के साथ केंद्रीय कार्यालय भवन के शीर्ष पर 40 फीट ऊंचाई @ स्काई एडवरटाइजिंग बैलून जारी किए ।

ख) **एयर विज्ञापन**: 26 अक्टूबर 2021 से 01 नवंबर 2021 तक प्रसारित वीएडबल्यू 2021 थीम और जिंगल्स पर जनता के बीच एफ़एम रेडियो 93.5 (सूर्यन एफ़एम), चेन्नै में अग्रणी एफ़एम और अंग्रेजी और तमिल में 98.3 एफ़एम (मिर्ची) में द्वारा जागरूकता पैदा की ।

ग) **स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम:** उचित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके, 540 स्कूलों में देश भर में विभिन्न वीएडबल्यू गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें 26523 छात्र शामिल थे और 121 कॉलेजों में कुल मिलाकर 6889 छात्रों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह में भाग लिया और सामूहिक शपथ ली। इन स्कूलों में भाषण, वाद-विवाद, चित्रांकन आदि प्रतियोगिताएं और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया।

घ) **जागरूकता ग्रामसभा:** देश भर में उचित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके, 1 लाख से अधिक जनता द्वारा भागीदारी और सामूहिक प्रतिज्ञा के साथ 2435 जागरूकता ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया।

ङ) **सेमिनार/कार्यशालाएं:** देश भर में वीएडब्ल्यू गतिविधियों पर कुल 49 सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की गईं और जिनमें लगभग 2600 लोगों ने भाग लिया और सामूहिक शपथ ली।

च) **धोखाधड़ी की रोकथाम पर आयोजित वेबिनार:** 28 अक्टूबर 2021 को, ईआर.बी.एस. विजयकुमार, बी.ई (सिविल), एमई (स्ट्रक्चर।), एमएससी (आरईवी) को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हुए एक वेबिनार का आयोजन किया गया। 250 से अधिक प्रतिभागियों ने पूरे भारत में धोखाधड़ी के मूल्यांकन के तरीके, प्रक्रिया और रोकथाम विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया ।

III. डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य दृश्यमान गतिविधियां:

क) 26 अक्टूबर 2021 को 40,92,436 चयनित आइओबी ग्राहकों को एसएमएस भेजे गए थे, जिसमें संदेश था "आइओबी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है, कृपया भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए www.iob.in पर ई-प्रतिज्ञा लें।

ख) 26 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक- 10,47,861 ईमेल सीवीओ संदेश ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए हाइपरलिंक के साथ चयनित आइओबी ग्राहकों को भेजे गए ।

ग) वीएडब्ल्यू सप्ताह के दौरान आइओबी अखिल भारतीय की 3233 एटीएम/सीडीएम मशीनों को वीएडब्ल्यू संदेश "वीएडब्ल्यू2021-आत्मनिर्भर भारत @ 75 सत्यनिष्ठता से आत्म निर्भरता" को प्रदर्शित और प्रिंट करने में सक्षम बनाया गया था। शामिल हों और शपथ लें @ www.iob.in

घ) वीएडब्ल्यू संदेश बैंक के आधिकारिक ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था।

I. आइओबी द्वारा प्रायोजित ओडिशा ग्रामीण बैंक (ओजीबी) में आयोजित गतिविधियां:

क) 1512 कर्मचारियों ने लिया सामूहिक संकल्प लिया।

ख) 6333 ग्राहकों द्वारा ली गई ई-प्रतिज्ञा ली गई ।

ग) निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई और 32 कर्मचारियों ने भाग लिया।

घ) 264 स्कूलों और 23 कॉलेजों में आयोजित गतिविधियों में कुल 16022 छात्रों ने भाग लिया और सामूहिक शपथ ली।

ङ) 1072 गांवों में आयोजित जागरूकता ग्रामसभाओं और तीस हजार से अधिक जनता ने भाग लिया और सामूहिक शपथ ली ।

सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक के पास एक मजबूत सूचना और डिजिटल आधारभूत संरचना है, जिसके परिणामस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल आकांक्षाओं के साथ बेहतर व्यापार किया जा रहा है।

बैंक ने इस उद्देश्य के लिए लगे हुए डिजिटल सलाहकार मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन की शुरुआत की है । बैंक ने ऋण सृजित प्रणाली, दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली और ई-केवाईसी समाधान के लिए और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में विक्रेता को शॉर्टलिस्ट किया है।

बैंक ने पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में अपने केंद्रीय कार्यालय विभागों में कार्यालय नोट स्वचालन लागू किया है और क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं तक विस्तार करने का प्रयोजन रखता है। खुदरा, कृषि और एमएसएमई के विभिन्न उत्पादों को सभी ग्राहकों के लिए डिजीटल मोड के माध्यम से उपलब्ध कराया गया ।

पुरस्कार:

हमारे बैंक ने आभूषण ऋण उत्पाद के डिजिटलीकरण के लिए कोविड प्रतिक्रिया नवाचार श्रेणी के तहत इन्फोसिस फिनेकल इनोवेशन अवार्ड्स 2021 में उपविजेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

participated in Rangoli competition on the theme "STOP CORRUPTION" held at Central Office, Chennai.

g) **Special Vigil Magazine:** Special in House Magazine **IOB-VIGIL** was released on 26.10.2021 at Central office, Chennai.

h) **Seminar conducted on prevention of frauds: On 28th October 2021,** PAN India a webinar was organized inviting Er.B S Vijayakumar, B.E(Civil), M.E(Struct.), M.Sc.(REV).F.I.V.,M.I.E.,C.Eng., as chief guest. More than 250 Participants PAN India Participated through Video Conference on the topic on Valuation Methods, procedure and prevention of frauds.

II. Out Reach Activities:

a) **SKY Advertisement:** Vigilance Awareness week 2021 was popularised by way of SKY Advertisement balloon. CVO and ED released Sky Advertising Balloons @ 40 Feet Height on the top of Central office building carrying VAW theme and logo of IOB.

b) **Air Advertisement:** Created awareness amongst public on VAW 2021 Theme and Jingles aired from 26th October 2021 to 01st November 2021- in FM Radio 93.5 (Suriyan FM), Leading FM in Chennai and 98.3 FM (Mirchi) in English and Tamil.

c) **Events in Schools and Colleges:** By following proper COVID Protocols, conducted various VAW activities across the country in 540 Schools involving 26523 Students and 121 colleges involving 6889 students participated in the Vigilance Awareness Week and took mass pledge in total. Elocution, Debate, Drawing, etc. competitions and workshops were held in these schools. Prizes were distributed for the winners.

d) **Awareness Gramsabhas:** By following proper COVID Protocols, across the country conducted 2435 Awareness GramSabhas' with participation and mass pledge by more than 1 lakh Public.

e) **Seminars/workshops:** Across the country total 49 Seminars/workshops were conducted on VAW activities and wherein around 2600 Public participated and took mass pledge.

f) **Webinar conducted on prevention of frauds:** On 28th October 2021, a webinar was organized inviting Er.B S Vijayakumar, B.E(Civil), M.E(Struct.), M.Sc.(REV).F.I.V.,M.I.E.,C.Eng., as chief guest. More than 250 Participants PAN India Participated through Video Conference on the topic on Valuation Methods, procedure and prevention of frauds

III. Other visible activities through DIGITAL Platform:

a) On 26th October 2021- 40,92,436 SMS were sent to selected IOB Customers containing Message "IOB observes Vigilance Awareness Week, please take e-pledge @ www.iob.in for making corruption free India.

b) From 26th October 2021 to 29th October 2021- 10,47,861 emails were sent to selected IOB Customers carrying CVO Message and with a hyperlink to take e-pledge.

c) During the VAW week 3233 ATM/CDM machines of IOB PAN India were enabled to display and printing of VAW Message "VAW2021-Indepenent India @ 75 Self Reliance with Integrity. Join and take pledge @ www.iob.in.

d) VAW message was prominently displayed in the Bank official page of Twitter, YouTube, Instagram and Facebook.

IV. Activities conducted in Odisha Grameen Bank (OGB) Sponsored by IOB:

a) Mass pledge taken by 1512 employees

b) E-pledge taken by 6333 customers

c) Essay competition conducted and 32 employees participated.

d) Activities conducted in 264 schools & 23 colleges and a total 16022 students participated and took mass pledge.

e) Awareness Gramsabhas conducted in 1072 villages and more than thirty thousand public participated and took mass pledge.

Information Technology

The Bank has a robust Information and Digital infrastructure architecture, resulting in perfect alignment of Business with Information Technology and Digital Aspirations.

Bank has embarked into Digital Transformation through Digital Consultant M/s. Ernst & Young engaged for this purpose. Bank has shortlisted vendor for Loan Originating System, Document Management System and e-KYC solution and in the process of implementation.

Bank as part of eco-friendly approach has implemented Office note automation at its Central Office departments and intend to extend to Regional Offices and Branches. Various products from Retail, Agri and MSME were made available through Digitized mode to the end customers.

प्रमाण-पत्र:

प्रक्रिया उत्कृष्टता के अपने प्रयास में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने मार्च 2020 के दौरान आइएसओ/आईईसी 27001 का प्रतिष्ठित प्रमाणपत्र हासिल किया था और आइएसओ मानकों के अनुसार विभाग ने 2021-2022 की अवधि के लिए निगरानी लेखापरीक्षा की थी। लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है और प्रमाण पत्र का दायरा उपयुक्त बना हुआ है और बैंक मानकों और लेखापरीक्षा मानदंडों को पूरा करता है।

प्रबंधन सूचना प्रणाली:

बैंक ने विभिन्न वैधानिक और तदर्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपयोगकर्ता विभागों को डेटा के प्रवाह को सुनिश्चित करने के अलावा बैंक की रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं को संभालने के लिए एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) और निर्णय समर्थन प्रणाली लागू की है।

ओरेकल विश्लेषणात्मक सर्वर (ओएएस), बैंक द्वारा तैनात एक विश्लेषणात्मक उपकरण है,जोकि हमारे इंट्रानेट आइओबी ऑनलाइन के माध्यम से लगभग 300 रिपोर्ट, डेटा माइनिंग और शीर्ष प्रबंधन, नियंत्रण कार्यालयों और शाखाओं द्वारा एक्सेस किए गए एनालिटिक्स प्रदान करता है। उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के आधार पर रिपोर्ट, ग्राफ, क्या-क्या विश्लेषण, डेटा माइनिंग, तदर्थ रिपोर्ट के विकास और तैनाती के लिए एमआइएस की इन-हाउस टीम द्वारा उपकरण का उपयोग किया गया है। इस टूल का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे प्रदर्शन निगरानी, नियामक रिपोर्टिंग, ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण, अभियानों का पालन करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जाता है ।

एमआइएस की कुछ प्रमुख गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

कार्यक्रम विकास और संशोधन

- सीआरआइएलसी क्रिलिक ऑटोमेशन
- इन्फॉर्मेटिका (ईटीएल टूल) 10.5.1 में अपग्रेडेशन
- एसएलबीसी रिपोर्ट ऑटोमेशन - विकास
- एनईएसएल-संशोधन और डेटा सबमिशन
- आइओबी डेटा डिज़ाइन पोर्टल - विकास
- ईडब्ल्यूएस नया वर्कफ़्लो और डेटा जनरेशन
- मनी लॉन्ड्रिंग / टीएफ़ डेटा जनरेशन - डेटा टेम्प्लेट्स
- आरबीएस - ट्रेंच डेटा स्वचालन
- आरबीआइ सीआइएमएस - इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप, रिपोर्ट का सत्यापन
- ईएनवाई - एनालिटिक्स के लिए डेटा सबमिशन

कारोबार आसूचना रिपोर्ट

- एससीए - लेखा परीक्षक रिपोर्टें- 52 रिपोर्टें
- दैनिक वर्टिकल वार अग्रिम रिपोर्टें
- एटीएम कैश आउट रिपोर्टें
- सीकेवाईसी, री-केवाईसी रिपोर्टें
- निधि समिति की रिपोर्ट
- क्षेत्र समीक्षा डैशबोर्ड
- पीएमजेडीवाई सैचुरेशन ड्राइव रिपोर्टें
- एसएमई प्रदर्शन रिपोर्टें
- डिजिटल प्रदर्शन निगरानी रिपोर्टें
- जीबीएम रिपोर्टें

डिजिटल बैंकिंग :

मोबाइल बैंकिंग

- वर्ष 2009 में शुरू किया गया ।
- ग्राहक के अनुकूल और उन्नत सुविधाओं के साथ समय-समय पर संस्करण उन्नयन हो रहा है।
- उत्पाद में सभी उन्नत विशेषताएं हैं जैसे: शाखा में आए बिना स्व-पंजीकरण ।
- बेहतर सुरक्षा और पहुंच के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके लॉगिन ।
- विवरण देखने और डाउनलोड करने के लिए एम-पासबुक सुविधा उपलब्ध है ।
- आवाज सहायता सुविधा ।
- जमा को खोलना, नवीनीकरण, परिपक्वता पूर्व बंद और बंद करना
- भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) एकीकरण।
- पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई बीमा नामांकन
- पे लेटर /स्थायी निर्देश सुविधा
- 10 क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन
- डेबिट कार्ड आवेदन/अपग्रेड/रिप्लेसमेंट
- डेबिट कार्ड पिन जनरेशन/पिन बदलना/पिन भूलना
- मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आइपीओ (एएसबीए) हेतु आवेदन करें
- ऋण चुकौती (टीएल/सीसी/अन्य)
- मोबाइल एप के माध्यम से पीपीएफ और एसएसवाई हेतु आवेदन करें
- मोबाइल ऐप के माध्यम से एफ़15जी/एच प्रस्तुत करना
- पेंशनभोगियों के लिए फॉर्म 16 ए डाउनलोड करना
- मोबाइल बैंकिंग लेनदेन के लिए ईएफ़आरएम एकीकरण

Awards:

Our bank has won Runners-up Award in Infosys Finacle Innovation Awards 2021 under COVID Response Innovation category for Digitization of Jewel Loan product.

Certifications:

In its pursuit for process excellence, Information Technology Department had achieved the coveted certificate of ISO/IEC 27001 during March 2020 and as required by ISO Standards, the Department underwent Surveillance Audit for the period 2021-2022. The audit objectives have been achieved and the certificate scope remains appropriate and the Bank does fulfil the standards and audit criteria.

Management Information System

Bank has implemented a robust Management Information System (MIS) and Decision Support System to handle Reporting and analytical requirements of the Bank apart from ensuring flow of data to User Departments for submission of various statutory and ad-hoc reports.

Oracle Analytic Server (OAS), an analytical tool deployed by the bank provides around 300 reports, Data Mining and analytics accessed by Top Management, Controlling Offices and Branches through our intranet IOBONLINE. The tool has been utilized by the In-house team of MIS for development and deployment of Reports, Graphs, What-if analysis, Data Mining, Ad-hoc Reports based on user requirements. The tool is effectively used for various purposes such as Performance Monitoring, Regulatory Reporting, Analysis of historical data, Follow up of campaigns.

Some of the major activities of MIS are furnished below:

Program Development and Modifications

- CRILC Automation
- Informatica (ETL tool) Upgradation to 10.5.1
- SLBC Reports Automation – Development
- NESL –Modification and Data submission
- IOB Data Design Portal – Development
- EWS New Workflow and Data Generation
- Money Laundering / TF Data Generation - Data Templates
- RBS – Tranche Data Automation
- RBI CIMS – Infrastructure setup, validation of reports
- EnY – Data submission for analytics

Business Intelligence Reports

- SCA – Auditor Reports – 52 Reports
- Daily vertical wise advances report
- ATM Cash out report
- CKYC, Re-KYC reports
- Funds Committee reports
- Region Review Dashboard
- PMJDY Saturation Drive Reports
- SME Performance Reports
- Digital Performance Monitoring Reports
- GBM Reports

Digital Banking:

MOBILE BANKING

- Launched in the year 2009
- Version upgrade is taking place periodically with customer friendly and enhanced features.
- Product has all the advanced features such as: Self-registration without visiting branch
- Login using Biometric authentication for enhanced security and access
- mPassbook facility available to view and download statements
- Voice assistance facility
- Deposit opening, renewal, pre-closure and closure
- Bharat Bill Payment System (BBPS) integration.
- PMJJBY/PMSBY insurance enrolment
- Pay Later/Standing Instructions facility
- Mobile Banking application in 10 regional languages
- Debit card Apply/upgrade/Replacement
- Debit card Pin generation /Change Pin/Forgot Pin
- Apply IPO (ASBA) through Mobile banking
- Loan repayment (TL/CC/others)
- PPF&SSY Application through Mobile app
- F15G/H submission through Mobile app
- Form16A download for Pensioners
- EFRM integration for Mobile banking transactions

- 31.03.2022 तक किए गए पंजीकरणों की संख्या 53.70 लाख

भीम आइओबी यूपीआइ

- वर्ष 2016 में शुरू किया गया ।
- ग्राहक के बचत या चालू खाते को लिंक करके कर सकते हैं ।
- वीपीए, खाता संख्या और आइएफएससी कोड, क्यूआर कोड का उपयोग करके पैसे भेज सकते है ।
- प्रेषक से वीपीए का उपयोग करके धन प्राप्त करना ।
- बेहतर सुरक्षा के लिए प्रत्येक खाते के लिए अलग 6 अंकों के पिन की शुरुआत।
- वन टाइम मैंडेट क्रिएशन और एएसबीए की सुविधाएं हैं ।
- प्रीपेड वाउचर (ई-आरयूपीआइ) विभिन्न सेवाओं जैसे कोविड वैक्सीन, दान, कॉरपोरेट उपहार वाउचर, आदि के लिए कैशलेस भुगतान विधि ।
- मैंडेट के पंजीकरण के समय दिए गए निर्देशों के अनुसार व्यापारियों को उनके खाते से समय-समय पर डेबिट करने के लिए जारीकर्ता के रूप में आवर्ती आदेश/स्थायी निर्देश देने की सुविधा।
- बैंक जारीकर्ता के रूप में यूडीआइआर में लाइव है - (एकीकृत विवाद समस्या समाधान) एक प्रणाली है जिसके द्वारा यूडीआइआर अनुरोध को ट्रिगर करके यूपीआइ लेनदेन की समयबद्ध स्थिति स्वतः अपडेट हो जाएगी। एनपीसीआइ से यूडीआइआर अनुरोध प्राप्त करने के बाद, यूपीआइ स्विच सीबीएस से स्थिति प्राप्त करके टाइमआउट लेनदेन की स्थिति को अपडेट करेगा। यह सुविधा ग्राहक को यूपीआइ ऐप से स्थिति की जांच करने में सक्षम बनाती है।
- यूपीआइ के माध्यम से फास्टैग रिचार्ज
- मर्चेंट ऑन बोर्डिंग बढ़ाने के लिए मर्चेंट क्रेडिट लेन-देन के लिए कई मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजना।
- यूपीआइ मर्चेंट ऑन-बोर्डिंग के लिए क्षेका को दिए गए यूपीआइ वेब पोर्टल सुविधा जो प्रक्रिया को आसान और त्वरित बनाती है
- पीएमस्वनिधि क्यूआर कोड जनरेशन सुविधा शुरु की गई है।
- ऑटो लॉगिन, लेन-देन विवरण साझा करना, यूपीआइ को निष्क्रिय करना जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ नया एंड्रॉयड एप्लिकेशन।
- आइओएस संस्करण को लाइव कर दिया गया है।
- यूपीआइ लेनदेन के लिए ईएफ़आरएम एकीकरण।
- 31.03.2022 तक किए गए पंजीकरणों की संख्या 54.21 लाख

इंटरनेट बैंकिंग

गृह निर्मित सॉफ्टवेयर की शुरुआत वर्ष 2003 में की है । कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- शाखा में आए बिना स्व-सक्रियण ।
- शाखा में बिना आए खाते का स्व-निष्क्रिय ।
- स्वयं-दैनिक निधि अंतरण की सीमा रु.10 लाख तक निर्धारित की गई है ।
- एनईएफटी/आरटीजीएस/आइएमपीएस आदि का उपयोग करके निधि अंतरण ।
- ऑनलाइन कर और उपयोगिता भुगतान/बिल भुगतान ।
- जमा खोलना, नवीनीकरण, परिपक्वता पूर्व बंद करना और बंद करना।
- नामांकन जोड़ना और हटाना ।
- बैलेंस पूछताछ, लेन-देन विवरण, खाता विवरण ।
- कपटपूर्ण लेनदेन की सूचना देना ।
- मोबाइल नंबर के अलावा ईमेल में ओटीपी का विकल्प
- आइपीओ, प्रीपेड कार्ड और एनसीएमसी कार्ड का टॉप अप, क्रेडिट कार्ड भुगतान ।
- सक्रियण, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, चैनल चालू/बंद करना, दैनिक सीमा निर्धारित/संशोधित करना, नया कार्ड जारी करना, कार्ड अपग्रेड करना, खोए हुए/क्षतिग्रस्त कार्ड को फिर से जारी करना, ग्रीन पिन सृजन, डेबिट कार्ड के लिए पिन बदलना ।
- 10 क्षेत्रीय भाषाओं में इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन

डेबिट कार्ड

- वीसा, रुपे और मास्टर कार्ड के तहत कार्ड विभिन्न प्रकार (गोल्ड, प्लेटिनम और सिग्नेचर) के कार्ड जारी किए जाते हैं।
- ग्राहकों को इंस्टा और वैयक्तिक दोनों तरह के कार्ड जारी किए जाते हैं।
- बैंक ने कार्ड धारकों को वेब साइट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और आइवीआरएस के माध्यम से डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने के लिए सुविधा प्रदान की गई है।
- कार्डधारकों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी नया डेबिट कार्ड लेने, बदलने और अपग्रेड करने और पिन सेट/पिन बदलने की सुविधा प्रदान की गई है।
- इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से शाखा में सीबीएस के माध्यम से पीओएस/एटीएम/ईकॉम लेनदेन/संपर्क रहित लेनदेन पर सभी प्रकार के लेन-देन - घरेलू और

- Number of registrations made till 31.03.2022 are 53.70 lakhs

BHIM IOB UPI

- Introduced from the year 2016
- By Linking Savings or Current account, customer can
- Send money using VPA, A/c No and IFSC Code, QR Code
- Collect money using remitters VPA
- Introduced separate 6-digit PIN for each account for enhanced security.
- Has the facilities of One Time mandate creation and ASBA
- Prepaid voucher(E-RUPI) cashless payment method for various service like COVID vaccine, donations, corporate gift vouchers, etc
- Recurring mandate/standing instruction feature as an Issuer to the merchants for debiting their account periodically as per the instructions given at the time of registering the mandate.
- Bank is live in UDIR as an issuer - (Unified Dispute Issue Resolution) is a mechanism by which status of timed out UPI transaction will be auto updated by triggering the UDIR request. After receiving UDIR request from NPCI, UPI switch will update the status of timeout transaction by getting the status from CBS. This facility enables customer to check the status from UPI app.
- Fastag recharge through UPI
- Sending SMS to multiple mobile numbers for Merchants credit transactions to increase Merchant on boarding.
- UPI Web portal facility given to RO's for UPI merchant on-boarding which makes the process easier and quick
- PMSvanidhi QR code generation facility has been implemented.
- Revamped Android application with enhanced features like Auto login, Sharing transaction details, Deactivation of UPI.
- iOS version is made Live.
- EFRM integration for UPI transaction.
- Number of registrations made till 31.03.2022 are 54.21 lakhs

INTERNET BANKING

The software developed in house introduced in the year 2003. Some of features are:

- Self-Activation without visiting Branch.
- Self-deactivation of account without visiting Branch.
- Self-daily fund transfer limit set up to Rs.10 Lakh
- Funds Transfer using NEFT/RTGS/IMPS etc.
- Online Tax and Utility Payments/Bill Payments.
- Deposit opening, renewal, pre-closure and closure.
- Nomination addition and deletion.
- Balance Enquiry, Transaction details, account statement.
- Reporting Fraudulent Transaction.
- Option for OTP in email in addition to mobile number
- IPOs, Top Up of Prepaid Cards & NCMC Cards, Credit Card Payments.
- Activation, blocking, unblocking, switch on/off channels, set/modify daily limit, issue of new card, upgrade card, re-issue lost/damaged card, green pin generation, pin change for debit card.
- Internet Banking application in 10 regional languages

Debit Cards

- Cards are issued in different flavours (Gold, Platinum and Signature) under VISA, Rupay and Master Card.
- Both Insta and Personalized cards are issued to customers.
- Facility has been provided to card holders for blocking Debit Cards through Bank Web Site, Internet Banking, Mobile Banking and IVRS.
- Facility has been provided to card holders for Applying New Debit Card, Replacement &Upgrade and Pin set/Change of pin, through mobile Banking and Internet banking also.
- Option given to card holders to switch ON/Off and set/modify transaction limit, if any, for all types of

अंतरराष्ट्रीय, के लिए कार्ड धारकों को चालू/बंद करने और लेनदेन सीमा, यदि कोई हो, सेट/संशोधित करने का विकल्प दिया गया है।

- खाता खोलने के समय कार्ड जारी करने का कार्यान्वयन किया जाता है।
- कार्ड ऑन फाइल (टोकनाइजेशन) सक्षम है।
- नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) को रुपे श्रेणी में पेश किया गया जिसका उपयोग संपर्क रहित लेनदेन के लिए भी किया जा सकता है।
- कार्ड धारकों को नेट बैंकिंग के माध्यम से कार्ड को सक्रिय करने की सुविधा प्रदान की गई है।

एटीएम / कैश रिसाइकलर / पासबुक कियोस्क का प्रबंधन

- 30.04.2022 तक बैंक के पास 3357 मशीनें हैं, जिनमें से 1926 एटीएम और 1431 कैश रिसाइकलर हैं ।
- कुल 3357 मशीनों में से 2735 ऑनसाइट व 622 ऑफसाइट है ।
- कुल 3357 मशीनों में से 2696 शाखा प्रबंधित (सीएपीईएक्स मॉडल) व 661 विक्रेता प्रबंधित (ओपेक्स मॉडल) है ।
- बैंक के पास चार विक्रेताओं से संबन्धित 2406 पासबुक कियोस्क है जो पूरे भारत में काम कर रहे हैं ।
- बैंक 2014-15 के दौरान खरीदी गई पुरानी मशीनों के प्रतिस्थापन के रूप में लागू किए गए सभी हालिया नियामक दिशानिर्देशों के साथ 1179 कैश रिसाइकलर की खरीद प्रगति पर है ।

बैंक ऑन व्हील्स:

- ईज़ (एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस) के तहत बैंक की प्रतिबद्धता के रूप में, हमारे बैंक ने तमिलनाडु के 13 जिलों व केरल का एक जिला, जहां आइओबी अग्रणी बैंक है वहाँ पर "बैंक ऑन व्हील्स" (मोबाइल एटीएम) लॉन्च किया है और साथ ही आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा) के जिले में भी लॉन्च किया है ।
- प्रत्येक बैंक ऑन व्हील पर बैंक के विभिन्न उत्पादों के विपणन के लिए कैश डिस्पेन्सर, एक पासबुक कियोस्क और 55" एलईडी स्क्रीन से लैस है । इन स्क्रीन का उपयोग आम जनता को वित्तीय समावेशन का संदेश या कोई शिक्षाप्रद श्रृंखला प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है ।
- बैंक योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए वाहन में एक कारोबार संवादी भी उपलब्ध रहेंगे ।

आइओबी पे

- वर्ष 2017 में शुरू किया गया ।
- स्वयं द्वारा विकसित व अग्रीग्रेटर्स के साथ एकीकृत है ।
- यह उत्पाद एक एकीकृत ऑनलाइन भुगतान है जिससे शुल्क भुगतान, व्यापारी भुगतान, दान किया जा सकता है । व्यापारियों द्वारा भुगतान एकत्र करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है ।
- मर्चेन्ट वेब साइट के साथ या उसके बिना विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के लिए ऑनलाइन भुगतान सक्रिय करने का लक्ष्य निर्धारित है ।
- आइओबी पे में 650 से अधिक संस्थान पंजीकृत हो चुके है ।
- विभाग बाजार में उपलब्ध प्रतिस्पर्धी उत्पादों के आधार पर और अधिक भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं को जोड़कर उत्पाद में सुधार करने की प्रक्रिया पर है।

आइओबी भीम आधार

- वर्ष 2017 में शुरू किया गया ।
- यह व्यापारियों पर लक्षित एक मोबाइल एप्लिकेशन है। व्यापारी का आइओबी में एक खाता (एसबी/सीडी/सीसी) होना चाहिए।
- यह एप्लिकेशन व्यापारियों को सीधे यूआइडीएआइ से ग्राहक के बायोमेट्रिक्स को प्रमाणित करके किसी भी बैंक के ग्राहक से भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देता है और बिक्री की आय तुरंत व्यापारी के अपने बैंक खाते में प्राप्त करता है।
- इस योजना के तहत अब तक 9230 व्यापारी जुड़े हुए हैं।

आइओबी फास्टैग

- बैंक ने हाल ही में हमारे ग्राहकों और गैर-ग्राहकों के लिए फास्टैग सेवा शुरू की है।
- फास्टैग एक आरएफ़आइडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) पैसिव टैग है जिसका इस्तेमाल ग्राहकों से जुड़े प्रीपेड या बचत/चालू खाते से सीधे टोल भुगतान करने के लिए किया जाता है। इसे वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपका दिया जाता है और ग्राहक को टोल प्लाजा पर बिना किसी टोल भुगतान के रुकने में सक्षम बनाता है। टोल किराया सीधे ग्राहक के फास्टैग वॉलेट या लिंक किए गए खाते से काट लिया जाता है ।
- ग्राहकों को पोर्टल के माध्यम से अपने घर से फास्टैग के लिए आवेदन करने की सुविधा मिल रही है। साथ ही वे टैग घर के पते पर डिलीवरी या शाखा से प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।
- बैंक आइओबी फास्टैग द्वारा किए गए सभी टोल लेनदेन पर कमीशन अर्जित करेगा, जिससे हमारे राजस्व में सुधार होगा।
- बैंक को वॉलेट बैलेंस और सुरक्षा जमा के रूप में अच्छी कासा राशि भी मिलेगी।

transactions - Domestic and International, at POS/ ATMs/Ecom transactions/contactless transactions through Internet banking and Mobile banking and through Branch in CBS.

- Card issuance at the time of Account opening is implemented.
- Card on File (Tokenization) is enabled.
- National Common Mobility Card (NCMC) introduced in RUPAY category which can also be used for contactless transactions.
- Facility has been provided to card holders to activate the Card through Net Banking.

Management of ATMs/Cash Recyclers/Passbook Kiosks

- IOB is having 3357 machines as on 30.04.2022 of which 1926 are ATMs and 1431 are Cash Recyclers.
- Of the total 3357 machines 2735 are Onsite and 622 are Offsite
- Out of total 3357 machines, 2696 are Branch Managed (CAPEX model) and 661 are vendor managed (OPEX model)
- Bank is having 2406 Passbook Kiosks belonging to four vendors, functioning PAN INDIA
- Bank is in progress of procuring 1179 Cash Recyclers with all recent regulatory guidelines implemented as replacement of old machines procured during 2014-15.

Bank on Wheels

- As part of Bank's Commitment under EASE (Enhanced Access and Service Excellence), Our Bank has launched "Bank on Wheels" (Mobile ATMs) in 13 districts of Tamil Nadu and one district of Kerala where IOB is the Lead Bank besides one district in Andhra Pradesh (Vijayawada)
- Each Bank on Wheel is equipped with one Cash Dispenser, one Passbook Kiosk and 55" LED Screens for marketing of various products of the Bank. These Screens are also utilized for delivering Financial Inclusion messages or any educative series to the general public.
- A Business Correspondent will also available in the vehicle to popularise the bank schemes.

IOB PAY

- Introduced in the year 2017
- Developed in house and integrated with Aggregators
- The product is an integrated on line payment which offers fee payments, merchant payments, donations. An easy and effective way of collecting payments by the merchants.
- Targeted to enable Online Payments for different type of merchants with or without merchant web site.
- 650+ Institutions have been registered in IOB Pay.
- Department is on process of revamping the product based on competitive products available in market and by adding more number of Payment Gateway service providers

IOB Bhim Aadhaar

- Introduced in the year 2017.
- This is a mobile application targeted at merchants. The merchant should have an account (SB/CD/ CC) in IOB.
- This application allows the merchants to accept payment from a customer of any bank by authenticating the customer's biometrics directly from UIDAI and receive the sale proceeds instantaneously into merchant's own bank account.
- 9230 merchants are on boarded under this scheme as of now.

IOB FASTag

- Our Bank has recently rolled out the FASTag service for our Customers & Non-Customers.
- FASTag is a RFID (Radio frequency identification) passive tag used for making Toll payments directly from the customers linked prepaid or savings/ current account. It is affixed on the windscreen of the vehicle and enables customer to drive through toll plazas, without stopping for any toll payments. The toll fare is directly deducted from the FASTag wallet or linked account of the customer
- Customers are having comfort of applying for FASTag from their home through Portal. Also they can choose the tag either delivery to home address or to collect from the branch.
- Bank will earn commission on all toll transactions done by IOB FASTags, which will improve our revenue.
- Bank will also get good CASA amount in the form of wallet balance & security deposits.

सूचना सुरक्षा

बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना सुरक्षा नीति और साइबर सुरक्षा नीति, डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण नीति, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन नीति, साइबर संकट प्रबंधन योजना, व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा वसूली योजना लागू है। बैंक ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आइएसएमएस) आइएसओ 27001:2013 बैंक के सूचना सुरक्षा विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए प्रमाणन प्राप्त किया है जो सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने के लिए एक मान्यता है। डेटा केंद्रों को शून्य डेटा हानि की सुविधा के लिए लागू किया गया है, सभी 3 डेटा केंद्रों और केंद्रीय पर एकाधिक एमपीएलएस-वीपीएन उच्च बैंडविड्थ कनेक्शन, विभिन्न वैकल्पिक सेवा / वैकल्पिक प्रदाताओं से दोहरी कनेक्टिविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया स्थापित किए गए हैं। फ़ायरवॉल और घुसपैठ की रोकथाम प्रणाली लागू की गई है।

सूचना सुरक्षा विभाग द्वारा निवारक और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए एक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की गई है, जबकि आइएस लेखा परीक्षा अनुभाग बैंक के विभाग और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली ऑडिट का ध्यान रखता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ किया है। एप्लिकेशन और नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर तिमाही में नियमित डीआर अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं, बाहरी विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण अभ्यास किया जाता है।

बैंक ने कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं । बैंक ने शिक्षाप्रद श्रृंखला परिपत्रों, पोस्टरों, एसएमएस, एटीएम कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और सोशल मीडिया हैंडल (फेसबुक, ट्विटर आदि) के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता का प्रसार किया है, आइओबी वेबसाइट में इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके सर्वोत्तम प्रथाओं और साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रश्नोत्तरी स्टाफ सदस्यों के लिए प्रकाशित किया है । बैंक ने सभी स्टाफ सदस्यों और तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं को साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किया है ।

सरकारी खाते

प्रत्यक्ष कर संग्रह: बैंक पूरे भारत में 354 शाखाएं ऑन लाइन लेखा परीक्षा पद्धति (OLTAS) के माध्यम से भौतिक रूप में आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों को एकत्र करने के लिए अधिकृत है। बैंक प्रत्यक्ष करों का ई-भुगतान प्राप्त करने के लिए भी अधिकृत है। वर्ष के दौरान, बैंक ने 11213.86 करोड़ रुपये के लेनदेन को संभाला और 1.05 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया।

अप्रत्यक्ष कर संग्रह: बैंक उत्पाद शुल्क और सेवा कर का ई-भुगतान, सीमा शुल्क का ई-भुगतान और शुल्क वापसी के ई-रिफंड प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। जीएसटी लागू होने के बाद, हमारी सभी शाखाओं को जीएसटी संग्रह के लिए सक्षम किया गया है। वर्ष के दौरान बैंक ने 14206.05 करोड़ रुपए का लेनदेन किया और 1.52 करोड़ रुपए का कमीशन अर्जित किया।

पेंशन का भुगतान: बैंक केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षा, रेलवे, टेलीकॉम, राज्य सरकारी के कर्मचारी, टीएनईबी, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नै डॉक लेबर बोर्ड, तमिलनाडु के स्थानीय फंड ऑडिट और मलेशियाई सरकारी पेंशन से संबंधित पेंशनभोगियों को सेवा दे रहा है।

केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र 64819 सक्रिय खातों के लिए केंद्रीय नागरिक, रक्षा, रेलवे और दूरसंचार पेंशनभोगियों को केंद्रीकृत आधार पर पेंशन वितरित करता है। बैंक ने वर्ष के दौरान लगभग 1835.63 करोड़ रुपये का वितरण किया है और वितरण की तारीख से 2-3 दिनों के भीतर केंद्रीय नागरिक, रक्षा, रेलवे और दूरसंचार पेंशन के लिए योजना के तहत प्रतिपूर्ति प्राप्त की है। वर्ष के दौरान बैंक ने 5.80 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया है।

बैंक 17 शाखाओं में तमिलनाडु सरकार के ट्रेजरी व्यवसाय को भी संभालता है, जिसका टर्नओवर 1298.43 करोड़ रुपये की प्राप्तियों और भुगतानों के साथ है । बैंक योजना आयोग और दूरसंचार विभाग के खाते का रख रखाव करता है और कुल 45744.48 करोड़ रुपये की प्राप्तियों और भुगतानों का प्रबंधन करता है। डाकघर संग्रह (आहरण और जमा) खाता तमिलनाडु में 77 शाखाओं में बनाए रखा गया है, जिसमें 647.53 करोड़ रुपये की रसीदें और भुगतान होते हैं।

बैंक भारत सरकार की बचत योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, सार्वजनिक भविष्य निधि और सुकन्या समृद्धि योजना योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और लगभग 1426.70 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना: वर्ष के दौरान बैंक ने 185.15 करोड़ रुपये एकत्र किए और 1.85 करोड़ रुपये की आय अर्जित की।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली: हमारी सभी बैंक शाखाओं को एनपीएस की सदस्यता के लिए सक्षम किया गया है। वर्ष के दौरान शाखाओं ने 3272 एनपीएस खाते खोले हैं।

निर्यात ऋण-ईसीजीसी कवरेज:

बैंकों के लिए निर्यात कवर बीमा (ईसीआइबी) के तहत संपूर्ण टर्नओवर-पैकिंग क्रेडिट (डब्ल्यूटी-पीसी) और पूरे टर्नओवर-पोस्ट शिपमेंट (डब्ल्यूटी-पीएस) के लिए प्रीमियम का भुगतान हर महीने के अंत में किया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित नुकसान के जोखिम को कम किया जा सके। बैंक वर्ष 2019-20 से ईसीजीसी को एक महीने के अग्रिम प्रीमियम के भुगतान के एवज में कॉरपोरेट गारंटी प्रदान करने की प्रणाली अपना रहा है।

मानव संसाधन विकास:

क) भर्ती और स्टाफ की संख्या

31 मार्च, 2022 तक बैंक के कर्मचारियों की संख्या 22369 थी, जिसमें 12384 अधिकारी, 7910 लिपिक और 2075 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल थे।

- वर्ष 2021 - 2022 के दौरान बैंक ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के कारण कोई भर्ती नहीं की है। हालांकि बैंक ने सूचना सुरक्षा के लिए पार्श्विक भर्ती के तहत 9 अधिकारियों की भर्ती की है।

कुल कर्मचारियों की संख्या में से 4421 सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग, 1609 अनुसूचित जनजाति वर्ग और 6999 सदस्य ओबीसी श्रेणी के थे। कर्मचारियों की संख्या में 8031 महिला कर्मचारी, 925 भूतपूर्व सैनिक और 496 शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य शामिल हैं।

Information Security

Board approved Information Security Policy and Cyber Security Policy, Digital Payment Security Control Policy, Technology Risk Management Policy, Cyber Crisis Management Plan, Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. Bank has received Information security management system (ISMS) ISO 27001:2013 certification for Bank's Information Security Department and Information Technology Department which is a recognition for following the information security best practices. Data Centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centers and Central, Dual connectivity from different alternate service/alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion prevention systems have been implemented.

A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information Security Department to monitor and analyse the information security incidents to take preventive and corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. The bank has fine-tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter, to ensure Application and network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

Bank has conducted Cyber security awareness program for staff and customers. Bank has disseminated security awareness through educative series circulars, posters, SMSs, messages through ATM Kiosk, Interne Banking, Mobile Banking and Social Media Handles (Facebook, twitter etc.), published best practices using Internet Banking in IOB website and Cyber security awareness quiz for staff members. Bank has conducted Cyber Security awareness training to all the staff members and third party service providers.

Government Accounts

Direct Tax Collections: The Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct taxes in physical mode through On Line Tax Accounting System (OLTAS) by 354 Branches all over India. The Bank is also authorized to receive e-payment of Direct Taxes. During the year, the bank has handled transactions amounting to Rs.11213.86 crore and earned commission of Rs.1.05 crore.

Indirect Tax Collections: The Bank is authorized to receive e-payment of Excise and Service Tax, E-payment of Customs Duty and e-refunds of Duty Drawback. After the introduction of GST, all our branches have been enabled for collection of GST. During the year the Bank has handled transactions amounting to Rs.14206.05 crore and earned commission of Rs.1.52 crore.

Payment of Pension: The bank is serving pensioners belonging to Central Civil, Defence, Railways, Telecom, State Civil, TNEB, Chennai Port Trust, Chennai Dock Labour Board, Local Fund Audit of Tamil Nadu and Malaysian Government Pension.

Centralised Pension Processing Centre disburses pension on a centralised basis to Central Civil, Defence, Railway and Telecom Pensioners for 64819 active accounts. The Bank has disbursed about Rs.1835.63 crore during the year and received reimbursement under scheme for Central Civil, Defence, Railway and Telecom Pensions within 2-3 days from the date of disbursement. During the year bank has earned commission of Rs.5.80 crores.

Bank also handles Treasury Business of the Government of Tamil Nadu at 17 branches with the turnover of Rs.1298.43 crore of receipts and payments. Bank serves the account of Planning Commission and Department of Telecommunications and handled receipts and payments totalling Rs.45744.48 Crore. Post Office Collection (Drawing and Deposit) Account is maintained at 77 branches in Tamil Nadu handling receipts and payments of Rs.647.53 crore.

Bank has been actively participating in the Government of India Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, Public Provident Fund and Sukanya Samriddhi Yojana schemes and have contributed subscriptions of about Rs.1426.70 crore.

Sovereign Gold Bond Scheme: During the year Bank has collected Rs.185.15 crore and earned an income of Rs. 1.85 crore.

National Pension System: All our Bank Branches have been enabled for subscription of NPS. During the year branches have opened 3272 NPS accounts.

Export Credit-ECGC coverage:

Premium under Export Cover Insurance for Banks (ECIB) for Whole Turnover-Packing Credit (WT-PC) and Whole Turnover -Post Shipment (WT-PS) is being paid at the end of every month to mitigate the risk of any eventual loss to the bank. Bank is adopting the system of providing Corporate Guarantee in lieu of payment of one month advance premium to ECGC from the year 2019-20 onwards.

Human Resources Development:

a. Recruitment & Staff strength

The Bank's staff strength stood at **22369** Comprising **12384** Officers, **7910** Clerks and **2075** Sub-staff as of 31st March, 2022.

- During the year 2021 - 2022, the Bank has not done any recruitment due to PCA. However, Bank has recruited 9 officers under Lateral recruitment for Information Security.

Of the total staff strength, 4421 members belonged to SC category, 1609 to ST Category, and 6999 to OBC Category. Staff Strength includes 8031 Women employees, 925 Ex-servicemen and 496 physically challenged members.

1. अभिप्रेरणा

कर्मचारी दिवस:

कर्मचारी बैंक की पहली और सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं और बैंक हमेशा कर्मचारियों का विश्वास हासिल करने के लिए उन्हे निरंतर प्रेरित करने में विश्वास रखता है।

बैंक कर्मचारियों ने हमेशा अपने संगठन के प्रति त्रुटिहीन प्रतिबद्धता और समर्पण प्रदर्शित किया है, और "कर्मचारी दिवस" आयोजित करना हमारे सभी कर्मचारियों को सक्रिय रूप से शामिल करने, उनके मुद्दों और शिकायतों को जानने और हल करने का एक तरीका है, जो उन्हें अपने पेशेवर के प्रति सम्मान महसूस कराने के साथ ही व्यक्तिगत उपलब्धियों के रूप में, और इस प्रकार, अपनेपन की भावना को फिर से स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि वे प्रदर्शन के उच्च स्तर की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। महीने के हर तीसरे शनिवार को पूरे देश में कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

हमसे पूछें:

बैंक हमेशा अपने कर्मचारियों को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने में सक्रिय रहा है और "हमसे पूछे- ऑनलाइन हेल्प डेस्क" हमारे बैंक द्वारा शुरू की गई एक ऐसी ही पहल है। यह एक रियल टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हमारे स्टाफ सदस्यों को उनकी बैंकिंग संबंधी शंकाओं को दूर करने के लिए उपलब्ध करवाया गया है,ताकि कर्मचारी अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए और अधिक आश्वस्त हो जाते हैं और कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करें।

कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और विकसित करने की दिशा में हमारे बैंक का प्रयास और दृष्टिकोण हमेशा मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार करना, ज्ञान की कमी को दूर करके बेहतर बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए क्षमता का निर्माण करना है, बैंक में स्टाफ सदस्यों को पर्याप्त सीखने के अवसर प्रदान कर रहा है। सभी क्षेत्रीय कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय के विभागों ने अपने संबंधित कार्यस्थल से संसाधन व्यक्तियों की पहचान की है। बदले में ये संसाधन व्यक्ति वास्तविक समय के आधार पर स्टाफ सदस्यों को उनकी शंकाओं को स्पष्ट करने में मदद करते है ।

सभी विचार मायने रखते हैं (एआइएम):

कर्मचारी बैंक की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। इसलिए उनके सुझावों से बैंक को बेहतर नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार करने में मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे बैंक ने " सभी विचार मायने रखते है" नाम से एक स्टाफ सुझाव योजना शुरू की है -जिसमें सभी स्टाफ सदस्यों को अपने मूल्यवान सुझाव और विचारों को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

त्रैमासिक आधार पर स्टाफ सदस्यों से प्राप्त सुझावों को जांच के लिए महा प्रबंधकों की एक चयन समिति के समक्ष रखा जाता है और सर्वसम्मति पर सर्वोत्तम सुझावों का चयन किया जाता है। जिन स्टाफ सदस्यों के सुझावों को सर्वोत्तम सुझावों के रूप में माना जाता है, उन्हें एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है और सुझाव को संबंधित विभाग के साथ व्यवहार्यता अध्ययन के लिए साझा किया जाता है ।

पुरस्कार और मान्यता नीति:

पुरस्कार और मान्यता नीति का मुख्य उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना है। सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए, प्रदर्शन, दृष्टिकोण और उपलब्धियों के संदर्भ में कर्मचारी द्वारा किए गए प्रयासों को पहचानना महत्वपूर्ण हो जाता है।

पुरस्कार और मान्यता नीति का उद्देश्य कार्यस्थल में प्रेरणा को बढ़ावा देना और ऐसी संस्कृति का निर्माण करना है जो संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल हो और कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से या टीमों के माध्यम से किए गए उनके अच्छे काम के लिए मूल्यवान और सराहना महसूस कराती है।

इस संबंध में अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाले हमारे स्टाफ सदस्यों को विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रशंसा पत्रों से पुरस्कृत किया जा रहा है।

क्षमता निर्माण:

उत्तराधिकार की योजना बनाने और पहचान किए गए महत्वपूर्ण पदों के लिए पहचाने गए अधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए, बैंक ने स्टाफ सदस्यों की क्षमता का निर्माण करने के लिए आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुरूप "क्षमता निर्माण" पर एक नीति तैयार की है।

बैंक में क्षमता निर्माण के लिए स्टाफ सदस्यों को उन क्षेत्रों में प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया है। उन सदस्यों के लिए जो वर्तमान में किसी भी चिन्हित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें दो साल के भीतर अपेक्षित प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा।

प्रेरक उपाय के एक भाग के रूप में, बैंक क्षमता निर्माण के तहत सभी पहचाने गए प्रमाण पत्रों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति कर रहा है और पदोन्नति प्रक्रिया में उसी के लिए उचित महत्त्व भी दे रहा है ।

अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा सीखें:

"अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं को सीखें" नाम की एक नई पहल शुरू की गई और बैंक ने इसे लागू किया है, ताकि सभी स्टाफ सदस्य उस क्षेत्रीय भाषा के बोलने के कौशल में कुशल हो सकें, जहां वे तैनात हैं ।

पहल के अनुसार, तमिल भाषा सीखने का पहला बैच - बोलने का कौशल सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिसमें 172 स्टाफ सदस्यों ने मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मूल्यांकन प्रक्रिया को लगातार 5 रविवार तक एक ऑनलाइन कार्यशाला के पूरा होने पर पूरा किया।

नैतिकता नीति

सार्वजनिक आचरण के संबंध में कर्मचारियों के बीच सहयोग की संस्कृति बनाने, बैंक के साथ संचार, मीडिया सहित बाहरी संस्थाओं के साथ बातचीत और सहयोगियों के साथ व्यवहार करने के लिए, बैंक के सभी कर्मचारियों को कवर करते हुए नैतिकता नीति प्रस्तुत की गई थी। नीति उस आचरण के मानकों को परिभाषित करती है जो सभी कर्मचारियों से अपेक्षित है ताकि बैंक में विभिन्न कार्यों में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निभाने में सही निर्णय लिया जा सके।

उक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए, एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अपनाया गया है, जिसमें आचार नीति में वर्णित आचार संहिता के पालन की पुष्टि करने वाले सभी कर्मचारियों से वार्षिक आधार पर ऑनलाइन पुष्टि प्राप्त की जाती है।

1. **Motivation**

Employee Day:

Employees are the first and foremost assets of our Bank and Bank always believes in continuous motivation to gain confidence of employees.

Our employees have always displayed impeccable commitment and dedication to our esteemed organization, at all times, and conducting "EMPLOYEE DAY" is one way of actively involving all our employees, knowing and resolving their issues and grievances, making them feel appreciated for their professional as well as personal achievements, and thereby, re-instilling a sense of belongingness and ensuring that they propel towards higher levels of performance. Every 3rd Saturday of the month is celebrated as Employee Day across the country.

Ask Us:

Our Bank has always been proactive in providing its employees with ample learning opportunities and the "ASK US – Online Help Desk" is one such initiative introduced by our Bank. It is a Real Time Online Platform provided for our staff members for clarifying their banking related doubts, become more confident in discharging their day to day duties and thereby, render efficient customer service.

Our Bank's endeavour and approach towards training and developing our employees has always been to improve on the current processes, build capacity in the bank to offer better banking service by addressing the knowledge gap, by providing staff members with ample learning opportunities. All Regional Offices and CO Departments will identify Resource Persons from their respective workplace. These Resource persons will in turn help the staff members in clarifying their doubts on a real time basis.

All Ideas Matter (AIM):

Employees form the most important component for the progress of our Bank. Hence suggestions from them help the Bank in framing better policies and procedures. Keeping this in mind our Bank has introduced a Staff Suggestion Scheme named "ALL IDEAS MATTER" – Unleash your ideas wherein all staff members irrespective of the cadre are encouraged to offer their valuable suggestions and ideas.

On a quarterly basis the suggestions received from the staff members are placed before a select Committee of GMs for scrutinization and the best suggestions are selected on consensus. Those staff members whose suggestions are awarded as best suggestions will be provided with an appreciation letter and the suggestion is shared with the concerned Department for feasibility study.

Reward and Recognition Policy:

The major aim of reward and recognition policy is to attract and retain the best talent. In order to attract and retain best talent, it becomes important to recognize the efforts put in by the employee in terms of performance, attitude, and achievements.

The objective of reward and recognition policy is to promote motivation in the workplace and to build up culture that is conducive for achieving organizational objectives and to make employees feel valued and appreciated for their good work done, either individually or through teams.

In this connection our staff members with exemplary performance are being rewarded with appreciation letters under various categories.

Capacity Building:

In order to plan the succession and equip the identified officers for identified critical positions, Bank has drawn a Policy on "Capacity Building" in tune with RBI guidelines to build up the capacity of the staff members.

Staff members have been advised to obtain the certifications in those areas in order to build up the capacity in the Bank. For the members who are currently working under any of the identified areas have to obtain the requisite certification within two years.

As a part of motivational measure, Bank is reimbursing the course fees for all the identified certifications under capacity building and also giving due weightage for the same in the Promotion process.

LEARNING ADDITIONAL REGIONAL LANGUAGES:

A new initiative named "Learning Additional Regional Languages" was introduced and our Bank stands to implement the same, thereby, enabling all our staff members become proficient in speaking skills of regional language where they are posted at.

As per the initiative, the First Batch of Learning Tamil Language – Speaking Skills was successfully completed with 172 staff members clearing the assessment process conducted by University of Madras on completion of an online workshop for 5 consecutive Sundays.

Ethics Policy

Ethics policy was introduced covering all the employees of the Bank, to create a culture of cooperation among the employees in respect of public conduct, communications with the Bank, interactions with external entities including the media and dealing with colleagues. The policy defines the standards of the conduct that is expected of all employees in order that the right decisions are taken in performing roles and responsibilities across various functions in the Bank.

For implementation of the said policy, a Standard Operating Procedure (SOP) has been adopted wherein online affirmation from all the employees confirming adherence to the code of conduct as detailed in the Ethics policy is obtained on annual basis.

जॉब फैमिली :

जॉब फैमिली को हमारे बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2019 - 20 में पेश किया गया था जिसमें 10 क्षेत्र शामिल हैं। एक ही क्षेत्र के तहत समान प्रकृति के कार्यों/कारोबार कार्यक्षेत्रों और संबंधित विभागों/कक्षो/ क्षेत्रों आदि को समूहीकृत करने के बाद एक क्षेत्र के अधीन लाया गया था ।

संबंधित विभागों/कारोबार कार्यक्षेत्रों में काम करने वाले सभी अधिकारियों को जिसमें वे कार्य कर रहे है, समूहीकृत/वर्गीकृत किए गए क्षेत्र के संबंध में उनके पास अपेक्षित योग्यताएँ है ।

प्रशिक्षण:

बैंक के कॉरपोरेट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक और बाहरी मोड के माध्यम से बैंकिंग के बुनियादी क्षेत्रों के अलावा बैंकिंग के समकालीन मुद्दों पर ग्राहक केंद्रित प्रशिक्षण दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, क्रेडिट मूल्यांकन/ऋण निगरानी, लघु और मध्यम उद्यम को वित्त पोषण, सतर्कता के क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों और लिपिको के लिए बैंकिंग विषय पर नियमित प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही मौजूदा महामारी की स्थिति के कारण पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के प्रबंधकों के साथ सभी स्टाफ सदस्यों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीएच सदस्य, जो अधीनस्थ से लिपिक संवर्ग, लिपिक से जेएमजीएस ।, जेएमजीएस । से एमएमजीएस ॥ और एमएमजीएस ॥ से एमएमजीएस ॥। में पदोन्नति के लिए पात्र है उनके लिए पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था।

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

आंतरिक प्रशिक्षण

बैंक की आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली में एक स्टाफ कॉलेज और बारह (12) कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रदान किए गए आंतरिक प्रशिक्षण के आंकड़े निम्नलिखित हैं:

विवरण	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ	कुल	अनुसूचित जाति (कुल में से)	अनुसूचित जनजाति (कुल में से)
वैयक्तिक रूप से स्टाफ सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण (भाग लेने वाले प्रशिक्षणों की संख्या को संज्ञान में लिए बिना)	7158	4337	438	11933	2535	1122
वित्तीय वर्ष 2021 - 22 के दौरान दिया गया प्रशिक्षण (सदस्यों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षणों की कुल संख्या के आधार पर)	9546	5159	550	15255	3322	1693

बाह्य प्रशिक्षण

बैंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), आईडीआरबीटी-हैदराबाद, एनआईबीएम-पुणे, सीएबी-पुणे, आरबीआइ, इंफोसिस, बीक्यू ग्लोबल, आईआईबीएंडएफ-मुंबई, केयर ट्रेनिंग संस्थान, एसआईबीएसटीसी - बैंगलोर, सीएएफ़आरएएल - मुंबई, एफ़आईएमएमडीए - मुंबई, एफ़ईडीएआई - मुंबई, आईबीए जैसे प्रतिष्ठित बाहरी संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 782 कार्यपालकों / अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की थी।

सामान्य और विषय संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, बैंक ने एक्सएलआरआई - द जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर के संकाय समर्थन के साथ हमारे 33 कार्यपालकों के लिए नेतृत्व पर एक ऑनलाइन नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया है ।

ई-पाठशाला - ऑनलाइन ई-लर्निंग पोर्टल:

वित्तीय वर्ष 2021 - 22 के दौरान बैंक के ऑनलाइन मॉड्यूल में सभी स्टाफ सदस्यों के लिए ई-पाठशाला उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें क्रेडिट, एनपीए, ट्रेजरी, विदेशी मुद्रा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर 51 मॉड्यूल शामिल थे। इन मॉड्यूल को कौशल तथा विषयगत ज्ञान बढ़ाने और ज्ञान अद्यतन करने के लिए लक्षित किया गया था। स्टाफ सदस्यों का ज्ञान जिससे हमारी ऑनलाइन सीखने की पहल (ई-पाठशाला) को बढ़ाया जा सके।

उक्त पोर्टल को बैंक के स्टाफ कॉलेज संकाय द्वारा नियमित आधार पर अद्यतन और अनुरक्षित किया जाता था। कुल 11912 स्टाफ सदस्यों (96%) ने ई-पाठशाला के तहत सभी दस अनिवार्य मॉड्यूल (51 उपलब्ध मॉड्यूल में से) को पूरा किया।

औद्योगिक संबंध:

संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक में औद्योगिक संबंधों का वातावरण पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण और अनुकूल रहा।

बैंक के सभी कार्यालयों/शाखाओं में अच्छे औद्योगिक संबंधों के माहौल की निगरानी और रखरखाव के लिए अनुशासन लागू करने, पालन की जाने वाली नीतियों आदि के संबंध में समय-समय पर परिपत्र/दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं ।

उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है जिनके खिलाफ

Job Family:

Job Family was introduced by our Bank in FY 2019 – 20 which comprises of 10 families. The same was arrived after grouping similar nature of tasks/ business vertical and related Depts./ cells/ areas etc. under one family.

All Officers having exposure/ working in the related depts./ business verticals and having requisite qualifications in the areas falling under the above Job Families have been grouped/ classified under the given Job Family.

Training:

Keeping in view the corporate goal of making the bank a customer centric one training has been imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas of banking through the internal and external mode.

Apart from the above, regular training on Banking topics have been imparted to officers and clerks in the field of Credit Appraisal/ Credit Monitoring, Small & Medium Enterprises Financing, Vigilance. Also Programmes for First Line and Second Line Managers were conducted for all staff members through online mode due to the prevailing pandemic situation.

Pre Promotion Training for SC/ST/ OBC/ PH members who are eligible for promotion from Sub Staff to Clerical cadre, Clerk to JMGS I, JMGS I to MMGS II and MMGS II to MMGS III was conducted through online mode.

The Pre-Retirement counseling programme was conducted for Officers and Award Staff Members who retired during the year.

Internal Training

Our Bank's internal training system comprises of One Staff College and Twelve Staff Training Centers (STCs). The statistics of Internal Trainings imparted for the FY 2021 – 22 is furnished hereunder:

Particulars	Officers	Clerical	Sub staff	Total	SC (Out of Total)	ST (Out of Total)
Training imparted to Individual Staff members (irrespective of no. of trainings attended)	7158	4337	438	**11933**	2535	1122
Training imparted during FY 2021 - 22 (based on total no. of trainings attended by members)	9546	5159	550	**15255**	3322	1693

External Training

Bank had also deputed **782** Executives/ Officers for training programmes conducted by reputed external institutes like Indian Institute of Management (IIMs), IDRBT – Hyderabad, NIBM – Pune, CAB – Pune, RBI, Infosys, BQ Global, IIB&F – Mumbai, CARE Training Institute, SIBSTC – Bangalore, CAFRAL – Mumbai, FIMMDA – Mumbai, FEDAI – Mumbai, IBA

Apart from the general and subject concerned training programmes Bank has also conducted an Online Leadership Development Programme for 33 of our Executives with the faculty support from XLRI – The Xavier School of Management, Jamshedpur.

E-Paatashala – Online e-Learning portal:

E-Paatashala was made available for all the staff members in our Bank's online module consisting of 51 modules on various areas like Credit, NPA, Treasury, Foreign Exchange etc., during the FY 2021 - 22. These modules were targeted at enhancing and updating the knowledge of the staff members thereby scaling up our online learning initiative (E-Paatashala).

The said portal was updated and maintained by our Staff College Faculty on a regular basis. A total of 11912 staff members (96%) completed all TEN Mandatory modules (out of 51 available modules) under E-Paatashala.

Industrial Relations:

The Industrial relations environment in the Bank remained cordial and conducive throughout the year for achieving organization's objectives.

In order to monitor and maintain good Industrial Relations climate in all offices/Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed, etc.

Action is taken against staff members against whom complaints/matters of IR nature are reported to enforce discipline and harmonious industrial relations in the Bank.

Further, all the guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are

आईआर संबंधी शिकायतें / मामले बैंक में अनुशासन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को लागू करने के लिए रिपोर्ट किए जाते हैं।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ द्वारा कर्मचारियों के मामलों के संबंध में जारी सभी दिशा-निर्देशों को हमारे कर्मचारियों के लाभ के लिए परिपत्र जारी करके यथाशीघ्र लागू किया जाता है। एचआरएमडी-आईआर अनुभाग, केंद्रीय कार्यालय स्थानांतरण से संबन्धित स्टाफ सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए, अन्य लाभों आदि के संबंध में अधिकारी संघ / कर्मचारी संघ के साथ चर्चा करता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, स्टाफ सदस्यों के लाभ के लिए पर्यवेक्षी कर्मचारियों को प्रदान किए गए पट्टे पर आवास के लिए किराये की सीमा को बढ़ाया गया था । कर्मचारी आवास ऋण योजना में सभी संवर्गों को ऋण राशि में वृद्धि, ब्याज दर में कमी, भूखंड की खरीद के लिए ऋण प्राप्त करने के बाद आवास के निर्माण के प्रारंभ के लिए समय का विस्तार सहित आदि संशोधन और सुधार किए गए थे।

कोविड महामारी ने बैंकरों सहित सभी जनता के सामान्य जीवन को प्रभावित किया। बैंक ने स्टाफ सदस्यों के लिए कई कल्याणकारी उपायों को लागू किया है, जिसमें दस्ताने, मास्क की खरीद के लिए स्टाफ सदस्यों को राशि की मंजूरी, अपने लिए या अपने परिवार के किसी आश्रित सदस्य के लिए कोविड से संक्रमित उन स्टाफ सदस्यों को कोविड चिकित्सा सहायता ऋण जारी करना, कोविड 19 के कारण मरने वाले मृत स्टाफ सदस्य के कानूनी वारिसों को प्रति कर्मचारी 20 लाख रुपये की मुआवजे की राशि का भुगतान शामिल है ।

प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में सभी स्टाफ सदस्यों से उनकी 'चल, अचल और मूल्यवान संपत्तियों' के बारे में विवरण प्राप्त किया जाता हैं। 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए, अधिकांश स्टाफ सदस्यों ने अपने रिटर्न जमा कर दिए हैं, जिनकी जांच भी की गई थी।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रशासनिक कार्यालयों (केंद्रीय / क्षेत्रीय कार्यालयों) में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया ।

वर्ष 2021-2022 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतें (01.04.021)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें (31.03.2022)
0	3	2	1

वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा शीर्ष स्तर पर सहायक श्रम आयुक्त सहित विभिन्न न्यायालयों सहित विभिन्न न्यायालयों के समक्ष दायर किए गए औद्योगिक विवाद/न्यायालय के मामलों की समीक्षा की जाती है और अदालती मामलों को शीघ्र निपटाने के प्रयास किए जाते हैं।

आचरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई:

अनुशासनिक कार्यवाही

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अनुशासनात्मक मामलों के निराकरण हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के कारण बैंक ने 798 प्रकरणों का निराकरण किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 503 नए आरोप पत्र जारी किए।

31.03.2022 तक बकाया 260 मामलों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति के विभिन्न चरणों में है, जिनमें से 177 सतर्कता मामले हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 537 नए मामलों के बीच अनुशासनात्मक मामलों की संख्या को 300 से कम पर लाया गया है। जहां सदस्य निलम्बित हैं वहां अनुशासनात्मक कार्यवाही को पूर्ण करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

कोविड संकट के बीच अनुशासनात्मक कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिजिटल मोड जैसे वीबेक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से जांच कार्यवाही की जा रही है।

सी-डैक ने सभी जांच प्राधिकारियों और प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया है और सभी आइए और पीओ को आवश्यक सामग्री, पुस्तिकाएं प्रदान की गई हैं और जांच प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए निर्देश दिए गए हैं।

अनुशासनात्मक कार्यवाही को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए अनुशासनात्मक अधिकारियों को सुग्राही बनाया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग,कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन द्वारा आयोजित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर तीन दिवसीय कार्यशाला के लिए एचआरडीडी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों और सीडीएसी, केंद्रीय कार्यालय के जांच अधिकारियों और प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की पहचान की गई और उन्हें नामित किया गया ।

इण्डियन ओवरसीज बैंक में एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

पदों की श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या 31.03.2022 तक	एससी की संख्या	एसएस का%	एसटी की संख्या	एसटी का%	ओबीसी की संख्या	ओबीसी का%
अधिकारी	12384	2123	17.14	1168	9.43	3752	30.29
लिपिक	7907	1514	19.14	367	4.64	2598	32.85
उप योग	1679	612	36.45	62	3.69	508	30.25

implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of our employees.HRMD-IR Section, Central Office holds discussions with Officer Association / Workmen Union for redressal of grievances of staff members regarding transfers, other benefits etc.

During the financial year, the rental ceiling for leased accommodation provided to Supervisory Staff was enhanced for the benefit of staff members.

Modifications and Improvements were made to Staff Housing Loan Scheme including increase in quantum of loan amount to all cadres, reduction in interest rate, extension of time for commencement of construction of House after availing loan for purchase of plot etc.

The COVID Pandemic affected the normal life of all the public, including bankers. We have implemented several welfare measures to the staff members including sanction of amounts to staff members for purchase of gloves, masks, release of COVID Medical Assistance Loan to staff members who were infected with COVID either for themselves or for any of their dependent family members, payment of compensation amount of Rs.20 lacs per employee to the legal heirs of deceased staff member who died due to COVID 19.

We obtain statement from all staff members regarding their 'Movable, Immovable and valuable properties' as at the end of March every year. For the year ended 31.03.2021, most of the staff members have submitted their returns which were also scrutinized.

To prevent sexual harassment of women at workplace, Internal complaints committees were constituted at all Administrative offices (Central / Regional offices) as per the provisions of Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013.

The details of the Sexual Harassment Complaints received and disposed during the year 2021 – 2022 is as follows:

Complaints pending as at the beginning of the year (01.04.2021)	Complaints received during the year 2021-22	Complaints disposed off during the year	Complaints pending as at the end of the year (31.03.2022)
0	3	2	1

Industrial Disputes / Court Cases filed by staff members before various Courts including those before Assistant Labour Commissioner are reviewed by the Bank at Apex level as per Ministry of Finance guidelines and efforts are taken to settle/get the Court cases disposed of expeditiously.

CONDUCT & DISCIPLINARY ACTION:

Disciplinary Proceedings

During the Financial Year 2021-22 due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases, we have disposed of 798 cases. During the year under review, the Bank issued 503 new charge sheets.

The disciplinary proceedings are in various stages of progress in respect of outstanding 260 cases as on 31.03.2022, out of which 177 are Vigilance cases. Efforts are made to complete the disciplinary proceedings within the stipulated time frame. The number of Disciplinary cases has been brought down to less than 300 amidst inflow of 537 new cases during the financial year 2021-22. Utmost priority is being given to complete the disciplinary proceedings where the members are under suspension.

Enquiry proceedings are being conducted through Digital modes like Webex, Video conferencing etc., to speed up the Disciplinary proceedings amidst Covid crisis.

CDAC has conducted online training for all Inquiring Authorities and Presenting Officers and necessary materials, handbooks were provided to all IAs and POs and directions were given for smooth conduct of Inquiry process.

Disciplinary Authorities have been sensitized to complete the Disciplinary proceedings within the stipulated time.

During the FY 2021-22, Inquiring Authorities and Presenting Officers from various Regions and CDAC, Central Office were identified and nominated by HRDD for the three day workshop on Disciplinary proceedings conducted by Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

Representation of SC/ST/OBC Employees in Indian Overseas Bank

Category of posts	Total No. of employees As on 31.03.2022	No of SCs	% of SCs	No of STs	% OF STs	No of OBCs	% of OBCs
Officers	12384	2123	17.14	1168	9.43	3752	30.29
Clerk	7907	1514	19.14	367	4.64	2598	32.85
Sub-Staff	1679	612	36.45	62	3.69	508	30.25

सफाईकर्मी	393	170	43.25	11	2.79	141	35.87
कुल	22363	4419	19.76	1608	7.19	6999	31.29

रोस्टर:

मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रधान कार्यालय में पदोन्नति और भर्ती रोस्टर बनाए जाते हैं। रोस्टरों का निरीक्षण नियमित आधार पर किया जाता है। वर्ष 2019 और 2020 के लिए रोस्टर रजिस्टर को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 21.09.2021 को नई दिल्ली में सत्यापित किया गया था।

प्रशिक्षण:

पदोन्नति परीक्षा शुरू होने से पहले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीएच कर्मचारियों के लिए पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी / भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों का कल्याण:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण नीति जो भारत सरकार के तहत बैंकों के लिए लागू होती है, इण्डियन ओवरसीज बैंक पर भी लागू होती है। जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ मानव संसाधन प्रबंधन विभाग में स्थापित किया गया था और आरक्षण के नियम के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। मुख्य संपर्क अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही मांगपत्र तैयार किया जाता है, जो रोस्टर बिंदुओं के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या आदि दर्शाने वाले प्रमाण पत्र के रूप में उप महा प्रबंधक के पद पर होता है।

हमारे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों/सेवा मामलों/कल्याण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए बहुसंख्यक कल्याण संघ के साथ त्रैमासिक बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है।

ओबीसी कर्मचारियों का कल्याण:

ओबीसी के लिए आरक्षण नीति जो भारत सरकार के तहत बैंकों के लिए लागू है, इण्डियन ओवरसीज बैंक पर भी लागू होती है। बैंक का केंद्रीय कार्यालय में ओबीसी कक्ष है, जो महाप्रबंधक (कार्मिक) और मुख्य संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में है, जो महाप्रबंधक के पद का है। मुख्य संपर्क अधिकारी ओबीसी कक्ष के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि बैंक में सरकारी दिशानिर्देशों को लागू किया गया है। हमारे ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों/सेवा मामलों/कल्याण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए नियमित अंतराल पर मे बहुसंख्यक कल्याण संघ के साथ अर्धवार्षिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

सुरक्षा :

स्थानीय कानून और व्यवस्था, अपराध दर और बैंकों के खिलाफ अपराधों के तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए सभी शाखाओं, एटीएम और प्रशासनिक कार्यालयों में सुरक्षा, सुरक्षा और एहतियाती उपाय, अनिवार्य रूप से स्टाफ सदस्यों को सुझाए गए हैं ।

जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए निवारक उपायों और कर्मचारियों के बीच आग की रोकथाम और सुरक्षा जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया गया । सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में आग के ए, बी और सी वर्गों से निपटने के लिए पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक ने सुरक्षा जागरूकता के बारे में स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाया है और सभी शाखाओं में मामले के आधार पर शाखाओं में निष्क्रिय इंफ्रा रेड (पीआईआर) सेंसर और कंपन सेंसर को शामिल करते हुए 24x7x365 दिनों तक काम करने वाले सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सीसीटीवी और बर्गलर अलार्म की स्थापना सुनिश्चित की है भेद्य एटीएम पर आउटसोर्स चौकीदार / सशस्त्र गार्ड की तैनाती की है। विभिन्न क्षेत्रों में तैनात आरएसओ (क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी) ने शाखाओं का दौरा किया है, स्थापित सुरक्षा उपकरणों की कार्य क्षमता की जांच की है, कर्मचारियों को इनकी हैंडलिंग और महत्व के बारे में शिक्षित किया है और इसकी नियमित जांच की आवश्यकता है, शाखाओं और एटीएम की जोखिम धारणाओं का आकलन किया है और पर्याप्त सुधारात्मक कदम उठाए हैं। आरएसओ के कॉन्क्लेव सह प्रशिक्षण का आयोजन उन्हें बाजार में उपलब्ध नवीनतम सुरक्षा गैजेट्स, वीडियो और समाचार पत्रों की कटिंग के माध्यम से अपराध के पैटर्न के बारे में शिक्षित और अवगत कराने के लिए किया गया था और सर्वोत्तम समाधान विकसित करने के लिए स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की गई थी। अधिकांश करेंसी चेस्ट को दो सशस्त्र गार्डों के साथ आउटसोर्स किए गए विशेष रूप से तैयार कैश वैन को जरूरतमंद शाखाओं में नकदी के सुरक्षित हस्तांतरण और जहां कहीं अधिक है वहां से उठाने के लिए स्वीकृत किया गया है और इसकी केंद्रीय कार्यालय में सुरक्षा विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है।

राजभाषा

बैंक ने वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के सभी प्रयास किए हैं। बैंक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष के दौरान हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले 613 स्टाफ सदस्यों को सामान्य हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किया गया। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने सभी प्रशासनिक कार्यालयों के सभी कंप्यूटर को हिन्दी यूनिकोड फॉन्ट समर्थित कर दिया है और सभी शाखाओं को इसे आइओबी ऑनलाइन पर डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की है।त्रैमासिक हिंदी पत्रिका "वाणी" के चार अंक प्रिंट के साथ-साथ डिजिटल रूप में प्रकाशित हुए हैं।

हमारे बैंक को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार से 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' प्राप्त हुआ है, जो हमारे बैंक द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा में किए गए प्रयासों के प्रमाण पत्र के रूप में श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया था। हमारे केंद्रीय कार्यालय ने 20 क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं के साथ संबंधित नराकास से पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में 16 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं को राजभाषा शील्ड योजना के तहत पुरस्कृत किया गया। साथ ही जिन क्षेत्रीय कार्यालयों का ई-पत्रिका का प्रकाशन उत्कृष्ट रहा, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया।

Sweeper	393	170	43.25	11	2.79	141	35.87
Total	**22363**	**4419**	**19.76**	**1608**	**7.19**	**6999**	**31.29**

Rosters:

As per Ministry guidelines promotions and recruitment rosters are maintained at Head Office to ensure adequate representation of SC/ST/OBC employees. Inspection of Rosters is carried out on a regular basis. Roster Register for the year 2019 & 2020 was verified by Ministry of Finance, Department of Financial Services on 21.09.2021 at New Delhi.

Trainings:

Pre Promotion trainings are conducted for SC/ST/OBC/PH employees before the commencement of the promotion examinations.

Welfare of SC/ST/PWD/ Ex-Servicemen Employees:

The Reservation Policy for SC/ST /PWD/Ex- Serviceman which are applicable for Banks under Government of India is also applicable to Indian Overseas Bank. As stipulated by the Government of India SC/ST Cell had been established in the Human Resources Management Department and is monitoring the implementation of the rule of reservation. Indent is placed only after obtaining approval from the Chief Liaison Officer who is in the rank of Deputy General Manager in the form of a certificate showing number of reserved post etc. according to the roster points.

Quarterly meeting with the Majority Welfare Association are held at regular intervals in order to resolve issues related to grievances/service matter/welfare of our SC/ST Employees.

Welfare of OBC Employees:

The Reservation Policy for OBCs which are applicable for Banks under Government of India are also applicable to Indian Overseas Bank. Bank is having OBC Cell at the Central Office, which is under the direct supervision of General Manager (Personnel) and Chief Liaison Officer, who are in the rank of General Manager. The Chief Liaison Officer through the OBC Cell ensures that the Government guidelines are implemented in the Bank. Half yearly meeting with the Majority Welfare Association are held at regular intervals in order to resolve issues related to grievances/service matter/ welfare of our OBC Employees.

SECURITY:

Safety, Security and precautionary measures, as and where required, mandated and suggested were reviewed, studied and implemented in all Branches, ATMs and Administrative Offices keeping in view the local law and order, crime rate and modus operandi of the crimes against Banks in mind.

The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire safety arrangements and inculcation of fire prevention and security consciousness among staff to ensure safety to life and property. Portable fire extinguishers for fighting A, B and C classes of fire have been provided at all Branches and Administrative Offices. Bank has sensitized staff members regarding security awareness and ensured installation of security electronics viz., CCTV and Burglar Alarm functioning 24x7x365 days incorporating Passive Infra Red (PIR) sensors and vibration sensors in all branches and deployment of outsourced Watchmen/ Armed Guards at vulnerable ATMs and branches on case to case basis. RSO's (Regional Security Officers) deployed in various Regions have visited Branches, checked function ability of security gadgets installed, educated staff about handling and importance of these and need for routine checking of same, assessed risk perceptions of Branches and ATM's and have taken adequate corrective measures to provide a safe working environment in Branches. RSO's conclave cum training was organized to educate and apprise them about latest security gadgets available in market, the pattern of crime through videos & newspaper cuttings and discussed local problems to evolve best solutions. Most of the Currency Chests have been sanctioned outsourced fortified cash vans with two armed guards for safe transfer of cash to needy Branches and lifting of same from wherever it is in excess and the same is reviewed by Security Department at Central Office.

Official Language

The Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the year 2021-22. The Bank is committed to achieve all the goals of the Annual Program formulated by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. 613 Staff members possessing working knowledge of Hindi were trained in General Hindi Workshops held during the year. As per the directives of Government of India, Bank has enabled all the computers of Hindi Unicode font in administrative and all the Branches has provided the facility of downloading of the same on IOB Online. Four issues of quarterly Hindi Magazine "VANI" in print as well as in digital form have been published.

Our Bank has received the 'Rajbhasha Kirti Puraskar' from the Ministry of Home Affairs, Government of India for the financial year 2020-21, as a certification of the efforts made by our Bank towards the implementation of Official Language, which was received by Sri Partha Pratim Sengupta, Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank. Our Central Office along with 20 Regional Offices / Branches has received awards from respective TOLICs. 16 Regional Offices were inspected in connection with Official Language implementation by Official Language Department, Central Office. Regional offices and branches who have done excellent work in the field of official language implementation were rewarded under the Rajbhasha Shield Scheme. Also, the regional offices whose publication of e-magazine was excellent were also rewarded.

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने क्रमशः 05 जुलाई 2021 और 27 अक्तूबर, 2021 को क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता का निरीक्षण किया। उक्त समिति ने इन केन्द्रों में राजभाषा के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के उप सचिव और उप निदेशक (राजभाषा) द्वारा हमारे केंद्रीय कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया। 22 दिसंबर 2021 को भारत सरकार और निरीक्षण अधिकारियों ने हमारे बैंक में हिंदी में किए गए हमारे प्रगतिशील और अभिनव कार्यों की सराहना की है। हमारे केंद्रीय कार्यालय को 20 क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं के साथ संबंधित नराकास से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं । राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में 16 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं को राजभाषा शील्ड योजना के तहत पुरस्कृत किया गया । साथ ही जिन क्षेत्रीय कार्यालयों का ई-पत्रिका का प्रकाशन उत्कृष्ट रहा, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया ।

बैंक ने हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय में हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं. 9 सितंबर 2021 को एक अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। बैंक ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के स्टाफ सदस्यों के लिए नवंबर 2021 के महीने में अंतर-बैंक अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की है। 10 जनवरी 2021 को केंद्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 10 फरवरी 2021 को बैंक के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हमारे केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों ने 20 फरवरी, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया। इस अवसर पर, बैंक ने विभिन्न प्रतियोगिताओं, सेमिनारों विशेष बैठक और कार्यशालाओं का आयोजन किया ।

हमारे बैंक ने 19 जनवरी, 2022 को हमारे राजभाषा अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें श्री भीम सिंह, उप निदेशक (राजभाषा), वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार ने राजभाषा कार्यान्वयन के विभिन्न प्रभावी उपायों के बारे में जानकारी दी। हमारे केंद्रीय कार्यालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर महीने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की मासिक अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की है।

बैंक ने जनवरी 2021 में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नकद प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, प्रत्येक छमाही के दौरान, राजभाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को रुपये 1,000 और प्रमाण पत्र का प्रावधान कर प्रोत्साहन दिया गया । इस योजना के तहत प्रत्येक छमाही के दौरान केंद्रीय कार्यालय के 12 स्टाफ सदस्यों और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय से 3 स्टाफ सदस्यों और शाखाओं से 6 स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहन और प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है । वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 622 स्टाफ सदस्यों को इस योजना के तहत नकद प्रोत्साहन और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

बैंक में आईएनडीएएस के कार्यान्वयन की स्थिति

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से आईएनडीएएस (भारतीय लेखा मानक) कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की है। आरबीआइ ने अपनी अधिसूचना आरबीआइ/2018-2019/146 डीबीआर.बीपी.बीसी. सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 के तहत आईएनडीएएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया है। आरबीआइ ने बैंकों को 30.09.2021 से छमाही आधार पर उपलब्ध करवाए गए प्रोफार्मा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की सलाह दी है।

फरवरी 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक संचालन समिति की स्थापना की है जिसमें चार (4) महा प्रबंधकों को मिलाकर एक कार्य समूह बनाया गया था जो आइएनडीएएस कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है। बैंक ने आइएनडीएएस के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यात्मक विभागों से लिए गए दस (10) सदस्यों की और ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट लॉस) से सात (7) सदस्यों की टीम की एक कोर टीम भी बनाई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश के अनुसार, बैंक ने 30 सितंबर 2021 तक प्रो-फॉर्मा में वित्तीय विवरण दाखिल किया है। इसके अलावा, आइएनडीएएस के कार्यान्वयन की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट पहले ही लेखा परीक्षा समिति के साथ बैंक के बोर्ड को भी प्रस्तुत की जा चुकी है। बैंक ने विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों से जुड़े अधिकारियों को अखिल भारतीय प्रशिक्षण दिया है। साथ ही बैंक के विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों से जुड़े अधिकारियों के लिए आईएनडीएएस जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया।

बैंक ने आइएनडीएएस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मौजूदा प्रणाली में कमियों की पहचान की है जिसमें स्टाफ अग्रिमों, स्टाफ जमा, और प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की गणना आदि का उचित मूल्यांकन शामिल है। बैंक ने विभिन्न विभागों जैसे ट्रेजरी, क्रेडिट वर्टिकल, जोखिम प्रबंधन विभाग आदि के कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करने की दिशा में आइएनडीएएस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतराल को कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

पीएसबी'यों – सुधारात्मक कार्यसूची-ईज़-एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस

सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए गए और स्वतंत्र रूप से किए गए सुधारों के लिए पीएसबी सुधार एजेंडा को जनवरी 2018 में एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (ईएएसई) के रूप में लॉन्च किया गया था। ईज़ कार्यक्रम ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रमुख क्षेत्रों में उद्देश्यपूर्ण और बेंचमार्क प्रगति को सक्षम बनाया है।.

ईज़ 4.0 - ईज़ 4.0 का प्रमुख विषय छह विषयों के तहत "प्रौद्योगिकी सक्षम, सरलीकृत और सहयोगात्मक बैंकिंग" है 1. महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट ऋण, 2. नए युग में 24x 7 बैंकिंग, 3. सहक्रियात्मक परिणामों के लिए सहयोग, 4. तकनीक-सक्षम बैंकिंग में आसानी, 5. विवेकपूर्ण बैंकिंग को संस्थागत बनाना और 6. शासन और परिणाम-केंद्रित मानव संसाधन। हमारे बैंक ने ईज़ 4.0 . के तहत पहल की है और सक्रिय रूप से भाग लिया है ।

प्रायोजना और आर्थिक डेस्क:

योजना कार्य क्षेत्रवार मासिक लाभ और हानि आंदोलन की निगरानी, कॉरपोरेट स्तर के बजट, अनंतिम दैनिक एमआईएस को शीर्ष प्रबंधन और विभिन्न अध्ययन विश्लेषण की रिपोर्ट करने के लिए उपयोगी परिणाम प्राप्त करना जारी रखता है। आर्थिक डेस्क नियमित अंतराल पर सरकार/आरबीआइ की नीतियों का विश्लेषण करने के अलावा, अर्थव्यवस्था में दिन-प्रतिदिन के विकास के साथ शीर्ष प्रबंधन का समर्थन करता है।

जनसंपर्क:

- बैंक की ब्रांड छवि को बढ़ाने के लिए बैंक के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया ।

Third Sub Committee of Parliamentary Committee on Official Language has conducted inspection of Regional Office, Delhi and Regional Office, Kolkata on 05th July 2021 and 27th October, 2021 respectively. The said committee expressed satisfaction over the implementation of Official Language in these centres. Our Central Office was also inspected by Deputy Secretary and Deputy Director (Official Language) of Department of Financial Services, Govt. of India on 22th December 2021 and inspecting officials have appreciated our progressive and innovative works done in Hindi in our Bank.

Bank has conducted Hindi competitions in all Regional Offices and Central Office on the occasion of Hindi Day Celebrations. An All India Hindi Essay Writing competition was held on 9th September 2021. Bank has also conducted inter-bank All-India Essay Writing competition in the month of November 2021 for the staff members of all Public Sector Banks and FIs. On 10th January 2021 World Hindi Day was observed in Central Office and Regional Offices, on this occasion various Hindi competitions, seminars and workshops were held in Regional Offices. Various Hindi competitions were conducted by Regional Offices on the occasion of Bank's Foundation Day celebrations on 10th February 2021. Our Central Office and Regional Offices celebrated International Mother Tongue Day On 20th February, 2021. On this occasion, Bank has organized various competitions, seminars, special meeting and workshops.

Our Bank has organized an online seminar for our Official Language Officers on 19th January, 2022, in which Shri Bheem Singh, Deputy Director (OL), Department of Financial Services, Govt. of India briefed about various effective measures of Official Language implementation. Our Central Office has reviewed monthly compliance report of all ROs in every month through video conference.

Our Bank has introduced cash incentive scheme for Official Language implementation in January 2021. Under this scheme, during every half year, staff members who have excelled in the Official Language will be given an incentive of Rs. 1,000 and there is a provision to give certificate too. According to this scheme, there is a provision to give incentives and certificates to 12 staff members from central office and 3 staff members from each Regional Office and 6 staff members from Branches comes under the jurisdiction of respective ROs during every half year. During the FY 2021-22, a total of 622 staff members were awarded with cash incentive and certificates under this scheme.

Status of Implementation of IndAS in our Bank

Bank has commenced the process of IndAS (Indian Accounting Standards) implementation from FY 2016-17. RBI vide their notification RBI/2018-2019/146 DBR.BP.BC. No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019 has deferred the implementation of Ind AS till further notice. RBI has advised the Banks to submit Proforma Financial Statements on half yearly basis w.e.f 30.09.2021.

In line with the guidance issued by the Reserve Bank of India in February 2016, the Bank has set up a Steering Committee headed by the Executive Director along with a Working Group consisting of four (4) General Managers which monitors the progress of IndAS implementation. Bank has also formed a Core team of ten (10) members and ECL (Expected Credit Loss) team of seven (7) members drawn from various functional departments for taking forward the implementation of Ind AS.

In line with direction of Reserve Bank of India, Bank has filed the Pro-forma financial statements up to 30th September 2021. Further, the status report on progress of implementation of Ind AS has already been placed to the Audit Committee and also to the Board of the Bank. The Bank has undertaken Pan India training to officers attached to various Administrative Offices. Also Ind AS awareness program was undertaken to the Executives attached to the various Administrative Offices of the Bank.

Bank has identified the gaps in existing system for meeting Ind AS requirement which includes fair valuation of staff advances, staff deposits, and computation of Effective Interest Rate (EIR) etc. Bank has initiated next steps towards streamlining the workflow of various departments viz., Treasury, Credit verticals, Risk Management Dept etc by bridging the gaps for meeting Ind AS requirements."

PSBs – Reform Agenda – EASE – Enhanced Access & Service Excellence

The PSBs Reforms Agenda was launched as Enhanced Access and Service Excellence (EASE) in January 2018 for publicly reported and independently measured reforms. The EASE program has enabled objective and benchmarked progress on key areas in Public Sector Banks.

EASE 4.0 - The Major theme for EASE 4.0 is '' Technology enabled, Simplified and Collaborative banking '' under six theme 1. Smart Lending for Aspiring India, 2. New Age 24x 7 Banking, 3. Collaborating for Synergistic Outcomes, 4. Tech-enabled ease of Banking, 5. Institutionalizing Prudent Banking and 6. Governance and Outcome –Centric HR. Our Bank has taken initiative and actively participated Under EASE 4.0

Planning & Economic Desk:

The Planning function continues to derive useful results towards monitoring region wise monthly Profit & Loss movement, Corporate level Budgeting, reporting provisional Daily MIS to Top Management & various study analysis. The economic desk supports Top Management with day-to-day developments in the economy, apart from analyzing the Government/ RBI policies at regular intervals.

Public Relations:

- Official Social Media platform of the Bank was effectively used for enhancing Brand image of the Bank.

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त सभी ग्राहक शिकायतों को सावधानीपूर्वक देखा गया और 48 घंटों के भीतर हल किया गया ।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित निम्नलिखित संसदीय (लोकसभा और राज्य सभा) समिति की बैठकों में बैंक ने मेजबानी की/भाग लिया:
  - o 20.08.2021 को चंडीगढ़ में आयोजित अधीनस्थ विधान समिति (2021-22) का जांच दौरा
  - o 30.08.2021 को चेन्नै में विभाग से संबंधित शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति का जांच दौरा
  - o 02.09.2021 को हैदराबाद में आयोजित वित्त संबंधी संसदीय समिति का जांच दौरा
  - o 03.09.2021 को लखनऊ में आयोजित उद्योग संबंधी संसदीय समिति का जांच दौरा
  - o 18.09.2021 को पोर्ट ब्लेयर में आयोजित सरकारी आश्वासनों पर समिति का जांच दौरा दौरा
  - o 20.09.2021 को भुवनेश्वर में आयोजित सरकारी आश्वासनों पर समिति का जांच दौरा
  - o 06.10.2021 को श्रीनगर में आयोजित अधीनस्थ विधान समिति, लोकसभा का जांच दौरा
  - o 26.10.2021 को मुंबई में आयोजित अधीनस्थ विधान समिति, राज्य सभा का जांच दौरा
  - o 30.10.2021 को गोवा में आयोजित अधीनस्थ विधान समिति (2021-22) का का जांच दौरा
  - o 17.11.2021 को हैदराबाद में आयोजित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति का जांच दौरा
  - o 07.01.2022 को चेन्नई में आयोजित राज्य सभा के पटल पर रखे गए कागजात संबंधी समिति (सीओपीएलओटी) का जांच दौरा
  - o 07.01.2022 को पोर्ट ब्लेयर में आयोजित लोक लेखा समिति का जांच दौरा
- वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय (डीएफएस) के निर्देशानुसार, बैंक ने "आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) - भारत के स्वतंत्रता समारोह के 75 वर्ष" मनाया, जिसमें ग्राहक मिलन, व्यवसाय बैठक, वृक्षारोपण, पौधे वितरण, स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान - आइओबी पेंशनरों आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, एंकर और गैर-एंकर महीनों के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव की घटनाओं पर रिपोर्ट डीएफएस को प्रस्तुत की गई थी।
- वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार, मोबाइल ऐप्स के लिए व्यापक प्रचार की व्यवस्था की गई थी - 1) भारत सरकार - कैलेंडर एप्लिकेशन और फिट इंडिया मोबाइल एप्लिकेशन और "फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0" और "राष्ट्र गान" जैसी गतिविधियां भी प्रतिपादित और अपलोड की गईं ।
- डोर स्टेप बैंकिंग पर भारतीय बैंक संघ द्वारा आपूर्ति किए गए रचनात्मक कार्य हर हफ्ते बैंक के सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर पोस्ट किए जाते है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, समय-समय पर जमा और अग्रिम के तहत बैंक द्वारा पेश किए गए नए उत्पादों पर प्रेस विज्ञप्तियां प्रकाशित की गईं। उधार की ब्याज दरों में बदलाव के लिए भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी ।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए आउटलुक

वित्तीय वर्ष 2021 में महामारी ने भारतीय बैंकों के प्रदर्शन को प्रभावित किया । इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको ने वित्त वर्ष 2020-21 में ₹31,820 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज़ किया है, जो पिछले 5 वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को किसी भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा है, और इस अवधि के दौरान 48,874 करोड़ रुपये का सामूहिक शुद्ध लाभ कमाया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5.56% और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6.1% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंक ऋण में 8.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वित्तीय और मौद्रिक प्रोत्साहन के पीछे अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के कारण ऋण वृद्धि में तेजी देखी गई है ।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन पिछले दशक में उच्च लाभप्रदता, बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता के आधार पर रिकॉर्ड दर्ज़ करने वाला वित्तीय वर्ष होने जा रहा है। बैंक अपेक्षाकृत बढ़ी हुई डिजिटल उपस्थिति और परिचालन वाले सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है ।

भारत रेटिंग और अनुसंधान (इंड-रा) ने बेहतर ऋण मांग और उधारदाताओं के मजबूत तुलन-पत्र के चलते 2022-23 के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर अपने दृष्टिकोण को 'स्थिर' से 'सुधार' करने के लिए संशोधित किया है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए, ऋण वृद्धि 10 प्रतिशत तक बढ़ सकती है और सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात 6.1 प्रतिशत पर रहने की संभावना है।

****

- During FY 2021-22, all the customer complaints received through Social Media were meticulously attended and resolved within 48 hours.
- Bank hosted/participated in the following Parliamentary (Lok Sabha & Rajya Sabha) Committee Meetings held during the FY 2021–22:
  - o Study Visit of the Committee on Subordinate Legislation (2021-22) held in Chandigarh on 20.08.2021
  - o Study Visit of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports held in Chennai on 30.08.2021
  - o Study Visit on Parliamentary Committee on Finance held in Hyderabad on 02.09.2021
  - o Study Visit on Parliamentary Committee on Industry held in Lucknow on 03.09.2021
  - o Study Visit of the Committee on Government Assurances held in Port Blair on 18.09.2021
  - o Study Tour on the Committee on Government Assurances held in Bhubaneswar 20.09.2021
  - o Study Tour of the Committee on Subordinate Legislation, Lok Sabha held in Srinagar on 06.10.2021
  - o Study Visit of the Committee on Subordinate Legislation, Rajya Sabha held in Mumbai on 26.10.2021
  - o Study Visit of the Committee on Subordinate Legislation (2021-22) held in Goa on 30.10.2021
  - o Study Visit of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture held in Hyderabad on 17.11.2021
  - o Study Visit of the Committee on Papers Laid on the Table(COPLOT), Rajya Sabha held in Chennai on 07.01.2022
  - o Study Visit of Public Accounts Committee held in Port Blair on 07.01.2022
- As directed by Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance Bank celebrated "Azadi ka Amrut Mahotsav(AKAM) – 75 years of India's Independence Celebrations" by conducting various events such as Customer Meet, Business Meet, Tree Plantation, Sapling Distribution, Felicitation of Freedom Fighter - IOB Pensioners etc., Reports on events of AKAM for Anchor and Non-Anchor Months were furnished to DFS.
- As directed by Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, wide publicity was arranged for Mobile Apps – 1) Government of India - Calendar Application and Fit India Mobile Application and also activities like "Fit India Freedom Run 2.0" and "Rashtra Gaan" – rendering and uploading.
- Creatives supplied by Indian Banks' Association on Door Step Banking were posted in the Social Media of the Bank every week.
- During the FY 2021-22, Press Releases were published on New Products introduced by the Bank under Deposits and Advances from time to time. Press Release was also made for variation in interest rates of lending.

Outlook for Banking Sector

The pandemic impacted performance of Indian banks in FY2021. In spite of that PSBs have recorded net profit of ☐31,820 crores in FY 2020-21, highest in last 5 financial years. No public sector bank has faced any loss in the April-December period of fiscal year 2022, and clocked a collective net profit of Rs 48,874 crore during this period.

In financial year 2021-22, Bank credit rose by 8.59 per cent as against 5.56 % in financial year 2020-21 and 6.1 % in financial year 2019-20 showing uptake in credit growth due to faster economy recovery on the back of fiscal and monetary stimulus.

The performance of Indian Banking sector especially the Public Sector Banks for the financial year ending 2022 is going to be the recorded financial year in last decade on the back of higher profitability, improved asset quality and capital adequacy. Banks with relatively increased digital presence and operations are performing better on all parameters.

India Ratings and Research (Ind-Ra) has revised its outlook on the banking sector to 'improving' from 'stable' for 2022-23, helped by better credit demand and strong balance sheet of lenders. For next fiscal year, credit growth to pick up to 10 per cent and sees gross non-performing asset (GNPA) ratio at 6.1 per cent.

****

वर्ष 2021-22 हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

ए. अनिवार्य आवश्यकताएँ

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दर्शन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों और महत्व को पहचानता है और बैंक द्वारा न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है, बल्कि स्वैच्छिक रूप से मज़बूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। बैंक सदैव अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार तथा व्यापक तौर पर समाज के हितों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दर्शन सभी स्तरों पर प्रदर्शन के लिए उच्च स्तर की पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही प्रदान करना एवं व्यवसायिकता, सामाजिक जवाबदेही, सुदृढ़ व्यवसाय प्रथाओं और इष्टतम दक्षता के माध्यम से उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है जिसकी वजह से बैंक शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए उच्च स्तर की व्यवसायिक नैतिकता बनाए रखने में सक्षम हो सका है।

2. निदेशक मंडल

ए. संरचना

बैंक के कारोबार का कार्यभार निदेशक मंडल पर है। प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक गण निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं। निदेशक मंडल में 31.03.2022 तक 09 निदेशक हैं, जिनमें 03 पूर्ण कालिक निदेशक हैं, 02 गैर कार्यपालक निदेशक हैं एवं एक निदेशक शेयर धारकों द्वारा उनके हितों के विधिवत प्रतिनिधित्व करने हेतु चुना गया हैं। फरवरी 2020 में गैर कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से, एमडी व सीईओ मंडल के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करते हैं।

बी.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण

क्र. सं	निदेशक का नाम (श्री/सुश्री)	पदनाम	निदेशक की प्रकृति	नियुक्तियों की तिथि	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त / कार्यकाल की समाप्ति
1.	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक / पूर्ण कालिक	24.07.2020	
2.	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्ण कालिक	09.10.2017	
3.	सुश्री एस.श्रीमती	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्ण कालिक	10.03.2021	
4.	सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	सरकारी नामिती निदेशक	अधिकारी – गैर-कार्यपालक	22.07.2016	
5.	श्री दीपक कुमार	भा रि बैं नामिती निदेशक	अधिकारी – गैर-कार्यपालक	18.09.2019	24.02.2022
6.	श्री विवेक अग्रवाल	भा रि बैं नामिती निदेशक	अधिकारी - गैर-कार्यपालक	25.02.2022	
7.	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	शेयरधारक निदेशक	गैर- कार्यपालक	29.01.2021#	
8.	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर- कार्यपालक	21.12.2021	
9.	श्री बी चंद्र रेड्डी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर- कार्यपालक	21.12.2021	
10	श्री दीपक शर्मा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर- कार्यपालक	21.12.2021	

श्री नवीन प्रकाश सिन्हा का प्रथम कार्यकाल दिनांक 07.12.2020 को समाप्त हुआ है। केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से निदेशक के चुनाव के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड की जांच के पश्चात, मंडल ने शेयर धारक निदेशक के रूप में पात्र नामांकनों में से श्री नवीन प्रकाश सिन्हा की उम्मीदवारी को पात्र नामांकन में से दिनांक 29.01.2021 से तीन साल की अवधि के लिए मंजूरी दी।

Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2021-22

A. Mandatory Requirements

1. Bank's Philosophy on Corporate Governance

Indian Overseas Bank recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders viz. Shareholders, Customers, Government and Society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn has enabled the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

2. Board of Directors:

a. Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2022 is Nine directors comprising three whole time Directors, 2 non-executive Directors, 3 Part-time Non Official Directors and one director elected from amongst the shareholders to duly represent their interest. Since the term of the Non-Executive Chairman ended in February 2020, the MD & CEO presides as Chairman of the Board.

b. i Particulars of Directors who held office during the financial year 2021-22:

Sl No.	Name of the Director (Shri/Smt)	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointments	Retirement / Demission of office during the year
1.	Shri Partha Pratim Sengupta	Managing Director & Chief Executive Officer	Executive / Whole Time	24.07.2020	
2.	Shri Ajay KumarSrivastava	Executive Director	Executive / Whole Time	09.10.2017	
3.	Smt. S Srimathy	Executive Director	Executive / Whole Time	10.03.2021	
4.	Smt. Annie George Mathew	Government Nominee Director	Official – Non Executive	22.07.2016	
5.	Shri Deepak Kumar	RBI Nominee Director	Official – Non Executive	18.09.2019	24.02.2022
6.	Shri Vivek Aggarwal	RBI Nominee Director	Official – Non Executive	25.02.2022	
7.	Shri Navin Prakash Sinha	Shareholder Director	Non-Executive	29.01.2021#	
8.	Shri Suresh Kumar Rungta	Part Time Non-Official Director	Non-Executive	21.12.2021	
9.	Shri B Chandra Reddy	Part Time Non-Official Director	Non-Executive	21.12.2021	
10	Shri Deepak Sharma	Part Time Non-Official Director	Non-Executive	21.12.2021	

The first Term of Shri Navin Prakash Sinha ended on 07.12.2020. After Examination of 'Fit and Proper' Criteria for Election of Director from amongst Shareholders other than Central Government, the Board approved the candidature of Shri Navin Prakash Sinha from among the eligible nominations as Shareholder Director for a period of three years w.e.f 29.01.2021.

दिनांक 31.03.2022 को बैंक के निदेशकों की प्रोफाइल अनुबंध के रूप में संलग्न है ।

यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं है ।

मंडल ने निदेशकों के लिए एक आचार संहिता को अपनाया है और आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि हेतु एमडी व सीईओ से एक घोषणा प्राप्त की गई है जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

श्री अजीत कुमार, सहायक महा प्रबंधक मंडल के वर्तमान सचिव हैं ।

बी. ii निदेशक मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/योग्यता का विवरण

मुख्य व्यवसाय/विशेषज्ञता/योग्यताओं को बैंक व्यवसाय और क्षेत्रों के संदर्भ में आवश्यक रूप से पहचाना जाता है ताकि वे प्रभावी रूप से कार्य कर सकें	मंडल के पास उपलब्ध मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यताएं
बैंकिंग	हाँ
वित्त	हाँ
अर्थशास्त्र	हाँ
मानव संसाधन प्रबंधन	हाँ
सूचना प्रौद्योगिकी	हाँ
ट्रेजरी प्रबंधन	हाँ
विपणन	हाँ
जोखिम प्रबंधन	नहीं

सी. बोर्ड की बैठकें

बैठक की तिथि और स्थान के साथ-साथ कार्यसूची सभी निदेशकों को पहले ही सूचित कर दी जाती है। निदेशकों को कार्यसूची की सभी अतिरिक्त सूचनाओं की जानकारी दी जाती है । आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने हेतु बैंक के कार्यपालकों को भी बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने बोर्ड व समिति की वर्ष में न्यूनतम छः बार तिमाही में कम-से-कम एक बैठक के साथ, निदेशक मंडल की वाली बैठकों की आयोजित किए जाने की तुलना में 13 बैठकें आयोजित हुई ।

वर्ष 2012-13 के दौरान, बैंक ने बोर्ड पोर्टल जो कि एक वेब आधारित ऑनलाइन कार्यक्षेत्र है - के प्रयोग के माध्यम से बोर्ड के सदस्यों को सूचनाओं का समय पर और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड और समिति की बैठकों के आयोजन के लिए एक ई- गवर्नेंस पहल शुरू की। इसके बाद, वेब आधारित पोर्टल को ई-बैठक पोर्टल में अंतरित कर दिया गया है जो कि वित्त वर्ष 2019-20 में मोबिट्राइल का एक उत्पाद है जो पोर्टल के द्वारा निदेशकों के आई पैड पर कार्यसूची के पेपर की गोपनीय ई-पहुंच प्रदान करता है। इस पहल ने बैठकों के आयोजन के तरीके को परिवर्तित किया है, जिसके द्वारा कीमत, समय और संसाधनों में सारभूत बचत हुई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड की बैठकें निम्न तिथियों और स्थानों पर 13 बार आयोजित की गईं।

क्र.सं	बैठक की तिथि	स्थान
01	01.04.2021	चेन्नै
02	08.06.2021	चेन्नै
03	14.06.2021	चेन्नै
04	14.07.2021	चेन्नै
05	03.08.2021	चेन्नै
06	20.09.2021	चेन्नै
07	27.10.2021	चेन्नै
08	04.12.2021	चेन्नै
09	05.01.2022	चेन्नै
10	02.02.2022	चेन्नै
11	01.03.2022	चेन्नै
12	09.03.2022	चेन्नै
13	28.03.2022	चेन्नै

सभी बैठकें समुचित कोरम के साथ बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं । जहाँ कहीं भी निदेशकों द्वारा अनुपस्थिति व छुट्टी का अनुरोध किया गया, अनुपस्थिति दर्ज की गयी । वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सभी बैठकें आंशिक रूप से /पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयोजित की गईं ।

- बोर्ड की बैठकों और पिछले वार्षिक सामान्य बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्न रूप से वर्णित है :

क्र.सं	**निदेशक का नाम**	**उपस्थित/आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या**	**दिनांक 07.08.2021 को संपन्न वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति**
01	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	13/13	उपस्थित
02	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	13/13	उपस्थित
03	सुश्री एस.श्रीमती	13/13	उपस्थित
04	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	12/13	-
05	श्री दीपक कुमार	10/10	उपस्थित
06	श्री विवेक अग्रवाल	03/03	-
07	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	06/13	-
08	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05/05	-
09	श्री बी चंद्र रेड्डी	05/05	-
10	श्री दीपक शर्मा	05/05	-

दिनांक 31.03.2022 को सेबी (एल.ओ.डी.आर) विनियम 2015 के विनियम 34 के अनुसार गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

1. श्री नवीन प्रकाश सिन्हा – 100

   कोई अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक आइओबी का शेयर धारण नहीं करता है ।

Profile of Directors of the Bank as on 31.03.2022 is enclosed as an Annexure.

It is declared that none of the directors are related to each other.

The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and a declaration has been obtained from the MD & CEO confirming their compliance with the Code of Conduct and is attached to this report.

Shri Ajit Kumar, Assistant General Manager, is the present Secretary of the Board.

b. ii Particulars of Skills/ Expertise/ Competence of Board of Directors

Core Skill/ Expertise/ Competencies identified as required in the context of the Bank business and sectors for it to function effectively	Core Skill/ Expertise / Competencies available with the board
Banking	Yes
Finance	Yes
Economics	Yes
Human Resource Management	Yes
Information Technology	Yes
Treasury Management	Yes
Marketing	Yes
Risk Management	No

c. Meetings of the Board: 1

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held 13 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

During the year 2012-13, the Bank has promoted an e-governance initiative for e-conduct of Board and Committee meetings by ensuring timely and seamless flow of information to Board members through the use of a Board Portal, a web based online workspace. Subsequently, web based portal is shifted to e-meeting portal which is a product of MobiTrail in FY 2019-20. The portal offers Directors confidential e-access on iPads, on a real-time basis, to agenda papers. This initiative has transformed the way meetings are conducted while resulting in substantial savings in cost, time and resources.

- During the financial year 2021-22, the Board meetings were held 13 times on the following dates and places:

SL NO.	DATE OF MEETING	PLACE HELD
01	01.04.2021	Chennai
02	08.06.2021	Chennai
03	14.06.2021	Chennai
04	14.07.2021	Chennai
05	03.08.2021	Chennai
06	20.09.2021	Chennai
07	27.10.2021	Chennai
08	04.12.2021	Chennai
09	05.01.2022	Chennai
10	02.02.2022	Chennai
11	01.03.2022	Chennai
12	09.03.2022	Chennai
13	28.03.2022	Chennai

- All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. Wherever Leave of Absence is being requested by Directors, leave of absence is marked. All meeting has taken place partially/fully in electronic mode throughout the FY 2021-22

- Attendance of the directors at the Board meetings and last AGM held on are furnished below:

Sl. No.	Name of the Director	Number of Board Meetings attended/held	Attendance in the Last AGM 07.08.2021
01	Shri Partha Pratim Sengupta	13/13	Present
02	Shri Ajay Kumar Srivastava	13/13	Present
03	Smt. S Srimathy	13/13	Present
04	Smt Annie George Mathew	12/13	--
05	Shri Deepak Kumar	10/10	Present
06	Shri Vivek Aggarwal	03/03	--
07	Shri Navin Prakash Sinha	06/13	--
08	Shri Suresh Kumar Rungta	05/05	--
09	Shri B Chandra Reddy	05/05	--
10	Shri Deepak Sharma	05/05	--

Details of Shares held by Non-Executive Directors in terms of Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as on 31.03.2022

1. Shri Navin Prakash Sinha – 100

No other Non-Executive Directors hold any IOB shares.

डी. अन्य बोर्डों या बोर्ड समितियों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य / अध्यक्ष हैं:

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आइओबी को छोड़कर) जिसमें वे सदस्य/ बोर्ड के अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक / नामित निदेशक को छोड़कर)	ऐसी समितियों की संख्या (आइओबी के अलावा) जिसमें वे सदस्य हैं
	शून्य	

ई. समितियों में सदस्यता :

बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपलब्धता के कारण , एमडी व सीईओ ने बोर्ड की अध्यक्षता की । स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता करते हैं । आरबीआइ / सेबी / डीएफ़एस के दिशानिर्देशों के मद्देनजर समितियों का पुनर्गठन किया गया ।

3.बोर्ड की समितियाँ

निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए बोर्ड ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया और उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं । प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त समिति की अगली बैठक के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं । रिकॉर्डिंग के लिए कार्यवृत्तों को बोर्ड की बैठक में भी प्रस्तुत किया जाता है ।

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)
3. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
4. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
5. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
6. अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांच के लिए समिति (सीआरडीसी)
7. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आइटीएससी)
8. मानव संसाधन पर बोर्ड स्तरीय संचालन समिति (बीएलएससीएचआर)
9. एनपीए की वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसीएमआरएनपीए)
10. अपीलों के संज्ञान हेतु बोर्ड की समिति (सीबीसीए)
11. बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
12. नामांकन और पारिश्रमिक समिति(एनआरसी)
13. बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति(सीएमएलवीएफ़)
14. इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीएनसीबी)
15. प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति (बीसीपीई)

3.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

एमसीबी का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के प्रावधानों के अनुसार हुआ है । एसीबी के कार्यकलाप और कर्तव्य निम्नानुसार वर्णित हैं:

ए) बोर्ड द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार ऋण प्रस्तावों (निधिक और गैर-निधिक) की मंजूरी ।

बी) ऋण और ब्याज समझौता/अपलिखित किये जाने वाले प्रस्ताव - बोर्ड द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार ।

सी) पूंजी एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव ।

डी) परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित प्रस्ताव जिसमें परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने के मानदंडों से विचलन शामिल है ।

ई) वाद/अपील दायर करना, उनका बचाव करना आदि ।

एफ़) अंडर राइटिंग सहित सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और ऋण पत्रों में निवेश।

जी) दान

एच) बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित अन्य कोई मामला।

मद (ए) से (जी) एमडी व सीईओ / ऋण अनुमोदन समिति की विवेकाधीन शक्तियों से परे प्रस्तावों के संबंध में लागू होंगे।

बैंक के एमडी व सीईओ इस समिति के अध्यक्ष हैं । वर्ष के दौरान समिति की 19 बैठकें आयोजित हुईं । सभी बैठकें समुचित कोरम के साथ बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं ।

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान पद धारण करने वाले सदस्यों और प्रत्येक सदस्य द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता का कार्यकाल से	तक	उपस्थिति/आयोजित बैठकों की संख्या
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	समिति के अध्यक्ष	24.07.2020		19/19
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य	09.10.2017		19/19
3	सुश्री एस.श्रीमती	सदस्य	10.03.2021		19/19
4	श्री दीपक कुमार	सदस्य	19.09.2019	24.02.2022	16/16
5	श्री विवेक अग्रवाल	सदस्य	25.02.2022		02/03
6	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	सदस्य	30.01.2021		11/19
7	श्री दीपक शर्मा	सदस्य	05.01.2022		06/06

3.2 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति

ऋण अनुमोदन समिति का गठन 25.02.2012 को निदेशक मंडल द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधानों) योजना 1970 की अधिसूचना

d. Number of other Boards or Board Committees in which the Director is a member/ Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB) in which he / she is a member/ Chairperson of the Board (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
	NIL	

e. Membership in Committees:

Due to non-availability of Non-Executive Chairman of the Board, MD & CEO chairs the board. Audit Committee of the Board, Risk Management Committee of Board, Information Technology Committee of the Board, Nomination and Remuneration Committee of the Board and Stakeholder Relationship Committee is chaired by Independent Director. In view of RBI/SEBI/DFS guidelines, reconstitution of the committees has been done.

3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation. The minutes are also placed before the Board Meeting for recording.

1. Management Committee of the Board(MCB)
2. Credit Approval Committee (CAC)
3. Audit Committee of the Board (ACB)
4. Risk Management Committee of the Board (RMCB)
5. Customer Service Committee of the Board (CSC)
6. Committee for Review of Disciplinary Cases & Departmental Enquiries (CRDC)
7. Information Technology Strategy Committee(ITSC)
8. Board Level Steering Committee on Human Resources (BLSCHR)
9. Board Level Committee to Monitor Recovery in NPA (BLCMRNPA)
10. Committee of Board for Consideration of Appeals (CBCA)
11. Stakeholder Relationship Committee of the Board (SRC)
12. Nomination and Remuneration Committee (NRC)
13. Board Level Committee for Monitoring Large Value Frauds (CMLVF)
14. Review Committee on Wilful Defaulters and Non Co-Operative Borrowers (RCWDNCB)
15. Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)

3.1 MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. The functions and duties of the MCB are as under:

a. Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded) as per quantum fixed by the Board

b. Loan and Interest Compromise / Write off proposals – as per quantum fixed by the Board.

c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure

d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.

e. Filing of suits / appeals, defending them etc.

f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting.

g. Donations

h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of MD & CEO/ powers of Credit Approval Committee, as may be applicable.

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 19 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The Members who held office during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022 and the details of number of meetings attended during their tenure by each Committee member are as under:

Sl No	Name of the Director	Position	Tenure of membership		Number of meetings Attended / Held
			From	To	
1	Shri Partha Pratim Sengupta	Chairman of the Committee	24.07.2020		19/19
2	Shri Ajay Kumar Srivastava	Member	09.10.2017		19/19
3	Smt S Srimathy	Member	10.03.2021		19/19
4	Shri Deepak Kumar	Member	19.09.2019	24.02.2022	16/16
5	Shri Vivek Aggarwal	Member	25.02.2022		02/03
6	Shri Navin Prakash Sinha	Member	30.01.2021		11/19
7	Shri Deepak Sharma	Member	05.01.2022		06/06

3.2 CREDIT APPROVAL COMMITTEE OF THE BOARD

The Credit Approval Committee has been constituted on 25.02.2012 by the Board of Directors in terms of the amendment of the

संख्या एस. 0.2736 (ई) दिनांकित 05 दिसंबर 2011 द्वारा हुए संशोधन के अनुरूप हुआ है । समिति को ऋण प्रस्तावों को मंजूरी देने और ऋण समझौता/ बट्टे खाते में डालने के लिए विशेष वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। इसके बाद सीएसी के संबंध में विभिन्न निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के आधार पर बोर्ड द्वारा दिनांक 25.06.2020 को समिति का पुनर्गठन किया गया था।

बैंक के एमडी व सीईओ समिति के अध्यक्ष हैं । दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान समिति की 20 बैठकें आयोजित हुईं । सभी बैठकें समुचित कोरम के साथ बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं ।

3.3 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

1. भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी के अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है । बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) में केवल गैर- कार्यकारी निदेशक (एनइडी) होते हैं । बोर्ड का अध्यक्ष एसीबी का सदस्य नहीं होता है । एसीबी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है जो बोर्ड के किसी भी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करता है। एसीबी का अध्यक्ष बोर्ड की किसी भी ऐसी समिति का सदस्य नहीं है, जिसके पास क्रेडिट एक्सपोजर को मंजूरी देने का अधिकार है । सभी सदस्यों के पास वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उससे जुड़ी टिप्पणियों/रिपोर्टों को समझने की क्षमता है और कम से कम एक सदस्य के पास वित्तीय लेखांकन या वित्तीय प्रबंधन में अपेक्षित व्यवसायिक विशेषज्ञता / योग्यता है (उदाहरणत: लेखांकन मानकों और मानकों के आवेदन में अनुभव, संबंधित आंतरिक नियंत्रण सहित)।

कार्यपालक निदेशक को बैठक में आमंत्रित किया जाता है, जिसे बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त है ।

एसीबी के प्रतिनिधि कार्य और कर्तव्य निम्न रूप से वर्णित हैं:

⇒ बैंक में कुल लेखा परीक्षा कार्य के संचालन के साथ-साथ दिशा प्रदान करना है । कुल लेखा परीक्षा कार्य बैंक के अंतर्गत आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के प्रबंधन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के वैधानिक/बाहरी लेखा परीक्षा के साथ अनुवर्तन और आरबीआई के निरीक्षण शामिल हैं ।

⇒ बैंक की आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा की समीक्षा - अनुवर्तन के अनुसार प्रणाली, उसकी गुणवत्ता व प्रभावशीलता तथा साथ ही विशेषिकृत व अति वृहत शाखा और असंतुष्ट रेटिंग प्राप्त सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट करना है ।

⇒ विदेशी शाखाओं के संबंध में मेज़बान देशों में नियामकों की नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन पर अनुपालन विभाग से तिमाही/वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर उनकी समीक्षा करना ।

⇒ एसीबी / बोर्ड / आरबीआइ द्वारा जारी निर्देशों पर अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करना ।

⇒ वैधानिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफ़एआर) में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा और अनुवर्तन और वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय विवरणों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों से बात करना ।

⇒ आरबीआइ की निरीक्षण रिपोर्ट में अर्थात आरएआर/आरएमपी आदि में उठाए गए सभी मुद्दों/ मामलों की समीक्षा व अनुवर्तन करना।

⇒ संवेदनशील क्षेत्रों यानि पूँजी बाज़ार और अचल संपत्ति के लिए एक्सपोजर की समीक्षा।

⇒ केवाइसी/एएमएल दिशानिर्देशों की समीक्षा – (i) कार्यान्वयन की समीक्षा (ii) शाखाओं में केवाइसी/एएमएल दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुपालन की समीक्षा।

⇒ विवेकाधिकार के प्रयोग में विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा उल्लंघन की सूचना की समीक्षा।

⇒ बोर्ड की बैठक में अनुमोदन के लिए निरीक्षण और लेखा परीक्षा/ लेखांकन /गवर्नेंस आदि के संबंध में विभिन्न नीतियों की सिफारिश करनी चाहिए।

⇒ एसीबी द्वारा अनुमोदित कैलेंडर नोटों की समीक्षा करना ।

यह समिति मुख्य रूप से निम्न का अनुवर्तन करती है :

⇒ अंतर शाखा समायोजन खाता

⇒ उचंत, विविध, मार्गस्थ निधियों अंतर- बैंक खातों व नोस्ट्रो खातों में असंगत प्रविष्टियाँ जो लंबे समय से बकाया हो

⇒ धोखाधड़ी और हॉउस कीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्र

⇒ फिशिंग हमलों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधडी लेनदेन पर विस्तृत रिपोर्ट - विशेष रूप से मौजूदा प्रणालियों में कमियों और ऐसे मामलों को रोकने के लिए सू.प्रौ विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की सूचना

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सुझावों के मुताबिक, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित विशिष्ट एक्सपोजर स्तर पर खातों की निम्नलिखित समीक्षाओं को शामिल करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का दायरा विस्तरित किया गया था ।

ए) संभावित एनपीए / तनाव के मामलों, जब आवश्यक हो ।

बी) उच्च मूल्य ऋण जो प्रतिभूतियों के प्रति दिए गए हैं जो भारमुक्त नहीं हैं ।

सी) एक बारगी निपटान के मामले जिसमें उच्च मूल्य ऋण शामिल हैं ।

डी) उच्च मूल्यवाले खाते – खाते के प्रति प्रदान की गई प्रतिभूति/ संपार्श्विक (दोनों मूर्त और विशेष रूप से अमूर्त) के मूल्य और गुणवत्ता का मूल्यांकन/ पुनर्मूल्यांकन करना ।

आरबीआइ द्वारा जारी भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा निर्देशों पर सेबी समिति के संदर्भ में एसीबी को निमलिखित अतिरिक्त भूमिका कार्य / शक्तियाँ सौंपी गई हैं:

- संदर्भ की शर्तों के तहत किसी भी गतिविधि की जांच करना
- किसी भी कर्मचारी से सूचनाएं प्राप्त करना
- बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना
- यदि यह आवश्यक माना जाता है तो प्रासंगिक विशेषज्ञता के साथ बाहरी लोगों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए ,

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में मौजूदा भूमिकाओं के अलावा, निम्न भूमिकाएं भी शामिल हैं :

- बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना और वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं इसे सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण
- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं, लेखांकन मानकों का अनुपालन और वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य कानूनी आवश्यकताओं पर विशेष जोर देने के साथ प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना
- प्रबंधन, बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के साथ समीक्षा
- उन मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक

Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 vide Notification No. S.0.2736(E) dated December 5, 2011. The Committee is empowered with specific financial powers for sanctioning of credit proposals and for settlement for Loan compromise / write off. Subsequently various directives have been received in respect of CAC. On basis of that, the committee was last reconstituted by Board on 25.06.2020

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 20 times during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

3.3 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/SEBI. The Audit Committee of the Board (ACB) consists of only non-executive directors (NEDs). The Chair of the board is not member of the ACB. The meetings of the ACB is chaired by an independent director who is not chairing any other committee of the Board. The Chair of the ACB is not member of any committee of the board which has a mandate of sanctioning credit exposures. All members have the ability to understand all financial statements as well as the notes/ reports attached thereto and at least one member have requisite professional expertise/ qualification in financial accounting or financial management [e.g. experience in application of accounting standards and practices, including internal controls around it].

Executive Directors are joining the meeting as Invitee which is approved by the Board

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

⇒ To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalization and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory/ external audit of the Bank and inspections of RBI.

⇒ To review the internal inspection / audit function in the Bank the system, its quality and effectiveness in terms of follow up and also the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings

⇒ To obtain and review quarterly/annual reports from Compliance Department on compliance of regulatory requirement of Regulators in Host Countries in respect of overseas branches.

⇒ To review compliance report on the directives issued by ACB/ Board/RBI

⇒ To review and follow up on the report of the statutory audit and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual I quarterly financial statements and reports.

⇒ To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI i.e. RAR/RMP etc

⇒ Review on exposures to sensitive sectors, i.e. capital market & real estate.

⇒ Review of KYC/ AML Guidelines- - (i) Review of implementation (ii) Review of compliance of concurrent audit reports with respect to adherence to KYC / AML guidelines at branches.

⇒ Review of information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers

⇒ It should recommend the various policies in respect of Inspection and Audit/ Accounting/ Governance etc. of Bank for approval of Board in its meeting.

⇒ To review calendar notes as approved by ACB

This Committee specially focuses on the follow-up of:

⇒ Inter- Branch Adjustment Accounts

⇒ Unreconciled long outstanding entries in Suspense, Sundries, Funds in Transit, clearing Inter - Bank Accounts, Nostro Accounts etc

⇒ Frauds and all other major areas of house- keeping,

⇒ Detailed report on fraudulent transactions relating to Internet Banking through phishing attacks pointing out in particular the deficiencies in the existing systems and steps taken by the IT department to prevent such cases,

In line with the suggestions of the Ministry of Finance, Government of India, the scope of the Audit Committee of the Board was broadened to include the following reviews of accounts at specific exposure levels as approved by the Audit Committee of the Board:

A) Potential NPA / stress cases as and when required.

B) High value loans which have been granted against a security which is not free from encumbrances

C) Cases of One-time settlement involving high value loans

D) High value accounts - to evaluate / re-evaluate the value and quality of security / collateral (both tangible and especially intangible) provided against the account.

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the

जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहाँ संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना

- लेखा परीक्षा के प्रकृति और दायरे के साथ-साथ ध्यान देने योग्य किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा चर्चा के बाद लेखा परीक्षा शुरू करने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना ।
- लेखा परीक्षा योजना और उसकी उपलब्धि की स्थिति की समीक्षा करना ।
- बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना

आगे, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम, 2015 भाग सी के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति की भूमिका परिभाषित की गई है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीति का हिस्सा है ।

वर्ष 2021-22 के दौरान 08.06.2021, 14.06.2021 (परिणाम), 03.08.2021, 03.08.2021 (परिणाम), 12.10.2021, 27.10.2021(परिणाम), 18.12.2021, 01.02.2022, 02.02.2022 (परिणाम), 17.03.2022 आदि तिथियों पर समिति की बैठकें 10 बार आयोजित की गईं ।

सभी बैठकें समुचित कोरम के साथ बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं ।

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निमलिखित है:

क्र.सं	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता का कार्यकाल		उपस्थित /आयोजित बैठकों की संख्या
			से	तक	
1	श्री बी चंद्र रेड्डी	समिति के अध्यक्ष	05.01.2022		03/03
2	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	सदस्य	22.07.2016		10/10
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य	09.10.2017	04.01.2022	07/07
4	श्री दीपक कुमार	सदस्य	18.09.2019	24.02.2022	09/09
5	श्री विवेक अग्रवाल	सदस्य	25.02.2022		01/01
6	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	सदस्य	05.01.2022		03/03
7	श्री दीपक शर्मा	सदस्य	05.01.2022		03/03

3.4 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है जो बोर्ड या बोर्ड की किसी अन्य समिति के अध्यक्ष नहीं होते हैं। बोर्ड का अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य तभी हो सकता है जब उसके पास अपेक्षित जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता हो । समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार रूंगटा हैं जोकि एक स्वतंत्र निदेशक हैं । आरएमसीबी की भूमिका और कार्यक्षेत्र, बैंक द्वारा ग्रहण किए गए समस्त जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करना है । समिति क्रेडिट जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम से संबंधित एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति की देखरेख करेगी । दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकें 5 बार आयोजित की गईं । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है:

क्र.सं	निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		उपस्थित/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022		01/01
2	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020		05/05
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		05/05
4	सुश्री एस.श्रीमती	10.03.2021		05/05
5	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	16.03.2020		05/05
6	श्री दीपक शर्मा	05.01.2022		01/01

3.5 बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति

समिति की प्रमुख कार्यक्षेत्र - प्रणालीगत कमियों की पहचान करने की दृष्टि में, यदि कुछ है तो – सभी बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी एवं समीक्षा करना, पहचान करने तथा रिपोर्टिंग करने में विलंब के कारण- यदि कुछ है तो, सीबीआइ / पुलिस जाँच की प्रगति की निगरानी, वसूली की स्थिति, स्टाफ़ जवाबदेही कार्य को जल्द ही पूरा किया जाना, धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने और उपयुक्त निवारक उपायों को लागू करने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता की समीक्षा करना आदि । अध्यक्ष द्वारा समिति की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और समिति के वर्तमान अध्यक्ष एमडी व सीईओ हैं । दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान समिति का 03 बार बैठक आयोजित हुईं । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाली बैठकों की संख्या :

क्र.सं	निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		उपस्थिति/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020		03/03
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		03/03

internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.

- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing of Audit Plan and status of achievement thereof
- Reviewing the Bank's Financial and Risk Management Policies.

Further as per Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 PART C, the role of the audit committee is defined which is part of Corporate Governance Policy

The committee met 10 times during the year 2021-22 on 08.06.2021, 14.06.2021 (Result), 03.08.2021, 03.08.2021(Results), 12.10.2021, 27.10.2021 (Result), 18.12.2021, 01.02.2022, 02.02.2022 (Result), 17.03.2022

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

The members who held office during the period 01.04.2021 to 31.03.2022 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership		Number of meetings Attended / Held
			From	To	
1	Shri B Chandra Reddy	Chairman of the Committee	05.01.2022		03/03
2	Smt Annie George Mathew	Member	22.07.2016		10/10
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	Member	09.10.2017	04.01.2022	07/07
4	Shri Deepak Kumar	Member	18.09.2019	24.02.2022	09/09
5	Shri Vivek Aggarwal	Member	25.02.2022		01/01
6	Shri Suresh Kumar Rungta	Member	05.01.2022		03/03
7	Shri Deepak Sharma	Member	05.01.2022		03/03

3.4 RISK MANAGEMENT COMMITTEE OF BOARD

Meetings of Risk Management Committee of Board(RMCB) is chaired by an independent director who is not Chair of the board or any other committee of the board. The Chair of the board may be a member of the RMCB only if he/she has the requisite risk management expertise. Present Chairman of the committee is Shri Suresh Kumar Rungta who is an Independent Director. Role and Function of RMCB to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. The Committee will oversee the policy and strategy for integrated risk management relating to credit risk, market risk and operational risk. The Committee met 5 times during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022. Number of Meetings attended by each Member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022		01/01
2	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020		05/05
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		05/05
4	Ms. S Srimathy	10.03.2021		05/05
5	Shri Navin Prakash Sinha	16.03.2020		05/05
6	Shri Deepak Sharma	05.01.2022		01/01

3.5 COMMITTEE FOR MONITORING LARGE VALUE FRAUDS

The major functions of the Committee are to monitor and review all large value frauds with a view to identifying systemic lacunae, if any, reasons for delay in detection and reporting, if any, monitoring progress of CBI/Police investigation, recovery position, ensuring that staff accountability exercise is completed quickly, reviewing the efficacy of remedial action taken to prevent recurrence of frauds and putting in place suitable preventive measures. The Chairman presides over the meetings of the Committee and the present Chairman of the committee is MD & CEO. The Committee met 3 times during the period 01.04.2021 to 31.03.2022. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020		03/03
2	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		03/03

3	सुश्री एस.श्रीमती	10.03.2021		03/03
4	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	22.07.2016	04.01.2022	02/02
5	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	01.04.2021	04.01.2022	01/02
6	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022		01/01
7	श्री बी चंद्र रेड्डी	05.01.2022		01/01

3.6 ग्राहक सेवा समिति

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं:

- एक व्यापक जमा नीति तैयार करना ।
- जमाकर्ता के संचालन के संबंध में मृत्यु जैसे मुद्दों पर विचार करना ।
- उचितता उपयुक्तता की दृष्टि से उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया ।
- जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण ।
- ऐसी सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा । इसके अलावा समिति, प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली व्यवहार्यता व अन्य मुद्दों की भी जाँच कर सकती है ।
- बैंक में ग्राहक सेवाओं के स्तर का मूल्यांकन और समीक्षा करना। यह ग्राहक सेवाओं में सुधार के नए उपायों पर भी विचार करेगी ।

समिति की बैठक की अध्यक्षता बैंक के एमडी व सीईओ द्वारा की जाती है । 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान समिति की बैठकें 04 बार आयोजित हुईं । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता बैठकों की संख्या :

क्र.सं	निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		उपस्थिति/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020		04/04
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		04/04
3	सुश्री एस.श्रीमती	10.03.2021		04/04
4	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	22.07.2016	04.01.2022	03/03
5	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	30.01.2021	04.01.2022	00/03
6	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022		01/01
7	श्री दीपक शर्मा	05.01.2022		01/01

3.7 अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांच समिति के लिए समिति

यह समिति सतर्कता / गैर- सतर्कता अनुशासनात्मक और विभागीय जाँच एवं 50 करोड रुपए और उससे अधिक के धोखाधडी के मामलों में स्टाफ़ जवाबदेही जाँच की तिमाही आधार पर समीक्षा करती है। समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान 3 बार बैठकें आयोजित हुईं। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता बैठकों की संख्या:

क्र.सं	निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		उपस्थिति/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020		03/03
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		03/03
3	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	22.07.2016		02/03
4	श्री दीपक कुमार	18.09.2019	24.02.2022	02/02
5	श्री विवेक अग्रवाल	25.02.2022		01/01

3.8 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आरबीआइ ने अपने मास्टर निर्देश डीबीआर एपीपीटी संख्या 9/29.67.001/2019-20 दिनांकित 02.08.2019 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियमन, 2015 भाग डी के तहत , निर्वाचक निदेशकों के लिए 'योग्य व ठीक' मानदंड के संबंध में संशोधित निदेश जारी किया है । यह मौजूदा पारिश्रमिक समिति का कार्य भी कर रही है जो डीएफ़एस दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के भुगतान का मूल्यांकन कर रही थी ।

एनआरसी का गठन केवल गैर-कार्यकारी निदेशकों (एनईडी) के साथ किया जाना चाहिए। एनआरसी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक

3	Ms. S Srimathy	10.03.2021		03/03
4	Smt Annie George Mathew	22.07.2016	04.01.2022	02/02
5	Shri Navin Prakash Sinha	01.04.2021	04.01.2022	01/02
6	Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022		01/01
7	Shri B Chandra Reddy	05.01.2022		01/01

3.6 CUSTOMER SERVICE COMMITTEE

Customer Service Committee of the Board, illustratively, could address the following: -

- Formulation of a Comprehensive Deposit Policy
- Issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his account
- Product approval process with a view to suitability and appropriateness
- Annual survey of depositor satisfaction
- Triennial audit of such services. Besides, the Committee could also examine any other issues having a bearing on the quality of customer service rendered.
- To evaluate and review the level of customer services in the Bank. It shall also consider the new measures for improvement in Customer Services

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 4 times during the period 01.04.2021 to 31.03.2022. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020		04/04
2	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		04/04
3	Smt S Srimathy	10.03.2021		04/04
4	Smt Annie George Mathew	22.07.2016	04.01.2022	03/03
5	Shri Navin Prakash Sinha	30.01.2021	04.01.2022	00/03
6	Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022		01/01
7	Shri Deepak Sharma	05.01.2022		01/01

3.7 COMMITTEE FOR REVIEW OF DISCIPLINARY CASES & DEPARTMENTAL ENQUIRIES

It reviews the vigilance/ non-vigilances disciplinary and departmental enquires on quarterly basis and Quarterly progress for staff accountability Examination in fraud cases involving Rs 50 crore and above. The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 3 times during the period 01.04.2021 to 31.03.2022. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020		03/03
2	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		03/03
3	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		02/03
4	Shri Deepak Kumar	18.09.2019	24.02.2022	02/02
5	Shri Vivek Aggarwal	25.02.2022		01/01

3.8 NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Nomination and Remuneration Committee(NRC) is carrying out necessary due diligence and arrive at the 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors as specified in RBI master Direction DBR.Appt.No. 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and as per Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Part D. It is also carrying out function of existing Remuneration Committee which was evaluating the payment of Performance Linked Incentives to Whole Time Directors as per DFS guidelines.

NRC should be constituted with only Non-Executive Directors(NED). The meetings of the NRC shall be chaired by an independent

करेंगे। बोर्ड का अध्यक्ष एनआरसी की अध्यक्षता नहीं करेगा । एनआरसी की बैठक आवश्यकता पडने पर आयोजित की जा सकती है, समिति में 5 गैर-कार्यकारी निदेशक होते हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.9 सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आइटीएससी) कारोबार में सुधार लाने के उद्देश्य से सू.प्रौ में विकास का लाभ उठाने हेतु बैंक द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने की सू.प्रौ नीति पर विचार कर रही है। यह समिति प्रमुख रूप से सू.प्रौ सक्षम व्यावसायिक पहलों और बैंक की तकनीकी आर्किटेक्चर की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीति में विस्तृत भूमिका और कार्यक्षेत्र के बारे में सूचित किया है।

अध्यक्ष द्वारा समिति की बैठकों की अध्यक्षता की गयी । वर्तमान में श्री दीपक शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं । दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान समिति की 4 बैठकों का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य की प्रतिभागिता वाली बैठकों की संख्या :

क्र.सं	निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		उपस्थिति/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री दीपक शर्मा	05.01.2022		01/01
2	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020		04/04
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		04/04
4	सुश्री एस.श्रीमती	10.03.2021		04/04
5	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	25.07.2018		04/04
6	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	29.01.2018	04.01.2022	02/03
7	श्री बी चंद्र रेड्डी	05.01.2022		01/01

3.10 मानव संसाधन पर बोर्ड स्तरीय संचालन समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गई । 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान समिति की 4 बैठकों का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य की प्रतिभागिता वाली बैठकों की संख्या :

क्र.सं	निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		उपस्थिति/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020		04/04
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		04/04
3	सुश्री एस.श्रीमती	10.03.2021		04/04
4	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	22.07.2016		04/04
5	डॉ टी.टी राम मोहन ##			04/04

वे नियुक्त निदेशक नहीं हैं। डीएफ़एस दिशानिर्देशों के अनुरूप उन्हें मानव संसाधन प्रोफेशनल (पूर्व आइआइएम प्रोफ़ेसर) के रूप में नामित किया गया है।

3.11 एनपीए की वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड स्तरीय समिति

एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसीएमआरएनपीए) सभी एनपीए खातों में वसूली की समीक्षा और निगरानी कर रही है। यह एनपीए प्रबंधन की भी समीक्षा करती है और तनावग्रस्त संपत्तियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न दिशानिर्देशों/निर्देशों पर प्रगति/कार्रवाई रिपोर्ट की भी समीक्षा करती है। समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी । 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान समिति की 4 बैठकों का आयोजन किया गया । सभी बैठकें उचित कोरम के साथ बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

3.12 इरादतन चूककर्ताओं और गैर - सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान समिति की एक बार बैठक हुई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाली बैठकों की संख्या :

क्र.सं	निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		उपस्थिति/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020		01/01
2	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022		01/01
3	श्री बी चंद्र रेड्डी	05.01.2022		01/01

director. The Chair of the board shall not chair the NRC. The meeting of NRC may be held as and when required The Committee consists of 5 Non-Executive Directors

The Committee did not meet during the year FY 2021-22

3.9 INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE

Information Technology Strategy Committee (ITSC) is deliberating on the IT policy of technology adoption by the Bank for leveraging the developments in IT to improve business. It reviews and monitor progress of major IT enabled business initiatives and Technical Architecture of the Bank. Detail role and function is defined in Corporate Governance Policy

The Chairman, presides over the meetings of the Committee. At present, Shri Deepak Sharma, part time non-official Director is chairing the committee. The Committee had met 4 times during the period 01.04.2021 to 31.03.2022. The Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Deepak Sharma	05.01.2022		01/01
2	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020		04/04
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		04/04
4	Smt S Srimathy	10.03.2021		04/04
5	Smt Annie George Mathew	25.07.2018		04/04
6	Shri Navin Prakash Sinha	29.01.2018	04.01.2022	02/03
7	Shri B Chandra Reddy	05.01.2022		01/01

3.10 BOARD LEVEL STEERING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCES

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee had met 4 times during the period 01.04.2021 to 31.03.2022. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020		04/04
2	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		04/04
3	Smt S Srimathy	10.03.2021		04/04
4	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		04/04
5	Dr T T Ram Mohan ##			04/04

He is not an appointed director. He has been nominated for this Committee as HR professional (Ex-IIM Professor) in line with DFS guidelines

3.11 BOARD LEVEL COMMITTEE TO MONITOR RECOVERY IN NPA

Board Level Committee to Monitor Recovery In NPA(BLCMRNPA) is reviewing and monitoring the recovery in all NPA accounts. It also reviews the NPA Management and also progress/ action taken report on various guidelines/ directions given by Government of India in respect of stressed assets. The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 7 times during the period 01.04.2021 to 31.03.2022. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

3.12 REVIEW COMMITTEE ON WILFUL DEFAULTERS & NON CO-OPERATIVE BORROWERS

The MD & CEO presides over the meeting of the Committee. The Committee met Once during the period 01.04.2021 to 31.03.2022. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020		01/01
2	Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022		01/01
3	Shri B Chandra Reddy	05.01.2022		01/01

3.13 बोर्ड की हितधारक संबंध समिति

हितधारक संबंध समिति की भूमिका सेबी एलओडीआर 2015 के अनुसूची II के भाग डी के निर्दिष्टानुसार होगी जोकि निम्नवत है:

- सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान जिसमें शेयरों के अंतरण/ संचरण, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, घोषित लाभांश की अप्राप्ति, नए/प्रमाण- पत्रों की प्रति निर्गम, सामान्य बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं ।
- शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए की गयी उपायों की समीक्षा।
- रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा ।
- अदावाकृत लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/ वार्षिक रिपोर्ट / वैधानिक सूचना की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान समिति की बैठक एक बार आयोजित की गयी। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य की प्रतिभागिता वाली बैठकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं	निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		उपस्थिति/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	25.01.2019		01/01
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		01/01
3	सुश्री एस.श्रीमती	10.03.2021		01/01
4	श्री बी चंद्र रेड्डी	05.01.2022		01/01
5	श्री दीपक शर्मा	05.01.2022		01/01

3.14 प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति

डीएफ़एस के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों और आंतरिक नियंत्रण के प्रभारी महा प्रबंधकों (जैसे निरीक्षण और लेखा परीक्षा, अनुपालन, जोखिम) के निष्पादन का मूल्यांकन करना। वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

3.15 अपील पर विचार करने के लिए बोर्ड की समिति

अपील पर विचार करने के लिए बोर्ड की समिति सजा/अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि के मामले में अपीलीय प्राधिकारी /समीक्षा प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है जहाँ एमडी व सीईओ अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं या उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं, जहाँ कहीं भी एमडी व सीईओ अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं, वे अपील और समीक्षा समिति के सदस्य नहीं होंगे। वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की दो बार बैठकें हुईं । समिति में तीन सदस्य शामिल हैं और सभी सदस्य दिनांक 17.07.2021 और 27.10.2021 की बैठक में उपस्थित हुए।

4.1 अनुपालन अधिकारी

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 6 के अनुसार श्री नंदकुमारन एस, सेबी / स्टॉक एक्सचेंज के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

4.2 शेयरधारकों की शिकायतें

वर्ष के दौरान प्राप्त/ सुधार की गई और लंबित शिकायतों की संख्या :

01.04.2021 तक लंबित	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	13
वर्ष के दौरान निपटायी गयी	13
31.03.2022 तक लंबित	0

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 46 के संबंध में हमने शेयरधारकों को सूचित किया है कि निवेशकों की शिकायतों को दूर करने व उनके समाधान हेतु एक अलग ई-मेल आइडी investorcomp@iobnet.co.in आबंटित की गयी है और कंपनी सचिव श्री नंदकुमारन.एस इस संबंध में अनुपालन अधिकारी हैं। हमने इस ई-मेल आइ.डी व अन्य प्रासंगिक विवरणों को अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया है । कंपनी सचिव की अध्यक्षता में निवेशक संबंध कक्ष , निवेशकों की शिकायतों का भी निपटारा करता है ।

5. सामान्य बोर्ड बैठक

ए) स्थान और समय जहाँ पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकें आयोजित की गई ।

3.13. STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE

The role of the Stakeholders Relationship Committee shall be as specified as in Part D of the Schedule II, SEBI LODR 2015, which is given below:

- Resolving the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new /duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports /statutory notices by the shareholders of the company.

The Committee met Once during the period 01.04.2021 to 31.03.2022. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings attended/ held
		From	To	
1	Shri Navin Prakash Sinha	25.01.2019		01/01
2	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		01/01
3	Smt S Srimathy	10.03.2021		01/01
4	Shri B Chandra Reddy	05.01.2022		01/01
5	Shri Deepak Sharma	05.01.2022		01/01

3.14 BOARD COMMITTEE FOR PERFORMANCE EVALUATION

To evaluate the performance of Whole time directors and General Managers in charge of internal control (such as Inspection & Audit, Compliance & Risk) as per DFS guidelines. The Committee met once during the year 2021-22.

3.15: COMMITTEE OF BOARD FOR CONSIDERATION OF APPEALS

Committee of Board for Consideration of Appeals act as an Appellate authority/ Reviewing Authority in case of punishment/ Disciplinary action etc. is awarded to Executives where MD& CEO is the Disciplinary Authority(DA) or in his absence Executive Directors are Disciplinary Authority Wherever, MD& CEO is the Disciplinary Authority, he/ she will not be the members of Committee for Appeal and Review. The Committee met 2 times during the year 2021-22. The Committee consist of 3 members and all members attended the meeting dated 17.07.2021 & 27.10.2021.

4.1 COMPLIANCE OFFICER:

In terms of Regulation 6 of SEBI (LODR), Mr. Nandakumaran S is the Company Secretary and the Compliance Officer during the period under review for complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc.

4.2 SHAREHOLDERS COMPLAINTS

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

Pending as on 01.04.2021	0
Received during the year	13
Redressed during the year	13
Pending as on 31.03.2022	0

In terms of Regulation 46 of SEBI (LODR), we have advised the shareholders that an exclusive e-mail ID : investorcomp@iobnet.co.in has been allotted and Mr. S Nandakumaran, Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website. The Investor Relations Cell headed by the Company Secretary is handling the redressal of investor complaints.

5. GENERAL BODY MEETING:

a. Location and time where last three Annual General Meetings were held:

क्र.सं	बैठक की प्रकृति	बैठक की तिथि, दिवस और समय	स्थान
1	19वाँ ए.जी.एम	10.07.2019, बुधवार 10.00 बजे सुबह	सद्गुरु घनानंद हॉल नारद गण सभा 314 टी.टी.के रोड़ अलवरपेट, चेन्नै
2	20 वाँ ए.जी.एम	24.08.2020, सोमवार 11.00 बजे सुबह	वर्चुअल मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक केंद्रीय कार्यालय 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002
3	21 वाँ ए.जी.एम	07.08.2021, शनिवार 11.00 बजे सुबह	वर्चुअल मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक केंद्रीय कार्यालय 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002

बी) 19वीं, 20वीं, 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ योग्यता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यू.आइ.पी.), राईट्स ईश्यू, अधिमानी आधार पर आबंटन और अनुवर्तन पब्लिक ऑफर या अधिमानी शेयरों (संचयी/गैर्संचयी) के ज़रिए इक्विटी शेयरों को जारी कर पूँजी जुटाने के लिए विशेष संकल्प प्रस्तुत किए गए।

सी) कोई डाक मतदान नहीं हुआ था ।

डी) स्थान और समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित हुई।

क्र.सं	बैठक की प्रकृति	बैठक की तिथि, दिवस और समय	स्थान
1.	ईजीएम	24.03.2016 गुरुवार 10.30 बजे सुबह	नारद गण सभा 314 टी.टी.के रोड़, चेन्नै 600 018
2.	ईजीएम	15.09.2016 गुरुवार 10.00 बजे सुबह	रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 006
3.	ईजीएम	29.11.2017 बुधवार 10.30 बजे सुबह *	नारद गण सभा 314 टी.टी.के रोड़, चेन्नै 600 018
4.	ईजीएम	30.01.2018 मंगलवार 10.30 बजे सुबह **	नारद गण सभा 314 टी.टी.के रोड़, चेन्नै 600 018
5.	ईजीएम	28.03.2018 बुधवार 10.00 बजे सुबह	नारद गण सभा 314 टी.टी.के रोड़, चेन्नै 600 018
6.	ईजीएम	02.11.2018 शुक्रवार 10.00 बजे सुबह	रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 006
7.	ईजीएम	28.03.2019 गुरुवार 10.00 बजे सुबह	नारद गण सभा 314 टी.टी.के रोड़, चेन्नै 600 018
8.	पोस्टल बैलेट	27.11.2019 बुधवार 5.00 बजे शाम	केमियो कॉर्पोरेट सर्वीसेज़, नं 1, सुब्रमणियन बिल्डिंग, क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
9.	पोस्टल बैलेट	26.02.2020 बुधवार 5.00 बजे शाम	केमियो कॉर्पोरेट सर्वीसेज़, नं 1, सुब्रमणियन बिल्डिंग, क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
10	ईजीएम	12.05.2021, बुधवार 11.30 बजे सुबह	वर्चुअल मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक केंद्रीय कार्यालय 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002

उक्त ईजीएम का आयोजन अधिमानी आधार पर भारत सरकार और एल.आइ.सी व उसकी विभिन्न योजनाओं को इक्विटी शेयरों को जारी करने हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया गया ।

एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए 03.12.2020 को ईजीएम का आयोजन होने वाला था और एक मौजूदा रिक्ति के प्रति केवल एक वैध नामांकन प्राप्त होने के कारण रद्द करना पड़ा ।

*शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए ईजीएम का आयोजन किया गया।

**संचित नुकसानों के प्रति शेयर प्रीमियम खाते को समायोजित करने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ईजीएम का आयोजन किया गया।

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	19th AGM	10.07.2019, Wednesday 10.00 AM	Sathguru Gnanananda Hall, Narada Gana Sabha, 314 TTK Road, Alwarpet, Chennai 600 018,
2	20th AGM	24.08.2020, Monday 11.00 AM	Virtual Mode (Through Video Conferencing) Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002
3	21st AGM	07.08.2021, Saturday 11.00 AM	Virtual Mode (Through Video Conferencing) Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

b. In the 19th, 20th & 21st AGMs, special resolutions were put through to obtain the shareholders' approval to raise capital by way of issue of equity shares through Qualified Institutional Placement (QIP), Rights Issue, Preferential allotment or Follow-on Public Offer or preference shares (cumulative / non-cumulative).

c. There was no postal ballot exercise.

d. Location and time where Extra Ordinary General Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1.	EGM	24.03.2016 Thursday 10.30 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
2.	EGM	15.09.2016 Thursday 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai 600 006
3.	EGM	29.11.2017 Wednesday 10.30 A.M. *	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
4.	EGM	30.01.2018 Tuesday 10.30 A.M.**	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
5.	EGM	28.03.2018 Wednesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
6.	EGM	02.11.2018 Friday 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall, 603 Anna Salai, Chennai 600 006
7.	EGM	28.03.2019 Thursday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
8.	Postal Ballot	27.11.2019 Wednesday 5.00 P.M.	Cameo Corporate Services, No.1 Subramanian Building, Club House Road, Chennai 600 002
9.	Postal Ballot	26.02.2020 Wednesday 5.00 P.M.	Cameo Corporate Services, No.1 Subramanian Building, Club House Road, Chennai 600 002
10	EGM	12.05.2021, Wednesday 11.30 A.M.	Virtual Mode (Through Video Conferencing) Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

The above EGMs were held for obtaining shareholders' approval for issue of equity shares to Government of India and LIC and its various schemes on preferential basis.

EGM for election of one shareholder director was scheduled to be held on 03.12.2020 and the same was cancelled due to receipt of only one valid nomination against one existing vacancy.

*EGM held for election of Shareholder Directors

** EGM held for obtaining shareholders' approval for set off of Share Premium Account against accumulated losses

ई) ई-वोटिंग

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में जारीकर्ता एजीएम/ ईजीएम में पारित होने वाले सभी शेयरधारक संकल्पों के संबंध में **अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा** प्रदान करने के लिए सहमत है। तदनुसार बैंक ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है।

6. संप्रेषण का माध्यम

ए) बैंक के त्रैमासिक अ-लेखा परीक्षित/ लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। बैंक हरित पहल के तहत वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा भेज रहा है जिनके ई-मेल पते बैंक के पास उपलब्ध हैं और ऐसे शेयर धारक जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए अपनी ई-मेल आइडी पंजीकृत नहीं की है, उन शेयरधारकों को कूरियर/ पोस्ट के माध्यम से भेज रहा है।

बी) सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम 2015 (एलओडीआर) के विनियम 47 के मुताबिक तिमाही वित्तीय परिणाम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र , हिंदी दैनिक समाचार पत्र और एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं । प्रकाशन का विवरण और तिथियाँ निम्नानुसार हैं :

समाप्त तिमाही	अंग्रेज़ी दैनिक	तमिल दैनिक	हिंदी दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2021	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	दिनमणि	जनसत्ता	15.06.2021
30.06.2021	बिज़नेस स्टैंडर्ड	दिनमणि	बिज़नेस स्टैंडर्ड	04.08.2021
30.09.2021	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	दिनमणि	जनसत्ता	29.10.2021
31.12.2021	बिज़नेस स्टैंडर्ड	दिनमणि	बिज़नेस स्टैंडर्ड	04.02.2022
31.03.2022	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	दिनमणि	जनसत्ता	20.05.2022

सी) तिमाही परिणाम/ वार्षिक परिणाम और निष्पादन विश्लेषण भी बैंक की वेबसाइट **www.iob.in** पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

डी) बैंक तिमाही/वार्षिक परिणामों के दौरान आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति प्रदर्शित करता है।

7. सामान्य शेयरधारक जानकारी

ए) एजीएम : तिथि, समय और स्थान

तिथि	15.07.2022
समय	11.00 बजे सुबह
स्थान	वर्चुअल मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए)

बी) वित्तीय वर्ष : 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022.

सी) लाभांश भुगतान की तिथि : शून्य (संचित हानि को समाप्त करना है)

डी) बही बंद करने की तिथि : वार्षिक सामान्य बैठक के लिए 09.07.2022 से 15.07.2022 (दोनों तिथियाँ शामिल हैं)।

ई) अदत्त लाभांश :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) और वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 ने बैंकों और मंत्रालयों के अदत्त लाभांश पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 में एक नई धारा 10 (बी) को शामिल किया है। कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय ने अदत्त लाभांश राशि के निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि (आइईपीएफ़) में अंतरण हेतु बैंक द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के बारे में सूचित किया है।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष को लाभांश राशि (आइईपीएफ)

तदनुसार पिछले वर्षों की अदत्त लाभांश राशि को आइओबी के अदत्त लाभांश खाते/खातों में अंतरित कर दिया गया है , अतः इस प्रकार की अंतरण राशि जोकि अंतरण की तिथि से 07 वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावी है , निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित कर दी जाएगी ।

वर्ष के लिए लाभांश	अदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तिथि	सरकार को अंतरण करने की नियत तिथि
शून्य	शून्य	शून्य

एफ़) बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए हैं:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	532388

e) E-Voting:

In accordance with the provisions of Regulation 44 of SEBI (LODR), the Issuer agrees to provide **E-Voting facility to its shareholders** in respect of all shareholder's resolutions, to be passed at AGM/EGM. Accordingly, the Bank is providing e-voting facility.

6. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited/ audited financial results of the Bank are approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending Annual Reports, under Green Initiative by email to those shareholders whose e-mail addresses are available with the Bank and through courier/post to shareholders who have not registered their email id for this purpose.

b. The quarterly financial results are published in a national daily, Hindi daily and a regional vernacular daily in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR). The details and dates of publication are as under:

Quarter ended	English Daily	Tamil Daily	Hindi Daily	Date of publication
31.03.2021	Financial Express	Dinamani	Jansatta	15.06.2021
30.06.2021	Business Standard	Dinamani	Business Standard	04.08.2021
30.09.2021	Financial Express	Dinamani	Jansatta	29.10.2021
31.12.2021	Business Standard	Dinamani	Business Standard	04.02.2022
31.03.2022	Financial Express	Dinamani	Jansatta	20.05.2022

c. The quarterly results / annual results and Performance Analysis are also being displayed on the Bank's web-site **www.iob.in**

d. Bank displays official press release during quarterly/annual results

7. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a) AGM: Date, Time and Venue:-

Date	15.07.2022
Time	11.00 am
Deemed venue for the meeting	Virtual Mode (Through Video Conferencing)

b) Financial Year : 01st April 2021 to 31st March 2022.

c) Dividend Payment Date: Nil (Accumulated losses are to be wiped out)

d) Date of Book Closure : 09.07.2022 to15.07.2022 (Both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

e) Unpaid Dividend:

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, has incorporated a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 on Unpaid dividend of banks and Ministry of Corporate Affairs had advised the process to be followed by banks for transferring the **Unpaid Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF).**

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB and hence such monies, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years, shall be transferred to IEPF:

Dividend for the year	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c	Due Date for Transferring to Government (IEPF)
NIL	NIL	NIL

f. The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Name of the Stock Exchange	Stock Code
Bombay Stock Exchange Ltd.	532388

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	आइओबी

वर्ष 2021-22 के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित देय तारीखों के भीतर दिया गया है।

प्राधिकृत पूँजी : दिनांक 31.03.2022 तक बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु.25000 करोड़ है।

प्रदत्त पूँजी में बढ़ोत्तरी:

बैंक को सरकारी निवेश के रूप में भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) द्वारा केंद्र सरकार के अंशदान स्वरूप बैंक के इक्विटी शेयर में अधिमान्य आबंटन के रूप में दिनांक 31.03.2021 को प्राप्त कुल रु.4100 करोड़ की राशि पूँजी निवेश हेतु दिनांक 02.06.2021 को रु.10 के 246,54,23,932 शेयर 16.63 प्रति शेयर की निर्गम राशि पर (प्रति इक्विटी शेयर रु. 6.63 के प्रीमियम सहित) जारी व आबंटित किए गए ।

जी) बाज़ार मूल्य डाटा

अवधि- माह	एनएसई		बीएसई	
	उच्च (रुपये)	कम (रुपए)	उच्च (रुपये)	कम (रुपए)
अप्रैल 2021	18.50	12.80	18.45	15.50
मई 2021	18.35	15.35	18.30	14.70
जून 2021	29.00	16.45	29.00	16.45
जुलाई 2021	28.95	23.15	28.90	23.15
अगस्त 2021	24.75	18.75	24.80	18.70
सितंबर 2021	24.50	19.50	24.60	19.35
अक्तूबर 2021	23.60	20.80	23.60	20.75
नवंबर 2021	23.30	19.45	23.80	19.45
दिसंबर 2021	23.40	19.60	23.45	19.60
जनवरी 2022	21.95	19.50	21.95	19.50
फ़रवरी 2022	22.35	17.25	22.30	16.55
मार्च 2022	19.95	17.05	19.85	17.05

संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों में वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के शेयरों की उच्च/निम्न कीमतों के आँकड़े स्पष्ट अक्षरों में दिए गए हैं । हमारे बैंक को व्यापार से निलंबित नहीं किया गया है।

<u>एच) दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 की तुलना में इक्विटी निष्पादन</u>

National Stock Exchange of India Ltd.	IOB

Annual Listing Fees for the year 2021-22 have been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

Authorized Capital: As on 31.03.2022, the Authorized Capital of the Bank is Rs.25000 cr.

Increase in Paid-up Capital:

The Bank on 02.06.2021 had issued and allotted upto 246,54,23,932 equity shares of Rs.10/- each for cash at Issue Price of Rs.16.63 per Equity Share (including a premium of Rs.6.63 per equity share) aggregating to Rs.4100 crore on preferential basis to Government of India (President of India) for capital infusion amount received by the Bank from Government of India on 31.03.2021.

g) Market Price Data: -

Period - Month	NSE		BSE	
	High (Rs.)	Low (Rs.)	High (Rs.)	Low (Rs.)
April 2021	18.50	12.80	18.45	15.50
May 2021	18.35	15.35	18.30	14.70
June 2021	29.00	16.45	29.00	16.45
July 2021	28.95	23.15	28.90	23.15
August 2021	24.75	18.75	24.80	18.70
September 2021	24.50	19.50	24.60	19.35
October 2021	23.60	20.80	23.60	20.75
November 2021	23.30	19.45	23.80	19.45
December 2021	23.40	19.60	23.45	19.60
January 2022	21.95	19.50	21.95	19.50
February 2022	22.35	17.25	22.30	16.55
March 2022	19.95	17.05	19.85	17.05

Figures in bold represent the high/low price of the Bank's shares traded during the year 2021-22, in the respective Stock Exchanges. Our Bank was not suspended from trading.

<u>h). Equity performance in comparison to BSE Sensex and Nifty50 during 01.04.2021 to 31.03.2022</u>

आइ) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड (यूनिट -आइओबी)

सुब्रमणियन बिल्डिंग , पाँचवाँ तल नं: 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002

टेलीफ़ोन : 044 40020734, फैक्स : 28460129 ई-मेल: cameo@cameoindia.com

जे) शेयर अंतरण प्रणाली

हमारे बैंक के निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयरों के लेनदेन का अधिकार कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति (ईएलएसटीएसी), महा प्रबंधकों की समिति को शेयर अंतरण एवं प्रेषण आदि पर विचार करने व उसे अनुमोदित करने के लिए सौंपा है। ईएलएसटीएसी की बैठकों के कार्यवृत्त प्रत्येक बैठक में निदेशक मंडल को सूचित किए जाते हैं। पिछले वर्ष के दौरान समिति की 22 बार बैठक हुई और रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की गई।

सेबी के परिपत्र दिनांक 25.01.2022 के अनुसार निवेशक सेवा अनुरोधों के मामले में आरटीए और सूचीबद्ध इकाई को प्रतिभूतियों को डीमैट के रूप में जारी करना होगा अर्थात :

ए) प्रतिभूति प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि का निर्गम ।

बी) अदावाकृत उचंत खाते से दावा।

सी) प्रतिभूतियों के प्रमाण- पत्र का नवीनीकरण/विनिमय ।

डी) पृष्ठांकन ।

ई) प्रतिभूतियों के प्रमाण- पत्र का उप- विभाजन/ विभाजन ।

एफ़) प्रतिभूति प्रमाण पत्रों /फोलियो का समेकन ।

जी) प्रेषण

एच) स्थानांतरण

अतः , दिनांक 25.01.2022 के बाद, भौतिक शेयरधारकों को उक्त अनुरोध के लिए अपने शेयर प्रमाण- पत्र को अभौतिकीकरण के लिए अभ्यर्पित करना होगा।

के) दिनांक 31.03.2022 को शेयरधारिता का विवरण:

क्र.सं	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
	प्रवर्तकों की धारिता		
1	भारत सरकार	18,21,83,26,570	96.38
	उप-योग	**18,21,83,26,570**	**96.38**

i) Registrar & Share Transfer Agent:

Cameo Corporate Services Limited (Unit-IOB)
Subramanian Building, V Floor No.1 Club House Road, Chennai-600 002

Tel: 044- 40020734 Fax: 28460129 e-mail: cameo@cameoindia.com

j) Share Transfer System:

Our Bank's Board of Directors have delegated the power of transactions on equity shares to Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC), Committee of General Managers, to consider and approve Share Transfer, Transmission etc. The minutes of the ELSTAC meetings are reported to the Board of Directors in each meeting. The Committee met 22 times during last year and reports were submitted to the Board.

As per SEBI circular dated 25.01.2022 the RTA & Listed entity has to Issue Securities in dematerialized form in case of Investor Service Requests i.e.

a) Issue of duplicate securities certificate;

b) Claim from Unclaimed Suspense Account;

c) Renewal / Exchange of securities certificate;

d) Endorsement;

e) Sub-division / Splitting of securities certificate;

f) Consolidation of securities certificates/folios;

g) Transmission;

h) Transposition;

Hence, after 25.01.2022, the physical shareholders have to surrender their share certificate for dematerialization for the above request.

k) Distribution of shareholding as on 31.03.2022:

S No	Category	No. of Shares	% of share holding
	PROMOTERS HOLDING		
1	Government of India	18,21,83,26,570	96.38
	Sub-Total	**18,21,83,26,570**	**96.38**

गैर- प्रवर्तकों की धारिता			
2	संस्थागत निवेशक		
ए	**म्यूचुअल फंड्स**	7429820	0.04
बी	बैंक, वित्तीय संस्थाएँ	235358110	1.25
सी	बीमा कंपनियाँ	4681678	0.02
डी	विदेशी संस्थागत निवेशक	0	0
एफ़	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	14705100	0.08
	उप-योग	**262174708**	**1.39**
3	**अन्य**		
ए	निगमित निकाय	31719109	0.17
बी	वैयक्तिक	303539217	1.60
सी	एनआरआइ	8997058	0.05
	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	48000	0
	ईएसओपी/ईएसओएस/ईएसपीएस	65510340	0.35
डी	अन्य	12097254	0.06
	उप-योग	**421910978**	**2.23**
कुल योग		**18902412256**	**100.00**

एल) दिनांक 31.03.2022 तक विवरण अनुसूची :

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक - दिनांक 31.03.2022 को धारिता का वितरण

शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों की संख्या का प्रतिशत	रु. 10 के सांकेतिक मूल्य के अनुसार शेयरधारिता	शेयर राशि (अंकित मूल्य)	कुल का प्रतिशत
373878	78.89	10 - 5000	524382550	0.2773
46136	9.74	5001- 10000	392360430	0.2076
22576	4.76	10001 - 20000	350212180	0.1853
8092	1.71	20001 - 30000	209543680	0.1109
3956	0.84	30001 - 40000	144096270	0.0762
4034	0.85	40001 - 50000	193179350	0.1022
9967	2.10	50001 - 100000	772111980	0.4085
5263	1.11	100001 – व अधिक	186438236120	98.6320
473902	100.00	कुल	189024122560	100.0000

एम) दिनांक 31.03.2022 को विदेशी शेयर धारिता :

क्र.सं	संवर्ग	दिनांक 31.03.2022 को		दिनांक 31.03.2022 को	
		शेयरों की संख्या	कुल राशि का %	शेयरों की संख्या	कुल राशि का %
1	विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ओसीबी	48000	0.00	48000	0.00
3	एनआरआइ	8791653	0.05	8997058	0.05
4	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	12244326	0.07	14705100	0.08
	कुल	21083979	0.12	23750158	0.13

NON-PROMOTERS HOLDING			
2	**Institutional Investors**		
A	Mutual Funds	7429820	0.04
B	Banks, Financial Institutions	235358110	1.25
C	Insurance Companies	4681678	0.02
D	Foreign Institutional Investors	0	0
F	Foreign Portfolio Investor	14705100	0.08
	Sub-Total	**262174708**	**1.39**
3	**OTHERS**		
A	Bodies Corporate	31719109	0.17
B	Individuals	303539217	1.60
C	NRI	8997058	0.05
	Overseas Corporate Body	48000	0
	ESOP/ESOS/ESPS	65510340	0.35
D	Others	12097254	0.06
	Sub-total	**421910978**	**2.23**
GRAND TOTAL		**18902412256**	**100.00**

l) Distribution schedule as on 31.03.2022

INDIAN OVERSEAS BANK - DISTRIBUTION OF HOLDINGS AS ON 31.03.2022

No. of Shareholder	% to Total No. of Shareholders	Shareholding in terms of nominal value of Rs.10/-	Share Amount (Face Value)	% to Total
373878	78.89	10 - 5000	524382550	0.2773
46136	9.74	5001- 10000	392360430	0.2076
22576	4.76	10001 - 20000	350212180	0.1853
8092	1.71	20001 - 30000	209543680	0.1109
3956	0.84	30001 - 40000	144096270	0.0762
4034	0.85	40001 - 50000	193179350	0.1022
9967	2.10	50001 - 100000	772111980	0.4085
5263	1.11	100001 - and Above	186438236120	98.6320
473902	100.00	Total	189024122560	100.0000

m) Foreign Shareholding as on 31.03.2022

S No	Category	As on 31.03.2021		As on 31.03.2022	
		No. of shares	% To total capital	No. of shares	% To total capital
1	Foreign Institutional Investors	0.00	0.00	0.00	0.00
2	OCBs	48000	0.00	48000	0.00
3	NRIs	8791653	0.05	8997058	0.05
4	Foreign Portfolio Investor	12244326	0.07	14705100	0.08
	Total	21083979	0.12	23750158	0.13

उक्त सारणी में वर्णितानुसार 31.03.2022 तक कुल विदेशी शेयर धारण (एफ़आइआइ, ओसीबी, एनआरआइ और विदेशी पोर्टफोलियो) 0.13 था, जोकि बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है।

<u>एन) दिनांक 31.03.2022 को बैंक के शीर्ष 5 शेयरधारक :</u>

क्र.सं	शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारण का %
1	भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	18218326570	96.38
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	228087493	1.21
3	सुआशिष डायमण्ड्स लिमिटेड	13473678	0.07
4	धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड	4875000	0.03
5	केनरा बैंक	4190000	0.02

<u>ओ) शेयरों व प्रत्यक्ष धारिता का अमूर्तिकरण :</u>

बैंक के शेयर अनिवार्य डीमैट ट्रेडिंग के अधीन हैं । बैंक नैशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉसिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसीज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में डिपॉजिटरी सेवाओं का सदस्य है। शेयर धारक एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी के भी साथ अपने शेयरों का अमूर्तिकरण करा सकते हैं। डिपॉजिटरी सेवा ने बैंक को एक आइएसआइएन कोड आबंटित किया है- आइएनई 565A01014 ।

दिनांक 31.03.2022 को 1890.24 करोड इक्विटी शेयरों में से 1887.62 करोड़ इक्विटी शेयर या 99.86% डीमैट रूप में 403127 शेयरधारकों के पास हैं (जिनमें से भारत सरकार के पास डीमैट रूप में 1821.83 करोड़ इक्विटी शेयर हैं जो कुल मिलाकर 96.38% हैं) और 2.62 करोड़ इक्विटी शेयर या 0.14% भौतिक रूप में 79835 शेयरधारकों के पास प्रत्यक्ष रूप में हैं ।

<u>पी) डीमैट खाते में धारित अदावाकृत शेयर :</u>

अदावाकृत उचंत खाते में धारित शेयरों की स्थिति का उल्लेख निम्नवत है :

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
दिनांक 01.04.2021 के प्रारंभ में शेयरधारकों की कुल संख्या और प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाते में पड़े बकाया शेयर	220	54800
वर्ष के दौरान ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने अदावाकृत उचंत खाते से शेयरों के अंतरण के लिए संपर्क किया	शून्य	शून्य
उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें अदावाकृत उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए थे	शून्य	शून्य
शेयरधारकों की कुल संख्या और दिनांक 31.03.2022 के अंत में अदावाकृत उचंत खाते में पड़े बकाया शेयर	220	54800

इन शेयरों से संबंधित वोटिंग अधिकार ऐसे शेयरों के उपयुक्त स्वामी के शेयरों पर दावे तक सुरक्षित रखा जाएगा।

<u>क्यू) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर इसका संभाव्य प्रभाव :-</u>

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की हैं।

<u>आर) बैंक ने समय-समय पर वचन- पत्रों के रूप में अप्रत्यावर्तनीय बॉण्ड एकत्र किए हैं। 31.03.2022 तक बकाया बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार हैं :</u>

क्रम	आबंटन की तिथि	आकार (रुपए करोड़ों में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	मोचन की तिथि
बेसल ॥। टियर ॥					
I	03.11.2016	800.00	120	9.24	#03.11.2022
II	10.12.2018	300.00	120	11.70	#08.12.2028
III	24.09.2019	500.00	120	9.0802	24.09.2029
IV	31.03.2022	665.00	120	8.60	#31.03.2032

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs and Foreign Portfolio Investors) as at 31.03.2022 was 0.13%, which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

n) Top five shareholders of the Bank as on 31.03.2022:

S No	Name of the Shareholders	No. of Shares held	% of Total Holding
1	The President of India, Government of India	18218326570	96.38
2	LIC of India	228087493	1.21
3	Suashish Diamonds Limited	13473678	0.07
4	Dharampal Satyapal Ltd	4875000	0.03
5	CANARA BANK	4190000	0.02

o) Dematerialization of shares & Physical Holding:

The shares of the Bank are under compulsory demat trading. The Bank is a member of the depository services with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an issuer company for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The depository services have allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.

Out of 1890.24 crore equity shares as on 31.3.2022, 1887.62 crore equity shares or 99.86% are held by 403127 shareholders in Demat form (of which Government of India holds 1821.83 crore equity shares in Demat form aggregating to 96.38%) and 2.62 crore equity shares or 0.14% are held by 79835 shareholders in physical form.

Unclaimed shares held in Demat Account:

The position of shares held in the unclaimed suspense account is mentioned below:

Details	No. of share-holders	No. of Shares
Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in unclaimed suspense account at the beginning 01.04.2021	220	54800
Number of Shareholders who approached for transfer of shares from unclaimed suspense account during the year	NIL	NIL
Number of Shareholders to whom shares were transferred from the unclaimed suspense account	NIL	NIL
Aggregate Number of Shareholders and the outstanding shares lying in the unclaimed suspense account at the end of 31.03.2022	220	54800

The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

q) Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The Bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

r) The bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2022 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs. in Crores)	Tenor (in months)	Coupon %	Redemption Date
Basel III Tier II					
I	03.11.2016	800.00	120	9.24	#03.11.2022
II	10.12.2018	300.00	120	11.70	#08.12.2028
III	24.09.2019	500.00	120	9.0802	24.09.2029
IV	31.03.2022	665.00	120	8.60	#31.03.2032

#माँग विकल्प 5 वर्ष के अंत में अथवा आगामी भुगतान की तिथि पर उपलब्ध है (आरबीआइ के पूर्वानुमोदन के साथ) ।

एस) निर्गम के बॉण्ड ट्रस्टी

बैंक ने उक्त सभी बॉण्ड के निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उपरोक्त सभी बॉण्ड निर्गम हेतु बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आइडीबीआइ ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड, मुंबई को नियुक्त किया है:

एशियन बिल्डिंग, 17 आर कमानी रोड , बैलार्ड इस्टेट , फोर्ट , मुंबई – 400 001

संपर्क विवरण : श्री कृष्णकांत
वरिष्ठ प्रबंधक
022-40807000

टी) लेखा परीक्षक की फीस :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक द्वारा सभी सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को रु 27,10,64,943.88 की फीस प्रदान की गई है।

क्रेडिट रेटिंग

रेटिंग एजेंसी के नाम	बेसल III टियर II				जमा कार्यक्रम का प्रमाण- पत्र	सावधि जमा कार्यक्रम
	शृंखला I	शृंखला II	शृंखला III	शृंखला IV		
क्रिसिल लिमिटेड	ए+ / पॉज़िटिव	ए+ / पॉज़िटिव	ए + / पॉज़िटिव	--	ए 1+	एफ़एए
आइसीआरए लिमिटेड	[इक्रा] ए + (पॉज़िटिव)	[इक्रा] ए + (पॉज़िटिव)	--	--	--	
इंडिया रेटिंग्स	--	--	आइएनडी ए ए - / स्थिर	आइएनडी ए ए - / स्थिर	--	--
केयर रेटिंग्स	--	--	--	एए - स्थिर	--	--

<u>पत्राचार के लिए पता:</u>

शेयर के अंतरण , लाभांश भुगतान और अन्य सभी निवेशक संबंधी गतिविधियों में भाग लिया जाता है और कैमियो कॉर्पोरेट सर्वीसेज़ लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के कार्यालय में संसाधित किया जाता है। शेयरधारक उनके पते पर दस्तावेज़, शिकायतें और परिवेदनाएँ दर्ज़ करा सकते हैं:

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
(यूनिट -आइओबी) सुब्रमणियन बिल्डिंग , पाँचवाँ तल
नं: 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेली: 044 40020734, फैक्स : 28460129 ई-मेल: cameo@cameoindia.com
बैंक के निम्नलिखित पते पर शेयरधारकों की शिकायतों के निपटान और उनकी सेवा के लिए बैंक के केंद्रीय कार्यालय में निवेशक संबंध कक्ष है:
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निवेशक संबंध कक्ष, केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै
चेन्नै -600 002
टेली: 044-28519654, 71729791,28415702
ई-मेल: investor@iobnet.co.in / investorcomp@iobnet.co.in

प्रकटीकरण

ए) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अर्थात् पूर्णकालिक निदेशकों के संबंधित पार्टी लेनदेन के बारे में प्रकटीकरण की बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की जा रही है।

बी) बैंक के निदेशकों, प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों आदि के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनेदेन नहीं जिनसे बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

सी) सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान में बैंक की एक विसलब्लॉअर नीति है और यह पुष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखा-परीक्षा समित की पहुँच नकारी नहीं गई है और यह हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है।

डी) बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सांविधिक/ दिशानिर्देशों/निर्देशों में प्रदान की गई सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है।

ई) सेबी (एलओडीआर) के विनियम 34 के अनुसार , वर्ष 2021-22 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित रिपोर्ट हमारे बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर उपलब्ध है।

#Call option available at the end of 5 years and on subsequent coupon payment date (with prior approval of RBI)

s) BOND TRUSTEE TO THE ISSUE:

The Bank has appointed M/s. IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai, as Bond Trustees to all the above Bond Issues, to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees is given below:

IDBI Trusteeship Services Ltd.,

Asian Building, 17 R Kamani Road, Ballard Estate, Fort, MUMBAI-400 001

Contact Details: Mr. Krishnakant

Senior Manager

022-40807000

t) Auditors Fee:

Total Fee paid by the Bank for all services to the Statutory Auditors during FY 2021-22 is Rs. 27,10,64,943.88.

<u>Credit Ratings</u>

Name of the Rating Agencies	Basel III Tier II				Certificate of Deposit Programme	Fixed Deposit Programme
	Series I	Series II	Series III	Series IV		
CRISIL Limited	A+ / Positive	A+ / Positive	A+ / Positive	--	A1+	FAA Positive
ICRA Limited	[ICRA]A+ (Positive)	[ICRA]A+ (Positive)	--	--	--	--
India Ratings	--	--	IND AA- / Stable	IND AA- / Stable	--	--
CARE Ratings	--	--	--	AA- Stable	--	--

<u>Credit Ratings</u>

t) Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer Agents. Shareholders may lodge documents, grievances and complaints at their address:

Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, V Floor
No.1 Club House Road, Chennai-600 002
Tel: 044- 40020734 Fax: 28460129 email:cameo@cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office to handle the complaints and service requirements of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank
Investor Relations Cell, Central Office, 763, Anna Salai
Chennai-600 002
Tel: 044-28519654, 71729791, 28415702,
email: investor@iobnet.co.in / investorcomp@iobnet.co.in

Disclosures

a. Disclosures as to Related Party Transactions of Key Managerial Personnel i.e. Whole Time Directors are being reviewed on a quarterly basis by the Audit Committee of the Board.

b. There are no significant related party transactions of the Bank with its directors, management or their relatives etc that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

c. Bank has a Whistle Blower Policy and affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee as per CVC guidelines and the same is disclosed in our website.

d. The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/ guidelines/directives issued from time to time by RBI/Government of India to the nationalized banks.

e. In terms of Regulation 34 of SEBI (LODR), Business Responsibility Report for the year 2021-22 is made available in our Bank's web site: www.iob.in

एफ़) संबंधित मदों के प्रति इस रिपोर्ट में बताए गए अनुसार गैर- अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया गया है।

जी) बैंक कमोडिटी बाज़ार की गतिविधियों का संचालन नहीं करता है।

एच) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या : शून्य

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या : 3

वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या :2

वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या : 1

आइ) एमडी व सीईओ और ईडी का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। एमडी व सीईओ और ईडी को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं	नाम	पदनाम	अवधि	पारिश्रमिक का विवरण			राशि (रुपए)
				वेतन	बकाया	पीएफ	
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	01.04.2021 - 31.03.2022	3170650.00	48668.00	252060.00	3471378.00
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	01.04.2021 - 31.03.2022	2982172.00	45770.00	237060.00	3265002.00
3	सुश्री एस.श्रीमती	कार्यपालक निदेशक	01.04.2021 - 31.03.2022	2691162.33	40664.00	213750.00	2945576.33

*राशि रुपए में

दिनांक 18.01.2019 के भारत सरकार के परिपत्र सं: फो.नं: 15/1/2011-बी.ओ.1 के अनुसार बैंक गैर-कार्यकारी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है जो प्रति बोर्ड बैठक में 40,000/- रुपए और समिति की बैठक के लिए 20,000 रुपए और बोर्ड की अध्यक्षता के लिए अतिरिक्त शुल्क रु 10,000/- है तथा बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए रु.5000/- हैं।

जे) सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ और सीएफओ का प्रमाण- पत्र बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत कर दिया गया है और एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

के) वर्ष 2021-22 के लिए बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 34 के तहत , एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और उसकी एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया है ।

एल) बैंक की लाभांश वितरण नीति रिपोर्ट का हिस्सा है और यह बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर उपलब्ध है ।

एम) निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर दिया गया है ।

एन) गैर-अनिवार्य आवश्यकताएँ

गैर-अनिवार्य आवश्यकताएँ	**हमारी स्वीकृति**
बोर्ड – कंपनी के खर्च पर एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा कार्यालय का रखरखाव	बैंक ने गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के लिए कार्यालय प्रदान नहीं कराया है।
शेयरधारकों के अधिकार	वित्तीय परिणाम हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
लेखा- परीक्षा योग्यता	वर्ष 2021-22 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्य टिप्पणियाँ नहीं हैं।
अध्यक्ष और सीईओ का अलग पद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद भारत सरकार द्वारा एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष जोकि बैंक को समग्र नीति निर्देश देने एवं एक पूर्णकालिक कार्यकारी प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बैंक के दिन प्रतिदिन के कामकाज की देखरेख करने के लिए दिया गया है। वर्तमान में, हमारे बैंक में कोई गैर – कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है।
आंतरिक लेखा परीक्षक	बैंक की अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण है और उनकी रिपोर्ट समय-समय पर समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता)

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

f. The Non Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.

g. The Bank does not undertake commodity market activities.

h. Number of complaint pending at beginning of the financial year: Nil

Number of sexual harassment complaints filed during the financial year: 3,

Number of complaints disposed off during the financial year: 2,

Number of complaint pending at the end of financial year: 1.

i. The remuneration of MD & CEO and EDs are fixed by the Government of India. The details of remuneration paid to the MD & CEO and EDs are detailed below:

S No	Name	Designation	Period	Details of Remuneration*			Amount (Rs)
				Salary	Arrears	PF	
1	Mr Partha Pratim Sengupta	MD & CEO	01.04.2021 - 31.03.2022	3170650.00	48668.00	252060.00	3471378.00
2	Mr Ajay Kumar Srivastava	ED	01.04.2021 - 31.03.2022	2982172.00	45770.00	237060.00	3265002.00
3	Ms S Srimathy	ED	01.04.2021 - 31.03.2022	2691162.33	40664.00	213750.00	2945576.33

*Amount in INR

The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors except sitting fee fixed by Government of India which is Rs.40,000/- per Board Meeting and Rs.20,000.00 per Committee Meeting and additional Fee of Rs.10,000/- for chairing Board Meeting and Rs.5,000 for chairing Board Committee meeting in terms of GOI Circular No.F.No.15/1/2011-BO.I dated 18.01.2019.

j. The Certificate of CEO and CFO in accordance with Regulation 17(8) of SEBI (LODR) has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.

k. In terms of Regulation 34 of SEBI (LODR), a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on corporate governance in the Bank for the year 2021-22 and the same is annexed to this report.

l. The Dividend Distribution Policy of the Bank form part of the Report and is available on the Bank's website at www.iob.in

m. Details of familiarization programmes for Directors have been given on the Bank's website at www.iob.in

n. NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	**Our Adoption**
The Board – Maintenance of an office by a non-executive Chairman at the company's expense	Bank has not provided office for the non-executive Chairman
Shareholders Rights	The financial results are displayed in our website.
Audit Qualification	The Audit Reports for the year 2021-22 do not contain qualified remarks.
Separate post of Chairman and CEO	The post of Chairman and Managing Director of Public Sector Banks has been bifurcated by the Government of India into a non-executive Chairman to give an overall policy direction to the Bank and a full time executive Managing Director & CEO to oversee the day-to-day functioning of the Bank. At present, there is no Non-Executive Chairman in our Bank
Internal Auditor	The Bank has its own Internal Audit/Inspection and their reports are periodically placed to the Audit Committee for review.

For and on behalf of the Board of Directors

(Partha Pratim Sengupta)
Managing Director & CEO

निदेशकों का जीवन परिचय DIRECTORS PROFILE

1. श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

उम्र एवं जन्म तिथि : 59 वर्ष, 07.12.1962

योग्यता : बीएससी. भौतिकी (ऑनर्स) , बी.एड , सीएआइआइबी

नियुक्ति की तिथि : 24.07.2020

वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि : 31.12.2022

अनुभव :

भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण अधिकारी श्री.पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने 24 जुलाई 2020 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया ।

श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने फरवरी 1987 में अपना बैंकिंग करियर भारतीय स्टेट बैंक में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में शुरू किया । एसबीआई में उप प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत होने से पहले वे भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक थे । इससे पहले, वे भारतीय स्टेट बैंक, मध्य कॉर्पोरेट क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे में महाप्रबंधक थे ।

एसबीआई के डीएमडी और सीसीओ के रूप में उनका उत्तरदायित्व सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से मेल खाने वाले मानकों के साथ बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो को एक मजबूत स्थायी स्तर पर स्थापित करना था । उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के साथ अपने 3 दशकों से अधिक के अनुभव के दौरान विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य करते हुए खुदरा बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग दोनों में अनुभव प्राप्त किया है ।

आइओबी के शेयरधारिता : लागू नहीं

अन्य निदेशकता : यूनिवर्सल सोम्पो जरनल इन्श्यूरेंस लिमिटेड

2. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

उम्र एवं जन्म तिथि : 55 वर्ष – 15.10.1967

योग्यता : बी.एससी. (ऑनर्स), सीएआईआईबी भाग।

नियुक्ति की तिथि : 09.10.2017

वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि : 08.10.2022

अनुभव :

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने 9 अक्तूबर 2017 को कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । भारत सरकार द्वारा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल दिनांक 10.10.2020 से 02 वर्षों के लिए बढ़ाया गया की अवधि इससे पूर्व वे इलाहाबाद बैंक में फील्ड महा प्रबन्धक – दिल्ली के रूप में कार्यरत थे ।

1. Shri Partha Pratim Sengupta
MD & CEO

Age and Date of Birth: 59 years, 07.12.1962

Qualification: B.Sc. Physics (Hons.), B.Ed, CAIIB

Date of Appointment: 24.07.2020

Date of expiry of the current term: 31.12.2022

Experience:

Shri. Partha Pratim Sengupta, Deputy Managing Director & Chief Credit Officer, State Bank of India has assumed charge as Managing Director & Chief Executive Officer in Indian Overseas Bank on 24th July 2020.

Shri. Partha Pratim Sengupta, a career banker, joined State Bank of India as a Probationary Officer in February 1987. Prior to his elevation to the post of Deputy Managing Director in SBI he was the Chief General Manager of State Bank of India, Kolkata Circle. Prior to this, he was General Manager at State bank of India, Mid Corporate Regional Office, Pune.

As DMD & CCO of SBI, he was responsible in positioning the Bank's credit portfolio on a firm sustainable footing with standards matching global best practices. During his more than 3 decades of experience with State Bank of India he has served in various capacities in different geographies and has hands-on experience both in Retail Banking and Corporate Banking.

Shareholding in IOB : NA

Other Directorships : Universal Sompo General Insurance Ltd

2. Shri Ajay Kumar Srivastava
Executive Director

Age and Date of Birth: 55 Years – 15.10.1967

Qualification: B.Sc. (Hons), CAIIB Part I

Date of Appointment: 09.10.2017

Date of expiry of the current term: 08.10.2022

Experience:

Shri Ajay Kumar Srivastava has assumed Office as Executive Director of Indian Overseas Bank on 9th October 2017. The term of Shri Ajay Kumar Srivastava was extended for a further period of 2 years from 10.10.2020 by Govt. of India. Prior to this he was working as Field General Manager- Delhi with Allahabad Bank.

आपने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत 1991 में इलाहाबाद बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की और अपने 27 वर्ष के बैंकिंग करियर में उन्होंने देश के विभिन्न भागों में, जिसमें फील्ड एवं प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं, में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है । वे एक विद्वान, कार्यकुशल एवं हार्डकोर बैंकर हैं जिन्हें फील्ड का विशाल अनुभव है तथा आपने उत्तर प्रदेश, गुजरात व दिल्ली के बड़े व महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नेतृत्व करने का अनुभव प्राप्त है । आपने सकारात्मक, संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और क्षेत्र में विभिन्न वर्टिकल का नेतृत्व करते समय कई नई पहलों का शुभारंभ किया है । श्री श्रीवास्तव ने भारत व विदेशों में कुछ प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

आइओबी में शेयरधारण : शून्य

अन्य निदेशकता : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से नामित निदेशक – इंडिया इनफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

3.सुश्री एस. श्रीमती

कार्यपालक निदेशक

उम्र एवं जन्म तिथि : 58 वर्ष – 22.05.1964

योग्यता : बी.कॉम , एम.कॉम , एमबीए , सीएआइआइबी

नियुक्ति की तिथि : 10.03.2021

वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि : 09.03.2024

अनुभव :

सुश्री एस श्रीमती ने 10.03.2021 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । इससे पूर्व वे केनरा बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थीं। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में वर्तमान पद संभालने से पहले वे नाबार्ड में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त थीं।

सुश्री एस श्रीमती ने नवंबर 1986 में केनरा बैंक में अपनी सेवाओं की शुरुआत परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की। उनके पास ग्रामीण से लेकर महानगर तक की सभी श्रेणियों की शाखाओं में कार्य करने का 34 वर्ष से अधिक का बैंकिंग अनुभव है । साथ ही उन्हें शाखा परिचालन, मध्य व वृहत क्रेडिट , मानव संसाधन , जोखिम प्रबंधन , इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्षेत्रों में भी कार्य करने का अनुभव है ।

सुश्री एस श्रीमती ने देश के सभी हिस्सों में काम किया है और तीन साल से अधिक समय तक कफ परेड, मुंबई में प्राइम कॉर्पोरेट शाखा का नेतृत्व किया है । साथ ही, आपने चेन्नै सर्कल के प्रमुख बनने से पहले केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में कॉर्पोरेट क्रेडिट विंग और अंतरराष्ट्रीय संचालन का नेतृत्व किया है।

सुश्री एस श्रीमती को जुलाई, 2018 में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नाबार्ड में प्रतिनियुक्त किया गया था। इस अवधि के दौरान सुश्री एस श्रीमती ने अलग-अलग अवधि के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के सीवीओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है ।

आइओबी में शेयर धारण : शून्य

अन्य निदेशकता : शून्य

He started his banking career as Probationary Officer in 1991 with Allahabad Bank and during his banking career spanning over 27 years, he has worked in various capacities in different parts of the country which include Field as well as Administrative Offices. He is an astute and hardcore banker with vast field level experience and has the distinction of having successfully led the largest and most critical areas of Uttar Pradesh, Gujarat and Delhi. He has been instrumental in bringing positive structural and cultural changes and took many new initiatives while heading different verticals in the field. Mr Srivastava has undergone some very prestigious training programmes both in India and abroad.

Shareholding in IOB : Nil

Other Directorships: Scheduled Commercial Bank Nominee Director - India Infrastructure Finance Company Limited.

3. Ms. S Srimathy

Executive Director

Age and Date of Birth: 58 Years – 22.05.1964

Qualification: B.Com, M.Com, MBA, CAIIB

Date of Appointment: 10.03.2021

Date of expiry of the current term: 09.03.2024

Experience:

Ms. S Srimathy, has assumed charge as Executive Director of Indian Overseas Bank on 10.03.2021 from Canara Bank where she was Chief General Manager. She had been deputed to NABARD as Chief Vigilance Officer prior to taking over the present post in Indian Overseas Bank.

Ms. S Srimathy joined Canara Bank as Probationary Officer in November 1986. She is having 34+ years of Banking Experience in all categories of branches from Rural to Metro and is well exposed to various verticals like Branch Operations, Mid & Large Credits, Human Resources, Risk Management etc.

Ms. S Srimathy had worked across the country and headed the Prime Corporate Branch at Cuffe Parade, Mumbai for over three years and headed the Corporate Credit Wing & International Operations at Head Office of Canara Bank before becoming Head of Chennai Circle.

Ms. S Srimathy was deputed to NABARD as Chief Vigilance Officer in July, 2018. During the period Ms. S Srimathy held additional charge as CVO of New India Assurance Company Limited, State Bank of India and Bank of Baroda for varying periods.

Shareholding in IOB : Nil

Other Directorships: Nil

4. सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू **सरकारी नामिती निदेशक**	**4. Ms Annie George Mathew** **GoI Nominee Director**
उम्र एवं जन्म तिथि : 58 वर्ष - 21.10.1963	Age and Date of Birth: 58 years - 21.10.1963
योग्यता : एम. एससी.	Qualification: M.Sc.
नियुक्ति की तिथि : 22.07.2016	Date of Appointment: 22.07.2016
वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि : भारत सरकार के अगले आदेश तक	Date of expiry of the current term: Until further orders from Government of India
अनुभव : एनी जॉर्ज मैथ्यू वर्तमान में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं । वे 22.07.2016 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के मण्डल में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं । वे 12.12.2014 से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) में अंशकालिक सदस्य भी हैं । वे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (आईए एंड एएस) के 1988 बैच से संबंध रखती हैं । उनका भारत के भीतर और भारत के बाहर एक विस्तृत और विविध करियर रहा है । उनकी पिछली नियुक्तियों के दौरान उन्होंने देश भर के विभिन्न राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि में अपनी सेवाएँ दी हैं । उन्हें राज्य और केंद्र सरकार के लेखा और लेखा परीक्षा संबंधी कार्यों में एक विविध अनुभव प्राप्त है । लेखा परीक्षा में उन्होंने वाणिज्यिक, सिविल, रसीद और रेलवे लेखा परीक्षा में काम किया है । उन्होंने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों में संयुक्त राष्ट्र, यूएनएचसीआर जैसे अंतरराष्ट्रीय और बहु-पक्षीय संगठनों के साथ काम करने वाली लेखा परीक्षा टीमों का नेतृत्व भी किया है । उन्होंने मिरांडा हाउस से अपनी स्नातक तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण की है एवं उसके पश्चात वे सिविल सेवाओं में शामिल हो गईं।	**Experience:** Ms. Annie George Mathew is currently working as Special Secretary to Govt. of India in Ministry of Finance. She is the Government nominee Director in the Board of Indian Overseas Bank since 22.07.2016. She is also Part-time Member in Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) since 12.12.2014. She belongs to the 1988 batch of Indian Audit and Accounts Service (IA&AS). She has had a wide and varied career within India and outside India. Her earlier postings have taken her across the country to different states like Himachal Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi, Madhya Pradesh, etc. She has a varied experience in both Accounting and Auditing function of the State and Union Government. In Audit, she has worked in Commercial, Civil, Receipt and Railways Audit. She has also led audit teams working with international and multi-lateral organizations like the United Nations, UNHCR in various countries of Europe, Africa and Asia. She is a graduate from Miranda House and post graduate from Delhi University and thereafter joined the civil services.
आइओबी में शेयर धारण : उनके पास बैंक की इक्विटी शेयरधारिता नहीं है ।	Shareholding in IOB : She does not hold any equity shares of the Bank
अन्य निदेशकता : शून्य	Other Directorships: Nil
5. श्री विवेक अग्रवाल **आरबीआइ नामिती निदेशक**	**5. Shri Vivek Aggarwal** **RBI Nominee Director**
आयु व जन्मतिथि : 58 वर्ष – 07.08.1963	Age and Date of Birth: 58 years – 07.08.1963
योग्यता : श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र; दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र; एमबीए (बैंकिंग और वित्त); सीएआईआईबी	Qualification: BA (Hons) Economics from Shriram College of Commerce, Delhi University; M.A. Economics from Delhi School of Economics, Delhi University; MBA (Banking & Finance); CAIIB
नियुक्ति की तिथि : 25.02.2022	Date of Appointment: 25.02.2022
वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि : अगले आदेश तक	Date of expiry of the current term: Until further orders
अनुभव : वर्तमान में श्री विवेक अग्रवाल भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के क्षेत्रीय निदेशक हैं। इस कार्यभार से पहले, वह क्षेत्रीय निदेशक, मध्य प्रदेश के रूप में कार्यरत थे।	**Experience:** Shri Vivek Aggarwal is currently Regional Director for New Delhi, Reserve Bank of India. Before this assignment, he was Regional Director, Madhya Pradesh.

वह 1989 में एक सीधी भर्ती के द्वारा अधिकारी के रूप में आरबीआई में शामिल हुए और 5 साल तक कानपुर में निर्गम विभाग में तैनात थे। इसके बाद, उन्हें मुंबई में तैनात किया गया, जहां उन्होंने विदेशी निवेश और संचालन विभाग, सीओ में 7 साल तक विदेशी मुद्रा डीलर के रूप में और बाद में पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में काम किया, जहाँ वे देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने वाली टीम का हिस्सा थे। इसके बाद वे डीजीएम के रूप में आंध्रा बैंक में प्रतिनियुक्ति पर गए जहाँ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के प्रभारी के रूप में आंध्रा बैंक के विदेशी मुद्रा संचालन का नेतृत्व किया।

उन्होंने विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, आरबीआई (3 वर्ष), बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, चेन्नै (4 वर्ष) और आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग, सीओ (2 वर्ष) में काम किया है ।

जनवरी 2013 से मई 2016 तक उन्होंने गवर्नर के कार्यकारी सहायक के रूप में काम किया। उन्होंने दो गवर्नरों डॉ. डी. सुब्बाराव और डॉ. रघुराम जी. राजन के साथ मिलकर काम किया है।

मई 2016 से मार्च 2019 तक उन्होंने सीजीएम, एचआरएमडी, सीओ के रूप में कार्य किया ।

उन्होंने 2½ वर्ष तक पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में कार्य किया है।

वह आरबीआइ के गोल्डन जुबली स्कॉलर हैं और आर्थिक नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार विषय पर एम.एससी की पढ़ाई के लिए बर्मिंघम बिजनेस स्कूल, बर्मिंघम, यूके गए।

आइओबी में शेयर धारण : शून्य

अन्य निदेशकता : शून्य

6. श्री नवीन प्रकाश सिन्हा
शेयरधारक निदेशक

आयु एवं जन्मतिथि : 59 वर्ष 15.10.1962

योग्यता : बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र
भारत के बीमा संस्थान से अनुज्ञप्ति प्राप्त

नियुक्ति की तिथि : 29.01.2021

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि : 28.01.2024

अनुभव :

श्री नवीन प्रकाश सिन्हा वित्त उत्पादन विपणन, मानव संसाधन प्रबंधन, और श्रम कानून विशेष रूप से जो पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य कर्मचारी लाभ से सम्बद्ध है, का विशाला अनुभव है ।

वित्तीय उत्पाद विपणन :

- हजारीबाग, पटना और हैदराबाद डिवीज़न के सीनियर डिवीज़नल मैनजर (इन-चार्ज) के रूप में, उनके पास लक्षित प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए इन डिविजनों के तहत सभी शाखाओं की मार्केटिंग और सर्विसिंग गतिविधियों दोनों की निगरानी और नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी थी ।

He joined RBI in 1989 as a direct recruit officer and was posted in Issue Department at Kanpur for 5 years. Thereafter, he was posted to Mumbai where he worked in Department of External Investments & Operations, CO for 7 years as Forex Dealer and later as Portfolio Manager wherein he was part of the team managing the country's forex reserves. He then went on deputation to Andhra Bank as DGM and was in-charge of the International Banking Division wherein he headed the Forex Operations of Andhra Bank.

He has worked in Foreign Exchange Department, Central Office, RBI (3 years); Department of Banking Supervision, Chennai (4 years); and in Internal Debt Management Department, CO (2 years).

From January 2013 to May 2016 he worked as Executive Assistant to the Governor. He has worked closely with 2 Governors namely, Dr.D.Subbarao and Dr.Raghuram G.Rajan.

From May 2016 to March 2019 he was CGM, HRMD, CO.

He has served as RBI Nominee Director in the Board of Punjab National Bank for 2 ½ years.

He is a Golden Jubilee Scholar of RBI and went to the Birmingham Business School, Birmingham, UK to study M.Sc. in Economic Policy and International Business.

Shareholding in IOB : Nil

Other Directorships: Nil

6. Shri Navin Prakash Sinha
Shareholder Director

Age and Date of Birth: 59 years 15.10.1962

Qualification: BA (Hons) Economics
Licenciate of Insurance Institute of India

Date of Appointment: 29.01.2021

Date of expiry of the current term: 28.01.2024

Experience:

Shri Navin Prakash Sinha has vast experience in the field of Financial Product Marketing, Human Resource Management and Labour laws especially related to Pension, Gratuity, and other Employees' benefits.

Financial Product Marketing:

- As a Sr. Divisional Manager (In-Charge) of Hazaribagh, Patna and Hyderabad Division, he was responsible for monitoring and controlling both marketing and servicing activities of all branches under these Divisions for achieving targeted performance.

- क्षेत्रीय प्रबन्धक (विपणन) के रूप में उन्होंने अंचल की विपणन रणनीतियों के विकास व कार्यान्वयन तथा विपणन गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदारी निभायी।
- प्रमुख (पी व जी एस) के रूप में वे समूह पोर्टफोलियो के निवेश में शामिल थे, जिसमें वित्तीय बाज़ारों की दैनिक निगरानी समाहित थी।

मानव संसाधन प्रबंधन :

- क्षेत्रीय प्रबन्धक के रूप में उन्होंने अंचल के मानव संसाधन प्रबंधन की जिम्मेदारी निभायी, जिसमें पदोन्नति तथा अधिकारियों के पदस्थगन शामिल थे।
- ज़ेडटीसी, गुड़गांव के अतिरिक्त निदेशक एवं निदेशक के रूप में वे उत्तरी क्षेत्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की उनके पास जिम्मेदारी थी और आपने इसे उत्कृष्टता के सीखने के केंद्र के रूप में विकसित किया था।
- विशेष रूप से पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं अन्य कर्मचारियों के लाभ से संबन्धित श्रम कानून।
- प्रमुख (पी व जीएस) के रूप में वे कॉर्पोरेट कार्यालय के पेंशन व ग्रुप इंश्योरेंस वर्टिकल के विपणन एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी निभायी।

वर्तमान / भूतकाल में एलआईसी में धारित पद :

- 09.08.2018 से अब तक अंचल प्रबन्धक (उ प्र व उत्तराखंड के प्रभारी के रूप में)
- निदेशक (अंचल प्रशिक्षण केंद्र) गुड़गांव अक्तूबर 2017 से 08.08.2018 तक
- अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 तक अतिरिक्त निदेशक (अंचल प्रशिक्षण केंद्र), गुड़गांव
- अप्रैल 2015 से अप्रैल 2017 तक प्रमुख (पेंशन व समूह सेवा निवृत्ति योजनाएँ) केन्द्रीय कार्यालय मुंबई
- अप्रैल 2012 से अप्रैल 2015 तक क्षेत्रीय प्रबन्धक (विपणन) दक्षिण केंद्रीय अंचल, हैदराबाद
- अप्रैल 2011 से अप्रैल 2012 (कार्मिक व औद्योगिक संबंध) दक्षिण अंचल, चेन्नै
- जुलाई 2010 से अप्रैल 2011 तक राष्ट्रीय संबंध प्रबन्धक, चेन्नै
- अगस्त 2007 से जुलाई 2010 तक मुख्य प्रबन्धक मॉरीशस
- मई 2006 से अगस्त 2007 तक सीनियर डिवीज़नल मैनेजर (प्रभारी), हैदराबाद
- मई 2004 से मई 2006 तक सीनियर डिवीज़नल मैनेजर (प्रभारी), पटना
- मई 2002 से मई 2004 तक सीनियर डिवीज़नल मैनेजर (प्रभारी), हजारीबाग डिविजन

आइओबी में शेयरधारण : उनके पास बैंक के 100 इक्विटी शेयर है।

अन्य निदेशकता : शून्य

- As a Regional Manager (Marketing), he was responsible for developing and implementing Marketing strategies of the Zone, Supervising marketing activities under Zone.
- As a Chief (P&GS), he was involved in investment of Group portfolio which included daily monitoring of Financial Markets.

Human Resource Management:

- As a Regional Manager (P&IR), he was responsible for human resource management of the zone involving promotion and placement of officers.
- As an additional Director and Director ZTC, Gurgaon, he was responsible for training of all officers & employees of Northern zone and develop it as a learning centre of excellence.
- Labour laws especially related to Pension, Gratuity, and other employees' benefits:
- As a Chief (P&GS), he was responsible for marketing and administration of Pension & Group Insurance vertical from Corporate Office.

Post held in LIC at Present/Past

- Zonal Manager (In Charge of UP and Uttarakhand from 09.08.2018 till date
- Director (Zonal Training Centre), Gurgaon from October,2017 till 08.08.2018
- Additional Director (Zonal Training Centre), Gurgaon from April,2017 to September, 2017
- Chief (Pension & Group Superannuation Schemes), Central Office, Mumbai from April, 2015 to April,2017
- Regional Manager (Marketing), South Central Zone, Hyderabad from April, 2012 to April, 2015
- Regional Manager(Personnel & Industrial Relations), Southern Zone, Chennai from April, 2011 to April , 2012
- National Relationship Manager, Chennai from July, 2010 to April, 2011
- Chief Manager, Mauritius from August, 2007 to July, 2010
- Sr. Divisional Manager (In-charge) of Hyderabad from May, 2006 to August, 2007
- Sr. Divisional Manager (In-charge) of Patna Division from May, 2004 to May, 2006
- Sr. Divisional Manager (In-charge) of Hazaribagh Division from May, 2002 to May, 2004.

Shareholding in IOB : He holds 100 Shares of our Bank.

Other Directorships: Nil

7. श्री सुरेश कुमार रुंगटा
अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक

आयु एवं जन्मतिथि : 66 वर्ष 07.07.1956

योग्यता : वित्त में एम कॉम डिग्री

नियुक्ति की तिथि : 21.12.2021

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि : 20.12.2024

अनुभव :

श्री सुरेश कुमार रुंगटा को 21 दिसंबर 2021 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने बिहार राज्य में कोषाध्यक्ष के रूप में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। उन्होंने बिहार वैट की सलाहकार समिति (2005 से) के सदस्य के रूप में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसके अलावा उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं।

आपने बिहार के आर्थिक, ग्रामीण विकास और कृषि संबंधी मुद्दों पर आज, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर और अन्य जैसे प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में नियमित रूप से योगदान दिया है।

आइओबी में शेयरधारण : शून्य

अन्य निदेशकता : स्वदेशी प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

8. श्री बी. चंद्र रेड्डी
अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक

आयु एवं जन्मतिथि : 64 वर्ष – 14.04.1958

योग्यता : एम.कॉम , एफसीए

नियुक्ति की तिथि : 21.12.2021

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि : 20.12.2024

अनुभव :

श्री बी.चंद्र रेड्डी को 21 दिसंबर 2021 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। उनके पास लेखा परीक्षण का व्यापक अनुभव है। वर्ष 2020-2021 के दौरान वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वैधानिक बैंक लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा आपने विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों में विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है ।

आइओबी में शेयरधारण : शून्य

अन्य निदेशकता : शून्य

9. श्री दीपक शर्मा
अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक

आयु एवं जन्मतिथि : 46 वर्ष – 31.07.1976

योग्यता : बी.कॉम , ईपीजीडीआइबी (आइआइएफटी), एलएलबी, एलएलएम (रियल एस्टेट)

नियुक्ति की तिथि : 21.12.2021

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि : 20.12.2024

7. Shri Suresh Kumar Rungta
Part time Non Official Director

Age and Date of Birth: 66 years 07.07.1956

Qualification: M. Com Degree in Finance

Date of Appointment: 21.12.2021

Date of expiry of the current term: 20.12.2024

Experience:

Shri Suresh Kumar Rungta has been nominated as Director of Indian Overseas Bank on 21st December 2021. He has actively participated in various social activities in the State of Bihar as Treasurer. He has also actively participated as member of Advisory Committee of Bihar VAT (since 2005). Further he has authored Several books.

He has regularly contributed in leading hindi dailies like AAJ, Dainik Jagran, Hindustan, Prabhat Khabar and other on Economic, Rural Development and Agricultural related issues of Bihar.

Shareholding in IOB : Nil

Other Directorships: Swadeshi Plast Pvt Ltd

8. Shri B. Chandra Reddy
Part time Non Official Director

Age and Date of Birth: 64 years 14.04.1958

Qualification: M.Com, F.C.A

Date of Appointment: 21.12.2021

Date of expiry of the current term: 20.12.2024

Experience:

Shri B.Chandra Reddy has been Nominated as Director of Indian Overseas Bank on 21st December 2021. He has vast experience in Auditing. Prior to this he was Statutory Bank Auditor in Union Bank of India during 2020-2021. Further he also worked in various capacities in different Private Sector Companies.

Shareholding in IOB : Nil.

Other Directorships: Nil

9. Shri Deepak Sharma
Part time Non Official Director

Age and Date of Birth: 46 years 31.07.1976

Qualification: B. Com, EPGDIB (IIFT), LLB, LLM (Real Estate)

Date of Appointment: 21.12.2021

Date of expiry of the current term: 20.12.2024

अनुभव :
श्री दीपक शर्मा को 21 दिसंबर 2021 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। वह अडानी रियल्टी के लिए प्रमुख कानूनी और संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें रियल एस्टेट उद्योग एक्सपोजर में व्यापक अनुभव है। इसके अलावा उनके पास वित्त, कानूनी और अनुपालन, नेतृत्व कौशल, परियोजना प्रबंधन और संचालन के अद्वितीय संयोजन में प्रासंगिक अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों में विभिन्न क्षमताओं में भी काम किया।
आइओबी में शेयरधारण : शून्य
अन्य निदेशकता : शून्य

Experience:
Shri Deepak Sharma has been nominated as Director of Indian Overseas Bank on 21st December 2021. He is working as Head Legal & Liaison for Adani Realty. He has vast experience in Real Estate Industry Exposure. Further he has relevant Experience in Unique Combination of Finance , Legal & Compliance, Leadership Skills, Project Management and Operations. Further he also worked in various capacities in different Private Sector Companies.
Shareholding in IOB : Nil.
Other Directorships: Nil

निदेशकों की गैर- अयोग्यता का प्रमाण-पत्र

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जानेवाले विनियम 34 (3) के अनुक्रम में

सदस्यगण
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
763, अण्णा सालै
चेन्नै – 600002

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जानेवाले विनियम 34 (3) के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्र के निर्गमन के उद्देश्य से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय 763, अण्णा सालै , चेन्नै -600002 स्थित है, (जिसे आगे से "बैंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों द्वारा हमें प्रस्तुत सभी संबंधित पंजियों , रिकॉर्डों , प्रारूपों , विवरणियों की हमारे द्वारा जाँच की गयी ।

बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों और वांक्षित परीक्षणों के अनुसार तथा हमारे अभिमत और जानकारी के अनुसार हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2022 तक बैंक के बोर्ड में शामिल निम्नवत किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने अथवा जारी रहने से ना तो वर्जित किया गया है और ना ही अयोग्य ठहराया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017
3	सुश्री एस. श्रीमती	10.03.2021
4	सुश्री ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016
5	श्री विवेक अग्रवाल	25.02.2022
6	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	29.01.2021
7	श्री सुरेश कुमार रुंगटा	21.12.2021
8	श्री बी.चंद्र रेड्डी	21.12.2021
9	श्री दीपक शर्मा	21.12.2021

बोर्ड के किसी भी निदेशक की नियुक्ति / उनकी सेवाओं को जारी रखने संबंधी पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी जाँच के आधार पर हम उसके बारे में अपना अभिमत व्यक्त करें । यह प्रमाण पत्र ना तो बैंक की भविष्यगत परिहार्यता के प्रति और ना ही बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए कामकाजों की पद्धति की प्रभाविता या दक्षता के प्रति कोई आश्वासन है ।

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 03.06.2022

कृते **एसआर श्रीनिवासन व कंपनी एलएलपी**
कंपनी सचिव

एस. राजेंद्रन
प्रबंधन साझेदार
एफसीएस : 3727 । सीपी नं : 14055
यूडीआइएन :एफ003727डी000456102

CERTIFICATE OF NON – DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

Pursuant to Regulation 34 (3) read with Schedule V Para – C Sub clause (10) (i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

The Members,
INDIAN OVERSEAS BANK
763, Anna Salai,
Chennai – 600 002

We have examinded the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of INDIAN OVERSEAS BANK having its Registered office at 763, Anna Salai, Chennai – 600 002, (hereinafter referred to as "The Bank") produced before us by the Bank for the purpose of Issuing this certificate, in accordance with Regulation 34 (3) read with Schedule V Part – C Sub clause 10 (i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors as stated below on the Board of the Bank as on 31st March 2022 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India or any such other statutory authority.

Sr. No.	Name of Director	Date of appointment in Bank
1	Mr. Partha Pratim Sengupta	24.07.2020
2	Mr. Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017
3	Ms. S Srimathy	10.03.2021
4	Ms. Annie George Mathew	22.07.2016
5	Mr. Vivek Aggarwal	25.02.2022
6	Mr. Navin Prakash Sinha	29.01.2021
7	Mr. Suresh Kumar Rungta	21.12.2021
8	Mr. B Chandra Reddy	21.12.2021
9	Mr. Deepak Sharma	21.12.2021

Ensuring the eligibility of, every Director on the Board, for their appointment / continuity is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on the same based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

PLACE : CHENNAI

DATE : 03.06.2022

For **SR.SRINIVASAN & CO. LLP**
COMPANY SECRETARIES

S.Rajendran
Managing Partner
FCS : 3727 | CP.NO:14055
UDIN : F003727D000456102

निदेशकों की गैर- अयोग्यता का प्रमाण-पत्र

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जानेवाले विनियम 34 (3) के अनुक्रम में

सदस्यगण
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
763, अण्णा सालै
चेन्नै – 600002

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जानेवाले विनियम 34 (3) के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्र के निर्गमन के उद्देश्य से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय 763, अण्णा सालै , चेन्नै -600002 स्थित है, (जिसे आगे से "बैंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों द्वारा हमें प्रस्तुत सभी संबंधित पंजियों , रिकॉर्डों , प्रारूपों , विवरणियों की हमारे द्वारा जाँच की गयी ।

बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों और वांक्षित परीक्षणों के अनुसार तथा मेरे अभिमत और जानकारी के अनुसार मै एतद्द्वारा प्रमाणित कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2021 तक बैंक के बोर्ड में शामिल निम्नवत किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने अथवा जारी रहने से ना तो वर्जित किया गया है और ना ही अयोग्य ठहराया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017
3	सुश्री एस. श्रीमती	10.03.2021
4	सुश्री ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016
5	श्री दीपक कुमार	18.09.2019
6	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	29.01.2021

बोर्ड के किसी भी निदेशक की नियुक्ति / उनकी सेवाओं को जारी रखने संबंधी पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी जाँच के आधार पर हम उसके बारे में अपना अभिमत व्यक्त करें । यह प्रमाण पत्र ना तो बैंक की भविष्यगत परिहार्यता के प्रति और ना ही बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए कामकाजों की पद्धति की प्रभाविता या दक्षता के प्रति कोई आश्वासन है ।

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 11.06.2021

कृते **वी सुरेश एसोसियेट्स**
कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत
वी सुरेश
वरिष्ठ साझेदार
एफसीएस नं. 2969
सीपी नं. 6032
पी आर. सी. नं : 667/2020
यूडीआइएन :एफ002969सी000444762

CERTIFICATE OF NON – DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

Pursuant to Regulation 34 (3) read with Schedule V Para – C Sub clause (10) (i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

The Members,
INDIAN OVERSEAS BANK
763, Anna Salai,
Chennai – 600 002

We have examinded the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of INDIAN OVERSEAS BANK having its Registered office at 763, Anna Salai, Chennai – 600 002, (hereinafter referred to as "The Bank") produced before us by the Bank for the purpose of Issuing this certificate, in accordance with Regulation 34 (3) read with Schedule V Part – C Sub clause 10 (i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information as considered necessary and explanations furnished to me by the Bank & its officers, I hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for Financial year ended on 31st March 2021 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India or any such other statutory authority.

Sr. No.	Name of Director	Date of appointment in Bank
1	Mr. Partha Pratim Sengupta	24.07.2020
2	Mr. Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017
3	Ms. S Srimathy	10.03.2021
4	Ms. Annie George Mathew	22.07.2016
5	Mr. Deepak Kumar	18.09.2019
6	Mr. Navin Prakash Sinha	29.01.2021

Ensuring the eligibility of the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. My responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

PLACE : CHENNAI
DATE : 11.06.2021

For **V.SURESH ASSOCIATES**
Practising Company Secretaries
V SURESH
Senior Partner
FCS No.2969
C.P.No.6032
Peer Review Cert.No. : 667/2020
UDIN : F002969C000444762

कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन संबंधी लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवा में

सदस्य गण

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

चेन्नै

हमने मार्च 31, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है , जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) के विनियम 2015 में निर्धारित किया गया है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी । यह न तो लेखा परीक्षा है न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिमव्यक्ति है।

हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम 2015 के प्रावधानों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है ।

साथ ही हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन की दक्षता या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रभावात्मकता का जिसके द्वारा कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलापों को संपन्न किया है।

कृते **एस.एन नंदा व कंपनी**	कृते **योगनंद व राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000685एन	एफ़आरएन005157एस/एस 200052
गौरव नंदा	**मनोज कुमार जैन**
साझेदर	साझेदर
एम नं : 500417	एम नं : 218610
यूडीआइएन : 22500417एजेइडीआरसी1627	यूडीआइएन : 22218610एजेइडीकेयू7414
कृते **एस.एन.कपूर व एसोसिएट्स**	कृते **नंदी हलदर व गांगुली**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 001545सी	एफ़आरएन 302017 ई
अविचल एसएन. कपूर	**पार्थसारथी चंद**
साझेदर	साझेदर
एम नं : 400460	एम नं : 056653
यूडीआइएन : 22400460एजेईडीएचपी 4141	यूडीआइएन : 22056653एजेईईएएक्सएफ़ 2640

AUDITORS' CERTIFICATE REGARDING COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of

Indian Overseas Bank

Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank ("the bank") for the financial year ended on March 31, 2022, as stipulated in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

We certify that the Bank has complied wilh the conditions of Corporate Governance as stipuloted in lhe provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligotions and Disclosure Requirements) Regulolions, 201 5.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For **S N NANDA & CO**	For **YOGANANDH & RAM LLP**
Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN 000685N	FRN 005157S/S200052
GAURAV NANDA	**MANOJ KUMAR JAIN**
Partner	Partner
M.No.500417	M.No. 218610
UDIN: 22500417AJEDRC1627	UDIN: 22218610AJEDKU7414
For **S N KAPUR & ASSOCIATES**	For **NANDY HALDER & GANGULI**
Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN 001545C	FRN 302017E
(AVICHAL SN. KAPUR)	**PARTHASARATHI CHANDA**
Partner	Partner
M.No.400460	M.No.056653
UDIN:22400460AJEDHP4141	UDIN:22056653AJEEXF2640

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनिमय 2015 की विनिमय 24ए के क्रम में

सदस्य गण,
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
763, अण्णा सालै,
चेन्नै - 600 002

हमने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉरपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की है (जिसे आगे से बैंक के रूप में संदर्भित किया जाएगा) । सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन और उस पर अपनी राय व्यक्त की।

इण्डियन ओवरसीज बैंक की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों और बैंक द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखो के सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास तरीके की रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है।

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्म और रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है :

I. कंपनी अधिनियम, 2013, (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम (लागू होने तक);

II. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

III. निक्षेपागार अधिनियम, 1996, और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम ;

IV. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश:

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं;

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

[Pursuant to Regulation 24A ofSecurities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

The Members,
INDIAN OVERSEAS BANK
763, Anna Salai,
Chennai - 600 002

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by INDIAN OVERSEAS BANK (hereinafter called "the Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Indian Overseas Bank books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2022 by and large appears to have complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board- processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2022, according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013, (the Act) and the rules made there under (To the extent applicable).

ii The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, ('SCRA') and the rules made there under.

iii The Depositories Act, 1996, and the Regulations and Bye laws framed there under.

iv Foreign Exchange Management Act, 1999, and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings.

The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011- Not Applicable during the period under review.

b) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का निषेध) विनियम, 2015;

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009 जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया है ;

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014; समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं

च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008 ;

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और क्लाइंट के साथ व्यवहार के संबंध में ;

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009- समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं ;

झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998 समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं ।

बैंक पर विशेष रूप से लागू होने वाले अन्य कानून इस प्रकार हैं:

1. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
2. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970
3. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
4. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872
5. संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
6. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
8. ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972
9. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
10. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश), 1946
11. नियोक्ता भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
12. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
13. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
14. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
15. दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953
16. ट्रेड यूनियन अधिनियम,1926

c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended in 2018;

e) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 and The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations 2014;- Not applicable to the bank during the period under review.

f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008

g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;

h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations. 2009 - Not applicable during the period under review.

i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 Not applicable during period under review.

Other Laws specifically applicable to the Bank are as follows:

1. The Banking Regulations Act, 1949.
2. The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
3. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
4. Indian Contract Act, 1872
5. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
6. Payment of Wages Act, 1936.
7. The Minimum Wages Act, 1948
8. Payment of Gratuity Act, 1972
9. Industrial Disputes Act,'1947
10. Industrial Employment (Standing Orders), 1946
11. Employers Provident Fund and Misc. Provisions Act, 1952
12. The Payment of Bonus Act, 1965
13. The Negotiable Instrument Act, 1881
14. Maternity Benefits Act, 1961
15. Shops and Establishment Act, 1953
16. Trade Union Act, 1926

हमने लागू निम्नलिखित खंडों के अनुपालन का परीक्षण भी किया है :

1) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक और अधिसूचित;

बैंक का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत किया गया है और कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत पंजीकृत नहीं है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सूचीबद्ध इकाई ने निम्नलिखित को छोड़कर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन लागू किया है:

1. 31 मार्च, 2022 तक बैंक के बोर्ड में नौ (9) निदेशक शामिल हैं, जिसमें तीन (03) कार्यपालक निदेशक (एमडी सहित) शामिल हैं; तीन (03) स्वतंत्र निदेशक, दो (02) गैर-कार्यपालक और गैर-स्वतंत्र निदेशक और एक (01) शेयरधारक निदेशक है ।

   एलओडीआर के विनियम 17 (1) के अनुसार, जहां सूचीबद्ध इकाई में कोई नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, कम से कम आधे निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे । हालांकि, बैंक के बोर्ड में केवल तीन (03) स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं । इस प्रकार, बैंक के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं ।

2. सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 (1) के लिए निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना आवश्यक है और निदेशक मंडल के कम से कम पचास प्रतिशत में गैर कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे । हालांकि, 01 अप्रैल 2021 से 21 दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान, कंपनी ने इसका अनुपालन नहीं किया था ।

3. सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(1) के प्रावधान में उल्लेखित है कि शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए। हालांकि बोर्ड ने अभी तक किसी स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है ।

4. बैंक ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) का निम्नानुसार अनुपालन नहीं किया है:-

   क) धारा 9 (3) (ई) का अनुपालन नहीं किया गया है: जिसके लिए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से एक निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता है जो कामगार हैं ।

   ख) धारा 9 (3) (एफ) का अनुपालन नहीं किया गया ; जिसके लिए बैंक के कर्मचारियों में से एक निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता होती है, जो कामगार नहीं हैं ।

   ग) धारा 9 (3) (जी) का अनुपालन नहीं किया गया है:

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

1) The Secretarial Standards issued and notified by the Institute of Company Secretaries of India;

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is not registered under the Companies Act, 1956/2013.

During the period under review, the Bank has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above to the extent applicable except to the following:

1) The Board of the Bank comprises Nine (9) Directors, constituting of three (03) Executive Directors (including the MD); three (03) Independent Directors, two (02) Non-Executive & Non-Independent Directors and one (01) shareholder director as on March 31, 2022.

   Pursuant to regulation 17(1) of the LODR, where the listed entity does not have a regular non-executive chairperson, at least half of the board of directors shall comprise of independent directors. However, the Board of Bank comprises of only three (03) Independent Directors. Thus, the Bank does not have the requisite number of Independent Directors in its Board.

2) Regulation 17(1) of the SEBI (LODR) requires the board of directors to have an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one woman director and not less than fifty percent. of the board of directors shall comprise of non-executive directors. However, during the period 01st April 2021 to 21st December 2021, the company had not complied with the same.

3) Proviso to Regulation 17(1) of the SEBI (LODR) provides that the Board of Directors of top 1000 listed companies shall have at least one Independent Woman Director. However, the Board has not appointed an Independent Woman Director so far.

4) The Bank has not complied with Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as follows:

   a. Not complied with Section 9(3)(e): which requires the appointment of one Director, from among such of the employees of the Bank who are workmen.

   b. Not complied with Section 9(3)(f): which requires the appointment of one Director, from among the employees of the Bank who are not workmen.

   c. Not complied with Section 9(3)(g): which requires the appointment of one Director who has been a Chartered Accountant for not less

जिसके लिए एक निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता है जो कि रिज़र्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित होने के लिए कम से कम पंद्रह साल के लिए सनदी लेखाकार रहा हो ।

5. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी (1) के लिए बैंक को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने निदेशकों में से एक को पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर नियुक्त करने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक ने बोर्ड में पूर्णकालिक या अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

- उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन, बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है जिसमें कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का उचित अनुपात में रखा गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन सेबी (एलओडीआर) के अनुरूप बैंकिंग कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

- सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों के आयोजित होने के संबंध में पर्याप्त नोटिस दिया गया था, एजेंडा पर विस्तृत नोट्स अग्रिम रूप से भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा के मदों पर और जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा के दौरान बैंक ने प्रिफ्रेंशिअल आबंटन के माध्यम से भारत सरकार को 16.63 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर 10 रुपये के 246,54,23,932 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं । उक्त शेयर आरबीआइ के पत्र दिनांक 30.04.2021 के अनुसार सीईटी 1 पूंजी के हिस्से के रूप में 31.03.2021 को बैंक द्वारा प्राप्त 4100 करोड़ रुपये के पूंजी प्रवाह के अनुसार आबंटित किए गए थे।

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 18.05.2022

कृते **एसआर श्रीनिवासन व कंपनी एलएलपी**

कंपनी सचिव

एस. राजेंद्रन
प्रबंधन साझेदार
एफसीएस : 3727 । सीपी नं : 14055
यूडीआइएन :एफ003727डी000337324

than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank;

5) Section 10B(1) of the Banking Regulation Act, 1949 requires the Bank to appoint on a whole-time or part-time basis one of its Directors as Chairman of the Board. It appears that the Bank has not appointed a whole-time or Part-time Chairman on the Board.

We further report that:

- Subject to the above observations the Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking laws in consonance with SEBI (LODR).

- Adequate notice was given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance for meetings and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications' on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations, and guidelines.

We further report that, during the audit period, the Bank has allotted 246,54,23,932 equity shares of Rs.10 each at an issue price of Rs.16.63 per equity share (including premium) to Government of India by way of preferential allotment. The said shares were allotted pursuant to capital infusion of Rs.4100 crores received by the Bank on 31.03.2021 as part of CET 1 Capital in terms of RBI letter dated 30.04.2021.

PLACE : CHENNAI

DATE : 18.05.2022

For **SR.SRINIVASAN & CO. LLP**

COMPANY SECRETARIES

S.Rajendran
Managing Partner
FCS : 3727 CP.NO:14055
UDIN : F003727D000337324

अनुलग्नक ए

प्रति,
सदस्य गण,
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
763, अण्णा सालै,
चेन्नै - 600 002

सम तिथि की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है ।

1. सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है ।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा की प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है । सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं ।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है ।
4. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षण प्रयोग के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित था।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के मामलों को संचालित करने की क्षमता या प्रभावशीलता के बारे में है ।

स्थान : चेन्नै
कृते **एसआर श्रीनिवासन व कंपनी एलएलपी**

दिनांक : 18.05.2022
कंपनी सचिव

एस. राजेंद्रन
प्रबंधन साझेदार
एफसीएस : 3727 । सीपी नं : 14055
यूडीआइएन :एफ003727डी000337324

Annexure A

To ,
The Members,
INDIAN OVERSEAS BANK
763, Anna Salai,
Chennai - 600 002

Our Secretarial Audit report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were considered appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretariat records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed, provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules; regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited tc the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of th e Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the man agement has con ducted the affairs or the Bank.

PLACE : CHENNAI
For **SR.SRINIVASAN & CO. LLP**

DATE : 18.05.2022
COMPANY SECRETARIES

S.Rajendran
Managing Partner
FCS : 3727 / CP.NO:14055
UDIN : F003727D000337324

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन – पत्र

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

		अनुसूची SCHEDULES	तक AS AT 31.03.2022	तक AS AT 31.03.2021
				(रु. हजारों में Rs. in 000's)
पूँजी व देयताएँ	**CAPITAL & LIABILITIES**			
पूँजी	Capital	01	18902 41 23	16436 98 83
आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves and Surplus	02	4097 98 46	507 82 25
जमाएँ	Deposits	03	262158 92 48	240288 29 56
उधार	Borrowings	04	3070 63 66	3671 57 65
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	05	11147 21 07	13105 67 06
कुल	**TOTAL**		**299377 16 90**	**274010 35 35**
आस्तियाँ	**ASSETS**			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और अतिशेष	Cash & Balances with Reserve Bank of India	06	16705 99 35	12188 25 39
बैंकों में अतिशेष और माँग व अल्प सूचना पर प्राप्त धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	20067 19 93	18588 08 30
निवेश	Investments	08	98179 31 28	95494 22 37
अग्रिम	Advances	09	144243 52 45	127720 65 26
स्थिर आस्तियाँ	Fixed Assets	10	3364 89 66	2918 77 96
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	16816 24 22	17100 36 07
कुल	**TOTAL**		**299377 16 90**	**274010 35 35**
आकस्मिक देयताएँ	Contingent Liabilities	12	97998 90 15	68276 44 51
संग्रहण के लिए बिल	Bills for Collection		17216 22 01	15547 89 10
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

अनुसूचियाँ तुलन – पत्र का अंग है। Schedules Form Part of the Balance Sheet

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से **FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD**

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

PARTHA PRATIM SENGUPTA
Managing Director & CEO

अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
Executive Director

एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

S SRIMATHY
Executive Director

ऐनी जॉर्ज मैथ्यू
ANNIE GEORGE MATHEW

नवीन प्रकाश सिन्हा
NAVIN PRAKASH SINHA

सुरेश कुमार रुंगटा
SURESH KUMAR RUNGTA

बी चंद्रा रेड्डी
B CHANDRA REDDY

दीपक शर्मा
DEEPAK SHARMA

निदेशक गण DIRECTORS

स्थान : चेन्नै Chennai

दिनांक Date : 18.05.2022

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

		अनुसूची SCHEDULES	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2022	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2021
			(रु. हजारों में Rs. in 000's)	
आय	**INCOME**			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	16729 86 62	16965 53 25
अन्य आय	Other income	14	4903 01 99	5559 01 83
योग	**TOTAL**		**21632 88 61**	**22524 55 08**
व्यय	**EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	10418 72 85	11067 02 42
परिचालनगत व्यय	Operating expenses	16	5451 24 36	5561 72 12
प्रावधान और आकस्मिकताएँ (निवल)	Provisions & Contingencies (Net)		4053 37 13	5064 33 53
योग	**TOTAL**		**19923 34 34**	**21693 08 07**
लाभ / हानि (-)	PROFIT / LOSS (-)			
वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि (-)	Net Profit / Loss (-) for the year		1709 54 27	831 47 01
अग्रणित लाभ / हानि (-)	Profit /Loss (-) brought forward		-18813 86 23	-18977 12 39
घटायें : शेयर प्रीमियम के प्रति सेट ऑफ	Less: Set off against Share Premium		0	0
योग	**TOTAL**		**-17104 31 96**	**-18145 65 38**
विनियोजन	**APPROPRIATIONS**			
राजस्व आरक्षिति में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		493 20 56	0
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Revenue and Other Reserves			0
पूंजी आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Capital Reserve		111 76 22	568 20 85
निवेश उतार - चढ़ाव आरक्षिति से अंतरण	Transfer to Invest. Fluctuation Reserve		290 00 00	100 00 00
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (including Dividend Tax)			0
तुलन – पत्र में अग्रेषित शेष राशि	Balance carried over to Balance Sheet		-17999 28 74	-18813 86 23
योग	**TOTAL**		**-17104 31 96**	**-18145 65 38**
मूल एवं घटाए गए शेयर अर्जन (रु.)	Basic & Diluted Earnings per share (Rs.)		0.92	0.51
प्रति इक्विटी शेयर का सांकेतिक मूल्य (रु.)	Nominal Value per Equity Share (Rs.)		10.00	10.00

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग है। Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

संबंधित तिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए **VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE**

एस.एन नंदा एंड कंपनी एफआरएन 000685एन	**SN NANDA & CO** FRN 000685N	**योगनंद व राम एलएलपी** एफआरएन 005157एस/एस200052	**YOGANANDH & RAM LLP** FRN 005157S/S200052
गौरव नंदा साझेदार एम नं. 500417	**GAURAV NANDA** Partner M.No. 500417	**मनोज कुमार जैन** साझेदार एम नं 218610	**MANOJ KUMAR JAIN** Partner M.No. 218610
एस एन कपूर व एसोसियेट्स एफआरएन 001545सी	**SN KAPUR & ASSOCIATES** FRN 001545C	**नंदी हलदर व गांगुली** एफआरएन 302017ई	**NANDY HALDER & GANGULI** FRN302017E
अविचल एसएन कपूर साझेदार एम नं 400460	**AVICHAL SN. KAPUR** Partner M.No.400460	**पार्थसारथी चंद** साझेदार एम नं 056653	**PARTHASARATHI CHANDA** Partner M.No.056653

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

स्थान : चेन्नै Place : Chennai
दिनांक Date : 18.05.2022

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक INDIAN OVERSEAS BANK			
31.03.2022 समाप्त वर्ष के लिए स्टैण्ड अलोन नकदी प्रवाह की विवरणी **Standalone Cash Flow Statement for the Year ended March 31, 2022**			
		रु में Rs. in '000s	
		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2022	**31.03.2021**
परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रावाह	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
कर के बाद निवल लाभ /(हानि)	**Net Profit / (Loss) After Tax**	**17 09 54 25**	**-37 37 88 11**
जोडें:आयकर प्रावधान	Add: Provision for Income Tax	69 51 72	14 13 75
कर के पहले निवल लाभ /(हानि)	**Net Profit / (Loss) before Tax**	**17 79 05 97**	**-37 23 74 36**
के लिए समायोजन	**Adjustments for :**		
एचटीएम निवेशों के लिए परिशोधन	Amortization of HTM Investments	32 84 25	40 67 49
निवेशों के पूनर्मूल्यांकन से हुई हानि	Loss on Revaluation of Investments	1 91 52 27	13 90
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	1 72 18 61	2 57 99 75
आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	(Profit) / Loss on Sale of Assets	- 1 20 05	- 1 49 24
आरक्षितियों से अंतरण	Transfer from Reserves	- 4 01 20	- 4 23 34
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for NPAs	34 70 16 92	39 39 21 01
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	1 87 66 50	11 75 66 17
निवेशों पर मूल्य ह्रास (निवल)	Depreciation on Investments (net)	2 54 01 18	-1 09 19 27
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other Items	1 36 98 58	48 24 11
आइओबी बाण्ड पर ब्याज	Interest on IOB Bonds	1 54 64 98	2 88 80 29
		45 94 82 04	**56 35 80 87**
निम्नवत के लिए समायोजन	**Adjustments for :**		
जमाओं में वृद्धि / कमी	Increase / (Decrease) in Deposits	218 70 62 92	173 36 41 55
उधारियों में वृद्धि /कमी	Increase / (Decrease) in Borrowings	-12 65 93 99	2 18 84 57
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि /कमी	Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	15 29 20 52	-84 26 44 59
निवेशों में (वृद्धि) /कमी	(Increase) / Decrease in Investments	-31 63 46 61	-160 09 76 49
अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी	(Increase) / Decrease in Advances	-199 93 04 11	-103 26 45 62
अन्य आस्तियों में वृद्धि / कमी	(Increase) / Decrease in Other Assets	9 62 69 24	158 02 68 90
		- 59 92 03	**-14 04 71 68**
प्रत्यक्ष कर (निवल)	Direct Taxes (Net)	-7 48 09 12	-1 21 94 61
परिचालनगत गतिविधियों से सृजित निवल नकद प्रवाह (क)	**NET CASH FLOW GENERATED FROM / (USED IN) OPERATING ACTIVITIES(A)**	**55 65 86 86**	**49 48 85 82**
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
स्थिर आस्तियों की बिक्री / निपटान	Sale / disposal of Fixed Assets	6 88 72	18 71 45
स्थिर आस्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	- 54 86 15	- 64 73 33
निवेश संबंधी गतिविधियों से सृजित निवल नकद (क)	**NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)**	**- 47 97 43**	**- 46 01 88**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
ईक्विटी शेयर निर्गम से धनागम (शेयर प्रीमियम को मिलाकर)	Proceeds of Equity Share Issue (including Share premium)		
टियर 1 एवं टियर 2 बॉंडों का मोचन (निवल)	Redemption of Tier I & Tier II Bonds (Net)		-19 67 00 00
बेसल 3 टियर 2 बॉंड का निर्गम	Issue of Basel III Tier II Bonds	6 65 00 00	
टियर 2 पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	Interest Paid on Tier II Capital	-1 86 03 85	-3 20 15 82
बेमियादी (एटी1) बॉंडों पर प्रदत्त ब्याज	Interest paid on perpetual (AT1) bonds		
भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	Share Application Money received from GOI		**41 00 00 00**

वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकद	**NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES (C)**	**4 78 96 15**	**18 12 84 18**
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख +ग)	**NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)**	**59 96 85 58**	67 15 68 12
वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
भा.रि.बैं के साथ नकद व शेष	Cash & Balances with RBI	121 88 25 40	31 55 22 13
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	185 88 08 30	209 05 43 44
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
नकद व भा.रि.बैं के साथ शेष	Cash & Balances with RBI	167 05 99 35	121 88 25 40
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	200 67 19 93	185 88 08 30
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि /कमीं	**NET INCREASE / DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**	**59 96 85 58**	**67 15 68 12**

ये विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

*वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से तारतम्यता हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों का आवश्यकता अनुसार पुन: समूहन किया गया है।

This Statement has been prepared in accordance with Indirect Method.

*The previous year figures have been reqrouped wherever necessary to conform with the current year presentation.

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से **FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD**

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

PARTHA PRATIM SENGUPTA
Managing Director & CEO

अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
Executive Director

एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

S SRIMATHY
Executive Director

ऐनी जॉर्ज मैथ्यू
ANNIE GEORGE MATHEW

नवीन प्रकाश सिन्हा
NAVIN PRAKASH SINHA

सुरेश कुमार रुंगटा
SURESH KUMAR RUNGTA

बी चंद्रा रेड्डी
B CHANDRA REDDY

दीपक शर्मा
DEEPAK SHARMA

निदेशक गण DIRECTORS

स्थान : चेन्नै Chennai

दिनांक Date : 18.05.2022

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए Vide our Report of Even Date

एस.एन नंदा एंड कंपनी एफआरएन 000685N	**SN NANDA & CO** FRN 000685N	**योगनंद व राम एलएलपी** एफआरएन 005157S/S200052	**YOGANANDH & RAM LLP** FRN 005157S/S200052
गौरव नंदा साझेदार एम नं. 500417	**GAURAV NANDA** Partner M.No. 500417	**मनोज कुमार जैन** साझेदार एम नं 218610	**MANOJ KUMAR JAIN** Partner M.No. 218610
एस एन कपूर व एसोसियेट्स एफआरएन 001545सी	**SN KAPUR & ASSOCIATES** FRN 001545C	**नंदी हलदर व गांगुली** एफआरएन 302017ई	**NANDY HALDER & GANGULI** FRN302017E
अविचल एसएन कपूर साझेदार एम नं 400460	**AVICHAL SN. KAPUR** Partner M.No.400460	**पार्थसारथी चंद** साझेदार एम नं 056653	**PARTHASARATHI CHANDA** Partner M.No.056653

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

अनुसूची - 1	SCHEDULE - 1		
पूंजी	CAPITAL	AS AT 31.03.2022	AS AT 31.03.2021
		(Rs. in 000's)	
प्राधिकृत पूंजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
प्रत्येक रु.10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष -प्रत्येक रु.10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर)	2500,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (Previous year-2500,00,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each)	**25000 00 00**	**25000 00 00**
निर्गमित , अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी	**ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL**		
प्रत्येक रु.10/- के 1890 24 12 256 इक्विटी शेयर (इसमें भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10/- के 1821 83 26 570 इक्विटी शेयर शामिल हैं)	1890 24 12 256 Equity Shares of Rs.10/- each. (Includes 1821 83 26 570 Equity Shares of Rs.10/- each held by Government of India)	**18902 41 23**	**16436 98 83**
पिछले वर्ष -प्रत्येक रु.10/- के 1643 69 88 324 इक्विटी शेयर (इसमें भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10/- के 1575,29,02,638 इक्विटी शेयर शामिल हैं)	Previous year 1643 69 88 324 Equity Shares of Rs.10/- each. (Includes 1575,29,02,638 Equity Shares of Rs.10/- each held by Government of India)		

अनुसूची - 2	SCHEDULE - 2		
आरक्षतियाँ व अधिशेष	RESERVES & SURPLUS	AS AT 31.03.2022	AS AT 31.03.2021
		(Rs. in 000's)	
I. शेयर प्रीमियम	**I. SHARE PREMIUM**		
अथ शेष	Opening balance	6923 32 50	6923 32 50
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	1634 57 61	
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deductions		
योग -I	**TOTAL -I**	**8557 90 11**	**6923 32 50**
II. सांविधिक आरक्षितियाँ	**II. STATUTORY RESERVE**		
अथ शेष	Opening balance	2926 77 62	2926 77 62
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	635 25 56	0
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deductions	0	
योग – II	**TOTAL -II**	**3562 03 19**	**2926 77 62**
III. पूंजी आरक्षिति	**III. CAPITAL RESERVE**		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	A. Revaluation Reserve		
अथ शेष	Opening Balance	2220 45 88	2331 36 26
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	569 12 83	1 92 33
घटाएँ : कटौतियाँ/ मूल्य ह्रास	Less: Deductions / Depreciation	40 02 58	112 82 71
योग – अ	**TOTAL - A**	**2749 56 13**	**2220 45 88**
आ. आस्तियों की बिक्री पर	B. On sale of Assets		
अथ शेष	Opening Balance	2164 23 30	1596 02 45
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	111 76 22	568 20 85
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	142 05 00	
योग- आ	**TOTAL - B**	**2133 94 51**	**2164 23 30**

इ. इक्विटी पुनर्मूल्यांकन रिजर्व एएफएस	C. Equity Revaluation Reserve AFS		
अथ शेष	Opening Balance	0	0
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions**	0	
योग – इ	**TOTAL - C**		
इ. अन्य	D. Others		
अथ शेष	Opening Balance	153 09 32	153 13 58
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	3 30	
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction		4 26
योग -ई	**TOTAL - D**	**153 12 62**	**153 09 32**
योग - III (अ,आ,इ,ई)	**TOTAL - III (A,B,C,D)**	**5036 63 26**	**4537 78 50**
IV. राजस्व व अन्य आरक्षिति	**IV. REVENUE & OTHER RESERVES**		
अ. अन्य राजस्व आरक्षिति	**A Other Revenue Reserves**		
अथ शेष	Opening Balance	3575 11 03	3466 47 40
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	35 98 08	108 63 63
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	0	
योग – अ	**TOTAL - A**	**3611 09 12**	**3575 11 03**
"आ. विशेष आरक्षिति अथ शेष"	**B Special Reserve Opening balance**		
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	0	0
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deductions	0	0
	TOTAL - B	**0**	**0**
	C Investment Reserve Account		
	Opening Balance	97 95 58	97 95 58
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	0	0
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deductions	0	0
	TOTAL - C	**97 95 58**	**97 95 58**
अ. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती	**D Foreign Currency Translation Reserve**		
अथ शेष	Opening balance	1160 73 24	1200 05 66
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	34 22 96	107 88 55
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	353 30 24	147 20 96
योग – ई	**TOTAL - D**	**841 65 96**	**1160 73 24**
उ. निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व खाता	**E. Investment Fluctuation Reserve Account**		
अथ शेष	Opening balance	100 00 00	0
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	290 00 00	100 00 00
घटाएँ : कटौतियाँ	Less : Deductions	0	0
योग – उ	**TOTAL - (E)**	**390 00 00**	**100 00 00**
कुल - IV (अ,आ,इ,ई,उ)	**TOTAL - IV (A,B,C,D,E)**	**4940 70 65**	**4933 79 85**
V. लाभ व हानि खाते	**V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT**	**-17999 28 75**	**-18813 86 22**
योग (I, II , III, IV एवं V)	**TOTAL (I, II , III, IV & V)**	**4097 98 46**	**507 82 25**

अनुसूची - 3	SCHEDULE - 3		
जमाएँ	DEPOSITS	AS AT 31.03.2022	AS AT 31.03.2021
		(Rs. in 000's)	
अ. I. मांग जमाएँ	**A. I. DEMAND DEPOSITS**		
i) बैंकों से	i) From Banks	11 49 29	25 21 99
ii) अन्यों से	ii) From Others	17364 34 39	16181 60 82
योग - I	**TOTAL - I**	**17375 83 68**	**16206 82 81**
II. बचत बैंक जमाएँ	**II. SAVINGS BANK DEPOSITS**	**96500 83 40**	**85958 15 02**
III. मियादी जमाएँ	III. TERM DEPOSITS		
i) बैंकों से	i) From Banks	544 96 77	266 01 11
ii) अन्यों से	ii) From Others	147737 28 64	137857 30 62
योग - III	**TOTAL - III**	**148282 25 40**	**138123 31 73**
योग – अ (I,II एवं III)	**TOTAL - A (I,II & III)**	**262158 92 48**	**240288 29 56**
अ. I) भारत की शाखाओं में जमाएँ	**B. I) Deposits of branches in India**	256889 88 19	235544 81 90
II) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाएँ	II) Deposits of branches outside India	5269 04 29	4743 47 66
	TOTAL - B	**262158 92 48**	**240288 29 56**

अनुसूची - 4	SCHEDULE - 4		
लिए गए उधार	BORROWINGS	AS AT 31.03.2022	AS AT 31.03.2021
		(Rs. in 000's)	
I. भारत में लिए गए उधार	**I. BORROWINGS IN INDIA**		
भारतीय रिज़र्व बैंक	Reserve Bank of India		
अन्य बैंके	Other Banks	0	0
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	Other Institutions & Agencies	184 00 00	506 50 00
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	0	0
बॉन्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड कर्ज पूंजी लिखत	Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	0	0
अधीनस्थ कर्ज	Subordinated Debt	2265 00 00	1600 00 00
योग (I)	**TOTAL (I)**	**2449 00 00**	**2106 50 00**
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	**II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	**621 63 66**	**1565 07 65**
योग (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**3070 63 66**	**3671 57 65**
III. ऊपर I एवं II में सम्मिलित प्रतिभूति उधार	**III. Secured borrowings included in I & II above**	**184 00 00**	**506 50 00**

अनुसूची – 5	SCHEDULE - 5		
अन्य देयताएँ व प्रावधान	OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	AS AT 31.03.2022	AS AT 31.03.2021
		(Rs. in 000's)	
I. देय बिल	I. Bills Payable	700 76 90	659 26 00
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter Office Adjustments (Net)	3555 93 65	2252 35 93
III. उपचित ब्याज	III. Interest Accrued	41 43 74	40 22 35
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	IV. Others (including provisions)	6849 06 78	10153 82 78
	TOTAL	**11147 21 07**	**13105 67 06**

अनुसूची - 6	SCHEDULE - 6		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी व शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	AS AT 31.03.2022	AS AT 31.03.2021
		(Rs. in 000's)	
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा व एटीएम नकद सम्मिलित है)	I. Cash on hand (including Foreign currency notes & ATM cash)	1153 89 98	959 83 36
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष	II. Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में शेष	i) in Current Account	13355 89 50	11239 21 21
ii) अन्य खातों में शेष	ii) in Other Accounts	2196 19 87	-10 79 18
योग	**TOTAL**	**16705 99 35**	**12188 25 39**

अनुसूची - 7	SCHEDULE - 7		
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	AS AT 31.03.2022	AS AT 31.03.2021
		(Rs. in 000's)	
I. भारत में	I. In India		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with banks		
अ) चालू खातों में	a) In Current Accounts	14 57 45	17 36 30
आ) अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	387 42 48	204 90 84
ii) मांग पर तथा अल्प[सूचना पर प्राप्य धन	ii) Money at Call and Short Notice		
अ) बैंकों के साथ	a) With banks	6043 00 00	12218 00 00
आ) अन्य संस्थाओं के साथ	b) With other institutions	0	0
योग - I	**TOTAL - I**	**6444 99 93**	**12440 27 14**
II. भारत के बाहर	II. Outside India		
अ) चालू खातों में	a) In Current Accounts	2504 72 15	1012 92 26
आ) अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	10957 87 85	4421 18 90
इ) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	c) Money at Call and Short Notice	159 60 00	713 70 00
योग - II	**TOTAL - II**	**13622 20 00**	**6147 81 16**
योग (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**20067 19 93**	**18588 08 30**

अनुसूची - 8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS	AS AT 31.03.2022	AS AT 31.03.2021
		(Rs. in 000's)	
I. भारत में निवेश	**I. INVESTMENTS IN INDIA**		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	i) Government Securities	88308 63 94	85580 50 17
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	98 95	98 95
iii) शेयर	iii) Shares	1372 18 12	1142 97 99
iv) डिबेंचर और बॉण्ड पत्र	iv) Debentures and Bonds	3106 12 70	3403 43 34
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	0	0
vi) अन्य निवेश	vi) Other Investments	1203 84 53	1647 04 63
(म्यूचुअल फंड, जमाओं की वेंचर पूंजी फंड जमा प्रमाण-पत्र)	(Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds Certificate of Deposits and CP)		
योग- I	**TOTAL - I**	**93991 78 24**	**91774 95 07**

II. भारत के बाहर के निवेश	**II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA**		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों समेत)	i) Government Securities (including Local Authorities)	3634 96 94	3225 59 32
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	0	0
iii) शेयर	iii) Shares	42 28 93	7 48
iv) डिबेंचर और बंध पत्र	iv) Debentures and Bonds	316 82 98	300 16 31
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	193 44 19	193 44 19
vi) अन्य निवेश	vi) Other Investments	0	0
योग – II	**TOTAL - II**	**4187 53 04**	**3719 27 30**
योग (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**98179 31 28**	**95494 22 37**
भारत में सकाल निवेश	**Gross Investments in India**	96408 63 05	94682 55 46
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	2416 84 81	2907 60 39
घटाएँ: पुनर्संरचित निवेशों पर ब्याज	Less: Interest on Restructured Investments	0	0
निवल विनिधान	**Net Investments**	**93991 78 24**	**91774 95 07**
भारत के बाहर सकाल निवेश	**Gross Investments Outside India**	4206 90 67	3725 44 10
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	19 37 63	6 16 80
निवल निवेश	**Net Investments**	**4187 53 04**	**3719 27 30**
कुल निवल निवेश	**Total Net Investments**	**98179 31 28**	**95494 22 37**

अनुसूची - 9 **SCHEDULE - 9**

अग्रिम	**ADVANCES**	**AS AT 31.03.2022**	**AS AT 31.03.2021**
		(Rs. in 000's)	
अ. i) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	A. i) Bills Purchased & Discounted	2902 69 97	1642 01 07
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय उधार	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	44600 77 20	45662 92 54
iii) सावधि उधार	iii) Term Loans	96740 05 28	80415 71 65
योग	**TOTAL**	**144243 52 45**	**127720 65 26**
आ. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूति (बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	116825 49 19	100737 35 95
ii) बैंक/ सरकारी जमानतों द्वारा संरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	6852 60 01	3673 63 71
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	20565 43 25	23309 65 60
योग	**TOTAL**	**144243 52 45**	**127720 65 26**
इ. I) भारत में अग्रिम	C. I) Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	i) Priority Sector	82051 69 47	83068 89 12
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	8971 66 67	5596 29 51
iii) बैंक	iii) Banks		
iv) अन्य	iv) Others	41693 29 21	30594 88 81

योग	**TOTAL**	**132716 65 35**	**119260 07 44**
II) भारत के बाहर अग्रिम	II) Advances Outside India		
i) बैंकों से बकाया	i) Due from Banks	0	
ii) अन्यों से बकाया	ii) Due from Others		
a) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	5762 40 66	3011 00 66
b) संघबद्ध उधार	b) Syndicated Loans	1743 43 04	1346 64 32
c) अन्य	c) Others	4021 03 40	4102 92 84
योग	**TOTAL**	**11526 87 10**	**8460 57 82**
योग (इ-I एवं इ-II)	**TOTAL (C-I & C-II)**	**144243 52 45**	**127720 65 26**

अनुसूची - 10 **SCHEDULE - 10**

स्थिर आस्तियाँ	**FIXED ASSETS**	**AS AT 31.03.2022**	**AS AT 31.03.2021**
		(Rs. in 000's)	
I. परिसर	**I. Premises**		
वर्ष के आरंभ में / पुनर्मूल्यांकित लागत पर	At cost / revalued as at beginning of the FY	3973 49 58	3977 45 10
वर्ष के दौरान परिवर्धन *	Additions during the year *	517 82 24	2 93 45
	SUB TOTAL	4491 31 82	3980 38 55
वर्ष के दौरान कटौतियाँ *	Deductions during the year *	105	6 88 97
		4491 30 77	3973 49 58
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	1262 20 25	1209 35 54
कुल -I	**TOTAL -I**	**3229 10 53**	**2764 14 04**
II. पूँजीगत चालू कार्य	**II. Capital work in progress**	11 11	1 11 63
कुल - II	**TOTAL - II**	**11 11**	**1 11 63**
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्निचर और जुड़नार शामिल हैं)	**III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**		
वर्ष के आरंभ में लागत	At cost as at beginning of the FY	2113 53 42	2069 90 84
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Additions during the year	109 52 81	67 73 59
	SUB TOTAL	2223 06 23	2137 64 43
	Deductions during the year	20 58 32	24 43 02
		2202 47 91	2113 21 41
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	2066 79 89	1959 69 12
कुल - III	**TOTAL - III**	**135 68 02**	**153 52 29**
योग (I, II व III)	**Total (I, II & III)**	**3364 89 66**	**2918 77 96**

* 31.03.2022 को विनिमय दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित बदलाव पर समायोजन शामिल हैं ।

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange at 31.03.2022

अनुसूची - 11 अन्य आस्तियाँ	SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS	AS AT 31.03.2022	AS AT 31.03.2021
		(Rs. in 000's)	
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	i) Inter Office Adjustments (Net)	0.00	0.00
ii) प्रोद्त ब्याज	ii) Interest Accrued	3092 78 58	3464 51 82
iii) अग्रिम रूप से प्रदत्त कर (प्रावधानों का निवल)	iii) Tax paid in advance (Net of Provisions)	4130 63 54	3452 06 14
iv) लेखन – सामग्री व स्टैम्प	iv) Stationery & Stamps	3 43 65	4 06 58
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	210 01 51	210 01 51
vi) अन्य (नाबार्ड के पास रखे जमाओं को शामिल करें)	vi) Others (Include Deposits placed with NABARD)	9379 36 94	9969 70 01
कुल	**TOTAL**	**16816 24 22**	**17100 36 07**

अनुसूची - 12 आकस्मिक दायित्व	SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES	AS AT 31.03.2022	AS AT 31.03.2021
		(Rs. in 000's)	
i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	4 15 85	4 20 09
ii) अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता	ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	68771 74 82	43584 52 93
iv) ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ	iv) Guarantees given on behalf of constituents		
क) भारत में	a) In India	12704 85 48	11610 46 44
ख) भारत के बाहर	b) Outside India	414 52 80	398 52 09
v) सकार , पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	v) Acceptances, Endorsements &Other obligations	5818 66 41	4390 45 21
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	vi) Other items for which the bank is contingently liable		
क) पूँजीगत खातों पर निष्पादित शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts	46 81 80	57 07 88
ख) करेंसी स्वैप के तहत बैंक देयताएँ	b) Banks liability under currency swaps	1093 13 00	1093 13 00
ग) ब्याज दर स्वैप (यूएसडी)	c) Interest rate swaps (USD)	0	0
घ) ब्याज दर स्वैप (आइएनआर)	d) Interest rate swaps (INR)	0	0
ङ) मुद्रा विकल्पों के तहत बैंक देयता	e) Bank's Liability under Currency Options	0	0
च) क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप / एफआरए / प्राप्य प्रभार	f) Credit Default Swaps/FRAs/Receivable charges	0	0
छ) भारिबै के साथ डीईएएफ में राशि	g) Amount in DEAF with RBI	1595 20 53	1372 15 99
ज) आइटी मांग विवादित	h) Disputed IT demands	7549 61 57	5755 60 99
झ) अन्य	i) Others	6 29	10 18 29
कुल	**TOTAL**	**97998 90 15**	**68276 44 51**

अनुसूची - 13	SCHEDULE - 13		
अर्जित ब्याज	INTEREST EARNED	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
		(Rs. in 000's)	
i) ब्याज/ अग्रिम बट्टा/ बिल	i) Interest / discount on advances / bills	10665 16 79	10838 20 41
ii) निवेशों पर आय	ii) Income on investments	5674 58 52	5711 67 94
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	230 49 38	304 50 38
iv) अन्य	iv) Others	159 61 93	111 14 52
कुल	**TOTAL**	**16729 86 62**	**16965 53 25**

अनुसूची - 14	SCHEDULE - 14		
अन्य आय	OTHER INCOME	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
		(Rs. in 000's)	
i) कमीशन , विनिमय और दलाली	i) Commission, Exchange and Brokerage	1039 61 79	948 52 54
ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	ii) Profit on Sale of Investments (Net)	933 66 42	1820 37 94
iii) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर निवल हानि	iii) Profit/Loss on Revaluation of Invest-ments	-191 52 27	- 13 90
iv) भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ व अन्य आस्तियाँ	iv) Profit on sale of land, Building & other Assets	1 20 05	1 49 24
v) विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	v) Profit on exchange transactions (Net)	898 10 41	602 86 63
vi) विविध आय	vi) Miscellaneous Income	2221 95 59	2185 89 39
कुल	**TOTAL**	**4903 01 99**	**5559 01 84**

अनुसूची - 15	SCHEDULE - 15		
खर्च किया गया ब्याज	INTEREST EXPENDED	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
		(Rs. in 000's)	
i) जमाओं पर ब्याज	i) Interest on Deposits	10219 59 75	10701 35 79
ii) भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank Borrowings	199 11 84	365 64 76
iii) अन्य	iii) Others	1 26	1 87
योग	**TOTAL**	**10418 72 85**	**11067 02 42**

अनुसूची - 16	SCHEDULE - 16		
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
		(Rs. in 000's)	
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	i) Payments to and provisions for employees	3485 76 54	3702 78 44
ii) भाड़ा, कर और रोशनी	ii) Rent, Taxes and Lighting	445 39 59	417 64 42

iii) मुद्रण और लेखन सामग्री	iii) Printing and Stationery	19 52 09	17 39 85
iv) विज्ञापन और प्रचार	iv) Advertisement and Publicity	42 02	33 97
v) बैंकों की संपत्ति पर मूल्यह्रास	v) Depreciation on Bank's property	172 18 61	257 99 74
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	vi) Directors' fees, allowances and expenses	26 77	23 41
vii) लेखा परीक्षकों की फीस व खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों के शुल्क व व्यय सहित)	vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's Fees and Expenses)	38 97 19	36 18 46
viii) विधि प्रभार	viii) Law charges	24 24 42	30 12 17
ix) डाक, तार, टेलीफोन, आदि	ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	67 18 50	66 32 01
x) मरम्मत व अनुरक्षा	x) Repairs and Maintenance	20 87 49	17 89 74
xi) बीमा	xi) Insurance	322 88 85	300 16 27
xii) अन्य व्यय	xii) Other Expenditure	853 52 30	714 63 64
योग	**TOTAL**	**5451 24 36**	**5561 72 12**

अनुसूची -17

बैंक की प्रमुख लेखा नीतियाँ

1. तैयारी का आधार

1.1. बैंक का वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत उपचित अवधारणा सहित कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।यह भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें वैधानिक प्रावधान, नियामक / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) दिशा-निर्देश, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक / मार्गदर्शन नोट्स और प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं । विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित विदेशी देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और प्रथाओं का पालन किया जाता है।

आकलन का प्रयोग:

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को चाहिए कि वे ऐसे आकलन करें व अनुमान लगाएँ जिनको वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व पहचान और लेखांकन खर्च

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के मुताबिक आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के मामले में उगाही के आधार पर आय का अभिज्ञान किया जाता है। वाद दायर खातों एवं एकबारगी निपटान खातों को छोड़कर जहाँ मूल रकम के संबंध में समंजन किया जाता है , बाकी मामलों में अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन पहले ब्याज और शेष ,अगर हो तो, के लिए किया जाता है ।आय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को बेची गई परिसंपत्तियों के मामले में है जब बिक्री रकम निवल बही मूल्य से अधिक होती है (अर्थात प्रावधान घटाकर बही बकाया) तब आय को प्राप्त बिक्री की सहमति के नकद घटक की सीमा तक मान्यता दी गई ।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन (साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार/ बीमा को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की प्रेषण बिक्री से प्राप्त आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है ।

2.4 खर्चों को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है,जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.5 परिपक्व अतिदेय सावधि जमाओं के मामले में,जमाओं का नवीकरण करते समय ब्याज का परिकलन किया जाता है। निष्क्रिय बचत बैंक खाते,अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाता है ।

2.6 वाद दायर खातों के संबंध में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान / हिसाब देश में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है ।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

3.1 विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन देन का लेखांकन,लेखा मानक (एएस)11केअनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया जाता है ।

3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी):

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रक़म पर लागू कर के रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्कालीन लागू भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ,की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में इति शेष, समापन दरों पर दिखाया जाता है। सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेनदेन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को ''अन्य देयताएँ व प्रावधान' '/ ''अन्य आस्ति खाता' में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व के अंतर्गत रखा जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोडकर जहाँ खातों का समायोजन क्लोजिंग दरों पर किया जाता है ।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा बहियों में उनके लेनदेन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन:

क. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्धारित है, सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न परिचालन माना जाता है ।

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES OF THE BANK

1. Basis of Preparation

1.1 The Bank's financial statements have been prepared under the historical cost convention on the accrual basis of accounting and ongoing concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises applicable statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

Use of Estimates

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

2. Revenue Recognition and Expense Accounting

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non-Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement, where it would be appropriated towards principal. In case of assets sold to Asset Reconstruction Companies (ARCs), the income is recognized to the extent of cash component of the Sale Consideration received, where the sale consideration is over and above Net Book Value (i.e. Book outstanding less Provisioning).

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/Letter of Guarantee/Government Business/ Insurance), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 Interest payable on Overdue Term Deposits is provided @ Savings Bank rate, till such time it is transferred to Unclaimed Term Deposits. In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized/ accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign Currency Transactions

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transactions in respect of Treasury(Foreign):

a) Foreign Currency transactions, except foreign currency deposits and lending, are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

ख. परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) को हर तिमाही के अंत में के भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित समाप्ति स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ग. प्रत्येक तिमाही के अंत में आय और व्यय को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा सूचित त्रैमासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

घ. परिणामी विनिमय के अंतर को आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन इसे निवल निवेश के निपटान तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिज़र्व '' नामक अलग खाते में जमा किया जाता है ।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और परिपक्वता के लिए धारित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है । इन निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित 6 वर्गों में दिखाया जाता है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर

घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर

ड.) सहायक/संयुक्त उपक्रम

च) म्यूचुअल फंड यूनिट व अन्य

4.2. म्युचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।

4.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

4.3.1. ''व्यापार के लिए धारित" और ''बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्गों के तहत व्यक्तिगत शेयरों को तिमाही अंतराल पर विपणन के लिए मार्क किया गया। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फिम्डा (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार के प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यांकन एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग/उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार दरों पर किया जाता है तथा गैर उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्य/ एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यांकन रु.1/-प्रति कंपनी/ निधि के हिसाब से किया जाता है। ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमाओं के प्रमाण पत्र को रखा व लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को उपलब्ध बाज़ार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है ।

पीडीएआइ (भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ)/ एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है ।

छ: वर्गीकरणों में से प्रत्येक के तहत उपर्युक्त मूल्यांकनों के आधार पर निवल मूल्यह्रास यदि कोई है, तो प्रावधान किया जाता है और निवल वृद्धि,यदि कोई है तो इसे नजरअंदाज किया जाता है। हालाँकि यदि व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में मूल्यांकन के कारण कोई परिवर्तन नहीं है तो तुलन पत्र में निवेशों को मूल्य ह्रास के निवल के रूप में दर्शाया जाता है।

4.3.2 ''परिपक्वता के लिए धारित": ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत / परिशोधन लागत पर लिया जाता है। प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत में यदि अधिकता हो तो उसे परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूँजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

4.4 एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान/आय की अनभिज्ञान के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों/बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और जहाँ कहीं लागू हो तदनुसार प्रावधान किया जाता है।

4.5 किसी भी वर्ग में निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है। ''परिपक्वता के लिए धारित वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, करों का निवल लाभ पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित की जाती है।

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज,प्रोत्साहन/प्रारम्भिक शुल्क (फ्रण्ट-एण्ड-फीस) आदि को लाभ-हानि खाते में लिखा जाता है।खंडित अवधि ब्याज ट्रेज़री बिलों के मामले में नहीं होता । आय का लेखांकन होल्डिंग लागत और फेस वैल्यू यानि डिस्काउंट आय के अंतर के आधार पर किया जाता है।

4.7 रेपो/रिवर्स रिपो (पुन:खरीद /प्रति पुनर्खरीद) लेन-देन का भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखा – जोखा रखा जाता है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.9 सभी निवेशों को वेटेड ऐवरेज प्राइसिंग विधि को अपनाकर धारित किया गया है ।

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. Investments

4.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the RBI Guidelines. Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities

b) Other Approved securities including those issued by local bodies,

c) Shares,

d) Bonds & Debentures,

e) Subsidiaries / Joint Ventures and

f) Units of Mutual Funds and Others.

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realization basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by RBI as under:

4.3.1. Individual securities under "Held for Trading" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities and State Government securities are valued at market rates declared by FBIL (Financial Benchmarks India Pvt Ltd). Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India). Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value / NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company /Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI (Primary Dealers Association of India)/FBIL periodically.

Based on the above valuations under each of the six classifications, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored. Though the book value of individual securities would not undergo any change due to valuation, in the books of account, the investments are stated net of depreciation in the balance sheet.

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortized cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortised on an effective interest rate method, over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions and units of Venture capital funds are valued at carrying cost.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de –recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by RBI for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on Sale of Investments in any category (viz. Held for Trading, Available for Sale and Held to Maturity) is taken to Profit & Loss account. In case of Profit on Sale of Investments in "Held to Maturity" category, Profit net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account. Broken Period interest does not arise in case of Treasury Bills. Income is accounted based on the difference between the holding cost and the face value i.e. discount income.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

4.9 All the investments are held by adopting the Weighted Average Pricing Method.

4.10 सभी निवेश सेटलमेंट तिथि के आधार पर बही में धारित किया जाता है ।

4.11 निवेश पर डिविडेंड आय का हिसाब नकदी आधार पर किया जाता है ।

4.12 तुलनपत्र में निवेशों को अनर्जक निवेशों के संबंध में धारित नेट ऑफ प्रावधान के आधार पर दर्शाया गया है।

4.13 भुगतान हेतु परिपक्व निवेशों को "अन्य आस्तियों" के तहत दर्शाया गया है । अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधान भी उन निवेशों से नेट किया गया है ।

4.14 निवेश को उसकी खरीद के समय एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में अंतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बुक वैल्यू/बाजार मूल्य के आधार पर अन्य वर्गों में निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरण एचएफटी से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरण के अलावा, किया जाता है । ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया है और प्रतिभूति का बही मूल्य तदनुसार समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का ऐसा अंतरण भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) की अनुमति या दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.15 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नंबर बीपी बीसी. 102/21.04.048/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) बनाया जाना है ताकि भविष्य में उपज में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रिज़र्व तैयार किया जा सके।

निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) में स्थानांतरण निम्नरूप में होना चाहिए: -

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ या

बी) वर्ष के लिए शुद्ध लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है ,

जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का 2% न हो जाए।

5. अग्रिम

5.1 भारत में अग्रिमों को मानक,अव-मानक,संदिग्ध और हानि-जनक आस्तियों के रुप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार समय-समय पर ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है । विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

5.3 पुनर्रचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए, प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिसके लिए संबंधित ऋणों/ अग्रिमों खातों प्रावधानीकरण के अतिरिक्त ऋण / अग्रिम के पुनर्संरचना के पूर्व व बाद के उचित मूल्य को घटाया जाना है । उचित मूल्य में कमी और उपरोक्त से उत्पन्न ब्याज में कमी , यदि कोई हो, के प्रावधान को अग्रिमों से घटा दिया गया है।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक खाते को निष्पादन परिसंपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह नियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

6. डेरिवेटिव्स

6.1. ब्याज सहित आस्तियों/ देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2. प्रतिरक्षा उद्देश्यों से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित की गयी है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति/देयता जो भी पहले हो,पर इसकी पहचान की गयी है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति/देयता के साथ नामित किया जाता है जिसे भी बाजार को चिन्हित किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति/देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।

6.3. उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ- हानि खाते में पहचाना/मान्य किया गया। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है । कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

7. स्थिर आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)

7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है ।

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

परिसर	2.50%
फ़र्नीचर	10%
विद्युत संस्थापना, वाहन व कार्यालयीन उपकरण	20%
कम्प्यूटर	33 1/3%
अग्निशामक यंत्र	100%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	33 1/3%

स्थिर आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन हिस्से पर मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते से लिया जाता है और समकक्ष राशि को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से राजस्व भंडार में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

4.10 All the investments are held in the book on settlement date basis only.

4.11 Dividend income on investments is accounted on cash basis.

4.12 Investments are shown in the Balance Sheet at net off provision held in respect of Non Performing Investments.

4.13 Investments matured for payment are shown under "Other Assets" and underlying provisions held for Non Performing Investments is also netted off from the said investments.

4.14 An Investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories, other than shifting / transfer from HFT to AFS Category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. Such transfer of securities from one category to another is done as per permission from or guidelines of Reserve Bank of India (RBI).

4.15 As per RBI Circular no. RBI/2017-18/147 DBR No. BP BC. 102/ 21.04.048/ 2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-19 an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the bank against increase in yields in future.

The Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be the lower of the following: -

a) Net Profit on sale of investments during the year or

b) Net profit for the year less mandatory appropriations,

until the amount of IFR is atleast 2% of the HFT and AFS Portfolio, on a continuing basis.

5. Advances

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions, except general provisions for standard advances.

5.3 For Restructured / Rescheduled Assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loans / advance before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The Provision for Diminution in Fair Value and interest sacrifice, if any, arising out of the above is reduced from advances.

In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the Regulators.

6. Derivatives

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/ payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination of such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.

7. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

7.1 Fixed Assets, except revalued premises, are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.50%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20%
Computers	33 1/3%
Fire Extinguishers	100%
Computer Software	33 1/3%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to the profit and loss account and equivalent amount is transferred from Revaluation reserve to Revenue Reserves.

7.3 अधिग्रहण/पुनर्मूल्यांकन की तारीख पर ध्यान दिए बगैर मूल्य ह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया जाता है ।

7.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

7.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया जाता है।

7.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि के अंशदान लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है ।

8.2 उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है। सेवानिवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। तथापि पेंशन विकल्प के आ जाने से वर्ष के दौरान अतिरिक्त देयता और ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोत्तरी का पाँच वर्षों के लिए परिशोधन किया जा रहा है ।

8.3. विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

9. आय पर कर:

आयकर व्यय बैंक द्वारा मौजूदा कर व आस्थगित कर व्यय की गयी कुल राशि है । मौजूदा कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण , विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए कर , जो कि संबंधित न्यायाधिकारक्षेत्र के कर नियमों पर आधारित होता है , को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम 1961 व " आय पर करों के लेखांकन" से संबंधित लेखांकन मानक 22 के तहत किया जाता है । आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है परंतु इस शर्त पर कि आय की मदों के संबंध में विवेकपूर्ण विचार हो सके और एक समय में उत्पन्न होने वाले ऐसे खर्चों जिन्हें बाद की एक या इससे अधिक अवधियों में उलट दिये जाने की संभावनाओं पर भी विचार हो सके। आस्थगित कर से जुड़ी आस्तियों और देयताओं की गणना लागू कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है और ये दरें उस वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर प्रयोज्य की जाने वाली आयकर दरों के आधार पर नियत की जाती है जहाँ समयबद्ध विभेदों को उल्टे जाने की संभावना होती है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को आय के उस विवरण में मान्यता दी जाती है जो परिवर्तन को लागू करने की अवधि से संबंधित है।

10. प्रति शेयर अर्जन

भारतीय सनदी लेखाकंन संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 "इपीएस (प्रति शेयर अर्जन)" के अनुसार बैंक प्रति इक्विटी शेयर के आधार पर मूल और डाइलूटेड प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। डाइलूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर संभाव्य घटाव को दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण से हो सकता है। प्रति ईक्विटी शेयर डाइलूटेड आय का परिकलन भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया डाइलूटिव पोटेंशियल ईक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

11. आस्तियों की क्षति

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को यह निर्धारित करता है कि क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। यदि कोई घाटा हो तो,उसे लाभ एवं हानि खाता में अनुमानित वसूली योग्य रकम से अधिक आस्ति रकम तक दर्शाया गया है।

12. सेग्मेंट रिपोर्टिंग

आरबीआइ के दिशानिर्देशों और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यापार खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को सेकंडरी रिपोर्टिंग खंड के रूप में चिन्हित करता है ।

13. प्रावधानों प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिए लेखांकन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी प्रावधानों,प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिये बैंक प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो,संभव है कि ऐसे में संसाधनों का बहिर्प्रवाह और उससे आर्थिक लाभ की आवश्यकता से बाध्यताओं को निपटाने के लिए और जब बाध्यता की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेन देनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रकम का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में प्रासंगिक आस्ति यदि कोई हो तो उसे मान्यता नहीं दी गई है या प्रकट नहीं किया गया है।

7.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.

7.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.5 In respect of leasehold properties, premium is amortized over the period of lease.

7.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. Staff Benefits

8.1 Contribution to Provident Fund is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is made based on actuarial valuation at the year-end.

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. Taxes on Income

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions. Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognized on carry forward of tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realized against future profits.

10. Earnings per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, "Earnings Per Share", issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year-end except where the results are anti-dilutive.

11. Impairment of Assets

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. Segment Reporting

The Bank recognizes the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

अनुसूची 18

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. निवेश

1.1 आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नवत हैं:

प्रवर्ग	सकल बही मूल्य (रु.करोड़ों में)		कुल निवेशों का प्रतिशत	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
परिपक्वता के लिए धारित	79 958.83	74 703.05	79.47	75.91
बिक्री के लिए उपलब्ध	20 656.71	23 708.69	20.53	24.09
ट्रेडिंग के लिए धारित	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2 "परिपक्वता के लिए धारित" के तहत एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 22.00 % (पिछले वर्ष 22 %) की सीमा के अंदर है जो 31 मार्च 2022 की समाप्ति तक बैंक की माँग व सावधि देयताओं का 20.91% (पिछले वर्ष 20.16%) रही ।

1.3 "परिपक्वता के लिए धारित" प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में रु. 32.84 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु. 40.67 करोड़) का इस वर्ष परिशोधन कर दिया गया है ।

इसके अलावा, 4100 करोड़ रुपये की राशि गैर-ब्याज के रूप में भारत सरकार का पुनर्पूंजीकरण बांड निवेश के रूप में एचटीएम श्रेणी के तहत वहन लागत पर धारित की जाती है जो मार्च 2031 से मार्च 2036 के बीच परिपक्व हो रही है।

1.4 समझौता गारंटी निधि के प्रति रु. 1639.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1305.50 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपार्श्विकीकृत उधार ऋण बाध्यताओं के तहत उधार के लिए संपार्श्विक के प्रति रु. 7518.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु.4914.50 करोड़) की प्रतिभूतियों क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास रखी गयी है । रु.1500 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1500 करोड़) की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को इंट्रा डे उधार हेतु आरबीआइ के पास रखा गया है । हमने एलए एफ विंडो के अंतर्गत हमारे उधार हेतु आरबीआइ के साथ रु.2800 करोड़ (पिछले वर्ष 3065 करोड़) प्रतिभूति रखी है । इसके अलावा, फॉरेक्स परिचालन हेतु डिफॉल्ट निधि के प्रति रु.123.10 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 95.73 करोड़) को सीसीआइएल के पास रखा गया है और रु.15.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु.12.50 करोड़) मुद्रा डेरिवेटिव्स के रूप में धारित है ।

1.5 भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों के तहत शेयरों में रु. 575.37 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 301.58 करोड़) की शेयर आवेदन राशि का आबंटन लंबित हैं ।

1.6 बैंक ने आउटराइट और भारतीय रिज़र्व बैंक के खुले बाज़ार परिचालन (ओएमओ) दोनों के अंतर्गत वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियाँ बेची । ओएमओ के अंतर्गत बैंक द्वारा रु. 3682.97 करोड़ (बीवी) (पिछले वर्ष 14002.39 करोड़) और अर्जित लाभ रु. 15.40 करोड़ (पिछले वर्ष 654.04 करोड़) है । बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियाँ (ओएमओ के अतिरिक्त) भी बेची और रु. 2314.59 करोड़ (बीवी) (पिछले वर्ष रु. 1963.02 करोड़) (आरबीआइ की 5% सीमा के अंदर) का विक्रय हुआ और अर्जित लाभ रु. 124.77 करोड़ (पिछले वर्ष 217.66 करोड़) है

निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नंबर बीपी बीसी. 102/21.04.048/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) सृजित किया जाना है ताकि भविष्य में आय में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रिज़र्व तैयार किया जा सके।

निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) में अंतरण निम्नरूप में होना चाहिए:

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ या

बी) वर्ष के लिए शुद्ध लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है ,

जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का 2% न हो जाए।

तदनुसार, आरबीआइ के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने 31.03.2022 को ट्रेडिंग बुक का 2% होने के नाते 390 करोड़ रुपये प्रदान किए थे।

2. अग्रिम

2.1 अग्रिमों का वर्गीकरण एवं संभावित हानि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार किया गया ।

2.2 गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबित व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों, जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध व वसूली योग्य हैं ।

2.3 आस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य, केन्द्र सरकार की गारंटियों आदि को ध्यान में रखा गया है ।

2.4 अलेखा- परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबन्धकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार किया गया है ।

Schedule 18

NOTES TO ACCOUNTS

1. Investments:

1.1 In accordance with RBI guidelines, the investments portfolio of the bank has been classified into three categories, as given below:

Category	Gross Book Value (Rs. in crore)		Percentage to Total Investments (%)	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
Held to Maturity	79 958.83	74 703.05	79.47	75.91
Available for Sale	20 656.71	23 708.69	20.53	24.09
Held for Trading	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2 SLR Securities (domestic) under "Held to Maturity" accounted for 20.91% (previous Year 20.16%) of bank's Demand and Time liabilities as at 31st March 2022 as against ceiling of 22.00% (previous year 22%) stipulated by RBI

1.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of Rs.32.84 Crore was amortized during the year (previous year Rs.40.67 Crore).

Further, a sum of Rs.4100 Crore being Non–Interest bearing GOI Recapitalization Bonds investments are held under HTM category at carrying cost are maturing from March 2031 to March 2036.

1.4 Securities of Face Value for Rs.1639.00 Crore (previous year Rs.1305.50 Crore) towards CCIL Settlement Guarantee Fund/Default Fund and securities for Rs.7518.00 Crore (previous year Rs.4914.50 Crore) towards collateral for borrowing under TREPS/Default Fund have been kept with Clearing Corporation of India Limited. The Bank has placed securities of face value Rs 1500 Crore (previous year Rs.1500 Crore) with RBI for intraday borrowing. The Bank has also placed Securities to the extent Rs. 2800 Crore (previous year Rs.3065 Crore) with Reserve Bank of India for borrowing under the LAF window. Besides, securities to the extent of Rs.123.10 Crore (previous year Rs.95.73 Crore) has been lodged with CCIL towards default fund for Forex operations and Rs. 15.00 Crore (previous year Rs.12.50 Crore) held for Currency derivative segment.

1.5 Shares under Investments in India in Regional Rural Banks is Rs.575.37 Crore (previous year Rs.301.58 Crore) including amount towards share application money pending allotment.

1.6 The Bank sold Government Securities from HTM category during the year, both outright and under RBI's Open Market Operations (OMO). The extent of sale by the Bank under OMO was Rs.3682.97 Crore (BV) [previous year: Rs.14002.39 Crore] and earned a profit of Rs.15.40 Crore [previous year: Rs.654.04 Crore]. The Bank has also sold Government Securities (other than OMO), to the extent of Rs.2314.59 Crore (BV) [previous year Rs.1963.02 Crore] (within 5%, prescribed limit of RBI) and booked a profit of Rs.124.77 Crore [previous year Rs.217.66 Crore].

Investment Fluctuation Reserve

As per RBI circular number RBI/2017-18/147 DBR. No. BP BC .102/ 21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-2019, an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the bank against increase in yields in future.

The Transfer to IFR is to be the lower of the following –

a. Net profit on sale of Investments during the year or

b. Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

Accordingly, in compliance with extant RBI Guidelines, Bank had provided Rs.390 crore being 2% of Trading book as on 31.03.2022.

2. Advances

2.1 The Classification for advances and provisions for possible loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.

2.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.

2.3 In assessing the realis-ability of certain advances, the estimated value of security, Central Government Guarantees etc. have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

2.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.

2.5 आरबीआइ के पत्र आरबीआइ/2021-22/28 डीओआर. एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार, बैंक ने काउंटर साइक्लिकल प्रोविजन बफर (सीसीपी बफर) के तहत रु. 338.22 करोड़ हेतु बोर्ड के अनुमोदन से गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों किया है । 31.03.2022 तक, सीसीपी बफर के अंतर्गत कोई बकाया नहीं है।

3. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, प्लाँट व संयंत्र)

वर्ष 2021-22 के दौरान आस्तियों की बिक्री पर रु. 1.20 करोड़ का लाभ हुआ है ।

4. रुपया ब्याज दर स्वैप

31.03.2022 को प्रतिरक्षा हेतु लिए गए रुपये का ब्याज दर स्वैप के निरसन पर लाभ खातों पर आस्थगित आय शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है । इस रकम को स्वैप की संविदागत शेष अवधि या आस्तियों / देयताओं की अवधि , जो भी पहले हो , के लिए मान्यता दी जाएगी ।

5. समाधान

31.03.2022 तक अंतर-शाखा लेनदेन का समाधान पूरा कर लिया गया है और बकाया प्रविष्टियों को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । प्रबंधन बकाया प्रविष्टियों के समाधान/उन्मूलन पर किसी महत्वपूर्ण परिणामी प्रभाव की आशा नहीं करता है।

6. पूंजी और अरिक्षितियाँ

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने क्यूआइबी द्वारा सब्सक्राइब किए गए निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कुल 665 करोड़ रुपये के बेसल III टियर II बॉन्ड जारी किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने 02.06.2021 को रूपये 16.63 प्रति शेयर की निर्गम राशि पर 10/- रुपये के 246,54,23,932 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए थे । जिसमें (रूपये 1634.58 करोड़ की कुल राशि में 6.63 रूपये प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम शामिल है) कुल मिलाकर 4100 करोड़ रुपये पूंजी दिया गया और शेयर आवेदन राशि के लिए भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को तरजीही आधार पर बैंक द्वारा 31.03.2021 को प्राप्त किए गए थे । भारत सरकार की शेयरधारिता 95.84% से बढ़कर 96.38% हो गई है। बैंक की चुकता पूंजी 16436.99 करोड़ रुपए से बढ़कर 18902.41 करोड़ रुपए हो गई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण, बैंक के पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में 529.10 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और 31.03.2022 को यह 2,749.56 करोड़ रुपये हो गया।

7. कर

7.1 अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों, न्यायिक संघोषणाओं और कर विशेषज्ञों की राय पर काफी विचार करने के पश्चात विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में आय कर से संबंधित रु. 7409.24 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 5734.33 करोड़) एवं सेवा कर से संबंधित रु. 122.33 करोड़ (पिछले वर्ष 122.33 करोड़) हेतु किसी भी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

7.2 वर्ष के लिए कर व्यय रु. 69.52 करोड़ है जिसमें रु. 31.71 करोड़ का मौजूदा कर व्यय और रु. 37.81करोड़ का आस्थगित कर शामिल है – लेखा पद्धति के तहत प्रकटीकरण के नोट सं. 11 का संदर्भ लें ।

7.3 बैंक ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर वर्तमान में मौजूदा कर व्यवस्था के पालन का निर्णय लिया है । साथ ही बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा "आय पर कर हेतु लेखांकन" विषय पर आधारित लेखांकन मानक 22 के अनुसार रु. 6262.41 करोड़ (गत वर्ष रु. 6300.40 करोड़) की राशि को 31.03.2022 को निवल आस्थगित कर आस्ति के रूप में माना है ।

8. 11वां द्विपक्षीय समझौता और आठवां संयुक्त नोट दिनांकित 11.11.2020 दिनांक 01.11.2017 से पांच वर्षों के लिए परिचालित है। बैंक ने पहले ही 11वां द्विपक्षीय समझौता लागू कर दिया है, इसलिए 31.03.2022 तक वेतन संशोधन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

9. सूक्ष्म , लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत वेंडरों जिनसे बैंक माल व सेवाएँ प्राप्त कर रहा है , से संबंधित सूचना को बैंक द्वारा वेंडरों से प्राप्त सूचना की हद तक प्रकट किया गया है । वित्त वर्ष 2021-22 हेतु मूल राशि और / या ब्याज के संबंधित कोई भी बकाया नहीं है, तदनुसार कोई अतिरिक्त प्रकटीकरण नहीं किया गया है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण:

क नियामक पूंजी

नियामक पूंजी की संरचना **(राशि रु. करोड़ में)**

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)* / भुगतान की गई शेयर पूंजी और भंडार@ (कटौती का निवल, यदि कोई हो)	12 428.11	14 462.20
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी*/ अन्य टियर 1 पूंजी@	0.00	0.00
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	12 428.11	14 462.20
iv)	टियर 2 पूंजी	3 622.20	2 695.47

2.5 In terms of RBI Letter RBI/2021-22/28 DOR.STR. REC.10/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021, Bank has utilized the balance outstanding under Counter Cyclical Provision Buffer (CCP Buffer) of Rs.338.22 crores towards specific provisions for non-performing assets, with the approval of the Board. As on 31.03.2022, there is no outstanding under CCP Buffer.

3. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

The Profit on sale of land & building for the year 2021-22 is Rs.1.20 crores.

4. Rupee Interest Rate Swap

Deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate Swaps taken for hedging as on 31st March 2022 is NIL (previous year NIL). This amount, if any, is to be recognized over the remaining contractual life of Swap or life of the Assets/Liabilities, whichever is earlier.

5. Reconciliation

Reconciliation of Inter Branch transactions has been completed up to 31.03.2022 and steps for elimination of outstanding entries are in progress. The Management does not anticipate any material consequential effect on reconciliation / elimination of outstanding entries.

6. Capital and Reserves

During the Financial Year 2021-22 Bank has issued Basel III Tier II Bonds aggregating to Rs.665 crore through private placement subscribed by QIBs.

During the Financial year 2021-22, the Bank on 02.06.2021 had issued and allotted upto 246,54,23,932 equity shares of Rs.10/- each for cash at Issue Price of Rs.16.63 per Equity Share (including a premium of Rs.6.63 per equity share amounting to Rs.1634.58 crores) aggregating to Rs.4100 crore on preferential basis to Government of India (President of India) for capital infusion and share application money was received by the Bank on 31.03.2021. The Government of India shareholding has increased from 95.84% to 96.38%. The paid up capital of the Bank increased from Rs.16436.99 crore to Rs.18902.41 crore.

On account of revaluation of immovable properties during the year FY 2021-22, the Revaluation Reserve of the Bank increased by Rs.529.10 crores and stands at Rs.2,749.56 crore as at 31.03.2022.

7. Taxes

7.1 Taking into consideration the decisions of appellate Authorities, certain judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating Rs.7409.24 crore (previous year Rs.5,734.33 crore) and Service Tax aggregating to Rs.122.33 crore(previous year Rs.122.33 crore).

7.2 Tax expense for the year is Rs.69.52 crore consisting of Current Tax expense of Rs.31.71 crore and Deferred Tax expense of Rs.37.81 crore – refer note No.11 under Disclosures under Accounting Standards.

7.3 The Bank, based on internal evaluation, presently has decided to continue with the existing tax regime. Further, the Bank has recognized net Deferred Tax Asset as on 31st March, 2022 aggregating to Rs.6262.41 crore (Previous year Rs.6300.40 crore) on timing differences in accordance with Accounting Standard – 22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and adjustments if any to be carried out on reassessment at appropriated stage.

8. The 11th Bipartite Settlement and Eight Joint Note dated 11.11.2020 is operational for five years from 01.11.2017. The Bank has already implemented the 11th Bipartite Settlement, hence NO provision towards wage revision is held as on 31.03.2022.

9. Information relating to vendors registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and from whom goods and services have been procured by the Bank has been disclosed to the extent information was made available to the Bank by the vendors. There are no overdue pending of principal amount and/ or interest and accordingly no additional disclosures have been made for the FY 2021-22.

DISCLOSURES AS PER RBI REQUIREMENTS:

1. REGULATORY CAPITAL

a) Composition of Regulatory Capital **(Amount in ₹ crore)**

S.No.	Particulars	2021-22	2020-21
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)* / Paid up share capital and reserves@ (net of deductions, if any)	12 428.11	14 462.20
ii)	Additional Tier 1 capital*/ Other Tier 1 capital@	0.00	0.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	12 428.11	14 462.20
iv)	Tier 2 capital	3 622.20	2 695.47

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	16 050.31	17 157.67
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	116 069.83	112 005.35
vii)	सीईटी 1 अनुपात * (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)* / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में भुगतान की गई शेयर पूंजी और आरक्षितियां @	10.71%	12.91%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	10.71%	12.91%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी)	3.12%	2.41%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	13.83%	15.32%
xi)	उपलब्ध साधन का अनुपात*	4.07%	5.22%
xii)	की शेयरधारिता का प्रतिशत		
	भारत सरकार	96.38%	95.84%
	ख) राज्य सरकार (नाम निर्दिष्ट करें)$	लागू नहीं	लागू नहीं
	प्रायोजक बैंक$	लागू नहीं	लागू नहीं
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई भुगतान की गई इक्विटी पूंजी की राशि	2 465.42#	0.00#
xiv	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि	0.00	0.00
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, बेसल III अनुपालक टियर II बांड	665.00	0.00

#बैंक को 31.03.2021 को भारत सरकार से 4100 करोड़ रुपये (चार हजार एक सौ करोड़ रुपये मात्र) का पूंजी प्राप्त हुआ और इक्विटी शेयर 02.06.2021 यानी 246,54,23,932 इक्विटी शेयरों को जारी और आवंटित किया गया। रुपये 16.63 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर नकद के लिए प्रत्येक का 10 रुपये का अंकित मूल्य (प्रति इक्विटी शेयर 6.63 रुपये के प्रीमियम सहित) है।

$ राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता का प्रतिशत केवल आरआरबी के लिए लागू है।

* पूंजी से जोखिम भारित परिआस्तिअनुपात (सीआरएआर) की गणना सरकार द्वारा पूंजी के रूप में डाले गए गैर-ब्याज वाले पुनर्पूंजीकरण बांड के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर विचार करने के बाद की जाती है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान भारत का उक्त समायोजन पर विचार किए बिना, सीआरएआर 31 मार्च 2022 तक 15.75% (12.63% का सीईटी 1 अनुपात) है।

ख) आरक्षितियों से आहरित

वित्तीय वर्ष 2020-21 के शुद्ध लाभ का 25% सांविधिक रिज़र्व को विनियोग करने के संबंध में आरबीआइ -आरएआर 2021 टिप्पणियों का पालन करने के लिए, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से दिनांक 18.02.2022 के अपने पत्र के माध्यम से रिज़र्व के ड्रॉ-डाउन को प्रभावित किया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जैसा कि नीचे दिया गया है:

से	तक	राशि (रुपये करोड़ में)
पूंजी आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां को छोड़कर)	सांविधिक आरक्षितियां	142.05
लाभ और हानि खाता	सांविधिक आरक्षितियां	65.82

S.No.	Particulars	2021-22	2020-21
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	16 050.31	17 157.67
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	116 069.83	112 005.35
vii)	CET 1 Ratio * (CET 1 as a percentage of RWAs)* / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs@	10.71%	12.91%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	10.71%	12.91%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	3.12%	2.41%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	13.83%	15.32%
xi)	Leverage Ratio*	4.07%	5.22%
xii)	Percentage of the shareholding of		
	a) Government of India	96.38%	95.84%
	b) State Government (specify name)$	NA	NA
	c) Sponsor Bank$	NA	NA
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	2 465.42#	0.00#
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	0.00	0.00
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, Basel III compliant Tier II Bonds	665.00	0.00

#The Bank received a capital infusion of Rs.4100 crore (Rupees Four Thousand One Hundred Crore Only) from Government of India on 31.03.2021 and the equity shares were issued and allotted on 02.06.2021 i.e. 246,54,23,932 equity shares of face value of Rs.10 each for cash at issue price of Rs.16.63 per equity shares (including premium of Rs.6.63 per equity share)

$ Percentage of shareholding of State Government and Sponsor Bank is applicable only for RRBs.

* Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) is arrived at after considering the Net Present Value (NPV) of non-interest bearing recapitalization Bond infused as Capital by the Govt. of India during the FY ended 31st March 2021. Without considering the said adjustment, the CRAR is 15.75% (CET 1 ratio of 12.63%) as on 31st March 2022.

b) **Draw down from Reserves**

To comply with the RBI-RAR 2021 observations regarding appropriation of 25% of Net Profit of FY 2020-21 to Statutory Reserve, Bank with the approval of Reserve Bank of India vide their letter dated 18.02.2022 has effected the draw-down of reserve during the current financial year as given below:

From	To	Amount (Rs. in crores)
Capital Reserve (Excluding Revaluation Reserve)	Statutory Reserve	142.05
Profit & Loss Account	Statutory Reserve	65.82

2. आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च 2022 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान* (रु. करोड़ में)

विवरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	2903.00	2 568.14	25 573.95	318.73	4 446.79	2 399.94
2 से 7 दिन	6218.09	2 732.04	2 424.07	0.00	1 724.50	842.78
8 से 14 दिन	6862.09	3 460.08	1 457.71	0.00	2 073.75	2 437.69
15 से 30 दिन	5486.80	2 328.62	1 330.71	0.00	3 829.54	4 616.05
31 दिन से 2 महीने तक	9487.30	9 981.92	2 734.04	0.00	6 266.46	6 095.62
2 महीने से 3 महीने तक	10549.00	11 168.10	3 506.14	0.00	6 835.68	5 697.70
3 महीने से 6 महीने	26778.48	13 102.44	6 688.80	479.61	7 335.48	10 609.79
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	49691.20	29 477.94	12 071.21	7.30	4 556.64	5 189.03
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	32 652.62	46 776.20	9 741.03	0.00	1 036.33	745.18
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 569.67	12 048.08	2 892.99	800.00	1 180.14	628.62
5 वर्ष से अधिक	105 960.69	22 157.16	29 758.67	1 465.00	2 213.95	2 236.86
कुल	**262 158.92**	**155 800.71**	**98 179.31**	**3 070.64**	**41 499.26**	**41 499.26**

31 मार्च 2021 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान* (रु. करोड़ में)

विवरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	1 649.98	1 997.83	26 413.01	0.00	3 760.34	3 030.25
2 से 7 दिन	5 428.71	1 951.29	2 290.9	0.00	774.96	850.11
8 से 14 दिन	6 432.83	2 832.07	1 479.24	0.00	1 184.68	3 131.99
15 से 30 दिन	5 724.14	1 435.30	1 317.36	0.00	3744.00	2 933.35
31 दिन से 2 महीने तक	9 543.8	8 283.81	2 199.32	0.00	3 759.63	2 641.58
2 महीने से 3 महीने तक	10 014.52	9 930.48	2 392.94	0.00	3 656.52	2 929.15
3 महीने से 6 महीने	24 741.75	12 062.94	5 736.12	0.00	4 882.94	6 173.76
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	44 578.41	26 966.19	11 881.83	255.35	3 127.91	2 433.51

2. Asset liability management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at March 31,2022 (Amount in ₹ crore)

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Net)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	2903.00	2 568.14	25 573.95	318.73	4 446.79	2 399.94
2 to 7 days	6218.09	2 732.04	2 424.07	0.00	1 724.50	842.78
8 to 14 days	6862.09	3 460.08	1 457.71	**0.00**	2 073.75	2 437.69
15 Days – 30 Days	5486.80	2 328.62	1 330.71	0.00	3 829.54	4 616.05
31 Days – 2 Months	9487.30	9 981.92	2 734.04	0.00	6 266.46	6 095.62
2 Months – 3 Months	10549.00	11 168.10	3 506.14	0.00	6 835.68	5 697.70
3 Months – 6 Months	26778.48	13 102.44	6 688.80	479.61	7 335.48	10 609.79
Over 6 Months & Upto 1 year Months	49691.20	29 477.94	12 071.21	7.30	4 556.64	5 189.03
Over 1 year & up to 3 years	32 652.62	46 776.20	9 741.03	0.00	1 036.33	745.18
Over 3 years & up to 5 years	5 569.67	12 048.08	2 892.99	800.00	1 180.14	628.62
Over 5 years	105 960.69	22 157.16	29 758.67	1 465.00	2 213.95	2 236.86
Total	**262 158.92**	**155 800.71**	**98 179.31**	**3 070.64**	**41 499.26**	**41 499.26**

Maturity pattern of assets and liabilities as at March 31, 2021 (Amount in ₹ crore)

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Net)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	1 649.98	1 997.83	26 413.01	0.00	3 760.34	3 030.25
2 to 7 days	5 428.71	1 951.29	2 290.9	0.00	774.96	850.11
8 to 14 days	6 432.83	2 832.07	1 479.24	0.00	1 184.68	3 131.99
15 Days – 30 Days	5 724.14	1 435.30	1 317.36	0.00	3744.00	2 933.35
31 Days – 2 Months	9 543.8	8 283.81	2 199.32	0.00	3 759.63	2 641.58
2 Months – 3 Months	10 014.52	9 930.48	2 392.94	0.00	3 656.52	2 929.15
3 Months – 6 Months	24 741.75	12 062.94	5 736.12	0.00	4 882.94	6 173.76
Over 6 Months & Upto 1 year Months	44 578.41	26 966.19	11 881.83	255.35	3 127.91	2 433.51

1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	29 324.62	46 746.68	11 333.06	627.47	2 197.53	1 813.76
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 649.35	10 711.04	1 900.54	0.00	253.81	628.15
5 वर्ष से अधिक	97 200.2	16 679.03	28 549.92	2788.76	1 650.27	2 426.98
कुल	**240 288.31**	**139 596.66**	**95 494.24**	**3671.58**	**28 992.59**	**28 992.59**

ख) तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

आरबीआइ ने तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) को परिपत्र संख्या आरबीआई/2014-15/529 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च,2015 के माध्यम से पेश किया था। जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले बैंक हैं और संभावित चलनिधि व्यवधानों के लिए बैंकों की अल्पकालिक लचीलापन सुनिश्चित किया जा सके। तरल आस्ति(एचक्यूएलए) 30 दिनों तक चलने वाले एक तीव्र तनाव परिदृश्य से बचने के लिए है। 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी बैंक के लिए आरबीआइ के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता 100% है।

एलसीआर की परिभाषा : $\dfrac{\text{उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (HQLAs) का स्टॉक}}{\text{अगले 30 कलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी प्रवाह (बहिर्गमन)}}$

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (HQLA) के स्टॉक में, परिसंपत्तियों की दो श्रेणियां हैं, अर्थात स्तर 1 और स्तर 2 आस्ति। स्तर 2 आस्तियों को उनके मूल्य-अस्थिरता के आधार पर स्तर 2 ए और स्तर 2 बी परिसंपत्तियों में उप-विभाजित किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी में शामिल किए जाने वाले परिसंपत्तियां वे हैं जो बैंक के पास तनाव अवधि के पहले दिन मौजूद है । स्तर 1 की आस्ति0 कटौती के साथ है जबकि स्तर 2 में, 2 ए की आस्ति न्यूनतम 15 कटौती और स्तर 2 बी आस्तियों की आस्ति, न्यूनतम 50% कटौती के साथ है ।

कुल निवल नकदी बहिर्गमन को अगले 30 कलेंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्गमन से कटौती के रूप में पारिभाषित किया गया है। कुल अपेक्षित कैश आउटफ्लो की गणना विभिन्न श्रेणियों या देनदारियों और बकाया-तुलन पत्र प्रतिबद्धताओं के बकाया शेष राशि को उस दर से गुणा करके की जाती है, जिस पर वे बंद होने या कम होने की उम्मीद करते हैं। कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह की गणना दरों की संविदात्मक प्राप्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए बकाया शेष राशि को गुणा करके की जाती है जिस पर वे कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह के 75% के कुल कैप तक प्रवाह की उम्मीद करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के चार तिमाहियों के लिए एलसीआर का विवरण : (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही	31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही	30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही	30 जून 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही
एचक्यूएलए	72,048.89	69,720.72	68,066.62	62,208.66	63,651.97
कुल निवल नकदी बहिर्गमन	40,499.29	39,433.57	38,480.49	37,400.10	37,684.21
% में एलसीआर	177.90	176.81	176.89	166.33	168.91

बैंक ने मार्च 2022 तिमाही में सभी कार्य दिवसों के लिए एलसीआर की गणना की है। 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक का एलसीआर तीन महीने के दैनिक औसत (चौथी तिमाही वित्तीय वर्ष 2021-22) के आधार पर 177.90% है और मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए आरबीआइ द्वारा निर्धारित 100% की वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता से काफी ऊपर है। 31.03.2021 को न्यूनतम आवश्यकता 90% थी, जिसे आरबीआइ द्वारा 01.04.2022 से 100% तक संशोधित किया गया था। अचानक नकदी बहिर्वाह को पूरा करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त तरलता है।

विस्तृत मात्रात्मक प्रकटीकरण निम्नलिखित है:

बैंक में तरलता प्रबन्धन बैंक की एएलएम नीति व विनियमों पर आधारित है । देशीय व विदेशी केंद्र आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (अल्को) को रिपोर्ट करते हैं । बैंक बोर्ड ने अल्को को बैंक की फंडिंग रणनीतियाँ बनाने हेतु अधिकार प्रदान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंडिंग स्रोतों में विविधता है और यह बैंक के परिचालन आवश्यकता के अनुरूप है । अल्को के सभी प्रमुख फैसले बैंक के बोर्ड को समय- समय पर सूचित किए जाते हैं । दैनिक / मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त , नियमित रूप से बैंक की तरलता जरूरतों का आकलन करने हेतु बैंक दैनिक सांविधिक तरलता विवरणी तैयार करता है ।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं के ऊपर एसएलआर निवेश के रूप में मुख्य रूप से एचक्यूएलए को बनाए रख रहा है। खुदरा जमा कुल वित्तपोषण स्रोतों का प्रमुख हिस्सा है, और ऐसे फंडिंग स्रोत विविध हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक की भविष्य की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

Over 1 year & up to 3 years	29 324.62	46 746.68	11 333.06	627.47	2 197.53	1 813.76
Over 3 years & up to 5 years	5 649.35	10 711.04	1 900.54	0.00	253.81	628.15
Over 5 years	97 200.2	16 679.03	28 549.92	2788.76	1 650.27	2 426.98
Total	**240 288.31**	**139 596.66**	**95 494.24**	**3671.58**	**28 992.59**	**28 992.59**

b) Liquidity coverage ratio (LCR)

RBI had introduced the Liquidity Coverage Ratio (LCR) vide circular NoRBI/2014-15/529 DBR. No. BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31,2015 which has been modified from time to time, in order to ensure short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The minimum LCR requirement set out in the RBI guidelines for the bank effective January 1, 2019 is 100%

Definition of LCR: $\dfrac{\textbf{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\textbf{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$

In the stock of high quality liquid assets (HQLA), there are two categories of assets, viz. Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are sub-divided into Level 2A and Level 2B assets on the basis of their price-volatility. Assets included in each category are those that the bank is holding on the first day of the stress period. Level 1 assets are with 0% haircut while in Level 2, 2A assets are with a minimum 15% haircut and Level 2B Assets, with a minimum 50% haircut.

The total net cash outflows is defined as the total expected cash outflows minus total expected cash inflows for the subsequent 30 calendar days. Total expected cash outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows.

Details of LCR for FY 2021-22 (Four Quarters) & Quarter Ended March 2021: (Rs. in crore)

Details	Quarter Ended March 31 2022	Quarter Ended December 31 2021	Quarter Ended september 30 2021	Quarter Ended June 30 2021	Quarter Ended March 31 2021
HQLA	72,048.89	69,720.72	68,066.62	62,208.66	63,651.97
Total Net cash Outflows	40,499.29	39,433.57	38,480.49	37,400.10	37,684.21
LCR in %	177.90	176.81	176.89	166.33	168.91

Bank has calculated LCR for all working days over the March 2022 quarter. Bank's LCR for the quarter ended 31st March 2022 stands at 177.90% based on daily average of three months (Q4 FY 2021-22) and is well above the present minimum requirement prescribed by RBI of 100% for the Quarter ended March, 2022. The Minimum requirement as on 31.03.2021 was 90% , the same was revised by RBI to 100% w.e.f 01.04.2022. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.

The detailed Quantitative disclosure is placed below:

Liquidity Management in the Bank is driven by the ALM Policy of the Bank and regulatory prescriptions. The Domestic and Overseas Centers are reporting to the Asset Liability Management Committee (ALCO). The ALCO has been empowered by the Bank's Board to formulate the Bank's funding strategies to ensure that the funding sources are well diversified and is consistent with the operational requirements of the Bank. All the major decisions of ALCO are being reported to the Bank's Board periodically. In addition to daily/monthly LCR reporting, Bank prepares daily Structural Liquidity statements to assess the liquidity needs of the Bank on an ongoing basis.

The Bank has been maintaining HQLA mainly in the form of SLR investments over and above the mandatory requirements. Retail deposits constitute major portion of total funding sources, and such funding sources are well diversified. Management is of the view that the Bank has sufficient liquidity cover to meet its likely future short term requirements.

मात्रात्मक प्रकटीकरण से संबंधित अनुबंध:

		जून-21		जून-20		सितम्बर-21		सितम्बर-20		दिसम्बर-21		दिसम्बर-20		मार्च-22		मार्च-21	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति																	
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति (एच क्यू एल ए)	[redacted]	62208.66	[redacted]	55401.80	[redacted]	68066.62	[redacted]	58996.15	[redacted]	69720.72	[redacted]	56605.49	[redacted]	72048.89	[redacted]	63651.97
नकदी बहिर्वाह																	
2	लघु कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमाएं व जमाएं, जिसमें	189031.09	17616.92	159169.06	15490.00	191690.05	17881.60	161760.93	15244.25	170147.01	15968.30	202497.98	19124.63	196375.47	18335.17	187881.38	17502.37
(i)	स्थिर जमाएं	25723.73	1286.19	8538.05	426.90	25748.04	1287.40	18636.91	931.85	20927.87	1046.39	22503.44	1125.17	26047.53	1302.38	25715.30	1285.77
(ii)	कम स्थिर जमाएं	163307.36	16330.74	150631.01	15063.10	165942.01	16594.20	143124.02	14312.40	149219.14	14921.91	179994.54	17999.45	170327.94	17032.79	162166.08	16216.61
3	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन जिसमें	42567.30	21432.99	59839.05	14469.74	47141.84	23367.76	58727.81	12905.68	71082.58	26112.16	23143.98	10912.56	49446.36	24943.52	43370.14	21693.47
(i)	परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	0.13	0.03	0.13	0.03	0.13	0.03	0.13	0.03	0.13	0.03	0.18	0.04	0.13	0.03	0.13	0.03
(ii)	गैर परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	42567.17	21432.96	59838.92	14469.71	47141.71	23367.73	58727.68	12905.65	71082.45	26112.13	23143.80	10912.52	49446.23	24943.49	43370.01	21693.44
(iii)	अप्रतिभूति ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन	437.67	409.01	329.50	0	1352.74	285.79	462.92	0	1649.38	677.20	426.39	355.96	724.21	474.09	443.85	352.56
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिसमें से	12127.36	1195.50	485.06	440.17	11656.89	1246.30	284.71	225.05	26451.30	1652.22	4341.80	724.42	11239.77	1254.99	12304.55	1276.82
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्वी अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्वाह	99.49	99.49	435.31	435.31	207.82	207.82	219.01	219.01	217.78	217.78	362.31	362.31	250.24	250.24	169.41	169.41
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीकरण की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	`0
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधा	12027.87	1096.01	49.75	4.86	11449.07	1038.48	65.70	6.04	10704.91	968.53	3979.49	362.11	10989.53	1004.75	12135.14	1107.41

Annexure to the Quantitative Disclosure:

		Jun-21		Jun-20		Sep-21		Sep-20		Dec-21		Dec-20		Mar-22		Mar-21	
		Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets																	
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		62208.66		55401.80		68066.62		58996.15		69720.72		56605.49		72048.89		63651.97
Cash Outflows																	
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	189031.09	17616.92	159169.06	15490.00	191690.05	17881.60	161760.93	15244.25	170147.01	15968.30	202497.98	19124.63	196375.47	18335.17	187881.38	17502.37
(i)	Stable deposits	25723.73	1286.19	8538.05	426.90	25748.04	1287.40	18636.91	931.85	20927.87	1046.39	22503.44	1125.17	26047.53	1302.38	25715.30	1285.77
(ii)	Less stable deposits	163307.36	16330.74	150631.01	15063.10	165942.01	16594.20	143124.02	14312.40	149219.14	14921.91	179994.54	17999.45	170327.94	17032.79	162166.08	16216.61
3	Unsecured wholesale funding, of which:	42567.30	21432.99	59839.05	14469.74	47141.84	23367.76	58727.81	12905.68	71082.58	26112.16	23143.98	10912.56	49446.36	24943.52	43370.14	21693.47
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.13	0.03	0.13	0.03	0.13	0.03	0.13	0.03	0.13	0.03	0.18	0.04	0.13	0.03	0.13	0.03
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	42567.17	21432.96	59838.92	14469.71	47141.71	23367.73	58727.68	12905.65	71082.45	26112.13	23143.80	10912.52	49446.23	24943.49	43370.01	21693.44
(iii)	Unsecured debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Secured wholesale funding	437.67	409.01	329.50	0	1352.74	285.79	462.92	0	1649.38	677.20	426.39	355.96	724.21	474.09	443.85	352.56
5	Additional requirements, of which	12127.36	1195.50	485.06	440.17	11656.89	1246.30	284.71	225.05	26451.30	1652.22	4341.80	724.42	11239.77	1254.99	12304.55	1276.82
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	99.49	99.49	435.31	435.31	207.82	207.82	219.01	219.01	217.78	217.78	362.31	362.31	250.24	250.24	169.41	169.41
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	`0
(iii)	Credit and liquidity facilities	12027.87	1096.01	49.75	4.86	11449.07	1038.48	65.70	6.04	10704.91	968.53	3979.49	362.11	10989.53	1004.75	12135.14	1107.41

		जून-21		जून-20		सितम्बर-21		सितम्बर-20		दिसम्बर-21		दिसम्बर-20		मार्च-22		मार्च-21	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
6	अन्य संविदागत निधीकरण बाध्यताएं	0	0	63.19	63.19	0	0	83.27	83.27	0	0	57.88	57.88	0	0	11.62	11.62
7	अन्य संभाव्यता वित्तीयन बाध्यताएं	14383.62	719.18	41809.22	2090.47	14931.09	475.67	47541.58	2377.08	15528.61	465.92	39836.05	1991.80	15225.23	456.98	14663.67	733.18
8	कुल नकद बहिर्वाह		41373.60		32553.57		43257.12		30835.33		44409.89		33167.25		45464.75		41570.02
नकदी प्रवाह																	
9	प्रतिभूत उधार [उदा. रिवर्स रेपो]	8351.21	0	8316.43	0	4197.92	0.00	5663.94	0	3473.33	0	12477.31	0	3930.26	0	6993.39	0
10	पूर्णता निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्वाह	6624.81	3707.35	12082.85	6351.65	8396.27	4621.84	10734.00	5697.50	8827.61	4814.60	8064.56	4350.53	8296.79	4658.92	6645.54	3595.49
11	अन्य नकद अंतर्वाह	284.14	266.15	745.66	545.90	200.40	154.79	997.22	804.09	197.78	163.84	633.61	450.70	308.64	306.54	340.66	290.32
12	कुल नकद अंतर्वाह	15260.16	3973.50	21144.94	6897.55	12794.59	4776.63	17395.16	6501.59	12498.72	4978.44	21175.48	4801.23	12535.69	4965.46	13979.59	3885.81
13	कुल एच क्यू एल ए		62208.66		55401.80		68066.62		58996.15		69720.72		56605.49		72048.89		63651.97
14	कुल निवल नकद प्रवाह		37400.10		25656.02		38480.49		24333.74		39433.57		28366.02		40499.29		37684.21
15	तरलता कवरेज अनुपात [%]		166.33%		216.00%		176.89%		242.45%		176.81%		199.55%		177.90%		168.91%

1. गैर-भारित मूल्यों की गणना 30 दिनों के भीतर परिपक्व या कॉल करने योग्य बकाया शेष राशि के रूप में की जाती है (इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए) सिवाय जहां अन्यथा परिपत्र और एलसीआर टेम्पलेट में उल्लिखित है।
2. भारित मूल्यों की गणना संबंधित हेयरकट (एचक्यूएलए के लिए) या इनफ्लो और आउटफ्लो दरों (इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए) को लागू करने के बाद की जाती है।
3. समायोजित मूल्यों की गणना (i) हेयरकट और इनफ्लो और आउटफ्लो दरों और (ii) किसी भी लागू कैप्स (यानी एचक्यूएलए के लिए लेवल 2बी और लेवल 2 आस्तियों पर कैप और इनफ्लो पर कैप) दोनों को लागू करने के बाद की जाती है।

ग) निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

आरबीआइ ने 17 मई 2018 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/178 डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 के माध्यम से शुद्ध स्थिर निवल अनुपात (एनएसएफआर) की शुरुआत की जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है । बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्त पोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ निधि देने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि के क्षितिज पर बैंकों के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए समय। 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी आरबीआइ दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर आवश्यकता 100% है ।

		Jun-21		Jun-20		Sep-21		Sep-20		Dec-21		Dec-20		Mar-22		Mar-21	
		Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)
6	Other contractual funding obligations	0	0	63.19	63.19	0	0	83.27	83.27	0	0	57.88	57.88	0	0	11.62	11.62
7	Other contingent funding obligations	14383.62	719.18	41809.22	2090.47	14931.09	475.67	47541.58	2377.08	15528.61	465.92	39836.05	1991.80	15225.23	456.98	14663.67	733.18
8	TOTAL CASH OUTFLOWS		41373.60		32553.57		43257.12		30835.33		44409.89		33167.25		45464.75		41570.02
Cash Inflows																	
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	8351.21	0	8316.43	0	4197.92	0.00	5663.94	0	3473.33	0	12477.31	0	3930.26	0	6993.39	0
10	Inflows from fully performing exposures	6624.81	3707.35	12082.85	6351.65	8396.27	4621.84	10734.00	5697.50	8827.61	4814.60	8064.56	4350.53	8296.79	4658.92	6645.54	3595.49
11	Other cash inflows	284.14	266.15	745.66	545.90	200.40	154.79	997.22	804.09	197.78	163.84	633.61	450.70	308.64	306.54	340.66	290.32
12	TOTAL CASH INFLOWS	15260.16	3973.50	21144.94	6897.55	12794.59	4776.63	17395.16	6501.59	12498.72	4978.44	21175.48	4801.23	12535.69	4965.46	13979.59	3885.81
13	TOTAL HQLA		62208.66		55401.80		68066.62		58996.15		69720.72		56605.49		72048.89		63651.97
14	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		37400.10		25656.02		38480.49		24333.74		39433.57		28366.02		40499.29		37684.21
15	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		166.33%		216.00%		176.89%		242.45%		176.81%		199.55%		177.90%		168.91%

1. Unweighted values are calculated as outstanding balances maturing or callable within 30 days (for inflows and outflows) except where otherwise mentioned in the Circular and LCR template.
2. Weighted values are calculated after the application of respective haircuts (for HQLA) or inflow and outflow rates (for inflows and outflows).
3. Adjusted values are calculated after the application of both (i) haircuts and inflow and outflow rates and (ii) any applicable caps (i.e. cap on level 2B and level 2 assets for HQLA and cap on inflows).

c) Net Stable Funding ratio (NSFR)

RBI introduced the Net Stable Funding Ratio (NSFR) vide circular No. RBI/2017-18/178 DBR.BP.BC.No.106/21.04.098/2017-18 dated May 17,2018 which has been modified from time to time in order to promote resilience of Banks over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. The minimum NSFR requirement set out in the RBI guidelines effective from October 1, 2021 is 100%

एनएसएफआर की परिभाषा: $\frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ)}}$

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण (एएसएफ) को पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक फैली हुई है। किसी विशिष्ट संस्थान की आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) की राशि चलनिधि विशेषताओं और उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ-साथ इसके तुलन पत्र से इतर (ओबीएस) एक्सपोजर का एक कार्य है।

दिसंबर 2021 और मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर का विवरण: (रुपये करोड़ में)

विवरण	दिसंबर 2021 तिमाही	मार्च 2022 तिमाही
उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ) (भारित मूल्य)	226423.49	230113.72
आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) (भारित मूल्य)	148366.44	152491.93
एनएसएफआर% में	152.61%	150.90%

बैंक ने 31 मार्च 2022 के लिए एनएसएफआर की गणना की है जो 150.90% है जो आरबीआइ द्वारा निर्धारित 100% की न्यूनतम आवश्यकता से काफी ऊपर है। बैंक का अधिकांश वित्तपोषण खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से होता है, जो फंडिंग की स्थिरता के संबंध में उच्च स्थिरता प्रदान करते हैं। लंबी अवधि के क्षितिज पर निरंतर आधार पर अपनी गतिविधियों को निधि देने के लिए बैंक के पास वित्त पोषण के पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं।

विस्तृत मात्रात्मक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

Definition of NSFR: $\frac{\text{Available Stable Fund (ASF)}}{\text{Required Stable Fund (RSF)}}$

The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. Available stable funding (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of required stable funding (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures.

Details of NSFR for the quarter ended Dec'2021 & Mar'2022: (Rs. In Crore)

Details	**Dec'2021 Quarter**	**Mar'2022 Quarter**
Available stable funding (ASF) (Weighted Value)	226423.49	230113.72
Required Stable Fund (RSF) (Weighted Value)	148366.44	152491.93
NSFR in %	152.61%	150.90%

Bank has calculated NSFR for 31st March 2022 which stands at 150.90% which is well above the RBI prescribed minimum requirement of 100%. Bank's majority funding is from Retail and Small Business customers, which provide high stability with regard to stability of Funding. Bank is having enough stable sources of funding to fund their activities on an ongoing basis over a longer-term time horizon.

The detailed Quantitative disclosure is placed below:

(रुपये करोड़ में)	दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए — एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट — अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य: कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य	मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए — एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट — अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य: कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य
एएसएफ आइटम										
1 पूंजी: (2+3)	17284.67	0	0	0	17284.67	16050.31	0	0	0	16050.31
2 विनियामक पूंजी	17284.67	0	0	0	17284.67	16050.31	0	0	0	16050.31
3 अन्य पूंजीगत साधन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 छोटे व्यवसाय ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा: (5+6)	65887.24	45599.47	42960.28	29434.92	169710.14	86694.95	60460.48	52427.63	1136.47	182095.58
5 स्थिर जमाएँ	10860.69	7516.50	7081.47	4851.98	29037.71	11592.33	8084.41	7010.31	1136.47	26489.18
6 कम स्थिर जमाएँ	55026.55	38082.96	35878.81	24582.94	140672.43	75102.62	52376.06	45417.32	0.00	155606.40
7 थोक वित्त पोषण: (8+9)	39500.16	3095.06	2915.92	17646.51	39428.67	27181.85	19684.56	17069.25	0.00	31967.83
8 परिचालन जमा	0.13	0	0	0	0.07	0.13	0	0	0	0.06
9 अन्य थोक वित्त पोषण	39500.02	3095.06	2915.92	17646.51	39428.61	27181.72	19684.56	17069.25	0.00	31967.77
10 अन्य देनदारियां: (11+12)	3837.27	2655.71	2704.15	1714.29	0	3292.56	2296.21	2062.65	0.00	0
11 एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		0	202.15	0			0	71.52	0	
12 अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	3837.27	2655.71	2502.00	1714.29		3292.56	2296.21	1991.13	0.00	0
13 कुल एएसएफ (1+4+7+10)					226423.49					230113.72
आरएसएफ़ मदें										
14 कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति(HQLA)					3561.82					4168.36
15 परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाएँ	644.44	0.00	0.00	0.00	322.22	1229.83	0.00	0.00	0.00	614.91
16 ऋण और प्रतिभूतियों अर्जक (17+18+19+21+23)	35931.94	27775.33	10035.52	82155.89	110994.13	29505.63	30714.81	12243.10	81198.78	110526.97
17 स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0.00	3026.00	0.00	0.00	302.60	0.00	6043.00	0.00	0.00	604.30
18 गैर-स्तर 1 एचक्यूएल द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण दिए गए प्रतिभूत अर्जक तथा वित्तीय को दिए गए गैर प्रतिभूत अर्जक ऋण संस्थानों	0.00	264.03	1240.39	5348.69	6008.49	0.00	123.38	1329.54	9639.34	10322.62

	(Rs.in Crore)	For Quarter Ended Dec'2021 NSFR Disclosure Template					For Quarter Ended Mar'2022 NSFR Disclosure Template				
		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
	ASF Item	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
1	Capital: (2+3)	17284.67	0	0	0	17284.67	16050.31	0	0	0	16050.31
2	Regulatory capital	17284.67	0	0	0	17284.67	16050.31	0	0	0	16050.31
3	Other capital instruments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	65887.24	45599.47	42960.28	29434.92	169710.14	86694.95	60460.48	52427.63	1136.47	182095.58
5	Stable deposits	10860.69	7516.50	7081.47	4851.98	29037.71	11592.33	8084.41	7010.31	1136.47	26489.18
6	Less stable deposits	55026.55	38082.96	35878.81	24582.94	140672.43	75102.62	52376.06	45417.32	0.00	155606.40
7	Wholesale funding: (8+9)	39500.16	3095.06	2915.92	17646.51	39428.67	27181.85	19684.56	17069.25	0.00	31967.83
8	Operational deposits	0.13	0	0	0	0.07	0.13	0	0	0	0.06
9	Other wholesale funding	39500.02	3095.06	2915.92	17646.51	39428.61	27181.72	19684.56	17069.25	0.00	31967.77
10	Other liabilities: (11+12)	3837.27	2655.71	2704.15	1714.29	0	3292.56	2296.21	2062.65	0.00	0
11	NSFR derivative liabilities		0	202.15	0			0	71.52	0	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	3837.27	2655.71	2502.00	1714.29		3292.56	2296.21	1991.13	0.00	0
13	Total ASF (1+4+7+10)					226423.49					230113.72
RSF Item											
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3561.82					4168.36
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	644.44	0.00	0.00	0.00	322.22	1229.83	0.00	0.00	0.00	614.91
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	35931.94	27775.33	10035.52	82155.89	110994.13	29505.63	30714.81	12243.10	81198.78	110526.97
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	3026.00	0.00	0.00	302.60	0.00	6043.00	0.00	0.00	604.30
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	264.03	1240.39	5348.69	6008.49	0.00	123.38	1329.54	9639.34	10322.62

		दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए						मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए				
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से:	35931.94	24485.31	8795.14	31884.32	68983.75		29505.63	24548.43	10913.56	25907.26	63263.02
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	4622.99			4102.23	5671.39		4177.00	0.00	0.00	3667.60	5098.99
21	अर्जक आवासीय बंधक जिनमें से:	0.00	0.00	0.00	16608.42	11632.00		0.00	0.00	0.00	17528.67	12432.04
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	0.00	0.00	12425.77	8076.75		0.00	0.00	0.00	12336.66	8018.83
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	0.00	0.00	0.00	28314.46	24067.29		0.00	0.00	0.00	28123.51	23904.98
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	15116.25	480.43	172.57	12898.55	32829.73		19158.94	1054.00	468.58	15457.93	36115.74
25	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0.00				0.00		0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान		0.00	0.00	138.10	117.39			0.00	0.00	158.10	134.39
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव एसेट्स		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
29	अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	15116.25	480.43	172.57	12760.45	32712.34		19158.94	1054.00	468.58	15299.83	35981.35
30	तुलन पत्र से इतर मदें		3335.15	1197.99	10660.04	658.54			4437.58	1972.83	16522.47	1065.95
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					148366.45						152491.93
32	शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (%)					150.90%						

19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	35931.94	24485.31	8795.14	31884.32	68983.75		29505.63	24548.43	10913.56	25907.26	63263.02
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	4622.99			4102.23	5671.39		4177.00	0.00	0.00	3667.60	5098.99
21	Performing residential mo rtgages, of which:	0.00	0.00	0.00	16608.42	11632.00		0.00	0.00	0.00	17528.67	12432.04
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	12425.77	8076.75		0.00	0.00	0.00	12336.66	8018.83
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	28314.46	24067.29		0.00	0.00	0.00	28123.51	23904.98
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	15116.25	480.43	172.57	12898.55	32829.73		19158.94	1054.00	468.58	15457.93	36115.74
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00		0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	138.10	117.39			0.00	0.00	158.10	134.39
27	NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	15116.25	480.43	172.57	12760.45	32712.34		19158.94	1054.00	468.58	15299.83	35981.35
30	Off-balance sheet items		3335.15	1197.99	10660.04	658.54			4437.58	1972.83	16522.47	1065.95
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					148366.45						152491.93
32	Net Stable Funding Ratio (%)					152.61%						150.90%

3. निवेश

अ) 31.03.2022 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना (राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर और बांड	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	75 963.68	1.01	575.37	427.50	0	3.49	76 971.06	2 701.49	199.57	86.73	2 987.79	79 958.85
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.00	6.13	0.00	6.13	6.15
निवल	**75 963.68**	**0.99**	**575.37**	**427.50**	**0**	**3.49**	**76 971.04**	**2 701.49**	**193.44**	**86.73**	**2 981.66**	**79 952.70**
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	12 601.28	0	2 323.54	3 070.05	0	1 494.22	19 489.10	1 029.07	0	190.05	1 219.12	20 708.22
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	256.32	0	1 526.74	391.43	0	293.87	2 468.36	11.13	0	2.11	13.24	2 481.60
निवल	**12 344.96**	**0**	**796.80**	**2 678.62**	**0**	**1 200.35**	**17 020.74**	**1 017.94**	**0**	**187.94**	**1 205.88**	**18 226.62**
ट्रेडिंग के लिए आयोजित												
सकल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल निवेश	**88 564.96**	**1.01**	**2 898.91**	**3 497.55**	**0**	**1 497.71**	**96 460.16**	**3 730.56**	**199.57**	**276.78**	**4 206.91**	**100 667.07**
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान #	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	256.32	0	1 526.74	391.43	0	293.87	2 468.36	11.13	6.13	2.11	19.37	2 487.73
निवल	**88 308.64**	**0.99**	**1 372.17**	**3 106.12**	**0**	**1 203.84**	**93 991.78**	**3 719.43**	**193.44**	**274.67**	**4 187.54**	**98 179.32**

बैंक के पास हांगकांग शाखा के एनपीआई निवेश के तहत मेसर्स टीसीआई सनमार केमिकल्स एसएई द्वारा जारी इक्विटी और एनसीडी हैं जैसा कि अनुसूची -8 निवेश ओवरसीज के तहत दिखाया गया है और जो एससीए द्वारा प्रमाणित है। चूंकि खाता अवमानक श्रेणी के अंतर्गत है, बैंक के पास उक्त निवेश एक्सपोजर के लिए निम्नानुसार प्रावधान है:

निवेश का प्रकार	**31.03.2022 (INR) के अनुसार प्रावधान की राशि**
टीसीआई सनमार केम.एसएई - इक्विटी	42,23,75,793.84
टीसीआई सनमार केम.एसएई - एनसीडी	27,74,88,795.50
कुल	**69,98,64,589.34**

उपर्युक्त प्रावधान के.का. बही में किया जाता है।

3. Investments

a) Composition of Investment Portfolio As at 31.03.2022 **(Amount in ₹ crore)**

	Investments in India							Investments outside India				
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/ or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/ or joint ventures	Others	Total Investments outside India	Total Investments
Held to Maturity												
Gross	75 963.68	1.01	575.37	427.50	0	3.49	76 971.06	2 701.49	199.57	86.73	2 987.79	79 958.85
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.00	6.13	0.00	6.13	6.15
Net	**75 963.68**	**0.99**	**575.37**	**427.50**	**0**	**3.49**	**76 971.04**	**2 701.49**	**193.44**	**86.73**	**2 981.66**	**79 952.70**
Available for Sale												
Gross	12 601.28	0	2 323.54	3 070.05	0	1 494.22	19 489.10	1 029.07	0	190.05	1 219.12	20 708.22
Less: Provision for depreciation and NPI	256.32	0	1 526.74	391.43	0	293.87	2 468.36	11.13	0	2.11	13.24	2 481.60
Net	**12 344.96**	**0**	**796.80**	**2 678.62**	**0**	**1 200.35**	**17 020.74**	**1 017.94**	**0**	**187.94**	**1 205.88**	**18 226.62**
Held for Trading												
Gross	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Less: Provision for depreciation and NPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Investments	**88 564.96**	**1.01**	**2 898.91**	**3 497.55**	**0**	**1 497.71**	**96 460.16**	**3 730.56**	**199.57**	**276.78**	**4 206.91**	**100 667.07**
Less: Provision for non-performing investments #	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02
Less: Provision for depreciation and NPI	256.32	0	1 526.74	391.43	0	293.87	2 468.36	11.13	6.13	2.11	19.37	2 487.73
Net	**88 308.64**	**0.99**	**1 372.17**	**3 106.12**	**0**	**1 203.84**	**93 991.78**	**3 719.43**	**193.44**	**274.67**	**4 187.54**	**98 179.32**

The Bank is holding equity and NCDs issued by M/s. TCI Sanmar Chemicals SAE under NPI investments of Hong Kong Branch as shown under Schedule -8 Investment Overseas) as certified by the SCAs. Since the account is under substandard category, the Bank is holding provision against the said investment exposure as under:

Type of Investment	**Amount of provision as on 31.03.2022 (INR)**
TCI SANMAR CHEM.SAE – EQUITY	42,23,75,793.84
TCI SANMAR CHEM.SAE – NCD	27,74,88,795.50
TOTAL	**69,98,64,589.34**

The above mentioned provision is held in C.O. books.

31.03.2021 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना **(राशि ₹ करोड़ में)**

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर और बांड	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	70 850.25	1.01	301.58	1 022.50	0	8.99	72 184.33	2 232.04	199.57	87.13	2 518.74	74 703.07
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0	6.13	0.03	6.16	6.18
निवल	70 850.25	0.99	301.58	1 022.50	0	8.99	72 184.31	2 232.04	193.44	87.10	2 512.58	74 696.89
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	14 981.92	0	2 451.85	2 715.14	0	2 514.09	22 663.00	993.52	0	213.18	1 206.70	23 869.70
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	251.66	0	1 610.46	334.21	0	876.03	3 072.36	0	0	0.01	0.01	3 072.37
निवल	14 730.26	0	841.39	2 380.93	0	1 638.06	19 590.64	993.52	0	213.17	1 206.69	20 797.33
ट्रेडिंग के लिए आयोजित												
सकल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल निवेश	85 832.17	1.01	2 753.43	3 737.64	0	2 523.08	94 847.33	3 225.56	199.57	300.31	3 725.44	98 572.77
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	251.66	0	1 610.46	334.21	0	876.03	3 072.36	0	6.13	0.04	6.17	3 078.53
निवल	85 580.51	0.99	1 142.97	3 403.43	0	1 647.05	91 774.95	3 225.56	193.44	300.27	3 719.27	95 494.22

Composition of Investment Portfolio As at 31.03.2021

(Amount in ₹ crore)

	Investments in India							Investments outside India				
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/ or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/ or joint ventures	Others	Total Investments outside India	Total Investments
Held to Maturity												
Gross	70 850.25	1.01	301.58	1 022.50	0	8.99	72 184.33	2 232.04	199.57	87.13	2 518.74	74 703.07
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0	6.13	0.03	6.16	6.18
Net	70 850.25	0.99	301.58	1 022.50	0	8.99	72 184.31	2 232.04	193.44	87.10	2 512.58	74 696.89
Available for Sale												
Gross	14 981.92	0	2 451.85	2 715.14	0	2 514.09	22 663.00	993.52	0	213.18	1 206.70	23 869.70
Less: Provision for depreciation and NPI	251.66	0	1 610.46	334.21	0	876.03	3 072.36	0	0	0.01	0.01	3 072.37
Net	14 730.26	0	841.39	2 380.93	0	1 638.06	19 590.64	993.52	0	213.17	1 206.69	20 797.33
Held for Trading												
Gross	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Less: Provision for depreciation and NPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investments	85 832.17	1.01	2 753.43	3 737.64	0	2 523.08	94 847.33	3 225.56	199.57	300.31	3 725.44	98 572.77
Less: Provision for non-performing investments	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02
Less: Provision for depreciation and NPI	251.66	0	1 610.46	334.21	0	876.03	3 072.36	0	6.13	0.04	6.17	3 078.53
Net	85 580.51	0.99	1 142.97	3 403.43	0	1 647.05	91 774.95	3 225.56	193.44	300.27	3 719.27	95 494.22

आ) मूल्यह्रास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिज़र्व के प्रावधानों का संचालन (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
i) निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचालन		
ए. अथ शेष	2 913.77	2 595.87
बी. जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	325.34	962.40
सी. घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/बट्टे खाते में डालना	802.88	650.67
डी. इति शेष	2 436.23	2 907.60
निवेश में उतार-चढ़ाव रिज़र्व का संचलन		
ए. अथ शेष	100.00	0
बी. जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	290.00	100.00
सी. कम: ड्राडाउन	--	0
डी. इति शेष	390.00	100.00
iii) एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष (बुक वैल्यू)	2.00%	0.44%

इ) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री और स्थानान्तरण

चालू वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी (5% की निर्धारित सीमा से अधिक) से बिक्री: शून्य [पिछला वर्ष: शून्य]। वर्ष की शुरुआत में आरबीआइ द्वारा अनुमत श्रेणी अंतरण के अलावा एचटीएम श्रेणी में/से अंतरण : शून्य।

आरबीआइ द्वारा जारी 7 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र - वर्गीकरण मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार, बैंकों को वर्ष में एक बार एचटीएम में/से निवेश अंतरण करने की अनुमति दी जाती है, आमतौर पर लेखांकन वर्ष की शुरुआत में। उस लेखा वर्ष के शेष भाग के दौरान आगे किसी भी अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि जब आरबीआइ द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई हो।

ई) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश (राशि ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2021-22	2020-21
क	1 अप्रैल को अथ शेष	2 670.54	1 948.34
ख	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	451.42	827.14
ग	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती*	580.85	104.94
घ	31 मार्च को इति शेष	2 541.11	2 670.54
च	**धारित कुल प्रावधान****	**2 252.21**	**2 411.41**

* तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खाते सहित

**जिनमें से 31.03.2021 को 1522.06 करोड़ रुपये के मुकाबले 31.03.2022 को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों पर एमटीएम के लिए 1230.82 करोड़ रुपये हो गया।

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve (Amount in ₹ crore)

Particulars	2021-22	2020-21
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a. Opening Balance	2 913.77	2 595.87
b. Add: Provisions made during the year	325.34	962.40
c. Less: Write off/write back of excess provisions during the year	802.88	650.67
d. Closing Balance	2 436.23	2 907.60
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve		
a. Opening Balance	100.00	0
b. Add: Amount transferred during the year	290.00	100.00
c. Less: Drawdown	--	0
d. Closing balance	390.00	100.00
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category (Book value)	2.00%	0.44%

c) Sale and transfers to/from HTM category

Sale from HTM category (above the prescribed limit of 5%) during the current year: NIL [previous year: NIL]. Transfer to/from HTM Category other than the category transfer allowed by RBI at the beginning of the year: NIL.

As per Master Circular – Prudential Norms for Classification Valuation and Operation of Investment portfolio by Banks dated July 7,2015 issued by RBI, Banks are permitted to shift investments to/from HTM once in a year, normally at the beginning of the accounting year. No further shifting will be allowed during remaining part of that accounting year, except when explicitly permitted by RBI.

d) Non-SLR Investment Portfolio

i) Non-performing non-SLR investments (Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2021-22	2020-21
a)	Opening balance as on 1st April	2 670.54	1 948.34
b)	Additions during the year since 1st April	451.42	827.14
c)	Reductions during the above period*	580.85	104.94
d)	Closing balance as on 31st March	2 541.11	2 670.54
e)	**Total provisions held****	**2 252.21**	**2 411.41**

* Including Technically written off accounts

**of which Rs.1230.82 crores held towards MTM on equity shares classified as NPI as on 31.03.2022 against Rs.1522.06 crores as on 31.03.2021.

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	जारीकर्ता	राशि		निजी प्लेसमेंट की सीमा		'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूतियों की सीमा		अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा		असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		21-22	20-21	21-22	20-21	21-22	20-21	21-22	20-21	21-22	20-21
a)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	23703.05	24212.68	23621.13	24023.01	0	0	0	0	0	0
b)	वित्तीय संस्थाएँ	431.22	212.45	409.40	188.10	0	0	0	0	0	0
c)	बैंकों	1344.48	638.77	1109.12	380.33	127.24	182.98	8.75	8.75	8.75	8.75
d)	निजी कॉर्पोरेट	5188.68	6666.28	4771.98	6146.54	113.20	123.33	71.92	89.13	18.80	37.57
e)	सहायक/संयुक्त उद्यम	199.58	199.58	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	अन्य	3646.09	3225.59	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(2179.90)	(2826.87)	(1998.49)	(2582.86)	0	0	0	0	0	0
	कुल *	**32333.20**	**32328.48**	**27913.14**	**28155.12**	**240.44**	**306.31**	**80.67**	**97.88**	**27.55**	**46.32**

e) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया**	**दैनिक औसत बकाया साल के दौरान**	**31 मार्च तक बकाया**
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां क) सरकारी प्रतिभूतियां ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियांक) सरकारी प्रतिभूतियां ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii) Issuer composition of non-SLR investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		21-22	**20-21**	**21-22**	**20-21**	**21-22**	**20-21**	**21-22**	**20-21**	**21-22**	**20-21**
a)	PSUs	23703.05	24212.68	23621.13	24023.01	0	0	0	0	0	0
b)	FIs	431.22	212.45	409.40	188.10	0	0	0	0	0	0
c)	Banks	1344.48	638.77	1109.12	380.33	127.24	182.98	8.75	8.75	8.75	8.75
d)	Private Corporates	5188.68	6666.28	4771.98	6146.54	113.20	123.33	71.92	89.13	18.80	37.57
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	199.58	199.58	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	Others	3646.09	3225.59	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	Provision held towards depreciation	(2179.90)	(2826.87)	(1998.49)	(2582.86)	0	0	0	0	0	0
	Total *	32333.20	32328.48	27913.14	28155.12	240.44	306.31	80.67	97.88	27.55	46.32

e)Repo transactions (in face value terms)

(Amount in ₹ crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31
i) Securities sold under repo a) Government securities b) Corporate debt securities c) Any other securities	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Securities purchased under reverse repo a) Government securities b) Corporate debt securities c) Any other securities	Nil	Nil	Nil	Nil

4. आस्ति की गुणवत्ता

क) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक	गैर निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैर-निष्पादक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक जमा	123 273.47	2 599.76	11 973.28	1 750.15	16 323.18	139 596.66
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	[redacted]				5 030.84	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती					6 051.33	
अथशेष**	140 502.09	2 695.42	10 751.15	1 852.05	15 298.62	155 800.71
सकल एनपीए में कमी के कारण:	[redacted]					
i) उन्नयन					966.77	966.77
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					1 374.63	1 374.63
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					3 129.39	3 129.39
iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना					639.62	639.62
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक संतुलन	1 884.94	677.56	9 096.24	1 656.29	11 430.09	13 315.03
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान	[redacted]				3 604.30	3 588.67
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान उलटे/बट्टे खाते में डाले गए ऋण					3 885.05	3 686.76
धारित प्रावधानों का अथशेष	2 067.60	1 066.18	8 391.79	1 691.37	11 149.34	13 216.94

4. Asset quality

a) Classification of advances and provisions held

(Amount in ₹ crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	**Sub-standard**	**Doubtful**	**Loss**	**Total Non-Performing Advances**	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	123 273.47	2 599.76	11 973.28	1 750.15	16 323.18	139 596.66
Add: Additions during the year	[redacted]				5 030.84	
Less: Reductions during the year					6 051.33	
Closing balance**	140 502.09	2 695.42	10 751.15	1 852.05	15 298.62	155 800.71
Reductions in Gross NPAs due to:	[redacted]					
i) Upgradation					966.77	966.77
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1 374.63	1 374.63
iii) Technical/ Prudential Write-offs					3 129.39	3 129.39
iv) Write-offs other than those under (iii) above					639.62	639.62
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	1 884.94	677.56	9 096.24	1 656.29	11 430.09	13 315.03
Add: Fresh provisions made during the year	[redacted]				3 604.30	3 588.67
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					3 885.05	3 686.76
Closing balance of provisions held	2 067.60	1 066.18	8 391.79	1 691.37	11 149.34	13 216.94

निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष	[redacted]	1 922.20	2 561.53	93.86	4 577.59	[redacted]
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3 783.33	[redacted]
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	4 536.29	[redacted]
इति शेष	[redacted]	1 629.28	2 034.71	160.64	3 824.62	
अस्थायी प्रावधान	[redacted]					0
प्रारंभिक शेष						0
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरित राशि						0
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम संतुलन						0
तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष	[redacted]					31 067.47
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना						2 930.48
घटाएं: पूर्व में वर्ष के दौरान खाते तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालने से की गई वसूली						3 417.91
इति शेष						30 580.04

**मानक अग्रिम के तहत अतिरिक्त शामिल है।

अनुपात (प्रतिशत में)	**2021-22**	**2020-21**
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	9.82%	11.69%
शुद्ध एनपीए से निवल अग्रिम	2.65%	3.58%
प्रावधान कवरेज अनुपात	91.66%	90.34%

Net NPAs						
Opening Balance	[redacted]	1 922.20	2 561.53	93.86	4 577.59	[redacted]
Add: Fresh additions during the year	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3 783.33	[redacted]
Less: Reductions during the year	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	4 536.29	[redacted]
Closing Balance	[redacted]	1 629.28	2 034.71	160.64	3 824.62	
Floating Provisions	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0
Opening Balance	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0
Add: Additional provisions made during the year	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0
Less: Amount drawn down during the year	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0
Closing balance of floating provisions	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	31 067.47
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2 930.48
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3 417.91
Closing balance	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30 580.04

**Includes the addition under Standard Advances.

Ratios (in Percent)	2021-22	2020-21
Gross NPA to Gross Advances	9.82%	11.69%
Net NPA to Net Advances	2.65%	3.58%
Provision coverage ratio	91.66%	90.34%

क) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए (राशि ₹ करोड़ में) (राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र*	2021-22			2020-21		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	प्राथमिकता क्षेत्र						
a)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	38 708.88	2 905.94	7.51%	30 404.58	2 606.93	8.57%
b)	प्राथमिकता के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	14 457.03	1 763.99	12.20%	12 752.93	1 674.84	13.13%
c)	क्षेत्र उधार सेवाएं	16 874.79	1 522.12	9.02%	14 920.99	1 311.78	8.79%
d)	सेवाएं	12 439.01	778.89	6.26%	10 312.29	896.77	8.70%
	वैयक्तिक ऋण	82 479.71	6 970.94	8.45%	68 390.79	6 490.31	9.49%
	उप-योग (i)						
ii)	गैर-प्राथमिकता वाला क्षेत्र						
a)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	944.10	133.55	14.15%	6 067.54	9.10	0.15%
b)	उद्योग	25 547.71	5 322.48	20.83%	14 489.99	7 583.56	52.34%
c)	सेवाएं	10 516.78	2 358.89	22.43%	16 248.84	1 825.93	11.24%
d)	वैयक्तिक ऋण	35 037.03	512.76	1.46%	32 975.24	414.27	1.26%
	खाद्य साख	1 275.37	0.00	0.00%	1 424.26	0.00	0.00%
	उप-कुल (ii)	73 320.99	8 327.68	11.36%	71 205.87	9 832.87	13.81%
	कुल (i + ii)	155 800.70	15 298.62	9.82%	139 596.66	16 323.18	11.69%

*बैंक उपरोक्त प्रारूप में उन उप-क्षेत्रों का भी खुलासा करेंगे जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है। उदाहरण के लिए, यदि खनन उद्योग के लिए किसी बैंक का बकाया अग्रिम 'उद्योग' क्षेत्र को बकाया कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो वह इसके ब्योरे का खुलासा करेगा
'उद्योग' क्षेत्र के तहत उपरोक्त प्रारूप में अलग से खनन के लिए बकाया अग्रिम।

ग) विदेशी संपत्ति, एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
कुल संपत्ति	18,353.11	15,852.71
कुल एनपीए	1 639.12	1 519.29
कुल राजस्व	417.28	462.92

a)Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amount in crore)

Sr. No.	Sector*	2021-22			2020-21		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	**Priority Sector**						
a)	Agriculture and allied activities	38 708.88	2 905.94	7.51%	30 404.58	2 606.93	8.57%
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending Services	14 457.03	1 763.99	12.20%	12 752.93	1 674.84	13.13%
c)	Services	16 874.79	1 522.12	9.02%	14 920.99	1 311.78	8.79%
d)	Personal loans	12 439.01	778.89	6.26%	10 312.29	896.77	8.70%
	Subtotal (i)	82 479.71	6 970.94	8.45%	68 390.79	6 490.31	9.49%
ii)	**Non-priority Sector**						
a)	Agriculture and allied activities	944.10	133.55	14.15%	6 067.54	9.10	0.15%
b)	Industry	25 547.71	5 322.48	20.83%	14 489.99	7 583.56	52.34%
c)	Services	10 516.78	2 358.89	22.43%	16 248.84	1 825.93	11.24%
d)	Personal loans	35 037.03	512.76	1.46%	32 975.24	414.27	1.26%
	Food Credit	1 275.37	0.00	0.00%	1 424.26	0.00	0.00%
	Sub-total (ii)	73 320.99	8 327.68	11.36%	71 205.87	9 832.87	13.81%
	Total (I + ii)	155 800.70	15 298.62	9.82%	139 596.66	16 323.18	11.69%

*Banks shall also disclose in the format above, sub-sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances to that sector. For instance, if a bank's outstanding advances to the mining industry exceed 10 percent of the outstanding total advances to 'Industry' sector it shall disclose details of its outstanding advances to mining separately in the format above under the 'Industry' sector.

c) Overseas assets, NPAs and revenue

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total Assets	18,353.11	15,852.71
Total NPAs	1 639.12	1 519.29
Total Revenue	417.28	462.92

घ) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

i) समाधान योजना का विवरण

तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर आरबीआइ परिपत्र संख्या आरबीआइ /2018-19/2013 डीबीआर नंबर बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 - संशोधित ढांचा: (राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआइ परिपत्र से प्रभावित ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2022 को ऋण की राशि	आरबीआइ परिपत्र के तहत कवर किए गए ऋणों के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान	(घ) में से प्रावधान 31.03.2022 तक पहले ही किया जा चुका है
(अ)	(आ)	(इ)	(ई)	(उ)
1 667.76	1 667.76	1 667.76	272.41	272.41

e) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में अंतर (राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	31 मार्च, 2021 को सकल एनपीए* जैसा कि बैंक ने रिपोर्ट किया है	16,323
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2021 को सकल एनपीए	17,023
3.	सकल एनपीए में अंतरण (2-1)	700
4.	बैंक द्वारा 31 मार्च, 2021 को रिपोर्ट किए गए निवल एनपीए	4,578
5.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किया गया 31 मार्च, 2021 को शुद्ध एनपीए	5,278
6.	शुद्ध एनपीए में अंतर (5-4)	700
7.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार 31 मार्च, 2021 तक एनपीए के लिए प्रावधान	11,430
8.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 31 मार्च, 2021 को मूल्यांकन के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान	11,615
9.	प्रावधान में अंतर (8-7)	185
10	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किया गया लाभ	5,896
11.	कर के पश्चात मार्च 31,2021 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया निवल लाभ (पीएटी)	831
12.	प्रावधान में अंतर पर विचार करने के बाद 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समायोजित (सांकेतिक) कर पश्चात निवल लाभ (पीएटी)	646

***31 मार्च, 2021 संदर्भ अवधि की समाप्ति है जिसके संबंध में अंतर का मूल्यांकन किया गया था।**

च) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

दिनांक 24.09.2021 को ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर आरबीआइ के मास्टर निर्देश के तहत 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित किए गए तनावग्रस्त ऋणों का विवरण

(सभी राशि ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरित करने वालों के लिए	अन्य हस्तांतरित करने वालों के लिए
खातों की संख्या	8 खाते + 20897 अप्रतिभूतित शिक्षा ऋण एनपीए का पोर्टफोलियो + 285 एमएसएमई ऋण एनपीए का पोर्टफोलियो	शून्य	शून्य

d) Particulars of resolution plan and restructuring

i) Particulars of Resolution Plan

The RBI Circular No. RBI/2018-19/2013 DBR No. BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on resolution of stressed assets - Revised framework: (Amount in ₹ crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular	Amount of loans to be classified as NPA	Amount of Loans as on 31.03.2022, out of (b) classified as NPA	Addl. Provision required for loans covered under RBI circular	Provision out of (d) already made by 31.03.2022
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1 667.76	1 667.76	1 667.76	272.41	272.41

e) Divergence in asset classification and provisioning (Amounts in ₹ crore)

Sr.	Particulars	Amount
1.	Gross NPAs as on March 31, 2021* as reported by the bank	16,323
2.	Gross NPAs as on March 31, 2021 as assessed by Reserve Bank of India	17,023
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	700
4.	Net NPAs as on March 31, 2021 as reported by the bank	4,578
5.	Net NPAs as on March 31, 2021 as assessed by Reserve Bank of India	5,278
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	700
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2021 as reported by the bank	11,430
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2021 as assessed by Reserve Bank of India	11,615
9.	Divergence in provisioning (8-7)	185
10	Reported Profit before Provisions and Contingencies for the year ended March 31, 2021	5,896
11.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31,2021	831
12.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2021 after considering the divergence in provisioning	646

***March 31, 2021 is the close of the reference period in respect of which divergences were assessed.**

f) Disclosure of transfer of loan exposures

Details of stressed loans transferred during the year ended 31.03.2022 under RBI Master Direction on transfer of loan exposure dated 24.09.2021			
(all amounts in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No: of accounts	8 accounts + portfolio of 20897 Unsecured Education Loan NPAs + Portfolio of 285 MSME Loan NPAs	Nil	Nil

हस्तांतरित किए गए ऋणों का कुल मूलधन	1 519.70	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	5 वर्ष	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	0	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	725.605	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	0	शून्य	शून्य

वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण		
(सभी राशि ₹ करोड़ में)	एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) सहित	एआरसी से
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन बकाया	शून्य	
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया		
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि		

बैंक ने तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण 491.791 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान को लाभ और हानि खाते में वापस कर दिया है।

छ) धोखाधड़ियों खाते

अग्रिम संबंधित धोखाधड़ी:

	2021-22	2020-21
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	70	105
धोखाधड़ियों में शामिल राशि (₹ करोड़)	1 450.51	3 738.90
ऐसी धोखाधड़ियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	1 450.51	3 738.90
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	शून्य	शून्य

1. 31.03.2022 को समाप्त तिमाही के दौरान, 157.65 करोड़ रुपये की बकाया राशि (कटौतियों को छोड़कर) की अग्रिम संबंधित 14 धोखाधड़ियों की रिपोर्ट की गई और जिसके लिए बैंक के पास 100% प्रावधान है।
2. बैंक ने 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए चार तिमाहियों की अवधि के दौरान धोखाधड़ियों के प्रति देयता के लिए पूर्ण प्रावधान प्रदान करने का विकल्प चुना है।

अग्रिम संबंधित धोखाधड़ियों के अलावा:

	2021-22	2020-21
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	25	25
ऐसी धोखाधड़ियों में शामिल राशि - 31 मार्च को बकाया (₹ करोड़)	11.36	1.10
31 मार्च को बकाया राशि के लिए किए गए प्रावधान की मात्रा (₹ करोड़)	11.36	1.10
सेंधमारी/डकैती/लूट-पाट और आदि सहित शुरुआत से 31 मार्च तक संचयी प्रावधान	478.70	477.06

*बैंक ने 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए चार तिमाहियों की अवधि के दौरान धोखाधड़ियों के प्रति देयता के लिए पूर्ण प्रावधान प्रदान करने का विकल्प चुना है।

31.03.2022 को समाप्त तिमाही के दौरान, आरबीआइ को अग्रिम श्रेणी के अलावा अन्य आठ धोखाधड़ियों की सूचना मिली है, जहां संभावित नुकसान 1.29 करोड़ रुपये है और जिसके लिए बैंक के पास 100% प्रावधान है।

Aggregate principal outstanding of loans transferred	1 519.70	Nil	Nil
Weighted average residual tenor of the loans transferred	5 years	Nil	Nil
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0	Nil	Nil
Aggregate consideration	725.605	Nil	Nil
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0	Nil	Nil

Details of loans acquired during the year

(all amounts in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	
Aggregate consideration paid		
Weighted average residual tenor of loans acquired		

The Bank has reversed the amount of Rs.491.791 crore of excess provision to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans.

g) Fraud accounts

Advance related fraud:

	2021-22	2020-21
Number of frauds reported	70	105
Amount involved in fraud (₹ crore)	1 450.51	3 738.90
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	1 450.51	3 738.90
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	Nil	Nil

1. During the quarter ended 31.03.2022,14 number of advance related frauds reported, having amount outstanding (net off deductions) of Rs.157.65 crores and for which the Bank is holding 100% provision.
2. Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds for the financial year ended 31.03.2022 instead of spilling over a period of four quarters.

Other than Advance related frauds:

	2021-22	2020-21
Number of frauds reported	25	25
Amount involved in such Frauds - Outstanding as on 31st March (₹ crore)	11.36	1.10
Quantum of Provision made for the outstanding amount as on 31st March (₹ crore)	11.36	1.10
Cumulative Provision as on 31st March since beginning, including Burglary/Dacoity/Robbery and etc.	478.70	477.06

*Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds for financial year ended 31.03.2022 instead of spilling over a period of four quarters.

During the quarter ended 31.03.2022, eight frauds under other than advances category has been reported to RBI, where likely loss is Rs.1.29 crores and for which the Bank is holding 100% provision.

छ) साइबर धोखाधड़ियाँ :

विवरण	2021-22	2020-21
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	217	328
ऐसी धोखाधड़ियों में शामिल राशि - 31 मार्च को बकाया (₹ करोड़)	0.46	0.78
31 मार्च को बकाया राशि के लिए किए गए प्रावधान की मात्रा (₹ करोड़)	0.46	0.78
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों ' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	0	0

बैंक ने 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए चार तिमाहियों की अवधि के दौरान धोखाधड़ियों के प्रति देयता के लिए पूर्ण प्रावधान प्रदान करने का विकल्प चुना है।

31.03.2022 को समाप्त तिमाही के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक को डिजिटल बैंकिंग श्रेणी के तहत 35 धोखाधड़ियों की सूचना मिली है, जहां संभावित नुकसान रु.0.07 करोड़ है और जिसके लिए बैंक के पास 100% प्रावधान है।

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर- पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(ए) में से कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए हुए हैं	(ए) में से छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) में से छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - यथास्थिति इस छमाही के अंत में
वैयक्तिक ऋण	3 036.52	421.70	0	1 003.84	2 454.38
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	1 151.12	शून्य	शून्य	98.33	1 052.79
जिनमें से एमएसएमई	2 458.13	126.73	0	117.68	2 461.17
अन्य	400.43	26.56	0.00	30.66	364.76
कुल	7 046.20	574.99	0.00	1 250.51	6 333.10

*** जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित है।**

5. एक्स्पोज़र

a. स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण (रु. करोड़ में)

श्रेणी	2021-22	2020-21
अ. प्रत्यक्ष ऋण		
i) आवासीय बंधक- उधारकर्ता की उस आवासीय आस्तिपर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूति उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जायेगा ।	21,968.01	18,932.57
जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयिक्तक आवास ऋण	9,488.79	9,794.61
आ वाणिज्यिक स्थावर-संपदा-	1,577.10	2,307.52
वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उद्देशीयवाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) इसमें गैर-निधि आधारित (एनबीएफ) सीमाएं भी शामिल होंगी);		
i) प्रत्यक्ष एक्स्पोजर		
इ) स्थावर संपदा अन्य :	1,448.42	1,580.67
सीआरई के तहत न आने वाले होटलों, अस्पतालों एवं लिक्रीरेंटों		

Cyber Frauds:

Particulars	2021-22	2020-21
Number of frauds reported	217	328
Amount involved in such Frauds - Outstanding as on 31st March (₹ crore)	0.46	0.78
Quantum of Provision made for the outstanding amount as on 31st March (₹ crore)	0.46	0.78
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	0	0

Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds for financial year ended 31.03.2022 instead of spilling over a period of four quarters.

During the quarter ended 31.03.2022, 35 frauds under Digital Banking category have been reported to Reserve Bank of India, where the likely loss is Rs.0.07 crore and for which Bank is holding 100% provision.

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress(Amounts in ₹ crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of the previous half-year (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half- year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year
Personal Loans	3 036.52	421.70	0	1 003.84	2 454.38
Corporate persons*	1 151.12	NIL	NIL	98.33	1 052.79
Of which MSMEs	2 458.13	126.73	0	117.68	2 461.17
Others	400.43	26.56	0.00	30.66	364.76
Total	7 046.20	574.99	0.00	1 250.51	6 333.10

* As defines in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

5. Exposure

a. Exposure to real estate (Amounts in ₹ crore)

Category	**2021-22**	**2020-21**
i) Direct exposure		
a) Residential Mortgages –		
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented.	21,968.01	18,932.57
Out of which, Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances.	9,488.79	9,794.61
b) Commercial Real Estate –	1,577.10	2,307.52
Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure also include non-fund based (NFB) limits;	1,448.42	1,580.67
c) Real estate other: Hotels, Hospitals and Liquirent not under CRE		

ई) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर i) आवासीय ii) कॉमर्सियल स्थावर संपत्ति	0.00	0.00
ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार	3,877.23	2,400.24
स्थावर संपदा प्रवर्ग को कुल ऋण	**28,870.76**	**25,221.00**

ख. पूँजी बाजार को ऋण जोखिम (रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
i) उन ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी निधि का निवेश विशिष्टत: कार्पोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	439.30	426.57
ii) शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरो या अन्य प्रतिभूतियों पर या व्यक्तियों को शेयरों पर (आईपीओ / ईएसओपी सहित परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और ईक्विटी उन्मुख म्यूचूअल फंड की इकाईयाँ,	0.18	0.26
iii) किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडो की यूनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है	0.36	0.53
iv प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्हीं अन्य उदेश्यों के लिए प्रदत्त अग्रिम;	789.56	834.81
v) स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	0.60	0.59
vi) संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटरों के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के प्रति या निर्बन्ध आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;	0.00	0.00
vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण;	0.00	0.00
viii) शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	0.00	0.00
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	0.41	0.40
x) उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही) के प्रति सभी ऋण	121.69	98.00
xi) अन्य वित्तीय गारंटी	6.06	0.00
पूँजी बाजार को कुल उधार	**1 358.16**	**1 361.16**

d) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures – i. Residential ii. Commercial Real Estate ii) Indirect Exposure Fund based and non-fund-based exposures on National HousingBank and Housing Finance Companies.	0.00 3,877.23	0.00 2,400.24
Total Exposure to Real Estate Sector	**28,870.76**	**25,221.00**

b. Exposure to capital market (Amounts in ₹ crore)

Particulars	2021-22	2020-21
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	439.30	426.57
ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	0.18	0.26
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.36	0.53
iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	789.56	834.81
v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	0.60	0.59
vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii) Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	0.00	0.00
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	0.41	0.40
x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	121.69	98.00
xi) Other financial Guarantee	6.06	0.00
Total exposure to capital market	**1 358.16**	**1 361.16**

ग. जोखिम वर्ग वार देशीय ऋण : (रु. करोड़ में)

जोखिम वर्ग *	31.03.2022 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2022 तक धारित प्रावधान	31.03.2021 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2021 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	14 570.96	9.04	8 739.40	3.07
कम	13 624.86	5.15	7 232.65	5.01
सामान्य रूप से कम	63.73	शून्य	2 557.99	शून्य
सामान्य	238.47	शून्य	325.15	शून्य
सामान्य रूप से उच्च	757.87	शून्य	0.74	शून्य
उच्च	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उच्चतर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	29 255.89	14.19	18 855.93	8.08

*तब तक , जब तक कि बैंक आंतरिक रेटिंग व्यवस्था से आगे बढ़ते हैं , बैंक देशीय जोखिम एक्सपोज़र के वर्गीकरण करने एवं प्रावधान बनाने हेतु ईसीजीसी द्वारा अपनाए जा रहे सात श्रेणी वर्गीकरण का प्रयोग कर सकते हैं । ईसीजीसी द्वारा बैंकों को उनके देश वर्गीकरण की तिमाही अपडेट अनुरोध किए जाने पर प्रदान कर सकता है और अंतरिम अवधि के दौरान देश वर्गीकरण में अचानक हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना दे सकता है।

घ. अप्रतिभूत अग्रिम (रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	40 879.21	35 752.82
उक्त में से,अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल रकम जैसे अधिकार, लाइसेंस प्राधिकार पर किए गए प्रभार आदि	4 282.72	5 373.30
ऐसी अमूर्त संपार्श्विकों का आकलित मूल्य	4 282.72	5 373.30

ड़. फैक्टरिंग एक्सपोजर (रु. करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
फैक्टरिंग के तहत हमारे बैंक का एक्सपोजर	562.65	31.84

च. इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र

i. भारत में वित्तीय बाजारों के विकास के साथ, बैंकों ने उन संस्थाओं के माध्यम से अनुमत वित्तीय गतिविधियों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है जो पूरी तरह या आंशिक रूप से उनके स्वामित्व में हैं। परिणामस्वरूप, समूह संस्थाओं के प्रति बैंकों का एक्सपोजर बढ़ा है और आगे चलकर इसमें और वृद्धि हो सकती है। समूह संस्थाओं के साथ अपने व्यवहार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को चालू वर्ष के लिए पिछले वर्ष की तुलना के साथ निम्नलिखित प्रकटीकरण करना चाहिए: (रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	--	--
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	--	--
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र के इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का	--	--
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र पर सीमाओं का अतिक्रमण के विवरण और उन पर की गई नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	--	--

छ. आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण

भा.रि.बै. के परिपत्र भा.रि.बै./2013-14/620 एवं भा.रि.बै./2013-14/448 के अनुसार, शाखाओं से उधारकर्ता के यूएफसीई से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं और जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण वाली इकाइयों के ऋण के लिए पूँजी व अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान की गणना का समेकन किया जाता है।

बैंक ने आरबीआइ डीबीओडी.सं.बीसी.85 / 21.06.200 / 2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 बीपी.के शर्तों के अनुसार अपने घटकों को रु. 24.14 करोड़ का आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र देने का प्रावधान किया है। हालाँकि, बैंक के पास उपर्युक्त के प्रति 31.03.2022 को 24.14 करोड़ रुपये का प्रावधान है ।

c. Risk category-wise country exposure (Amounts in₹ crore)

Risk Category*	Exposure (net) as at 31.03.2022	Provision held as at 31.03.2022	Exposure (net) as at 31.03.2021	Provision held as at 31.03.2021
Insignificant	14 570.96	9.04	8 739.40	3.07
Low	13 624.86	5.15	7 232.65	5.01
Moderately Low	63.73	Nil	2 557.99	Nil
Moderate	238.47	Nil	325.15	Nil
Moderately High	757.87	Nil	0.74	Nil
High	Nil	Nil	Nil	Nil
Very High	Nil	Nil	Nil	Nil
Total	**29 255.89**	**14.19**	**18 855.93**	**8.08**

*Till such time, as banks move over to internal rating systems, banks shall use the seven-category classification followed by Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC) for the purpose of classification and making provisions for country risk exposures. ECGC shall provide to banks, on request, quarterly updates of their country classifications and shall also inform all banks in case of any sudden major changes in country classification in the interim period.

d. Unsecured advances (Amounts in ₹ crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total unsecured advances of the bank	**40 879.21**	**35 752.82**
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	4 282.72	5 373.30
Estimated value of such intangible collateral	4 282.72	5 373.30

e. Factoring exposures (Amounts in ₹ crore)

Particulars	FY 2021-22	FY 2020-21
Exposure of our Bank under Factoring	**562.65**	**31.84**

f. Intra-group exposures

i. With the developments of financial markets in India, banks have increasingly expanded their presence in permitted financial activities through entities that are owned by them fully or partly. As a result, banks' exposure to the group entities has increased and may rise further going forward. In order to ensure transparency in their dealings with group entities, banks should make the following disclosures for the current year with comparatives for the previous year: (Amounts in ₹ crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total amount of intra-group exposures	--	--
Total amount of top 20 intra-group exposures	--	--
% of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/ customers	--	--
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	--	--

g. Unhedged foreign currency exposures

As per RBI circular ref to RBI/2013-14/620 & RBI/2013-14/448, data relating to UFCE of borrowers from individual branches is obtained through online and consolidated working of the required additional provision and capital for Exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure is done at Risk Management Department.

The Bank has estimated the provision towards Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI Circular DBOD.NO.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 at Rs.24.14 crore. The Bank holds provision of Rs.24.14 crore as on 31.03.2022 against the same.

6. जमाओं, अग्रिमों, उधारों व अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

क. जमाओं का केंद्रीकरण (रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	12 636.30	10 853.40
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	4.82%	4.52%

ख. अग्रिमों का केंद्रीकरण (रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त कुल अग्रिम	18 975.92	15 543.11
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिमों का प्रतिशत	12.18%	11.13%

*अग्रिमों की गणना एक्सपोजर मानदंडों पर हमारे मास्टर परिपत्र में प्रस्तुत डेरिवेटिव सहित क्रेडिट एक्सपोजर के आधार पर की जाएगी।

ग. एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण (उधार और निवेश एक्सपोज़र) (रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	24 243.25	22 759.71
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	9.21%	9.32%

घ. अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण (रु. करोड़ में)

	2021-22	2020-21
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	3 773.70	3 890.10
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोज़र्स के एक्सपोजर का प्रतिशत	24.67%	

वित्तीय वर्ष 2021-22 में एनपीए की एकाग्रता (शीर्ष बीस खातों में तकनीकी बट्टे खाते में डाले गए खाते शामिल नहीं हैं)

क्रम संख्या	उधारकर्ता का नाम	सकल एनपीए बकाया राशि करोड़ में
1	मेसर्स एएमडब्ल्यू मोटर्स लिमिटेड	395.25
2	लैंको रिसोर्सेज इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड	360.52
3	श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड	338.23
4	रबिरुन विनिमय लिमिटेड	243.74
5	श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड	233.25
6	पायनियर गैस पावर लिमिटेड	190.95
7	गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	182.14
8	पीसी ज्वैलर लिमिटेड	181.51
9	मेसर्स जीवीके देवली कोटा एक्सप्रेस वे पी लिमिटेड	157.09
10	चेनानी नाशरी टनलवे लिमिटेड	154.53
11	जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड	154.47
12	पुंज लॉयड लिमिटेड	153.43

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPA

a. Concentration of Deposits (Amounts in ₹ crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total Deposits of twenty largest depositors	12 636.30	10 853.40
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the Bank	4.82%	4.52%

b. Concentration of advances* (Amounts in ₹ crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total Advances to the twenty largest borrowers	18 975.92	15 543.11
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	12.18%	11.13%

*Advances shall be computed based on credit exposure including derivatives furnished in our Master Circular on Exposure norms.

c. Concentration of exposures (Credit and Investment Exposure) (Amounts in ₹ crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	24 243.25	22 759.71
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	9.21%	9.32%

d. Concentration of NPAs (Amounts in ₹ crore)

	2021-22	2020-21
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	3 773.70	3 890.10
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	24.67%	

Concentration of NPAs FY 2021-22 (Top Twenty Accounts excludes Technical write off accounts)

S NO	BORROWER NAME	GROSS NPA O/S IN CRORES
1	M/S AMW MOTORS LIMITED	395.25
2	LANCO RESOURCES INTERNATIONAL PTE LTD	360.52
3	SREI EQUIPMENT FINANCE LTD	338.23
4	RABIRUN VINIMAY PVT LTD	243.74
5	SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD	233.25
6	PIONEER GAS POWER LIMITED	190.95
7	GAYATRI PROJECTS LIMITED	182.14
8	PC JEWELLER LIMITED	181.51
9	M/S GVK DEOLI KOTA EXPRESS WAY P LTD	157.09
10	CHENANI NASHRI TUNNELWAY LIMITED	154.53
11	JET AIRWAYS (INDIA) LIMITED	154.47
12	PUNJ LLOYD LIMITED	153.43

13	सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड	150.83
14	एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड	148.18
15	साई रीजेंसी पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	138.58
16	नागाई पावर प्राइवेट लिमिटेड	134.71
17	मैसर्स लुधियाना तलवंडी टोल रोड्स प्राइवेट लिमिटेड	118.80
18	एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड	118.12
19	वरही डायमंड्स एंड फाइनेंस लिमिटेड	116.29
20	नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड	103.09
	कुल	**3773.70**

7. डेरिवेटिव्स

अ. वायदा दर करार / ब्याज दर अदला –बदली (रु. करोड़ में)

विवरण		2021-22	2020-21
i)	स्वैप करारों के कल्पित मूल	शून्य	शून्य
ii)	करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होने वाली हानि		
iii)	स्वैप करने के बाद बैंक को आवश्यक अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति		
iv)	स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम पर केंद्रीकरण		
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य @		

नोट: स्वैप की प्रकृति और शर्तें, जिसमें क्रेडिट और बाजार जोखिम की जानकारी और स्वैप रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखा नीतियां शामिल हैं, का भी खुलासा किया जाएगा।

$ संकेन्द्रण के उदाहरण विशेष उद्योगों के लिए एक्सपोजर या अत्यधिक गियर वाली कंपनियों के साथ स्वैप कर सकते हैं।

@ यदि स्वैप विशिष्ट परिसंपत्तियों, देनदारियों, या प्रतिबद्धताओं से जुड़े हैं, तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो बैंक को प्राप्त होगी या तुलन पत्र की तारीख के अनुसार स्वैप समझौतों को समाप्त करने के लिए भुगतान करेगी। एक ट्रेडिंग स्वैप के लिए उचित मूल्य इसका मार्क टू मार्केट वैल्यू होगा।

आ. विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स (रु. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2021-22	2020-21
(i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल रकम लिखतवार	शून्य	शून्य
(ii)	31 मार्च तक विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल रकम लिखतवार	शून्य	शून्य
(iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल रकम और जो "ज्यादा प्रभावी " नहीं लिखतवार	शून्य	शून्य
(iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल रकम जो "ज्यादा प्रभावी " नहीं लिखतवार	शून्य	शून्य

13	SUZLON ENERGY LIMITED	150.83
14	ESSAR POWER GUJARAT LTD	148.18
15	SAI REGENCY POWER CORPORATION PRIVATE LIMITED	138.58
16	NAGAI POWER PRIVATE LIMITED	134.71
17	M/S LUDHIANA TALWANDI TOLL ROADS PVT LTD	118.80
18	SEL TEXTILES LIMITED	118.12
19	VARAHI DIAMONDS & FINANCE LTD	116.29
20	NAGARJUNA FERTILIZER AND CHEMICALS LTD	103.09
	TOTAL	**3773.70**

7. Derivatives

a. Forward rate agreement/Interest rate swap (Amounts in ₹ crore)

Particulars		2021-22	2020-21
i)	The notional principal of swap agreements	Nil	Nil
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements		
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps		
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps$		
v)	The fair value of the swap book@		

Note: Nature and terms of the swaps including information on credit and market risk and the accounting policies adopted for recording the swaps shall also be disclosed.

$ Examples of concentration could exposures to particular industries or swaps with highly geared companies.

@ If the swaps are linked to specific assets, liabilities, or commitments, the fair value would be the estimated amount that the bank would receive or pay to terminate the swap agreements as on the balance sheet date. For a trading swap the fair value would be its mark to market value.

b. Exchange traded interest rate derivatives (Amounts in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2021-22	2020-21
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	Nil	Nil
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March …..(instrument wise)	Nil	Nil
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	Nil	Nil
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	Nil	Nil

इ. डेरिवेटिव्स में जोखिम ऋण पर प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

ट्रेज़री (विदेशी)

बैंक,बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) मुद्रा स्वैप व सुरक्षा उद्देश्य उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करता है। इस तरह के लेनदेन ग्राहकों व बैंक के साथ ही किए जाते हैं जिनके करार विद्यमान हैं।

अ) विदेशी उधार/एफ़सीएनआर(बी) पोर्टफोलियो/ आस्ति देयता के असंतुलन के कारण ब्याज/ विनिमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी शाखाओं आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमति देती हैं ।

आ) डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं प्रतिभूति समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है।

इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुड़े जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव लेनदेन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा के अंदर डेरिवेटिव्स लेन-देन सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए।

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति का निरंतर प्रबोधन किया जाता है।

उ) बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है।

ऊ) डेरिवेटिव्स का प्रयोग बैंक के तुलन पत्र के एक्सपोज़र को रक्षित करने हेतु किया जाता है ।

ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में लिया गया है।तुलन पत्र हेतु किए गए स्वैप के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय अदला बदली की शेष संविदात्मक अवधि आयु या आस्तियों/देयताओं की अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। ग्राहकों के लिए बैक टू बैक आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र समापन के संबंध में प्राप्त होने वाली आय की पहचान समापन के आधार पर की जाएगी।

ए) सभी प्रतिरक्षा लेन देन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं। बकाए संविदाओं का मूल्यांकन बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया। बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेन देन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है ।

ऐ) डेरिवेटिव्स लेन देन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं ।

डेरिवेटिव से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियां भी शामिल करने के लिए डेरिवेटिव्स का उपयोग किया जाता है, उस सीमा तक विशेष संदर्भ के साथ संबंधित जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्यों की सेवा की जाती है ।

अ. डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन;

आ. जोखिम माप, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणाली का दायरा और प्रकृति;

इ. रक्षणों / परिसमापनों की निरंतर तथा प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियों और प्रक्रियाओं से जोखिम को कम करना और / या कम करने के लिए नीतियां बनना; तथा

ई. बचाव और गैर बचाव के लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय,प्रीमियम और छूट की मान्यता; उत्कृष्ट अनुबंध का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और क्रेडिट जोखिम शमन ।

ट्रेजरी (देशीय)

बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा हेतु और अधीनस्थ ऋणों और सावधि जमाओं की लागत कम करने के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप(आइआरएस) का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ट्रेडिंग के लिए बैंक रुपया ब्याज दर स्वैप को अपनाता है।स्वैप लेन देन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते हैं जिनके पास आइएसडीए करार मौजूद है।

क) बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त ढांचा और संगठन उपलब्ध है जिसमें ट्रेजरी विभाग , बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है ।

ख) व्युत्पन्न लेनदेन में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन के कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न) तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेनदेन निष्पादित करने हेतु या निधियों की जरूरत की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न), परिचालनगत

c. Disclosures on risk exposure in derivatives

i) Qalitative disclosures

Treasury (Foreign)

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

a) The Risk Management Policy of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest/Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/FCNR(B) portfolio/the asset liability mis-match, for funding overseas branches etc.

b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposure separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.

c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with the Banks and counterparties well within their respective exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.

e) The Bank has a system of continuous monitoring appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.

f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance sheet exposures.

g) The income from such derivatives are amortized and taken to profit and loss account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet Management, income on account of such gains would be recognized over the remaining contractual life of the swap or life of the assets/liabilities whichever is lower.

h) All the hedge transactions are accounted on accrual basis.Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis.The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.

i) The derivative transactions are conducted in accordance with the extant guidelines of Reserve Bank of India.

Bank shall discuss their Risk Management policies pertaining to derivatives with particular reference to the extent to which derivatives are used, the associated risks and business purposes served. Also to include:

a) The structure and organization for management of risk in derivatives trading;

b) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems;

c) Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants; and

d) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation.

Treasury (Domestic)

The Bank uses Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Government Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt. In addition, the bank also enters into rupee interest rate swaps for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

a) The bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk, which includes Treasury Department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), Credit risk (arising from probable counter party failure), Liquidity risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction

जोखिम, विनियामक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है। बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियां स्थापित कर रखी हैं और व्युत्पन्न लेन देनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है । आइ आर एस लेन देन केवल बैंकों के साथ प्रतिपक्ष के रूप में किए जाते हैं और हर पक्ष के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अंदर होते हैं ।

ग) बैंक व्युत्पन्न का प्रयोग प्रतिरक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए करता है । बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएं नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है। केवल दोतरफा आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपक्वता ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नहीं किया है ।

घ) व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ(नीति संख्या 6) में प्रकट किए अनुसार तैयार की गयी है ।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्रम.सं.	विवरण	2021-22		2020-21	
		मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
अ	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल रकम)				
	क) प्रतिरक्षा के लिए	1093.13	शून्य	1093.13	शून्य
	ख) व्यापार के लिए	0.00		0.00	
आ	बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति				
	क) आस्तियाँ (+)	0.00		0.00	
	ख) देयताएँ (-)	194.53		171.03	
इ	ऋण एक्स्पोज़ र	21.86		109.31	
ई	ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन (100*पीवी01)				
	क) प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर	8.96		23.75	
	ख) व्यापार डेरिवेटिव्स पर	0.00		0.00	
उ	वर्ष के दौरान देखे गए 100* पीवी01 का न्यूनतम और अधिकतम				
	क} प्रतिरक्षा पर	(क) अधिकतम :24.06 न्यूनतम:8.96		(क) अधिकतम: 36.11 न्यूनतम:21.48	
	खा) व्यापार के लिए	(ख) अधिकतम : 0.00 न्यूनतम: 0.00		(ख)अधिकतम: 0.00 न्यूनतम: 0.00	

ए. प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव के लिए, जैसा भी मामला हो, शुद्ध स्थिति या तो परिआस्तिया देयता के तहत दिखाई जाएगी।

बी. भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार बैंक डेरिवेटिव उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोजर के मापन पर वर्तमान एक्सपोजर विधि अपना सकते हैं।

d. उधार न्यूनता विनिमय

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

लेखा पर वार्षिक टिप्पणियों में, प्रवर्तकों को विशेष प्रयोजन संस्थाओं (एसपीई) की पुस्तकों के अनुसार प्रतिभूतीकृत आस्तियों की बकाया राशि और एमआरआर का अनुपालन करने के लिए तुलन पत्र की तारीख के अनुसार प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि का संकेत देना चाहिए।

at a reasonable price), Operational risk, Regulatory risk and Reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of Bank for each counter party.

c) Derivatives are used by the bank for trading and hedging. The bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.

d) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, as disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies (Policy No.6).

ii) Quantitative disclosures (Amounts in ₹ crore)

SNo		2021-22		2020-21	
		Currency Derivatives	**Interest rate derivatives**	**Currency Derivatives**	**Interest rate derivatives**
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	i) For hedging	1093.13	Nil	1093.13	Nil
	ii) For trading	0.00		0.00	
b)	Marked to Market Positions				
	i) Asset (+)	0.00		0.00	
	ii) Liability (-)	194.53		171.03	
c)	Credit Exposure	21.86		109.31	
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	i) on hedging derivatives	8.96		23.75	
	ii) on trading derivatives	0.00		0.00	
e)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	i) on hedging	a) Max:24.06 Min:8.96		a) Max:36.11 Min:21.48	
	ii) on trading	b) Max:0.00 Min:0.00		b) Max:0.00 Min:0.00	

a. The net position shall be shown either under asset or liability, as the case may be, for each type of derivatives.

b. Banks may adopt the Current Exposure Method on Measurement of Credit Exposure of Derivative Products as per extant Reserve Bank of India instructions.

d. Credit default swaps

Credit Default Swaps – Nil (previous year – Nil)

8. Disclosures relating to securitization

In the annual Notes to Account, the originators should indicate the outstanding amount of securitised assets as per books of the Special Purpose Entities (SPEs) and total amount of exposures retained by the originator as on the date of balance sheet

ये आंकड़े एसपीई से प्रवर्तक द्वारा प्राप्त एसपीई के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित जानकारी पर आधारित होने चाहिए। ये प्रकटीकरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए प्रारूप में किए जाने चाहिए।

(संख्या/राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 31 (वर्तमान वर्ष)	मार्च 31 (विगत वर्ष)
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए आस्तिरखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट की जाएगी)	शून्य	शून्य
2.	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूत आस्तिकी कुल राशि	शून्य	शून्य
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रक्षित किए गए एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
	क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
	ख) तुलनपत्र पर एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य		
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि	शून्य	शून्य
	क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर i) स्वयं की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
	ख) तुलन पत्र के अनुसार एक्सपोजर i) स्वयं की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
5.	प्रतिभूत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य
6.	लिक्विडिटी सपोर्ट, पोस्ट-सिक्योरिटाइजेशन एसेट सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रारूप और मात्रा (बकाया मूल्य)।	शून्य	शून्य
7.	प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन । कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। (ए) भुगतान की गई राशि (बी) पुनर्भुगतान प्राप्ति (सी) बकाया राशि	शून्य	शून्य
8.	पूर्व में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत डिफ़ॉल्ट दर । कृपया प्रत्येक परिआस्तिवर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।	शून्य	शून्य (विगत 5 वर्षों का औसतन डिफ़ाल्ट दर प्रदान करें)
9.	समान अंतर्निहित परिआस्तिपर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिआस्तिवर्ग सीएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें ।	शून्य	शून्य

to comply with the MRR. These figures should be based on the information duly certified by the SPE's auditors obtained by the originator from the SPE. These disclosures should be made in the format given in the table below.

(Number/ Amounts in ₹ crore)

Sl. No.	Particulars	Mar 31 (Current Year)	Mar 31 (Previous Year)
1.	No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	Nil	Nil
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	Nil	Nil
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	Nil	Nil
	a) Off-balance sheet exposures • First loss • Others	Nil	Nil
	b) On-balance sheet exposures • First loss • Others		
4.	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	Nil	Nil
	a) Off-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	Nil	Nil
	b) On-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	Nil	Nil
5.	Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	Nil	Nil
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	Nil	Nil
7.	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. a) Amount paid b) Repayment received c) Outstanding amount	Nil	Nil
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.	Nil	Nil (may mention average default rate of previous 5 years)
9.	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	Nil	Nil

10.	निवेशकों की शिकायतें (ए) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (बी) बकाया शिकायतें	शून्य	शून्य

9. तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिसका समेकन किया जाना आवश्यक हो)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	**विदेशी**
--	--

10. जमाकर्ता शैक्षिक एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईएएफ निधि) (रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	1 372.16	1 167.05
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	240.69	230.56
घटाएँ : दावे की ओर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	17.65	25.45
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंतिम शेष	1 595.20	1 372.16

11. शिकायतों का प्रकटीकरण:

1. **ग्राहकों एवं लोकपाल के कार्यालय से बैंक को प्राप्त शिकायतों पर सार सूचना**

क्रम सं		विवरण	2021-22	2020-21
बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायत				
1		वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	2 026	3 272
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	169 599	151 084
3		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	168 775	152 330
	3.1	जिसमें, बैंक द्वारा खारिज किए गए शिकायतों की संख्या	1 667	731
4		वर्ष के समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	2 850	2 026
बैंक को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त निपटाई जा सकने वाली शिकायतें				
5		बैंक को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त शिकायतों की संख्या निपटाई जा सकने वाली	1 516	2 379
	5.1	संख्या 5 में से लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	1 488	2 298
	5.2	5 के, बीओ द्वारा समाधान / मध्यस्थता / जारी सलाहकार के माध्यम से सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	28	78
	5.3	5 के, बैंक के प्रति बीओ द्वारा अवार्ड पारित करने के बाद निपटाई गई शिकायतों की संख्या	0	3
6		निर्धारित समय के भीतर अवार्ड कार्यान्वित न करने की सख्या (जिनकी अपील की गई है, उसे छोड़कर)	0	0

आ. ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के पाँच शीर्ष आधार

शिकायतों का आधार (यथा संबन्धित शिकायत)	वर्ष के शुरुआत से लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी / कमी की %	वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	5 के, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6

10.	Investor complaints a) Directly/Indirectly received and; b) Complaints outstanding	Nil	Nil

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
--	--

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund) (Amounts in ₹ crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Opening Balance of Amounts transferred to DEAF	1 372.16	1 167.05
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	240.69	230.56
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	17.65	25.45
Closing Balance of Amounts transferred to DEAF	1 595.20	1 372.16

11. Disclosure of complaints

a. Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

S.No.		Particulars	2021-22	2020-21
Complaints received by the Bank from its customers				
1		Number of complaints pending at beginning of the year	2 026	3 272
2		Number of complaints received during the year	169 599	151 084
3		Number of complaints disposed during the year	168 775	152 330
	3.1	Of which, number of complaints rejected by the Bank	1 667	731
4		Number of complaints Pending at the end of the year	2 850	2 026
Maintainable complaints received by the Bank from OFFICE OF OMBUDSMAN				
5		Number of Maintainable complaints received by the Bank from Office Of Ombudsman	1 516	2 379
	5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the Bank by Office Of Ombudsman	1 488	2 298
	5.2	Of 5, Number of complaints resolved through conciliation/ mediation/advisories issued by Office Of Ombudsman	28	78
	5.3	Of 5, Number of complaints resolved after passing of Awards by Office Of Ombudsman against the Bank	0	3
6		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

b. Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of Complaints, (i.e. Complaints relating to	Number of complaints pending at the beginning of the year	number of complaints received during the year	%Increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6

चालू वर्ष (वि.वर्ष 2021-22)					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रानिक बैंकिंग	226	84 147	(+)11.58	1 006	
एटीएम / डेबिट कार्ड	1 119	72 501	(+)17.93	1 134	
क्रेडिट कार्ड	24	2 206	(-)33.09	307	
ऋण और अग्रिम	74	1 545	(+)13.35	112	
चेक / ड्राफ्ट / बिल	7	1 488	(+)380	7	
अन्य	576	7 712	(-)16.38	284	
कुल	**2 026**	**169 599**		**2 850**	
पिछला वर्ष (वि.वर्ष 2020-21)					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रानिक बैंकिंग	718	75 413	(+)196.58	226	
एटीएम / डेबिट कार्ड	1 906	61 478	(-)112.15	1 119	
क्रेडिट कार्ड	85	3 297	(+)7.08	24	
ऋण और अग्रिम	16	1 363	(-)14.38	74	
चेक / ड्राफ्ट / बिल	8	310	(+)79.19	7	
अन्य	539	9 223	(+)51.74	576	
कुल	**3 272**	**151 084**		**2 026**	

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

विवरण	2021-22	2020-21
आरबीआइ द्वारा लगाए गए दंड	--	--
सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगाए गए दंड	--	--
अन्य दंड	--	--

13. पारिश्रमिक प्रकटीकरण

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2021-22)	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2020-21)
1.	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	34,71,378.00	23,31,943.12
2.	श्री कर्नम शेखर	पूर्व प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	--	8,06,196.00**
3.	श्री. अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	32,65,002.00	29,23,332.00
4.	सुश्री एस. श्रीमती	कार्यपालक निदेशक	29,45,576.33	2,09,749.42**

*पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, निष्पादन लागत प्रोत्साहन राशि, छुट्टी नकदीकरण बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं ।

**वर्ष का भाग

14. अन्य प्रकटीकरण

अ. कारोबार अनुपात

विवरण	2021-22	2020-21
i) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय	2.17%	6.17%
ii) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	1.69%	2.02%
iii) जमा लागत	4.22%	4.70%

Current Year (FY 2021-22)					
Internet/Mobile/Electronic Banking	226	84 147	(+)11.58	1 006	
ATM/Debit cards	1 119	72 501	(+)17.93	1 134	
Credit Cards	24	2 206	(-)33.09	307	
Loans and advances	74	1 545	(+)13.35	112	
Cheques/Draft/bills	7	1 488	(+)380	7	
others	576	7 712	(-)16.38	284	
Total	**2 026**	**169 599**		**2 850**	
Previous Year (FY 2020-21)					
Internet/Mobile/Electronic Banking	718	75 413	(+)196.58	226	
ATM/Debit cards	1 906	61 478	(-)112.15	1 119	
Credit Cards	85	3 297	(+)7.08	24	
Loans and advances	16	1 363	(-)14.38	74	
Cheques/Draft/bills	8	310	(+)79.19	7	
others	539	9 223	(+)51.74	576	
Total	**3 272**	**151 084**		**2 026**	

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

Particulars	2021-22	2020-21
Penalties imposed by RBI	--	--
Penalties imposed by SEBI / stock exchanges	--	--
Other Penalties	--	--

13. Disclosure on remuneration

Sl. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (Rs.) (2021-22)	Remuneration* Amount (Rs.) (2020-21)
1.	Shri Partha Pratim Sengupta	Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO)	34,71,378.00	23,31,943.12
2.	Shri Karnam Sekar	Ex- MD & CEO	--	8,06,196.00**
3.	Shri Ajay Kumar Srivastava	Executive Director	32,65,002.00	29,23,332.00
4.	Ms. S Srimathy	Executive Director	29,45,576.33	2,09,749.42**

* Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

**Part of the year

14. Other Disclosures

a. Business ratios

Particulars	2021-22	2020-21
i) Interest Income as a percentage to Working Funds	2.17%	6.17%
ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.69%	2.02%
iii) Cost of Deposits	4.22%	4.70%

iv) निवल ब्याज मार्जिन	2.41%	2.39%
v) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	1.98%	2.14%
vi) आस्तियों से लाभ	0.59%	0.31%
vii) कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) प्रति कर्मचारी (रु. करोडों में)	18.69	16.12
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ों में)	0.08	0.0353

आ. बैंक बीमा कारोबार

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप *	2021-22	2020-21
(a)	जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	2.14	2.13
(b)	गैर जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	22.91	23.91
(c)	म्युचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	0.47	0.29
(d)	अन्य **(स्पष्ट करें)**	शून्य	**--**
	कुल	**25.52**	**26.33**

***बैंक द्वारा किए गए बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक।**

ग. विपणन और वितरण - शून्य

घ. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2021-22		2020-21	
		खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री
1	पीएसएलसी कृषि	--	--	--	--
2	पीएसएलसी - एसएफ़/ एमएफ़	--	3100.00	--	4000.00
3	पीएसएलसी - अतिलघु उद्यम	--	--	--	--
4	पीएसएलसी सामान्य	--	1758.50	--	2027.50

ड़. प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
निवेश / बट्टे खाते में डाली गयी राशि पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	249.25	-164.99
अनर्जक बंद खाते में जाते गयी राशि आस्ति के लिए प्रावधान	3401.01	3 942.66
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	187.66	881.44
कोविड 19 मानक अग्रिम हेतु आकस्मिक प्रावधान	--	--
पुनर्गठित खातों के लिए प्रावधान	4.18	-3.45
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर व आस्तिकर सहित)	69.52	8.24
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएँ	141.75	400.43
कुल	**4 053.37**	**5 064.33**

च. आइएफ़आरएस अभिरूपित भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस)

- फरवरी 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक संचालन समिति की स्थापना की है जिसमें चार (4) महाप्रबंधकों से मिलकर एक कार्य समूह शामिल है जो आइएनडी-एएस की प्रगति की निगरानी करता है।
- बैंक ने इंड-एएस के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यात्मक विभागों से लिए गए 10 सदस्यों और 7 सदस्यों की ईसीएल टीम की एक कोर टीम भी बनाई है।

iv)	Net Interest Margin	2.41%	2.39%
v)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.98%	2.14%
vi)	Return on Assets	0.59%	0.31%
vii)	Business (deposits plus advances) per employee (in ₹ crore)	18.69	16.12
viii)	Profit per employee (in ₹ crore)	0.08	0.0353

b. Bancassurance business (Amounts in ₹crore)

S. No.	Nature of income*	2021-22	2020-21
(a)	For selling Life Insurance Policies	2.14	2.13
(b)	For selling Non Life Insurance Policies	22.91	23.91
(c)	For Selling Mutual Fund products	0.47	0.29
(d)	Others (specify)	Nil	--
	Total	**25.52**	**26.33**

***Fees/Remuneration received in respect of the Bancassurance Business undertaken by the Bank.**

c. Marketing and distribution - NIL

d. Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) (Amounts in ₹crore)

S. No.	Particulars	2021-22		2020-21	
		Purchase	Sales	Purchase	Sales
1	PSLC - Agriculture	--	--	--	--
2	PSLC - SF/MF	--	3100.00	--	4000.00
3	PSLC - Micro Enterprises	--	--	--	--
4	PSLC - General	--	1758.50	--	2027.50

e. Provisions and contingencies (Amounts in ₹crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Provisions for depreciation on Investment / Written back	249.25	-164.99
Provision towards NPA	3401.01	3 942.66
Provision towards Standard Assets	187.66	881.44
Contingent Provision for Standard Adv Covid 19	--	--
Provision for Restructured accounts	4.18	-3.45
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax & Wealth Tax)	69.52	8.24
Other Provision and Contingencies	141.75	400.43
Total	**4 053.37**	**5 064.33**

f. Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

- In line with the guidance issued by the Reserve Bank of India in February 2016, the Bank has set up a Steering Committee headed by the Executive Director along with a Working Group consisting of four (4) General Managers which monitors the progress of Ind-AS implementation.
- Bank has also formed a core team of 10 members and ECL team of 7 members drawn from various functional departments for taking forward for implementation of Ind AS.

- 2016-17 में बैंक ने इंड-एएस के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है और सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों, राजस्व और व्यय मदों के साथ-साथ ट्रेजरी पोर्टफोलियो का जीएपी विश्लेषण किया है ।
- बैंक ने विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों से जुड़े अधिकारियों के साथ-साथ अधिकारियों को अखिल भारतीय प्रशिक्षण दिया है।
- जीएपी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर, बैंक ने इंड-एएस अनुपालन वित्तीय उत्पन्न करने के लिए मौजूदा प्रणाली में अनुकूलन आवश्यकता की पहचान की है जिसमें स्टाफ अग्रिमों का उचित मूल्यांकन, स्टाफ जमा, परिशोधन लागत के तहत वर्गीकृत ऋणों के लिए प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की गणना, अपेक्षित क्रेडिट शामिल हैं। प्रारंभिक चरण में नियुक्त सलाहकार की सहायता से हानि (ईसीएल) मॉडल विकास जिसमें चूक की संभावना (पीडी), डिफ़ॉल्ट रूप से हानि (एलजीडी) डिफ़ॉल्ट पर एक्सपोजर (ईएडी) आदि शामिल हैं।
- प्रोफार्मा वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार आरबीआइ को प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

छ. डीआइसीजीसी को किस्त का भुगतान

(राशि करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	2021-22	2020-21
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	333.64	308.25
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

ज. बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण परिशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी देनदारियों और व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

1. **पेंशन:**

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार सरकारी दिशानिर्देशों के कारण पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता रु425,85,83,225 ./- है।

आरबीआइ परिपत्र आरबीआइ / 2021-22/ 105/ डीओआर. एसीसी. आरईसी. 57/ 21.04.018/ 2021-22 दिनांक 04.10.2021 के अनुसार बैंकों को पांच साल की अवधि में कुल देनदारियों का परिशोधन करने की अनुमति है। बैंक ने आरबीआइ के उक्त प्रावधान को चुना है और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूनतम राशि रु.85,17,16,645/- का शुल्क लिया है।

340,68,66,580/- के असंशोधित शेष व्यय को समायोजित किया है।

अगर बैंक ने लाभ और हानि खाते में पूरी अतिरिक्त देनदारी का आरोप लगाया होता, तो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ 340.69 करोड़ रुपये कम होता।

2. **ग्रेच्युटी:**

31.03.2022 को परिशोधित ग्रेच्युटी देयता शून्य है।

15. कोलंबो शाखा, श्रीलंका के निवेश एक्सपोजर से संबंधित प्रकटीकरण

अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार के कारण श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका में वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के कारण, जो कि चालू कैलेंडर वर्ष में हुआ है, लंकाई रुपया ने यूएसडी और आईएनआर सहित सभी प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्यह्रास किया है।

फरवरी 2022 से मई 2022 के दौरान श्रीलंका में टी बिलों पर आय लगभग 8.5% से बढ़कर 24% हो गई है।

हमारी कोलंबो शाखा के पास श्रीलंका सरकार की ओर से जारी किए गए सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (सीबीएसएल) के टी-बिल/बांड हैं, जिनकी राशि एलकेआर 753 करोड़ (रूपये 191 करोड़) है। अब तक उनके द्वारा परिपक्व टी-बिलों/बांडों का भुगतान संबंधित देय तिथियों पर तत्काल किया गया है । टी-बिलों/बांडों में निवेश में से, शाखा को एसएलआर के प्रयोजन के लिए अपने एनडीटीएल के 20% होने के नाते न्यूनतम एलकेआर 341 करोड़ (₹86 करोड़) रखना होगा। चूंकि इन दायित्वों को लंकाई रुपये में मूल्यवर्गित किया गया है और ऋण प्रकृति में घरेलू है, वर्तमान में हम किसी भी चूक की परिकल्पना नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, ये टी-बिल/बांड अल्पकालिक प्रकृति के हैं और चरणबद्ध तरीके से अंतिम रूप से 01.07.2022 को परिपक्व हो रहे हैं ।

16. चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

बैंकों को वर्ष के दौरान उनके द्वारा जारी किए गए सभी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसी) का पूरा ब्योरा देना चाहिए, जिसमें उनके मूल्यांकन किए गए वित्तीय प्रभाव, साथ ही उनके द्वारा पूर्व में जारी एलओसी के तहत उनके द्वारा जारी किए गए संचयी वित्तीय दायित्व और बकाया के वित्तीय विवरण, 'नोट्स टू अकाउंट्स' के भाग के रूप में इसके प्रकाशित किया गया है ।

वित्त वर्ष 2021-22 हेतु विवरण

वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	-	शून्य
31.3.2022 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	-	3

- In 2016-17, Bank has engaged a Consultant for Ind AS and carried out GAP Analysis of all the assets and liabilities, revenue and expenditure items as well as treasury portfolio.
- Bank has undertaken Pan India training to Executives as well as Officials attached to various Administrative Offices.
- Based on the GAP Analysis report, Bank has identified customization requirement in existing system for generating Ind AS compliant financials which includes fair valuation of staff advances, staff deposits,computation of Effective Interest Rate (EIR) for loans classified under Amortized cost, Expected Credit Loss(ECL) model development involving Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) Exposure at Default (EAD)etc with the help of consultant appointed in the initial stage.
- Proforma financials Statements are being submitted to RBI according to the time lines stipulated by RBI.

g. Payment of DICGC Insurance Premium (Amounts in ₹crore)

Sr. No.	Particulars	2021-22	2020-21
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	333.64	308.25
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	Nil	Nil

h. Disclosure on unamortised Pension and Gratuity Liabilities and amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of Banks

1. Pension:

The additional liability on account of enhancement in family pension on account of Government guidelines, works out of Rs.425,85,83,225/- as per the Acturial Valuation.

As per RBI Circular RBI/2021-22/105/DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 04.10.2021 banks are permitted to amortise the total liabilities over the period of five years. The Bank has opted the said provision of RBI and has charged minimum amount of Rs.85,17,16,645/- for the year ended 31 March 2022.

The Balance unamortised expense of Rs.340,68,66,580/- has been carried forward.

Had the bank charged the entire additional liability to the profit and loss account, the net profit for the year ended March 31, 2022 would have been lower by Rs.340.69 Crores.

2. Gratuity:

Unamortised gratuity liabilities as on 31.03.2022 **is NIL.**

15. Disclosure relating to Investment Exposure of Colombo Branch, Sri Lanka

Sri Lanka is going through an economic crisis due to insufficient foreign exchange reserves. Due to the present economic and political situation in Sri Lanka, which has taken place in the current calendar year, Lankan Rupee has depreciated vis-a-vis all major currencies including USD and INR.

The yield on T Bills in Sri Lanka have increased from about 8.5% to 24% during Feb 2022 to May 2022.

Our Colombo Branch is holding T-Bills/Bonds of Central Bank of Sri Lanka (CBSL) issued on behalf of Govt. of Sri Lanka amounting to LKR 753 crore (INR 191 crore). So far the matured T-Bills/bonds have been paid by them promptly on the respective due dates. Out of investment in T-Bills/bonds, the Branch has to hold minimum of LKR 341 core (INR 86 crore) being 20% of their NDTL for the purpose of SLR. As these obligations are denominated in Lankan Rupee and the debt is domestic in nature, presently we are not envisaging any default. Further, these T-Bills/bonds are short term in nature and are maturing in a phased manner last being, on 01.07.2022.

16. Letters of Comfort (LoC)

Banks should disclose the full particulars of all the Letters of Comfort (LoCs) issued by them during the year, including their assessed financial impact, as also their assessed cumulative financial obligations under the LoCs issued by them in the past and outstanding, in its published financial statements, as part of the 'Notes to Accounts".

Particulars for FY 2021-22

Letters of Comfort issued during the year	-	Nil
Letters of Comfort outstanding as on 31.3.2022	-	3

Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31,2022:

31 मार्च, 2022 तक एलओसी के बकाया की संचयी स्थिति:

1. वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने आरबीआइ से अनुमोदन के अधीन, सीआरएआर को न्यूनतम 12% तक बहाल करने के लिए बैंकॉक शाखा के संबंध में 12% का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखने और प्रतिधारित आय को पूंजीगत निधियों में परिवर्तित करने और/या अतिरिक्त पूंजी डालने की व्यवस्था करने के लिए एक लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किया है। 31.03.2022 को बैंकॉक शाखा की नियत पूंजी टीएचबी 1798.89 मियो और सीआरएआर 23.57% है।

   शाखा के पूरे टेक्सटाइल एक्सपोजर के सबसे खराब स्थिति में एनपीए होने की स्थिति में हमें मानक कपड़ा अनारक्षितियों के असुरक्षित हिस्से हेतु टीबीएच 91.70 मिओ की सीमा तक का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ सकता है। यदि यह आकस्मिकता उत्पन्न होती है, तो कोई अतिरिक्त पूंजी प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मौजूदा भंडार अनारक्षित राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं।

2. 2010-11 के दौरान बैंक नेगारा मलेशिया को संयुक्त उद्यम बैंक-इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद (आईआईबीएमबी) में हमारे बैंक की 35% हिस्सेदारी तक एलओसी जारी किया गया था। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, आईआईबीएमबी की जमाराशियां 152.14 करोड़ रुपये हैं और अन्य देनदारियां 3.94 करोड़ रुपये (यानी कुल देनदारी 156.08 करोड़ रुपये) हैं। 31.03.2022 को आईआईबीएमबी की कुल आस्ति582.84 करोड़ रुपये है। चूंकि आईआईबीएमबी का वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर है, इसलिए 31 मार्च 2022 का आंकड़ा अलेखापरीक्षित विवरणों से लिया गया है।

3. मेजबान देश नियामक के दिशानिर्देशों के आधार पर, 2019-2020 के दौरान, बैंक ने आइओबी-श्रीलंका शाखा द्वारा किए गए व्यवसाय से उत्पन्न सभी दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने के लिए सीबीएसएल के पक्ष में लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया है।

17. आरबीआइ परिपत्र संख्या डीबीआर. सं. बीपी. बीसी. 18/ 21.04.048/ 2018-19 दिनांक 01.01.2019, डीओआर. सं. बीपी. बीसी. 34/ 21.04.048/ 2019-20 दिनांक 11.02.2020 एवं डीओआर. सं. बीपी. बीसी/ 4/ 21.04.048/ 2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार "वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत छूट प्राप्त या पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत" पर, एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण 01.04.2019 से 31.03.2022 निम्नानुसार हैं:

खातों की संख्या	31 मार्च 2022 तक कुल एक्सपोजर (करोड़ रुपए में)
10403	553.25

18. वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधानों की राशि: (करोड़ रुपये में)

विवरण	2021-22	2020-21
आयकर के लिए प्रावधान	31.71	23.24
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	37.81	-15.00
निवल प्रावधान	69.52	08.24

1. During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LoC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12%, subject to approval from RBI. The assigned capital of Bangkok Branch stands at THB 1798.89 Mio and CRAR is 23.57% as on 31.03.2022.

   In the worst case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA. We may have to make additional provision to the extent of THB 91.70 Mio being unsecured portion of standard textile advances. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount.

2. LOC was issued during 2010-11 to Bank Negara Malaysia upto our Bank's 35% shareholding in the Joint Venture Bank-India International Bank (Malaysia) Berhad (IIBMB). As on 31.03.2022, the deposits of IIBMB are Rs.152.14 Crores and other liabilities are Rs.3.94 Crores (i.e. total liabilities of Rs.156.08 Crores). The net worth of IIBMB as on 31.03.2022 is Rs.582.84 Crores. As the financial year end of IIBMB is 31 December, figure of 31st March 2022 have been taken from unaudited statements.

3. Based on the host country regulator's guidelines, during 2019-2020, Bank has issued Letter of Comfort favoring CBSL for meeting all obligations and liabilities arising out of business carried on by IOB-Sri Lanka Branch.

17. In accordance with the RBI Circular No DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 and DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020, on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Service Tax (GST)", the details of MSME restructured accounts from 01.04.2019 to 31.03.2022 are as under:

No. of Accounts	Aggregate exposure as on 31st March 2022 (Rs. in crore)
10403	553.25

18. Amount of provisions made for Income Tax during the year: (Rs. in Crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Provision for Income Tax	31.71	23.24
Provision for Deferred Tax	37.81	-15.00
Net Provision	69.52	08.24

19. पुनर्संरचित खातों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुर्नसंरचना प्रणाली के अंतर्गत					कार्पोरेट सहित अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण / विवरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल 2021 तक पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	25	0	25	17029	1966	72	5	19072	44059	1323	1970	13	47365	61088	3289	2067	18	66462
		बकाया राशि	-	-	4,625.50	-	4,625.50	921.63	116.52	13.96	0.42	1,052.53	1,542.14	125.63	7,328.18	0.26	8,996.21	2463.77	242.15	11967.64	0.68	14674.24
		उन पर प्रावधान	-	-	7.37	-	7.37	50.76	23.30	13.96	0.42	88.44	208.47	6.39	27.05	0.26	242.17	259.23	29.69	48.38	0.68	337.98
2	01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान नई संरचना जिसमें मौजूदा खातों हेतु एक्सपोज़र में बढ़ोत्तरी शामिल है	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	26418	0	0	0	26418	124626	1526	0	0	126152	151044	1526	0	0	152570
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	2,387.86	-	-	-	2,387.86	4,765.80	153.76	-	-	4,919.56	7153.66	153.76	0.00	0.00	7307.42
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	238.79	-	-	-	238.79	424.28	23.06	-	-	447.34	663.07	23.06	0.00	0.00	686.13
3	01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	136	-136	0	0	0	55	-28	-27	0	0	191	-164	-27	0	0
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	5.65	(5.65)	-	-	-	2.29	(1.06)	(1.23)	-	-	7.94	-6.71	-1.23	0.00	0.00
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	1.41	(1.41)	-	-	-	0.34	(0.16)	(0.18)	-	0.00	1.75	-1.57	-0.18	0.00	0.00
4	उच्च प्रावधान आकर्षित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम और / या वित्तीय वर्ष के अंत में जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उन पर प्रावधान	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19. Particulars of Accounts Restructured

(Amount in Rs. Crore)

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others Including Corporate					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
1	Restructured Accounts as on April 1, 2021	No. of Borrowers	0	0	25	0	25	17029	1966	72	5	19072	44059	1323	1970	13	47365	61088	3289	2067	18	66462
		Amount Outstanding	-	-	4,625.50	-	4,625.50	921.63	116.52	13.96	0.42	1,052.53	1,542.14	125.63	7,328.18	0.26	8,996.21	2463.77	242.15	11967.64	0.68	14674.24
		Provision Thereon	-	-	7.37	-	7.37	50.76	23.30	13.96	0.42	88.44	208.47	6.39	27.05	0.26	242.17	259.23	29.69	48.38	0.68	337.98
2	Fresh Restructuring during 01.04.2021 to 31.03.2022 including increase in exposure for existing accounts	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	26418	0	0	0	26418	124626	1526	0	0	126152	151044	1526	0	0	152570
		Amount Outstanding	-	-	-	-	-	2,387.86	-	-	-	2,387.86	4,765.80	153.76	-	-	4,919.56	7153.66	153.76	0.00	0.00	7307.42
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	238.79	-	-	-	238.79	424.28	23.06	-	-	447.34	663.07	23.06	0.00	0.00	686.13
3	Upgradation of restructured standard category during 01.04.2021 to 31.03.2022	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	136	-136	0	0	0	55	-28	-27	0	0	191	-164	-27	0	0
		Amount Outstanding	-	-	-	-	-	5.65	(5.65)	-	-	-	2.29	(1.06)	(1.23)	-	-	7.94	-6.71	-1.23	0.00	0.00
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	1.41	(1.41)	-	-	-	0.34	(0.16)	(0.18)	-	0.00	1.75	-1.57	-0.18	0.00	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shows as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amount Outstanding	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Provision Thereon	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुर्नसंरचना प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण / विवरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
5	01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	-4662	1739	2912	11	0	-13778	7721	6104	5	52	-18440	9460	9016	16	52
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	(95.54)	12.10	72.00	11.44	-	(302.33)	272.27	310.56	0.08	280.58	-397.87	284.37	382.56	11.52	280.58
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	(9.22)	8.37	72.00	11.44	82.59	(82.92)	46.85	48.04	0.08	12.05	-92.14	55.22	120.04	11.52	94.64
6	01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना / समाप्ति/ सीडीआर से निकासी / उसमें वसूली हेतु की जाने वाली कार्रवाई का शुरुआत	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	2	0	2	1927	19	0	0	1946	59995	1735	28	16	61774	61922	1754	30	16	63722
		बकाया राशि	-	-	(1,056.47)	-	(1,056.47)	205.18	1.94	-	-	207.12	1,654.41	535.84	1,511.94	0.32	3,702.51	1859.59	537.78	455.47	0.32	2853.16
		उन पर प्रावधान	-	-	(7.35)	-	(7.35)	7.96	-	-	-	7.96	138.05	20.58	7.69	0.32	166.64	146.01	20.58	0.34	0.32	167.25
7	31 मार्च 2022 (अंतिम आंकड़े) तक पुनर्संरचित किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	23	0	23	36994	3550	2984	16	43544	94855	8861	8073	2	111791	131849	12411	11080	18	155358
		बकाया राशि	-	-	3,569.03	-	3,569.03	3,014.42	121.03	85.96	11.86	3,233.27	4,247.85	835.10	6,128.03	0.02	11,211.00	7262.27	956.13	9783.02	11.88	18013.30
		उन पर प्रावधान	-	-	0.02	-	0.02	273.78	30.26	85.96	11.86	401.86	406.26	79.26	67.58	0.02	553.12	680.04	109.52	153.56	11.88	955.00

SI No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
5	Downgradation of the restructured accounts during 01.04.2021 to 31.03.2022	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	-4662	1739	2912	11	0	-13778	7721	6104	5	52	-18440	9460	9016	16	52
		Amount Outstanding	-	-	-	-	-	(95.54)	12.10	72.00	11.44	-	(302.33)	272.27	310.56	0.08	280.58	-397.87	284.37	382.56	11.52	280.58
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	(9.22)	8.37	72.00	11.44	82.59	(82.92)	46.85	48.04	0.08	12.05	-92.14	55.22	120.04	11.52	94.64
6	Write off/ sale/ closure/ exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 01.04.2021 to 31.03.2022	No. of Borrowers	0	0	2	0	2	1927	19	0	0	1946	59995	1735	28	16	61774	61922	1754	30	16	63722
		Amount Outstanding	-	-	(1,056.47)	-	(1,056.47)	205.18	1.94	-	-	207.12	1,654.41	535.84	1,511.94	0.32	3,702.51	1859.59	537.78	455.47	0.32	2853.16
		Provision Thereon	-	-	(7.35)	-	(7.35)	7.96	-	-	-	7.96	138.05	20.58	7.69	0.32	166.64	146.01	20.58	0.34	0.32	167.25
7	Restructured Accounts as on March 31 of the 2022 (closing Figures)	No. of Borrowers	0	0	23	0	23	36994	3550	2984	16	43544	94855	8861	8073	2	111791	131849	12411	11080	18	155358
		Amount Outstanding	-	-	3,569.03	-	3,569.03	3,014.42	121.03	85.96	11.86	3,233.27	4,247.85	835.10	6,128.03	0.02	11,211.00	7262.27	956.13	9783.02	11.88	18013.30
		Provision Thereon	-	-	0.02	-	0.02	273.78	30.26	85.96	11.86	401.86	406.26	79.26	67.58	0.02	553.12	680.04	109.52	153.56	11.88	955.00

क्रम संख्या	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुर्नसंरचना प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण / विवरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल 2020 तक पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	1	26	0	27	19043	0	0	0	19043	31076	421	1054	14	32565	50119	422	1080	14	51635
		बकाया राशि	-	12.92	4,222.66	-	4,235.58	694.21	-	-	-	694.21	688.29	892.78	6,808.68	0.47	8,390.22	1,382.50	901.62	11,022.01	0.38	13,320.01
		उन पर प्रावधान	-	-	0.23	-	0.23	38.72	-	-	-	38.72	49.97	9.52	102.04	0.09	161.62	88.69	8.92	95.73	-	200.57
2	01.04.2020से 31.03.2021 के दौरान नई संरचना जिसमें मौजूदा खातों हेतु एक्सपोज़र में बढ़ोत्तरी शामिल है	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	3962	0	0	0	3962	41129	607	376	1	42113	45091	607	376	1	46075
		बकाया राशि	-	-	484.97	-	484.97	474.64	-	-	-	474.64	1,465.06	24.91	296.37	0.17	1,786.51	1,939.70	24.91	781.34	0.17	2,746.12
		उन पर प्रावधान	-	-	(0.21)	-	(0.21)	23.73	-	-	-	23.73	169.68	3.73	10.65	0.17	184.23	193.41	3.73	10.44	0.17	207.75
3	01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	1966	0	0	0	1966	7	5	-2	-1	9	1973	5	-2	-1	1975
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0	77.93	0.00	0.00	0.00	77.93	108	40	-545	0	-397	186.35	39.98	-544.93	-0.38	-318.98
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26	3	-7	0	22	26.22	3.42	-7.32	0.00	22.32
4	उच्च प्रावधान आकर्षित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम और / या वित्तीय वर्ष के अंत में जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	--				--	--				--	--				--	--	--	--	--	--
		बकाया राशि	--				--	--				--	--				--	--	--	--	--	--
		उन पर प्रावधान	--				--	--				--	--				--	--	--	--	--	--

			2020-21																			
Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
1	Restructured Accounts as on April 1, 2020	No. of Borrowers	0	1	26	0	27	19043	0	0	0	19043	31076	421	1054	14	32565	50119	422	1080	14	51635
		Amount Outstanding	-	12.92	4,222.66	-	4,235.58	694.21	-	-	-	694.21	688.29	892.78	6,808.68	0.47	8,390.22	1,382.50	901.62	11,022.01	0.38	13,320.01
		Provision Thereon	-	-	0.23	-	0.23	38.72	-	-	-	38.72	49.97	9.52	102.04	0.09	161.62	88.69	8.92	95.73	-	200.57
2	Fresh Restructuring during 01.04.2020 to 31.03.2021 including increase in exposure for existing accounts	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	3962	0	0	0	3962	41129	607	376	1	42113	45091	607	376	1	46075
		Amount Outstanding	-	-	484.97	-	484.97	474.64	-	-	-	474.64	1,465.06	24.91	296.37	0.17	1,786.51	1,939.70	24.91	781.34	0.17	2,746.12
		Provision Thereon	-	-	(0.21)	-	(0.21)	23.73	-	-	-	23.73	169.68	3.73	10.65	0.17	184.23	193.41	3.73	10.44	0.17	207.75
3	Upgradation of restructured standard category during 01.04.2020 to 31.03.2021	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	1966	0	0	0	1966	7	5	-2	-1	9	1973	5	-2	-1	1975
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0	77.93	0.00	0.00	0.00	77.93	108	40	-545	0	-397	186.35	39.98	-544.93	-0.38	-318.98
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26	3	-7	0	22	26.22	3.42	-7.32	0.00	22.32
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and /or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shows as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	--				--	--				--	--				--	--	--	--	--	--
		Amount Outstanding	--				--	--				--	--				--	--	--	--	--	--
		Provision Thereon	--				--	--				--	--				--	--	--	--	--	--

क्रम संख्या	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुर्नसंरचना प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण विवरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
5	01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	-1	1	0	0	0	1979	74	5	2058	-1078	341	786	31	80	-1078	2319	861	36	2138
		बकाया राशि	-	(12.92)	12.92	-	-	-	117.82	14.38	0.42	132.62	(83.20)	(830.70)	1,114.59	0.73	201.42	(83.20)	(725.80)	1,141.89	1.15	334.04
		उन पर प्रावधान	-	-	7.35	-	7.35	-	23.56	5.75	0.42	29.73	(4.12)	(10.17)	(72.64)	0.73	(86.20)	(4.12)	13.39	(63.61)	1.15	(49.12)
6	01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना / समाप्ति/ सीडीआर से निकासी / उसमें वसूली हेतु की जाने वाली कार्रवाई का शुरुआत	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-2	0	-2	1952	13	2	0	1967	27063	33	145	1	27242	29015	46	145	1	29207
		बकाया राशि	-	-	(95.05)	-	(95.05)	36.67	1.30	0.42	-	38.39	635.51	(0.20)	(343.58)	0.00	291.73	672.18	1.10	(438.21)	0.00	235.07
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.26	0.07	(3.59)	0.00	29.74	33.26	0.07	(3.59)	0.00	29.74
7	31 मार्च 2021 (अंतिम आंकड़े) तक पुनर्संरचित किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	25	0	25	17029	1966	72	5	19072	44059	1323	1970	13	47365	61088	3289	2067	18	66462
		बकाया राशि	-	-	4,625.50	-	4,625.50	921.63	116.52	13.96	0.42	1,052.53	1,542.14	125.63	7,328.18	0.26	8,996.21	2,463.77	242.15	11,967.64	0.68	14,674.24
		उन पर प्रावधान	-	-	7.37	-	7.37	50.76	23.30	5.58	0.42	80.06	208.49	6.39	27.05	0.26	242.18	259.25	24.57	19.43	0.68	329.61

20. तुलनात्मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी जरूरी हो, पुन: समूहित /पुन: व्यवैस्थित / पुन: वर्गीकृत किए गए हैं ।

<u>लेखा मानकों के तहत प्रकटीकरण</u>

1. लेखांकन मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

(अ) विवरण निम्नवत है :

ए) संबंधित पार्टियों का नाम व उनके संबंध

क) एसोसियेट्स – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. ओडिशा ग्राम्य बैंक

ख) संयुक्त उद्यम : इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद लिमिटेड

ग) मुख्य प्रबंधन कार्मिक :

(i) श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता , प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(ii) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव , कार्यपालक निदेशक

(iii) सुश्री एस. श्रीमती , कार्यपालक निदेशक

Sl No.	Type of Restructuring / Asset Classification / Details		Under CDR Mechanism: Standard	Under CDR Mechanism: Sub-standard	Under CDR Mechanism: Doubtful	Under CDR Mechanism: Loss	Under CDR Mechanism: Total	Under SME Debt Restructuring Mechanism: Standard	Under SME Debt Restructuring Mechanism: Sub-standard	Under SME Debt Restructuring Mechanism: Doubtful	Under SME Debt Restructuring Mechanism: Loss	Under SME Debt Restructuring Mechanism: Total	Others: Standard	Others: Sub-standard	Others: Doubtful	Others: Loss	Others: Total	Total: Standard	Total: Sub-standard	Total: Doubtful	Total: Loss	Total: Total
5	Downgradation of the restructured accounts during 01.04.2020 to 31.03.2021	No. of Borrowers	0	-1	1	0	0	0	1979	74	5	2058	-1078	341	786	31	80	-1078	2319	861	36	2138
		Amount Outstanding	-	(12.92)	12.92	-	-	-	117.82	14.38	0.42	132.62	(83.20)	(830.70)	1,114.59	0.73	201.42	(83.20)	(725.80)	1,141.89	1.15	334.04
		Provision Thereon	-	-	7.35	-	7.35	-	23.56	5.75	0.42	29.73	(4.12)	(10.17)	(72.64)	0.73	(86.20)	(4.12)	13.39	(63.61)	1.15	(49.12)
6	Write off/ sale/ closure/ exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 01.04.2020 to 31.03.2021	No. of Borrowers	0	0	-2	0	-2	1952	13	2	0	1967	27063	33	145	1	27242	29015	46	145	1	29207
		Amount Outstanding	-	-	(95.05)	-	(95.05)	36.67	1.30	0.42	-	38.39	635.51	(0.20)	(343.58)	0.00	291.73	672.18	1.10	(438.21)	0.00	235.07
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.26	0.07	(3.59)	0.00	29.74	33.26	0.07	(3.59)	0.00	29.74
7	Restructured Accounts as on March 31 of the 2021 (closing Figures)	No. of Borrowers	0	0	25	0	25	17029	1966	72	5	19072	44059	1323	1970	13	47365	61088	3289	2067	18	66462
		Amount Outstanding	-	-	4,625.50	-	4,625.50	921.63	116.52	13.96	0.42	1,052.53	1,542.14	125.63	7,328.18	0.26	8,996.21	2,463.77	242.15	11,967.64	0.68	14,674.24
		Provision Thereon	-	-	7.37	-	7.37	50.76	23.30	5.58	0.42	80.06	208.49	6.39	27.05	0.26	242.18	259.25	24.57	19.43	0.68	329.61

20. Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

DISCLOSURES UNDER ACCOUNTING STANDARDS

1. Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

The details are as follows:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Associates – Regional Rural Banks:

(i) Odisha Gramya Bank

(b) Joint Venture: India International Bank (Malaysia) Berhad Ltd.

(c) Key Management Personnel:

(i) Shri Partha Pratim Sengupta, Managing Director and CEO

(ii) Shri Ajay Kumar Srivastava, Executive Director

(iii) Ms. S Srimathy, Executive Director

बी) संबन्धित पक्षों के साथ लेनदेन:

2020-21 व 2021-22 के दौरान पूर्वकालिक निदेशकों को प्रदत्त वेतन और प्रदर्शन प्रोत्साहन का विवरण:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2021-22)	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2020-21)
1.	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	34,71,378.00	23,31,943.12
2.	श्री कर्नम शेखर	पूर्व प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी		8,06,196.00**
3.	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	32,65,002.00	29,23,332.00
4.	सुश्री एस. श्रीमती	कार्यपालक निदेशक	29,45,576.33	2,09,749.42**

*पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, निष्पादन प्रोत्साहन राशि, छुट्टी भुनाई बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं ।

**वर्ष का भाग

(राशि रु. करोड़ में)

मदें/ संबंधित पार्टी	जनक (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक कंपनियों	एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधन कार्मिक @		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
			वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम
उधार#	लागू नहीं	लागू नहीं	0.0000	198.6377	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	198.6377
जमा#	लागू नहीं	लागू नहीं	493.6702	493.6702	0.3279	1.7242	0.0470	0.0939	494.0451	495.4883
जमा राशियों का प्लेसमेंट	लागू नहीं	लागू नहीं	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
अग्रिम#	लागू नहीं	लागू नहीं	0.0000	0.0000	0.7094	0.7500	0.0630	0.0636	0.7724	0.8136
निवेश#	लागू नहीं	लागू नहीं	777.5599	777.5599	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	777.5599	777.5599
गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं#	लागू नहीं	लागू नहीं	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
लाभ प्राप्त लीजिंग/ एचपी व्यवस्था #	लागू नहीं	लागू नहीं	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
प्रदत्त लीजिंग/एचपी व्यवस्था#	लागू नहीं	लागू नहीं	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

(B) Transaction with Related parties:

Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2021-22 and 2020-21:

Sl. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (Rs.) (2021-22)	Remuneration* Amount (Rs.) (2020-21)
1.	Shri Partha Pratim Sengupta	Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO)	34,71,378.00	23,31,943.12
2.	Shri Karnam Sekar	Ex- MD & CEO		8,06,196.00**
3.	Shri Ajay Kumar Srivastava	Executive Director	32,65,002.00	29,23,332.00
4.	Ms. S Srimathy	Executive Director	29,45,576.33	2,09,749.42**

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

**Part of the year

(Amounts in ₹ crore)

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Subsidiaries	Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel @		Relatives of Key Management Personnel		Total	
			Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year
Borrowings#	N.A.	N.A.	0.0000	198.6377	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	198.6377
Deposits#	N.A.	N.A.	493.6702	493.6702	0.3279	1.7242	0.0470	0.0939	494.0451	495.4883
Placement of deposits#	N.A.	N.A.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Advances#	N.A.	N.A.	0.0000	0.0000	0.7094	0.7500	0.0630	0.0636	0.7724	0.8136
Investments#	N.A.	N.A.	777.5599	777.5599	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	777.5599	777.5599
Non-funded commitments#	N.A.	N.A.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Leasing/HP arrangements availed#	N.A.	N.A.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Leasing/HP arrangements provided#	N.A.	N.A.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

मदें/ संबंधित पार्टी	जनक (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक कंपनियों	एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधन कार्मिक @		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
			वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम
अचल संपत्तियों की खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
अचल संपत्तियों की बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
ब्याज का भुगतान किया	लागू नहीं	लागू नहीं		1.9951		0.0123		0.0024		2.0098
प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं		18.3849		0.0220		0.0015		18.4084
सेवाओं का प्रतिपादन*	लागू नहीं	लागू नहीं		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
सेवाओं की प्राप्ति*	लागू नहीं	लागू नहीं		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
प्रबंधन अनुबंध*	लागू नहीं	लागू नहीं		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

लागू नहीं

वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का खुलासा किया जाना है।

* अनुबंध सेवाएं आदि न कि प्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं इत्यादि जैसी सेवाएं।

2. लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ

i. बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''कर्मचारियों के लाभ'' संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है।

ii. लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है;

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	9 856.98	9 108.28	913.11	1 018.68	506.57	503.96
ब्याज लागत	674.21	613.04	57.72	63.13	31.60	31.74
वर्तमान सेवा लागत	256.02	243.51	72.68	61.19	43.37	36.24
प्रदत्त लाभ	(1 166.10)	(972.06)	(186.44)	(185.96)	(111.59)	(77.18)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	742.11	864.20	343.48	(43.93)	46.18	11.82
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	10 363.22	9 856.98	1 200.55	913.11	516.13	506.57

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Subsidiaries	Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel @		Relatives of Key Management Personnel		Total	
			Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year
Purchase of fixed assets	N.A.	N.A.	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
Sale of fixed assets	N.A.	N.A.	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
Interest paid	N.A.	N.A.	1.9951		0.0123		0.0024		2.0098	
Interest received	N.A.	N.A.	18.3849		0.0220		0.0015		18.4084	
Rendering of services*	N.A.	N.A.	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
Receiving of services*	N.A.	N.A.	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
Management contracts*	N.A.	N.A.	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	

N.A. (Not Applicable)

The outstanding at the year end and the maximum during the year are to be disclosed.

* Contract services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.

2. Accounting Standard 15 – Employee Benefits

i. The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.

ii. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under: -

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations (Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Present Value of obligation as at the beginning of the year	9 856.98	9 108.28	913.11	1 018.68	506.57	503.96
Interest Cost	674.21	613.04	57.72	63.13	31.60	31.74
Current Service Cost	256.02	243.51	72.68	61.19	43.37	36.24
Benefits Paid	(1 166.10)	(972.06)	(186.44)	(185.96)	(111.59)	(77.18)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	742.11	864.20	343.48	(43.93)	46.18	11.82
Present Value of Obligation at year end	10 363.22	9 856.98	1 200.55	913.11	516.13	506.57

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	9 856.98	9 108.28	1 295.29	1 400.86	--	--
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	710.44	695.56	84.63	89.95	--	--
नियोक्ता का अंशदान	915.48	1 127.48	--	22.00	111.59	77.18
प्रदत्त लाभ	(1 166.10)	(972.06)	(186.44)	(185.96)	(111.59)	(77.18)
बाध्यताओं पर वास्तविक (नुकसान) / लाभ	46.43	(102.28)	31.72	(31.56)	--	--
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	10 363.23	9 856.98	1 225.20	1 295.29	--	--
गैर निधिक अंतरण देयता	--	--	--	--	--	--

(ग) तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	10 703.91	9 856.98	1 200.55	913.11	516.13	506.57
वर्ष के अंत में तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	10 363.23	9 856.98	1 225.20	1 295.29	--	--
तुलन पत्र में पहचानी गई गैर निधिक निवल देयता	*(340.68)	--	--	--	516.13	506.57
तुलन पत्र में पहचानी गई निधिक निवल आस्तियाँ	--	--	24.65	382.18	--	--

*सरकारी दिशानिर्देशों के कारण पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता, बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार रु. 425,85,83,225/- है। आरबीआइ परिपत्र आरबीआई/2021-22/105/डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04.10.2021 के अनुसार बैंकों को पांच साल की अवधि में कुल देनदारियों का परिशोधन करने की अनुमति है। बैंक ने आरबीआइ के उक्त प्रावधान को चुना है और 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए न्यूनतम 85,17,16,645/- रुपये की राशि का शुल्क लिया है। 340,68,66,580/- रुपये की शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
वर्तमान सेवा लागत	256.02	243.51	72.68	61.19	43.37	36.24
ब्याज लागत	674.21	613.04	57.72	63.13	31.60	31.74
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(710.44)	(695.56)	(84.63)	(89.95)	0.00	--

(b) Change in Fair Value of Plan Asset (Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	9 856.98	9 108.28	1 295.29	1 400.86	--	--
Expected return on Plan Assets	710.44	695.56	84.63	89.95	--	--
Employer's contribution	915.48	1 127.48	--	22.00	111.59	77.18
Benefit Paid	(1 166.10)	(972.06)	(186.44)	(185.96)	(111.59)	(77.18)
Actuarial gain/(loss) on Obligations	46.43	(102.28)	31.72	(31.56)	--	--
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	10 363.23	9 856.98	1 225.20	1 295.29	--	--
Unfunded Transitional Liability	--	--	--	--	--	--

(c) Amount recognized in Balance Sheet (Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	10 703.91	9 856.98	1 200.55	913.11	516.13	506.57
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	10 363.23	9 856.98	1 225.20	1 295.29	--	--
Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	*(340.68)	--	--	--	516.13	506.57
Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	--	--	24.65	382.18	--	--

*The additional liability on account of enhancement in family pension on account of Government guidelines, works out of Rs.425,85,83,225/- as per the Actuarial valuation. As per RBI Circular RBI/2021-22/105/DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 04.10.2021 banks are permitted to amortise the total liabilities over the period of five years. The Bank has opted the said provision of RBI and has charged minimum amount of Rs.85,17,16,645/- for the quarter ended 31 March 2022. The balance unamortized expense of Rs.340,68,66,580/- has been carried forward.

(d) Expenses Recognized in Profit & Loss (Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Current Service Cost	256.02	243.51	72.68	61.19	43.37	36.24
Interest Cost	674.21	613.04	57.72	63.13	31.60	31.74
Expected return on Plan Asset	(710.44)	(695.56)	(84.63)	(89.95)	0.00	--

वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	695.68	966.49	311.76	(12.37)	46.18	11.82
लाभ व हानि खाते में प्रभारित करने योग्य कुल व्यय	915.47	1 127.48	357.53	22.00	121.15	79.79
।। पेंशन विकल्पियों / पीएफ में नियोक्ता के अंशदान से प्राप्त रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ड़) पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता: (% में आंकड़े)

विवरण	पेंशन न्यास		ग्रैच्युटी न्यास	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
क) ऋण लिखत				
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	3.06	3.31	8.09	7.47
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	1.85	2.20	24.32	26.20
पीएसयू/ पीएफआइ/कार्पोरेट बाँडों में निवेश	3.47	4.13	12.18	12.57
अन्य निवेश	91.16	89.87	53.42	51.97
ख) ईक्विटी लिखतें	0.46	0.49	1.99	1.77

च) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त) (% में आंकड़े)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**
बट्टा दर	7.27	7.11	7.48	7.04	7.48	7.01
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर	7.30	7.54	7.04	6.82	0	--
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
पेंशन में बढ़ोतरी	4.00	4.00	-	-	-	-
एट्रीशन दर	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
मोर्टलिटी	2012-14 संशोधित अंतिम		2012-14 अंतिम		2012-14 अंतिम	
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

छ) अनुभवगत समायोजन **(रु. करोड़ में)**

विवरण	पेंशन (निधिक)					ग्रैच्युटी (निधिक)					अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)				
	2022	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
योजना आस्तियों पर अनुभवगत समायोजन (हानि) / लाभ	(46.43)	102.28	(32.05)	44.11	(3.09)	(31.72)	31.56	(20.96)	2.59	(13.50)	--	--	--	--	--
योजना देयताओं पर अनुभवगत समायोजन (हानि) / लाभ	(742.11)	(864.20)	(430.22)	(336.01)	(595.21)	(375.22)	(39.11)	356.18	52.77	(172.84)	68.06	11.82	18.52	29.71	23.89

Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	695.68	966.49	311.76	(12.37)	46.18	11.82
Total expenses chargeable in Profit & Loss Account	915.47	1 127.48	357.53	22.00	121.15	79.79
Amount received from II Pension optees/ employer's contribution of PF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust: (Figures in %)

Particulars	Pension Trust		Gratuity Trust	
	2022	2021	2022	2021
a) Debt Instruments				
Central Government Securities	3.06	3.31	8.09	7.47
State Government Securities	1.85	2.20	24.32	26.20
Investment in PSU /PFI / Corporate Bonds	3.47	4.13	12.18	12.57
Other Investments	91.16	89.87	53.42	51.97
b) Equity Instruments	0.46	0.49	1.99	1.77

(f) Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average) (Figures in %)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Discount Rate	7.27	7.11	7.48	7.04	7.48	7.01
Expected rate of return on Plan Assets	7.30	7.54	7.04	6.82	0	--
Expected Rate of Salary increase	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Pension increase	4.00	4.00	-	-	-	-
Attrition rate	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Mortality	2012-14 Modified Ultimate		2012-14 Ultimate		2012-14 Ultimate	
Method used	Projected unit credit		Projected unit credit		Projected unit credit	

(g) Experience Adjustments (Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)					GRATUITY (Funded)					LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)				
	2022	2021	2020	2019	2018	2022	2021	2020	2019	2018	2022	2021	2020	2019	2018
Experience adjustment on Plan assets (Loss)/ Gain	(46.43)	102.28	(32.05)	44.11	(3.09)	(31.72)	31.56	(20.96)	2.59	(13.50)	--	--	--	--	--
Experience adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	(742.11)	(864.20)	(430.22)	(336.01)	(595.21)	(375.22)	(39.11)	356.18	52.77	(172.84)	68.06	11.82	18.52	29.71	23.89

बीमांकक मूल्यांकन के तहत भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों में, योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ,मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों यथा कर्मचारी बाज़ार में माँग व आपूर्ति को हिसाब में लिया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो सूचना के अभाव में यह नहीं की गई हैं।

(ज) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है:

बट्टा दर : बट्टा दर को मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2022) सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ में तय किया गया है ।

प्रत्याशित वापसी दर: आस्तियों पर कुल मिलाकर प्रत्याशित लाभ दर उस तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य पर तय की जाती है, जिस अवधि में लागू तिथि पर दायित्वों का निपटारा किया जाना है। सुधरे हुए स्टॉक बाजार परिदृश्य के कारण आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाले ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु.126.00 करोड़ है ।

3. एएस 24 - परिचालन बंद करना

बैंक ने 01.04.2021-31.03.2022 के दौरान अपनी कोई भी विदेशी शाखा बंद नहीं की है। इसलिए इस प्रकटीकरण से संबंधित डेटा को "शून्य" माना जा सकता है।

4. लेखांकन मानक 27 –संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

मलेशिया में हमारे बैंक ने (35% हिस्से के साथ) बैंक ऑफ बड़ौदा (40%) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (25%) (भूतपूर्व आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय हो गया) के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं । इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आइआइबीएमबी) नाम से मलेशिया में स्थापित किया गया जिसकी प्रधिकृत पूँजी एमवाइआर 500 मियो है । संयुक्त उद्यम का प्राधिकृत पूंजी एमवाईआर 330 मियो है। (पिछले वर्ष एमवाईआर 330 मियो था)

31.03.2022 को**,** संयुक्त उद्यम में बैंक का निवेश मूल्य बही के अनुसार रु.193.33 करोड़ (मूल निवेश राशि रु. 199.58 करोड़ है**,** जो कि रु. 6.14 करोड़ राशि के निवेश के मूल्यों तक कम किया गया है ।

5. लेखांकन मानक 21 समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) और लेखांकन मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन

बैंक की सहायक कंपनियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों का विवरण के साथ-साथ धारित शेयर का प्रतिशत है: -

क्रम सं	कंपनी का नाम	निवेश का प्रकार	निगमन का देश	धारिता का%
1	ओडिशा ग्राम्य बैंक	एसोसिएट्स	भारत	35%
2	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद	संयुक्त उद्यम	मलेशिया	35%
3	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	संयुक्त उद्यम	भारत	18.06%

बैंक की कोई अनुषंगी संस्था नहीं है ।

समेकित वित्तीय परिणाम "समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन" पर एएस 21 के अनुसार, “एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" पर एएस 23 और आईसीएआई द्वारा जारी "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" पर एएस 27 और आरबीआइ द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ।

*चूंकि युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में शेयरधारिता 25% से कम है, इसे आरबीआइ के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना गया है और इस प्रकार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विचार नहीं किया गया है।

6. लेखांकन मानक26 – अमूर्त आस्तियाँ

कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्तिके रूप में माना जाता है और 3 साल की अवधि तक बढ़ाया जाता है ।

7. लेखांकन मानक28 – आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को ‘कॉर्पोरेट आस्तियाँ’ माना गया है और आइसीएआइ द्वारा जारी एएस 82-में दी गई परिभाषा के अनुसार यह ‘नकदी सृजन इकाई’ नहीं है । प्रबन्धन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति को क्षति नहीं हुई है ।

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

In respect of overseas branches, disclosures if any required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

h) The financial assumptions considered for the calculations are as under: -

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated 31.03.2022).

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled.

Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is Rs.126.00 crores.

3. AS 24 – Discontinuing Operations

The Bank has not closed any of its Overseas Branches during 01.04.2021-31.03.2022. Hence the data relating to this disclosure may be treated as "NIL".

4. AS 27 – Financial Reporting of Interest in Joint Venture

Our Bank (with 35% share) has floated a Joint Venture at Malaysia along with Bank of Baroda (40%) and Union Bank of India (25%) (erstwhile Andhra Bank now merged with Union Bank of India) by name INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD. IIBMB has an Authorized capital of MYR 500 Mio. The Joint Venture's paid up capital is MYR 330 Mio (previous year MYR 330 Mio).

As on 31.03.2022, Bank's Investment value in the Joint Venture as per Books stands at Rs.193.33 crore (original investment value Rs.199.58 crore as reduced by diminution in value of investment amounting to Rs.6.14 crores).

5. Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements and Accounting Standard-23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

The details of Subsidiaries, Associates and Joint Ventures of the Bank along with the percentage of share held are:-

Sl.No	Name of the Company	Type of Investment	Country of Incorporation	% of Holding
1	Odisha Gramya Bank	Associate	India	35%
2	India International Bank (Malaysia) Berhad	Joint Venture	Malaysia	35%
3	Universal Sompo General Insurance Company Limited*	Joint Venture	India	18.06%

Bank does not have any subsidiary.

The consolidated financial results are prepared in accordance with AS 21 on "Accounting for Consolidated Financial Statements", AS 23 on "Accounting for Investment in Associates" and AS 27 on "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the ICAI & guidelines issued by the RBI.

*Since the shareholding in Universal Sompo General Insurance Company Ltd., is less than 25% the same has not been considered as Joint Venture as per extant RBI guidelines and thus not considered for preparation of consolidated financial statements.

6. Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The software acquired for core banking system is treated as intangible asset and amortized over a period of 3 years.

7. Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

8. लेखांकन मानक29 –आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है ।

9. लेखांकन मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि , पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

वित्तीय विवरणी को उन्हीं लेखांकन नीतियों व पॉलिसियों के आधार पर तैयार किया गया है जिनका पालन 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया था।

10. लेखांकन मानक 9 – राजस्व मान्यता

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी – अनुसूची 17 में मद सं. 2 में वर्णितानुसार राजस्व को मान्यता दी गयी है ।

11. लेखांकन मानक 22: **आय पर करों के लिए लेखांकन** (रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
अचल संपत्तियों पर मूल्यहृास	19.88		129.69	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	181.89		343.94	
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	184.99		176.44	
अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	28.92		35.18	
पुन :संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	18.08		16.62	
पृथककरण राशि के लिए आरक्षतियाँ	0.82		0.00	
विशेष आरक्षितियाँ			0.00	
एनपीए के लिए प्रावधान	3895.58		5 359.16	
विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन आरक्षिति	294.08			152.05
अन्य	1638.17		569.55	178.13
कुल	**6262.41**		**6 630.58**	**330.18**
निवल डीटीएल /डीटीए	**6262.41**		**6 300.40**	

12. लेखांकन मानक 17 – खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को ट्रेज़री, कार्पोरेट / थोक बैंकिंग, रीटेल बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों मे वर्गीकृत किया है।

8. Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

9. Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

The financial statements have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed for the year ended March 31, 2021.

10. Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

11. Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income - (Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2022		31.03.2021	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Fixed Assets	19.88		129.69	
Provision for Employee Benefits	181.89		343.94	
Provision for Frauds	184.99		176.44	
Provision for Other Assets	28.92		35.18	
Provision for Restructured Advances	18.08		16.62	
Reserve for Severance Pay	0.82		0.00	
Special Reserve			0.00	
Provision for NPA	3895.58		5 359.16	
Foreign Currency Translation Reserve	294.08			152.05
Others	1638.17		569.55	178.13
Total	**6262.41**		**6 630.58**	**330.18**
Net DTL /DTA	**6262.41**		**6 300.40**	

12. Accounting Standard 17 – Segment Reporting

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

भाग ए : कारोबार खण्ड

(रु. करोड़ में)

कारोबार खण्ड	राजकोष		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		रीटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
राजस्व	7 442.65	8 327.09	6 087.86	5 937.49	7 477.69	7 739.84	463.87	407.49	**21 472.07**	**22 411.91**
परिणाम	1 885.46	2 699.11	1 050.51	259.36	2 343.90	2 505.01	322.54	320.18	**5 602.41**	**5 783.66**
अनाबंटित आय									**160.81**	**112.64**
अनाबंटित व्यय									**0.31**	**0.49**
परिचालनगत लाभ/हानि									**5 762.91**	**5 895.81**
आय कर									**69.52**	**8.24**
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									**3 983.85**	**5 056.09**
असाधारण लाभ / हानि									**0.00**	**0.00**
निवल लाभ									**1 709.54**	**831.47**
अन्य सूचना										
खण्डवार आस्तियाँ	113 119.49	108 651.71	82 075.39	70 772.55	93 593.78	84 600.37	150.87	188.56	**288 939.53**	**264 213.19**
अनाबंटित आस्तियाँ									**10 437.63**	**9 797.16**
कुल आस्तियाँ									**299 377.16**	**274 010.35**
खण्डवार देयताएँ	106 809.35	102 669.88	78 963.58	68 263.42	90 376.63	81 881.94	181.53	131.85	**276 328.09**	**252 947.09**
अनाबंटित देयताएं									**0.48**	**4 118.45**
कुल देयताएं									**276 376.77**	**257 065.54**

1. **भाग ख - भौगोलिक खण्ड**

(रु. करोड़ में))

विवरण	**देशी**		**अंतरराष्ट्रीय**		**कुल**	
	2021-22	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
राजस्व	21 215.60	22 111.32	417.28	413.23	**21 632.88**	**22 524.55**
आस्तियाँ	292 233.50	267 015.80	7 143.66	6 994.55	**299 377.16**	**274 010.35**

Part A: Business Segments

(Rs. In Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
Revenue	7 442.65	8 327.09	6 087.86	5 937.49	7 477.69	7 739.84	463.87	407.49	**21 472.07**	**22 411.91**
Result	1 885.46	2 699.11	1 050.51	259.36	2 343.90	2 505.01	322.54	320.18	**5 602.41**	**5 783.66**
Unallocated Income									**160.81**	**112.64**
Unallocated Expenses									**0.31**	**0.49**
Operating Profit/Loss									**5 762.91**	**5 895.81**
Income Taxes									**69.52**	**8.24**
Provisions & Contingencies									**3 983.85**	**5 056.09**
Extraordinary profit / loss									**0.00**	**0.00**
Net Profit									**1 709.54**	**831.47**
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	113 119.49	108 651.71	82 075.39	70 772.55	93 593.78	84 600.37	150.87	188.56	**288 939.53**	**264 213.19**
Unallocated Assets									**10 437.63**	**9 797.16**
Total assets									**299 377.16**	**274 010.35**
Segment Liabilities	106 809.35	102 669.88	78 963.58	68 263.42	90 376.63	81 881.94	181.53	131.85	**276 328.09**	**252 947.09**
Unallocated Liabilities									**0.48**	**4 118.45**
Total Liabilities									**276 376.77**	**257 065.54**

1. **Part B – Geographic segments**

(Rs. In Crore)

Particulars	Domestic		International		Total	
	2021-22	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
Revenue	21 215.60	22 111.32	417.28	413.23	**21 632.88**	**22 524.55**
Assets	292 233.50	267 015.80	7 143.66	6 994.55	**299 377.16**	**274 010.35**

13. लेखांकन मानक 20-प्रति शेयर आय

विवरण	2021-22	2020-21
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	1 709.54	831.47
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	1848,36,27,917	1643,69,88,324
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	रू.0.92	रू.0.51
प्रति इक्विटी शेयर कल्पित मूल्य	रू.10.00	रू.10.00

13. Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2021-22	2020-21
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. in Crore)	1 709.54	831.47
Weighted Average Number of Equity Shares	1848,36,27,917	1643,69,88,324
Basic & Diluted Earnings Per Share	Rs.0.92	Rs.0.51
Nominal value per Equity Share	Rs.10.00	Rs.10.00

स्वायत्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सभी सदस्यों को

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) के पृथक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक के तुलन पत्र के अलावा तत्संबंधी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण व नकद प्रवाहों का विवरण शामिल है । इसके अलावा इसमें संबंधित तिथि हेतु केंद्रीय कार्यालय के संबंध में विनिर्दिष्ट लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण मूलक सूचनाओं के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के प्रति सभी नोट शामिल है ।

   i. हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाएँ तथा

   ii. सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा 2 क्षेत्रीय कार्यालयों सहित 1203 शाखाओं का लेखा परीक्षण किया गया ।

   iii. स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3 विदेशी शाखाएँ ।

हमारे तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया गया है । इस तुलन-पत्र में, लाभ और हानि के विवरण और 2049 शाखाओं से लौटायी गई नकद प्रवाह की विवरणियाँ (46 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सिंगापुर शाखा की विवरणियाँ) भी शामिल की गई हैं जिनकी लेखापरीक्षा नहीं हुई है । इन अ-लेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिम के क्षेत्र में 21.55%, जमाओं में 41.74%, ब्याज आय में 22.09% और ब्याज संबंधी खर्चों में 43.51% का अंशदान है ।

हमारे अभिमत और हमारे संज्ञान के अनुसार तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुक्रम में उक्त पृथक वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) द्वारा वांछित सूचना प्रदान करते है । जैसे कि बैंक के लिए आवश्यक है और वे इस रूप में भारत में सामान्यत:स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है ।

   i. तुलन पत्र जोकि नोट्स के साथ पठित है, को उसमें दी गई पूरी टिप्पणियों में पूर्ण और उचित तुलन पत्र के सभी आवश्यक ब्योरे निहित हैं, भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2022 को बैंक की वर्तमान स्थिति का ठीक रूप से सही और उचित आकलन किया गया है;

   ii. लाभ और हानि खाता, जोकि नोट के साथ पठित है, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही संतुलन दर्शाता है; और

   iii. नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है ।

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा विषयक मानकताओं के अनुसार की है । इन मानकताओं के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरणो के भाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के तहत विस्तृत रूप से दर्शाया गया है । हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नीतिगत संहिता के अनुसार बैंक संबंध रखे बिना तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से जुड़ी नीतिगत अपेक्षाओं सहित लेखापरीक्षा की है और हमने इन अपेक्षाओं की नीतिगत संहिता के अनुसार अपनी अन्य नीतिगत बाध्यताओं को पूरा किया है । हम विश्वास करते है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह पर्याप्त है और अपने विचार के लिए आधार प्रदान करते हुए सम्पयुक्त है ।

मामलों पर बल

3. हम ध्यान आकृष्ट करते है:-

i. अनुसूची 18 की नोट संख्या 7.3 इस तथ्य का विवरण देती है कि बैंक ने मौजूदा कर व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया है और वर्ष के दौरान "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक - 22 के अनुसार समय के अंतर पर निवल आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी है ।

ii. अनुसूची 18 के नोट नंबर 7.1 में विभिन्न विवादित आयकर और अप्रत्यक्ष करों के लिए किसी भी अतिरिक्त देयता प्रावधान को प्रदान नहीं करने के संबंध में बताया गया है ।

iii. 425.86 करोड़ रुपये की पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की नोट संख्या 4एच (1) में वर्णन किया गया है । बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में 85.17 करोड़ रुपये की राशि का शुल्क लिया है और 340.69 करोड़ रुपये की शेष राशि को आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/105 105 डीओआर.एसीसी.आरईसी. 57/21.04.018/2021-22 दिनांकित 4 अक्टूबर, 2021के संदर्भ में अगले वर्ष हेतु समायोजित किया गया है। यदि बैंक ने लाभ और हानि खाते के लिए संपूर्ण अतिरिक्त देयता का प्रभार लिया होता, तो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ 340.69 करोड़ रुपये तक कम होता ।

उक्त मामले के संबंध में हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें :-

4. हमारे व्यवसायिक अभिमत में प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले है जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं । इन मामलों पर हमारे अभिमत वित्तीय विवरणों के समावेश रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में हैं और उन पर हम अलग से अभिप्राय प्रदान नहीं करेंगे। निम्नांकित मामलों को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए गए है ।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Indian Overseas Bank

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of **Indian Overseas Bank** ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2022, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of the Central Office.

   (i) 20 branches audited by us and

   (ii) 1203 branches including 2 Regional Offices,audited by the Statutory Branch Auditors.

   (iii) 3 foreign branches audited by local Auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss account and Statement of Cash Flows are the returns from 2049 branches (which includes 46 regional offices and Singapore Branch) which have not been subjected to audit for the current year. These unaudited branches account for 21.55% of advances, 41.74% of deposits, 22.09% of Interest Income and 43.51% of Interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2022;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash Flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by The Institute of Chartered Accountants of India("ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone financial statements prepared in accordance with the Accounting Principles generally accepted in India including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circular and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We draw attention to the following:

   i. Note No. 7.3 of Schedule 18 detailing the fact that the bank has decided to continue with the existing tax regime and has recognized Net Deferred Tax Assets during the year on timing differences in accordance with Accounting Standard -22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

   ii. Note No.7.1 of Schedule 18 relating to non-providing of any additional liability provisioning towards various disputed income tax and indirect taxes for the reasons stated therein.

   iii. Note No.14.h(1) of Schedule 18 of the financial statement regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to Rs. 425.86 Crores. The Bank has charged an amount of Rs.85.17 Crores to the profit and loss account for the year ended 31st March 2022 and the balance unamortized expense of Rs.340.69 Crores has been carried forward in terms of RBI Circular No.RBI/2021-22/105 DOR.ACC. REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021. Had the bank charged the entire additional liability to the profit and loss account, the net profit for the year ended March 31, 2022 would have been lower by Rs.340.69 Crores.

Our Opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the Key Audit Matters to be communicated in our Report.

क्रम सं	प्रमुख लेखा परीक्षा मामलें	लेखा परीक्षक के अभिमत
1	**आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण** अग्रिमों का प्रतिशत बैंक की कुल आस्तियों का 48.18% है । बैंक द्वारा प्रदत्त अग्रिमों के संबंध में संचयन आधार पर आय की पहचान, निष्पादित एवं गैर-निष्पादित के रूप में अग्रिमों का वर्गीकरण और तत्संबंधी प्रावधानीकरण आय की पहचान विषयक विविक पूर्ण मानदण्डों एवं आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आइआर एसी) मानदण्डों तथा समय- समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों व निर्देशों के अनुसार है (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 3 के साथ पढते हुए अनुसूची 17 के बिन्द 2.1 का संदर्भ लें) । हमारी राय में अग्रिमों से संबंधित लेखापरीक्षा में लेन-देन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों को निष्पादित और गैर-निष्पादित में वर्गीकृत करना, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल मुद्दे आदि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में ऐसे अग्रिमों के संबंध में आय की मान्यता और प्रावधान निष्पादन/ गैर-निष्पादन करना सबसे महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक माना जाता है ।	**मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ** • हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में डिजाइन का परीक्षण करना और आंतरिक नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभाविता की जाँच करना और वस्तुगत परीक्षण करना भी निम्नानुसार शामिल रहा । • आइएआरएसी विषयक के विवेकपूर्ण मानदण्डों के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और आरबीआई द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों /निर्देशों के साथ बैंक की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का भी मूल्यांकन किया गया । • अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावात्मकता एवं बैंक तथा आरबीआइ निरीक्षण की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार पूरी की गई विभिन्न लेखा परीक्षाओं में की गई टिप्पणियों के अनुपालन का परीक्षण किया गया । • नमूना आधार पर सभी बड़े अग्रिमों / तनावग्रस्त अग्रिमों और अन्य अग्रिमों की जांच करना, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा भी शामिल है । • अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर निर्भर रहना । • अलेखापरीक्षित शाखाओं के संबंध में शाखा प्रमुख द्वारा साझा किए गए विवरणियों और वित्तीय विवरणों पर भरोसा करना। • शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के ज्ञापन की समीक्षा करना और उचित कार्रवाई करना । • विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लिए उपलब्ध विभिन्न लेखा परीक्षा और निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा । • कानूनी मामलों, विलेखों, मूल्यांकन और बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के अन्य पहलूओं पर मुख्य विशेषज्ञों की राय पर निर्भरता रखना । • ऐसे खातों के नमूना और संचालन के आधार पर चयनित उधारकर्ता की फाईलों की समीक्षा । • प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन । • ब्याज आवेदन, अन्य प्रभार, कमीशन आदि की जाँच ।
2	**आकस्मिक देयता** आकस्मिक देयता जैसा कि एएस 29 में परिभाषित किया गया है- प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्ति के लिए संभावित परिणामों और नकदी प्रवाह के आकलन की आवश्यकता होती है । आकस्मिक देनदारियों की पहचान और मात्रा का ठहराव प्रबंधन द्वारा अनुमान और निर्णय की आवश्यकता है । (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 18 (एस 29) के साथ पठित अनुसूची 17 के बिन्द 13 का संदर्भ लें) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़े मुकदमों से संबंधित मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है ।	**प्रमुख लेखा परीक्षा की प्रक्रिया** हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनाओं का सत्यापन निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा करके किया है • अंतर्निहित मान्यताओं की तर्कसंगिता का मूल्यांकन । • मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना । • विभिन्न कर प्राधिकारियों / न्यायिक मंचों से हाल के आदशों और / या संचारों की जांच और उसके बाद की कार्रवाई । • रिकॉर्ड पर संबंधित दस्तावेजों की जांच । • उपलब्ध संबंधित बाहरी साक्ष्यों सहित विधिक अभिमत, संबंधित न्यायिक प्रक्रिया एवं उद्योग प्रक्रियाओं पर भरोसा करना । • जहाँ कहीं भी आवश्यक हो प्रबंधन से पुष्टि लेना ।

Sr. No	Key Audit Matter	Auditor's Response
1	**Income Recognition, Asset Classification & Provisioning relating to Advances** Advances constitute 48.18% of the Bank's total assets. The recognition of income on accrual basis in respect of advances extended by the Bank, Classification of advances into Performing and Non performing and provisioning thereof are in accordance with the extant prudential norms on Income Recognition and Asset Classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by Reserve bank of India from time to time (Refer 2.1 of Schedule 17, read with Note 2 of Schedule 18 to the financial statements). Taking into consideration the nature of transactions, compliance with the Reserve Bank of India guidelines, issues involved in the valuation of securities etc., in our opinion classification of Advances into performing and non performing, recognition of income in respect of such advances and also provisioning relating to Performing/ Non-Performing advances are considered to be one of the most significant matter in the audit and therefore determined to be a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as under: - • Evaluating the design of internal controls relating to implementation of prudential norms on IRAC and other related circulars/directives issued by RBI and also the internal policies and procedures of the Bank. • Examining the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations of the various audits conducted as per the monitoring mechanism of the Bank and RBI inspection. • Examining large advances/stressed advances and other advances on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management. • Relying on the audit reports of other Statutory Branch Auditors. • Relying on the returns and financial statements shared by the branch head in respect of unauditedbranches. • Reviewing Memorandum of Changes suggested by the Branch Auditors and take appropriate action. • Review of various audit and inspection reports made available to us in the relevant areas. • Placing reliance on the opinions of domain experts on legal matters, titles, valuation and other aspects of securities charged to the bank. • Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts. • Performing relevant analytical procedures. • Test checking of interest application, levying of other charges, commission etc.,
2	**Contingent Liability** The contingent liability as defined in AS 29 – Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets requires assessment of probable outcomes and cash flows. The identification and quantification of contingent liabilities require estimation and judgment by the management. (Refer 13 of Schedule 17, read with Note 8(AS 29) of Schedule 18 to the financial statements) In view of associated uncertainty relating to the outcome of the matters relating to litigations involving Direct and Indirect taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debts, and as a result we have determined the above area as a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** We have carried out the validation of information provided by the management by performing the following procedures • Evaluating reasonableness of the underlying assumptions. • Understanding the current status of the litigations/tax assessments. • Examination of recent orders and /or communication received from various tax authorities/judicial forums and follow up action thereon. • Examining the relevant documents on record. • Relying on relevant external evidence available including legal opinion, relevant judicial precedents and industry practices. • Getting management confirmation where-ever necessary.

3	**आईटी सिस्टम और नियंत्रण** वित्तीय विवरणों की पूरी तैयारी सीबीएस और अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर है । यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और उचित आईटी नियंत्रण और बदलाव उचित तरीके से किए गए हैं, आईटी अनुप्रयोग प्रक्रिया डेटा अपेक्षित रूप से किया जाना आवश्यकता है । इस तरह के नियंत्रण डेटा के गलत आउटपुट के अपेक्षित जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं । इस प्रकार के नियंत्रण प्राप्त होने वाले त्रुटिपूर्ण डाटा की संभावना का परिसमापन करते हैं । ऑडिट का परिणाम मौजूदा आईटी नियंत्रण और प्रणालियों पर निर्भर है और तदनुसार उपरोक्त क्षेत्रों को एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में निर्धारित किया जाता है ।	**प्रधान लेखा परीक्षा की प्रक्रियाएँ** हमने ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आइटी नीतियों और नियंत्रणों का प्रभावी ढंग से निरीक्षण, नियंत्रण और मूल्यांकन करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली आइटी नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की दिशा में मानकों के साथ अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं को पूरा किया है । हमने आइएस ऑडिटर द्वारा जारी रिपोर्ट पर विश्वास किया है और जहां भी आवश्यकता थी आइएस विशेषज्ञों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की है ।
4	**गैर-निष्पादित निवेश के लिए निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, पहचान और प्रावधान** (वित्तीय विवरणों हेतु अनुसूची 18 के नोट 1 के साथ पठित अनुसूची 17 का भाग 4 देखें) **निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 32.79% हैं ।** निवेश का मूल्यांकन आरबीआइ द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिसमें बीएसई / एनएसई और अन्य एजेंसियों पर उद्त दरों को लागू करना, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर निर्भर रहना आदि शामिल होता है । बैंक की बही में दर्ज किए जा रहे निवेश का मूल्य, निवेश के मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं को हमने उपर्युक्त क्षेत्र के एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में माना है ।	**प्रमुख लेखा परीक्षा की प्रक्रिया** हमने गैर-मूल्यांकन प्रदर्शनकारी निवशों की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान और मू ल्यांकन के संबंध में भारिबैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन किया और उन्हें समझा । निवेश के मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा संग्रह के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन । अनर्जक निवेश की पहचान की व्यवस्था का आकलन और मूल्यांकन, ऐसे निवेशों में आय की मान्यता और अनर्जक निवेशों के संबंध में आवश्यक प्रावधान का निर्माण सुनिश्चित करना ।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

5. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है),शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर जारी हमारा अभिमत में बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 के प्रकटीकरण को शामिल नहीं किया गया है और हम इस बारे में किसी भी प्रकार आश्वासन को निष्कर्ष के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि उपरोक्त अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ अन्य जानकारी भौतिक रुप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या भौतिक रुप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य और इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त अन्य जानकारी के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा वे सभी ,जिन पर गवर्नेंस का प्रभार है, की जिम्मदारी

6. बैंक का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ,जिसमें आईसीए द्वारा जारी लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण ; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जोकि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, शामिल है ।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को बंद करने या परिचालन को बंद

3	**IT Systems & Control** The entire Preparation of financial statements is highly dependent on CBS and other supporting software and hardware controls. Adequate and appropriate Information Technology(IT) controls are required to ensure that these IT application process data as expected and changes are made in an appropriate manner. Such controls ensure mitigating the expected risk of erroneous output data. Other compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. Audit outcome is dependent on the extant IT controls and systems, and accordingly the above areas are determined to be a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** We have carried out our audit procedures with standards on auditing guidelines towards implementation of IT policies and procedures followed by the bank in order to effectively monitor, control, and evaluate the IT applications and controls to ensure effective implementation of such policies and procedures. We have also relied on the report issued by the IS Auditor and obtained necessary inputs from IS experts wherever necessary.
4	**Classification and Valuation of Investments, Identification of and Provisioning for Non Performing Investments.** (Refer 4 of Schedule 17, read with Note 1 of Schedule 18 to the financial statements) **Investments constitute 32.79% of the total assets of the bank.** Valuation of Investments are done as per the guidelines, circulars and directives issued by RBI from time to time involving applying the rates quoted on BSE/NSE and other agencies, relying on the financial statements of unlisted companies etc. Taking into consideration the volume of transactions, value of investments being carried in the books of the bank, complexities involved in the valuation of investments, the above area has been considered as a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** We evaluated and understood the Bank's internal control systems to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non Performing Investments, provisioning and depreciation related to investments. Evaluating the process adopted for collection of data from various sources for determining the value of investments. Assessing and evaluating the system of identification of Non Performing Investments, income recognition on such investments and also ensuring creation of necessary provision in respect of Non performing investments.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. The Bank's Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon).

   Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors are responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable matters related

करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक परिचानगत संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करता है और लेखांकन के आधार पर परिचालनगत संस्था का उपयोग करता है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही किसी सामग्री के गलती के मौजूद होने का पता लगाएगी ।गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री , व्यक्तिगत या समग्र रूप से, माना जाता है । इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं । साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचान कर , उनका आकलन करते हैं , चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादन करते हैं व लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री से गलत विवरण का पता नहीं लगने के कारण जोखिम त्रुटि एक से अधिक रूप में परिणामित हो सकती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को निरस्त करना शामिल हो सकती है।
- प्रबंधन के द्वारा इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते है।
- लेखांकन के आधार पर चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने होगा । हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या शर्त बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से वंचित कर सकती हैं।
- समग्र प्रस्तुति, प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु और संरचना के मूल्यांकन सहित इस बात का मूल्याकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से , जिसके कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय व महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ चर्चा करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं ।

हम उन लोगों को जिन पर गवर्नेंस का प्रभार है , उन्हें भी यह विवरणी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों जो कि हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में संवाद करने के लिए विचार किया जा सकता है।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। जबतक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है, हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दुष्परिणाम स्वरूप संचार जनहित लाभ कम हो जाएंगे ।

अन्य मामले

8. हमने बैंक के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 1206 शाखाओं (जिनमें 2 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 3 विदेशी शाखाएँ शामिल हैं) के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2022 तक रु. 1,83,310.63 (हज़ारों में) की कुल संपत्ति को दर्शाती है और उस वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.12,526.64(हज़ारों में) है, जैसा कि स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है । 31 मार्च 2022 तक इन शाखाओं और प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा अग्रिम का 46.16%, जमा का 55.35% और गैर-निष्पादित आस्तियों का 20.95% और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 35.80% कवर किया जा रहा है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा-जोखा शाखा लेखा परीक्षकों और 03 विदेशी शाखाओं का लेखा परीक्षण स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और अब तक हमारी राय में यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है जो पूरी तरह से इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं ।

to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

7. Our Objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter, or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements / information of 1206 branches (including 2 Regional Offices and 3 overseas branches) included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets ofRs.1,83,310.63 (in crores) as at 31st March 2022 and total revenue of Rs.12,526.64 (in crores) for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches and processing centers cover 46.16% of advances, 55.35% of deposits, and 20.95% of Non-performing assets as at 31st March 2022 and 35.80% of revenue for the year ended 31st March 2022. The financial statements / information of these branches, have been audited by the branch auditors and 3 overseas Branches audited by Independent Auditor's whose reports have been furnished to us and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

इस संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है ।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र व लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है।

उपरोक्त पैराग्राफ 6 से 8 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार इसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) बैंक के वे सभी लेनदेन जोकि हमारे संज्ञान में थे बैंक की क्षमता के अधीन हैं; तथा

ग) बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गयी थीं।

10. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस. एआरजी. सं. 6270/ 08.91.001/ 2019-20 दिनांकि 17 मार्च 2020 की आवश्यकताओं के अनुसार " सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए की रिपोर्टिंग उत्तरदायित्व" पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उत्तरवर्ती संसूचना दिनांकित 19 मई, 2020 के साथ पठित , हम उपरोक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करते है :

क) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यहाँ तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

ख) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई टिप्पणी और अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग) 31 मार्च, 2020 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के उपधारा (2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2020 से निदेशक के रुप में नियुक्त किए गए किसी भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

घ) खातों और अन्य मामलों से जुड़े मामलों के अनुरक्षण से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ङ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंकों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध-ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च, 2022 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है|

11. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमारी राय में और हमारी जांच के दौरान यह पाया गया कि बैंक द्वारा उन सभी बही खातों का रखरखाव किया जा रहा है, जो विधि द्वारा अपेक्षित है ।

ख) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी का प्रवाह का विवरण, खातों की बही के साथ हैं ।

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा समुचित सावधानी बरती गई है ।

घ) हमारी राय में, तुलन पत्र , लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते **एस.एन नंदा एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफआरएन 000685एन	कृते **योगनंद व राम एलएलपी** सनदी लेखाकार एफआरएन 005157एस / एस200052
गौरव नंदा साझेदार एम नं. 500417 यूडीआईएन :22500417एजीएडीआरसी1627	**मनोज कुमार जैन** साझेदार एम नं. 218610 यूडीआईएन: 22218610एजेईडीकेयू7414
कृते **एस एन कपूर व एसोसियेट्स** सनदी लेखाकार एफआरएन 001545सी	कृते **नंदी हलदर व गांगुली** सनदी लेखाकार एफआरएन 302017ई
अविचल एसएन कपूर साझेदार एम नं. 400460 यूडीआईएन :22400460एजेईडीएचपी4141	**पार्थसारथी चंद** साझेदार एम नं. 056653 यूडीआईएन: 22056653एजेईईएक्सएफ2640

स्थान : चेन्नै

दिनांक: 18.05.2022

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

   Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 6 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   (a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

   (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

   (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. As required by letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/ 2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

    a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

    b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

    c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2022, none of the directors is disqualified as on March 31, 2022 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

    d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

    e) Our Audit report on the adequacy and operating effectiveness of the bank's internal financial controls over financial reporting is given in **Annexure-A** to this report. Our Report Expresses an unmodified opinion on the Bank's Internal financial control over financial reporting as at 31st March, 2022.

11. We further report that:

    a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far it appears from our examination of those books.

    b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account.

    c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

    d) in our opinion, the Balance Sheet, the statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For **S N NANDA & CO**
Chartered Accountants
FRN 000685N

GAURAV NANDA
Partner
M No : 500417
UDIN : 22500417AJEDRC1627

For **YOGANANDH & RAM LLP**
Chartered Accountants
FRN 005157S/S200052

MANOJ KUMAR JAIN
Partner
M No : 218610
UDIN : 22218610AJEDKU7414

For **S N KAPUR & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 001545C

AVICHAL SN. KAPUR
Partner
M No : 400460
UDIN : 22400460AJEDHP4141

For **NANDY HALDER & GANGULI**
Chartered Accountants
FRN 302017E

PARTHASARATHI CHANDA
Partner
M No : 056653
UDIN : 22056653AJEEXF2640

Place: Chennai
Date :18.05.2022

स्वायत्त लेखा परीक्षकों से संबंधित अनुबंध "ए"

भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डॉस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) ("आरबीआई संचार") द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट की सम तारीख की रिपोर्ट के लिए 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 11 (ई) का संदर्भ लें।

हमने 31 मार्च, 2022 तक इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के साथ, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण आंतरिक वित्तीय शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक की प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और जारी किए गए लेखा परीक्षण (एसएएस) पर मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया, आईसीएआई द्वारा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक बढ़ाया गया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण के लिए बैंक की आंतरिक वित्तीय विषय पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री का गलत विवरण हो सकता है और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगाड़ सकता है।

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 11(e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date) Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the Internal Financial Controls Over Financial Reporting of Indian Overseas Bank ("the Bank") as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes Internal Financial Controls Over Financial Reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's Internal Financial Controls Over Financial Reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate Internal Financial Controls Over Financial Reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the Internal Financial Controls Over Financial Reporting and their operating effectiveness. Our audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting included obtaining an understanding of Internal Financial Controls Over Financial Reporting, assessing the risk that a material weakness exists and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's Internal Financial Controls Over Financial Reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's Internal Financial Controls Over Financial Reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's Internal Financial Controls Over Financial Reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the Internal Financial Controls Over Financial Reporting to future periods are subject to the risk that the Internal Financial Controls Over Financial Reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

अभिमत

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में पर्याप्त हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर टिप्पणी, मार्गदर्शन में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंड पर आधारित था ।

अन्य मामलें

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहां तक 1206 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है जो कि उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

हमारी राय में, बैंक की शाखाओं, विशेष शाखाओं और सभी नियंत्रक कार्यालय, विभागों और प्रक्रियाओं को कवर करने वाले आरसीएम के परीक्षण और उसे अपनाने सहित प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है । इस संबंध में हमारा पत्र बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया है ।

इस संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है ।

कृते **एस.एन नंदा व कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000685एन

गौरव नंदा
साझेदार
एम नं. 500417
यूडीआईएन :22500417एजीएडीआरसी1627

कृते **योगनंद व राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005157एस / एस200052

मनोज कुमार जैन
साझेदार
एम नं. 218610
यूडीआईएन: 22218610एजेईडीकेयू7414

कृते **एस एन कपूर व एसोसियेट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001545सी

अविचल एसएन कपूर
साझेदार
एम नं. 400460
यूडीआईएन :22400460एजेईडीएचपी4141

कृते **नंदी हलदर व गांगुली**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302017ई

पार्थसारथी चंद
साझेदार
एम नं. 056653
यूडीआईएन: 22056653एजेईईएक्सएफ2640

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 18.05.2022

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate Internal Financial Controls Over Financial Reporting and such Internal Financial Controls Over Financial Reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on "the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI".

Other Matters

Our aforesaid report insofar as it relates to operating effectiveness of internal financial controls over financial report of **1206** branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

In our opinion, the Bank needs to strengthen the process including testing and adoption of the RCMs covering branches, specialized branches and all controlling office departments and processes. Our communication in this regard has been submitted to the Management to further strengthen the Internal Financial Controls over Financial Reporting of the Bank.

Our Opinion is not modified in respect of this matter.

For **S N NANDA & CO**
Chartered Accountants
FRN 000685N

GAURAV NANDA
Partner
M No : 500417
UDIN : 22500417AJEDRC1627

For **YOGANANDH & RAM LLP**
Chartered Accountants
FRN 005157S/S200052

MANOJ KUMAR JAIN
Partner
M No : 218610
UDIN :22218610AJEDKU7414

For **S N KAPUR & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 001545C

AVICHAL SN. KAPUR
Partner
M No : 400460
UDIN :22400460AJEDHP4141

For **NANDY HALDER & GANGULI**
Chartered Accountants
FRN 302017E

PARTHASARATHI CHANDA
Partner
M No : 056653
UDIN :22056653AJEEXF2640

Place : Chennai
Date :18.05.2022

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन – पत्र

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

(रु. हजारों में Rs. in 000's)

		अनुसूचियाँ SCHEDULES	AS AT 31.03.2022 तक	AS AT 31.03.2021 तक
पूँजी व देयताएँ	**CAPITAL & LIABILITIES**			
पूँजी	Capital	01	19108 49 31	16646 79 41
आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves and Surplus	02	4115 69 15	451 88 83
जमाएँ	Deposits	03	262213 76 35	240352 78 22
उधार	Borrowings	04	3070 63 66	3671 57 65
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	05	11147 82 21	13106 28 48
कुल	**TOTAL**		**299656 40 68**	**274229 32 59**
आस्तियाँ	**ASSETS**			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और अतिशेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	06	16706 65 48	12189 20 63
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	20244 60 56	18793 23 36
निवेश	Investments	08	98267 22 08	95484 88 49
अग्रिम	Advances	09	144253 55 69	127741 42 09
स्थिर आस्तियाँ	Fixed Assets	10	3366 03 63	2918 97 22
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	16818 33 24	17101 60 80
कुल	**TOTAL**		**299656 40 68**	**274229 32 59**
आकस्मिक देयताएँ	Contingent Liabilities	12	98011 05 59	68296 18 46
संग्रहण के लिए बिल	Bills for Collection		17216 22 01	15547 89 10
मूल लेखांकन नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

अनुसूचियाँ तुलन – पत्र का अंग है । Schedules Form Part of the Balance Sheet

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से **FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD**

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

PARTHA PRATIM SENGUPTA
Managing Director & CEO

अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
Executive Director

एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

S SRIMATHY
Executive Director

ऐनी जॉर्ज मैथ्यू
ANNIE GEORGE MATHEW

नवीन प्रकाश सिन्हा
NAVIN PRAKASH SINHA

सुरेश कुमार रुंगटा
SURESH KUMAR RUNGTA

बी चंद्रा रेड्डी
B CHANDRA REDDY

दीपक शर्मा
DEEPAK SHARMA

निदेशक गण DIRECTORS

स्थान : चेन्नै Chennai
दिनांक Date : 18.05.2022

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

(रु. हजारों में Rs. in 000's)

		अनुसूचियाँ SCHEDULES	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2022	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2021
आय	**INCOME**			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	16735 84 20	16975 55 67
अन्य आय	Other income	14	4905 33 28	5485 64 60
योग	**TOTAL**		**21641 17 48**	**22461 20 28**
व्यय	**EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	10419 48 58	11069 45 49
परिचालन गतव्यय	Operating expenses	16	5458 97 17	5569 02 92
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (नेट)	Provisions & Contingencies (Net)		4053 44 28	5064 36 79
योग	**Total**		**19931 90 02**	**21702 85 20**
लाभ / हानि (-)	**PROFIT/ LOSS (-)**			
वर्ष के लिए लाभ / हानि (-)	Net Profit / Loss (-) for the year		1709 27 46	758 35 08
अग्रणित लाभ / हानि (-)	Profit /Loss (-) brought forward		-18889 51 15	-18979 65 38
घटायें : शेयर प्रीमियम के प्रति सेट ऑफ	Less: Set off against Share Premium		0	0
योग	**Total**		**-17180 23 70**	**-18221 30 30**
विनियोजन	**APPROPRIATIONS**			
सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		493 20 56	0
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Revenue and Other Reserves		0	0
पूँजी आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Capital Reserve		111 76 22	568 20 85
निवेश उतार- चढ़ाव आरक्षिति से अंतरण	Transfer to Invest. Fluctuation Reserve		290 00 00	100 00 00
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (including Dividend Tax)		0	0
तुलन – पत्र में अग्रेषित शेष राशि	Balance carried over to Balance Sheet		-18075 20 48	-18889 51 15
योग	**TOTAL**		**-17180 23 70**	**-18221 30 30**
मूल एवं घटाया गया प्रति शेयर अर्जन (रु.)	Basic & Diluted Earnings per Share (Rs.)		0.92	0.51
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)	Nominal Value per Equity Share (Rs.)		10.00	10.00

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग है । Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए **VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE**

एस.एन नंदा व कंपनी एफआरएन 000685एन	**SN NANDA & CO** FRN 000685N	**योगनंद व राम एलएलपी** एफआरएन 005157एस/एस200052	**YOGANANDH & RAM LLP** FRN 005157S/S200052
गौरव नंदा साझेदार एम नं. 500417	**GAURAV NANDA** Partner M.No. 500417	**मनोज कुमार जैन** साझेदार एम नं 218610	**MANOJ KUMAR JAIN** Partner M.No. 218610
एस एन कपूर व एसोसियेट्स एफआरएन 001545सी	**SN KAPUR & ASSOCIATES** FRN 001545C	**नंदी हलदर व गांगुली** एफआरएन 302017ई	**NANDY HALDER & GANGULI** FRN302017E
अविचल एसएन कपूर साझेदार एम नं 400460	**AVICHAL SN. KAPUR** Partner M.No.400460	**पार्थसारथी चंद** साझेदार एम नं 056653	**PARTHASARATHI CHANDA** Partner M.No.056653

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

स्थान : चेन्नै Place : Chennai
दिनांक Date : 18.05.2022

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक INDIAN OVERSEAS BANK

31.03.2022 समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह की विवरणी

Consolidated Cash Flow Statement for the Year ended March 31, 2022

		रु में Rs. in '000s	
		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2022	31.03.2021
परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रवाह	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
कर के बाद निवल लाभ /(हानि)	**Net Profit / (Loss) After Tax**	**17 09 27 48**	**8 31 47 01**
जोडें:आयकर प्रावधान	Add: Provision for Tax	69 68 77	8 24 24
कर के पहले निवल लाभ /(हानि)	**Net Profit / (Loss) before Tax**	**17 78 96 25**	**8 39 71 25**
के लिए समायोजन	**Adjustments for :**		
एचटीएम निवेशों के लिए परिशोधन	Amortisation of HTM Investments	32 84 25	40 67 49
निवेशों के पूनर्मूल्यांकन से हुई हानि	Loss on Revaluation of Investments	1 91 52 27	13 90
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	1 72 55 89	2 57 99 75
आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	(Profit) / Loss on Sale of Assets	- 1 20 05	- 1 49 24
आरक्षितियों से अंतरण	Transfer from Reserves	66 17 19	- 4 23 34
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for NPAs	34 70 16 92	39 39 21 01
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	1 87 66 94	11 75 66 17
निवेशों पर मूल्य ह्रास (निवल)	Depreciation on Investments (net)	2 54 01 18	-1 09 19 27
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other Items	1 36 88 24	48 24 11
आइओबी बाण्ड पर ब्याज	Interest on IOB Bonds	1 54 64 98	2 88 80 29
		46 65 27 81	**56 35 80 87**
निम्नवत के लिए समायोजन	**Adjustments for :**		
जमाओं में वृद्धि / कमी	Increase / (Decrease) in Deposits	218 60 98 13	173 36 41 55
उधारियों में वृद्धि /कमी	Increase / (Decrease) in Borrowings	-12 65 93 99	2 18 84 57
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि /कमी	Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	15 29 30 15	-84 26 44 59
निवेशों में (वृद्धि) /कमी	(Increase) / Decrease in Investments	-32 60 71 29	-160 09 76 49
अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी	(Increase) / Decrease in Advances	-199 82 30 53	-103 26 45 62
अन्य आस्तियों में वृद्धि / कमी	(Increase) / Decrease in Other Assets	9 61 95 79	158 02 68 90
		-1 56 71 74	**-14 04 71 68**
प्रत्यक्ष कर (निवल)	Direct Taxes (Net)	-7 48 09 12	-1 21 94 61
परिचालनगत गतिविधियों से सृजित निवल नकद प्रवाह (क)	**NET CASH FLOW GENERATED FROM / (USED IN) OPERATING ACTIVITIES(A)**	**55 39 15 31**	**49 48 85 82**
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
स्थिर आस्तियों की बिक्री / निपटान	Sale / disposal of Fixed Assets	6 93 80	18 71 45
स्थिर आस्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	- 56 23 22	- 64 73 33
निवेश संबंधी गतिविधियों से सृजित निवल नकद (क)	**NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)**	**- 49 29 41**	**- 46 01 88**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
ईक्विटी शेयर निर्गम से धनागम (शेयर प्रीमियम को मिलाकर)	Proceeds of Equity Share Issue (including Share premium)		
टियर 1 एवं टियर 2 बाँडों का मोचन (निवल)	Redemption of Tier I & Tier II Bonds (Net)		-19 67 00 00
बेसल 3 टियर 2 बाँड का निर्गम	Issue of Basel III Tier II Bonds	6 65 00 00	
टियर 2 पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	Interest Paid on Tier II Capital	-1 86 03 85	-3 20 15 82
बेमियादी (एटी1) बाँडों पर प्रदत्त ब्याज	Interest paid on perpetual (AT1) bonds		
भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	Share Application Money received from GOI		**41 00 00 00**

वित्तपोषित गतिविधियों से सृजित निवल नकद (ग)	**NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES (C)**	**4 78 96 15**	**18 12 84 18**
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख +ग)	**NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)**	**59 68 82 05**	67 15 68 12
वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
भा.रि.बैं के साथ नकद व शेष	Cash & Balances with RBI	121 89 20 63	31 55 22 13
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	187 93 23 36	209 05 43 44
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
नकद व भा.रि.बैं के साथ शेष	Cash & Balances with RBI	167 06 65 48	121 88 25 40
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	202 44 60 56	185 88 08 30
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि /कमीं	**NET INCREASE / DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**	**59 68 82 05**	**67 15 68 12**

ये विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

*वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से तारतम्यता हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों का आवश्यकता अनुसार पुन: समूहन किया गया है।

This Statement has been prepared in accordance with Indirect Method.

*The previous year figures represents standalone cash flow statement which have been reqrouped wherever necessary to conform with the current year presentation.

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से **FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD**

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

PARTHA PRATIM SENGUPTA
Managing Director & CEO

अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
Executive Director

एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

S SRIMATHY
Executive Director

ऐनी जॉर्ज मैथ्यू
ANNIE GEORGE MATHEW

नवीन प्रकाश सिन्हा
NAVIN PRAKASH SINHA

सुरेश कुमार रुंगटा
SURESH KUMAR RUNGTA

बी चंद्रा रेड्डी
B CHANDRA REDDY

दीपक शर्मा
DEEPAK SHARMA

निदेशक गण DIRECTORS

स्थान : चेन्नै Chennai
दिनांक Date : 18.05.2022

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए Vide our Report of Even Date

एस.एन नंदा एंड कंपनी
एफआरएन 000685N

SN NANDA & CO
FRN 000685N

योगनंद व राम एलएलपी
एफआरएन 005157S/S200052

YOGANANDH & RAM LLP
FRN 005157S/S200052

गौरव नंदा
साझेदार एम नं. 500417

GAURAV NANDA
Partner M.No. 500417

मनोज कुमार जैन
साझेदार एम नं 218610

MANOJ KUMAR JAIN
Partner M.No. 218610

एस एन कपूर व एसोसियेट्स
एफआरएन 001545सी

SN KAPUR & ASSOCIATES
FRN 001545C

नंदी हलदर व गांगुली
एफआरएन 302017ई

NANDY HALDER & GANGULI
FRN302017E

अविचल एसएन कपूर
साझेदार एम नं 400460

AVICHAL SN. KAPUR
Partner M.No.400460

पार्थसारथी चंद
साझेदार एम नं 056653

PARTHASARATHI CHANDA
Partner M.No.056653

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

अनुसूची - 1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL	AS AT 31.03.2022 तक	AS AT 31.03.2021 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
प्राधिकृत पूंजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
"प्रत्येक रु.10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष -प्रत्येक रु.10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर)"	2500,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (Previous year-2500,00,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each)	**25000 00 00**	**25000 00 00**
निर्गमित , अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी	**ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL**	**19108 49 31**	**16646 79 41**
"प्रत्येक रु.10/- के 256 12 24 1890 इक्विटी शेयर (इसमें भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10/- के 570 26 83 1821 इक्विटी शेयर शामिल हैं) "	"IOB: 1890 24 12 256 Equity Shares of Rs.10/- each. (Includes 1821 83 26 570 Equity Shares of Rs.10/- each held by GOI) Balance represents propotionate Shares of JV "		
पिछले वर्ष -प्रत्येक रु.10/- के 88 69 1643 324 इक्विटी शेयर (इसमें भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10/- के 1575,29,02,638 इक्विटी शेयर शामिल हैं)	IOB: PY 1643 69 88 324 Equity Shares of Rs.10/- each. (Includes 1575,29,02,638 Equity Shares of Rs.10/- each held by GOI) Balance represents propotionate Shares of JV		

अनुसूची - 2 आरक्षितियाँ व अधिशेष	SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS	AS AT 31.03.2022 तक	AS AT 31.03.2021 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
I. शेयर प्रीमियम	**I. SHARE PREMIUM**		
अथ शेष	Opening balance	6923 32 50	6923 32 50
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	1634 57 61	
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deductions	0	0
योग -I	**TOTAL -I**	**8557 90 11**	**6923 32 50**
II. सांविधिक आरक्षितियाँ	**II. STATUTORY RESERVE**		
अथ शेष	Opening balance	2926 77 62	2926 77 62
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	427 38 56	0
जोड़ें: पीवाइ 2020 -21हेतु समायोजन	Add: Adj. for PY 2020-21	65 82 00	
जोड़ें: पीवाइ 2020 -21हेतु समायोजन (पूंजी आरक्षिति से अंतरण)	Add: Adj. for PY 2020-21 (Trf from Capital Reserve)	142 05 00	
योग – II	**TOTAL -II**	**3562 03 19**	**2926 77 62**
III. पूंजी आरक्षिति	**III. CAPITAL RESERVE**		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	A. Revaluation Reserve		
अथ शेष	Opening Balance	2220 45 88	2331 36 26
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	569 12 83	1 92 33
घटाएँ : कटौतियाँ/ मूल्य ह्रास	Less: Deductions / Depreciation	40 02 58	112 82 71
योग – अ	**TOTAL - A**	**2749 56 13**	**2220 45 88**
आ. आस्तियों की बिक्री पर	B. On sale of Assets		
अथ शेष	Opening Balance	2164 23 30	1596 02 45
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	111 76 22	568 20 85
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	142 05 00	112 82 71
योग- आ	**TOTAL - B**	**2133 94 51**	**2164 23 30**
इ. अन्य	C. Others		
अथ शेष	Opening Balance	153 09 32	153 13 58

जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	3 30	
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction		4 26
योग – इ	**TOTAL - C**	**153 12 62**	**153 09 32**
योग – III (अ,आ,इ,ई)	**TOTAL - III (A,B,C)**	**5036 63 26**	**4537 78 50**
IV. राजस्व व अन्य आरक्षिति	**IV. REVENUE & OTHER RESERVES**		
अ. अन्य राजस्व आरक्षिति	**A Other Revenue Reserves**		
अथ शेष	Opening Balance	3594 65 27	3486 01 64
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	35 98 08	108 63 63
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	0	
योग – अ	**TOTAL - A**	**3630 63 36**	**3594 65 27**
"आ. विशेष आरक्षिति	**B Special Reserve**		
अथ शेष	Opening balance	0	0
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	0	0
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	0	0
योग – आ"	**TOTAL - B**	**0**	**0**
इ. निवेश आरक्षिति खाते	**C Investment Reserve Account**		
अथ शेष	Opening Balance	97 95 58	97 95 58
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	0	0
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deductions	0	0
योग – इ	**TOTAL - C**	**97 95 58**	**97 95 58**
ई. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती	**D Foreign Currency Translation Reserve**		
अथ शेष	Opening balance	1160 90 51	1200 29 08
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	34 25 79	107 88 55
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	353 30 41	147 27 12
योग – ई	**TOTAL - D**	**841 85 89**	**1160 90 51**
उ. निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व खाता	**E Investment Fluctuation Reserve Account**		
अथ शेष	Opening balance	100 00 00	0
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	290 00 00	100 00 00
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	0	0
योग – उ	**TOTAL - E**	**390 00 00**	**100 00 00**
कुल - IV (अ,आ,इ,ई,उ)	**TOTAL - IV (A,B,C,D,E)**	**4960 44 83**	**4953 51 36**
V. लाभ व हानि खाते	**V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT**	**-18001 32 24**	**-18889 51 14**
योग (I, II , III, IV एवं V)	**TOTAL (I, II , III, IV & V)**	**4115 69 15**	**451 88 83**

अनुसूची - 3 **जमाएँ**	**SCHEDULE - 3** **DEPOSITS**	**AS AT 31.03.2022 तक**	**AS AT 31.03.2021 तक**
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
अ. I. मांग जमाएँ	**A. I. DEMAND DEPOSITS**		
i) बैंकों से	i) From Banks	11 49 29	25 21 99
ii) अन्यों से	ii) From Others	17378 28 31	16196 61 25
योग - I	**TOTAL - I**	**17389 77 60**	**16221 83 24**
II. बचत बैंक जमाएँ	**II. SAVINGS BANK DEPOSITS**	**96501 20 23**	**85958 46 36**
III. मियादी जमाएँ	III. TERM DEPOSITS		
i) बैंकों से	i) From Banks	544 96 77	266 01 11
ii) अन्यों से	ii) From Others	147777 81 76	137906 47 51
योग - III	**TOTAL - III**	**148322 78 52**	**138172 48 62**

योग – अ (I,II एवं III)	**TOTAL - A (I,II & III)**	**262213 76 35**	**240352 78 22**
अ. I) भारत की शाखाओं में जमाएँ	B. I) Deposits of branches in India	256889 88 19	235544 81 90
II) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाएँ	II) Deposits of branches outside India	5323 88 16	4807 96 32
योग – आ	**TOTAL - B**	**262213 76 35**	**240352 78 22**

अनुसूची - 4 **उधार**	**SCHEDULE - 4** **BORROWINGS**	**AS AT 31.03.2022 तक**	**AS AT 31.03.2021 तक**
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
I. भारत में लिए गए उधार	**I. BORROWINGS IN INDIA**		
भारतीय रिज़र्व बैंक	Reserve Bank of India		
अन्य बैंकों	Other Banks	0	0
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	Other Institutions & Agencies	184 00 00	506 50 00
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	0	0
बॉन्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड उधार पूंजी लिखत	Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	0	0
अधीनस्थ कर्ज	Subordinated Debt	2265 00 00	1600 00 00
योग (I)	**TOTAL (I)**	**2449 00 00**	**2106 50 00**
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	**II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	**621 63 66**	**1565 07 65**
योग (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**3070 63 66**	**3671 57 65**
III. ऊपर I एवं II में सम्मिलित प्रतिभूति उधार	**III. Secured borrowings included in I & II above**	**184 00 00**	**506 50 00**

अनुसूची – 5 **अन्य देयताएँ व प्रावधान**	**SCHEDULE - 5** **OTHER LIABILITIES & PROVISIONS**	**AS AT 31.03.2022 तक**	**AS AT 31.03.2021 तक**
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
I. देय बिल	I. Bills Payable	700 76 90	659 26 00
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter Office Adjustments (Net)	3555 93 65	2252 35 93
III. प्रोद्भूत ब्याज	III. Interest Accrued	41 43 74	40 22 35
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	IV. Others (including provisions)	6849 67 92	10154 44 20
योग	**TOTAL**	**11147 82 21**	**13106 28 48**

अनुसूची - 6 भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी व शेष	SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	AS AT 31.03.2022 तक	AS AT 31.03.2021 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा व एटीएम नकद सम्मिलित है)	I. Cash on hand (including Foreign currency notes & ATM cash)	1154 04 35	960 02 63
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष	II. Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में	i) in Current Account	13355 89 50	11239 90 83
ii) अन्य खातों में	ii) in Other Accounts	2196 71 63	-10 72 83
योग	**TOTAL**	**16706 65 48**	**12189 20 63**

अनुसूची - 7 बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	AS AT 31.03.2022 तक	AS AT 31.03.2021 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
I. भारत में	I. In India		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with banks		
अ) चालू खातों में	a) In Current Accounts	14 60 32	17 38 08
आ) अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	387 42 48	204 90 84
ii) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	ii) Money at Call and Short Notice		
अ) बैंकों के साथ	a) With banks	6043 00 00	12218 00 00
आ) अन्य संस्थाओं के साथ	b) With other institutions	0	0
योग - I	**TOTAL - I**	**6445 02 80**	**12440 28 92**
II. भारत के बाहर	II. Outside India		
अ) चालू खातों में	a) In Current Accounts	2505 33 41	1013 68 74
आ) अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	10959 37 60	4421 33 33
इ) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	c) Money at Call and Short Notice	334 86 74	917 92 36
योग - II	**TOTAL - II**	**13799 57 75**	**6352 94 44**
योग (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**20244 60 56**	**18793 23 36**

अनुसूची - 8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS	AS AT 31.03.2022 तक	AS AT 31.03.2021 तक
		रु. हज़ार में (Rs. in 000's)	
I. भारत में निवेश	**I. INVESTMENTS IN INDIA**		
i)सरकारी प्रतिभूतियाँ	i) Government Securities	88308 63 94	85580 50 17
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	98 95	98 95
iii) शेयर	iii) Shares	1393 43 94	1088 64 02
iv) डिबेंचर और बांड	iv) Debentures and Bonds	3106 12 70	3403 43 34
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	0	0
vi) अन्य निवेश	vi) Other Investments	1203 84 53	1647 04 63
(म्यूचुअल फंड, जमाओं की वेंचर पूंजी निधि जमा प्रमाण-पत्र और सी पी में निवेश)	(Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds, Certificate of Deposits and CP)		
योग- I	**TOTAL - I**	**94013 04 06**	**91720 61 11**
II. भारत के बाहर के निवेश	**II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA**		
i)सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों समेत)	i) Government Securities (including Local Authorities)	3660 81 89	3238 40 66
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	0	0
iii) शेयर	iii) Shares	42 28 93	7 48
iv) डिबेंचर और बांड	iv) Debentures and Bonds	316 82 98	300 16 31
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	193 44 19	193 44 19
vi) अन्य निवेश	vi) Other Investments	40 80 03	32 18 74
योग – II	**TOTAL - II**	**4254 18 01**	**3764 27 38**
योग (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**98267 22 08**	**95484 88 49**
भारत में सकल निवेश	**Gross Investments in India**	96496 53 85	94628 21 50
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	2416 84 81	2907 60 39
घटाएँ: पुनर्सरचित निवेशों पर ब्याज	Less: Interest on Restructured Investments	0	0
निवल निवेश	**Net Investments**	**94079 69 03**	**91720 61 11**
भारत के बाहर सकल निवेश	**Gross Investments Outside India**	4206 90 67	3770 44 18
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	19 37 63	6 16 80
निवल निवेश	**Net Investments**	**4187 53 04**	**3764 27 38**
कुल निवल निवेश	**Total Net Investments**	**98267 22 08**	**95484 88 49**

अनुसूची - 9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES	AS AT 31.03.2022 तक	AS AT 31.03.2021 तक
		रु. हज़ार में (Rs. in 000's)	
अ. i) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	A. i) Bills Purchased & Discounted	2905 75 04	1647 18 78
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर पुनर्भुगतान किए गए ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	44605 23 51	45674 57 92
iii) सावधि उधार	iii) Term Loans	96742 57 14	80419 65 39
योग	**TOTAL**	**144253 55 69**	**127741 42 09**
आ. i) मूर्त आस्तियों के द्वारा प्रतिभूतित (बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	116825 49 19	100737 35 95
ii) बैंक/ सरकारी जमानतों द्वारा संरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	6852 60 01	3673 63 71
iii) अप्रतिभूतित	iii) Unsecured	20575 46 49	23330 42 43
योग	**TOTAL**	**144253 55 69**	**127741 42 09**
इ. I) भारत में अग्रिम	C. I) Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	i) Priority Sector	82051 69 47	83068 89 12
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	8971 66 67	5596 29 51
iii) बैंक	iii) Banks		
iv) अन्य	iv) Others	41693 29 21	30594 88 81
योग	**TOTAL**	**132716 65 35**	**119260 07 44**
II) भारत के बाहर अग्रिम	II) Advances Outside India		
i) बैंकों से बकाया	i) Due from Banks	0	0
ii) अन्यों से बकाया	ii) Due from Others		
a) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	5762 40 66	3011 00 66
b) सामूहिक ऋण	b) Syndicated Loans	1743 43 04	1346 64 32
c) अन्य	c) Others	4031 06 64	4123 69 67
योग	**TOTAL**	**11536 90 34**	**8481 34 65**
योग (इ-I एवं इ-II)	**TOTAL (C-I & C-II)**	**144253 55 69**	**127741 42 09**

अनुसूची - 10 स्थिर आस्तियाँ	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS	AS AT 31.03.2022 तक	AS AT 31.03.2021 तक
		रु. हज़ार में (Rs. in 000's)	
I. परिसर	**I. Premises**		
वर्ष के आरंभ में / पुनर्मूल्यांकित लागत पर	At cost / revalued as at beginning of the FY	3973 49 58	3977 45 10
वर्ष के दौरान परिवर्धन *	Additions during the year *	517 82 24	2 93 45
उप कुल	**SUB TOTAL**	4491 31 82	3980 38 55
वर्ष के दौरान कटौतियाँ *	Deductions during the year *	105	6 88 97
		4491 30 77	3973 49 58
की तिथि तक मूल्यह्रास	Depreciation to date	1262 20 25	1209 35 54
कुल -I	**TOTAL -I**	**3229 10 53**	**2764 14 04**
II. पूँजीगत चालू कार्य	**II. Capital work in progress**	**11 11**	**1 11 63**
कुल - II	**TOTAL - II**	**11 11**	**1 11 63**
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्निचर और जुड़नार शामिल हैं)	**III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**		
वित्तीय वर्ष के आरंभ में लागत	At cost as at beginning of the FY	2126 18 10	2081 93 27
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	110 62 75	68 40 93
उप कुल	**SUB TOTAL**	2236 80 85	2150 34 20
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Deductions during the year	20 58 32	24 48 11
		2216 22 53	2125 86 09
की तिथि तक मूल्यह्रास	Depreciation to date	2079 40 54	1972 14 54
कुल - III	**TOTAL - III**	**136 81 99**	**153 71 55**
योग (I, II व III)	**Total (I, II & III)**	**3366 03 63**	**2918 97 22**

* 31.03.2022 को विनिमय दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित बदलाव पर समायोजन शामिल हैं ।

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange at 31.03.2022

अनुसूची - 11 अन्य आस्तियाँ	SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS	AS AT 31.03.2022 तक	AS AT 31.03.2021 तक
		(रु. हजार में Rs. in 000's)	
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	i) Inter Office Adjustments (Net)		
ii) प्रोद्भूत ब्याज	ii) Interest Accrued	3092 78 58	3464 51 82
iii) अग्रिम रूप से प्रदत्त कर (प्रावधानों का निवल)	iii) Tax paid in advance (Net of Provisions)	4130 97 77	3452 29 54
iv) लेखन – सामग्री व स्टैम्प	iv) Stationery & Stamps	3 43 65	4 06 58
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	210 01 51	210 01 51
vi) अन्य (नाबार्ड के पास रखे जमाओं को शामिल करें)	vi) Others (Include Deposits placed with NABARD)	9381 11 74	9970 71 35
कुल	**TOTAL**	**16818 33 24**	**17101 60 80**

अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएँ	SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES	AS AT 31.03.2022 तक	AS AT 31.03.2021 तक
		(रु. हजार में Rs. in 000's)	
i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	4 15 85	4 20 09
ii) अंशतः भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता	ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	68771 74 82	43585 22 04
iv) ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ	iv) Guarantees given on behalf of constituents		
क) भारत में	a) In India	12704 85 48	11610 46 44
ख) भारत के बाहर	b) Outside India	414 52 80	400 25 53
v) सकार , पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	v) Acceptances, Endorsements &Other obligations	5821 75 16	4390 79 29
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	vi) Other items for which the bank is contingently liable		
क) पूँजीगत खातों पर निष्पादित शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts	46 81 80	57 07 88
ख) करेंसी स्वैप के तहत बैंक देयताएँ	b) Banks liability under currency swaps	1093 13 00	1093 13 00
ग) ब्याज दर स्वैप (यूएसडी)	c) Interest rate swaps (USD)	0	0
घ) ब्याज दर स्वैप (आइएनआर)	d) Interest rate swaps (INR)	0	0
ङ) मुद्रा विकल्पों के तहत बैंक देयता	e) Bank's Liability under Currency Options	0	0

च) क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप / एफआरए / प्राप्य प्रभार	f) Credit Default Swaps/FRAs/Receivable Charges	0	0
छ) भारिबै के साथ डीईएएफ में राशि	g) Amount in DEAF with RBI	1595 20 53	1372 15 99
ज) आइटी मांग विवादित	h) Disputed IT demands	7549 61 57	5755 60 99
झ) अन्य	i) Others	9 12 98	27 15 61
कुल	**TOTAL**	**98011 05 59**	**68296 18 46**

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज	SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2022	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2021
		रु. हजार में	(Rs. in 000's)
i) ब्याज/ अग्रिम बट्टा/ बिल	i) Interest / discount on advances / bills	10665 88 09	10839 63 46
ii) निवेशों पर आय	ii) Income on investments	5675 81 98	5713 65 62
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	234 52 20	311 12 07
iv) अन्य	iv) Others	159 61 93	111 14 52
कुल	**TOTAL**	**16735 84 20**	**16975 55 67**

अनुसूची - 14 अन्य आय	SCHEDULE - 14 OTHER INCOME	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2022	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2021
		रु. हजार में	(Rs. in 000's)
i) कमीशन , विनिमय और दलाली	i) Commission, Exchange and Brokerage	1039 84 09	948 75 25
ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	ii) Profit on Sale of Investments (Net)	933 66 42	1820 37 94
iii) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर निवल हानि	iii) Net Loss on Revaluation of Investments	-191 52 27	-13 90
iv) भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ व अन्य आस्तियाँ	iv) Profit on sale of land, Building & other Assets	1 20 05	1 49 24
v) विनिमय लेन देन पर लाभ (निवल)	v) Profit on exchange transactions (Net)	898 47 76	603 14 76
vi) विविध आय	vi) Miscellaneous Income	2223 67 23	2112 01 31
कुल	**TOTAL**	**4905 33 28**	**5485 64 60**

अनुसूची - 15 खर्च किया गया ब्याज	SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2022	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2021
		रु. हजार में	(Rs. in 000's)
i) जमाओं पर ब्याज	i) Interest on Deposits	10220 35 04	10703 74 13
ii) भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter - Bank Borrowings	199 12 28	365 69 50
iii) अन्य	iii) Others	1 26	1 87
योग	**TOTAL**	**10419 48 58**	**11069 45 49**

अनुसूची - 16 परिचालन गत व्यय	SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2022	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2021
		(रु. हजार में Rs. in 000's)	
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	i) Payments to and provisions for employees	3488 89 39	3705 91 26
ii) भाड़ा, कर और लाइटिंग	ii) Rent, Taxes and Lighting	445 92 66	418 18 51
iii) मुद्रण और लेखन सामग्री	iii) Printing and Stationery	19 53 90	17 41 69
iv) विज्ञापन और प्रचार	iv) Advertisement and Publicity	44 09	35 09
v) बैंकों की संपत्ति पर मूल्यह्रास	v) Depreciation on Bank's property	172 55 89	258 17 34
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	vi) Directors' fees, allowances and expenses	40 56	35 32
vii) लेखा परीक्षकों की फीस व खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों के शुल्क व व्यय सहित)	vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's Fees and Expenses)	39 11 30	36 32 81
viii) विधि प्रभार	viii) Law charges	24 25 91	30 12 98
ix) डाक, तार, टेलीफोन, आदि	ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	67 51 65	66 65 86
x) मरम्मत व अनुरक्षण	x) Repairs and Maintenance	22 93 39	19 80 03
xi) बीमा	xi) Insurance	322 99 21	300 26 43
xii) अन्य व्यय	xii) Other Expenditure	854 39 21	715 45 58
योग	**TOTAL**	**5458 97 17**	**5569 02 92**

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित खातों के भाग के रूप में अनुबंधित

1. तैयारी का आधार

1.1. बैंक का वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत उपचित अवधारणा सहित कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।यह भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें वैधानिक प्रावधान, नियामक / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) दिशा-निर्देश, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक / मार्गदर्शन नोट्स और प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं । विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित विदेशी देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और प्रथाओं का पालन किया जाता है।

वित्तीय विवरणों को उपचित अवधारणा सहित कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है जो कि निरंतर रूप से पालन किए जा रहे लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप है ,जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

समेकन का आधार

i. संयुक्त उद्यम और सहयोगी सहित बैंक के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) के आधार पर तैयार किए गए हैं:

क) इण्डियन ओवरसीज बैंक (बैंक) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।

ख) संयुक्त उद्यम का समेकन - आईसीएआई द्वारा जारी एएस 27 "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार 'आनुपातिक समेकन'।

विदेशी संयुक्त उद्यम के सीएफएस की तैयारी के लिए उपयोग की जाने वाली विनिमय दर नीचे दी गई है:

लाभ और हानि - त्रैमासिक औसत दर

तुलन पत्र - वर्ष के अंत में स्पॉट रेट।

ग) आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23"समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" के अनुसार 'इक्विटी विधि' के तहत 'एसोसिएट्स' में निवेश के लिए लेखांकन ।

ii. विदेशी संयुक्त उद्यम में बैंक के निवेश की लागत के बीच अंतर को ट्रांसलेशन रिज़र्व के तहत लेखांकित किया जाता है ।

iii. संयुक्त उद्यम व उनके सहयोगी संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखांकन नीतियों का पालन करते हैं। ऐसी विविध लेखांकन नीतियों का पालन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अनिवार्य/सांविधिक आवश्यकताओं की संबंधित लेखांकन नीतियों को अपनाकर ही समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। जब वित्तीय विवरणों का उपयोग समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में किया जाता है तो उनमें कोई समायोजन नहीं किया जाता ।

आकलन का प्रयोग:

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को चाहिए कि वे ऐसे आकलन करें व अनुमान लगाएँ जिनको वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

रजस्व पहचान व्यय लेखांकन

2.बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के मुताबिक आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के मामले में उगाही के आधार पर आय का अभिज्ञान किया जाता है। वाद दायर खातों एवं एकबारगी निपटान खातों को छोड़कर जहाँ मूल रकम के संबंध में समंजन किया जाता है , बाकी मामलों में अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन पहले ब्याज और शेष ,अगर हो तो, के लिए किया जाता है ।आय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को बेची गई परिसंपत्तियों के मामले में है जब बिक्री रकम निवल बही मूल्य से अधिक होती है (अर्थात प्रावधान घटाकर बही बकाया) तब आय को प्राप्त बिक्री की सहमति के नकद घटक की सीमा तक मान्यता दी गई ।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन(साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार/ बीमा को छोडकर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की प्रेषण बिक्री से प्राप्त आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है ।

2.4 खर्चों को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है,जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.5 परिपक्व अतिदेय सावधि जमाओं के मामले में,जमाओं का नवीकरण करते समय ब्याज का परिकलन किया जाता है। निष्क्रिय बचत बैंक खाते,अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाता है ।

2.6 वाद दायर खातों के संबंध में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान / हिसाब देश में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है ।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

3.1 विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन देन का लेखांकन,लेखा मानक (एएस) 11 के अनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया जाता है।

3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी):

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Annexed to and forming part of the (Consolidated Accounts) for the year ended 31st March 2022.

1. Basis of Preparation

1.1 The Bank's financial statements have been prepared under the historical cost convention on the accrual basis of accounting and ongoing concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), circulars and guidelines issued by RBI from time to time. Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting practices consistently followed unless otherwise stated.

Basis of Consolidation

i. Consolidated financial statements (CFS) of the Bank (comprising of Joint Venture and Associate) have been prepared on the basis of:

a) Audited financial statements of Indian Overseas Bank (Bank).

b) Consolidation of Joint Venture — 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the ICAI.

The Exchange rate used for the preparation of CFS of Overseas Joint Venture are as below:

Profit & Loss – Quarterly Average Rate

Balance Sheet – Spot Rate at the end of the Year.

c) Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

ii. The difference between cost to the Bank of its investment in the overseas Joint venture is accounted under translation reserves.

iii. The Joint Venture and Associate follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements. No adjustments are made to the financial statements when they are used in preparing consolidated financial statements.

Use of Estimates

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates

Significant Accounting Policies followed by the Bank.

2. Revenue Recognition and Expense Accounting

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non-Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement, where it would be appropriated towards principal. In case of assets sold to Asset Reconstruction Companies (ARCs), the income is recognized to the extent of cash component of the Sale Consideration received, where the sale consideration is over and above Net Book Value (i.e. Book outstanding less Provisioning).

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/Letter of Guarantee/Government Business/Insurance), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 Interest payable on Overdue Term Deposits is provided @ Savings Bank rate, till such time it is transferred to Unclaimed Term Deposits. In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized/ accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign Currency Transactions

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transactions in respect of Treasury(Foreign):

a) Foreign Currency transactions, except foreign currency deposits and lending, are recorded on initial recognition

दर विदेशी मुद्रा रक़म पर लागू कर के रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्कालीन लागू भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ,की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में इति शेष, समापन दरों पर दिखाया जाता है। सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेनदेन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को ''अन्य देयताएँ व प्रावधान' '/ ''अन्य आस्ति खाता' में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व के अंतर्गत रखा जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोडकर जहाँ खातों का समायोजन क्लोजिंग दरों पर किया जाता है ।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा बहियों में उनके लेनदेन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन:

क. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्धारित है, सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न परिचालन माना जाता है ।

ख. परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) को हर तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित समाप्ति स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ग. प्रत्येक तिमाही के अंत में आय और व्यय को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा सूचित त्रैमासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

घ. परिणामी विनिमय के अंतर को आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन इसे निवल निवेश के निपटान तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिज़र्व '' नामक अलग खाते में जमा किया जाता है ।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और परिपक्वता के लिए धारित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है । इन निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित 6 वर्गों में दिखाया जाता है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर

घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर

ड.) सहायक/संयुक्त उपक्रम

च) म्यूचुअल फंड यूनिट व अन्य

42. म्यूच्यूअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।

4.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

4.3.1. ''व्यापार के लिए धारित'' और ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' प्रवर्गों के तहत व्यक्तिगत शेयरों को तिमाही अंतराल पर विपणन के लिए मार्क किया गया। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फिम्डा (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार के प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यांकन एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग/ उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। उद्दत भाव वाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार दरों पर किया जाता है तथा गैर उद्दत भाव वाले ईक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्य/ एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यांकन रु.1/-प्रति कंपनी/ निधि के हिसाब से किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमाओं के प्रमाण पत्र को रखा व लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को उपलब्ध बाज़ार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है ।

पीडीएआइ (भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ)/ एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है ।

छ: वर्गीकरणों में से प्रत्येक के तहत उपर्युक्त मूल्यांकनों के आधार पर निवल मूल्यह्रास यदि कोई है, तो प्रावधान किया जाता है और निवल वृद्धि,यदि कोई है तो इसे नजरअंदाज किया जाता है। हालाँकि यदि व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में मूल्यांकन के कारण कोई परिवर्तन नहीं है तो तुलन पत्र में निवेशों को मूल्य ह्रास के निवल के रूप में दर्शाया जाता है।

4.3.2 ''परिपक्वता के लिए धारित'': ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत / परिशोधन लागत पर लिया जाता है। प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत में यदि अधिकता हो तो उसे परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूँजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

4.4 एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान/आय की अनभिज्ञान के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों/बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और जहाँ कहीं लागू हो तदनुसार प्रावधान किया जाता है।

4.5 किसी भी वर्ग में निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है। ''परिपक्वता के लिए धारित वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, करों का निवल लाभ पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित की जाती है।

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज,प्रोत्साहन/ प्रारम्भिक शुल्क (फ्रण्ट-एण्ड-फीस) आदि को लाभ-हानि खाते में लिखा

in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.\

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. Investments

4.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the RBI Guidelines. Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities

b) Other Approved securities including those issued by local bodies.

c) Shares,

d) Bonds & Debentures,

e) Subsidiaries / Joint Ventures and

f) Units of Mutual Funds and Others.

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realization basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by RBI as under:

4.3.1. Individual securities under "Held for Trading" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities and State Government securities are valued at market rates declared by FBIL (Financial Benchmarks India Pvt Ltd). Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India). Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value /NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company /Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI (Primary Dealers Association of India)/FBIL periodically.

Based on the above valuations under each of the six classifications, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored. Though the book value of individual securities would not undergo any change due to valuation, in the books of account, the investments are stated net of depreciation in the balance sheet.

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortized cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortised on an effective interest rate method, over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions and units of Venture capital funds are valued at carrying cost.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de –recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by RBI for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on Sale of Investments in any category (viz. Held for Trading, Available for Sale and Held to Maturity) is taken to Profit & Loss account. In case of Profit on Sale of Investments in "Held to Maturity" category, Profit net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of

जाता है।खंडित अवधि ब्याज ट्रेज़री बिलों के मामले में नहीं होता । आय का लेखांकन होल्डिंग लागत और फेस वैल्यू यानि डिस्काउंट आय के अंतर के आधार पर किया जाता है।

4.7 रेपो/रिवर्स रिपो (पुन:खरीद /प्रति पुनर्खरीद) लेन-देन का भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखा – जोखा किया जाता है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.9 सभी निवेशों को वेटेड ऐवरेज प्राइसिंग विधि को अपनाकर धारित किया गया है ।

4.10 सभी निवेश सेटलमेंट तिथि के आधार पर बही में धारित किया जाता है ।

4.11 निवेश पर डिविडेंड आय का हिसाब नकदी आधार पर किया जाता है ।

4.12 तुलनपत्र में निवेशों को अनर्जक निवेशों के संबंध में धारित नेट ऑफ प्रावधान के आधार पर दर्शाया गया है।

4.13 भुगतान हेतु परिपक्व निवेशों को "अन्य आस्तियों" के तहत दर्शाया गया है । अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधान भी उन निवेशों से नेट किया गया है ।

4.14 निवेश को उसकी खरीद के समय एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में स्थानांतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बुक वैल्यू/बाजार मूल्य के आधार पर अन्य वर्गों में निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार स्थानांतरण, एचएफटी से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरण के अलावा, किया जाता है । ऐसे स्थानांतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया है और प्रतिभूति का बही मूल्य तदनुसार समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का ऐसा अंतरण भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) की अनुमति या दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.15 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नंबर बीपी बीसी. 102/21.04.048/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) बनाया जाना है ताकि भविष्य में उपज में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रिज़र्व तैयार किया जा सके।

निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) में स्थानांतरण निम्नरूप में होना चाहिए: -

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ या

बी) वर्ष के लिए शुद्ध लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है ,

जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का 2% न हो जाए।

5. अग्रिम

5.1 भारत में अग्रिमों को मानक,अव-मानक,संदिग्ध और हानि-जनक आस्तियों के रुप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार समय-समय पर ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है । विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

5.3 पुनर्रचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए, प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिसके लिए संबंधित ऋणों/ अग्रिमों खातों प्रावधानीकरण के अतिरिक्त ऋण / अग्रिम के पुनर्संरचना के पूर्व व बाद के उचित मूल्य को घटाया जाना है । उचित मूल्य में कमी और उपरोक्त से उत्पन्न ब्याज में कमी , यदि कोई हो, के प्रावधान को अग्रिमों से घटा दिया गया है।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक खाते को निष्पादन परिसंपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह नियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

6. डेरिवेटिव्स

6.1. ब्याज सहित आस्तियों/ देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2. प्रतिरक्षा उद्देश्यों से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित की गयी है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति/देयता जो भी पहले हो,पर इसकी पहचान की गयी है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति/देयता के साथ नामित किया जाता है जिसे भी बाजार को चिन्हित किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति/देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।

6.3. उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ-हानि खाते में पहचाना/मान्य किया गया। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है । कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

7. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)

7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

परिसर	2.50%
फ़र्नीचर	10%
विद्युत संस्थापना, वाहन व कार्यालयीन उपकरण	20%
कम्प्यूटर	33 1/3%

securities are taken to Profit and Loss account. Broken Period interest does not arise in case of Treasury Bills. Income is accounted based on the difference between the holding cost and the face value i.e. discount income.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

4.9 All the investments are held by adopting the Weighted Average Pricing Method.

4.10 All the investments are held in the book on settlement date basis only.

4.11 Dividend income on investments is accounted on cash basis.

4.12 Investments are shown in the Balance Sheet at net off provision held in respect of Non Performing Investments.

4.13 Investments matured for payment are shown under "Other Assets" and underlying provisions held for Non Performing Investments is also netted off from the said investments.

4.14 An Investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories, other than shifting / transfer from HFT to AFS Category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. Such transfer of securities from one category to another is done as per permission from or guidelines of Reserve Bank of India (RBI).

4.15 As per RBI Circular no. RBI/2017-18/147 DBR No. BP BC. 102/ 21.04.048/ 2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-19 an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the bank against increase in yields in future.

The Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be the lower of the following: -

a) Net Profit on sale of investments during the year or

b) Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is atleast 2% of the HFT and AFS Portfolio, on a continuing basis.

5. Advances

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions, except general provisions for standard advances.

5.3 For Restructured / Rescheduled Assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loans / advance before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The Provision for Diminution in Fair Value and interest sacrifice, if any, arising out of the above is reduced from advances.

In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the Regulators.

6. Derivatives

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination of such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.

7. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

7.1 Fixed Assets, except revalued premises, are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.50%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20%
Computers	33 1/3 %

अग्निशामक यंत्र	100%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	33 1/3%

स्थाई आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन हिस्से पर मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते से लिया जाता है और समकक्ष राशि को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से राजस्व रिज़र्व में अंतरित कर दिया जाता है।

7.3 अधिग्रहण/पुनर्मूल्यांकन की तारीख पर ध्यान दिए बगैर मूल्य ह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया जाता है ।

7.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

7.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया जाता है।

7.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि के अंशदान लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है ।

8.2 उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है। सेवानिवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। तथापि पेंशन विकल्प के आ जाने से वर्ष के दौरान अतिरिक्त देयता और ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोत्तरी का पाँच वर्षों के लिए परिशोधन किया जा रहा है ।

8.3. विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है।

9.आय पर कर:

आयकर व्यय बैंक द्वारा मौजूदा कर व आस्थगित कर व्यय की गयी कुल राशि है । मौजूदा कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण , विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए कर, जो कि संबंधित न्यायाधिकारक्षेत्र के कर नियमों पर आधारित होता है, को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम 1961 व "आय पर करों के लेखांकन" से संबंधित लेखांकन मानक 22 के तहत किया जाता है । आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों व देयताओं में हुए परिवर्तन शामिल हैं। आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है परंतु इस शर्त पर कि आय की मदों के संबंध में विवेकपूर्ण विचार हो सके और एक समय में उत्पन्न होने वाले ऐसे खर्चों जिन्हें बाद की एक या इससे अधिक अवधियों में उलट दिये जाने की संभावनाओं पर भी विचार हो सके। आस्थगित कर से जुड़ी आस्तियों और देयताओं की गणना लागू कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है और ये दरें उस वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर प्रयोज्य की जाने वाली आयकर दरों के आधार पर नियत की जाती है जहाँ समयबद्ध विभेदों को उल्टे जाने की संभावना होती है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को आय के उस विवरण में मान्यता दी जाती है जो परिवर्तन को लागू करने की अवधि से संबंधित है।

10. प्रति शेयर अर्जन

भारतीय सनदी लेखाकंन संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार बैंक प्रति इक्विटी शेयर के आधार पर मूल और डाइलूटेड प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। डाइलूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर संभाव्य घटाव को दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण से हो सकता है। प्रति ईक्विटी शेयर डाइलूटेड आय का परिकलन भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया डाइलूटिव पोटेंशियल ईक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

11. आस्तियों की क्षति

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को यह निर्धारित करता है कि क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। यदि कोइ घाटा हो तो,उसे लाभ एवं हानि खाता में अनुमानित वसूली योग्य रकम से अधिक आस्ति रकम तक दर्शाया गया है।

12. क्षेत्र/खंड रिपोर्टिंग

आरबीआइ के दिशानिर्देशों और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यापार खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को सेकंडरी रिपोर्टिंग खंड के रूप में चिन्हित करता है ।

13 प्रावधानों प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिए लेखांकन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी प्रावधानों,प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिये बैंक प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो,संभव है कि ऐसे में संसाधनों का बहिर्प्रवाह और उससे आर्थिक लाभ की आवश्यकता से बाध्यताओं को निपटाने के लिए और जब बाध्यता की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेन देनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रकम का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में प्रासंगिक आस्ति यदि कोई हो तो उसे मान्यता नहीं दी गई है या प्रकट नहीं किया गया है।

Fire Extinguishers	100%
Computer Software	33 1/3%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to the profit and loss account and equivalent amount is transferred from Revaluation reserve to Revenue Reserves.

7.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.

7.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.5 In respect of leasehold properties, premium is amortized over the period of lease.

7.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. Staff Benefits

8.1 Contribution to Provident Fund is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is made based on actuarial valuation at the year-end.

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. Taxes on Income

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions. Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognized on carry forward of tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realized against future profits.

10. Earning per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, "Earnings Per Share", issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year-end except where the results are anti-dilutive.

11. Impairment of Assets

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. Segment Reporting

The Bank recognizes the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

अनुसूची 18

वर्ष 2021-22 हेतु समेकित वित्तीय विवरणों के खातों पर टिप्पणियाँ

समेकित वित्तीय परिणाम "समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन" पर एएस 21 के अनुसार, "एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" पर एएस 23 और आइसीएआइ द्वारा जारी "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" और लेखांकन मानक 27 और आरबीआइ द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ।

1. समेकित वित्तीय विवरणों में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) और बैंक के निम्नलिखित अनुषंगी और संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण शामिल हैं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निवेश का प्रकार	निगमनो का देश	होल्डिंग का%
1	ओडिशा ग्राम्य बैंक	एसोसिएट्स	भारत	35%
2	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद	संयुक्त उद्यम	मलेशिया	35%

यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बैंक की 18.06% हिस्सेदारी है। चूंकि युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में शेयरधारिता 25% से कम है, इसे आरबीआइ के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना गया है और इस प्रकार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विचार नहीं किया गया है।

बैंक ने पहली बार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों की गणना मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्त के आधार पर की गई है।

बैंक की कोई अनुषंगी संस्था नहीं है।

2. एसोसिएट्स / संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण:

अ. सहयोगी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण बैंक की रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31.03.2022 तक और संयुक्त उद्यम अर्थात इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (आइआइबीएमबी) के मामले में 31.12.2021 तक हैं। । जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, 01.01.2022 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण लेनदेन या अन्य घटनाएँ नहीं हुई हैं जिनमें समायोजन की आवश्यकता है ।

संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रकटीकरण प्रबंधन के पास उपलब्ध विवरण के आधार पर दिया जाता है। इस तरह के विवरण की अनुपलब्धता के मामले में, प्रबंधन का विचार है कि ऐसे विवरण समेकित वित्तीय विवरणों के तहत प्रकटीकरण को अधिक प्रभावित नहीं करेंगे।

आ. बैंक ने 31.03.2022 तक सहयोगी की संचित हानियों के अपने हिस्से को 433 करोड़ रुपये की सीमा पर विचार नहीं किया है।

इ. बैंक की बहियों में 310.33 करोड़ रुपये की लागत से सहयोगियों में निवेश किया गया है।

ई. एएस 27 के अनुरूप, बैंक ने अपने हिस्से की 206.08 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी सहित संयुक्त उद्यम के आंकड़ों को आनुपातिक रूप से क्रमबद्ध तरीके से समेकित किया है।

उ. संयुक्त उद्यम में 193.44 करोड़ रुपये की लागत से निवेश किया जाता है।

3. समेकन

31.03.2022 तक अंतर-शाखा लेनदेन का समेकन पूरा कर लिया गया है और बकाया प्रविष्टियों को विलोपन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । प्रबंधन बकाया प्रविष्टियों के समाधान/उन्मूलन पर किसी महत्वपूर्ण परिणामी प्रभाव की आशा नहीं करता है।

4. पूंजी और आरिक्षतियाँ

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने क्यूआइबी द्वारा सब्सक्राइब किए गए निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कुल 665 करोड़ रुपये के बेसल III टियर II बॉन्ड जारी किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने 02.06.2021 को रूपये 16.63 प्रति शेयर की निर्गम राशि पर 10/- रुपये के 246,54,23,932 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए थे जिसमें रूपये 1634.58 करोड़ की कुल राशि में 6.63 रूपये प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम शामिल है) कुल मिलाकर 4100 करोड़ रुपये पूंजी प्रवाह और शेयर आवेदन राशि के लिए भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को तरजीह के आधार पर बैंक द्वारा 31.03.2021 को प्राप्त किए गए थे । भारत सरकार की शेयरधारिता 95.84% से बढ़कर 96.38% हो गई है। बैंक की चुकता पूंजी 16436.99 करोड़ रुपए से बढ़कर 18902.41 करोड़ रुपए हो गई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण, बैंक के पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में 529.10 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और 31.03.2022 को यह 2,749.56 करोड़ रुपये हो गया।

5. निवेश फ्लक्चुएशन रिजर्व

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआइ/2017-18/147 डीबीआर संख्या बीपी बीसी. 102/21.04.048/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक निवेश फ्लक्चुएशन रिजर्व (आइएफआर) बनाया जाना है ताकि भविष्य में आय में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त आरक्षितियाँ तैयार की जा सकें ।

निवेश फ्लक्चुएशन रिजर्व (आइएफआर) में स्थानांतरण निम्नरूप में होना चाहिए:

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ या

बी) वर्ष के लिए शुद्ध लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है, जब तक आइएफआर राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो की 2% न हो जाए।

तदनुसार, आरबीआइ के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने 31.03.2022 को ट्रेडिंग बुक का 2% होने के नाते 390 करोड़ रुपये आरक्षित किए थे।

Schedule 18

NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 2021-22

The consolidated financial statements (CFS) are prepared in accordance with Accounting Standard 21 (AS 21) on "Accounting for Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 (AS 23) on "Accounting for Investment in Associates" and Accounting Standard 27 (AS 27) on "Financial Reporting of Interests in Joint Venture" issued by the ICAI, to the extent they are not inconsistent with RBI guidelines.

1. The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Indian Overseas Bank (Bank) and the following Associates and Joint Ventures of the Bank:

Sl. No	Name of the Company	Type of Investment	Country of Incorporation	% of Holding
1	Odisha Gramya Bank	Associate	India	35%
2	India International Bank (Malaysia) Berhad	Joint Venture	Malaysia	35%

The Bank is holding 18.06% in Universal Sompo General Insurance Company Ltd. Since the shareholding in the Company is less than 25%, the same has not been considered as Joint Venture as per extant RBI guidelines and thus not considered for preparation of consolidated Financial Statements.

Bank has prepared the Consolidated Financial Statements for the first time. Previous year figures have been reckoned based on the audited financials for the year ended March 2021.

Bank does not have any subsidiary.

2. Financial Statements of Associates / Joint Venture:

a. The audited financial statements of the Associate have been drawn up to the same reporting date as that of the Bank i.e. 31.03.2022 and in case of JV viz: India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB), which have been drawn up to 31.12.2021. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during the period from 01.01.2022 to 31.03.2022 requiring adjustment therein.

The disclosures in respect of Joint venture is given to the extent details available with the management. In the case of non-availability of such details, the management is of the view that the details would not materially impact disclosures under the consolidated financial statements.

b. Bank has not considered its share of accumulated losses of the associate as on 31.03.2022 to the extent of Rs.433 crores.

c. Investment in associates has been carried at cost of Rs.310.33 crores in Bank's Books.

d. In line with AS 27, Bank has consolidated Joint Venture figures proportionately line by line including its share of Share capital of Rs.206.08 crores.

e. Investment in Joint Venture is carried at carrying cost of Rs.193.44 crores.

3. Reconciliation

Reconciliation of Inter Branch transactions has been completed up to 31.03.2022 and steps for elimination of outstanding entries are in progress. The Management does not anticipate any material consequential effect on reconciliation / elimination of outstanding entries.

4. Capital and Reserves

During the Financial Year 2021-22 Bank has issued Basel III Tier II Bonds aggregating to Rs.665 crores through private placement subscribed by QIBs.

During the Financial year 2021-22, the Bank on 02.06.2021 had issued and allotted upto 246,54,23,932 equity shares of Rs.10/- each for cash at Issue Price of Rs.16.63 per Equity Share (including a premium of Rs.6.63 per equity share amounting to Rs.1634.58 crores) aggregating to Rs.4100 crores on preferential basis to Government of India (President of India) for capital infusion and share application money was received by the Bank on 31.03.2021. The Government of India shareholding has increased from 95.84% to 96.38%. The paid up capital of the Bank increased from Rs.16436.99 crores to Rs.18902.41 crores.

On account of revaluation of immovable properties during the year FY 2021-22, the Revaluation Reserve of the Bank increased by Rs.529.10 crores and stands at Rs.2,749.56 crores as at 31.03.2022.

5. Investment Fluctuation Reserve

As per RBI circular number RBI/2017-18/147 DBR. No. BP BC .102/ 21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-2019, an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the bank against increase in yields in future.

The Transfer to IFR is to be the lower of the following –

a. Net profit on sale of Investments during the year or

b. Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and

AFS portfolio, on a continuing basis.

Accordingly, in compliance with extant RBI Guidelines, Bank had provided Rs.390 crores being 2% of Trading book as on 31.03.2022.

6. **आरक्षितियों से आहरण**

जैसा कि नीचे दिया गया है चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक शुद्ध लाभ के 25% के सांविधिक रिजर्व को विनियोग करने के संबंध में आरबीआइ -आरएआर 2021 टिप्पणियों का पालन करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन पर दिनांक 18.02.2022 के अपने पत्र के माध्यम से आरक्षतियों से आहरण को प्रभावित किया है।

(रुपये करोड़ में)

से	तक	राशि
पूंजी आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां को छोड़कर)	सांविधिक आरक्षितियां	142.05
लाभ और हानि खाता	सांविधिक आरक्षितियां	65.82

7. **कर**

अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों, न्यायिक संघोषणाओं और कर विशेषज्ञों की राय पर विचार करने के पश्चात विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में आय कर से संबंधित रु. 7409.24 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 5734.33 करोड़) एवं सेवा कर से संबंधित रु. 122.33 करोड़ (पिछले वर्ष 122.33 करोड़) हेतु किसी भी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

वर्ष के लिए कर व्यय रु. 69.52 करोड़ है जिसमें रु. 31.71 करोड़ का मौजूदा कर व्यय और रु. 37.81करोड़ का आस्थगित कर शामिल है – नोट सं. 11 का संदर्भ लें ।

बैंक ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर वर्तमान में मौजूदा कर पद्धति के पालन का निर्णय लिया है । साथ ही बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा "आय पर कर हेतु लेखांकन" विषय पर आधारित लेखांकन मानक 22 के अनुसार रु. 6262.41 करोड़ (गत वर्ष रु. 6300.40 करोड़) की राशि और समायोजन यदि किसी भी उचित स्तर पर पाया जाता है तो उसे 31.03.2022 को निवल आस्थगित कर आस्ति के रूप में माना है ।

वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की राशि:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
आयकर के लिए प्रावधान	31.71	23.24
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	37.81	-15.00
निवल प्रावधान	69.52	08.24

8. **चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) पर स्थिति**

चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) । वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने अपने विदेशी संयुक्त उद्यम के संचालन का समर्थन करने हेतु विदेशी/घरेलू नियामकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है।

वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	-	शून्य
31.3.2022 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	-	3

31 मार्च, 2022 तक एलओसी के बकाया की संचयी स्थिति:

क. वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने बैंकॉक शाखा के संबंध में 12% के न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखने और प्रतिधारित आय के प्रति पूंजीगत निधियों में परिवर्तित करने और/या अतिरिक्त पूंजी डालने की व्यवस्था करने के लिए एक चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी किया है जोकि आरबीआइ से अनुमोदन के अधीन है । सीआरएआर को न्यूनतम 12% तक बहाल करने के लिए 31.03.2022 को बैंकॉक शाखा की नियत पूंजी टीएचबी 1798.89 मिओ और सीआरएआर 23.57% है।

शाखा के पूरे टेक्सटाइल एक्सपोजर की सबसे खराब स्थिति में एनपीए होने की स्थिति में हमें मानक कपड़ा अनारक्षित के असुरक्षित हिस्से हेतु टीबीएच 91.70 मिओ की सीमा तक का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ सकता है। यदि यह आकस्मिकता उत्पन्न होती है, तो कोई अतिरिक्त पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मौजूदा आरक्षितियाँ अनारक्षित राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं।

ख. 2010-11 के दौरान बैंक नेगारा मलेशिया को संयुक्त उद्यम बैंक-इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद (आइआइबीएमबी) में हमारे बैंक की 35% हिस्सेदारी तक एलओसी जारी किया गया था। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, आइआइबीएमबी की जमाराशियां 152.14 करोड़ रुपये हैं और अन्य देनदारियां 3.94 करोड़ रुपये (यानी कुल देनदारी 156.08 करोड़ रुपये) हैं। 31.03.2022 को आइआइबीएमबी की कुल संपत्ति 582.84 करोड़ रुपये है। चूंकि आइआइबीएमबी का वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होता है, इसलिए 31 मार्च 2022 का आंकड़ा अलेखापरीक्षित विवरणों से लिया गया है।

ग. मेजबान देश के नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर, 2019-2020 के दौरान, बैंक ने आइओबी-श्रीलंका शाखा द्वारा किए गए व्यवसाय से उत्पन्न सभी दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने के लिए सीबीएसएल के पक्ष में लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया है।

9. **भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) द्वारा जारी लेखा मानकों (एएस) के संदर्भ में प्रकटीकरण**

9.1 **लेखांकन मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि , पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन**

वित्तीय विवरणी को उन्हीं लेखांकन नीतियों व पॉलिसियों के आधार पर तैयार किया गया है जिनका पालन 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया था।

9.2 लेखांकन मानक 9 – राजस्व मान्यता

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी – अनुसूची 17 में मद सं. 2 में वर्णितानुसार राजस्व को मान्यता दी गयी है ।

9.3. लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ

i. बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''कर्मचारियों के लाभ" संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है।

ii. लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और

6. **Draw down from Reserves**

To comply with the RBI-RAR 2021 observations regarding appropriation of 25% of Net Profit of FY 2020-21 to Statutory Reserve, Bank with the approval of Reserve Bank of India vide their letter dated 18.02.2022 has effected the draw-down of reserve during the current financial year as given below:

(Rs. in crores)

From	To	Amount
Capital Reserve (Excluding Revaluation Reserve)	Statutory Reserve	142.05
Profit & Loss Account	Statutory Reserve	65.82

7. **Taxes**

Taking into consideration the decisions of appellate Authorities, certain judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating Rs.7409.24 crores (previous year Rs.5,734.33 crores) and Service Tax aggregating to Rs.122.33 crores(previous year Rs.122.33 crores).

Tax expense for the year is Rs.69.52 crores consisting of Current Tax expense of Rs.31.71 crores and Deferred Tax expense of Rs.37.81 crores – refer note No.11 under Disclosures under Accounting Standards.

The Bank, based on internal evaluation, presently has decided to continue with the existing tax regime. Further, the Bank has recognized net Deferred Tax Asset as on 31st March, 2022 aggregating to Rs.6262.41 crores (Previous year Rs.6300.40 crores) on timing differences in accordance with Accounting Standard – 22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and adjustments if any to be carried out on reassessment at appropriated stage.

Amount of provision made for Income Tax during the year: (Rs. in Crores)

Particulars	2021-22	2020-21
Provision for Income Tax	31.71	23.24
Provision for Deferred Tax	37.81	-15.00
Net Provision	69.52	08.24

8. **Status on Letters of Comfort (LoC)**

The Letters of Comfort (LoCs) issued by the Bank during the current financial year. During the financial year 2021-22, the bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas/Domestic regulators to support the operations of its overseas joint venture.

Letters of Comfort issued during the year - Nil

Letters of Comfort outstanding as on 31.3.2022 - 3

Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31,2022:

a. During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LoC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12%, subject to approval from RBI. The assigned capital of Bangkok Branch stands at THB 1798.89 Mio and CRAR is 23.57% as on 31.03.2022.

In the worst case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA. We may have to make additional provision to the extent of THB 91.70 Mio being unsecured portion of standard textile advances. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount.

b. LOC was issued during 2010-11 to Bank Negara Malaysia upto our Bank's 35% shareholding in the Joint Venture Bank- India International Bank (Malaysia) Berhad (IIBMB). As on 31.03.2022, the deposits of IIBMB are Rs.152.14 Crores and other liabilities are Rs.3.94 Crores (i.e. total liabilities of Rs.156.08 Crores). The net worth of IIBMB as on 31.03.2022 is Rs.582.84 Crores. As the financial year end of IIBMB is 31 December, figure of 31st March 2022 have been taken from unaudited statements.

c. Based on the host country regulator's guidelines, during 2019-2020, Bank has issued Letter of Comfort favoring CBSL for meeting all obligations and liabilities arising out of business carried on by IOB-Sri Lanka Branch.

9. **Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)**

9.1 **Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies**

The financial statements have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed for the year ended March 31, 2021.

9.2 **Accounting Standard 9 – Revenue Recognition**

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

9.3. **Accounting Standard 15 – Employee Benefits**

i. The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.

ii. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in

दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है;

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	9 856.98	9 108.28	913.11	1 018.68	506.57	503.96
ब्याज लागत	674.21	613.04	57.72	63.13	31.60	31.74
वर्तमान सेवा लागत	256.02	243.51	72.68	61.19	43.37	36.24
प्रदत्त लाभ	(1 166.10)	(972.06)	(186.44)	(185.96)	(111.59)	(77.18)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	742.11	864.20	343.48	(43.93)	46.18	11.82
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	10 363.22	9 856.98	1 200.55	913.11	516.13	506.57

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	9 856.98	9 108.28	1 295.29	1 400.86	--	--
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	710.44	695.56	84.63	89.95	--	--
नियोक्ता का अंशदान	915.48	1 127.48	--	22.00	111.59	77.18
प्रदत्त लाभ	(1 166.10)	(972.06)	(186.44)	(185.96)	(111.59)	(77.18)
बाध्यताओं पर वास्तविक लाभ / (नुकसान)	46.43	(102.28)	31.72	(31.56)	--	--
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	10 363.23	9 856.98	1 225.20	1 295.29	--	--
गैर निधिक अंतरणीय देयता	--	--	--	--	--	--

(ग) तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	10 703.91	9 856.98	1 200.55	913.11	516.13	506.57
वर्ष के अंत में तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	10 363.23	9 856.98	1 225.20	1 295.29	--	--
तुलन पत्र में पहचानी गई गैर निधिक निवल देयता	*(340.68)	--	--	--	516.13	506.57
तुलन पत्र में पहचानी गई निधिक निवल परिसंपत्तियों	--	--	24.65	382.18	--	--

*सरकारी दिशानिर्देशों के कारण पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता, बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार रु. 425,85,83,225/- है। आरबीआइ के परिपत्र आरबीआइ/2021-22/105/डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04.10.2021 के अनुसार बैंकों को पांच साल की

accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under: -

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations (Rs. In Crores)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Present Value of obligation as at the beginning of the year	9 856.98	9 108.28	913.11	1 018.68	506.57	503.96
Interest Cost	674.21	613.04	57.72	63.13	31.60	31.74
Current Service Cost	256.02	243.51	72.68	61.19	43.37	36.24
Benefits Paid	(1 166.10)	(972.06)	(186.44)	(185.96)	(111.59)	(77.18)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	742.11	864.20	343.48	(43.93)	46.18	11.82
Present Value of Obligation at year end	10 363.22	9 856.98	1 200.55	913.11	516.13	506.57

(b) Change in Fair Value of Plan Asset (Rs. In Crores)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	9 856.98	9 108.28	1 295.29	1 400.86	--	--
Expected return on Plan Assets	710.44	695.56	84.63	89.95	--	--
Employer's contribution	915.48	1 127.48	--	22.00	111.59	77.18
Benefit Paid	(1 166.10)	(972.06)	(186.44)	(185.96)	(111.59)	(77.18)
Actuarial gain/(loss) on Obligations	46.43	(102.28)	31.72	(31.56)	--	--
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	10 363.23	9 856.98	1 225.20	1 295.29	--	--
Unfunded Transitional Liability	--	--	--	--	--	--

(c) Amount recognized in Balance Sheet (Rs. In Crores)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	10 703.91	9 856.98	1 200.55	913.11	516.13	506.57
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	10 363.23	9 856.98	1 225.20	1 295.29	--	--
Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	*(340.68)	--	--	--	516.13	506.57
Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	--	--	24.65	382.18	--	--

*The additional liability on account of enhancement in family pension on account of Government guidelines, works out of Rs.425,85,83,225/- as per the Actuarial valuation. As per RBI Circular RBI/2021-22/105/DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 04.10.2021 banks are permitted to amortise the total liabilities over the period of five years. The Bank has opted the said

अवधि में कुल देनदारियों का परिशोधन करने की अनुमति है। बैंक ने आरबीआइ के उक्त प्रावधान को चुना है और 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए न्यूनतम 85,17,16,645/- रुपये की राशि का शुल्क लिया है। 340,68,66,580/- रुपये की शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
वर्तमान सेवा लागत	256.02	243.51	72.68	61.19	43.37	36.24
ब्याज लागत	674.21	613.04	57.72	63.13	31.60	31.74
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(710.44)	(695.56)	(84.63)	(89.95)	0.00	--
वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	695.68	966.49	311.76	(12.37)	46.18	11.82
लाभ व हानि खाते में प्रभारित करने योग्य कुल व्यय	915.47	1 127.48	357.53	22.00	121.15	79.79
।। पेंशन विकल्पियों / पीएफ में नियोक्ता के अंशदान से प्राप्त रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ड़) पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता:

विवरण	पेंशन न्यास		ग्रैच्युटी न्यास	
	2022	2021	2022	2021
क) ऋण लिखतें				
केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	3.06	3.31	8.09	7.47
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	1.85	2.20	24.32	26.20
पीएसयू / पीएफआइ/कार्पोरेट बाँडों में निवेश	3.47	4.13	12.18	12.57
अन्य निवेश	91.16	89.87	53.42	51.97
ख) ईक्विटी लिखतें	0.46	0.49	1.99	1.77

च) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
बट्टा दर	7.27	7.11	7.48	7.04	7.48	7.01
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर	7.30	7.54	7.04	6.82	0	--
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
पेंशन वृद्धि	4.00	4.00	-	-	-	-
पलायन दर	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
मोर्टालिटी	2012-14 संशोधित अंतिम		2012-14 अंतिम		2012-14 अंतिम	
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

provision of RBI and has charged minimum amount of Rs.85,17,16,645/- for the quarter ended 31 March 2022. The balance unamortized expense of Rs.340,68,66,580/- has been carried forward.

(d) Expenses Recognized in Profit & Loss (Rs. In Crores)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Current Service Cost	256.02	243.51	72.68	61.19	43.37	36.24
Interest Cost	674.21	613.04	57.72	63.13	31.60	31.74
Expected return on Plan Asset	(710.44)	(695.56)	(84.63)	(89.95)	0.00	--
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	695.68	966.49	311.76	(12.37)	46.18	11.82
Total expenses chargeable in Profit & Loss Account	915.47	1 127.48	357.53	22.00	121.15	79.79
Amount received from II Pension optees/ employer's contribution of PF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust: (Figures in %)

Particulars	Pension Trust		Gratuity Trust	
	2022	2021	2022	2021
a) Debt Instruments				
Central Government Securities	3.06	3.31	8.09	7.47
State Government Securities	1.85	2.20	24.32	26.20
Investment in PSU /PFI / Corporate Bonds	3.47	4.13	12.18	12.57
Other Investments	91.16	89.87	53.42	51.97
b) Equity Instruments	0.46	0.49	1.99	1.77

(f) Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average) (Figures in %)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Discount Rate	7.27	7.11	7.48	7.04	7.48	7.01
Expected rate of return on Plan Assets	7.30	7.54	7.04	6.82	0	--
Expected Rate of Salary increase	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Pension increase	4.00	4.00	-	-	-	-
Attrition rate	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Mortality	2012-14 Modified Ultimate		2012-14 Ultimate		2012-14 Ultimate	

छ) **अनुभवगत समायोजन** (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)					ग्रैच्युटी (निधिक)					अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)				
	2022	2021	2020	2019	2018	2022	2021	2020	2019	2018	2022	2021	2020	2019	2018
योजना आस्तियों पर अनुभवगत समायोजन (हानि) / लाभ	(46.43)	102.28	(32.05)	44.11	(3.09)	(31.72)	31.56	(20.96)	2.59	(13.50)	--	--	--	--	--
योजना देयताओं पर अनुभवगत समायोजन (हानि) / लाभ	(742.11)	(864.20)	(430.22)	(336.01)	(595.21)	(375.22)	(39.11)	356.18	52.77	(172.84)	68.06	11.82	18.52	29.71	23.89

बीमांकक मूल्यांकन के तहत भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों में, योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ,मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों यथा कर्मचारी बाज़ार में माँग व आपूर्ति को हिसाब में लिया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो सूचना के अभाव में नहीं किया गया है।

(ज) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है:

बट्टा दर : बट्टा दर को सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2022) के अनुसार तय किया गया है ।

प्रत्याशित वापसी दर: आस्तियों पर कुल मिलाकर प्रत्याशित लाभ दर उस तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य पर तय की जाती है, जिस अवधि में लागू तिथि पर दायित्वों का निपटारा किया जाना है।

अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाली ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु.126.00 करोड़ है ।

9.4 लेखांकन मानक 17 – समेकित वित्तीय विवरणों पर खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को राजकोष, कार्पोरेट / थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों मे वर्गीकृत किया है।

Method used	Projected unit credit	Projected unit credit	Projected unit credit

(g) Experience Adjustments (Rs. In Crores)

Particulars	PENSION (Funded)					GRATUITY (Funded)					LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)				
	2022	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
Experience adjustment on Plan assets (Loss)/ Gain	(46.43)	102.28	(32.05)	44.11	(3.09)	(31.72)	31.56	(20.96)	2.59	(13.50)	--	--	--	--	--
Experience adjustment on Plan Liabilities (Loss)/ Gain	(742.11)	(864.20)	(430.22)	(336.01)	(595.21)	(375.22)	(39.11)	356.18	52.77	(172.84)	68.06	11.82	18.52	29.71	23.89

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

In respect of overseas branches, disclosures if any required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

h) The financial assumptions considered for the calculations are as under: -

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated 31.03.2022).

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled.

Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is Rs.126.00 crores.

9.4 Accounting Standard 17 – Segment Reporting on the Consolidated Financials

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

भाग ए : कारोबार खण्ड

(रु. करोड़ में)

कारोबार खण्ड	राजकोष		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
राजस्व	7 450.77	8 327.09	6 088.04	5 937.49	7 477.69	7 739.84	463.87	407.49	**21 480.37**	**22 411.91**
परिणाम	1 885.19	2 699.11	1 050.58	259.36	2 343.91	2 505.01	322.54	320.18	**5 602.22**	**5 783.66**
अनाबंटित आय									**160.81**	**112.64**
अनाबंटित व्यय									**0.31**	**0.49**
परिचालनगत लाभ/हानि									**5 762.72**	**5 895.81**
आय कर									**69.69**	**8.24**
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									**3 983.91**	**5 056.09**
असाधारण लाभ / हानि									**0.00**	**0.00**
निवल लाभ									**1 709.12**	**831.47**
अन्य सूचना										
खण्डवार आस्तियाँ	113 119.49	108 651.71	82 075.39	70 772.55	93 593.78	84 600.37	150.87	188.56	**288 939.53**	**264 213.19**
अनाबंटित आस्तियाँ									**10 437.63**	**9 797.16**
कुल आस्तियाँ									**299 377.16**	**274 010.35**
खण्डवार देयताएँ	106 809.35	102 669.88	78 963.58	68 263.42	90 373.63	81 881.94	181.53	131.85	**276 328.09**	**252 947.09**
अनाबंटित देयताएं									**48.68**	**4 118.45**
कुल देयताएं									**276 376.77**	**257 065.54**

नोट नंबर 1 - जेवी-आइआइबीएमबी की खंड रिपोर्ट में खंड आस्तियों व देयताओं का विवरण नहीं है। इसलिए, समेकित खंड परिणाम में स्टैंडअलोन के ट्रेजरी संचालन (संपत्ति) के संबंध में 113119.49 करोड़ रुपये का आंकड़ा बरकरार रखा गया है।

नोट नंबर 2 - जेवी-आइआइबीएमबी की खंड रिपोर्ट में खंड आस्तियों व देयताओं का विवरण नहीं है। इसलिए, समेकित खंड परिणाम में स्टैंडअलोन के ट्रेजरी संचालन (देयताओं) के संबंध में 106809.35 करोड़ रुपये का आंकड़ा बरकरार रखा गया है।

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

(रु. करोड़ में)

विवरण	देशी		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	**2021-22**	**2020-21**
राजस्व	21 215.60	22 111.32	425.57	413.23	**21 641.17**	**22 524.55**
आस्तियाँ	292 233.50	267 015.80	7 143.66	6 994.55	**299 377.16**	**274 010.35**

*वित्त वर्ष 2020-21 के आंकड़े स्टैंडअलोन वित्तीय आंकड़ों पर आधारित हैं।

Part A: Business Segments

(Rs. in Crores)

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
Revenue	7 450.77	8 327.09	6 088.04	5 937.49	7 477.69	7 739.84	463.87	407.49	**21 480.37**	**22 411.91**
Result	1 885.19	2 699.11	1 050.58	259.36	2 343.91	2 505.01	322.54	320.18	**5 602.22**	**5 783.66**
Unallocated Income									**160.81**	**112.64**
Unallocated Expenses									**0.31**	**0.49**
Operating Profit/Loss									**5 762.72**	**5 895.81**
Income Taxes									**69.69**	**8.24**
Provisions & Contingencies									**3 983.91**	**5 056.09**
Extraordinary profit / loss									**0.00**	**0.00**
Net Profit									**1 709.12**	**831.47**
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	113 119.49	108 651.71	82 075.39	70 772.55	93 593.78	84 600.37	150.87	188.56	**288 939.53**	**264 213.19**
Unallocated Assets									**10 437.63**	**9 797.16**
Total assets									**299 377.16**	**274 010.35**
Segment Liabilities	106 809.35	102 669.88	78 963.58	68 263.42	90 373.63	81 881.94	181.53	131.85	**276 328.09**	**252 947.09**
Unallocated Liabilities									**48.68**	**4 118.45**
Total Liabilities									**276 376.77**	**257 065.54**

Note No.1 – The segment report of JV-IIBMB does not have the details of Segment Assets and Liabilities. Hence, the figure of Rs.113119.49 crores regarding Treasury Operations (Assets) of Standalone has been retained in the Consolidated Segment Result.

Note No.2 – The segment report of JV-IIBMB does not have the details of Segment Assets and Liabilities. Hence, the figure of Rs.106809.35 crores regarding Treasury Operations (Liabilities) of Standalone has been retained in the Consolidated Segment Result.

Part B – Geographic segments

(Rs. in Crores)

Particulars	**Domestic**		**International**		**Total**	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	**2021-22**	**2020-21**
Revenue	21 215.60	22 111.32	425.57	413.23	**21 641.17**	**22 524.55**
Assets	292 233.50	267 015.80	7 143.66	6 994.55	**299 377.16**	**274 010.35**

*Figures for FY 2020-21 are based on Standalone financial figures.

9.5 लेखांकन मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

विवरण निम्नवत है :

ए) संबंधित पार्टियों का नाम व उनके संबंध

क) एसोसियेट्स – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1. ओडिशा ग्राम्य बैंक

ख) संयुक्त उद्यम : इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद लिमिटेड

ग) मुख्य प्रबंधन कार्मिक :

(i) श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता , प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(ii) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव , कार्यपालक निदेशक

(iii) सुश्री एस. श्रीमती , कार्यपालक निदेशक

(ख) संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन:

2020-21 व 2021-22 के दौरान पूर्वकालिक निदेशकों को प्रदत्त वेतन और निष्पादन प्रोत्साहन का विवरण:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2021-22)	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2020-21)
1.	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	34,71,378.00	23,31,943.12
2.	श्री कर्नम शेखर	पूर्व प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी		8,06,196.00**
3.	श्री. अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	32,65,002.00	29,23,332.00
4.	सुश्री एस. श्रीमती	कार्यपालक निदेशक	29,45,576.33	2,09,749.42**

*पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, निष्पादन प्रोत्साहन राशि, छुट्टी नकदीकरण बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं ।

**वर्ष का भाग

9.5 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

The details are as follows:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Associates – Regional Rural Banks: Odisha Gramya Bank

(b) Joint Venture: India International Bank (Malaysia) Berhad Ltd.

(c) Key Management Personnel:

(i) Shri Partha Pratim Sengupta, Managing Director and CEO

(ii) Shri Ajay Kumar Srivastava, Executive Director

(iii) Ms. S Srimathy, Executive Director

(B) Transaction with Related parties:

Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2021-22 and 2020-21:

Sl. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (Rs.) (2021-22)	Remuneration* Amount (Rs.) (2020-21)
1.	Shri Partha Pratim Sengupta	Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO)	34,71,378.00	23,31,943.12
2.	Shri Karnam Sekar	Ex- MD & CEO		8,06,196.00**
3.	Shri Ajay Kumar Srivastava	Executive Director	32,65,002.00	29,23,332.00
4.	Ms. S Srimathy	Executive Director	29,45,576.33	2,09,749.42**

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

**Part of the year

(रु. करोड़ में)

मदें/ संबंधित पार्टी	जनक (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक कंपनियां	एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधन कार्मिक @		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
			वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम
उधारियाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.64
जमाएँ	लागू नहीं	लागू नहीं	493.67	493.67	0.33	1.72	0.05	0.09	494.04	495.49
जमा राशियों का स्थानन	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अग्रिम	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.71	0.75	0.06	0.06	0.77	0.81
निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	777.56	777.56	0.00	0.00	0.00	0.00	777.56	777.56
गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था प्रदान की गई	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल संपत्तियों की खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
अचल संपत्तियों की बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
ब्याज का भुगतान किया	लागू नहीं	लागू नहीं	1.99		0.01		0.00		2.01	
प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	18.38		0.02		0.00		18.41	
सेवाओं का प्रतिपादन*	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
सेवाओं की प्राप्ति*	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
प्रबंधन अनुबंध*	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	

एनए - लागू नहीं

* अनुबंध सेवाएं आदि न कि प्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं इत्यादि जैसी सेवाएं।

Amount in Rs. Crores

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Subsidiaries	Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel @		Relatives of Key Management Personnel		Total	
			Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year
Borrowings	N.A.	N.A.	0.00	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.64
Deposits	N.A.	N.A.	493.67	493.67	0.33	1.72	0.05	0.09	494.04	495.49
Placement of deposits	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Advances	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.71	0.75	0.06	0.06	0.77	0.81
Investments	N.A.	N.A.	777.56	777.56	0.00	0.00	0.00	0.00	777.56	777.56
Non-funded commitments	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements availed	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements provided	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of fixed assets	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Sale of fixed assets	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Interest paid	N.A.	N.A.	1.99		0.01		0.00		2.01	
Interest received	N.A.	N.A.	18.38		0.02		0.00		18.41	
Rendering of services*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Receiving of services*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Management contracts*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	

N.A. (Not Applicable)

* Contract services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.

9.6 लेखांकन मानक 20-प्रति शेयर आय

विवरण	2021-22	2020-21
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	1 709.54	831.47
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	1848,36,27,917	1643,69,88,324
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	Rs.0.92	Rs.0.51
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	Rs.10.00	Rs.10.00

9.7 लेखांकन मानक 22: आय पर करों के लिए लेखांकन

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	19.88		129.69	
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	181.89		343.94	
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	184.99		176.44	
अन्य सम्पत्तियों के लिए प्रावधान	28.92		35.18	
पुन: संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	18.08		16.62	
सेवाविच्छेद वेतन के लिए आरक्षिती	0.82		0.00	
विशेष आरक्षितियाँ			0.00	
एनपीए के लिए प्रावधान	3895.58		5 359.16	
विदेशी मुद्रा अंतरण के लिए प्रावधान	294.08			152.05
अन्य	1638.17		569.55	178.13
कुल	**6262.41**		**6 630.58**	**330.18**
निवल डीटीएल/ डीटीए	**6262.41**		**6 300.40**	

9.8 एएस 24 - परिचालन बंद करना

बैंक ने 01.04.2021-31.03.2022 के दौरान अपनी कोई भी विदेशी शाखा बंद नहीं की है। इसलिए इस प्रकटीकरण से संबंधित डेटा को "शून्य" माना जा सकता है।

9.9 लेखांकन मानक 26 – अमूर्त आस्तियाँ

कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और 3 साल की अवधि तक परिशोधित किया जाता है ।

9.10 लेखांकन मानक 28 – आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को 'कॉर्पोरेट आस्तियाँ' माना गया है और आइसीएआइ द्वारा जारी एएस -28 में दी गई परिभाषा के अनुसार यह 'नकदी सृजन करने वाली इकाई' नहीं है । प्रबन्धन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति को क्षति नहीं हुई है ।

9.11 लेखांकन मानक 29–आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है ।

10. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत विक्रेताओं और जिनसे बैंक द्वारा माल और सेवाओं की खरीद की गई है, से संबंधित जानकारी का खुलासा उस सीमा तक किया गया है, जहां तक वेंडरों द्वारा बैंक को जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। मूल राशि और/या ब्याज का कोई अतिदेय लंबित नहीं है और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कोई अतिरिक्त प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

11. तुलनात्मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी जरूरी हो, पुन: समूहित / पुन: वर्गीकृत किए गए हैं ।

9.6 Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2021-22	2020-21
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. in Crores)	1 709.54	831.47
Weighted Average Number of Equity Shares	1848,36,27,917	1643,69,88,324
Basic & Diluted Earnings Per Share	Rs.0.92	Rs.0.51
Nominal value per Equity Share	Rs.10.00	Rs.10.00

9.7 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income (Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2022		31.03.2021	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Fixed Assets	19.88		129.69	
Provision for Employee Benefits	181.89		343.94	
Provision for Frauds	184.99		176.44	
Provision for Other Assets	28.92		35.18	
Provision for Restructured Advances	18.08		16.62	
Reserve for Severance Pay	0.82		0.00	
Special Reserve			0.00	
Provision for NPA	3895.58		5 359.16	
Foreign Currency Translation Reserve	294.08			152.05
Others	1638.17		569.55	178.13
Total	6262.41		6 630.58	330.18
Net DTL /DTA	6262.41		6 300.40	

9.8 AS 24 – Discontinuing Operations

The Bank has not closed any of its Overseas Branches during 01.04.2021-31.03.2022. Hence the data relating to this disclosure may be treated as "NIL".

9.9 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The software acquired for core banking system is treated as intangible asset and amortized over a period of 3 years.

9.10 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

9.11 Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

10. Information relating to vendors registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and from whom goods and services have been procured by the Bank has been disclosed to the extent information was made available to the Bank by the vendors. There are no overdue pending of principal amount and/ or interest and accordingly no additional disclosures have been made for the FY 2021-22.

11. Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

के सभी सदस्यों को

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक के तुलन पत्र के अलावा तत्संबंधी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का समेकित विवरण व समेकित नकद प्रवाहों का विवरण शामिल है । इसके अलावा इसमें संबंधित तिथि हेतु केंद्रीय कार्यालय के संबंध में विनिर्दिष्ट लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण मूलक (इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) सूचनाओं के सारांश है जिसमें शामिल है:

   क) बैंक के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;

   ख) एक विदेशी संयुक्त उद्यम (इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और

   ग) एक सहयोगी (ओडिशा ग्राम्य बैंक) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

हमारे अभिमत एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा जैसा कि अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किया गया था, ऐसे सहयोगी और संयुक्त उद्यम के अलग-अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित तरीके से 31 मार्च, 2022 को, उसके समेकित लाभ और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए उसके समेकित नकदी प्रवाह की आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बैंक, उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के मामलों की समेकित स्थिति के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं ।

अभिमत का आधार

2. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी किए गए पर मानकों (एसए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की । उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा के दायित्वों में आगे वर्णित किया गया है । हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "आचार संहिता" के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो भारत में जारी आचार संहिता के संदर्भ में भारत में समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं हमने आईसीएआई और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है । हम मानते हैं कि नीचे दिए गए "अन्य मामलों" पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार के साथ हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं ।**मामलों पर बल** मामलों पर बल

3. **हम ध्यान आकृष्ट करते है:-**

i. बैंक से संबंधित अनुसूची 18 के नोट संख्या 2(बी) के अनुसार बैंक द्वारा 31.03.2022 को अपने राजस्व और सहयोगी के अन्य भंडार में 433 करोड़ रुपये के संचित नुकसान पर विचार नहीं किया गया है।

ii. बैंक से संबंधित अनुसूची 18 के नोट संख्या 2(सी) के अनुसार बैंक ने अपने सहयोगी में 310.33 करोड़ रुपये की लागत से निवेश किया गया है।

iii. अनुसूची 18 के नोट संख्या 2(डी), बैंक ने 206.08 करोड़ रुपये की पूंजी सहित संयुक्त उद्यम के आंकड़ों को आनुपातिक रूप से क्रमबद्ध तरीके से समेकित किया है।

iv अनुसूची 18 के नोट संख्या 2(ई), बैंक ने संयुक्त उद्यम में 193.44 करोड़ रुपये की लागत से निवेश किया है।

v. अनुसूची 18 के नोट नंबर 7.1 में विभिन्न विवादित आयकर और अप्रत्यक्ष करों के लिए अतिरिक्त प्रावधान को प्रदान नहीं करने के संबंध में बताया गया है ।

vi अनुसूची 18 की नोट संख्या 7.3 इस तथ्य का विवरण देती है कि बैंक ने मौजूदा कर व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया है और वर्ष के दौरान "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक - 22 के अनुसार समय के अंतर पर निवल आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी है ।

vii. 425.86 करोड़ रुपये की पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की नोट संख्या 9.3(सी) में वर्णन किया गया है । बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में 85.17 करोड़ रुपये की राशि का शुल्क लिया है और 340.69 करोड़ रुपये की शेष राशि को आरबीआइ परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/105 105 डीओआर.एसीसी.आरईसी. 57/21.04.018/2021-22 दिनांकित 4 अक्टूबर, 2021के संदर्भ में अगले वर्ष हेतु समायोजित किया गया है। यदि बैंक ने लाभ और हानि खाते के लिए संपूर्ण अतिरिक्त देयता का प्रभार लिया होता, तो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ 340.69 करोड़ रुपये तक कम होता ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर के संबंध में हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें :-

4. हमारे व्यवसायिक अभिमत में प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं । इन मामलों पर हमारे अभिमत वित्तीय विवरणों के समावेश रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में हैं और उन पर हमारे अभिप्रायों को प्रदान नहीं करना चाहते । निम्नांकित मामलों को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए गए है ।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Indian Overseas Bank

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of **Indian Overseas Bank** (hereinafter referred as the 'the Bank') and its Joint Venture and Associates which comprise the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2022, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as 'the **Consolidated Financial Statements**') which includes:

    a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank;

    b) Audited Financial Statements of a foreign Joint Venture (India International Bank (Malaysia) Bhd) and

    c) Audited Financial Statements of an Associate (Odisha Gramya Bank)

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of reports of other auditors on separate audited financial statements of such associate and joint venture as were audited by other auditors, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India, of their consolidated state of affairs of the Bank, its Associate and Joint venture as at March 31, 2022, of its consolidated Profit and its consolidated Cash flows for the year then ended.

Basis for Opinion:

2. We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements' section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the "Code of Ethics" issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements in India in terms of the Code of Ethics issued by ICAI and the relevant provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence obtained by us along with the consideration of audit reports of other auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Consolidated Financial Statements.

Emphasis of Matter:

3. We invite attention to the following:

i. Note no. 2(b) of Schedule 18 relating to Bank has not considered its share of accumulated losses in its Revenue and other Reserves of the associate as on 31.03.2022 to the extent of Rs.433 crore.

ii. Note no. 2(c) of Schedule 18 relating to Banks Investment in Associate has been carried at cost of Rs.310.33 crore.

iii. Note No.2(d) of Schedule 18, Bank has consolidated Joint Venture figures proportionately line by line including the capital of Rs.206.08 crores.

iv. Note No.2(e) of Schedule 18, Bank has shown investment in Joint Venture at carrying cost of Rs 193.44 crores.

v. Note No. 7.1 of Schedule 18 relating non-providing of any additional provisioning towards various disputed income tax and indirect taxes for the reasons stated therein.

vi. Note No. 7.3 of Schedule 18 detailing the fact that the bank has decided to continue with the existing tax regime and has recognized Net Deferred Tax Assets during the year on timing differences in accordance with Accounting Standard -22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

vii. Note No. 9.3 (c) of Schedule 18 of the statement regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to Rs. 425.86 Crores. The Bank has charged an amount of Rs.85.17 Crores to the profit and loss account for the year ended 31st March 2022 and the balance unamortized expense of Rs.340.69 Crores has been carried forward in terms of RBI Circular No. RBI/2021-22/105 DOR.ACC. REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021. Had the bank charged the entire additional liability to the profit and loss account, the net profit for the year ended March 31, 2022 would have been lower by Rs. 340.69 Crores.

Our opinion on the consolidated financial statements is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the Key Audit Matters to be communicated in our Report.

क्रम सं	प्रमुख लेखा परीक्षा मामलें	लेखा परीक्षक के अभिमत
1	**आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण** अग्रिमों का प्रतिशत बैंक की कुल आस्तियों का 48.18% है । बैंक द्वारा प्रदत्त अग्रिमों के संबंध में संचयन आधार पर आय की पहचान, निष्पादित एवं गैर-निष्पादित के रूप में अग्रिमों का वर्गीकरण और तत्संबंधी प्रावधानीकरण आय की पहचान विषयक विविक पूर्ण मानदण्डों एवं आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आइआर एसी) मानदण्डों तथा समय- समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों व निर्देशों के अनुसार है (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 3 के साथ पढ़ते हुए अनुसूची 17 के बिन्द 2.1 का संदर्भ लें) । हमारे अभिमत में अग्रिमों से संबंधित लेखापरीक्षा में लेन-देन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों को निष्पादित और गैर-निष्पादित में वर्गीकृत करना, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल मुद्दे आदि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में ऐसे अग्रिमों के संबंध में आय की मान्यता और प्रावधान निष्पादन/ गैर-निष्पादन करना सबसे महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक माना जाता है ।	**मुख्य लेखापरीक्षा की प्रक्रियाएँ** • हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में डिजाइन का परीक्षण करना और आंतरिक नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभाविता की जाँच करना और वस्तुगत परीक्षण करना भी निम्नानुसार शामिल रहा । • आइएआरएसी विषयक के विवेकपूर्ण मानदण्डों के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और आरबीआई द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों /निर्देशों के साथ बैंक की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का भी मूल्यांकन किया गया । • अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावात्मकता एवं बैंक तथा आरबीआईनिरीक्षण की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार पूरी की गई विभिन्न लेखा परीक्षाओं में की गई टिप्पणियों के अनुपालन का परीक्षण किया गया । • नमूना आधार पर सभी बड़े अग्रिमों / तनावग्रस्त अग्रिमों और अन्य अग्रिमों की जांच करना, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा भी शामिल है । • अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर निर्भर रहना । • अलेखापरीक्षित शाखाओं के संबंध में शाखा प्रमुख द्वारा साझा किए गए विवरणियों और वित्तीय विवरणों पर भरोसा करना। • शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के ज्ञापन की समीक्षा करना और उचित कार्रवाई करना । • विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लिए उपलब्ध विभिन्न लेखा परीक्षा और निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा । • कानूनी मामलों, विलेखों, मूल्यांकन और बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के अन्य पहलूओं पर मुख्य विशेषज्ञों की राय पर निर्भरता रखना । • ऐसे खातों के नमूना और संचालन के आधार पर चयनित उधार्कर्ताओं की फाईलों की समीक्षा । • प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन । • ब्याज आवेदन की जाँच, अन्य शुल्क, कमीशन आदि की जाँच ।
2	**आकस्मिक देयता** आकस्मिक देयता जैसा कि एएस 29 में परिभाषित किया गया है- प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्ति के लिए संभावित परिणामों और नकदी प्रवाह के आकलन की आवश्यकता होती है । आकस्मिक देनदारियों की पहचान और मात्रा का ठहराव प्रबंधन द्वारा अनुमान और निर्णय की आवश्यकता है । (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 8 (एएस29) के साथ पठित अनुसूची 17 के बिन्द 13 का संदर्भ लें) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़े मुकदमों से संबंधित मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है ।	**प्रमुख लेखा परीक्षा की प्रक्रिया** • हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनाओं का सत्यापन निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा करके किया है • अंतर्निहित मान्यता की तर्कसंगता का मूल्यांकन । • मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना । • विभिन्न कर प्राधिकारियों / न्यायिक मंचों से हाल के आदशों और / या संचारों की जांच और उसके बाद की कार्रवाई । • रिकॉर्ड में रखे संबंधित दस्तावेजों की जांच । • उपलब्ध संबंधित बाहरी साक्ष्यों सहित विधिक अभिमत, संबंधित न्यायिक प्रक्रिया एवं उद्योग प्रक्रियाओं पर भरोसा करना । • जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, प्रबंधन से पुष्टि प्राप्त करना ।

Sr. No	Key Audit Matter	Auditor's Response
1	**Income Recognition, Asset Classification & Provisioning relating to Advances** Advances constitute 48.18% of the Bank's total assets. The recognition of income on accrual basis in respect of advances extended by the Bank, Classification of Advances into Performing and Non performing and provisioning thereof are in accordance with the extant prudential norms on Income Recognition and Asset Classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by Reserve bank of India from time to time (Refer 2.1 of Schedule 17, read with Note 2 of Schedule 18 to the financial statements). Taking into consideration the nature of transactions, compliance with the Reserve Bank of India guidelines, issues involved in the valuation of securities etc., in our opinion classification of Advances into performing and non- performing, recognition of income in respect of such advances and also provisioning relating to Performing/ Non-Performing advances are considered to be one of the most significant matter in the audit and therefore determined to be a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** • Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as under: - • Evaluating the design of internal controls relating to implementation of prudential norms on IRAC and other related circulars/directives issued by RBI and also the internal policies and procedures of the Bank. • Examining the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations of the various audits conducted as per the monitoring mechanism of the Bank and RBI inspection. • Examining large advances/stressed advances and other advances on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management. • Relying on the audit reports of other Statutory Branch Auditors. • Relying on the returns and financial statements shared by the branch head in respect of unaudited branches. • Reviewing Memorandum of Changes suggested by the Branch Auditors and take appropriate action. • Review of various audit and inspection reports made available to us in the relevant areas. • Placing reliance on the opinions of domain experts on legal matters, titles, valuation and other aspects of securities charged to the bank. • Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts. • Performing relevant analytical procedures. • Test checking of interest application, levying of other charges, commission etc.,
2	**Contingent Liability** The contingent liability as defined in AS 29 – Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets requires assessment of probable outcomes and cash flows. The identification and quantification of contingent liabilities require estimation and judgment by the management. (Refer 13 of Schedule 17, read with Note 8 (AS 29) of Schedule 18 to the financial statements) In view of associated uncertainty relating to the outcome of the matters relating to litigations involving Direct and Indirect taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debts, and as a result we have determined the above area as a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** • We have carried out the validation of information provided by the management by performing the following procedures • Evaluating reasonableness of the underlying assumptions. • Understanding the current status of the litigations/tax assessments. • Examination of recent orders and /or communication received from various tax authorities/judicial forums and follow up action thereon. • Examining the relevant documents on record. • Relying on relevant external evidence available including legal opinion, relevant judicial precedents and industry practices. • Getting management confirmation where-ever necessary.

3	**आईटी सिस्टम और नियंत्रण** वित्तीय विवरणों की पूरी तैयारी सीबीएस और अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर है । यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और उचित आईटी नियंत्रण और बदलाव उचित तरीके से किए गए हैं, आईटी अनुप्रयोग प्रक्रिया डेटा अपेक्षित रूप से किया जाना आवश्यकता है । इस तरह के नियंत्रण डेटा के गलत आउटपुट के अपेक्षित जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं । इस प्रकार के नियंत्रण प्राप्त होने वाले त्रुटिपूर्ण डाटा की संभावना का परिसमापन करते हैं । ऑडिट का परिणाम मौजूदा आईटी नियंत्रण और प्रणालियों पर निर्भर है और तदनुसार उपरोक्त क्षेत्रों को एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में निर्धारित किया जाता है ।	**प्रधान लेखा परीक्षा की प्रक्रियाएँ** हमने ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आइटी नीतियों और नियंत्रणों का प्रभावी ढंग से निरीक्षण, नियंत्रण और मूल्यांकन करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली आइटी नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की दिशा में मानकों के साथ अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं को पूरा किया है । हमने आइएस ऑडिटर द्वारा जारी रिपोर्ट पर विश्वास किया है और जहां भी आवश्यकता थी आइएस विशेषज्ञों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की है ।
4	**गैर-निष्पादित निवेश के लिए निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, पहचान और प्रावधान** (वित्तीय विवरणों हेतु अनुसूची 18 के नोट 1 के साथ पठित अनुसूची 17 का भाग 4 देखें) निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 32.79% हैं । निवेश का मूल्यांकन आरबीआइ द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिसमें बीएसई / एनएसई और अन्य एजेंसियों पर उद्त दरों को लागू करना, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर निर्भर रहना आदि शामिल होता है । बैंक की बही में दर्ज किए जा रहे निवेश का मूल्य, निवेश के मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं को हमने उपर्युक्त क्षेत्र के एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में माना है ।	**प्रमुख लेखा परीक्षा की प्रक्रिया** हमने गैर-मूल्यांकन प्रदर्शनकारी निवशों की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान और मू ल्यांकन के संबंध में भारिबैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन किया और उन्हें समझा । निवेश के मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा संग्रह के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन । अनर्जक निवेश की पहचान की व्यवस्था का आकलन और मूल्यांकन, ऐसे निवेशों में आय की मान्यता और अनर्जक निवेशों के संबंध में आवश्यक प्रावधान का निर्माण सुनिश्चित करना ।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

5. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है),शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर जारी हमारा अभिमत में बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 के प्रकटीकरण को शामिल नहीं किया गया है और हम इस बारे में किसी भी प्रकार आश्वासन को निष्कर्ष के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि उपरोक्त अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ अन्य जानकारी भौतिक रुप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या भौतिक रुप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य और इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त अन्य जानकारी के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा वे सभी ,जिन पर गवर्नेंस का प्रभार है, की जिम्मेदारी

6. बैंक का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ,जिसमें आईसीए द्वारा जारी लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआइ') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण ; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जोकि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, शामिल है ।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को बंद करने या परिचालन को

3	**IT Systems & Control** The entire Preparation of financial statements is highly dependent on CBS and other supporting software and hardware controls. Adequate and appropriate Information Technology (IT) controls are required to ensure that these IT application process data as expected and changes are made in an appropriate manner. Such controls ensure mitigating the expected risk of erroneous output data. Audit outcome is dependent on the extant IT controls and systems, and accordingly the above areas are determined to be a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** We have carried out our audit procedures with standards on auditing guidelines towards implementation of IT policies and procedures followed by the bank in order to effectively monitor, control, and evaluate the IT applications and controls to ensure effective implementation of such policies and procedures. We have also relied on the report issued by the IS Auditor and obtained necessary inputs from IS experts wherever necessary.
4	**Classification and valuation of Investments, Identification of and Provisioning for Non-Performing Investments.** (Refer 4 of Schedule 17, read with Note 1 of Schedule 18 to the financial statements) **Investments constitute 32.79% of the total assets of the bank.** Valuation of Investments are done as per the guidelines, circulars and directives issued by RBI from time to time involving applying the rates quoted on BSE/NSE and other agencies, relying on the financial statements of unlisted companies etc. Taking into consideration the volume of transactions, value of investments being carried in the books of the bank, complexities involved in the valuation of investments we have considered the above area as a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** We evaluated and understood the Bank's internal control systems to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning and depreciation related to Investments. Evaluating the process adopted for collection of data from various sources for determining the value of investments. Assessing and evaluating the system of identification of Non-Performing Investments, income recognition on such investments and also ensuring creation of necessary provision in respect of Non-performing investments.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Information other than the consolidated Financial Statements and Auditor's Report Thereon

5. The Bank's Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon).

   Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III disclosures and we do not and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this Auditor's Report, we conclude that there is a material misstatement of this information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors are responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Bank including its Associates and Jointly controlled entities in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank including its Associate and Joint Venture and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the Consolidated Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing,

बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक परिचानगत संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करता है और लेखांकन के आधार पर परिचालनगत संस्था का उपयोग करता है।

बैंक और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल बैंक और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम की वित्तीय विवरण प्रस्तुति प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही किसी सामग्री के गलती के मौजूद होने का पता लगाएगी ।गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री , व्यक्तिगत या समग्र रूप से, माना जाता है । इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं । साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचान कर, उनका आकलन करते हैं , चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादन करते हैं व लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारा अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होनेवाली सामग्री से गलत विवरण का पता नहीं लगने के कारण जोखिम त्रुटि एक से अधिक रूप में परिणामित हो सकती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जान बूझ कर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को निरस्त करना शामिल हो सकती है।
- प्रबंधन के द्वारा इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते है।
- लेखांकन के आधार पर चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है।
- यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने होगा । हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या शर्त बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से वंचित कर सकती हैं।
- समग्र प्रस्तुति, प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु और संरचना के मूल्यांकन सहित इस बात का मूल्याकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए बैंक और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें । हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं । समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, के लिए किए गए अंकेक्षणों के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए अन्य लेखापरीक्षक उत्तरदायी हैं । हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं ।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से , जिसके कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ चर्चा करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं ।

हम उन लोगों को जिन पर गवर्नेंस का प्रभार है , उन्हें भी यह विवरणी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों जो कि हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में संवाद करने के लिए विचार किया जा सकता है।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। जबतक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है, हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दुष्परिणाम स्वरूप संचार जनहित लाभ कम हो जाएंगे ।

अन्य मामले

8.

i. हमने एक सहयोगी और एक विदेशी संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की एवं जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है एवं उसके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी दर्शाती है कि रुपये 279.24 करोड़ की कुल परिसंपत्ति में बैंक की कुल राजस्व में साझेदारी 8.28 करोड़ रुपये है जिसमें 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक

as applicable matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Bank and of its associate and Joint Venture are responsible for overseeing the financial reporting process of the Bank and of its associate and Joint Venture.

Auditor's Responsibilities for the audit of the consolidated Financial Statements

7. Our Objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Bank and its associates and Joint Venture to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank and its associates and Joint Ventureto cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Bank and its Associate and Joint Venture to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicated with those charged with governance of the Bank and its associate and Joint Venture regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provided those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter, or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8 .

i. We did not audit the Financial Statements of one Associate and one Foreign Joint Venture whose Financial Statement/Financial Information reflect Bank's share of total assets of Rs.279.24 crores, Bank's share of total revenue of Rs.8.28 crores, Bank's share of total Net Profit/(Loss) after tax of Rs.(0.27) crores for the year ended 31st March 2022 for the Associate and 31st December 2021 for the Foreign Joint Venture as considered in the

का हिस्सा कुल शुद्ध लाभ/ (हानि) में सहयोगी के लिए और 31 दिसंबर 2021 को विदेशी संयुक्त उद्यम के लिए कर के बाद (0.27) करोड़ रुपये है, जिनकी उसके संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है विवरण/वित्तीय इन संस्थाओं की जानकारी हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर जहां तक यह इन संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारा अभिमत पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है ।

विदेशी संयुक्त उद्यम के संबंध में, वित्तीय जानकारी उनके निगमन के देश में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनके संबंधित देशों में लागू आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत लेखा परीक्षा की गई है । बैंक के प्रबंधन ने वित्तीय जानकारी को उनके देश में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से भारत में आम तौर पर स्वीकृत और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लेखांकन सिद्धांतों में परिवर्तित करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है ।

जहां तक इस तरह के सहयोगी और विदेशी संयुक्त उद्यम की शेष राशि से संबंधित है, हमारा अभिमत अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए रूपांतरण समायोजन पर आधारित है ।

ii. जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में कहा गया है, जहां तक यह इन संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से इन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों/वित्तीय सूचनाओं पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और वित्तीय परिणामों पर हमारा अभिमत का संबंध है वह पूरी तरह से ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं पर आधारित है ।

iii. विदेशी संयुक्त उद्यमों के मामले में, वित्तीय जानकारी को आम तौर पर निगमन के देश में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत निगमन के देश में लागू किया गया है । बैंक के प्रबंधन ने संयुक्त उद्यम की वित्तीय जानकारी को भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों में बदलने के लिए सलाहकार नियुक्त किया है । जहां तक यह भारत के बाहर स्थित ऐसे संयुक्त उद्यम की शेष राशि से संबंधित है, हमारा अभिमत अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बैंक के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए रूपांतरण समायोजन पर आधारित है ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट उपरोक्त मामलों के संबंध में और किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. उपरोक्त पैराग्राफ 5 और 8 में इंगित मामलों के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और अलग-अलग वित्तीय विवरणों और अन्य सहयोगियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने पर और संयुक्त उद्यम, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि;

क) हमने उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की की लेखापरीक्षा के लिए उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) बैंक के वे सभी लेनदेन जोकि हमारे संज्ञान में थे बैंक की क्षमता के अधीन हैं; तथा

ग) बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गयी थीं।

10. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमारी राय में, बैंक द्वारा विधि के अनुसार अपेक्षित उचित खाता बही रखी गई हैं, जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है उनसे हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं;

ख) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकद प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए खाते की बहियों के साथ और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है से प्राप्त विवरणी के साथ मेल खाते हैं;

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उन रिपोर्टों का उचित रूप से विश्लेषण किया गया है;

घ) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकद प्रवाह विवरण लेखा मानक 23 को छोड़कर लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन और लेखा मानक 27, ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग आईसीएआई द्वारा जारी किए गए संयुक्त उपक्रमों में और इस हद तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं ।

11. आरबीआइ द्वारा जारी किए गए "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों" विषयक पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/09.91.001/2019-20 दिनांकित 17 मार्च 2020 एवं 19 मई, 2020 के बाद के संचार के साथ पठित पत्र का संदर्भ लेते हुए पत्र की अपेक्षाओं के अनुरूप हम उपरोक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार करते हैं:

क) हमारे अभिमत के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण

consolidated Financial Statements, which have been audited by their respective Independent Auditors. The statements/Financial Information of these entities have been furnished to us and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these entities, is based solely on the report of such auditors.

In respect of Foreign Joint Venture, the Financial Information has been prepared in accordance with Accounting Principles generally accepted in their country of incorporation and has been audited by other auditors under generally accepted Auditing Standards as applicable in their respective countries. The Bank's management has engaged a Consultant to convert the Financial Information from accounting principles generally accepted in their country to Accounting principles generally accepted in India and have been certified by the Management.

Our opinion in so far as it relates to the balances of such Associate and Foreign Joint Venture is based on the report of other auditors and conversion adjustments as provided by Bank's Management.

ii. The independent auditor's reports on financial statements/financial results/financial information of these entities have been furnished to us and our opinion on the financial results, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these entities, is based solely on the report of such auditors and the procedures performed by us as stated in Paragraph above.

iii. In the case of Foreign Joint ventures, the financial information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the country of incorporation and has been audited by the other auditors under generally accepted Auditing standards as applicable in the country of incorporation. The management of the Bank has engaged consultant to convert the financial information of Joint venture to accounting principles generally accepted in India. Our opinion in so far as it relates to the balances of such Joint Venture located outside India is based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the Bank.

Our opinion on the consolidated financial statements and our Report on Other Legal and Regulatory Requirements below is not modified in respect of the above matters and with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. Subject to the matters indicated in paragraph 5 and 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and other associates and joint ventures, as noted in the 'other matter' paragraph, we report, to the extent applicable, that;

   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the aforesaid consolidated financial statements and have found them to be satisfactory;

   b) The transactions of the bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

   c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. We further report that:

   a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

   b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited by us;

   c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

   d) in our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards except Accounting Standard 23, Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements and Accounting Standard 27, Financial Reporting of Interests in Joint Ventures issued by ICAI and to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

11. As required by letter No.DOS.ARG.No.6270/09.91.001/2019-20 dated March 17,2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in Paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

   a. In our opinion, the aforesaid Consolidated

लेखांकन मानक 23, समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन और लेखा मानक 27, आईसीएआई द्वारा जारी संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग को छोड़कर लागू अन्य लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, एवं अपनी हद तक वे हैं आरबीआइ द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के साथ असंगत नहीं है ।

ख) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई पर्यवेक्षण अथवा टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है ।

घ) बैंक के खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं पाई गई है।

ङ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समेकित वित्तीय विवरण पर लागू नहीं होता है।

कृते **एस.एन नंदा एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000685एन

गौरव नंदा
साझेदार
एम नं. 500417
यूडीआईएन :22500417एजीएडीआरसी1627

कृते **योगनंद व राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005157एस / एस200052

मनोज कुमार जैन
साझेदार
एम नं. 218610
यूडीआईएन: 22218610एजेईडीकेयू7414

कृते **एस एन कपूर व एसोसियेट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001545सी

अविचल एसएन कपूर
साझेदार
एम नं. 400460
यूडीआईएन :22400460एजेईडीएचपी4141

कृते **नंदी हलदर व गांगुली**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302017ई

पार्थसारथी चंद
साझेदार
एम नं. 056653
यूडीआईएन: 22056653एजेईईएक्सएफ2640

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 18.05.2022

Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards except Accounting Standard 23, Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements and Accounting Standard 27, Financial Reporting of Interests in Joint Ventures issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b. There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

c. As Bank is not registered under the Companies Act,2013 the disqualification from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.

d. There are no qualification, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith of the Bank.

e. The Bank's internal financial controls over financial reporting is not applicable on the Consolidated Financial Statement.

For **S N NANDA & CO**
Chartered Accountants
FRN 000685N

GAURAV NANDA
Partner
M No : 500417
UDIN : 22500417AKHROW6181

For **YOGANANDH & RAM LLP**
Chartered Accountants
FRN 005157S/S200052

MANOJ KUMAR JAIN
Partner
M No : 218610
UDIN : 22218610AKHRGE3170

For **S N KAPUR & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 001545C

AVICHAL SN. KAPUR
Partner
M No : 400460
UDIN : 22400460AKHRJK3961

For **NANDY HALDER & GANGULI**
Chartered Accountants
FRN 302017E

PARTHASARATHI CHANDA
Partner
M No : 056653
UDIN : 22056653AKHRNH9494

Place: Chennai
Date : 18-05-2022

31.03.2022 तक अतिरिक्त प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक, नए पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क बेसल (।।) पर समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। दिशानिर्देशों के संबंध में पिलर ।।। अपेक्षाओं के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। अपनी जोखिम एपटाइट के आधार पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक कई प्रकार का जोखिम लेते हैं। बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन से बैंक का रिस्क प्रोफाइल बदलता है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम भरे कार्यकलापों से रोकना नहीं है , बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ जोखिम उठाया गया है ताकि इसका आकलन किया जा सके और शमन किया जा सके। ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबंधन उपाय एवं प्रणालियां तैयार की हैं और इन्हें काम में लाया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाए रखा है जिसमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रियाएं और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक नियमित आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम की मांग के स्तर पर आधारित है। बैंक की जोखिम एपिटाइट जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शित होते हैं।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाज़ार जोखिम प्रबंधन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और बाज़ार जोखिम के प्रबंधन हेतु अल्को उप समिति, परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन हेतु उत्पाद/ प्रोसेस जोखिम शमन समिति (पीआरएमसी) तथा सूचना सुरक्षा के प्रबंधन हेतु सूचना सुरक्षा समिति का भी गठन किया है।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के लिए संयोजक हैं। विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन में मिड ऑफिस तथा उधार समर्थन सेवाएँ विभाग और सामान्यत: अन्य प्रकार्यात्मक विभाग/ शाखा भी जोखिम प्रबंधन कार्य करते हैं तथा नीति जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के पालन / अनुपालन का प्रबोधन करते हैं। जोखिम प्रबंधकों को क्षेत्रीय कार्यालयों/ अंचल कार्यालयों में तैनात किया गया है। विभिन्न एम आइ एस को प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वयन करने के अलावा वे क्षेत्र/ अंचल स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति में सहभागिता करते हैं।

जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए मूल एप्रोच इसके प्रारंभिक बिंदु के जोखिम नियंत्रण करने पर निर्भर करती है। बैंक ने 31.3.2008 से प्रभावी पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल ।।) का कार्यान्वयन किया था और ये समय - समय पर भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में फ्रेमवर्क के अनुपालन में है। बेसल ।।। दिशानिर्देशों की शुरूआत 01.04.2013 से की गई है और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी का अनुरक्षण कर रहे हैं। बेसल ।। फ्रेमवर्क तीन पारस्परिक सहायक पिलर पर आधारित हैं। संशोधित फेमवर्क का पहला पिलर क्रेडिट, मार्केट और परिचालनात्मक जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजी आवश्यकता से संबंधित है। दूसरा पिलर पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास पर्याप्त पूँजी है ताकि वह अपने कारोबार में सभी प्रकार के जोखिमों का बैंक के जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण वातावरण के साथ शमन कर सकता है। भा.रि.बै. की अपेक्षा के अनुरूप बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है ताकि वह दूसरे पिलर की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। इस नीति का लक्ष्य उन सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का मूल्यांकन प्रथम पिलर जोखिमों के तहत विनियामक निर्धारकों से ऊपर करना है जिसका सामना बैंक करता है और पर्याप्त पूँजी ढाँचा सुनिश्चित करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहे।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 02.12.2013 को जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक "तनाव जांच नीति /फ्रेमवर्क" तैयार किया है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषत: बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं विनाश से उबरने की योजना बनाई है । जीरो डाटा लॉस के लिए 3 वे डी आर , सभी 3 डाटा केन्द्रों पर और केन्द्रीय कार्यालय पर , मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैण्डविथ कनेक्शन , वैकल्पिक सेवा प्रदाता से ड्वेल कनेक्टीविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है। फायरवॉल और इन्ट्रूजन डिटेक्शन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है। सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग (आइ एस सेक्यूरिटी) की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके। जबकि आइ एस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभागों और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की देख-रेख करता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर ड्रिल आयोजित किया जाता है। नेटवर्क सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग आयोजित किया जाता है।

बेसल ।। फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित उन्नत पहलों को माइग्रेट करने के लिए बैंक अपने जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया को उन्नत बनाने की प्रक्रिया में सलंग्न है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दिशानिर्देश में विभिन्न स्तरों पर देशी व विदेशी परिचालनों समेत समेकित बैंक परिचालनों की तैयारी व प्रस्तुति शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने प्रणाली व प्रक्रिया तैयार की है ।

आरबीआई ने दो न्यूनतम मानकों तरलता के वित्तपोषण के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

ADDITIONAL DISCLOSURES AS ON 31.03.2022

Reserve Bank of India issues guidelines on Basel III Capital Adequacy Framework from time to time. In terms of the guidelines, the following disclosures are made as per the specified Formats under Pillar III requirement:

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which include policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder's value through achieving appropriate trade-off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Risk Management Committee (CRMC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO), Funds Committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee (ORMC) and Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) for managing operational risk, and Information Security Committee for managing Information security.

A full-fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convener for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept., in particular, and other functional departments/ branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/ compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been placed at Regional Offices and Zonal Offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committees.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per the guidelines. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI Circular, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly suitable proactive steps are taken to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO/ RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3 way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centers and Central, Dual connectivity from different alternate service/ alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information System Security Department to monitor and analyse the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. The bank has fine-tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines.

RBI has issued guidelines on two minimum standards Viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity. The LCR promotes short

पर दिशानिर्देश जारी किए हैं । एलसीआर यह सुनिश्चित करके बैंकों के संभावित तरलता व्यवधानों के लिए अल्पकालिक लचीलापन को बढ़ावा देता है कि बैंक के पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र तनाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) है ।

एनएसएफआर बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्त पोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ वित्त पोषित करने की आवश्यकता के संबंध में लंबी अवधि के लिए बढ़ावा देता है । आरबीआइ ने 29.11.2018 के परिपत्र संख्या डीबीआर. बीपी. बीसी. सं. 8/ 21.04.098/ 2018-19 के माध्यम से एनएसएफआर (शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात) के कार्यान्वयन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं । कोविड -19 के प्रकोप के कारण, आरबीआई ने एनएसएफआर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को 18 महीने के लिए टालने का फैसला किया है । ये दिशानिर्देश 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी हो गए हैं। बैंक ने 01.10.2021 से एनएसएफआर तैयार करना शुरू कर दिया है और 31.03.2022 को यह अनुपात 150.90% है और यह 100% की नियामक आवश्यकता से अधिक है ।

बेसल ।।। ने एक सरल, पारदर्शी व गैर जोखिम आधारित लेवरेज अनुपात की शुरूआत की है, जिसे जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षा के लिए विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए जांचा जाता है। बैंक को भी लेवरेज अनुपात पर नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप किया गया है और 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से तिमाही आधार पर भा.रि.बैं. को रिपोर्ट कर रहा है।

भा.रि.बैं. ने बैंक द्वारा 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही के बेसल 3 पूँजी अनुपात के साथ 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी चरणबद्ध रूप से कार्यान्वियत किए जाने के लिए भारत में बेसल ।।। पूँजी विनियामकों को कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार इनका अनुपालन कर रहा है।

बेसल ॥ फ्रेमवर्क के तीसरे स्तंभ का अभिप्राय बाज़ार अनुशासन से है। बाज़ार अनुशासन का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूँजी आवश्यकता और स्तम्भ ॥ के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ 1 से 11 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाज़ार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूँजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूँजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (1) अनुप्रयोग की गुंजाइश डीएफ-1, (2) पूँजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (3) उधार जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (4) उधार जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-4), (5) उधार जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-5), (6) प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (7) ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम (डीएफ-7), (8) परिचालन जोखिम (डीएफ-8), (9) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) (डीएफ-9), (10) काउंटर पार्टी उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10), (11) पूँजी का संघटन (डीएफ-11) और (12) लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (डी एफ 18) । यह बाज़ार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा।

बेसल ।।। के तहत स्तंभ ।।। प्रकटीकरण के अनुसार अपेक्षित विवरण

1.प्रयोज्यता की संभावना और पूँजी पर्याप्तता

तालिका डीएफ-1:

प्रयोज्यता की संभावना

बैंकिंग समूह का नाम जहां यह रूपरेखा लागू होती है

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाईका नाम	क्या इकाईसमेकन के लेखाकरण संभावना के अंतर्गत आती है(हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	क्या इकाईसमेकन के विनियामक संभावना के अंतर्गत आती है(हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या	समेकन की संभावना के सिर्फ किसी एक के तहत समेकन किए जाने के कारण की व्याख्या
ओडिशा ग्रामीण बैंक	हाँ	ईक्विटी विधि	नहीं	ईक्विटी विधि	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडियन इंटरनेशनल बैंक, बरहद, मलेशिया	हाँ	आनुपातिक समेकन विधि	हाँ	आनुपातिक समेकन विधि	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) लेखाकरण और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के तहत समेकन के लिए अविचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

(रूपये करोड़ में)

निगमन के देश/ इकाईका नाम	इकाईका प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	इकाई के पूँजी लिखतों में बैंक के निवेश के प्रति विनियमक व्यवहार	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेस	नहीं	368.18	18.06%	लागू नहीं	लागू नहीं

term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days.

The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. RBI vide circular No.DBR.BP.BC.No.8/21.04.098/2018-19 of 29.11.2018 has issued final guidelines on implementation of NSFR (Net Stable Funding Ratio). Due to Covid-19 outbreak, RBI has decided to defer the implementation of NSFR guidelines by 18 months. These guidelines have come to effect from October 1, 2021. Bank has started preparing NSFR from 01.10.2021 and the ratio stands at 150.90% as on 31.03.2022 and is more than the Regulatory requirement of 100%.

Basel III has introduced a simple, transparent and non-risk based Leverage Ratio, which is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. Bank has been in compliance with the regulatory requirement on Leverage ratio and reporting to RBI on a quarterly basis from the quarter' ending June 30, 2013

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) is published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10),(k) Composition of Capital (DF 11) and Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

Data Required as per Pillar III disclosure under Basel III

1. Scope of Application and Capital Adequacy

TABLE DF –1:

Scope of application

Name of the Banking Group to which the framework applies

(i) Qualitative disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation:

Name of the Entity / Country of Incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Odisha Gramya Bank	Yes	Equity Method	Yes	Equity Method	NA	NA
India International Bank, Berhad, Malaysia	Yes	Proportionate Consolidation Method	Yes	Proportionate Consolidation Method	NA	NA

b. List of Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

(Rs. in Crore)

Name of the Entity / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of the Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Universal Sompo General Insurance	No	368.18	18.06%	NA	NA

ii. . मात्रात्मक प्रकटीकरण

क. समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची (रूपये करोड़ में)

निगमन के देश/ इकाईका नाम जैसा ऊपर (I) क में इंगित किया गया है	इकाईका प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)
ओडिशा ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	861.67*	17289.29
इंडियन इंटरनेशन बैंक, बरहद, मलेशिया	बैंकिंग	206.08**	257.98

**ओडिशा ग्रामिया बैंक में इक्विटी का बैंक हिस्सा 301.58 करोड़ रुपये (861.67*35%) है

** इंडिया इंटरनेशनल बैंक, बरहाद, मलेशिया में बैंकों की हिस्सेदारी 72.13 करोड़ रुपये (206.08*35%) है।

ग. सभी अनुषंगी इकाइयों में पूँजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम

निगमन के देश / अनुषंगी का नाम	इकाईका प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी की कमी
लागू नहीं				

ग. बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित हैं: (रूपये करोड़ में)

निगमन का देश/ बीमा इकाइयों के नाम	इकाईका प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	वोटिंग अधिकार का अनुपात / कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	जोखिम भारित प्रक्रिया बनाम पर्ण कटौती विधि के इस्तेमाल का विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस	साधारण बीमा	368.18	18.06	सीआरएआर में 1 बीपीएस से कम की कटौती

(च) बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा:

नहीं

तालिका डीएफ-2: पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बेसल III पूँजी नियमकों को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2013 से लागू हैं जहाँ बैंक 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से अपनी बेसल III की पूँजी की घोषणा कर रही हैं । बैंक उपरोक्त दिशानिर्देशों साथ अनुपालन कर रहे हैं

बैंक ने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के केंद्रीय कार्यालय में संबधित आँकड़ों के आधार पर बाज़ार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी की गणना की है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत क्रेडिट जोखिम के लिए पूँजी की गणना में बैंक अपने केन्द्रीय कार्यालय की पोर्टफोलियो से इतर प्रत्येक शाखा से प्राप्त उधारकर्तावार आंकड़ों पर निर्भर है। सभी प्रकार के ऋणों में क्रेडिट जोखिम पूँजी की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में सूचित वर्गीकरण के अनुसार उधारकर्तावार या सुविधा प्रकार आधार पर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने आंतरिक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूँजी के हिसाब को सुलभ करता है और सीबीएस के ज़रिए शाखा स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट उत्पन्न करता है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक कुल जोखिम भारित आस्ति अर्थात जोखिम भारित आस्ति की पूँजी के 9% के न्यूनतम अनुपात को बनाए रखना नियत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी फ्रेमवर्क 5.5% के न्यूनतम सीईटी के साथ 7% न्यूनतम टियर । सीआरएआर के अनुरक्षण की बात करता है। कुल पूँजी (टियर 1 पूँजी + टियर 2 पूँजी) को नियमित आधार पर जोखिम भारित आस्तियों का कम से कम 9 अवश्य होना चाहिए । बेसल III के निर्देशों के अनुसार , आरडब्ल्यूए की 5.5% की न्यूनतम कॉमन ईक्विटी टियर । पूँजी के अतिरिक्त बैंक द्वारा सामान्य ईक्विटी टियर । पूँजी के रूप में 0.625% प्रतिवर्ष की वृद्धि सहित 31.03.2016 से 31.03.2020 तक की संक्रमणशील व्यवस्था के साथ आरडब्ल्यूए की 2.5% को पूँजी संरक्षण बफर के तौर पर बनाए रखने की आवश्यकता है । हालांकि, 31.03.2022 को बैंक द्वारा 2.50% की सीसीबी बनायी रखनी चाहिए ।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के स्तंभ 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति और फ्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा ओवरसीज़ परिचालन समेत बैंक की जोखिम प्रवृत्ति, जहाँ कही लागू / प्रासंगिक हो, में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

बेसल III फ्रेमवर्क के अंश के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने लीवरेज अनुपात अवधारणा शुरू की है। लीवरेज अनुपात टायर । पूँजी (कॉमन इक्विटी + अतिरिक्त टियर I) तथा कुल जोखिम (बेसल III के तहत परिभाषितानुसार) का अनुपात है। लीवरेज अनुपात का अनुरक्षण तिमाही आधार पर किया जाना है। वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई न्यूनतम लिवरेज़ अनुपात

ii. Quantitative disclosures:

a. List of Group entities considered for consolidation (Rs. in Crore)

Name of the Entity / Country of Incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Odisha Gramya Bank	Banking	861.67*	17289.29
India International Bank, Berhad, Malaysia	Banking	206.08**	257.98

* Banks share of Equity in Odisha Gramiya Bank is Rs.301.58 Crores (861.67*35%)

** Banks share of Equity in India International Bank, Berhad, Malaysia is Rs.72.13 Crores (206.08*35%)

b. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included, in the regulatory scope of consolidation i.e., that are deducted:

Name of the Subsidiaries / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
Not applicable				

c. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:

(Rs. in Crore)

Name of the insurance entities / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method vs. using the full deduction method
Universal Sompo General Insurance	General Insurance	368.18	18.06	Reduction of 1 bps in CRAR

d. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group:

NO

Table DF – 2: CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures:

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in a phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The Bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the bank's Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for Credit risk under Standardized Approach, the bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch besides portfolios held at Central Office of the bank. In all loan types, the credit risk capital computation is done on borrower basis or facility type basis as per the segmentation advised in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of the requisite reports at the Branch level, Regional Office level and Central Office level through CBS System.

RBI has prescribed that banks are required to maintain a minimum total capital (MTC) of 9% of total risk weighted assets (RWAs) i.e. capital to risk weighted assets (CRAR). The framework issued by RBI prescribes maintenance of a minimum Tier-1 CRAR of 7% with a minimum CET 1 of 5.5%. Total Capital (Tier 1 Capital plus Tier 2 Capital) must be at least 9% of RWAs on an ongoing basis. As per Basel III guidelines, in addition to the minimum Common Equity Tier 1 capital of 5.5% of RWAs, banks are also required to maintain a capital conservation buffer (CCB) of 2.50% of RWAs in the form of Common Equity Tier 1 capital with a transitional arrangement from 31.03.2016 to 31.03.2020 with an increase of 0.625% every year. As on 31.03.2022, Banks should maintain CCB of 2.50%.

The Bank has put in place a policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards adequacy of capital available to meet the residual risk as part of Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy, the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in their guidelines and bank's risk appetite.

As part of Basel III framework RBI has introduced Leverage Ratio concept. The leverage ratio is the ratio of Tier-1 capital (Common Equity + Additional Tier I) and total exposure (as defined under Basel III). The leverage ratio has to be maintained on a quarterly basis. Final guidelines were issued vide RBI

निर्धारित नहीं किया । आरबीआइ द्वारा ने परिपत्र संख्या आरबीआइ /2018-19/225 डीबीआर .बीपी.बीसी. सं. 49/21.06.201/2018-19 दिनांकित 28.06.2019 के माध्यम से अंतिम दिशानिर्देश जारी किया है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि गैर – देशीय प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक (डीएसआइबी) द्वारा 01.10.2020 से 3.5% के लिवरेज़ अनुपात का रखरखाव किया जाना है । आरबीआइ द्वारा निर्धारित वांछित स्तर 3.50% की तुलना में मार्च 2022 के लिए बैंक का लिवरेज अनुपात 4.07% है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) तथा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) जैसी दो न्यूनतम मानकों के संबंध में दिशानिर्देश ज़ारी किया है। संभाव्य चलस्थितियों से संबंधी बाधाएँ उत्पन्न होने पर 30 दिनों तक गंभीर मौद्रिक तनाव की स्थिति से जूझने के लिए बैंक के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्तियों को सुनिश्चित करते हुए एलसीआर बैंकों को अल्पकालिक सुदृढ़ता प्रदान करता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण: **(रु. करोड़ में)**

मात्रात्मक प्रकटीकरण	31.03.2021 को
a) क) उधार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता •मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र •जांचकरण एक्स्पोज़र	 8115.87 0.00
b) ख)बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता: • मानकीकृत आवधिक पहुँच ब्याज दर जोखिम -विदेशी परिचालन जोखिम -एक्विटी जोखिम	 556.42 5.40 437.50
ग) परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता: •मूल संकेतक दृष्टिकोण मूल संकेतक दृष्टिकोण	1072.16
घ) कुल सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी अनुपात शीर्ष एकीकृत समूह के लिए तथा • कुल पूँजी अनुपात • कुल सीआरएआर (आवेदन के अधीन विवेकपूर्ण तल पर) • कुल टायर I पूँजी अनुपात (टियर I सीआरएआर) • सामान्य समता टियर आई पूँजी अनुपात	(प्रतिसत में) 13.83% 13.83% 10.71% 10.71%

तालिका डीएफ-3 : उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधार जोखिम उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास से जुड़ी हानियों की संभावना है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशत: बैंक के उधार क्रियाकलापों तथा बैंक के विश संबंधी कार्यकलापों से उत्पन्न होता है यदि उधारकर्ता/प्रतिपक्षी ऋणदाता/ निवेशक के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काउंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम भी शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर मापन व प्रबोधन के ज़रिए अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव गुणों और अवगुणों के मूल्यांकन में सहायक है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

रेटिंग मॉडल कारक मात्रात्मक और गुणात्मक गुण जैसे जोखिम घटकों से संबंधित हैं जैसे उद्योग जोखिम, व्यापार जोखिम, प्रबंधन जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ लागू हो) और सुविधा जोखिम इत्यादि । उद्योग क्रिसिल आधारित बाज़ार स्थितियों के जोखिम पर डेटा नियमित रूप से अद्यतन / समर्थित है ।

वैसे खाते जिनका एक्सपोज़र रु. 100 लाख से कम है , उनकी रेटिंग आइएमएसीएस (आइसीआरए) जोखिम रेटिंग मॉडलों के तहत की जानी है । अतः सभी पात्र खाते जोखिम स्कोर रेटिंग जो कि कई जोखिम मापदंडों पर आधारित है, के अधीन है ।

बैंक ने 02.01.2017 से लागू पुष्पका(वाहन ऋण) के लिए तथा मूल्य के संबंध में गैरजमानती ऋण तथा गृह ऋण "खुदरा में स्कोर करने का तंत्र" लागू किया है ।रू. 10 लाख तक के ऋण का अनुरोध करने वाले छोटे एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए बैंक ने इन- हॉउस स्कोरिंग मॉडल की शुरुआत की है।

बैंक ऋणों तथा अग्रिमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। उपयुक्त मंजूरीकर्ता प्राधिकर्ताओं को नए / संवर्धित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन ग्रिड गठित किया गया है। शाखा प्रबंधकों को विशिष्ट मंजूरी शक्तियाँ प्रदान की गई है।

बैंक के ऋण नीति दस्तावेज के अनुसार , वैसे सभी खाते जिनका एक्सपोज़र रु. 25 करोड़ से ज्यादा है , उनकी रेटिंग अनिवार्यतः बाह्य रूप से की जानी है और वैसे खाते जो डाइनमिक रेटिंग हेतु पात्र है , उन्हें डायनमिक रूप से रेट किया जाना है ।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और फ्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक वाइड आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। उधार जोखिम पाबंधन समिति बैंक की जोखिम वहन क्षमता को हिसाब में लेती है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोज़र सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालता है।

बैंक ने बैंक में सर्वोत्तम क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रथा को लागू करने के लिए गंभीर कदम उठाए हैं । बैंक ने ऋण नीति और ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अलावा, बैंक ने अग्रिमों, निधियों और निवेश नीति, प्रतिपक्ष जोखिम प्रबंधन नीति और देश जोखिम प्रबंधन नीति आदि पर ब्याज दर नीति भी तैयार की है, जो ऋण जोखिम की निगरानी का अभिन्न अंग है । इसके अलावा, बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और ऋण जोखिम शमन पर एक नीति लागू की है जो बैंक द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्राइम और

circular RBI/2018-19/225 DBR.BP.BC.No.49/21.06.201/2018-19 dated: 28.06.2019 where in it was decided that Non - Domestic Systemically Important Banks (DSIBs) have to maintain a leverage ratio of 3.50% w.e.f 01.10.2020. Bank's Leverage Ratio for the March 2022 is 4.07% as against 3.50 % being stipulated by RBI.

RBI has issued guidelines on two minimum standards Viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity. The LCR promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days.

Quantitative disclosures:

(Rs. in crore)

Quantitative Disclosures:	**As on 31.03.2022**
a) Capital requirements for credit risk	
• Portfolios subject to standardized approach	8115.87
• Securitization exposures	0.00
b) Capital requirements for market risk:	
• Standardized duration approach	
- Interest rate risk	556.42
- Foreign Exchange risk	5.40
- Equity risk	437.50
c) Capital requirements for operational risk	
• Basic indicator approach	
- Operational Risk	1072.16
d) Total and Tier 1 capital ratio: For the top consolidated group; and	(in Percentage)
• Total Capital Ratio (CRAR)	13.83%
• Total CRAR (Subject to application of Prudential Floor)	13.83%
• Total Tier I Capital Ratio (Tier I CRAR)	10.71%
• Common Equity Tier-I Capital Ratio	10.71%

Table DF-3: CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative disclosures:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counterparty is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/ worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also includes counterparty risk and country risk.

Credit rating and Appraisal Process:

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated and supported by CRISIL, based on market conditions.

Accounts having exposure below Rs.100 Lacs are rated under the IMACS (ICRA) risk rating models. Thus all the eligible accounts are subjected to Risk Scores Rating spanning over a number of risk parameters.

Bank has implemented "Retail Scoring Models" for Pushpaka (Vehicle Loan), Clean Loan and Housing loan irrespective of the amount w.e.f 02.01.2017. Bank has developed in-house scoring model for rating Small MSME borrowers requesting for loans upto Rs.10 lacs.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Approval Committees have been constituted at all levels covering Exceptionally Large branch / RO / CO for recommending fresh/ enhancement proposal to appropriate sanctioning authorities. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers.

As per Loan policy Document of the Bank, all the Accounts having and exposure above Rs.25.00 Cr (except MSME) are mandatorily externally rated and the Accounts eligible for dynamic rating are rated dynamically.

Credit Risk Management Policies

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The Credit Risk Management Committee (CRMC) takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Interest Rate Policy on Advances, Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and

कोलेटरल दोनों) और बैंक के हितों की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन का विवरण देता है । वर्तमान में, कुछ चुनिंदा प्रतिभूतियां क्रेडिट जोखिम (पूंजी गणना में) के खिलाफ शमन के रूप में कार्य करती हैं, जिसमें बैंक का ऋण होता है ।

(रूपये करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण	31.03.2022
अ) कुल सकल क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर: निधि आधारित गैर निधि आधारित कुल	 281721.76 15546.75 **297268.51**
आ) भौतिक वितरण एक्सपोजर: • देशी निधि आधारित गैर निधि आधारित • विदेशी निधि आधारित गैर निधि आधारित	143202.05 17356.04 12598.66 1582.01
इ) एक्सपोजर, फंड आधारित और गैर-निधि अलग-अलग उद्योग प्रकार	अनुबंधति
ई) परिसंपत्तियों की अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता ब्रेकडाउन	अनुबंधति
उ) एनपीए का मूल्य (कुल) अवमानक अवमानक • डी1 • डी2 • डी3 हानि	15298.62 2695.46 10751.15 2714.78 3542.28 4494.09 1852.02
ऊ) निवल एनपीए	3824.62
ए) एनपीए अनुपात कुल अग्रिमों पर कुल एनपीए निवल एनपीए पर निवल एनपीए	 9.82% 2.65%
ऐ) एनपीए की प्रवृत्ति (कुल) • प्रारंभिक शेष (01.03.2021) • जोड़ • घाटाव • अंतिम शेष (31.03.2022)	 16323.18 5132.03 6156.59 15298.62
ओ) एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन • प्रारंभिक शेष (01.04.2021) • अवधि के दौरान किए गये प्रावधान • बट्टे खाते में डाला गया अतिरिक्त प्रावधानों का प्रलेखन • अंतिम शेष (31.03.2022)	 11430.09 3604.30 3885.05 11149.34
औ) अनर्जक निवेशों की राशि	2456.66
अं) अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	2182.22
अ:) निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार – चढाव (देशी) • प्रारंभिक शेष (01.04.2021) • अवधि के दौरान किए गये प्रावधान • बट्टे खाते में डाला गया /अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन • अंतिम शेष (31.03.2022)	 2907.60 312.13 802.88 2416.85

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन (वैश्विक) (रूपये करोड़ में)

विवरण	राशि
दिन 1	32492.90
2 दिन – 7 दिन	12395.73

administration of such securities to protect the interest of the bank. Presently, some select securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the bank is exposed.

(Rs. in crore)

Quantitative Disclosures:	**31.03.2022**
a) Total gross credit risk exposures: Fund based Non fund based Total	 281721.76 15546.75 **297268.51**
b) Geographic distribution of exposures, • Domestic Fund based Non Fund based (LC & LG) • Overseas Fund based Non Fund based (LC & LG)	 143202.05 17356.04 12598.66 1582.01
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately	Annexed
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed
e) Amount of NPAs (Gross) • Substandard • Doubtful a. D1 b. D2 c. D3 • Loss	15298.62 2695.46 10751.15 2714.78 3542.28 4494.09 1852.02
f) Net NPAs	3824.62
g) NPA Ratios • Gross NPAs to gross advances • Net NPAs to net advances	 9.82% 2.65%
h) Movement of NPAs (Gross) • Opening balance (01.04.2021) • Additions • Reductions • Closing balance (31.03.2022)	 16323.18 5132.03 6156.59 15298.62
i) Movement of provisions for NPAs • Opening balance (01.04.2021) • Provisions made during the period • Write off / Write back of excess provisions • Closing balance (31.03.2022)	 11430.09 3604.30 3885.05 11149.34
j) Amount of Non-Performing Investments	2456.66
k) Amount of provisions held for non-performing investments	2182.22
l) Movement of provisions for depreciation on investments (Domestic) • Opening Balance (01.04.2021) • Provisions made during the period • Write-off / Write-back of excess provisions • Closing Balance (31.03.2022)	 2907.60 312.13 802.88 2416.85

Residual contractual Maturity break down of Assets (Global) (Rs. in crore)

Particulars	**Amount**
Day 1	32492.90
2 Days – 7 Days	12395.73

8 दिन – 14 दिन	6345.78
15 दिन – 30 दिन	6058.53
31 दिन – 2 माह	14562.36
2 माह – 3 माह	18298.02
3 माह – 6 माह	20725.98
>6 माह – 12 माह	41425.33
>1 वर्ष – 3 वर्ष	53775.57
>3 वर्ष – 5 वर्ष	15786.00
> 5 वर्ष	86249.21

उद्योगवार प्रकटीकरण (रू करोड़ों में)

उद्योग का नाम	**31.03.2021 को एक्सपोज़र**
खनन व क्वेरियिंग	**3487.40**
खाद्य प्रसंस्करण	**4112.48**
उनमें से चीनी	798.58
उनमें से खाद्य तेल व वनस्पति	561.85
उनमें से चाय	155.59
बेवरेज़ व तंबाकू उत्पाद	**789.43**
सूती वस्त्र	**3195.70**
जूट वस्त्र	**113.38**
हस्तशिल्प/ खादी (गैर प्राथमिक)	**475.64**
अन्य वस्त्र उद्योग	**3474.03**
चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	**655.67**
लकड़ी व लकड़ी उत्पाद	**695.97**
कागज व कागज उत्पाद	**1723.44**
पेट्रोलियम (गैर- इंफ्रा) , कोयलान उत्पाद (गैर- खनिज) एवं नाभिकीय इंधन	**1428.82**
रसायन व रसायन उत्पाद (डाइ, पेंटस, इत्यादि)	**4299.32**
उनमें से उर्वरक	2606.21
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	568.69
उनमें से अन्य	1124.42
रबर , प्लास्टिक और उनके उत्पाद	**1493.31**
ग्लास एवं ग्लासवेयर	**42.55**
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	**1346.92**
लौह एवं स्टील	**6803.51**
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	**2813.52**
सभी इंजीनियरिंग	**5449.23**
उनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	1187.25
वाहन , वाहन के भाग , परिवहन साधन	**1493.31**
रत्न व आभूषण	**42.55**
निर्माण	**1346.92**
इंफरास्ट्रक्चर	**6803.51**
उनमें से रोडवेज़	1493.31
उनमें से शक्ति	42.55
उनमें से तार संचार	1346.92
अन्य उद्योग	**6803.51**
अवशिष्ट अन्य अग्रिम	**2813.52**

8 Days – 14 Days	6345.78
15 Days – 30 Days	6058.53
31 Days – 2 Months	14562.36
2 Months – 3 Months	18298.02
3 Months – 6 Months	20725.98
>6 Months – 12 Months	41425.33
>1 Year – 3 Years	53775.57
>3 Years – 5 Years	15786.00
> 5 Years	86249.21

INDUSTRY WISE EXPOSURES (Rs. in crore)

In knmp oknmdustry Name	**Exposure as on 31.03.2022**
Mining and quarrying	**3487.40**
Food Processing	**4112.48**
Of which Sugar	798.58
Of which Edible Oils and Vanaspati	561.85
Of which Tea	155.59
Beverages and Tobacco	**789.43**
Cotton Textiles	**3195.70**
Jute Textiles	**113.38**
Handicraft/ Khadi (Non Priority)	**475.64**
Other Textiles	**3474.03**
Leather and Leather Products	**655.67**
Wood and Wood Products	**695.97**
Paper and Paper Products	**1723.44**
Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	**1428.82**
Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.,)	**4299.32**
Of which Fertilisers	2606.21
Of Which Drugs and Pharmaceuticals	568.69
Of which Others	1124.42
Rubber, Plastic and their products	**1493.31**
Glass & Glassware	**42.55**
Cement and Cement Products	**1346.92**
Iron and Steel	**6803.51**
Other Metal and Metal Products	**2813.52**
All Engineering	**5449.23**
Of which Electronics	1187.25
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	**3745.93**
Gems and Jewelry	**2959.32**
Construction	**722.10**
Infrastructure	**25412.54**
Of which Roadways	7125.24
Of which Energy	12682.87
Of which Telecommunications	3513.90
Other Industries	**132.30**
Residuary Other Advances	**143151.91**

उनमें से उड्डयन क्षेत्र के लिए	5449.23
कुल ऋण व अग्रिम – देशीय	**218734.00**

तालिका डीएफ -4: उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने से उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए बेसल ॥ पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूँजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

बाहरी उधार रेटिंग

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल ॥) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीएसई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सात देशीय ईसीआरए जैसे उधार विश्लेषण और शोध लि.(सीएआरई),क्रिसिल लि, इंडिया रेटिंग्स (पहले फिच इंडिया के नाम से जाना जाता था) , इकरा लि.,ब्रिकवर्क्स रेटिंग सर्विसेज़ लि. ,छोटे एवं मध्यम उद्यम रेटिंग एजेंसी लि. (एसएमईआरए) और इनफोमेरिक्स मूल्यांकन एवं रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (इनफोमेरिक्स) की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

उपरोक्त के मद्देनजर बैंक ने पूँजी राहत के उद्देश्य से इन सभी ईसी आर ए द्वारा प्रदत्त रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग बही में तुलनात्मक आस्ति पर पब्लिक ईश्यू की मैपिंग के लिए प्रावधान किया है । तथापि यह विशेष प्रावधान उधार जोखिम पूँजी की गणना में नहीं लिया जाता है ।

बैंक पूँजी परिकलन उद्देश्यों के लिए केवल प्रार्थित बाहरी रेटिंग्स का उपयोग करता है । 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है।

विदेशी एक्सपोज़र की पूँजी परिकलन के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग ऐजेंसियों जैसे फिच , मूडी एवं स्टैंडर्ड व पूअर द्वारा प्रदत्त रेटिंग्स का प्रयोग किया जाता है।

बैंक के ऋण नीति दस्तावेज के अनुसार , वैसे सभी खाते जिनका एक्सपोज़र रु. 25 करोड़ से ज्यादा है , उनकी रेटिंग अनिवार्यतः बाह्य रूप से की जानी है।

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग :

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है। बैंक द्वारा विभिन्न खंडों के अंतर्गत आने वाले खातों को रेट करने के लिए जोखिम मूल्यांकन मॉडल (आरएएम) प्रयोग किया जाता है। रैम मॉडल को जून 2018 में सर्वोत्तम जोखिम प्रैक्टिस शामिल करते हुए अद्यतित किया गया है ।साथ ही बैंक ने उधारकर्ता जोखिम के उचित मूल्यांकन हेतु 7 अतिरिक्त मॉडल खरीदे। उधारकर्ता के लेखापरीक्षित तुलन पत्र पर आधारित रेटिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक ने "डाइनमिक रेटिंग" की अवधारणा की शुरुआत की है, जो कि कुछ ट्रिगर्स पर आधारित हैं। रणनीति के तौर पर रिटेल, कृषि व एमएसएमई(आरएएम) के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक ने 01.01.2017 में रिटेल स्कोरिंग मॉडल की शुरुआत की है और इसे ऑन-लाइन ऋण प्रसंस्करण के साथ एकीकृत किया है। रेटिंग सत्यापन क्रेडिट विभागों से स्वतंत्र है ।

आंतरिक रेटिंग्स के आधार पर, प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोज़र का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लिया जाता है। बैंक ने नए खातों के मामले में प्रवेश स्तर पर रेटिंग निर्धारित किया है। प्रवेश स्तर पर से कम रेटिंग वाले खातों पर निर्धारित प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार उच्च प्राधिकारी के द्वारा ही विचार किया जाएगा।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(रू करोड़ों में)

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात एक्सपोजर (इएएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन कवर्ड इएएम	रेटिंग नहीं की गई
अग्रिम/निवेश			
100% जोखिम भार से कम	139546.11	13217.86	126328.25
100% जोखिम भार	51228.00	6373.11	44854.89
100% से अधिक जोखिम भार	5180.98	3527.25	1653.73
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	**195955.09**	**23118.22**	**172836.87**
अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	37056.39	1479.63	35576.76
100% जोखिम भार	4837.80	0.30	4837.51
100% से अधिक जोखिम भार	1.09	0.00	1.09
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	**41895.29**	**1479.93**	**40415.36**

Of which Aviation Sector	209.58
Total Loans and Advances- Domestic	**218734.00**

Table DF-4: CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures:

General Principle:

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted New Capital Adequacy Framework for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI from time to time.

External Credit Ratings:

Rating of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRAs) assumes importance in the light of Guidelines for implementation of the Basel II Capital Adequacy Framework. Exposures on Corporates / Public Sector Enterprises/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of seven domestic ECRAs viz. Credit Analysis and Research Ltd (CARE), CRISIL Ltd, India Ratings (formerly known as FITCH India), ICRA Ltd, Brickworks Rating Services India Ltd., Acuite Rating and Research (erstwhile SMERA) and INFOMERICS Valuation and Rating Pvt. Ltd. (INFOMERICS).

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose. The RBI has provided for mapping public issue ratings on to comparable assets into banking book. However, this particular provision has not been taken into account in Credit Risk Capital Computation.

The bank uses only solicited external ratings for capital computation purpose. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's are used as per RBI guidelines.

As per Loan Policy Document of the Bank, all the Accounts having and exposure above Rs.25.00 Cr are mandatorily externally rated.

Internal Credit Rating:

The bank has a well-structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower. Bank has put in place a Risk Assessment Model (RAM) to rate accounts under various segments. The RAM model was updated in June-18 to incorporate the best risk management practices. Further, Bank procured 7 more models for appropriate assessment of borrower risk. Rating has been made compulsory based on the Audited Balance sheet of the Borrower. Bank has also introduced the concept of "Dynamic Rating, which is based on certain triggers. Realizing the focus on Retail, Agriculture and MSME (RAM) growth as strategy, Bank introduced Retail Scoring Model on 01.01.2017 and integrated with on-line loan processing. The rating validation is independent of credit departments.

Based on the internal ratings, credit decisions are taken as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. The bank has prescribed entry level rating in case of new accounts. Accounts with ratings below the prescribed rating entry level can be considered only by higher authorities as per the delegated powers prescribed.

Quantitative disclosures:

(Rs. in crore)

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES / INVESTMENT			
Below 100% risk weight	139546.11	13217.86	126328.25
100% risk weight	51228.00	6373.11	44854.89
More than 100% risk weight	5180.98	3527.25	1653.73
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**195955.09**	**23118.22**	**172836.87**
OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	37056.39	1479.63	35576.76
100% risk weight	4837.80	0.30	4837.51
More than 100% risk weight	1.09	0.00	1.09
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**41895.29**	**1479.93**	**40415.36**

तालिका डीएफ – 5 : उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम को कम करने पर नीति :

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है । नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यता स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ताकि बैंक के हित की सुरक्षा/रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन/प्रबोधन भी हो ।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

क) पात्र वित्तीय संपार्श्विक :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचितानुसार, बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से घटाया जा सकता है । अत: पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उद्धार जोखिम पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है ।

ख) ऑन बैलेंस शीट नेटींग :

उधार जोखिम कम करने की तकनीक तथा संपार्श्विक प्रबंधन के उपयोग पर बैंक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋण/अग्रिमों के प्रति उपलब्ध जमाओं की हद तक ऑन बैलेंस शीट नेटींग की गणना की गयी है ऋण की अधिकतम हद तक), जहाँ बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दस्तावेज़ के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल करते हुए विधिक लागू नेटिंग व्यवस्थाएँ कीं। ऐसे मामलों में पूँजी गणना निवल उधार एक्सपोज़र के आधार पर किया जाता है ।

ग) पात्र गारंटियाँ

आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं – क) क्रेंद्र सरकार की गारंटी (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएमएसई (0%) घ) ईसीजीसी (20%) ड़) साख- पत्र के अधीन खरीदे/ बट्टे खाते में डाले गये बिलों के रूप में बैंक गारंटी (दिशानिर्देशों के अनुसार देशी और विदेशी दोनों)

बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में सकेंद्रीकरण जोखिम

बैंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी की गणना के लिए कई प्रकार के शामक उपाय वाली नीतियाँ व प्रक्रिया उपलब्ध हैं । उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ (वित्तीय संपार्श्विक) आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं। वर्तमान में बैंक प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन में कोई संकेंद्रन जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम शमन में कोई संकेंद्रन जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में प्रत्येक प्रकार के संपार्श्विक की कोई सीमा/ उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण (रू. करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 तक राशि
प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कत के पश्चात कवर किया गया है।	38355.84
देशी संप्रभुता	0.00
विदेशी संप्रभुता	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयाँ	517.46
बैंकों – अनुसूची (आइ एन आर)	0.00
एफ सी वाई में विदेशी बैंकों का दावा	0.00
प्राथमिक डीलर (पीडी)	0.00
कॉर्पोरेट	2426.81
विनियामक रिटेक पोर्टफोलियो (आर आर पी)	30077.75
आवासीय संपति द्वारा प्रतिभूत दावे	6.34
वाणिज्यिक भू संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे	53.35
उपभोक्ता ऋण	5118.29
पूँजी बाज़ार एक्सपोज़र	0.00
एनबी एफ सी एन डी	52.06
जोखिम पूँजी	0.00
अनर्जक आस्तियाँ – क) आवासीय ऋण	0.00
अनर्जक आस्तियाँ – ख) अन्य	101.16
स्टाफ ऋण	2.63
अन्य आस्तियाँ	0.00
पुनर्संरचित / खाते	0.00
वाणिज्यिक संपत्ति- आर एच द्वारा प्रतिभूत दावे – आर एच	0.00
पुनर्संरचित गृह ऋण	0.00
प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो कि गारंटी/ ऋण व्युत्पन्नी द्वारा कवर किया गया है (जब भी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदत्त)	**13681.68**
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	7342.31
कॉर्पोरेट	6333.70
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	5.67
पुनर्संरचित/ खाते	0.00
सीआरई	0.00
सीआरई- आरएच	0.00

तालिका डीएफ 6 : प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया ।

तालिका डीएफ – 7 : ट्रेडिग बुक में बाज़ार जोखिम

Table DF – 5: CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative disclosures:

Policy on Credit Risk Mitigation:

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

Credit Risk Mitigation under Standardized Approach:

(a) Eligible Financial Collaterals:

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital.

(b) On Balance Sheet Nettings:

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on–balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases, the capital computation is done on the basis of net credit exposure.

(c) Eligible Guarantees:

Other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees". In computation of credit risk capital, types of guarantees recognized as mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discounted under Letters of Credit (both domestic and foreign banks as per guidelines).

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation:

Policies and process are in place indicating the type of mitigant the bank uses for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank doesn't envisage any concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures (Rs. in crore)

Particulars	Amount As on 31.03.2022
For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible financial collaterals after the application of haircuts	**38355.84**
Domestic Sovereign	0.00
Foreign Sovereign	0.00
Public Sector Enterprises	517.46
Banks-Schedule (INR)	0.00
Foreign Bank denominated in FCY	0.00
Primary Dealers (PD)	0.00
Corporates	2426.81
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	30077.75
Secured by Residential Property	6.34
Secured by Commercial Property	53.35
Consumer Credit	5118.29
Capital Market Exposure	0.00
NBFC ND	52.06
Venture Capital	0.00
N.P.A. housing loan	0.00
N.P.A. Others Loan	101.16
Staff Loans	2.63
Other Assets	0.00
Restructured / Rescheduled Accounts	0.00
Claims secured by Commercial Property - RH	0.00
Restructured Housing Loan	0.00
For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Guarantees/ credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).	**13681.68**
Public Sector Enterprises	7342.31
Corporates	6333.70
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	5.67
Restructured / Rescheduled Accounts	0.00
CRE	0.00
CRE-RH	0.00

Table DF 6: SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

No Securitization for the ended 31.03.2022

Table DF – 7: MARKET RISK IN TRADING BOOK

गुणात्मक प्रकटीकरण :

बाज़ार जोखिम :

बाज़ार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, इक्विटी कीमतें तथा कमोडिटी कीमतों जैसे बाज़ार व्युत्पन्न द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाज़ार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित व्युत्पन्न से उत्पन्न होता है। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और इक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाज़ार जोखिम को कम करना है ।

बाज़ार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ :

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाज़ार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाज़ार जोखिम प्रबंधन को संभालने की अन्य नीतियाँ निवेश नीति, फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति और व्युत्पन्न नीति हैं । बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाज़ार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने, मापे, प्रबोधित किए तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाज़ार जोखिम का प्रभावी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाज़ार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाज़ार जोखिम के प्रभावी प्रबोधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवक्र का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डॉटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विशलेषण के जरिए किया जाता है। प्रभावी तरलता जोखिम की संगणना की जाती है तथा आरबीआइ को रूपये तथा विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों व ओवरसीज़ केन्द्रों के लिए प्रस्तुत किया जाना है और बैंक परिचालन हेतु विभिन्न अंतरालों पर इसका समेकन किया जाना है।

बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावकारी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता को संभालने के लिए विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किया जाता है। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक देशी ट्रेजरी द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विशलेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधित किया जाता है। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने अवधि अंतराल विश्लेषण फ्रेमवर्क भी बनाया है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए ब्याज दर में प्रतिकूल गति के प्रति बैंक जोखिम पर अर्जन तथा अवधि अंतराल आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (अल्को) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाज़ार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। कार्यरत मिड ऑफिस विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है।

चूंकि ब्याज दर की गति अस्थिर होती है, खासकर रु. 2 करोड़ व इससे अधिक पर ,अतः इस तरह के जमा पर प्रतिस्पर्धी दरों को उद्दत करने हेतु दैनिक आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। एएलसीओ की एक उप समिति , फंड कमेटी ,इस उद्देश्य के लिए व्यावसायिक घंटों की शुरुआत में दैनिक रूप से मिलती है । समिति बैंक की वर्तमान और अनुमानित तरलता स्थिति, तत्काल भुगतान की आवश्यकता, तैनाती के अवसरों के बारे में उपलब्ध बाज़ार प्रवृत्ति, अनहेज़ विदेशी मुद्रा एक्सपोजर आदि पर प्रभाव की समीक्षा करती है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल ।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाज़ार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित की है। 31.03.2022 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

(रू. करोड़ में)

बाज़ार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	6955.24	556.42
ईक्विटी स्थिति जोखिम	5468.80	437.50
विदेशी विनिमय जोखिम	67.50	5.40
कुल	**12491.54**	**999.32**

तालिका डीएफ – 8 परिचालनात्मक जोखिम :

गुणात्मक प्रकटीकरण :

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रकियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं लेकिन रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं है।

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) साइबर सुरक्षा नीति (ग) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (घ) अपने ग्राहक को जानें (के वाइ सी) पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (ड.) अविराम कारोबार तथा विपदा पुन:प्राप्ति योजना (बीसी) डीआरपी अनुपालन नीति और (च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्रोत पर नीति।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां व प्रक्रियाएं बना रखी हैं। निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारा बैंक परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी संगणना हेतु आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को परिचालनात्मक जोखिम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर पूंजी धारित करनी चाहिए।

Qualitative disclosure:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk:

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations and Stress testing policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis on the best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity risk is computed and submitted to RBI in rupee and foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

The bank has put in place mechanism of contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed by RBI for the first four buckets and by Bank's Board for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates earnings at risk for domestic operations and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

As interest rate movements are volatile, particularly on deposits of Rs. 2 Crore and above, there is a need to take views on quoting competitive rates to such deposits on daily basis. A subcommittee of ALCO, namely Funds Committee, meets daily at the beginning of business hours for this purpose. The committee reviews the present & projected liquidity position of the bank, requirement for immediate payment of funds, market trend regarding deployment opportunities available, impact on un-hedged forex exposure etc.

Quantitative disclosures:

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.03.2022 in trading book of the bank is as under:

(Rs. in crore)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital Requirement
Interest rate risk	6955.24	556.42
Equity position risk	5468.80	437.50
Foreign exchange risk	67.50	5.40
TOTAL	**12491.54**	**999.32**

Table DF – 8: OPERATIONAL RISK:

Qualitative disclosures:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) Cyber Security Policy (c) forex risk management policy (d) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (e) Business Continuity and Disaster Recovery Plan (BC-DRP) (f) compliance policy and (g) policy on outsourcing of Financial Services.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

In line with the final guidelines issued by RBI, our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI.\

मात्रात्मक प्रकटीकरण : (रू. करोड़ में)

मानदंड	पूँजी राशि	अनुमानित जोखिम भारित आस्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय का 15%	1072.16	13401.99

तालिका डीएफ – 9 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण :

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहां बाज़ार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है । ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिपेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है । परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है । इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को इक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है ।

बैंक ने वैश्विक परिचालनों पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (% के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विशलेषन को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है । इस प्रयोजन के लिए बैंक की 1 वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है ।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अंतराल विश्लेषण (डीजीए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टीजीए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आर्ति (आर एस ए) दर संवेदनशील देयता (आर एल ए) पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की आस्ति या वैश्विक देयता कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता का 5% या अधिक हो । सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर गणना की जाती है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2022 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है : (रू. करोड़ में)

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा	जोखिम पर अर्जन (इएआर) 31/03/2021	
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	176.97 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 3%)	80.16	75.00
0.50% परिवर्तन	353.94 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 6%)	160.32	150.00
0.75% परिवर्तन	530.91 पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 9%)	240.48	225.00
1.00% परिवर्तन	707.88 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 12%)	320.64	300.00
2.00% परिवर्तन	1415.76 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 24%)	641.28	600.00

इक्विटी का आर्थिक मूल्य	31.03.2022
आशोधित अवधि अंतराल (डीजीएपी)	-0.15
एएलएम नीति के अनुसार सीमा	(+/-) 1.00%
इक्विटी की बाज़ार मूल्य (एमवीइ)	
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए ईक्विटी में घटाव	7.77%

तालिका डीएफ – 10 प्रतिपक्ष उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर से संबंधित सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	क	डेरिवेटिव्स एवं सीआरआर के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्न शामिल हैं - काउंटर पार्टी क्रेडिट एक्सपोजऱ के लिए क्रेडिट लिमिट एवं आर्थिक पूंजी को सौंपने में प्रयुक्त कार्यप्रणाली की चर्चा • क्रेडिट आरक्षितियों को स्थिर करने तथा संपाश्र्विकों प्रतिभूतियों के लिए नीतियों पर चर्चा • त्रुटिपूर्ण विधि से जोखिम़ एक्सपोज़र के संबंध में नीतियों की चर्चा • संपाश्विकों की राशि के प्रभाव पर चर्चा से बैंक को क्रेडिट रेटिंग को कम किया जाएगा।

Quantitative disclosures: (Rs. in Crore)

Parameter	Capital amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	1072.16	13401.99

Table DF – 9: INTEREST RATE RISK ON THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures:

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly, the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.

The bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

Quantitative disclosures:

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2022 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under (Rs. in crore)

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earnings at Risk (EaR) 31.03.2022	
		Up to 1 year	Up to 5 years
0.25% change	176.97 (3% of NII of previous year)	80.16	75.00
0.50% change	353.94 (6% of NII of previous year)	160.32	150.00
0.75% change	530.91 (9% of NII of previous year)	240.48	225.00
1.00% change	707.88 (12% of NII of previous year)	320.64	300.00
2.00% change	1415.76 (24% of NII of Previous year)	641.28	600.00

ECONOMIC VALUE OF EQUITY	31.03.2022
Modified Duration Gap (DGAP)	-0.15
Limit as per ALM Policy	(+/-) 1.00%
Market value of Equity (MVE)	
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value	7.77%

Table DF – 10: GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

Qualitative Disclosures	(a)	The general qualitative disclosure requirement with respect to derivatives and CCR, including: • Discussion of methodology used to assign economic capital and credit limits for counter party credit exposures • Discussion of policies for securing collateral and establishing credit reserves • Discussion of policies with respect to wrong way risk exposures • Discussion on impact of the amount of collateral the bank would have to provide given a credit rating downgrade

मात्रात्मक प्रकटीकरण	ख	करारों का सकल सकारात्मक उचित मूल्य, नेटिंग वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र, धारित सम्पार्श्विक (सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी इत्यादि जैसी सहित) एवं निवल डेरिवेटिव क्रेडिट एक्सपोज़र । इसके अलावा सीईएम के तहत एक्सपोज़र राशि अथवा डिफॉल्ट के एक्सपोज़र सीमा का अनुमानित मूल्यतथा क्रेडिट एक्सपोज़र के प्रकारों द्वारा वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र का वितरण ।
	ग	क्रेडिट डेरिवेटिव सौदे जो कि सीसीआर (अनुमानित मूल्य) के एक्सपोज़रको उत्पन्न करते हैं को संस्था के निजी क्रेडिट पोर्टफोलियो के प्रयोग के लिए अलग-अलग किया जाएगा एवं इसके साथ-साथ वित्तीय मध्यस्थता गतिविधियों के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट डेरिवेटिव उत्पादाअगे पुन: प्रत्येक समूह के साथ ब्रोकेन डाउन के माध्यम से खरीद एवं बिक्री से की गई सुरक्षा ।

गुणात्मक प्रकटीकरण (रू. करोड़ में)

क्र	ब्योरे	काल्पनिक मूल्य	एमटीएम	कुल चालू ऋण एक्सपोजर
1	डेरिवेटिब्स	0.00	0.00	0.00
2	ब्याज दर करार /स्वैप	1093.13	0.00	0.00
3	वायदा संविदा/ बिक्रि संविदा	68756.96	544.26	544.26
4	ऋण डेरिवेटिब्स	0.00	0.00	0.00
5	ऋण डिफॉल्ट स्वैप	0.00	0.00	0.00

तालिका डीएफ -11: **पूँजी की संघटना**

नियामक समायोजन के परिवर्तनकाल के दौरान उपयोग किए जाने वाले बेसल ।।। सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (रू. करोड़ में)

सामान्य ईक्विटी टियर । पूँजी: लिखत एवं आरक्षितियाँ		
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	27460.31
2	प्रतिधारित आय	9460.19
3	संचयित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षितियाँ)	1868.55
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	0.00
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर । पूँजी	38789.05
सामान्य ईक्विटी टियर । पूँजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	2230.94
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	18813.86
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित	0.00
12	अपेक्षित हानियों पर प्रावधानों की कमी	0.00
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ	0.00
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि	0.00
15	परिभाषित- लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ,	0.00
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर प्रदत्त पूँजी का पहले ही निवलीकरण नहीं किया गया है)	0.00
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस- धारण	122.91
18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, जहाँ बैंक जारी शेयर पूँजी के 10% से अधिक नहीं रखता है (10 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), की पूँजी में निवेश	0.00
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, योग्य अल्प स्थितियों का निवल (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00

Quantitative Disclosures	(b)	Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposures, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit exposure hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.
	(c)	Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group.

Quantitative Disclosure (Rs. in Crore)

No	Particulars	Notional Amount	MTM	Total current credit exposures
1	Derivatives	0.00	0.00	0.00
2	Interest Rates Contracts/Swaps	1093.13	0.00	0.00
3	Forward Purchase / Sales Contract	68756.96	544.26	544.26
4	Credit Derivatives	0.00	0.00	0.00
5	Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00

Table DF – 11: COMPOSITION OF CAPITAL

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments

(Rs. in Crore)

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	27460.31
2	Retained earnings	9460.19
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1868.55
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**38789.05**
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	2230.94
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00
9	Intangibles (net of related tax liability)	18813.86
10	Deferred tax assets	0.00
11	Cash-flow hedge reserve	0.00
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00
13	Securitisation gain on sale	0.00
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)	0.00
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	122.91
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00

20	बंधक सेवा अधिकार (10 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00
21	अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ (10 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), संबंधित कर देयता का निवल	4277.17
22	15 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0.00
23	जिसमें से: वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार	0.00
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00
26	राष्ट्रीय विशेषीकृत विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	916.06
26a	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00
26b	जिसमें से: समेकित गैरवित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00
26c	जिसमें से: बहुमत प्राप्त वित्तीय इकाइयों, जिनका समेकन बैंक द्वारा नहीं हुआ है, की ईक्विटी पूँजी में कमी	575.37
26d	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	340.69
	बासेल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियों केसंबंध में सामान्य ईक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन	0.00
27	कटौती को कवर करने केलिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर I तथा टियरII के कारण सामान्य ईक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन।	0.00
28	सामान्य ईक्विटी टियरIपर कुल विनियामक समायोजन	26360.95
29	**सामान्य ईक्विटी टियरIपूँजी (सीईटी 1)**	12428.11
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: लिखत		
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	0.00
31	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00
32	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	0.00
33	अतिरिक्त टियर 1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी लिखत	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह एटी 1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखतें (तथा सीईटी 1 लिखत जो क्रम 5 में शामिल नहीं हैं)	0.00
35	जिसमें से निकाले जाने के अधीन अनुषगियों द्वारा जारी लिखत	0.00
36	**विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी**	0.00
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन		
37	खुद के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	0.00
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक गैर-धारिता	0.00
39	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक की स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी / साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0.00
40	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0.00
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00
41a	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में निवेश	0.00
41b	बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00
42	अपर्याप्त टियर II की वजह से कटौतियों को कवर करने के लिए अतिरिक्त टियर I में लागू विनियामक समायोजन	0.00
43	**अतिरिक्त टियर I पूँजी में कुल विनियामक समायोजन**	0.00
44	**अतिरिक्त टियर I पूँजी (एटी1)**	0.00
45	**टियर I पूँजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) (29 + 44)**	12428.11
टियर 2 पूंजी: लिखत और प्रावधान		
46	प्रत्यक्ष तौर पर जारी पात्र टियर 2 लिखत सहित संबंधित अधिक स्टॉक	2105.00

20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	4277.17
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00
24	of which: mortgage servicing rights	0.00
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	916.06
26a	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	575.37
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	340.69
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**26360.95**
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**12428.11**
Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	0.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**0.00**
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	0.00
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**0.00**
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) (29 + 44)**	**12428.11**
Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	2105.00

47	टियर 2 से बाहर होने की शर्त पर प्रत्यक्ष तौर पर जारी पूँजी लिखत	0.00
48	अनुषंगी द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में स्वीकृत राशि) टियर 2 लिखत (और 5 या 34 पंक्ति में नहीं शामिल सीईटी1 और एटी1 लिखत)	0.00
49	जिनमें से : बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0.00
50	प्रावधान	1517.20
51	**विनियामक समायोजन से पहले टियर 2 पूँजी**	3622.20
टियर 2 पूंजी: नियामक समायोजन		
52	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश	0.00
53	टियर 2 लिखतों में परस्पर प्रति-धारिता	0.00
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों कानिवल, जहाँ बैंक का स्वामित्व इकाई (10%% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी / साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0.00
55	जिनमें से : बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0.00
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0.00
56a	जिनमें से असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 2 पूँजी में निवेश	0.00
56b	जिनमें से: बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की टियर 2 पूँजी में कमी जिन्हें बैंक केसाथ समेकित नहीं किया गया है	0.00
57	टियर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	0.00
58	टियर 2 पूँजी (टी2)	3622.20
59	कुल पूँजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)	16050.31
60	कुल जोखिम भारांक वाली आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	116069.83
60a	जिनमें से : कुल उधार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	90176.30
60b	जिनमें से: कुल बाज़ार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	12491.54
60c	जिनमें से: कुल परिचालनात्मक जोखिम भारांक वाली आस्तियां	13401.99
पूंजी अनुपात		
61	जिनमें से : बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	10.71%
62	टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.71%
63	कुल पूँजी (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.83%
64	संस्थान विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा के साथ पूँजी संरक्षण और प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	8.000%
65	जिनमें से: पूँजी संरक्षण बफर अपेक्षा	0.00
66	जिनमें से: बैंक विशिष्ट प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षा	0.00
67	जिनमें से : जी-एसआईबी बफर अपेक्षा	0.00
68	बफर की पूर्ति केलिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	2.71%
राष्ट्रीय मिनीमा (यदि बेसल ।।। से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल।।। न्यूनतम से भिन्न होने पर)	5.50%
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल ।।। न्यूनतम से भिन्न होने पर)	7.00%
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (बेसल ।।। न्यूनतम से भिन्न होने पर)	9.00%
कटौती के लिए सीमा से नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)		
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0.00
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00
74	बन्धक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00
75	अस्थाई अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियॉ (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00

47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	0.00
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00
50	Provisions	1517.20
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**3622.20**
Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00
55	Significant investments13 in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	0.00
58	**Tier 2 capital (T2)**	**3622.20**
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)**	**16050.31**
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**116069.83**
60a	of which: total credit risk weighted assets	90176.30
60b	of which: total market risk weighted assets	12491.54
60c	of which: total operational risk weighted assets	13401.99
Capital ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.71%
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.71%
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	13.83%
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	8.000%
65	of which: capital conservation buffer requirement	0.00
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.71%
National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00

टियर 2 में लागू प्रावधानों को शामिल करने पर कैप		
76	मानकीकृत अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	1517.20
77	मानकीकृत अभिगम के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने केलिए सीमा	1517.20
78	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	लागू नहीं
79	मानकीकृत आंतरिकरेटिंग आधारित अभिगम के तहत टियर 2 में शामिल करने केलिए प्रावधान की सीमा	लागू नहीं
चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन पूंजीगत लिखत (केवल 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2022 के बीच लागू)		
80	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन सीइटी1 पर वर्तमान सीमा	0.00
81	कैप के कारण देय सीइटी1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0.00
82	फेज आउट व्यवस्था के अधीन ए टी 1 लिखत पर वर्तमान सीमा	0.00
83	सीमा को देय ए टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0.00
84	फेज आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखत पर वर्तमान सीमा	0.00
85	सीमा को देय टी 2 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0.00

टेम्पलेट को नोट्स (रु. करोड़ में)

टेम्पलेट की क्रम संख्या	विवरण	राशि
10	संचयी नुकसान के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचयी नुकसान के साथ संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	6262.40
	क्रम संख्या 10 में दर्शित अनुसार योग	0.00
19	यदि बीमा अनुषंगी में निवेश की कटौती पूँजी में से पूर्णतः नहीं काटी गयी है और बल्कि कटौती के लिए 10 की सीमा पर विचार किया गया है, बैंक की पूँजी में परिणामी वृद्धि	0.00
	इसमें से : सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0.00
	इसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0.00
	इसमें से : टियर 2 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0.00
26बी	यदि गैर वित्तीय अनुषंगी की ईक्विटी पूँजी में निवेश की कटौती नहीं की गयी और उसके बाद जोखिम भार	0.00
	(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0.00
	(ii) जोखिम भारांक आस्तियों में बढ़ोत्तरी	0.00
50	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	1517.20
	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0.00
	क्रम 50 का कुल	1517.20

तालिका डीएफ़ 21 –पूँजी की संरचना – समाधान आवश्यकता (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र	नियामक विचार के दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र
		31.03.2021को	**31.03.2022 को**
क	पूंजी और देयताएँ		

Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	1517.20
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	1517.20
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)		
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0.00
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	0.00
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	0.00
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00

Notes to the Template Rs. (in crore)

Row No. of the template	Particular	Amount
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	6262.40
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0.00
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	(ii) Increase in risk weighted assets	0.00
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	1517.20
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	1517.20

Table DF – 12: COMPOSITION OF CAPITAL-RECONCILIATION REQUIREMENTS

(Rs. in crore)

S. No.	Particulars	Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2022	As on 31.03.2022
A	Capital & Liabilities		

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र	नियामक विचार के दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र
		31.03.2021को	**31.03.2022 को**
i	प्रदत्त पूँजी	18902.41	19108.49
	आरक्षिति तथा अधिशेष	4097.99	4115.69
	अल्पमत ब्याज	0.00	0.00
	कुल पूँजी	23000.40	23224.18
ii	जमाएं	262158.92	262213.76
	जिसमें से : बैंकों से जमा	556.46	556.46
	जिसमें से : ग्राहकों से जमा	261602.46	261657.30
	जिसमें से : अन्य	0.00	0.00
Iii	**उधार**	3070.64	3070.64
	जिसमें से : आरबीआइ से	0.00	0.00
	जिसमें से : बैंक से	0.00	0.00
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं व एजेंसियों से	184.00	184.00
	जिसमें से : अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	621.64	621.64
	जिसमें से : पूँजी लिखत	2265.00	2265.00
Iv	**अन्य देयताएँ तथा प्रावधान**	**11147.21**	**11147.82**
	कुल	**299377.17**	**299656.40**
ख	**आस्तियां**		
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष**	**16705.99**	**16706.65**
	बैंक में शेष तथा अल्प मांग पर मांग मुद्रा	**20067.20**	**20244.60**
II	**निवेश**	**98179.31**	**98267.22**
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियाँ	91943.61	91969.46
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.99	0.99
	जिसमें से : शेयर	1414.47	1435.73
	जिसमें से : डिबेंचर तथा बाण्ड	3422.96	3422.96
	जिसमें से : अनुषंगियों / संयुक्त उपक्रम / सहयोगी	193.44	193.44
	जिसमें से : अन्य (व्यावसायिक पत्र, म्यूच्यूअल फंड आदि)	1203.85	1244.64
iii	**ऋण तथा अग्रिम**	**144243.52**	**144253.56**
	जिसमें से : बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	0.00	0.00
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	144243.52	144253.56
iv	अचल आस्तियाँ	3364.90	3366.04
v	अन्य आस्तियाँ	16816.24	16818.33
	जिसमें से : साख तथा अमूर्त आस्तियाँ	0.00	0.00
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियाँ	6263.16	6263.27
vi	समेकन पर साख	0.00	0.00
vii	लाभ व हानि खाते में ऋण शेष	0.00	0.00
	कुल	**299377.17**	**299656.40**

तालिका डीएफ – 13 : विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ

विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ का प्रकटीकरण टेम्पलेट

S. No.	Particulars	Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2022	As on 31.03.2022
i	Paid up Capital	**18902.41**	**19108.49**
	Reserves and Surplus	**4097.99**	**4115.69**
	Minority Interest	**0.00**	**0.00**
	Total Capital	**23000.40**	**23224.18**
ii	**Deposits**	**262158.92**	**262213.76**
	of which : Deposit from Banks	556.46	556.46
	of which : customer deposits	261602.46	261657.30
	of which : Others	0.00	0.00
iii	**Borrowings**	**3070.64**	**3070.64**
	of which : From RBI	0.00	0.00
	of which : From bank	0.00	0.00
	of which : from other institutional & agencies	184.00	184.00
	of which : Others(Outside India)	621.64	621.64
	of which : Capital instruments	2265.00	2265.00
iv	**Other liabilities and provisions**	**11147.21**	**11147.82**
	Total	**299377.17**	**299656.40**
B	**Assets**		
i	**Cash and Balances with Reserve Bank of India**	**16705.99**	**16706.65**
	Balance with bank and money at call and short notice	**20067.20**	**20244.60**
II	**Investments**	**98179.31**	**98267.22**
	of which: Government Securities	91943.61	91969.46
	of which: Other approved securities	0.99	0.99
	of Which :shares	1414.47	1435.73
	of which : Debentures & Bonds	3422.96	3422.96
	of which: Subsidiaries / joint Venture /Associates	193.44	193.44
	of which : other (commercial Paper, Mutual Funds etc)	1203.85	1244.64
iii	**Loans and advances**	**144243.52**	**144253.56**
	of which : Loans and advances to banks	0.00	0.00
	of which : Loans and advances to customers	144243.52	144253.56
iv	**Fixed assets**	**3364.90**	**3366.04**
v	**Other assets**	**16816.24**	**16818.33**
	of which : Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
	of which : Deferred tax assets	6263.16	6263.27
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00
	Total	**299377.17**	**299656.40**

Table DF-13: MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

क्र. सं.	विवरण	बेसल III टियर II	बेसल III टियर II	बेसल III टियर II	बेसल III टियर II
		शृंखला I	शृंखला II	शृंखला III	शृंखला IV
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	जारीकर्ता
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE565A09256	INE565A09264	INE565A08035	INE565A08043
3	लिखत के शासकीय कानून	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	नियामक समाधान				
4	बेसलIIIनियमों का परिवर्तन काल	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
5	बेसलIIIनियमों के परिवर्तन के बाद	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल पर योग्य	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार रुपए करोड़ों में)	640.00	300.00	500.00	665.00
9	लिखत का बराबर मूल्य	रू.10.00 लाख	रू.10.00 लाख	रू.10.00 लाख	रू.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	03.11.2016	10.12.2018	24.09.2019	31.03.2022
12	शाश्वत या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	03.11.2026	10.12.2028	24.09.2029	31.03.2032
14	पर्यवेक्षी के अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता का निर्णय	हां	हां	नहीं	हां
15	वैकल्पिक कॉल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथियां और रिडेम्प्शन राशि (रु. करोड़ों में)	शून्य, शून्य, 800	शून्य, शून्य, 300	शून्य, शून्य, 500	शून्य, शून्य, 655
16	आगामी कॉल तिथियां यदि लागू है तो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/ कूपन	कूपन रेट	कूपन रेट	कूपन रेट	कूपन रेट
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
20	पूरी तरह से विवेकपूर्ण, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	रिडीम करने के लिए कदम उठाने या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	गैर - संचयी	गैर - संचयी	गैर - संचयी	गैर - संचयी
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण ट्रिगर (ओं)	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह से या आंशिक रूप से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत प्रकार को परिवर्तनीय निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जो इसे परिवर्तित करता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन सुविधा	हां	हां	हां	हां

Sr. No.	Particulars	Basel III Tier II Series I	Basel III Tier II Series II	Basel III Tier II Series III	Basel III Tier II Series IV
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09256	INE565A09264	INE565A08035	INE565A08043
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible	ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II Debt Instruments	Tier II Debt Instruments	Tier II Debt Instruments	Tier II Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore as of most recent reporting date)	640.00	300.00	500.00	665.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.1.00 crore
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	03.11.2016	10.12.2018	24.09.2019	31.03.2022
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	03.11.2026	10.12.2028	24.09.2029	31.03.2032
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	No	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. In Crore)	nil, nil, 800	nil, nil, 300	nil, nil, 500	nil, nil, 655
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Coupons / dividends	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
17	Fixed or floating dividend/coupon	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
18	Coupon rate and any related index	No	No	No	No
19	Existence of a dividend stopper	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Not available	Not available	Not available	Not available
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
22	Non-cumulative or cumulative	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
23	Convertible or non-convertible	N/A	N/A	N/A	N/A
24	If convertible, conversion trigger(s)	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	yes	yes	yes	yes

क्र. सं.	विवरण	बेसल III टियर II	बेसल III टियर II	बेसल III टियर II	बेसल III टियर II
		शृंखला I	शृंखला II	शृंखला III	शृंखला IV
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत
32	यदि अवलेखन, आंशिक या पूर्ण	आंशिक/पूर्ण	आंशिक/पूर्ण	आंशिक/पूर्ण	आंशिक/पूर्ण
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थाई अवलेखन, आलेख क्रियाविधि का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालन संक्रमण सुविधाओं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हां, तो गैर-अनुरूप विशेषताएं निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्ते

विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ का प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्र. सं.	विवरण	बेसल III टियर II	बेसल III टियर II	बेसल III टियर II	बेसल III टियर II
		शृंखला I	शृंखला II	शृंखला III	शृंखला IV
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप्, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	INE565A09256	INE565A09264	INE565A08035	INE565A08043
2	लिखत प्रकार	ऋण लिखत	ऋण लिखत	ऋण लिखत	ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु. 10.00 लाख	रु. 10.00 लाख	रु. 10.00 लाख	रु. 1.00 करोड़
4	सतत या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	03.11.2026	10.12.2028	24.09.2029	31.03.2032
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
7	वैकल्पिक माँग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रू. करोड़ में)	शून्य, शून्य, 800	शून्य, शून्य, 300	शून्य, शून्य, 500	शून्य, शून्य, 665
8	निश्चित या चल लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
11	क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	गैर -संचयी या संचयी	गैर – संचयी	गैर – संचयी	गैर – संचयी	गैर – संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
15	अनुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Sr. No.	Particulars	Basel III Tier II	Basel III Tier II	Basel III Tier II	Basel III Tier II
		Series I	Series II	Series III	Series IV
31	If write-down, write-down trigger(s)	Upon declaration under PONV by RBI	Upon declaration under PONV by RBI	Upon declaration under PONV by RBI	Upon declaration under PONV by RBI
32	If write-down, full or partial	partial/full	partial/full	partial/full	partial/full
33	If write-down, permanent or temporary	permanent	permanent	permanent	permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitional features	No	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA	NA

Table DF-14: TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr No.	Particulars	Basel III Compliant Tier II	Basel III Compliant Tier II	Basel III Compliant Tier II	Basel III Compliant Tier II
		Series I	Series II	Series III	Series IV
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09256	INE565A09264	INE565A08035	INE565A08043
2	Instrument type	Debt Instrument	Debt Instrument	Debt Instrument	Debt Instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.1.00 Crore
4	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated
5	Original maturity date	03.11.2026	10.12.2028	24.09.2029	31.03.2032
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	No	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 800	nil, nil, 300	nil, nil, 500	nil, nil, 665
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary	Full Discretionary	Full Discretionary	Full Discretionary
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

तालिका डीएफ-16: इक्विटी बैंकिंग बही स्थिति के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक का इक्विटी पोर्टफोलियो का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग प्रवर्ग के लिए धारित इक्विटी शेयरों के लिए

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन अंतिम बाज़ार दरों पर किया जाता है अर्थात बाज़ार को मार्क किए हुए
- असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन उपलब्ध अंतिम तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्यों के आधार पर किया जाता है । यदि तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो उसे प्रति कंपनी रु. **1/-** पर मूल्यांकित किया जाता है ।

परिपक्व प्रवर्ग तक धारित इक्विटी शेयरों के लिए

परिपक्व प्रवर्ग तक धारित इक्विटी शेयरों के लिए मूल्यांकन लागत पर किया जाता है ।

प्रमाणात्मक प्रकटीकरण: (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	निवेशों के तुलन पत्र मे प्रकटित मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य ; कोट किए हुए प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक रूप से कोट किए हुए शेयरों की तुलना जहाँ शेयर कीमत उचित मूल्य से भिन्न है ।*	315.70
2	निम्नानुसार वर्गीकृत की जा सकने वाली राशि के साथ निवेशों के प्रकार व स्वरूप : सार्वजनिक रूप से ट्रेड होनेवाले निजी रूप से धारित	 1319.27 1027.69
3	रिपोर्टिंग अवधि में समापन व बिक्री से प्राप्त संचयित लाभ (हानि) (01.04.2021 से 31.03.2022) वित्तीय वर्ष 2021-22	10.02
4	कुल अप्राप्त लाभ (हानि)#	(1506.64)
5	कुल निहित पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)$	(1254.59)
6	टियर । व / या टियर 2 पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त कोई भी राशि**	578.37
7	विनियामक पूंजीगत अपेक्षाओं के संबंध में प्रावधानों के पर्यवेक्षी संक्रमण की शर्त पर इक्विटी निवेशों के प्रकार व सकल राशि के साथ-साथ बैंक की पद्धतियों के अनुसार इक्विटी समूहन द्वारा काटी गयी पूंजीगत अपेक्षाएं	0.00

* सभी उद्‌त इक्विटी शेयरों के नवीनतम बाज़ार मूल्य को दर्शाता है।

**एक प्रायोजक के रूप में ओडिशा ग्राम्य बैंक की शेयर पूंजी में बैंक के निवेश को दर्शाता है।

ऊपर बताए गए आंकड़े शेयर बास्केट में एमटीएम मूल्यह्रास हैं।

$कुल अप्राप्त लाभ (हानि) कम मूल्यवृद्धि पर ध्यान नहीं दिया गया, प्रदर्शन करने वाले शेयर/गैर सीडीआर शेयर।

डीएफ तालिका 17 : लेखांकन आस्तियां तथा लिवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपायों का तुलनात्मक सारांश (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	मद	राशि
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	321579
2	बैंकिंग में निवेश हेतु समायोजन, वित्तीय, बीमा अथवा कारोबारी इकाइयां जो कि लेखांकन उद्‌देश्य से समेकित की गई हैं किंतु नियामक समेकन के विस्तार के बाहर हैं	322
3	परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर किंतु लिवरेज अनुपात मानक से बाहर तुलनपत्र पर पहचानी गई प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन	0
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	2492
5	प्रतिभूतित वित्तीय लेनदेनों के लिए समायोजन (जैसे कि रेपो एवं समान सुरक्षित उधार)	6043

Table DF-16: EQUITIES – DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosure

As per regulatory guidelines, the Equity portfolio of Bank is valued as under:

For Equity Shares held in Available for Sale and Held for Trading category

- Listed Equity Shares are valued at latest Market Rates I.e. Marked to Market.
- Unlisted Equity Shares are valued at Book value ascertained from the latest available balance sheets. If the balance sheet is not available, then the same are valued at Re.1/- per company.

For Equity Shares held in Held till Maturity category

Equity shares held in Held till Maturity category are valued at cost

Quantitative disclosure: (Rs. in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value *	315.70
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: • Publicly traded • Privately held	 1319.27 1027.69
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period (01.04.2021 to 31.03.2022) FY 2021-22	10.02
4	Total unrealised gains (losses)#	(1506.64)
5	Total latent revaluation gains (losses) $	(1254.59)
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital **	578.37
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	0.00

* Indicates the latest market value of all the quoted equity shares.

** Indicates Bank's investment in Share Capital of Odisha Gramya Bank as a sponsor.

Figures reported above is the MTM depreciation in Shares Basket.

$ Total unrealized gains (losses) less appreciation ignored w.r.t performing shares/ Non CDR shares.

Table DF 17: SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE

(Rs. in crore)

Sr. No.	Item	Amount
1	Total consolidated assets as per published financial statements	321579
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	322
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	2492
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	6043

6	तुलनपत्र से परे की मदों के लिए समायोजन (तुलनपत्र एक्सपोजर से परे समतुल्य क्रेडिट राशियों में परिवर्तन)	14585
7	अन्य समायोजन	37911
8	**लिवरेज अनुपात एक्सपोजर (1-2-3+4+5+6-7)**	**306465**

डीएफ तालिका 18 :

लेवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	लेवरेज अनुपात फ्रेमवर्क
1	तुलन पत्र की मदें (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर किंतु संपार्श्विकों सहित)	321579
2	(बेसल III टियर 1 पूंजी निर्धारित करने में कटौती की गई आस्ति राशियां)	39219
3	**तुलनपत्र में कुल एक्सपोज़र** (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर) (1 एवं 2 पंक्तियों का योग)	**282360**
	डेरीवेटिव एक्सपोज़र	
4	सभी डेरीवेटिव लेनदेनों के साथ संबद्ध प्रतिस्थापना मूल्य (जैसे कि पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन का निवल)	544
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों के साथ पीएफई संबद्ध हेतु अतिरिक्त राशियां	1947
6	जहां परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर तुलन पत्र आस्तियों से कटौतियां की गई हैं वहां डेरीवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस-अप	---
7	(डेरीवेटिव लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौतियां)	---
8	(ग्राहक-निपटान कारोबार एक्सपोज़र से सीसीपी लेग की छूट)	---
9	लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए अनुमानित राशि का प्रभावी समायोजन	---
10	(लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए समायोजित अनुमानित राशि ऑफसेट तथा अतिरिक्त कटौतियां)	---
11	कुल डेरीवेटिव एक्सपोज़र (4 से 10 पंक्तियों का योग)	2492
	प्रतिभूति वित्तीय लेनदेन एक्सपोज़र	
12	(बिक्री खाता लेनदेनों के लिए समायोजित करने के बाद सकल एसएफटी आस्तिया (नेटिंग की कोई मान्यता नहीं है	---
13	(बिक्री खाता लेनदेनों के लिए समायोजित करने के बाद सकल एसएफटी आस्तिया (नेटिंग की कोई मान्यता नहीं है	---
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	6043
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोज़र	---
16	**कुल प्रतिभूतित वित्तीय लेनदेन एक्सपोज़र (12 से 15 पंक्तियों का योग)**	6043
	तुलन पत्र से परे अन्य मदें	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्र से परे एक्सपोज़र	32610
18	(क्रेडिट समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन)	18025
19	**तुलनपत्र से परे मदें (17 तथा 18 पंक्तियों का योग)**	**14585**
	पूंजी एवं कुल एक्सपोज़र	
20	टियर 1 पूंजी	12428
21	**कुल एक्सपोजर (3,11,16 तथा 19 पंक्तियों का योग)**	**305480**
	लिवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लिवरेज अनुपात**	**4.07%**

6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	14585
7	Other adjustments	37911
8	**Leverage ratio exposure (1-2-3+4+5+6-7)**	**306465**

Table DF-18

LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE (Rs. in crore)

Sr. No.	**Item**	**Leverage ratio framework**
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	321579
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	39219
3	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	**282360**
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all *derivatives* transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	544
5	Add-on amounts for PFE associated with *all* derivatives transactions	1947
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	—
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	—
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	—
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	—
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	—
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**2492**
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT *assets* (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	—
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	—
14	CCR exposure for SFT assets	6043
15	Agent transaction exposures	—
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**6043**
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	32610
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	18025
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**14585**
	Capital and total exposures	
20	**Tier 1 capital**	**12428**
21	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	**305480**
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	**4.07%**

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट – 2021-2022

सेक्शन ए : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईनहीं)	लागू नहीं
2. कंपनी का नाम	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
3. रजिस्टर्ड पता	763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002
4. वेबसाइट	www.iob.in
5. ईमेल	investor@iobnet.co.in
6. वित्तीय वर्ष रिपोर्ट	2021-22
7. कंपनी जिस क्षेत्र से संबन्धित है (औद्योगिक गतिविधि कोड वार के अनुसार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ
8. तीन उत्पादों/ (तुलन पत्रमें) सेवाओं की सूची जो की उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई हो	क) खुदरा बैंकिंग ख) कॉर्पोरेट बैंकिंग ग) अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग
9.कंपनी द्वारा व्यावसायिक कार्यकलाप करने के कुल स्थानों की संख्या I. राष्ट्रीय II. अंतरराष्ट्रीय	 31.03.2022 तक बैंक की 3214 शाखाएं हैं 4 (सिंगापुर, श्रीलंका, हांगकांग और बैंकॉक)
10. कंपनी द्वारा सर्विस दिए जाने वाले बाजार स्थानीय /राज्य /राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय	बैंक की 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शाखाएँ हैं, बैंक की सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका, बैंकॉक में अंतरराष्ट्रीय शाखाएँ हैं और मलेशिया में एक संयुक्त उद्यम है - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद (आइआइबीएमबी)।

सेक्शन बी : कंपनी के वित्तीय विवरण

1) प्रदत्त पूंजी (रु.)	रु. 18902.41 करोड़
2) कुल व्यवसाय (रुपये) / राजस्व	लागू नहीं
3) कर भुगतान के पश्चात कुल लाभ (रु.)	वित्त वर्ष 2021-22: रु. 1709.54 करोड़
4) कर (%) के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)	सीएसआर पर खर्च करना बैंकों के लिए अनिवार्य नहीं है । संचित घाटे के कारण वित्त वर्ष 2021- 2022 के दौरान सीएसआर प्रतिबंधित रहा । वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए सीएसआर के तहत खर्च की गई राशि 5.58 लाख रुपये है ।
5) उन गतिविधियों की सूचना जिनमें उपर्युक्त 4 पर व्यय किया गया है ।	वेलनेस किट, गरीब आहार, जनजातीय शिक्षा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए दान आदि।

खंड आ: कंपनी के वित्तीय विवरण

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं	नहीं
2. क्या सहायक कंपनियां कार्यान्वयन है: मूल कंपनी के बीआर पहलों को कार्यान्वित करती है यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या इंगित करें।	लागू नहीं
3. कोई अन्य इकाई / संस्थाएं (उदा. आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों आदि) की कंपनी के बीआर पहल में भाग लेने के साथ व्यापार करती है? यदि हां, तो ऐसी इकाई / संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें? (30% से कम, 30% -60%, 60% से अधिक)	नहीं

सेक्शन डी: बीआर सूचना

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

ए. बीआर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

Indian Overseas Bank

Business Responsibility Report – 2021 - 2022

Section A: General Information about the Company

1.Corporate Identity Number: (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Company	INDIAN OVERSEAS BANK
3. Registered Address	763 ANNA SALAI, CHENNAI 600 002
4. Website	www.iob.in
5. Email	investor@iobnet.co.in
6. Financial Year Reported	2021 - 2022
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	a) Retail Banking b) Corporate Banking c) International Banking
9. Total number of locations where: business activity is undertaken by the Company No. of Locations I. National II. International	3214 branches as on 31.03.2022 4 (Singapore, Sri Lanka, Hongkong & Bangkok)
10. Markets served by the Company-Local/State/National/ International	Bank has branches in 28 States and 6 Union Territories, Bank has International Branches in Singapore, Hong Kong, Sri Lanka, Bangkok and a joint venture in Malaysia - India International Bank (Malaysia) Berhad (IIBMB).

Section B: Financial Details of the Company

1) Paid up Capital (INR) 2) Total Turn Over (INR) / Revenue 3) Total profit After Tax(INR) 4) Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	Rs. 18902.41 crore Not applicable FY 2021 -22: Rs.1709.54 crores Spending towards CSR is not mandatory for Banks. CSR is restricted during FY 2021- 2022 due to accumulated losses. Amount spent under CSR for FY 2021-2022 is Rs.5.58 lakhs.
5) List of the activities in which expenditure on 4 above has been incurred	Wellness Kits, Poor Feeding, Tribal Education, Donation for Armed Force Flag Day etc.

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies	No
2. Do the subsidiaries implement: BR initiatives of the parent company If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	Not applicable
3. Do any other entity/ entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities (Less than 30%, 30%-60%, more than 60%)	No

Section D: BR Information

1. Details of Director/ Directors responsible for BR

a. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/ policies

डीआईएन संख्या	लागू नहीं
नाम	अजय कुमार श्रीवास्तव
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

बीआर हेड का विवरण - नीचे दिया गया है :

क्रमांक	विवरण	विवरण
1	डीआईएनी संख्या (यदि लागू हो)	**लागू नहीं**
2	नाम	**एस पी महेश कुमार**
3	पदनाम	**महाप्रबंधक एवं सीएफ़ओ**
4	टेलीफोन संख्या	044-2851 9487
5	ईमेल आई डी	investor@iobnet.co.in maheshkumarsp@iobnet.co.in

2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति / नीतियां (हां / नहीं में जवाब) (जांचने के लिए)

क्रम सं.	प्रश्न	व्यावसायिक नैतिकता	उत्पाद ज़िम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	हितधारकों का अनुबंध	मानवाधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	समावेशी नीति	ग्राहक संबंध
1	क्या आपके पास सिद्धांतों के लिए नीति/ नीतियाँ हैं ?	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
2	क्या संबन्धित हितधारकों से परामर्श नीतियाँ तैयार की जाती हैं ।	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ
3	क्या नीतियाँ किसी राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती हैं ? यदि हाँ तो निर्दिष्ट करें ? * (50 शब्द)	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ
4	क्या बोर्ड द्वारा नीति को मंजूरी दे दी गई है ? यदि हाँ, तो क्या इसे एमडी/ मालिक/ सीईओ/ उपर्यु-क्त बोर्ड/ निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है ?	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करें के लिए बोर्ड/ निदेशक/ अधिकारी की निर्दिष्ट समिति है ?	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक इंगित करें ? @	हाँ	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ
7	क्या नीति को औपचारिक रूप से संबन्धित आंतरिक तथा बाह्य हितधारकों को सूचित किया गया है ?	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ
8	क्या कंपनी के पास नीति/ नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है ?	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी के पास हितधारकों की नीति/ नीतियों से संबन्धित शिकायतों के संबंध में शिकायत निवारण तंत्र है ।	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ
10	क्या कंपनी ने बाहरी तथा आंतरिक एजेंसियों द्वारा इस नीति के संचालन के लिए अलग से लेखापरीक्षा/ मूल्यांकन किए हैं ?	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ

*समाज के लिए लाभकारी सरकारी नियमों और दिशा-निर्देशों की नीति पर विचार करना।

@ www.iob.in

DIN Number	NA
Name	Ajay Kumar Srivastava
Designation	Executive Director

b. Details of the BR head – as below

S. No	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	NA
2	Name	S P Mahesh Kumar
3	Designation	General Manager & CFO
4	Telephone no.	044-28519487
5	e-mail id	investor@iobnet.co.in maheshkumarsp@iobnet.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies (Reply in Y / N)(to check)

Sl No	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/ policies for principles	Y	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national/ international standards? If yes, specify? *(50 words)	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/ Owner/ CEO/ appropriate Board Director	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online? @	Y	N	NA	N	NA	NA	NA	N	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
9	Does the company have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	N	Y
10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	NA	N	NA	NA	NA	N	Y

*Contemplating the Policy of Government rules and guidelines beneficial to the Society.

@ www.iob.in

2 क. यदि किसी सिद्धांत के विरुद्ध क्रमांक 1 का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया स्पष्ट करें कि क्यों: (2 विकल्पों तक टिक करें)

क्रम सं	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी 8	पी9
1	कंपनी ने सिद्धान्त को नहीं समझा है ।									
2	कंपनी उस चरण में नहीं है जहां वह खुद को निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में पाती है									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं									
4	आगामी 6 माह की अवधि में इसके कार्यान्वयन की योजना है									
5	आगामी एक वर्ष की अवधि में इसके कार्यान्वयन की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)			#		&	%	$		

बैंक की अलग से कर्मचारी कल्याण नीति नहीं है। हालांकि बोर्ड की मंजूरी से कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी उपाय किए गए हैं ।

& बैंक की अलग से मानवाधिकार नीति नहीं है । हालांकि, इन्हें बैंक की मानव संसाधन नीतियों और व्यवहारों के तहत शामिल किया गया है ।

% बैंक की कोई लिखित नीति नहीं है लेकिन भारत सरकार द्वारा हरित पहल पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है ।

$ बैंक की कोई लिखित नीति नहीं है लेकिन बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक नीति को आकार देने के लिए नियामकों और नीति निर्माताओं के साथ जुड़ा हुआ है ।

3. बीआर से संबन्धित अधिकार

1. उस अंतराल को इंगित करें जिसके पश्चात निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ कंपनी के बीआर प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मिलते हैं, 3 महीने, 3-6 महीने, सालाना, 1 वर्ष से अधिक	वार्षिक
2. क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होता है ?	हाँ, यह वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता । बीआरआर को हमारी वेबसाइट www.iob.in पर देखा जा सकता है ।

खंड उ .सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धान्त 1: व्यवसाय को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ स्वयं का संचालन और संचालन करना चाहिए

1. क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? क्या इसका विस्तार समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ गैर सरकारी संगठनों/ अन्य तक है?	इसमें बैंक के साथ-साथ इसके विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार आदि भी शामिल हैं । बैंक ने एक नैतिकता नीति का संचालन किया है जो अच्छे आचरण और नैतिक प्रथाओं के उच्चतम मानकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। बैंक के मूल मूल्यों को ग्राहक केंद्रितता, नैतिकता, पारदर्शिता, टीम वर्क और स्वामित्व के रूप में व्यक्त किया गया है । बैंक के सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेना आवश्यक है ▪ जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा और कानून के श्रेष्ठता का पालन करना; ▪ घूस न लेना और न देना; ▪ सभी कार्यों को ईमानदार और पारदर्शी तरीके से करना; ▪ जनहित में कार्य करना; ▪ व्यक्तिगत व्यवहार में ईमानदारी का प्रदर्शन करते हुए उदाहरण पेश करना; ▪ भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की सूचना उपयुक्त एजेंसी को देना । सभी आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / बोलीदाताओं को अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या किसी भी पूर्व-अनुबंध या अनुबंध के बाद के चरण के दौरान अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए या भविष्य में इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्ट प्रथाओं, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों को रोकने के सभी उपाय अपनाने के लिए एक पूर्व अनुबंध सत्यनिष्ठा समझौते के निष्पादन की आवश्यकता है।

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

S. No	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason (Please specify)			#		&	%	$		

Bank does not have a separate Employees Welfare Policy. However several welfare measures for employees have been taken with Board approval.

& Bank does not have a separate Human Rights Policy. However, these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank

%Bank does not have a written policy but the guidelines issued by Government of India on Green Initiatives are being followed.

$ The Bank does not have a written policy but is associated with regulators and policy makers to shape public policy relating to banking sector

3. Governance related to BR

a. Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company, within 3 months, 3-6 months, annually, more than 1 year	Annually
b.Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	Yes, it is published on an annual basis. BRR could be viewed at website: www.iob.in

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1: Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1) Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	It covers the Bank as well as its vendors / suppliers / contractors etc. The Bank has operationalized an Ethics Policy which is a statement of the Bank's commitment to good conduct and highest standards of ethical practices. The Bank's core values have been articulated as Customer Centricity, Ethics, Transparency, Teamwork and Ownership. All employees of the Bank are required to take the Integrity Pledge committing · To follow probity and rule of law in all walks of life; · To neither take nor offer bribe; · To perform all tasks in an honest and transparent manner; · To act in public interest; · To lead by example exhibiting integrity in personal behaviour; · To report any incident of corruption to the appropriate agency. All suppliers / contractors / bidders are required to execute a Pre Contract Integrity Pact to commit to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it.

	"नागरिक चार्टर" बैंक की शाखाओं में ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं/ सेवाओं संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। नागरिक चार्टर के साथ कोड ग्राहकों के साथ बैंक के व्यवहार में जवाबदेही, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा। बैंक की अपनी विजिल ब्लोअर नीति है। **आइओबी विजिल:** जून 2013 के दौरान सतर्कता जागरूकता फैलाने के लिए एक त्रैमासिक गृह समाचार-पत्र का दिनांक 26.10.2021 को वीएडबल्यू -2021 की संध्या पर प्रकाशन किया गया । **अन्य पक्ष इकाईयों के विरुद्ध:** बैंक अपनी इंट्रानेट वेबसाइट पर प्रतिबंधित तृतीय पक्ष संस्थाओं की सूची प्रकाशित करता है, जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट, मूल्यांकनकर्ता और वकील । **निवारक सतर्कता गतिविधियाँ -** वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित निवारक सतर्कता पहलें की गईं: ✓ सीवीसी ने अपने पत्र संदर्भ संख्या 021/ एमएससी/ 024/ 496468 दिनांक 26.10.2021 के माध्यम से वर्ष 2021-22 के लिए 2021 हेतु सर्वश्रेष्ठ निवारक सतर्कता गतिविधि के लिए आइओबी को चयनित किया । विभाग के अधिकारियों के साथ सीवीओ ने 01.11.2011 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से नई दिल्ली में पुरस्कार प्राप्त किया । ✓ वर्ष के दौरान विभाग द्वारा आठ प्रणालीगत सुधार गतिविधियों का सुझाव दिया गया था । इसके अलावा एमएसएमई आभूषण ऋण में 2.59 करोड़ रुपये और जीएल हेड के खर्च के प्रावधान से 30.67 करोड़ रुपये के राजस्व रिसाव की वसूली की गई और उस सीमा तक बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि हुई । ✓ वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, डीएफएस, सीवीसी, आरबीआइ, और सीबीआइ और अन्य सहित विभिन्न स्रोतों से कुल 253 शिकायतें प्राप्त हुईं । जहां कहीं भी सतर्कता संबंधी मामला देखा गया, ऐसी सभी शिकायतों का सीवीसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर तार्किक रूप से निपटान किया गया और कोई भी शिकायत 3 महीने से अधिक लंबित नहीं है । ✓ विभाग ने 22 सीटीई प्रकार के निरीक्षणों की जांच की है और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और सहायक आरआरबी-ओजीबी द्वारा दिए गए विभिन्न खरीद आदेशों / सेवा आदेशों की जांच की है। ✓ वर्ष के दौरान विभिन्न मामलों पर विषयगत निरीक्षण, अभियान अवधि के दौरान स्वीकृत आवास ऋणों का सत्यापन, उच्च अग्रिम विकास शाखाओं, अनुपालन स्तर की जांच के लिए सतर्कता विभाग द्वारा औचक दौरे आदि आयोजित किए गए । ✓ जमीनी स्तर पर सतर्कता तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीवीओ ने वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के 05 क्षेत्रों का दौरा किया । ✓ आरवीओ ने वित्तीय वर्ष के दौरान निवारक सतर्कता गतिविधि के हिस्से के रूप में औचक निरीक्षण के माध्यम से 2320 शाखाओं का दौरा किया है । ✓ वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रणाली/ प्रक्रियाओं और अनुशासनात्मक कार्यवाही को समय पर पूरा करने के महत्व को उजागर करने के लिए आरवीओ सहित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए छह आभासी संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

	"Citizens' Charter" provides key information of various facilities/ services provided to customers in the branches of the Bank. The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers. **The Bank has a Whistle Blower Policy in place.** **IOB Vigil:** A quarterly in-house newsletter to spread vigilance awareness was launched during June 2013 and the special In-House Magazine was released on 26.10.2021 on the eve of VAW-2021. **Action against Third Party Entities:** Bank publishes on its intranet website the list of banned third party entities viz., Chartered Accountants, Valuers and Lawyers. **Preventive Vigilance Activities -** The following preventive vigilance initiatives were conducted during the year 2021-22: ✓ CVC vide their letter ref.No.021/MSC/024/496468 dated 26.10.2021 selected IOB for best preventive vigilance activity for the year 2021-22 and CVO along with department officer has received the award from Central Vigilance commissioner on 01.11.2021 at New Delhi. ✓ During the year eight systemic improvement activities were suggested by the department. Further revenue leakage of Rs.2.59 Crores was recovered in MSME Jewel Loans and Rs.30.67 crores from provision for expenses GL Head and to that extent bank's profitability was increased. ✓ During the FY 2021-22, total 253 complaints were received from various sources including DFS, CVC, RBI, and CBI & Others. Wherever vigilance overtone observed such complaints were handled until the logical end as per the timeframe fixed by CVC and no complaint is pending more than 3 months. ✓ Department has scrutinized 22 CTE type inspections and examined various procurement orders / service orders placed by Information Technology Department, General Administration Department and Subsidiary RRB-OGB. ✓ A series of thematic inspections on various matters, verification of Housing loans sanctioned during the campaign period, high advance growth branches, surprise visits by vigilance department to check the compliance level etc., during year were conducted. ✓ CVO has visited 05 Regions of the Bank during the financial year to ensure compliance to vigilance mechanism at the ground level. ✓ RVOs has visited 2320 Branches during the financial year through Surprise Visits as part of preventive vigilance activity. ✓ During the Financial year 2021-22, SIX virtual sensitization programmes were conducted to different categories of staff including RVOs to highlight the systems/procedures and the importance of timely completion of disciplinary proceedings.

	सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार **"स्वतंत्र भारत @ 75: ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता; भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भर"** थीम के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक की अभियान अवधि के दौरान पीआइडीपीआइ (जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा) पर दिया गया एक विशेष ध्यान और व्यापक प्रचार के साथ किया गया । हमने निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की हैं: क. **सामूहिक शपथ:** 26 अक्टूबर 2021 को सुबह 11:00 बजे केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै में सामूहिक शपथ ली गई, जिसमें कार्यकारी निदेशक सुश्री एस. श्रीमती ने महा प्रबंधकों और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में शपथ दिलाई । इसी तरह, पूरे भारत में शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों के सभी कर्मचारियों ने एक ही समय में शपथ ली । ख. **ई सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा:** भारत भर में हमारी शाखाओं के माध्यम से 06 मार्च 2019 से 14 नवंबर 2021 तक हमारी बैंक में खाता खोलने के साथ ही तीन मिलियन से अधिक ग्राहकों (3,289,269) ने सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा ली है, जो सम्पूर्ण ग्राहकों का 82.65 प्रतिशत है । वीएडब्ल्यू-2021 अवधि के दौरान सीवीसी पोर्टल में कुल 77,734 सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञाएं अपलोड की गईं । ग. **कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता:** 05 अक्टूबर 2021 और 21 अक्टूबर 2021- हमारे बैंक के 3684 कर्मचारियों ने ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया और प्राप्त अंकों के प्रदर्शन के साथ भागीदारी करने वाले सटाफ सदस्यों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और ऑनलाइन माध्यम से मूल्यांकन भी पारदर्शी तरीके से किया गया । घ. **कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता:** 01 अक्टूबर 20201 से 20 अक्टूबर 2021 तक, हमारे बैंक के 836 कर्मचारियों ने "स्वतंत्र भारत @ 75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" विषय पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता निबंध जमा करने से लेकर मूल्यांकन तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी और स्टाफ कॉलेज टीम की समिति ने ऑनलाइन पारदर्शी मोड में निबंधों और अंकों का मूल्यांकन किया है । साथी ही भागीदारी प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए थे। ङ. **बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करना:** 18 अक्टूबर 2021 से, 3216 शाखाओं और 48 क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय ने पूरे भारत में प्रमुख स्थानों पर वीएडब्ल्यू बैनर और पीआइडीपीआइ पोस्टर प्रदर्शित किए । केंद्रीय कार्यालय में, वीएडब्ल्यू के दौरान केंद्रीय कार्यालय में एक मेगा बैनर और चार स्टैंडी प्रदर्शित किए गए थे । च. **सतर्कता जागरूकता गतिविधियों पर रंगोली प्रतियोगिता:** 25 अक्टूबर 2021 को, हमारे बैंक के 60 कर्मचारियों ने केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै में आयोजित "भ्रष्टाचार रोकें" विषय पर रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। छ. **स्पेशल विजिल मैगजीन:** 26.10.2021 को स्पेशल इन हाउस मैगजीन आइओबी-विजिल का विमोचन केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै में किया गया। ज. **धोखाधड़ी की रोकथाम पर आयोजित संगोष्ठी:** 28 अक्टूबर 2021 को सम्पूर्ण भारत में बी एस विजयकुमार, बीई (सिविल), एमई (स्ट्रक्चर), एमएससी (आरईवी), एफआइवी, एमआइई, सी. इंजी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हुए एक वेबिनार का आयोजन किया गया । 250 से अधिक प्रतिभागियों ने पूरे भारत में धोखाधड़ी के मूल्यांकन के तरीके, प्रक्रिया और रोकथाम विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया । झ. **स्काई विज्ञापन:** सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 को स्काई एडवरटाइजिंग बैलून के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया । सीवीओ और ईडी ने वीएडब्ल्यू थीम और आइओबी के लोगो के साथ केंद्रीय कार्यालय भवन के शीर्ष पर 40 फीट ऊंचाई @ स्काई एडवरटाइजिंग गुब्बारे का लोकार्पण किया ।

	Vigilance Awareness Week (VAW) Vigilance Awareness Week 2021 was observed from 26th October to 1st November 2021 as per CVC guidelines with theme **"Independent India @75: Self Reliance with Integrity; स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता"**, a special focus and wide publicity given on PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informers) during Campaign period. We have conducted following activities: a) **Mass Pledge:** On 26th October 2021, Mass Pledge was taken at 11:00 AM in Central Office, Chennai, wherein Executive Director Smt. S. Srimathy administered the pledge in presence of GMs and other executives. Similarly, all the employees of branches and administrative offices took pledge at the same time across India. b) **E Integrity Pledge: More than THREE MILLION** customers (3,289,269) have **taken Integrity Pledge** at the time of opening Account with us from 6th March 2019 to 14th November 2021 through our Branches across India which come to 82.65% of Customers who have opened the accounts. During VAW-2021 period a total of 77,734 Integrity Pledges were uploaded in CVC portal. c) **Online Quiz Contest to Employees:** On 05th October 2021 and 21st October 2021- 3684 employees of our Bank participated in the Online Quiz Contest and participation certificates with display of marks scored were generated instantly and evaluation was also done online in a transparent manner. d) **Online Essay Contest to Employees:** From 01st October 2021to 20th October 2021, 836 employees of our Bank participated in the Online Essay Contest on the theme "Independent India @75: Self Reliance with Integrity स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता". Essay Contest was held through online mode from submission of essay to evaluation and committee of Staff College Team has evaluated the essays and marks assess in online transparent mode. Further participation certificates were generated instantly. **e) Displaying Banners & Posters:** From 18th October 2021, 3216 Branches and 48 Regional Offices and Central office displayed VAW Banners and PIDPI Poster in the prominent places across India. In central Office, a Mega Banner and four standees were displayed in Central Office during VAW. f) **Rangoli Contest on Vigilance Awareness Activities:** On 25th October 2021, 60 employees of our Bank participated in Rangoli competition on the theme "STOP CORRUPTION" held at Central Office, Chennai. g) **Special Vigil Magazine:** Special in House Magazine **IOB-VIGIL** was released on 26.10.2021 at Central office, Chennai. h) **Seminar conducted on prevention of frauds: On 28th October 2021,** PAN India a webinar was organized inviting Er. B S Vijayakumar, B.E (Civil), M.E (Struct.), M.Sc.(REV).F.I.V., M.I.E.,C.Eng., as chief guest. More than 250 Participants PAN India Participated through Video Conference on the topic on Valuation Methods, procedure and prevention of frauds i) **SKY Advertisement:** Vigilance Awareness week 2021 was popularized by way of SKY Advertisement balloon. CVO and ED released Sky Advertising Balloons @ 40 Feet Height on the top of Central office building carrying VAW theme and logo of IOB.

	ञ. **एयर विज्ञापन:** 26 अक्टूबर 2021 से 01 नवंबर 2021 तक जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से चेन्नै में अग्रणी एफएम एफएम रेडियो 93.5 (सूर्या एफएम), और अंग्रेजी और तमिल में 98.3 एफएम (मिर्ची) पर वीएडब्ल्यू 2021 थीम और जिंगल्स को प्रसारित किया गया । ट. **स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम:** उचित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए देश भर में 540 स्कूलों में विभिन्न वीएडब्ल्यू गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें 26523 छात्र शामिल हुए और 121 कॉलेजों में 6889 छात्रों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह में भाग लिया और साथ मिल कर सामूहिक शपथ ली। इन स्कूलों में भाषण, वाद-विवाद, चित्रांकन आदि प्रतियोगिताएं और कार्यशालाएं आयोजित की गईं । विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया । ठ. **जागरूकता ग्रामसभा:** देश भर में उचित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, 1 लाख से अधिक जनता द्वारा भागीदारी और सामूहिक प्रतिज्ञा के साथ 2435 जागरूकता ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया । ड. **सेमिनार/कार्यशालाएं:** देश भर में वीएडब्ल्यू गतिविधियों पर कुल 49 सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की गईं और जिनमें लगभग 2600 लोगों ने भाग लिया और सामूहिक शपथ ली । ढ. **धोखाधड़ी की रोकथाम पर आयोजित वेबिनार:** 28 अक्टूबर 2021 को बी एस विजयकुमार, बीई (सिविल), एमई (स्ट्रक्चर), एमएससी (आरईवी), एफआइवी, एमआइई, सी. इंजी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हुए एक वेबिनार का आयोजन किया गया । पूरे भारत में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने मूल्यांकन विधियों, प्रक्रिया और धोखाधड़ी की रोकथाम के विषय पर वीडियो	
2) पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों को संतोषजनक ढंग से हल किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में उपलब्ध कराएं।	हमें डिजिटल सेवाओं (एटीएम से संबंधित के अलावा) और गैर-डिजिटल लेनदेन में 89606 ग्राहक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 99% शिकायतों का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के साथ किया गया था ।	हितधारकों की शिकायतें
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	1366	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	96229	13
वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की	95993	13
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	1143	0
% शिकायतों का समाधान किया गया	99%	100%

सिद्धान्त :2

व्यवसाय को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान दें ।

1. अपने अधिकतम 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय सरोकार, जोखिम और/या अवसर शामिल हैं ।	बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है जिनमें सामाजिक सरोकार और अवसर शामिल हैं: **वित्तीय साक्षरता** कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 24 स्थानों पर स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों (स्नेहा) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाती है । इन केंद्रों के सलाहकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को औपचारिक वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में शिक्षित कर रहे हैं, आमने-सामने वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं और ऋणी व्यक्तियों को ऋण परामर्श प्रदान करते हैं । वे विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर शिविर भी लगा रहे हैं ।

	j)	**Air Advertisement:** Created awareness amongst public on VAW 2021 Theme and Jingles aired from 26th October 2021 to 01st November 2021- in FM Radio 93.5 (Suriyan FM), Leading FM in Chennai and 98.3 FM (Mirchi) in English and Tamil.
	k)	**Events in Schools and Colleges:** By following proper COVID Protocols, conducted various VAW activities across the country in 540 Schools involving 26523 Students and 121 colleges involving 6889 students participated in the Vigilance Awareness Week and took mass pledge in total. Elocution, Debate, Drawing, etc. competitions and workshops were held in these schools. Prizes were distributed for the winners.
	l)	**Awareness Gramsabhas:** By following proper COVID Protocols, across the country conducted 2435 Awareness GramSabhas' with participation and mass pledge by more than 1 lakh Public.
	m)	**Seminars/workshops:** Across the country total 49 Seminars/ workshops were conducted on VAW activities and wherein around 2600 Public participated and took mass pledge.
	n)	**Webinar conducted on prevention of frauds:** On 28th October 2021, a webinar was organized inviting Er. B S Vijayakumar, B.E (Civil), M.E (Struct.), M.Sc.(REV).F.I.V.,M.I.E.,C. Eng., as chief guest. More than 250 Participants PAN India Participated through Video Conference on the topic on Valuation Methods, procedure and prevention of frauds.

2) How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	We have received 89606 Customer Complaints in Digital services (other than ATM related) and Non-digital transactions out of which 99% of the complaints were resolved to the satisfaction of the customers.	Shareholder Complaints
No. of complaints pending at the beginning of the year	907	0
No. of complaints received during the year	96229	13
No. of complaints redressed during the year	95993	13
No. of complaints pending during the year	1143	0
% age of complaints resolved	99%	100%

Principle 2:

Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.	Bank offers the following financial services which have incorporated social concerns and opportunities: **Financial Literacy** Financial Literacy is imparted through Financial Literacy Centers (SNEHA) established at 24 locations under Corporate Social Responsibility. The counsellors of these centers are educating the people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial institutions, provide face-to-face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals. They are also conducting periodical camps at various places.

	31 मार्च 2022 तक, एफएलसी द्वारा स्थापना के बाद से 75,312 क्रेडिट परामर्श प्रदान किए गए हैं । स्थापना के बाद से बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर 11,755 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए । स्थापना के बाद से 99,377 एसबी खाते खोले गए हैं । 2,46,133 लाभार्थियों को कवर करके वित्तीय प्रणाली में शामिल नए लोगों के लिए 2,186 विशेष शिविर आयोजित किए गए । लक्षित समूह यथा एसएचजी, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, किसान और सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए 1,834 शिविर आयोजित किए गए जिनके तहत 2,28,307 लाभार्थियों को कवर किया गया । **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआइ'यों)** ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने किसानों, एसएचजी के सदस्यों, एसजीएसवाइ के तहत कमजोर वर्गों से संबंधित लाभार्थियों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं, कारीगरों और लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सभी प्रमुख जिलों में कुल 12 आरएसईटीआइ की स्थापना की थी। आरसेटी का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित स्नेहा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरएसईटीआइ ने 6510 प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के मुकाबले 6871 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। बैंक ने 73% का संचयी निपटान और 53% का संचयी ऋण निपटान हासिल किया है जो क्रमशः 70% और 43% के राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है।
2. प्रत्येक उत्पाद के लिए संसाधन प्रयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में उत्पाद का प्रति इकाई (ऐच्छिक) प्रदान किया जाता है: i) सोर्सिंग/ उत्पादन/ वितरण पिछले वर्ष के दौरान मूल्य श्रृंखला से कटौती की गई? ii) उपभोक्ताओं (ऊर्जा पानी) द्वारा उपयोग के दौरान कटौती पिछले वर्ष से हासिल की गई है?	लागू नहीं लागू नहीं
3. क्या टिकाऊ सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कंपनी की कार्यवाही हो रही है । i) यदि हां, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत किसने स्थिरता को सोर्स किया था ? इसके बारे में 50 शब्दों में भी विवरण प्रदान करें ।	लागू नहीं लागू नहीं सभी वित्तीय उत्पाद है जिनका उद्देश्य संपूर्ण परिचालनात्मक क्षेत्र तक पहुंचना है ।
4. क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाए हैं, जिनमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हैं ? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	नहीं लागू नहीं
5. क्या कंपनी के उत्पादों और अपशिष्ट रीसायकल करने के लिए एक तंत्र है? यदि हां तो उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइक्लिंग का प्रतिशत क्या है ? (अलग से <5%, 5% -10%) । इसके अलावा, इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें।	लागू नही

	As on 31st March 2022, 75,312 credit counselling have been conducted by the FLCs since inception. 11,755 Financial Literacy camps were conducted on various aspects of Banking since inception. 99,377 SB accounts have been sourced and opened since inception. 2,186 Special camps for newly included people in the financial system were conducted by covering 2,46,133 beneficiaries. 1,834 camps were conducted for the target group viz. SHGs, Students, Senior Citizens, Farmers and Micro & small entrepreneurs by covering 2,28,307 beneficiaries. **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)** In line with the guidelines issued by Ministry of Rural Development, Govt of India, the Bank had set up total 12 RSETIs in all Lead Districts, to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, educated unemployed youths, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections. The RSETIs are managed by SNEHA Trust established by the Bank. During the year under review, the RSETIs have trained 6871 candidates as against the target of 6510 trainees. Bank has achieved cumulative settlement of 73% and cumulative credit settlement of 53% which are well above the national average of 70% and 43% respectively.
2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	NA NA
3. Does the company have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainably? Also provide details thereof in about 50 words or so	NA NA All are financial products aiming to reach the entire operational area.
4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?	No
If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	Not applicable.
5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	Not applicable.

सिद्धांत 3: **व्यापार को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।**

<table>
<tr><td>1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें</td><td colspan="5">निदेशक रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31.03.2022 तक -22,369</td></tr>
<tr><td>2. कृपया अस्थायी/ संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर कर्मचारियों की पूर्ण संख्या इंगित करें</td><td colspan="5">शून्य</td></tr>
<tr><td>3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें</td><td colspan="5">निदेशक रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31.03.2022 तक - 8031</td></tr>
<tr><td>4. स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या इंगित करें</td><td colspan="5">निदेशक रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31.03.2022 तक – 496</td></tr>
<tr><td>5. क्या आपके पास एक कर्मचारी संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?</td><td colspan="5">हाँ

कर्मचारियों के लिए – ऑल इण्डिया ओवरसीज़ बैंक एम्प्लॉयी यूनियन
अधिकारियों के लिए –इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी संघ</td></tr>
<tr><td>6. आपके कितने प्रतिशत कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य है?</td><td colspan="5">कर्मचारी – ऑल इण्डिया ओवरसीज़ बैंक एम्प्लॉयी यूनियन – 93.20%
अधिकारी– इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी संघ – 99.25%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7. कृपया वित्तीय वर्ष के अंत में बाल मज़दूरी, जबरन मज़दूरी, अनैच्छिक मज़दूरी, पिछले वित्तीय वर्ष में यौन उत्पीड़न और लंबित शिकायतों की संख्या इंगित करें।</td><td>क्र. सं.</td><td>प्रवर्ग</td><td>वित्तीय वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या</td><td>वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज़ शिकायतों की संख्या</td><td>वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या</td></tr>
<tr><td>1</td><td>बाल मजदूरी/जबरन श्रम/ अनैच्छिक मज़दूरी</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2</td><td>यौन उत्पीड़न</td><td>शून्य</td><td>3</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>भेदभावपूर्ण रोजगार</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td rowspan="4">8. उल्लिखित कर्मचारियों का कितने प्रतिशत सदस्यों को पिछले वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था?</td><td colspan="2">स्थायी कर्मचारी</td><td colspan="3">56.84% - (12715/22369 – बिना दोहराए आंतरिक एवं बाहरी दोनों सहित कुल 12715 को प्रशिक्षित किया गया)
(कोविड महामारी के मद्देनजर, बैंक कोई प्रशिक्षण का आयोजन नहीं कर सका । अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सभी प्रशिक्षण ऑनलाइन / वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था ।)</td></tr>
<tr><td colspan="2">स्थायी महिला कर्मचारी</td><td colspan="3">55.66% - (4470/8031 - 4470 प्रशिक्षित महिला कर्मचारियों की संख्या में बिना डुप्लीकेट के आंतरिक और बाहरी दोनों शामिल हैं; 8031 - कुल महिला कर्मचारी)</td></tr>
<tr><td colspan="2">आकस्मिक/अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी</td><td colspan="3">1 (संविदा संकाय)</td></tr>
<tr><td colspan="2">विकलांग कर्मचारी</td><td colspan="3">84.5% - (419/496 - विकलांग 419 प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या में बिना डुप्लीकेट के आंतरिक और बाहरी दोनों शामिल हैं; 496 - कुल विकलांग कर्मचारी)</td></tr>
</table>

Principle 3: Business should promote the well-being of all employees

<table>
<tr><td>1.Please indicate the total number of employees</td><td colspan="5">22,369 – as on 31.03.2022 as per Director’s Report</td></tr>
<tr><td>2.Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis</td><td colspan="5">Nil</td></tr>
<tr><td>3. Please indicate the number of permanent women employees</td><td colspan="5">8031 - as on 31.03.2022 as per Director’s Report</td></tr>
<tr><td>4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities</td><td colspan="5">496 - as on 31.03.2022 as per Director’s Report</td></tr>
<tr><td>5. Do you have an employee association that is recognized by the management</td><td colspan="5">Yes
Workmen – All India Overseas Bank Employees Union
Officers – Indian Overseas Bank Officers Association</td></tr>
<tr><td>6. What percentage of your employees are members of this recognized employees association</td><td colspan="5">Workmen – All India Overseas Bank Employees Union – 93.20%
Officers – Indian Overseas Bank Officers Association – 99.25%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7. Please indicate the Number of complaints relating to child labor, forced labor, involuntary labor, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year</td><td>Sr. No.</td><td>Category</td><td>No. of complaints pending as on the start of the financial year</td><td>No. of complaints filed during the financial year</td><td>No. of complaints pending as on end of the financial year</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Child Labour/ forced labour/ involuntary labour</td><td>Nil</td><td>Nil</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sexual Harassment</td><td>Nil</td><td>3</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Discriminatory Employment</td><td>Nil</td><td>Nil</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td rowspan="4">8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?</td><td colspan="2">Permanent employees</td><td colspan="3">56.84% - (12715/22369 – count of 12715 trained includes both Internal & External without duplicates)

(In view of Covid pandemic, Bank could not conduct physical trainings, all trainings are conducted in online / virtual mode only, considering safety of our employees).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Permanent women employees</td><td colspan="3">55.66% - (4470/8031 – count of 4470 trained women employees includes both Internal & External without duplicates; 8031 – total women employees)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Casual/ Temporary/ Contractual employees</td><td colspan="3">1 (Contract Faculty)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Employees with disabilities</td><td colspan="3">84.5% - (419/496 – count of 419 trained employees with disabilities includes both Internal & External without duplicates; 496 – total employees with disabilities)</td></tr>
</table>

खुदरा और एसएमई क्षेत्र के अग्रिमों में अनुवर्ती कार्रवाइ और वसूली के लिए बैंक ने दृष्टिबाधित कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करना जारी रखा है । एसएमए-1 और 2 खातों की पूरी सूची इन सदस्यों को प्रदान की जाती है जो संपर्क करने और पुनर्प्राप्ति के लिए सॉफ़्टवेयर (जेएडब्ल्यूएस) का उपयोग करते हैं । यह पहल सुनिश्चित करती है कि दृष्टिबाधित कर्मचारियों का संगठन द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है और मनोबल बढ़ाने में भी मदद किया जाता है ।

सिद्धान्त 4: व्यापार हितकरों और सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, खासतौर पर वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं ।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को मैप किया है ? हाँ / नहीं	शेयरधारकों को विभिन्न श्रेणियों जैसे सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड, बैंक, व्यक्तियों आदि में वर्गीकृत किया जाता है । ग्राहकों को बड़े कार्पोरेट, मध्य कार्पोरेट, छोटे और मध्यम उद्यमों और खुदरा ग्राहकों में विभाजित किया जाता है । मानव संसाधन विभाग बैंक के कर्मचारियों के हितों की देखभाल करता है ।
2. उपर्युक्त उपभोक्ता में से, कमजोर और हाशिये वाले हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है ?	हाँ बैंक ने वंचित, कमजोर और हाशिये वाले हितधारकों की पहचान की है जिनमें छोटे और सीमांत किसान, किरायेदार और पट्टे पर लिए गए किसान, भूमिहीन मजदूर और ग्रामीण महिला शामिल है । उन्हें क्रेडिट कार्ड, कृषि आभूषण ऋण, स्वयं सहायता समूह, पीएमजेडीवाइ आदि जैसी विशेष क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की जाती है । पदोन्नति हेतु पात्र अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन स्टाफ सदस्यों के लिए प्री प्रमोशन ट्रेनिंग बैंक के विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित की गई थी । 11,933 कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण दिया गया था । प्रशिक्षित कुल कर्मचारियों में से 2,535 अनुसूचित जाति (अ.जा.) और 1,122 अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से संबन्धित थे ।
3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिये वाले हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है ? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें ।	**प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाइ)** बैंक ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार पीएमजेडीवाइ का कार्यान्वयन किया । यह योजना भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था । बैंक द्वारा कुल 53,14,671 बीएसबीडी खाते खोले गए हैं, जिसमें से 39,96,632 खाते सक्रिय हैं । हमने 31 मार्च 2022 तक सक्रिय खातों में 37,25,796 रूपे डेबिट कार्ड जारी किया है और इस योजना के तहत सक्रिय पीएमजेडीवाइ सक्रिय खातों के 30,74,884 कार्ड (83%) सक्रिय हैं । **वित्तीय समावेशन** हमारे बैंक ने वैयक्तिक बीसी मॉडल के तहत 2,659 कारोबार संवादी को नियुक्त किया है। आबंटित एसएसए में 2,572 बीसी और गैर-आवंटित एसएसए में 46 बीसी और शहरी क्षेत्रों में 41 बीसी तैनात हैं। बीसी छोटे मूल्य की जमाराशियों के संग्रह, पीएमजेजेबीवाइ और पीएमएसबीवाइ जैसी जन सुरक्षा योजनाओं के तहत ग्राहकों का नामांकन, माइक्रो पेंशन योजना (एपीवाइ) के तहत नामांकन, ऋण खातों में वसूली सहित एनपीए/एसएमए खातों में असाइनमेंट पर वसूली, आधार सीडिंग, तीसरे पक्ष की जमा राशि और आरडी किस्त, नकद भुगतान और रसीदें, फंड ट्रांसफर आदि संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं। । उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार के समन्वय से, आइओबी स्मार्ट कार्ड बैंकिंग लगभग 3.30 लाख वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को उनकी मासिक पेंशन और लगभग 0.25 लाख श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को 61 शिविरों में उनके द्वार पर उनकी मासिक पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बना रहा है। 1 अक्टूबर 2018 को, हमारे बैंक ने चयनित शाखाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग शुरू की है।

Bank is continuing to utilize the services of visually impaired staff for follow up and recovery in Retail and SME sector advances. The entire list of SMA-1 & 2 accounts is provided to these members who use the software (JAWS) to contact and follow up for recovery. This initiative ensures that visually impaired staff are utilized effectively by the organization and also helps to build up morale.

Principle 4 : Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ no	Shareholders are classified into different categories viz., Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks, individuals, etc. Customers are segmented into large corporate, mid-corporate, Small and Medium Enterprises and Retail customers. Human Resource Department looks after the interest of the Bank's employees.
2.Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders	Yes Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stake holders which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, Landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities like Kissan Credit Card, Agri Jewel Loan, Self Help Groups, Prime Ministers Jan Dhan Yojana (PMJDY), etc. Pre Promotion Training for SC/ST/OBC and Persons with Permanent Disability (PWD) staff members who are eligible for promotion was conducted at various Staff Training Centres of the Bank. Internal training was imparted to 11933 Staff. Of the total staff trained 2535 belonged to Scheduled Caste (SC) and 1122 belonged to Scheduled Tribe (ST).
3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof.	**Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):** The Bank has implemented PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 53,14,671 BSBD Accounts out of which 39,96,632 are operative accounts. We have issued 37,25,769 RuPay Debit Cards in operative accounts till 31st March 2022 and activated 30,74,884 cards (83%) in the operative PMJDY accounts under this scheme. **Financial Inclusion** Our Bank has engaged 2,659 Business Correspondents under Individual BC model. 2,572 BCs are deployed in allotted SSAs & 46 BCs in un-allotted SSA and 41 BCs in Urban areas. BCs are engaged in collection of small value deposits, enrolment of customers under JanSuraksha Schemes like PMJJBY and PMSBY, enrolment under Micro Pension Scheme (APY), recovery in loan accounts including recovery in NPA/SMA accounts on assignment, Aadhaar seeding, third party deposits and RD instalment, Cash Payment and Receipts, Funds transfer etc., It is noteworthy to state that in coordination with Government of Tamil Nadu, IOB Smart Card Banking has been enabling about 3.30 lakh old age pensioners to get their monthly pension and about 0.25 lakh Sri Lankan Tamil Refugees in 61 camps to obtain their monthly dole at their doorstep. On 1st October'2018, our Bank has launched Doorstep Banking for the Senior Citizens in the selected Branches.

सिद्धान्त 5: व्यवसायों में मानव अधिकारों का सम्मान तथा प्रचार होना चाहिए

1. क्या मानव अधिकारों पर कफ़नी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्ति कर्ताओं / ठेकेदारों / गैर सरकारी संगठनों / अन्य लोगों तक पहुँचती है?	बैंक की नीतियाँ और प्रथाएँ किसी भी नस्ल, धर्म, वैवाहिक स्थिति लिंग, सामाजिक स्थितियाँ, किसी भी अन्य आधार पर कानून के निषिद्ध आधार पर भेदभाव नहीं करती है । बैंक के सभी कार्यालयों / शाखाओं में अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों की निगरानी और संबंध बनाए रखा जा सके तथा समय – समय पर अनुशासन को लागू करने, नीतियों का पालन आदि करने के संबंध में परिपत्र / विवाद भी उत्पन्न होता है, विभाग उचित रूप से सदस्यों के बीच समझौता / परामर्श द्वारा सुलझाता है या निपटारे की शर्तों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा नियम प्रभावित करता है जो औद्योगिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए है । कर्मचारी सदस्यों के आइआर मामलों से संबन्धित शिकायतों / मामलों के संबंध में जहां भी आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्रवाइ की जाने हेतु व बैंक के अनुशासन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों को बनाए रखने के लिए गड़बड़ करने वाले सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई थी । एचआरएमडी – आइआर अनुभाग, केंद्रीय कार्यालय ने यूनियनों / एशोसिएशनों के साथ द्विपक्षीय समझौते के साथ कर्मचारियों / अधिकारियों के शिकायतों का निवारण करने के लिए और पंचाट स्टाफ के लिए पदोन्नति, स्थानान्तरण, लाभ इत्यादि के संबंध में मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ समझौता किए थे । औद्योगिक संबंध वाले वातावरण संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक को सौहार्दपूर्ण और अनुकूल बनाए रखना है । कर्मचारी मामलों के संबंध में वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी दिशानिर्देश हमारे कर्मचारियों के लिए परिपत्र जारी करके त्वरित रूप में लागू किए जाते हैं । कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार तथा एचआरएमडी – आइआर अनुभाग के तहत सभी प्रशासनिक कार्यालयों (केंद्रीय, अंचल व क्षेत्रीय कार्यालय) में आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है । समिति की संस्तुति के अनुसार, शिकायत के निवारण हेतु उचित कार्रवाइ की जाती है ।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें मिली हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत को संतोषजनक ढंग से हल किया गया था ?	वर्ष 2021-2022 के दौरान कर्मचारियों के शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है: 31.03.2021 तक लंबित शिकायत – शून्य 2021-22 के दौरान प्राप्त शिकायत – 13 2021-22 के दौरान निपटाए गए शिकायत – 13 31.03.2022 तक लंबित शिकायत – शून्य

द्धांत 6: कारोबार द्वारा पर्यावरण को सम्मान व सुरक्षा प्रदान करने के साथ- साथ उसे पुनर्जीवित करने के भी प्रयास करने चाहिए

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य तक विस्तारित है।	लागू नहीं
2. क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए रणनीति/पहल है? हाँ या नहीं । यदि हां, तो कृपया वेबपेज आदि का हाइपरलिंक दें	पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण को रोकने के लिए बैंक ने कुछ महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए हैं: राष्ट्रीय लक्ष्यों और सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के संदर्भ में, बैंक सामाजिक बुनियादी ढांचे (स्कूलों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, पेयजल सुविधाओं, घरेलू जल स्तर में सुधार सहित स्वच्छता सुविधाओं) और नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा आधारित बिजली जनरेटर, पवन चक्की, सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्र और गैर पारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं ,स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और दूरदराज के ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे क्षेत्रों के लिए जोखिम बढ़ाने का प्रयास करता है| ।

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1 .Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ suppliers/Contractors/ NGOs/Others?	The Bank's policies and practices do not discriminate on the basis of race, religion, marital status, gender, social status or any other basis prohibited by law. In order to monitor and maintain good industrial relations climate in all offices/Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed, etc. Wherever dispute arises between the Employer & Employee and among Employees, the department amicably settles by conciliation/counselling members or initiates disciplinary proceedings, if required, according to the terms of the settlement and regulations in force to maintain industrial harmony. With regard to complaints/matters pertaining to IR matters committed by staff members, disciplinary action, wherever necessary, had been initiated against erring members to maintain discipline and harmonious industrial relations in the Bank. HRMD-IR Section, Central Office had entered into settlement with the recognized union for award staff / officers regarding promotion, benefits, etc. to redress the grievances of employees/Officers through collective bargaining with Unions/Associations. The industrial relations environment for the Bank remained cordial and conducive for achieving organization's objectives. The guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of our employees. Internal complaints committees were constituted at all Administrative offices (Central & Regional Office) under the instruction of HRMD-IR Section, as per the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. As per the recommendation of the Committees, appropriate action has been taken to redress the grievances.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	The following are the details of employee complaints during the year 2020 – 2021: Complaints pending as on 31.03.2021 - Nil Complaints received during 2021-22 - 13 Complaints disposed during 2021-22 - 13 Complaints pending as on 31.03.2022 - Nil

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	NA
2. Does the Company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc	Bank has initiated certain important measures to protect the environment and prevent pollution : In terms of national goals and socio-economic objectives, Bank endeavors to increase exposure to sectors such as social infrastructure (schools, health care facilities, drinking water facilities, sanitation facilities including house hold water level improvement) and renewable energy, ie., for purposes such as solar based power generators, wind mills, micro hydel plants and for non-conventional energy based public utilities, viz., street lighting systems and remote village electrification.

	बैंक अपने परिसर में भी हरियाली बढ़ाने हेतु सार्थक कदम उठा रहा है । **मोबाइल बैंकिंग** ➢ वर्ष 2009 में शुरु किया गया ➢ ग्राहक हित सुरक्षा बढ़ाते हुए व उन्नत सुविधाओं के साथ इसका नया संस्करण वित्त वर्ष (2021-22) में जारी किया गया ➢ उत्पाद में सभी उन्नत सुविधाएं हैं जैसे कि 1. शाखा में आए बिना स्व-पंजीकरण 2. बढ़ी हुई सुरक्षा और पहुंच के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण/चेहरा पहचान (आइओएस) का उपयोग करके लॉगिन करें 3. नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के बीच पेयी सिंक 4. डेबिट कार्ड अप्लाई, रिप्लेसमेंट और अपग्रेड 5. डेबिट कार्ड का नया पिन सेट/पिन रीसेट करें और पुराना पिन बदलें 6. एएसबीए - आइपीओ आवेदन - लागू आइपीओ देखें और वापस लें 7. कर्ज़ का भुगतान 8. आदाता जोड़ने के लिए साम्य बाध्यता अवधि शुरू की गई 9. फॉर्म 15जी/एच सबमिशन 10. पीपीएफ और एसएसवाइ आवेदन पीढ़ी और पीएमजेजेबीवाइ/पीएमएसबीवाइ बीमा नामांकन 11. विवरण देखने और डाउनलोड करने के लिए एम पासबुक सुविधा उपलब्ध है 12. आवाज सहायता सुविधा 13. जमा खोलना, नवीनीकरण, पूर्व-बंद और बंद करना 14. भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) एकीकरण। 15. बाद में भुगतान/स्थायी निर्देश सुविधा 16. 10 क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन 31.03.2022 तक किए गए पंजीकरणों की संख्या 51.64 लाख है । **भीम आइओबी यूपीआइ** ➢ वर्ष 2016 से शुरु किया गया ➢ बचत या चालू खाते को जोड़कर, ग्राहक कर सकता है 1) वीपीए, खाता संख्या और आइएफएससी कोड, क्यूआर कोड का उपयोग करके पैसे भेजें 2) प्रेषक VPA का उपयोग करके धन एकत्र करें ➢ बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए प्रत्येक खाते के लिए अलग 6 अंकों का पिन पेश किया । ➢ इसमें वन टाइम मैंडेट क्रिएशन और एएसबीए की सुविधाएं हैं । ➢ 31.03.2022 तक किए गए पंजीकरणों की संख्या 54.46 लाख ।

The Bank is also taking steps to increase green cover in Bank's premises

MOBILE BANKING

- ➢ Launched in the year 2009
- ➢ New version with customer friendly, security enhancement and advanced functionalities released in last financial year (2021-2022)
- ➢ Product has all the advanced features such as

a. Self-registration without visiting branch

b. Login using Biometric authentication/ Face recognition (IOS) for enhanced security and access

c. Payee sync between Net banking and Mobile banking

d. Debit card Apply, Replacement and Upgrade

e. Debit card New PIN Set/ Reset PIN and change Old PIN

f. ASBA – IPO application – View and withdraw applied IPO

g. Loan repayment

h. Cooling period for payee addition introduced

i. Form 15G/H submission

j. PPF and SSY application generation & PMJJBY/PMSBY insurance enrolment

k. mPassbook facility available to view and download statements

l. Voice assistance facility

m. Deposit opening, renewal, pre-closure and closure

n. Bharat Bill Payment System (BBPS) integration.

o. Pay Later/Standing Instructions facility

p. Mobile Banking application in 10 regional languages

Number of registrations made till 31.03.2022 are 51.64 lakhs

BHIM IOB UPI

- ➢ Introduced from the year 2016
- ➢ By Linking Savings or Current account, customer can

a. Send money using VPA, A/c No and IFSC Code, QR Code

b. Collect money using remitters VPA

- ➢ Introduced separate 6 digit PIN for each account for enhanced security.
- ➢ Has the facilities of One Time mandate creation and ASBA
- ➢ Number of registrations made till 31.03.2022 are 54.46 lakhs

	इंटरनेट बैंकिंग ➢ आंतरिक रूप से विकसित सॉफ्टवेयर वर्ष 2003 में शुरू किया गया ➢ इंटरनेट बैंकिंग स्व-पंजीकरण शुरू किया गया। ➢ कुछ विशेषताएं बैलेंस पूछताछ, लेनदेन विवरण, एनईएफटी/आरटीजीएस/आइएमपीएस आदि का उपयोग करके फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन कर और उपयोगिता भुगतान बिल भुगतान, आइपीओ, प्रीपेड कार्ड का टॉप अप और क्रेडिट कार्ड भुगतान हैं। ➢ इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है । ➢ 31.03.2022 तक कुल पंजीकरण 22.28 लाख है । **डेबिट कार्ड** • वीसा और रुपे के तहत कार्ड विभिन्न वर्गों (गोल्ड, प्लेटिनम और सिग्नेचर) में जारी किए जाते हैं । • ग्राहकों को इंस्टा और पर्सनलाइज्ड दोनों कार्ड जारी किए जाते हैं। • कार्ड धारकों को बैंक वेब साइट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और आइवीआरएस के माध्यम से डेबिट कार्ड ब्लॉक करने की सुविधा प्रदान की गई है। • कार्डधारकों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी नया डेबिट कार्ड लगाने, बदलने और अपग्रेड करने और पिन सेट/पिन बदलने की सुविधा प्रदान की गई है। • इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग और सीबीएस में शाखा के माध्यम से सभी प्रकार के लेन-देन - घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, पीओएस/एटीएम/ईकॉम लेनदेन/संपर्क रहित लेनदेन के लिए कार्ड धारकों को चालू/बंद करने और लेनदेन सीमा, यदि कोई हो, सेट/संशोधित करने का विकल्प दिया गया है । • खाता खोलने के समय कार्ड जारी करने का कार्यान्वयन किया जाता है। • कार्ड ऑन फाइल (टोकनाइजेशन) सक्षम है। • नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) को रुपे श्रेणी में पेश किया गया जिसका उपयोग संपर्क रहित लेनदेन के लिए भी किया जा सकता है। • कार्ड धारकों को नेट बैंकिंग के माध्यम से कार्ड को सक्रिय करने की सुविधा प्रदान की गई है। **एटीएम/ कैश रिसाइकलर्स/ पासबुक कियोस्क का प्रबंधन** • आइओबी के पास 31.05.2022 तक 3369 मशीनें हैं, जिनमें से 1924 एटीएम हैं और 1445 कैश रिसाइकलर हैं। • कुल 3369 मशीनों में से 2735 ऑनसाइट हैं और 634 ऑफसाइट हैं । • कुल 3369 मशीनों में से, 2962 शाखा प्रबंधित (केपेक्स मॉडल) हैं और 407 विक्रेता प्रबंधित (ओपेक्स मॉडल) हैं। • बैंक में 1707 पासबुक कियोस्क हैं जो मुख्य रूप से 2 विक्रेताओं और 3 प्रकार की मशीनों से जुड़े हुए हैं। 700 एलआइपीआइ पासबुक कियोस्क, 300 सीबीएसएल पासबुक कियोस्क और 707 फोर्ब्स पासबुक कियोस्क (अब सीबीएसएल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रगति पर है), पूरे भारत में कार्य कर रहा है । **व्हील्स पर बैंक** ➢ ईज़ (बढ़ी हुई पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता) के तहत बैंक की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, हमारे बैंक ने तमिलनाडु के 13 जिलों और केरल के एक जिले में "बैंक ऑन व्हील्स" (मोबाइल एटीएम) लॉन्च किया है, जहां आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा) एक जिले के अलावा आइओबी अग्रणी बैंक है।

INTERNET BANKING

- The software developed in house introduced in the year 2003
- Internet banking Self Registration introduced.
- Some of features are Balance Enquiry, Transaction details, Funds Transfer using NEFT/RTGS/IMPS etc, Online Tax and Utility Payments Bill Payments, IPOs, Top Up of Prepaid Cards and Credit Card Payments
- Internet Banking application in 10 regional languages
- Total registrations till 31.03.2022 are 22.28 lakhs

Debit Cards

- Cards are issued in different flavours (Gold, Platinum and Signature) under VISA and Rupay.
- Both Insta and Personalized cards are issued to customers.
- Facility has been provided to card holders for blocking Debit Cards through Bank Web Site, Internet Banking, Mobile Banking and IVRS.
- Facility has been provided to card holders for Applying New Debit Card, Replacement &Upgrade and Pin set/Change of pin, through mobile Banking and Internet banking also.
- Option given to card holders to switch ON/Off and set/modify transaction limit, if any, for all types of transactions - Domestic and International, at POS/ATMs/Ecom transactions/contactless transactions through Internet banking and Mobile banking and through Branch in CBS.
- Card issuance at the time of Account opening is implemented.
- Card on File (Tokenization) is enabled.
- National Common Mobility Card (NCMC) introduced in RUPAY category which can also be used for contactless transactions.
- Facility has been provided to card holders to activate the Card through Net Banking.

Management of ATMs/Cash Recyclers/Passbook Kiosks

- IOB is having 3369 machines as on 31.05.2022 of which 1924 are ATMs and 1445 are Cash Recyclers.
- Of the total 3369 machines 2735 are Onsite and 634 are Offsite
- Out of total 3369 machines, 2962 are Branch Managed (CAPEX model) and 407 are vendor managed (OPEX model)
- Bank is having 1707 Passbook Kiosks belonging to 2 vendors majorly and 3 types of machines. 700 LIPI Passbook Kiosks, 300 CBSL Passbook Kiosks and 707 Forbes Passbook Kiosks (now taken over by CBSL and software installation is under progress), functioning PAN INDIA

Bank on Wheels

- As part of Bank's Commitment under EASE (Enhanced Access and Service Excellence), Our Bank has launched "Bank on Wheels" (Mobile ATMs) in 13 districts of Tamil Nadu and one district of Kerala where IOB is the Lead Bank besides one district in Andhra Pradesh (Vijayawada)

	➢ प्रत्येक बैंक ऑन व्हील बैंक के विभिन्न उत्पादों के विपणन के लिए एक कैश डिस्पेंसर, एक पासबुक कियोस्क और 55 "एलईडी स्क्रीन से लैस है। इन स्क्रीन का उपयोग आम जनता को वित्तीय समावेशन संदेश या कोई शिक्षाप्रद श्रृंखला देने के लिए भी किया जाता है। ➢ बैंक योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए वाहन में एक व्यापार संवाददाता भी उपलब्ध होगा। **आरटीजीएस/ एनईएफ़टी** ➢ ग्राहक और इंटर बैंक लेनदेन के लिए उपलब्ध ➢ ग्राहक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी और आरटीजीएस का लाभ उठा सकते हैं। ➢ एनईएफटी और आरटीजीएस चैनल 24 X 7 काम कर रहे हैं ➢ बचत खाता ग्राहक के लिए ऑनलाइन मोड (अर्थात इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग) के माध्यम से शुरू किए गए एनईएफटी लेनदेन के लिए एनईएफटी शुल्क माफ कर दिए गए हैं। **आइओबी पे** ➢ वर्ष 2017 में शुरू किया गया ➢ आंतरिक रूप से विकसित और एग्रीगेटर्स के साथ एकीकृत ➢ उत्पाद एक एकीकृत ऑन लाइन भुगतान है जो शुल्क भुगतान, व्यापारी भुगतान, दान प्रदान करता है। व्यापारियों द्वारा भुगतान एकत्र करने का एक आसान और प्रभावी तरीका। ➢ मर्चेंट वेब साइट के साथ या उसके बिना विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के लिए ऑनलाइन भुगतान सक्षम करने का लक्ष्य। ➢ 650+ व्यापारियों को आइओबी पे में पंजीकृत किया गया है। **आइओबी फास्टैग** ➢ हमारे बैंक ने हाल ही में हमारे ग्राहकों और गैर-ग्राहकों के लिए फास्टैग सेवा शुरू की है। ➢ फास्टैग एक आरएफ़आइडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) निष्क्रिय टैग है जिसका उपयोग ग्राहकों से जुड़े प्रीपेड या बचत / चालू खाते से सीधे टोल भुगतान करने के लिए किया जाता है। यह वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपका होता है और ग्राहक को टोल प्लाजा पर बिना किसी टोल भुगतान के रुकने में सक्षम बनाता है। टोल किराया सीधे ग्राहक के फास्टैग वॉलेट या लिंक किए गए खाते से काट लिया जाता है। ➢ ग्राहकों को पोर्टल के माध्यम से अपने घर से फास्टैग के लिए आवेदन करने की सुविधा मिल रही है। साथ ही वे घर के पते पर डिलीवरी या शाखा से एकत्र करने के लिए टैग चुन सकते हैं। ➢ बैंक आइओबी फास्टैग्स द्वारा किए गए सभी टोल लेनदेन पर कमीशन अर्जित करेगा, जिससे हमारे राजस्व में सुधार होगा। ➢ **बैंक को वॉलेट बैलेंस और सुरक्षा जमा के रूप में अच्छी कासा राशि भी मिलेगी।**
3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान व मूल्यांकन करती है ? हाँ या नहीं	हाँ
4. क्या कंपनी के पास स्पष्ट विकास प्रणाली से संबंधित कोई परियोजना है ? यदि हाँ तो इसके बारे में 50 शब्द या उससे अधिक में विवरण प्रदान करें । साथ ही , यदि हाँ है तो तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन दायर किया गया है ?	लागू नहीं

	➢ Each Bank on Wheel is equipped with one Cash Dispenser, one Passbook Kiosk and 55" LED Screens for marketing of various products of the Bank. These Screens are also utilized for delivering Financial Inclusion messages or any educative series to the general public. ➢ A Business Correspondent will also available in the vehicle to popularise the bank schemes. **RTGS/NEFT** ➢ Available for Customer and Inter Bank transactions ➢ Customers can avail NEFT channels through Mobile Banking and NEFT and RTGS through Internet Banking. ➢ NEFT & RTGS channels functioning 24 X 7 ➢ NEFT Charges are waived for NEFT transactions initiated through online mode (viz internet banking and mobile banking) for savings account customer. **IOB PAY** ➢ Introduced in the year 2017 ➢ Developed in house and integrated with Aggregators ➢ The product is an integrated on line payment which offers fee payments, merchant payments, donations. An easy and effective way of collecting payments by the merchants. ➢ Targeted to enable Online Payments for different type of merchants with or without merchant web site. ➢ 650+ merchants have been registered in IOB Pay. **IOB FASTag** ➢ Our Bank has recently rolled out the FASTag service for our Customers & Non-Customers. ➢ FASTag is a RFID (Radio frequency identification) passive tag used for making Toll payments directly from the customers linked prepaid or savings/ current account. It is affixed on the windscreen of the vehicle and enables customer to drive through toll plazas, without stopping for any toll payments. The toll fare is directly deducted from the FASTag wallet or linked account of the customer. ➢ Customers are having comfort of applying for FASTag from their home through Portal. Also they can choose the tag either delivery to home address or to collect from the branch. ➢ Bank will earn commission on all toll transactions done by IOB FASTags, which will improve our revenue. ➢ Bank will also get good CASA amount in the form of wallet balance & security deposits.
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance is filed?	Not applicable.

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है। हाँ या नहीं । यदि हाँ, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें	जी हाँ , कुछ पहल की गई हैं जो कि निम्नवत हैं : 1. बैंक में ऊर्जा कुशल एलइडी लाइटों के इस्तेमाल की शुरुआत की गई । 2. हमारे सभी परिसरों में ऊर्जा बचाने के लिए 5 स्टार रेटेड विद्‌युत उपकरणों का उपयोग किया जाता है। 3. पतले मॉनिटर लगाए गए हैं। 4. कर्मचारियों को उपयोग में न होने पर बिजली के गैजेट/उपकरणों को बंद करने के लिए निर्देश दिया गया है। जहां तक संभव हो, बैंक हाई-एंड इको-फ्रेंडली तकनीक का उपयोग कर रहा है।
6. क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट के संबंध में रिपोर्ट किया जा रहा है?	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या जो लंबित (अर्थात जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ) हैं?	शून्य
सिद्धांत 7: जब कोई कारोबार आम जनता व विनियामक नीति को प्रभावित करता है तो उसे जिम्मेदार रूप में किया जाना है	
1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैंबर या एसोसिएशन का सदस्य है? यदि हां, तो केवल उन्हीं प्रमुख कंपनियों के नाम बताएं जिनसे आपका कारोबार संबंधित है:	बैंक निम्नलिखित का सदस्य / से संबंधित है : 1. भारतीय बैंक संघ (आइबीए) 2. भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान (आइआइएफबी) 3. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आइबीपीएस) 4. राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआइबीएम) 5. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) 6. सेंटर पॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (सीएएफआरएएल) 7. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) 8. भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइ) 9. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) 10. स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशंस सेमिनार (एसआइबीओएस)
2. क्या आपने सार्वजनिक भलाई की उन्नति या सुधार के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत /पैरवी की है? हाँ नही; यदि हां, तो क्षेत्र निर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)।	बैंक ने समय-समय पर बैंकिंग उद्योग से संबंधित मामलों पर नीति निर्माताओं और नीति-निर्माण संघों को अपना सुझाव/योगदान दिया है।
सिद्धांत 8: कारोबारों को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए	
1. क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हाँ तो उसका विवरण दें	**वित्तीय समावेशन** हमारे बैंक ने व्यतिगत बीसी मॉडल के तहत 2,659 कारोबार संवादियों को नियुक्त किया है। आबंटित एसएसए में 2,572 बीसी और गैर-आवंटित एसएसए में 46 बीसी और शहरी क्षेत्रों में 41 बीसी तैनात हैं । कारोबार संवादी छोटे मूल्य की जमाराशियों के संग्रह, पीएमजेजेबीवाइ और पीएमएसबीवाइ जैसी जन सुरक्षा योजनाओं के तहत ग्राहकों का पंजीकरण , माइक्रो पेंशन योजना (एपीवाइ) के तहत पंजीकरण, सौंपे जाने की स्थिति में ऋण खातों में वसूली सहित एनपीए/एसएमए खातों में वसूली, आधार सीडिंग, तीसरे पक्ष की जमा राशि और आरडी किस्त, नकद भुगतान और रसीदें, निधि अंतरण आदि कार्य कर रहे हैं ।

5. Has the company undertaken any other initiative on clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc	Yes. Some of the initiatives taken are as follows: a. Energy efficient LED light fixtures have been introduced in the Bank b. 5 Star rated electrical equipment's are used to save energy at all our premises. a. c. Thin Monitors are introduced. b. d. Staff are sensitized to switch off electrical gadgets / appliances when not in use As far as possible, the bank is using high-end eco-friendly technology.
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	NA
7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending(i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:	Bank is a member/ associated with the following: 1. Indian Banks Association (IBA) 2. Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) 3. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) 4. National Institute of Bank Management (NIBM) 5. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) 6. Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL) 7. National Payments Corporation of India (NPCI) 8. The Clearing Corporation of India Ltd (CCI) 9. The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) 10. Swift International Banking Operations Seminar (SIBOS)
2. Have you advocated /lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	The Bank from time to time has given suggestions / contribution to policymakers and policy-making associations on matters relating to banking industry.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes / initiatives / projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof	**Financial Inclusion** Our Bank has engaged 2,659 Business Correspondents under Individual BC model. 2,572 BCs are deployed in allotted SSAs &46 BCs in un-allotted SSA and 41 BCs in Urban areas. BCs are engaged in collection of small value deposits, enrolment of customers under JanSuraksha Schemes like PMJJBY and PMSBY, enrolment under Micro Pension Scheme (APY), recovery in loan accounts including recovery in NPA/SMA accounts on assignment, Aadhaar seeding, third party deposits and RD instalment, Cash Payment and Receipts, Funds transfer etc.,

	यह उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार के समंवय में आइओबी स्मार्ट कार्ड बैंकिंग द्वारा लगभग 3.30 लाख वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को उनकी मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है और 61 शिविरों में रह रहे लगभग 0.25 लाख श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को उनके दरवाजे पर उनकी मासिक सहायता पहुँचाई जा रही है। 1 अक्टूबर 2018 को, हमारे बैंक ने चयनित शाखाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग की शुरूआत की है। **प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाइ):** बैंक ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार भारत की पीएमजेडीवाइ योजना को लागू किया है । यह योजना भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी । बैंक ने 53,14,671 बीएसबीडी खाते खोले हैं, जिनमें से 39,96,632 खाते सक्रिय हैं। हमने 31 मार्च 2022 तक चालू खातों में 37,25,769 रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं और इस योजना के तहत सक्रिय पीएमजेडीवाइ खातों में 30,74,884 कार्ड (83%) सक्रिय किए हैं ।
2. क्या कार्यक्रम / परियोजनाएं इन –हॉउस टीम / स्वयं के फाउंडेशन / बाहरी एनजीओ / सरकारी संरचनाओं/ किसी अन्य संस्थान के माध्यम से की जाती है ?	वित्तीय समावेशन कार्यक्रम इन-हाउस टीम के साथ-साथ बैंक द्वारा नियुक्त किए गए कारोबार संवादियों के माध्यम से किया जा रहा है।
3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है। यदि हां, तो उसका विवरण दें।	**प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाइ)** बैंक ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार पीएमजेडीवाइ लागू किया है। भारत की यह योजना भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। बैंक ने 53,14,671 बीएसबीडी खाते खोले हैं, जिनमें से 39,96,632 सक्रिय खाते हैं। हमने 31 मार्च 2022 तक चालू खातों में 37,25,769 रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं और इस योजना के तहत सक्रिय पीएमजेडीवाइ खातों में 30,74,884 कार्ड (83%) सक्रिय किए हैं। **वित्तीय समावेशन** बैंक ने बिना बैंक वाले गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 2659 व्यापार प्रतिनिधियों को नियुक्त किया है। बैंक जन सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमजेजेबीवाइ, पीएमएसबीवाइ और पेंशन योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों का पंजीकरण कर रहा है । आधार नामांकन केंद्र यूआइडीएआइ दिशानिर्देशों के अधीन, बैंक ने शुरू में हमारे प्रशिक्षित और प्रमाणित स्टाफ सदस्यों को शामिल करके आधार पंजीकरण केंद्र स्थापित किए हैं, अब हमने खुली निविदा के माध्यम से अनुबंध के माध्यम से जनशक्ति (ऑपरेटरों) को आउटसोर्स किया है।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी मूल्यांकन किया है?	योजनाएँ	वर्ष 2021-2022 के दौरान पंजीकरण की स्थिति	31.03.2022 को पंजीकरण की स्थिति (संचयी)
	पीएमजेजेबीवाइ	1,61,547	13,09,544
	पीएमएसबीवाइ	2,55,451	34,70,474
	कुल	4,16,998	47,80,018

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान, राशि आइएनआर में, क्या है? इस संबंध में आरंभ की गई परियोजनाओं का विवरण प्रदान करें।	शून्य
5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया गया है या नहीं ? कृपया 50 शब्दों या उससे अधिक में बताएँ।	लागू नहीं

	It is noteworthy to state that in coordination with Government of Tamil Nadu, IOB Smart Card Banking has been enabling about 3.30 lakh old age pensioners to get their monthly pension and about 0.25 lakh Sri Lankan Tamil Refugees in 61 camps to obtain their monthly dole at their doorstep. On 1st October'2018, our Bank has launched Doorstep Banking for the Senior Citizens in the selected Branches. **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):** The Bank has implemented PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 53,14,671 BSBD Accounts out of which 39,96,632 are operative accounts. We have issued 37,25,769 RuPay Debit Cards in operative accounts till 31st March 2022 and activated 30,74,884 cards (83%) in the operative PMJDY accounts under this scheme.

2. Are the programmes / projects undertaken through in-house team/own foundation/ external NGO/government structures/any other organization?	The Financial Inclusion programme has been undertaken through in-house team as well as Business Correspondents engaged by the Bank.
3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof.	**Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY)** The Bank has implemented PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 53,14,671 BSBD Accounts out of which 39,96,632 are operative accounts. We have issued 37,25,769 RuPay Debit Cards in operative accounts till 31st March 2022 and activated 30,74,884 cards (83%) in the operative PMJDY accounts under this scheme. **Financial Inclusion** Bank has engaged 2659 Business Correspondents as per the guidelines of Reserve Bank of India for providing banking facilities in un-banked villages. The Bank is enrolling customers under Jansuraksha schemes like PMJJBY, PMSBY and Pension schemes like Atal Pension Yojana. Aadhaar Enrollment Centres Subject to the UIDAI guidelines, the Bank has established Aadhaar Enrollment Centres by engaging our trained and certified staff members initially, now we have outsourced the manpower (operators) by way of contract through open tender.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?	see table below
4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken	Nil
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Not applicable

Schemes	Status of Enrolment during the year 2021-2022	Status of enrolment as on 31.03.2022 (Cumulative)
PMJJBY	1,61,547	13,09,544
PMSBY	2,55,451	34,70,474
Total	4,16,998	47,80,018

सिद्धांत 9: व्यवसायों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए

1. वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें लंबित हैं?	1.00%
2. क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य रूप से उत्पाद की जानकारी को उत्पाद लेबल पर प्रदर्शित करती है? हां/नहीं/ लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के संबंध में किसी भी हितधारक द्वारा कंपनी के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है जो कि वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है? यदि हां, तो उसके ब्यौरे, ...शब्दों या उससे अधिक में उपलब्ध कराएं	शून्य
4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियों को अंजाम दिया?	हाँ। बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया गया था।
***	

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner	
1. What percentage of customer complaints are pending as on the end of financial year	1.00%
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/ No./N.A/Remarks(additional information)	Not applicable
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about words or so	Nil
4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	Yes. Customer satisfaction survey was conducted by the bank for the year 2021-22.
**	

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लाभांश वितरण नीति

I. नीति की आवश्यकता और उद्देश्य :

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 08 जुलाई 2016 को सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिमय, 2015 (एलओडीआर) में विविमय 43ए अंतर्निविष्ट किया है, जिसे लाभांश वितरण नीति तैयार करने के लिए बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध संस्थाओं की आवश्यकता होती है, (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को संगणित), जो उनकी वार्षिक रिपोर्टों और उनकी वेबसाइटों पर प्रकट की जाएगी। लाभांश वितरण नीति में निम्नलिखित पैरामीटर शामिल होंगे :

(ए) परिस्थितियां जिनके अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते।

(बी) वित्तीय पैरामीटर जिन पर लाभांश घोषित करते समय विचार किया जा सकता है ;

(सी) आंतरिक और बाह्य कारक जिन्हें लाभांश की घोषणा करने के लिए विचार जा सकता है;

(डी) नीति जिसके तहत धारित आय को कैसे उपयोग में लाया जाए; और

(इ) पैरामीटर जो शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में अपनाए जाएंगे:

बशर्तें कि सूचीबद्ध इकाई क्लॉज (ए) से (ई) के अतिरिक्त पैरामीटर के आधार पर लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव रखती है या ऐसे पैरामीटर में शामिल ऐसे अतिरिक्त पैरामीटर या लाभांश वितरण नीति को बदलने का प्रस्ताव करती है, तो तर्क के साथ ऐसे प्रकटों को अपने वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइट पर खुलासा करेगी।

सेबी (एलओडीआर) विनिमय के विनिमय 43ए के संबंध में, लाभांश वितरण नीति बनाना हमारे बैंक के लिए अनिवार्य है, जैसा कि बाज़ार पूँजीकरण के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2016 को हमारा बैंक शीर्ष 500 सौ सूचीबद्ध संस्थाओं के अंतर्गत आता है और तदनुसार हमारा शेयर बीएसइ और एनएसइ लिमिटेड में सूचीबद्ध है, निम्नलिखित "लाभांश वितरण नीति" बनाई गई है जिसे बैंक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और अंगीकृत किया है।

हमारा बैंक, एक नवीन बैंक के रुप में हैं, जिसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1970 के उपक्रमों का अंतरण अधिग्रहण व प्रावधानों के तह्त गठित किया गया है, जो लाभांश भुगतान के संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है।

II.परिभाषा

ए) लाभांश	लाभांश में अंतरिम लाभांश शामिल है। सामान्य प्रावृत्ति में, 'लाभांश' का मतलब बैंक का लाभ है, जिसे कारोबार में नहीं रखा जाता है और शेयरधारकों के बीच उनके द्वारा धारित शेयर के लिए भुगतान किए गए राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है।
बी) सीआरएआर	यह बैंक पूँजी का अपने परिसंपत्ति भारित जोखिम का अनुपात है।
सी) लाभांश देय अनुपात	'लाभांश देय अनुपात' 'वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ' के लिए एक वर्ष (लाभांश कर को छोड़कर) में देय लाभांश के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है।
डी) बोर्ड	'बोर्ड' का मतलब निदेशक मंडल जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित है।

III नीति:

1. **नीति को "आइओबी लाभांश नीति" के नाम से जाना जाएगा।**

2. **लाभांश वितरण के संबंध में सामान्य नियम :**

बैंक का इरादा शेयरधारकों को बैंक का लाभ देकर परितोषिक देना है, तथापि यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि बरकरार रखी जाती है। असामान्य बैठकों में शेयरधारकों द्वारा घोषणा के लिए बोर्ड द्वारा भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत बैंक का वित्तीय प्रदर्शन,अंतरिम प्रदत्त लाभांश ,इसकी भविष्य की योजनाएँ,एनपीए को चिन्हित करने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण का निष्कर्ष, प्रावधान में कमी, खातों के विवरण के संबंध में लेखा परीक्षकों की योग्यता, बेसल पूंजी पर्याप्तता, आंतरिक व बाह्य कारक, वैधानिक प्रतिबंध इत्यादि को ध्यान को रखते हुए अंतरिम लाभांश अदा करने की संस्तुति की जाती है । बोर्ड अपने विवेक के आधार पर अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है।

3.लाभांश की घोषणा के लिए पात्रता मानदंड;

दिनांक 04 मई 2005 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक लाभांश घोषित करने के लिए तभी पात्र होगा, जब यह निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण एवं उनके मास्टर परिपत्र दिनांकित 01.07.2015 का अनुपालन करता है;

i बैंक को दिया जाना है

- विगत दो वर्षों और लेखंकन वर्ष मे जिसके हेतु लाभांश घोषित किया जाना प्रस्तावित है, लागू सीसीबी सहित सीआरएआर कम से कम 9% होना चाहिए।
- निवल एनपीए 7% से कम होना चाहिए।

यदि बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं करता है, लेकिन लेखांकन वर्ष के लिए कम से कम 9% का सीआरएआर है जिसके लिए यह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है, तो यह लाभांश घोषित करने के योग्य होगा, बशर्ते इसका नेट एनपीए 5% से कम हो।

ii. बैंक धारा 15 के प्रावधानों (जो लाभांश के भुगतान को तब तक प्रतिबंधित करता है जब तक सभी पूंजीकृत व्यय निसरित नहीं किए गए हैं) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (जो सांविधिक आरक्षित निधि के लाभ को निर्दिष्ट हिस्से के हस्तांतरण को निर्धारित करता है) का अनुपालन करेगा।

iii. बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा नियमों / दिशानिर्देशों का पालन करेगा जिसमें परिसंपत्तियों और कर्मचारियों सेवानिवृत्ति लाभों की कमी के लिए पर्याप्त प्रावधान, सांविधिक रिज़र्व को लाभ अंतरण शामिल है।

iv. प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ से देय होना चाहिए।

v. लाभांश की घोषणा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगा होना चाहिए।

IOB DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

I. NEED AND OBJECTIVE OF THE POLICY:

Securities and Exchange Board of India (SEBI) has on July 08, 2016, inserted Regulation 43A in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), which requires the top five hundred (presently top one thousand) listed entities based on Market Capitalization, (calculated as on March 31 of every financial year), to formulate a Dividend Distribution Policy which shall be disclosed in their annual reports and on their websites. The Dividend Distribution Policy shall include the following parameters:

(a) the circumstances under which the shareholders of the listed entities may or may not expect dividend;

(b) the financial parameters that shall be considered while declaring dividend;

(c) internal and external factors that shall be considered for declaration of dividend;

(d) policy as to how the retained earnings shall be utilized; and

(e) parameters that shall be adopted with regard to various classes of shares:

Provided that if the listed entity proposes to declare dividend on the basis of parameters in addition to clauses (a) to (e) or proposes to change such additional parameters or the dividend distribution policy contained in any of the parameters, it shall disclose such changes along with the rationale for the same in its annual report and on its website.

In terms of Regulation 43A of SEBI (LODR) Regulations, it is mandatory for our Bank to frame the Dividend Distribution Policy, as our Bank falls within the top 500 listed entities as on March 31, 2016 in terms of Market Capitalization and our shares are listed in BSE & NSE Limited. Accordingly, the following 'Dividend Distribution Policy' has been framed and been approved and adopted by the Board of Directors of the Bank.

Our Bank is formed under the provisions of Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, is following the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) and Government of India in respect of dividend payments.

II. DEFINITIONS:

a) Dividend	Dividend includes interim dividend. In common parlance, 'Dividend' means the profit of the Bank, which is not retained in the business and is distributed among the shareholders in proportion to the amount paid up on the shares held by them.
b) CRAR	It is the ratio of the Bank's capital to its risk weighted assets.
c) Dividend Payout Ratio	'Dividend Payout Ratio' is calculated as a percentage of 'dividend payable in a year (excluding dividend tax) to 'net profit during the year'.
d) Board	'Board' means Board of Directors of the Bank constituted in terms of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

III. POLICY:

1. The Policy will be called as **"IOB Dividend Distribution Policy."**

2. **General Principles of the Bank regarding distribution of dividend:**

The intent of the Bank is to reward the shareholders of the Bank by sharing a portion of the profits, whilst also ensuring that sufficient funds are retained for growth of the Bank. The dividend for each year would be recommended by the Board at its discretion within the set guidelines of Government and Reserve Bank of India and after taking into account the financial performance of the Bank, interim dividend paid, its future plans, annual financial inspection finding of the RBI with regard to divergence in identification of NPAs, shortfall in provisioning, auditor's qualification pertaining to the statement of accounts, Basel III Capital requirement, internal and external factors, statutory restrictions etc. for declaration by the shareholders in general meeting. The Board may also declare interim dividend at its discretion.

3. **In case the Bank does not meet the above eligibility criteria no special dispensation shall be available from the Reserve Bank:**

As per the guidelines dated May 04, 2005 issued by Reserve Bank of India and its Master Circular dated 01.07.2015 by Reserve Bank of India, the Bank will be eligible to declare dividends only when it complies with the following minimum prudential requirements;

i. The Bank should have:

- CRAR of at least 9% **plus applicable CCB** for preceding two completed years and the accounting year for which it proposes to declare dividend.
- Net NPA less than 7%.

In case the Bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of at least 9% plus applicable CCB for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA is less than 5%.

ii. The Bank shall comply with the provisions of Sections 15 (which prohibits payment of dividend until all capitalized expenses have been written off) and Section 17 (which stipulates transfer of specified portion of profit to statutory reserve fund) of the Banking Regulation Act, 1949.

iii. The Bank shall comply with the prevailing regulations / guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets and staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves etc.

iv. The proposed dividend should be payable out of the current year's profit.

v. The Reserve Bank of India should not have placed any explicit restrictions on the Bank for declaration of dividends.

यदि कोई बैंक उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो रिजर्व बैंक से कोई विशेष छूट उपलब्ध नहीं होगी।

4. देय लाभांश की मात्रा :

ए. **भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश:** बैंक, यदि यह उपरोक्त अनुच्छेद संख्या 3 में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करता है, तो निम्नलिखित के अधीन लाभांश की घोषणा और भुगतान कर सकता है:

i. लाभांश भुगतान अनुपात 40% से अधिक नहीं होना चाहिए और अनुलग्नक 1 में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होना चाहिए।

ii. यदि प्रासंगिक अवधि के लाभ में कोई अतिरिक्त सामान्य लाभ / आय शामिल है, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन के लिए ऐसे अतिरिक्त मदों को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी।

iii. वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण जिनके लिए बैंक लाभांश घोषित कर रहा है, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी योग्यता से मुक्त होना चाहिए, जिसके दौरान उस वर्ष लाभ पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उस प्रभाव के लिए किसी भी योग्यता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय शुद्ध लाभ उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

iv. बेसल-III अनुपालन बांडों पर ब्याज का भुगतान न करने या सीसीबी सहित बेसल-III सीआरएआर अनुपात की गैर-प्राप्ति के मामले में, आरबीआई इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए बासेल III पूंजी विनियमों पर मास्टर परिपत्र में लाभांश पर प्रतिबंध लगाता है।

बी. भारत सरकार के दिशानिर्देश :

भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को अपनी इक्विटी (यानी प्रदत्त पूंजी) का 20% न्यूनतम या कर पश्चात लाभ का 20% जो भी अधिक हो, लाभांश देना होगा। यदि, कोई भी बैंक अंतरिम लाभांश का भुगतान करने का फैसला करता है, तो वार्षिक परिणामों के आधार पर बैंक द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल लाभांश उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए। आगे यदि उन अनुदेशों के प्रावधानों से कोई छूट लेती है तो भारत सरकार से विशिष्ट पूर्व अनुमति जरुरी है।

5. आंतरिक और बाहरी कारक :

बैंक का लाभांश भुगतान निर्णय कुछ बाहरी करकों पर भी निर्भर करता है जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, वैधानिक और विनियामक प्रावधान, कर नियम इत्यादि, जैसा कि लाभांश की घोषणा के समय लागू हो सकता है । उपरोक्त बाह्य कारकों के अलावा, बोर्ड अन्य आंतरिक कारकों को ध्यान में रखता है जैसे कि व्यापार विकास योजनाएं, भविष्य की पूंजी आवश्यकताएं, पूंजीगत संपत्तियों के प्रतिस्थापन इत्यादि। लाभांश के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

6. अर्जित आय का उपयोग :

अर्जित आय का उपयोग मुख्य रूप से बैंक की विकास योजनाओं के उद्देश्य के लिए और अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए जो भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं ।

7. शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान:

वर्तमान में बैंक के पास केवल एक शेयर वर्ग अर्थात् इक्विटी शेयर है। भविष्य में किसी भी अन्य वर्ग के शेयर जारी करने के मामले में, पैरामीटर उचित समय पर बैंक द्वारा उचित रूप से तय किए जाएंगे।

8. लाभांश भुगतान प्रणाली:

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार, बैंक लाभांश के भुगतान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करेगा। जहाँ भी इलेक्ट्रोनिक भुगतान मोड का उपयोग संभव नहीं होने पर, जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधि का उपयोग करना संभव नहीं है, तब 'सममूल्य पर देय' वारंट या डिमांड ड्राफ्ट पात्र शेयरधारकों को जारी किए जाएंगे।

9. प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग :

अ. पॉलिसी को बैंक के वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट में वेब लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

आ. बैंक आरबीआइ द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार आरबीआई को लेखांकन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के विवरण की रिपोर्ट करेगा।

इ. बैंक प्रति शेयर आधार पर लाभांश घोषित और खुलासा करेगा जैसा कि सेबी **(एलओडीआर)** विनियमन के तहत निर्दिष्ट है।

10. नीति की वैद्यता और समीक्षा

यह नीति तब तक लागू रहेगी जब तक कि नियामक प्राधिकारियों द्वारा और संशोधन नहीं किए जाते। नीति और नियामक दिशानिर्देशों के बीच किसी भी विसंगति या असंगति की स्थिति में, नियामक दिशानिर्देश मान्य होंगे।

बोर्ड वार्षिक आधार पर नीति की समीक्षा/नवीनीकरण करेगा और यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर नीति में संशोधन कर सकता है।

अनुलग्नक- 1

लाभांश देय अनुपात की अधिकतम अनुमत सीमा के लिए मानदंड का मैट्रिक्स

प्रवर्ग	सीआरएआर	निवल एनपीए अनुपात			
		शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम	3% से अधिक और 5% से कम	5%से अधिक और 7% से कम
		लाभांश देय अनुपात की सीमा			
ए	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 11% या अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
बी	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 10% या अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
सी	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 09% या अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
डी	वर्तमान वर्ष में 9% या अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

In case any bank does not meet the above eligibility criteria no special dispensation shall be available from the Reserve Bank.

4. Quantum of dividend payable:

A. **RBI guidelines:** The Bank, if it fulfills the eligibility criteria set out at paragraph No.3 above, may declare and pay dividends subject to the following:

i. The dividend payout ratio shall not exceed 40% and shall be as per the matrix furnished in Annexure 1.

ii. In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits / income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.

iii. The financial statements pertaining to the financial year for which the bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.

iv. In case of nonpayment of interest on Basel-III compliant bonds or non-achievement of the Basel-III CRAR ratio including CCB, RBI puts restrictions on the dividend in the Master Circular on Basel III Capital Regulations issued for this purpose.

B. Government of India guidelines:

As per extant guidelines of Government of India, the Bank is required to pay a minimum dividend of 20% of its equity (i.e. paid up capital) or 20% of its post–tax profits, whichever is higher. In case, any Bank decides to pay interim dividend, the total dividend to be paid by the Bank based on the annual results should be as per the above guidelines. Further, any relaxation from the provisions of these instructions requires specific prior permission of the Government.

5. **Internal and External Factors.**

The dividend payout decision of the Bank will also depend on certain external factors such as the state of the economy of the country, statutory and regulatory provisions, tax regulations, etc, as may be applicable at the time of declaration of the dividend. Apart from the aforesaid external factors, Board will also take into account various internal factors, such as business growth plans, future capital requirements, replacement of capital assets, etc. The decision of the Board regarding dividend shall be final.

6. Utilization of Retained Earnings

The retained earnings will mainly be utilized for the purpose of the Bank's growth plans and such other purposes as per the guidelines issued by RBI and Government of India from time to time.

7. **Provisions with regard to various classes of shares:**

The Bank currently has only one class of shares, namely Equity Shares. In case of issuance of any other class of shares in future, the parameters shall be decided suitably by the Bank at the appropriate time.

8. **Manner of Payment of dividend:**

As per Regulation 12 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank shall use any of the electronic modes of payment facility approved by the Reserve Bank of India for the payment of the dividends. Where it is not possible to use electronic mode of payment, 'payable-at-par' warrants or Demand Drafts will be issued to the eligible shareholders.

9. **Disclosure and Reporting:**

a) The Policy will be disclosed on the website of the Bank and a web link shall be provided in the Annual Report.

b) The Bank shall report the details of dividend declared during the accounting year to RBI as per timeline specified by RBI.

c) The Bank shall declare and disclose the dividend on per share basis only as specified under SEBI (LODR) Regulations

10**. Validity and Review of Policy**

The Policy will be in force, until further amendments made by Regulatory Authorities. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Policy and Regulatory guidelines, the regulatory guidelines will prevail.

The Board will review / renew the Policy on an annual basis and if found essential may amend the Policy from time to time.

Annexure - 1

Matrix of Criteria for maximum permissible range of Dividend Payout Ratio

Category	CRAR	Net NPA Ratio			
		Zero	More than zero but less than 3%	From 3% to less than 5%	From 5% to less than 7%
		Range of Dividend Payout Ratio			
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10
C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more in the current year	Up to 10		Up to 5	Nil

Indian Overseas Bank is offering Demat Account and Online Trading Account

IOB Saving Account + **IOB** Demat Account + **IOB - SMC** Trading Account

All the three accounts have been integrated with each other to offer a hassle free and convenient trading experience to Indian Overseas Bank customers.

Indian Overseas Bank 3-in-1 clients can invest into equities, derivatives & commodities trading.

BENEFITS OF DEMAT ACCOUNT

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Government of India undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

Azadi Ka Amrit Mahotsav

WHATEVER YOUR NEED

We are Here!

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Government of India undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

Welcome to IOB Digital World

- **IOB-Internet Banking** — Anytime - Any Where Banking
- **IOB-Mobile Banking** — Mobile app which offers major banking functions at ease
- **IOB-IMPS** — 24 * 7 instant funds transfer
- **IOB-Prepaid Card** — Open system re-loadable card.
- **IOB-Pay** — Payment Gateway to institution towards payment of fee / donations
- **IOB-USSD *99#** — Bank without Internet with IOB *99# app

OTHER RETAIL PRODUCTS

- Home Loan To NRI
- IOB Royal
- Pensioners Loan
- Liquirent Loan against Rent Receivables
- Home Decor
- Home Improvement for Repairs & Renovation
- Reverse Mortgage

*Terms & Conditions apply

✓ Easy Documentation ✓ Instant Approval ✓ Quick Disbursal ✓ Maximum Repayment